अष्टम माला, खण्ड 8, अंक 19

सोमवार, 19 अगस्त, 1985

28 श्रावण, 1907 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

तीसरा सत्र

(आठवीं लोक सभा)



(खण्ड 8 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा]

विषय सूची

अष्टम माला, खण्ड 8, तीसरा सत्र, 1985/1907 (शक)

अंक 19, सोमवार, 19 अगस्त, 1985/28 श्रावण, 1907 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	**1—23**
*तारांकित प्रश्न संख्या : 367 से 375	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	**23—202**
तारांकित प्रश्न संख्या : 376 से 388	
अतारांकित प्रश्न संख्या : 3813 से 3840, 3842 से 3864, 3866 से 3914, 3916 से 3973, 3975, 3976, 3978 से 4007, 4009 से 4047, 4047 क, 4047 ख और 4047 ग	
दिनांक 22-4-85 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3960 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण	**202**
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	**209—212**
प्राक्कलन समिति	**212**
पांचवां प्रतिवेदन	
लोक लेखा समिति	**212**
10वां प्रतिवेदन	
सभा-पटल पर रखे गए पत्रों सम्बन्धी समिति	**212**
पहला, दूसरा और तीसरा प्रतिवेदन	
सभा-पटल पर रखे गए पत्रों सम्बन्धी समिति	**212**
कार्यवाही सारांश	
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण	**213 – 227**
भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं सम्बन्धी उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को क्रियान्वयन में कथित विलम्ब का समाचार	
श्री कमल नाथ	213

*किसी नाम पर अंकित † चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
श्री पी० वी० नरसिंह राव	214
श्री अजय मुशरान	224
संपरिवर्तनीय संचयी अधिमानी अंशों के बारे में वक्तव्य	**227**
श्री जनार्दन पुजारी	
विधेयक—पुरःस्थापित	**228—229**
(1) सरकारी बचत विधि (संशोधन) विधेयक	228
(2) आसूचना संगठन (अधिकार निर्बन्धन) विधेयक	228
(3) उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) संशोधन विधेयक	229
नियम 377 के अधीन मामले :	**229—233**
(एक) इलाहाबाद विश्वविद्यालय और देश के अन्य पुराने विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने की आवश्यकता	
श्री जैनुल बशर	229
(दो) उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर जिले के पहाड़ों और जंगलों को काटे जाने से बचाने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता	
श्री उमा कांत मिश्र	230
(तीन) पक्की सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार को वर्ष 1985-86 के दौरान 100 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता देने की आवश्यकता	
श्री के० डी० सुल्तानपुरी	230
(चार) सातवीं योजना के दौरान राजस्थान में पेयजल की सुविधाएं प्रदान करने के लिए योजनाएं	
श्री वृद्धि चन्द्र जैन	231
(पांच) चिरकाल से सूखा प्रभावित क्षेत्रों में अकाल को समाप्त करने के लिए स्थायी उपाय करने की आवश्यकता	
श्री के० रामचन्द्र रेड्डी	231
(छः) लघु उद्योग के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए हस्त निर्मित डिटर्जेंट उत्पादों पर उत्पाद-शुल्क में दी गयी छूट को वापस लेने वाली अधिसूचना और विधेयक को वापस लेने की आवश्यकता	
श्री अजित कुमार साहा	232
(सात) दिल्ली में विभिन्न सरकारी स्कूलों में काम कर रहे शैक्षिक तथा व्यावसायिक मार्गदर्शक परामर्शदाताओं को सरकारी स्कूलों में कार्यरत अन्य सभी श्रेणियों के अध्यापकों के समान लाभ उपलब्ध कराने की आवश्यकता	
श्री के० जे० अब्बासी	233

विषय	पृष्ठ
(आठ) पुरातत्वीय अवशेषों की चोरी रोकने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में कार्य कर रहे संरक्षण कर्मचारियों को प्रोत्साहन देना	
श्री दिग्विजय सिंह	233
आवश्यक सेवा (संशोधन) विधेयक, 1985	**233—269**
विचार करने के लिए प्रस्ताव	233—253
श्री हरुभाई मेहता	234
श्री दामोदर पाण्डे	236
डा० दत्ता सामन्त	239
श्री जी० एस० बसवराजू	242
श्री थम्पन थामस	243
श्री अमर राय प्रधान	245
श्री अमल दत्त	246
श्री एस० बी० चव्हाण	248
खण्ड 2 और 1	
पारित करने के लिए प्रस्ताव	253—269
श्री एस० बी० चव्हाण	
आवश्यक सेवा अधिनियम, 1981 के बारे में सांविधिक संकल्प	**269—270**
श्री शिवराज वी० पाटिल	
आतंकवादी क्षेत्र (विशेष न्यायालय) संशोधन, विधेयक, 1985	**270—284**
विचार करने के लिए प्रस्ताव	270—283
श्री एस० बी० चव्हाण	270
श्री एन० वेंकटरत्नम	271
श्री एन० टोम्बी सिंह	271
श्री शान्ता राम नायक	274
श्री अमल दत्त	275
श्री हरीश रावत	276
श्री राम प्यारे पनिका	277
श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर	278
श्री के० रामचन्द्र रेड्डी	279
श्री एस० बी० चव्हाण	281

विषय	पृष्ठ
खण्ड 2 से 4 और 1	
पारित करने के लिए प्रस्ताव	283—284
श्री एस० वी० चव्हाण	
काफी (संशोधन) विधेयक, 1985	**284—301**
विचार करने के लिए प्रस्ताव	284—299
श्री पी० ए० संगमा	284
श्री गोपालकृष्ण थोटा	285
डा० के० जी० अदियोडी	286
प्रो० पी० जे० कुरियन	288
श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर	290
श्री मूल चन्द डागा	291
श्री सुरेश कुरूप	293
श्री सोमनाथ रथ	294
श्री सी० जंगा रेड्डी	295
श्री के० मोहनदास	296
श्री आर० जीवरत्नम	297
खण्ड 2 से 5 और 1	
पारित करने के लिए प्रस्ताव	299—301
श्री पी० ए० संगमा	
दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नीति के बारे में वक्तव्य	**302—304**
श्री खुर्शीद आलम खां	
दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मूल के लोगों को प्रभावित करने वाले जातीय दंगों के बारे में चर्चा	**301—302 व 305—335**
श्री प्रताप भानु शर्मा	305
श्री एस० एम० भट्टम	308
श्री जी० जां० स्वैल	310
श्री हन्नान मोल्लाह	313
श्री एडुआर्डो फैलीरो	314
श्री एस० जयपाल रेड्डी	317
प्रो० पी० जे० कुरियन	318
श्री राजीव गांधी	320
श्री इन्द्रजीत गुप्त	322

विषय	पृष्ठ
श्री जैनुल बशर	324
श्री मोहम्मद महफूज अली खां	325
श्री सोमनाथ रथ	327
श्री हरीश रावत	328
श्री राज कुमार राय	329
डा० गौरी शंकर राजहंस	330
श्री रामस्वरूप राम	331
श्री खुर्शीद आलम खां	332
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	335—336

लोक सभा

सोमवार, 19 अगस्त, 1985/ 28 श्रावण, 1907 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

दूरदर्शन के निर्माताओं की कार्यात्मक स्वतंत्रता

*367. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन में नियोजित निर्माताओं को, जहाँ तक कार्यक्रमों के आलेखन और रूपांकन का सम्बन्ध है, कार्यात्मक स्वतन्त्रता दी जाती है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, हाँ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : अध्यक्ष महोदय, मद्रास दूरदर्शन केन्द्र के प्रोड्यूसरों ने स्वयं मन्त्री महोदय, तथा दूरदर्शन के उपमहानिदेशक तथा महानिदेशक से यह शिकायत की है कि केन्द्र में केवल एक ही ऐसा व्यक्ति, उप-निदेशक (कार्यक्रम) है जो आलेखन या रूपांकन के किसी भी मद के सम्बन्ध में प्रोडयूसरों को कुछ भी अधिकार नहीं देता है। उनकी शिकायत है कि उनके कार्य में बराबर हस्तक्षेप किया जाता है। अपनी शिकायतों में उन्होंने कहा है कि उनके कार्यक्रम प्रायः इसलिए अच्छे नहीं होते हैं क्योंकि निरन्तर हस्तक्षेप के कारण वे अपने कार्यक्रमों को ठीक ढंग से नहीं बना पाते हैं। क्या मन्त्री महोदय इस मामले की छानबीन करेंगे और स्थिति में सुधार करने के लिए कार्यवाही करेंगे और यदि सम्भव हो सके तो इस सभा में उसके परिणाम के बारे में बताएंगे।

श्री वी० एन० गाडगिल : मैं पहली बार ये सब बातें सुन रहा हूँ। मैं निश्चित रूप से इस मामले की छानबीन करूंगा।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है कि मद्रास दूरदर्शन केन्द्र के प्रोडयूसरों ने यह शिकायत की है कि सामान की कमी के कारण कार्यक्रम तैयार करने के लिए सेट बनाने हेतु उचित सहायता नहीं मिलती है। 1982 में एक सामान सूची की जाँच की गयी थी और उसमें अनेक गलतियां पाई गई थीं। वास्तव में, आन्तरिक लेखा परीक्षा में भी इसकी शिकायत की गई है। किन्तु मैं समझता हूं तथा इसके बारे में स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि राजनीतिक संरक्षण के कारण इसे दबा लिया गया। 1982 से आज तक सामान की कोई सूची तैयार नहीं की

गई है। आन्तरिक लेखा परीक्षा विभाग को इस मामले में कोई बात कहने की अनुमती नहीं दी गई गई है। वास्तविकता यह है कि बार्ड रोब असिटेंट से लेकर केन्द्र के बड़े से बड़े अधिकारियों का हाथ इस अवैध धन्धे में है। मेरा प्रश्न बहुत ही स्पष्ट है। क्या मन्त्री महोदय, यह बात सुनिश्चित करेंगे कि मद्रास दूरदर्शन केन्द्र के सामानों की सूची आंतरिक मूल्यांकन यूनिट द्वारा जांच करवाने की बजाय किसी तीसरे पक्ष —या तो सतर्कता विभाग अथवा केन्द्रीय गुप्तचर विभाग द्वारा उसकी जांच कराई जाए क्योंकि इस केन्द्र में सभी लोगों का हाथ है और जिन लोगों का हाथ इसमें पाया जाये, उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जाए।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह संगत प्रश्न है, महोदय !

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसको समुचित सहायता नहीं मिल रही है···

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय इस पर ध्यान देंगे।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : क्या मैं स्पष्ट करूं, महोदय ?

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं। श्री जयपाल रेड्डी।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह सच है कि जो जनवाणी कार्यक्रम तैयार किए गए थे उनमें मन्त्रियों के कुछ वरिष्ठ सहायकों तथा विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की थी और क्या यह भी सच है कि जनवाणी के सन्दर्भ में तैयार किए गए कुछ वीडियो केसेट में लिखी सामग्री को मिटाया गया था और कुछ को दुबारा प्रयोग में लाया गया था और यदि हां. तो उसके क्या कारण हैं ?

श्री वी० एन० गाडगिल : महोदय, जहाँ तक प्रश्न के प्रथम भाग का सम्बन्ध है, इसका उत्तर नहीं है।

जहाँ तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, इसका उत्तर हाँ है। जनवाणी के तीन रिकार्डिंग के मामलों में टेप की गई सामग्री को मिटाया गया था। एक मामले में, जो श्री बूटा सिंह से सम्बन्धित है। विकल्प उपलब्ध था। तथापि, दो मामलों में, उन्हें मिटाया गया था। इस मामले की छानबीन की जा रही है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : इसका क्या कारण है ?

अध्यक्ष महोदय : इसी बात का तो वे लोग पता लगा रहे हैं। जांच पड़ताल करने के बाद उसके कारणों का पता लगेगा।

श्री वी० एन० गाडगिल : मैंने कहा था कि मैं इस मामले की जाँच कर रहा हूं, मैं कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ।

प्रो० मधु दण्डवते : क्या उन्हीं लोगों ने पहले मिटाया था और अब वही लोग इसके कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं ?

श्री वी० एन० गाडगिल : मैंने बताया है कि मैं जांच-पड़ताल कर रहा हूँ।

[हिन्दी]

श्री निर्मल खत्री : अध्यक्ष महोदय, क्या मन्त्री महोदय, दूरदर्शन पर जो स्पान्सर्ड प्रोग्राम दिखाए जा रहे हैं, तो क्या ऐसे कार्यक्रम दिखाने के बारे में सोच रहे हैं जिनसे हमारा राष्ट्रीय चरित्र विकसित हो सके।

अध्यक्ष महोदय : खत्री जी, नहीं।

[अनुवाद]

श्रमिकों द्वारा भार उठाए जाने सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का अभिसमय

*368. **श्री तम्पन थामस** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने श्रमिकों (पुरुष/महिला दोनों) के द्वारा 50 किलोग्राम से अधिक भार न उठाए जाने के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का अभिसमय स्वीकार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या अनेक राज्यों में गोदामों, नौकाओं, घाटों, बन्दरगाहों और गोदियों में अधिकांश श्रमिक एक बार में 100 किलोग्राम से अधिक तक भार उठाते हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रथा को बन्द करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री टी० अंजैया) : (क) से (ग). एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

विवरण

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अभिसमय संख्या 127 को, जो एक श्रमिक द्वारा उठाकर ले जाने के लिए अधिकतम अनुज्ञेय भार से सम्बन्धित है, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन ने 1967 में पारित किया था। इस अभिसमय में यह अपेक्षा की गई है कि आर्थिक कार्यकलाप की उन सभी शाखाओं में व्यक्तियों द्वारा भार ले जाने को विनियमित किया जाए जिनमें श्रम निरीक्षण करने की पद्धति अपनाई जाती है। इस अभिनय में केवल सामान्य सिद्धान्त निर्धारित किए गए हैं और अधिकतम अनुज्ञेय भार निर्धारित नहीं किया गया है। भारत ने अभी तक इस अभिसमय का अनुसमर्थन नहीं किया है। तथापि सिफारिश संख्या 128 में उठाकर ले जाने के लिए अधिकतम अनुज्ञेय भार 55 कि० ग्रा० निर्धारित किया गया है और इस सिफारिश को, मार्गदर्शी रूपरेखा के स्वरूप के होने के कारण, अनुसमर्थित करना आवश्यक नहीं है। श्रम मन्त्रालय में अभिसमय सम्बन्धी त्रिपक्षीय समिति ने 1980 में 50 कि० ग्रा० की अधिकतम सीमा की सिफारिश की। तथापि इसके विषय में सम्बन्धित मन्त्रालयों के साथ व्यापक परामर्श करना आवश्यक है। इस समय विभिन्न आकार के थैले इस्तेमाल किए जाते हैं। भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं और चावल 95/100 कि० ग्रा० की बोरियों में और धान 67/70 कि०ग्रा० की बोरियों में भरा जाता है। इसलिए अभिसमय सम्बन्धी समिति की सिफारिशों के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में, क्रमबद्ध तरीके से, 50 कि० ग्रा० की सीमा लागू करने की संभावना का पता लगाने के लिए कदम उठाए गए। खाद्य विभाग अब 1986-87 की रबी की फसल से 50 कि० ग्रा० की बोरियां शुरू करने के लिए प्रयत्न कर रहा है।

श्री तम्पन थामस : मेरा पहला अनुपूरक प्रश्न इन लाखों कर्मकारों को दी गयी सांविधिक सुविधाओं के बारे में है। सभी स्थानों में सिर पर बोझा ढोने वाले ये कर्मकार बोझा ढोने का काम करते हैं किन्तु उनके संरक्षण के लिए —मजदूरी उपदान, बोनस के भुगतान अथवा ऐसी ही किसी अन्य प्रकार की सुविधाओं के लिए कोई कानून नहीं है। यह एक समवर्ती विषय है। केवल केरल ही एक ऐसा राज्य है जिसने सिर पर बोझा ढोने वाले कर्मकारों के काम को विनियमित करने के लिए कानून बनाया है जिसका नाम हैड—लोड वर्कर्स एक्ट" रखा है जिसमें कुछ सुविधाएं प्रदान की गयी हैं।

देश में इस वर्ग के कर्मचारियों की संख्या सबसे अधिक है जो कुछ न कुछ त्याग करके यहां तक अपने जीवन का बलिदान करके भी कुछ कमाते हैं— क्योंकि वे 100 किलो वजन अपने सिर पर ढोते हैं। इस काम में जोखिम भी है। मेरा प्रश्न है : चूंकि यह समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए क्या केन्द्रीय सरकार कोई ऐसा कानून बनायेगी जिससे कि देश के इन कर्मकारों की सेवा शर्तें और न्यूनतम वेतन निर्धारित किया जा सके तथा इन कर्मकारों को जोखिम से बचाया जा सके ?

श्री टी० अन्जैया : इन कर्मकारों का सबसे बड़ा नियोक्ता भारतीय खाद्य निगम है। वहां से ऐसे हजारों कर्मकार कार्य करते हैं। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में इस समय भविष्य निधि, कर्मचारी बीमा योजना का कोई प्रावधान नहीं है। हमारा विभाग इस बात की जांच करेगा कि क्या इस विषय पर कोई व्यापक विधान बनाया जा सकता है ?

श्री तम्पन थामस : मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न इन लोगों की स्वास्थ्य स्थिति के बारे में है। क्या वे इस पहलू पर भी विचार करेंगे ? आमतौर पर ये लोग सिर पर बोझा ढोते हैं और यदि वे पुरुष हैं, तो 65 किलो वजन को अपने सिर पर रखकर बीस स्टैंक की ऊँचाई तक ले जाते हैं। वे लोग उन्हें 20 स्टैंक की ऊँचाई पर ले जाकर रखते हैं। क्या सरकार विशेष कर केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के उपक्रमों में तथा गोदी में इन वस्तुओं को ढोने तथा गोदामों में रखने के लिए फार्क-लिफ्ट, हल्की मशीनों तथा अन्य तकनीनकी उन्नत उपकरणों की सप्लाई करने के बारे में विचार करेगी ?

श्री टी० अन्जैया : उठाकर ले जाने वाले वजन के साथ-साथ हम इन सब बातों की जांच-पड़ताल कर रहे हैं।

श्री वक्कम पुरुषोत्तयम : केरल सरकार ने 'हेड-लोड बर्कर्स एक्ट' नाम का एक कानून बनाया है। इस कानून की मुख्य विशेषता इन कर्मकारों को रोजगार की सुरक्षा प्रदान करना है। जहां तक सिर पर बोझा ढोने वाले कर्मकारों का सम्बन्ध है, उनकी सुरक्षा का उसमें कोई प्रावधान नहीं है। क्या सरकार इस प्रकार का कोई कानून बनाने की पहल करेगी जो देश के सभी राज्यों में लागू किया जा सके ?

श्री टी० अन्जैया : मैं पहले ही कह चुका हूं कि हम इसे पूरे देश में लागू करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : वे इस पर विचार करेंगे।

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : इस सभा को भी न केवल बोझा ढोने के बारे में अपितु बोझा खींचने के बारे में चिंता है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद 38 वर्ष बीत जाने के बाद भी देश के अनेक भागों में अर्थात हैदराबाद और मद्रास शहरों में इस दासता की झलक हम देख रहे हैं। वहां आदमी रिक्शों में ले जाए जाते हैं जो आदमी द्वारा चलाए जाते हैं। यह गुलामी ही है। क्या सरकार इस बुरी प्रथा पर प्रतिबन्ध लगाने तथा रिक्शा चालकों को जीविका चलाने के लिए स्वचालित रिक्शा (आटोरिक्शा) खरीदने हेतु बैंकों से धन दिलाकरके उनका पुनर्वास करने को तैयार है ?

अध्यक्ष महोदय : आटो रिक्शा ?

श्री टी० अन्जैया : वह एक पृथक प्रश्न है।

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : मैं आपका संरक्षण चाहता हूं, महोदय। इसका सम्बन्ध शारीरिक श्रम से है।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

मध्यवर्ती पट्टेदारी को समाप्त करने सम्बन्धी अधिनियम का कार्यान्वयन

*369. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 जून, 1985 के "बिजनैस स्टैण्डर्ड" में प्रकाशित इस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि सरकार ने अन्ततः यह स्वीकार किया है कि निर्धनता को दूर करने के कार्यक्रम (पुनर्वितरित भूमि सुधार) के मुख्य ध्येय को पूरा करने में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है और ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश गरीब ग्रामीण लोगों की स्थिति वैसी ही है जैसी कि उस समय थी, जब उनके पास भूमि नहीं थी;

(ख) क्या ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किये गये सर्वेक्षण के अनुसार कुछ राज्यों ने मध्यवर्ती पट्टेदारी को समाप्त करने सम्बन्धी अधिनियमों को पूरी तरह कार्यान्वित नहीं किया है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग). ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तथापि राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार महाराष्ट्र में देवास्थान इनाम, उड़ीसा में फौजी जागीरें तथा गोवा, दमन व दीव में कुमनीडेड्स के रूप में बिचौलिया काश्तकारों को अभी समाप्त नहीं किया गया है तथा बिचौलियों के अधिकार को समाप्त करने के बारे में बकाया कार्य को आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा पांडिचेरी में पूरा करना शेष है।

श्री जगन्नाथ पटनायक : निर्धनता विरोधी कोई भी कार्यक्रम तब तक सफल नहीं होगा जब तक कि उसे ग्रामीण निर्धनों के लिए आय देने वाली परिसम्पत्ति योजना के साथ एकीकृत नहीं किया जाता है। माननीय मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न के भाग (क) का उत्तर दिया है। उन्होंने यह बात स्वीकार की है कि भूमि सुधार के सम्बन्ध में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है। इसके क्या कारण हैं और छठी योजना में (राज्यवार ब्यौरे सहित) क्या लक्ष्य रखा गया था और भूमि सम्बन्धी कितने मामले न्यायालयों में पड़े हैं ? क्या केन्द्रीय सरकार का विचार आवधिक समीक्षा करने के लिए कोई समुचित निगरानी तंत्र स्थापित करने और इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों को कुछ निदेश और आदेश देने का है ?

सरदार बूटा सिंह : सर्वप्रथम, मैं माननीय सदस्य के इन विचारों से सहमत हूँ कि जब तक हम अपनी ग्रामीण समाज की इस मूलभूत समस्या अर्थात् भूमि सुधारों को कड़ाई के साथ लागू नहीं करेंगे तब तक 20 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन में अथवा निर्धनता को समाप्त करने के मामले में कोई प्रगति नहीं हो सकती। राजस्व मंत्रियों के सम्मेलन का उद्घाटन करते समय मैंने यह विचार व्यक्त किया था :

> "यदि हम भूमि सम्बन्धी स्थिति का अवलोकन करें तो हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि भूमि सुधार सम्बन्धी जो भी उपाय अब तक किए गये हैं उसके आशानुकूल परिणाम नहीं निकले हैं।"

जहाँ तक छठी पंचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित लक्ष्य का संबंध है, हमें आशा थी कि जिन राज्यों ने ऐसी श्रेणियों जिन्हें विशेष रूप से छूट दी गई है, यथा सेवारत रक्षा कार्मिक, अवयस्क विकलांग, आदि को छोड़कर सभी पट्टेधारियों को मालिकाना अधिकार देने के लिए, कोई विधायी

उपबंध नहीं किए हैं, वे सभी राज्य ऐसा एक वर्ष के भीतर अर्थात् 1981-82 के दौरान करने के लिए कोई उपयुक्त विधायी उपाय लागू करेंगे । दूसरा कार्यक्रम फालतू भूमि पर कब्जा करने तथा उसका वितरण करने के लिए था जिसे 2 वर्षों के भीतर 1982-83 तक पूरा किया जाना था। फालतू भूमि के आबंटन में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लोगों को प्राथमिकता दी जानी थी। तीसरा कार्यक्रम था कि भूमि अभिलेखों को तैयार करने तथा उसे अद्यतन बनाने के लिए एक योजनाबद्ध कार्यक्रम चलाया जाएगा और जिन राज्यों में यह कार्य बहुत बकाया पड़ा है, वहाँ उसे पाँच वर्षों के भीतर अर्थात् 1980-85 तक पूरा किया जायगा। सर्वेक्षण कार्य शीघ्र पूरा करने के लिए अन्तिम सर्वेक्षण तकनीक का प्रयोग किया जा सकता है। प्रत्येक कृषक को एक पास बुक दी जायेगी जिसमें उसकी हैसियत भूमि का हक, भूमि का ब्यौरा दिया जाएगा। इस ब्यौरे में भूमि का क्षेत्रफल और उसकी श्रेणी तथा इसके रूप में खसरे के नक्शे की एक प्रति तथा भूमि सुधार के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित ऐसे अन्य विवरण दिए जायेंगे। इस दस्तावेज अर्थात् पास बुक में भूमि का हक और अधिकार के प्रमाण के रूप में विधिक दर्जा दिए जाने के लिए राजस्व कानूनों में उपयुक्त उपबन्ध किया जायेगा। इसके बाद का लक्ष्य यह था कि सभी राज्यों द्वारा चरणबद्ध ढंग से दस वर्ष के अन्दर भूमि जोतों की चकबंदी करने का कार्यक्रम पूरा किया जाएगा जिसमें सिंचाई परियोजना के उन कमान क्षेत्रों को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी जहाँ इस कार्य को 3-5 वर्ष के अन्दर पूरा किया जायेगा। चकबंदी पूरी हो जाने के बाद जोतों को न्यूनतम आकार से पुनः टुकड़े-टुकड़े करने से बचाने के लिए कानूनी उपाय भी कार्यान्वित किए जायेंगे। ये लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। संक्षेप में यदि इस सम्मानित सभा को मैं कार्यान्वयन के बारे में बताऊँगा तो इससे यह पता चलेगा कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 81 प्रतिशत फालतू भूमि पर कब्जा किया गया और 62 प्रतिशत फालतू घोषित भूमि को वितरित किया गया।

श्री जगन्नाथ पटनायक : क्या इस बात का कोई सर्वेक्षण कराया गया है कि कितने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने अभी तक मध्यवर्ती पट्टेदारी समाप्त की है और यदि कोई सर्वेक्षण कराया गया है तो ऐसे कौन-कौन से राज्य हैं तथा भारत सरकार इसके लिए क्या कदम उठायेगी ?

अध्यक्ष महोदय : वह इसका उत्तर दे चुके हैं।

सरदार बूटा सिंह : जैसा कि मैं आरम्भ में ही कह चुका हूँ भारत सरकार द्वारा ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं कराया गया है। किन्तु हमें अधिकांश में स्वयं राज्य सरकारों के सर्वेक्षणों तथा उनके द्वारा दिए गये आंकड़ों पर निर्भर रहना पड़ता है। वर्तमान विधिक उपबंधों के अन्तर्गत जिन राज्यों ने इसे पूरी तरह से कार्यान्वित नहीं किया है, वे राज्य हैं उड़ीसा जहाँ कुछ सेवा जागीरें समाप्त नहीं की गई हैं और गोवा, दमन और दीव जहाँ कुछ जागीरदारी (कुमनीउद्वेस) समाप्त नहीं की गई है। कुछ विधि संबंधी रुकावटें भी हैं और कुछ उपबन्धों को विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों यथा बिहार, मध्य प्रदेश, पांडिचेरी और उत्तर प्रदेश में कार्यान्वित नहीं किया गया है ।

[हिन्दी]

श्री उमा कान्त मिश्र : अध्यक्ष जी, ग्रामीण क्षेत्रों में आदिवासियों और हरिजनों को जो कि भूमिहीन थे, भूमिवितरण का काम 1976-77 में तेजी पर था । बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत बहुत-से आदिवासियों और हरिजनों को भूमि दी गई थी, उसके बाद उनको भूमि का पट्टा दिया गया लेकिन उनमें से 50-60 प्रतिशत लोगों को भूमि का कब्जा नहीं मिल पा रहा है जो कि उनको मिलना चाहिए। उनमें से कुछ के मामले न्यायालयों में पेंडिंग हैं। कुछ राज्यों में क्षेत्रीय लोग उनको

कब्जा लेने नहीं देते हैं। वैसे तो यह राज्य सरकार का विषय है लेकिन क्या कृषि मंत्री जी और प्रधान मंत्री जी इस बारे में तेजी लाने की कोशिश करेंगे ?

श्री बूटा सिंह : जी हाँ, अवश्य करेंगे।

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी : भूमि सुधारों का कार्यान्वित करने में अनेक मुकदमे दायर होने की बात को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार भूमि सुधार कानून को नौवीं अनुसूची में रखने के प्रश्न पर विचार करेगी जिससे कि निर्धन भूमिधारी लोगों को संरक्षण प्रदान किया जा सके ?

सरदार बूटा सिंह : जैसा कि आपको पता है, मुख्य रूप से यह विषय राज्यों से सम्बन्धित है और हम उन विभिन्न राज्य सरकारों के साथ इस मामले को उठा रहे हैं जहाँ इसके कार्यान्वयन की गति धीमी रही है। हम इस मामले पर अपने स्तर पर मुख्य मंत्रियों के साथ बात चीत कर रहे हैं तथा सचिव मुख्य सचिवों के साथ मामले को उठा रहे हैं। यह एक सुझाव है और मुझे प्रसन्नता होगी यदि इस सुझाव को मान लिया जाता है।

केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत राज्यों में खुम्बी की खेती

*370. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत कुछ राज्यों में खुम्बी की खेती शुरू की गई है;

(ख) यदि हाँ, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें यह योजना शुरू की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार वर्ष 1985-86 में कुछ और राज्यों में खुम्बी की खेती शुरू करने का है; और

(घ) यदि हाँ, तो इसके लिए चुने गए राज्यों के नाम क्या हैं और वर्ष 1985-86 में खुम्बी की खेती के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) तथा (घ). राज्यों में खुम्बी की खेती बढ़ाए जाने के लिए किसी केन्द्रीय प्रायोजित योजना को शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर तथा कर्नाटक राज्य में खुम्बी की खेती के संवर्धन के लिए नीदरलैंड सरकार को सहायता प्राप्त करने के लिए एक परियोजना तैयार की गई है। नीदरलैंड सरकार से चार वर्ष की अवधि के लिए 37.50 लाख डच गिल्डर्स (करीब 1.26 करोड़ रुपए) की सहायता लेने का प्रस्ताव है, जिसमें राज्यों का अंशदान 1.44 करोड़ रुपए होगा।

श्रीमती जयन्ती पटनायक : खुम्बी में खाद्य मान प्रचुर मात्रा में होता है, क्योंकि कुछ पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, खनिज एवम् विटामिन इसमें होते हैं। इस दृष्टि से खुम्बी की खेती को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। अभी तक इसकी विस्तृत खेती का प्रयास नहीं किया गया है तथा कभी-कभी यह देखने में आता है कि खुम्बी की खेती करने वाले कुछ राज्यों में भी इसके उत्पादन में बहुत कमी आ जाती है। माननीय मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है कि नीदरलैंड सरकार की मदद से एक परियोजना चार राज्यों के लिए तैयार की गई है। अन्य राज्यों पर इसे लागू नहीं किया गया है। कुछ

क्षेत्रों में जैसे बिहार में छोटा नागपुर, तथा उड़ीसा के गोलापुर तथा सामलीपुर पहाड़ी क्षेत्रों में एवम् पश्चिम बंगाल के मिदनापुर तथा अन्य क्षेत्रों में खुम्बी की खेती की बहुत गुंजाइश है। मैं जानना चाहती हूँ कि कम से कम प्रयोगशाला से खेतों तक खुम्बी की खेती को प्रोत्साहन देने की सरकार की क्या नीति है। क्या बड़े स्तर पर पैदावार करने के लिए नमूने के तौर पर प्रदर्शन की तथा किसी प्रशिक्षण केन्द्र की योजना है? क्या देश में कोई उच्च प्रौद्योगिकी खुम्बी उत्पादन केन्द्र है? अगर ऐसा है, तो क्या मैं जान सकती हूँ कि इनकी सहायता से गत पाँच वर्षों में उत्पादन में कोई बढ़ोतरी हुई है?

सरदार बूटा सिंह : माननीय सदस्या ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। इसमें कोई शक नहीं है कि खुम्बी की खेती में बहुत ही उच्च विशेषज्ञता की जरूरत होती है···(व्यवधान) खुम्बी की खेती करने में आने वाली मुख्य कठिनाइयों को मैं सम्मानित सदन के समक्ष रखूंगा। वे हैं कृषकों की खुम्बी की खेती करने से सम्बन्धित पर्याप्त ज्ञान का न होना, उत्पादकों को खाद की अपर्याप्त सप्लाई। इसके लिए उपकरणों, भवनों तथा परिवहन, इत्यादि पर भारी पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है; दूर के बाजारों में खुम्बी को संभालकर ले जाने के लिए बुनियादी सुविधाओं की कमी: खाद की वजह से तथा कम उत्पादकता के कारण खुम्बी की उत्पादन लागत बहुत अधिक है। अत: इसकी मांग अपेक्षाकृत समाज के अमीर वर्गों तक ही सीमित है।

जैसा कि श्री भागवत झा आजाद कह रहे थे कि यह केवल कुछ ही होटलों में जाती है···

श्री भागवत झा आजाद : मैंने कहा था कि इसको खाने के लिए पकाने की विशेषज्ञता की जरूरत है न कि इसके उगाने की।

सरदार बूटा सिंह : इसका कुछ भाग निर्यात भी किया जाता है।

माननीय सदस्या इसके अनुसंधान पहलू पर जानकारी चाहती थीं कि देश में खुम्बी की खेती अधिक किये जाने के लिए क्या किया गया है तथा क्या किये जाने का विचार है।

प्रो० मधु दण्डवते : सत्ताधारी दल की बढ़ोतरी इसी प्रकार की है।

सरदार बूटा सिंह : परन्तु यह बहुत ही वैज्ञानिक है। 1983 में सोलन में एक राष्ट्रीय केन्द्र शुरू किया गया है। यह सर्वेक्षण का कार्य करता है तथा अपने आप पैदा होने वाली खुम्बी की किस्मों को एकत्रित करता है क्योंकि हमें ऐसी किस्मों को विकसित करना है जिन्हें एक विशेष जलवायु में पैदा किया जाता है। खाने योग्य तथा न खाने योग्य किस्मों को पहचानना होता है। खेती, उत्पादन तथा कटाई के बाद की व्यवस्था पर प्रौद्योगिकी का पता लगाकर उसका मानकीकरण करना; अच्छी किस्म की तथा अधिक उपज देने वाली खुम्बियों का पता लगाकर खुम्बी की खेती करने वालों और वैज्ञानिकों को इसकी खेती के बारे में प्रशिक्षण देना होता है।

माननीय सदस्य अब तक की प्रगति के बारे में जानना चाहती थीं। गत पाँच वर्षों में हमने 80 से अधिक खुम्बी की किस्मों को एकत्रित किया है। इनको उन क्षेत्रों से एकत्रित किया गया है जहाँ ये अपने आप पैदा होती हैं। इनकी खाद्य किस्मों तथा अन्य विशेषताओं पर भी अध्ययन करके उनकी जाँच की जा रही है। 'गुची' नामक एक बहुत ही कीमती खुम्बी की खेती करने के लिए भी प्रयास किए जारहे हैं ऐसा पता लगा है कि निर्यात के लिए यह उत्कृष्ट किस्म प्राकृतिक वातावरण में जम्मू-काश्मीर में पैदा होती है।···

श्री जी० जी० स्वैल : इसको यहां पढ़ने की बजाय, वह कागजों को पढ़ने के लिए हमारे पास भेज सकते थे।

सरदार बूटा सिंह : ये परिणाम अनुसंधानों से निकले हैं। मेघालय में इसकी पैदावार नहीं होती है। अतः इसका उल्लेख करना जरूरी है। देश में खुम्बी का उत्पादन स्थिर रहा है। सोलन में इस परियोजना के शुरू होने के पश्चात् मुझे विश्वास है कि प्रौद्योगिकी को सभी केन्द्रों में वितरित कर दिया जायेगा। मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि खुम्बी की पैदावार लगभग सभी राज्यों में नहीं की जा सकती। इसकी उन्हीं राज्यों में खेती की जायेगी जो कि जलवायु की दृष्टि से उपयुक्त है। हम अपने वैज्ञानिकों के अनुसंधानों तथा नीदरलैंड सरकार के सहयोग से खुम्बी की खेती बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं।

श्रीमती जयन्ती पटनायक : यह अच्छी बात है कि प्रौद्योगिकी का पता लगने के बाद इसे देश के अन्य भागों में वितरित किया जायेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह एक लाभप्रद व्यापार है। चूंकि खुम्बी की खेती छोटे-छोटे घरों के स्तर पर की जा सकती है और उत्पादकों को एक अच्छा खासा लाभ दिला सकती है इसलिए मैं जानना चाहती हूँ कि क्या शहरी उपभोक्ता केन्द्रों के आसपास के गरीब कृषकों को गरीबी हटाओ कार्यक्रम के अंग के रूप में खुम्बी की खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। अगर ऐसा किया जा रहा है तो उन्हें कौन-कौन सी टेक्नीकल तथा आर्थिक सहायता दी जा रही है; अगर नहीं, तो क्या केन्द्रीय सरकार प्रधान मन्त्री के कृषि और सिंचाई के विकास को व्यापक कार्यक्रम की भाँति इस कार्यक्रम को आय बढ़ाने वाली योजना के अन्तर्गत प्राथमिकता देगी।

सरदार बूटा सिंह : हम भारतीय ग्रामीण लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले मोटे अनाज तथा दालों के उत्पादन को अधिक महत्व दे रहे हैं। जैसाकि मैंने आपको बताया है कि इस फसल के लिए अधिक विशेषता की आवश्यकता है। इसकी खेती प्रत्येक किसान विशेषकर, छोटे तथा सीमान्त किसानों द्वारा जो हमारे कृषक समुदाय का लगभग 74 प्रतिशत हैं, नहीं की जा सकती। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं। खुम्बी की पैदावार बढ़ रही है। सोलन में हमारा एक राष्ट्रीय केन्द्र है तथा शिलांग में एक उप-केन्द्र है। मेरे माननीय मित्र यह जानने के लिए बहुत उत्सुक थे। हम खुम्बी की पैदावार सम्बन्धी अनुसंधान का देश के लगभग उन सभी भागों में, जहाँ इसका उत्पादन हो सकता है, विकेन्द्रीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री अमल दत्त अपने खेत में उगायेंगे।

श्री अमल दत्त : महोदय, अगर मैं पर्याप्त खुम्बी उगा सकूं तो मुझे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : क्या ऐसी बात है ?

श्री अमल दत्त : महोदय, क्या माननीय मन्त्री इस बात की पुष्टि करेंगे कि कई दशकों के प्रयास के बाद आज इस देश में लगभग एक हजार टन खुम्बी का उत्पादन हो रहा है जबकि विभिन्न देशों में, विशेषकर चीन में, जिसने लगभग 4 या 5 वर्षों पहले खुम्बी की वैज्ञानिक खेती शुरू की है, पहले ही लगभग एक लाख टन, खुम्बी का उत्पादन हो रहा है और उसमें से 60 प्रतिशत से भी अधिक खुम्बी का निर्यात किया जाता है। अतः खुम्बी निर्यात बाजार बहुत बड़ा है। भारत में जहाँ शीतोष्ण जलवायु है जैसा कि उत्तर-हिमालय क्षेत्र में हमारे पास ऐसा बहुत अधिक क्षेत्र है जहाँ हम एक लाख टन से भी अधिक खुम्बी की खेती कर सकते हैं बशर्ते कि हमारी प्रयोगशालायें अपनी गतिविधियों को अपने ही क्षेत्राधिकार तक सीमित न रखें बल्कि उसमें बाहर भी लोगों को सिखायें कि खुम्बी की खेती कैसे की जा सकती है और सरकार भी उस पैदावार को बेचने की व्यवस्था करे। क्या सरकार ऐसा करने के लिए आवश्यक कदम उठायेगी।

सरदार बूटा सिंह : जी, हां। मुख्य प्रश्न का मैंने जवाब दे दिया है। माननीय सदस्य कुल उत्पादन के बारे में जानना चाहते थे। कुल उत्पादन 1120 टन है जिसमें से लगभग 50 टन का निर्यात होता है। यह सत्य है कि चीन जैसे अन्य देशों की तुलना में हम बहुत पीछे हैं। जहां तक अनुसंधान को विभिन्न केन्द्रों तक पहुंचाने का सम्बन्ध है, जैसाकि मैंने आपको बताया है, 5 राज्यों को पहले ही सम्मिलित किया जा चुका है और जितने भी राज्यों को सम्मिलित करना सम्भव होगा हम सम्मिलित करेंगे। राज्य पर्याप्त रुचि नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि पर्याप्त खेती के लिए विशेषज्ञता चाहिए और हर कृषक को इसके लिए प्रेरित करना होगा। इसमें बहुत अधिक निवेश की आवश्यकता है।

जहां तक अनुसंधान का सम्बन्ध है, हमारी स्थिति वही है जो कि चीन सहित किसी अन्य देश की है।

किसानों के लिये कृषि-सेवा केन्द्र

*371. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पशुओं द्वारा चलाए जाने वाले उन्नत किस्म के कृषि उपकरणों को किराए पर देने और लोकप्रिय बनाने के लिए किसानों के कृषि सेवा सम्बन्धी केन्द्रों की स्थापना करने के लिए वर्ष 1983-84 में शुरू की गई केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के मुख्य उद्देश्य क्या हैं;

(ख) क्या यह सच है कि अधिकांश राज्यों में इस योजना को देर से शुरू किया गया था अथवा इसको बिल्कुल भी कार्यान्वित नहीं किया गया; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) से (ग). सभा पटल पर विवरण रखा जा रहा है।

विवरण

(क) यह केन्द्रीय प्रायोजित योजना दिसम्बर, 1983 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य पशुओं द्वारा चलाये जाने वाले उन्नत कृषि उपकरणों तथा दस्ती औजारों की, विशेषकर शुल्क भूमि वाले क्षेत्रों में सुविधा उपलब्ध कराना था। इस योजना के तीन एकीकृत घटक इस प्रकार हैं।

(1) उपकरण आदि किराये पर देने के लिए किसान कृषि सेवा केन्द्रों की स्थापना;

(2) प्रदर्शन, और

(3) उन्नत कृषि उपकरण और दस्ती औजार रियायती दरों पर वितरित करना।

(ख) और (ग). उपर्युक्त (क) पर उल्लिखित इस योजना के तीनों घटक 9 राज्यों, अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में कार्यान्वित किए जाने थे। शेष 13 राज्यों में केवल तीसरे संघटक का अर्थात् उन्नत कृषि उपकरणों तथा दस्ती-औजारों का रियायती दरों पर वितरण कार्यान्वित किया जाना था।

18 राज्यों और एक संघ शासित क्षेत्र ने इस परियोजना का कार्यान्वयन शुरू कर दिया है जैसाकि संलग्न अनुबन्ध में दिया गया है। भारत सरकार ने इस परियोजना को जनवरी, 1984 में मंजूर कर दिया था और राज्यों ने इसमें शामिल होने की संभावना की जांच करने में कुछ समय लगाया क्योंकि उन्होंने लागत का 50 प्रतिशत हिस्सा वहन करना है। यह स्पष्ट है कि अधिकतर राज्यों ने इस परियोजना में भाग लेना शुरू कर दिया है।

अनुबंध

योजना के कार्यान्वयन की प्रगति

(क) उन राज्यों में प्रगति जहां के लिए मन्त्रालय ने सभी तीन घटकों के लिए मंजूरी दे दी थी।

राज्य	स्थापित कृषि सेवा केन्द्र	किए गए प्रदर्शन	वितरित उपकरण और औजार
1. महाराष्ट्र	39	—	5362
2. उड़ीसा	7	702	69587
3. तमिलनाडु	72	2868	15786
4. उत्तर प्रदेश	4	476	12702
5. असम	14	214	—
6. मध्यप्रदेश	—	260	3324

(ख) उन राज्यों में प्रगति जहां के लिए मन्त्रालय ने केवल एक घटक मंजूर किया था।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वितरित उपकरणों तथा औजारों की संख्या
1. गुजरात	71672
2. हरियाणा	162
3. हिमाचल प्रदेश	162
4. राजस्थान	1602
5. केरल	84

(ग) निम्नलिखित राज्यों ने बताया है कि उन्होंने इस योजना का कार्यान्वयन चालू वर्ष 1985-86 से शुरू किया है और उनकी प्रगति रिपोर्टों की प्रतीक्षा की जा रही है।

1. आन्ध्र प्रदेश
2. बिहार
3. कर्नाटक
4. मणिपुर
5. पंजाब
6. जम्मू व कश्मीर
7. पश्चिम बंगाल

श्री लक्ष्मण मलिक : मैंने माननीय मन्त्री द्वारा दिए गए विवरण को पढ़ा है जिसके अनुसार योजना का मुख्य उद्देश्य शुष्क भूमि वाले क्षेत्र के छोटे तथा सीमान्त कृषकों को उन्नत किस्म के उपकरण उपलब्ध कराना है। महोदय, यह मालूम हुआ है कि कुछ ब्लाक हैं जिन्हें शुष्क भूमि खेती के

लिए पता लगाया गया है। इस दिशा में अधिक प्रगति नहीं हुई है। लघु तथा सीमान्त कृषकों को उन्नत किस्म के उपकरण उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में कोई सुविधा भी नहीं दी गई है। क्या मैं माननीय मन्त्री से जान सकता हूँ कि इस योजना के अन्तर्गत ऐसे कितने ब्लाकों का पता लगाया गया है तथा स्थापित किए गए कृषि सेवा केन्द्रों की कुल संख्या क्या है? मैं यह जानना चाहता हूँ कि, ब्लाकों की तथा कृषि सेवा केन्द्रों की कुल संख्या कितनी है।

सरदार बूटा सिंह : छठी पंचवर्षीय योजना में इस योजना में इस योजना को बहुत से क्षेत्रों में लागू किया गया था। 600 ब्लाकों में 1200 कृषि सेवा केन्द्रों के लिए कुल वास्तविक परिव्यय की परिकल्पना की गई है। औजारों तथा उपकरणों के प्रदर्शन का लक्ष्य 48000 है। 2.51 लाख उन्नत उपकरणों तथा 4.6 लाख दस्ती औजारों को रियायती मूल्यों पर बेचना है। अगर माननीय सदस्य राज्य-वार विवरण जानना चाहते हों तो मैं पढ़कर सुना सकता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : आप इसे सभा-पटल पर रख दें।

श्री लक्ष्मण मलिक : मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है। राज्य कृषि-उद्योग निगमों की स्थापना उपयुक्त उपकरणों का विकास तथा निर्माण करने, कृषि पर आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने, कृषकों के कृषि सेवा केन्द्रों के जरिये किसानों को कृषि आदानों का वितरण तथा प्रयोग और किराये पर उपकरण उपलब्ध कराने सम्बन्धी सेवा प्रदान करने के लिए की गई है। परन्तु ऐसा बताया गया है कि अधिकांश राज्य कृषि-उद्योग निगम योजना के मूल उद्देश्यों के लिए कार्य करने की बजाय अपने आपको आदानों के वितरण के कार्य में लगाये हुए हैं।

कुछ राज्य निगम आई० एस० आई० मानक के अनुसार उपकरणों का निर्माण नहीं कर रहे हैं। इस मुद्दे पर क्या मैं माननीय मंत्री से सरकार की प्रतिक्रिया के बारे में जान सकता हूँ?

सरदार बूटा सिंह : महोदय, हमने परिकल्पना की थी कि राज्य-कृषि उद्योग निगम उन्नत किस्म के कृषि उपकरणों तथा दस्ती औजारों का निर्माण बड़े पैमाने पर शुरू करेगा। परन्तु इन लक्ष्यों के लिए योजना को क्रियान्वित करने के सम्बन्ध में हम खुश नहीं है क्योंकि अधिकांश राज्य कृषि उद्योग निगमों ने इन उपकरणों का निर्माण शुरू नहीं किया है। वे खुले बाजार से उन्हें खरीदकर किसानों को बेच देते हैं। वे उन चीजों से अपना लाभ प्राप्त कर लेते हैं तथा राज सहायता का दुरुपयोग होता है।

इसलिए, हम अब सातवीं पंचवर्षीय योजना में यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कृषि-उद्योग निगम स्वयं अपनी इकाइयां स्थापित करें और हम उन उपकरणों के निर्माण के लिए कड़ी निगरानी प्रणाली अपनायेंगे जिन्हें विभिन्न प्रदर्शनों द्वारा पहले से ही बहुत उपयोगी पाया गया है। पूर्वी क्षेत्र में विशेषकर बैलों द्वारा खींचे जाने वाले उपकरण, अधिकाधिक लोकप्रिय हो रहे हैं और हमें पिछड़े क्षेत्रों में आधुनिक खेती-बाड़ी को अपनाने हेतु नवीनतम कृषि उपकरणों और औजारों को प्रयोग में लाने पर जोर देना है।

श्री एम० रघुमा रेड्डी : महोदय, स्वतन्त्रता के 38 वर्ष बाद भी, सर्वाधिकार उपेक्षित क्षेत्र है शुष्क-भूमि खेती। शुष्क भूमि पर खेती-बाड़ी के लिए विशेषरूप से उपयुक्त उपकरणों के बारे में कोई अनुसंधान नहीं किया गया है। केवल ट्रैक्टर, विद्युत चालित हल और वे सभी उपस्कर, जो कि शुष्क भूमि खेती के लिए लाभदायक नहीं है और जो शुष्क भूमि पर खेती के लिए महंगे और अलाभकारी हैं, निर्मित किये जाते हैं। वास्तव में, जो उपकरण किसानों के लिए उपयोगी हैं, विशेषकर,

छोटे किसानों के लिए, उनका तो अभी तक निर्माण नहीं किया गया है और सरकार ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है।

मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि सरकार उन सहस्रों कृषि-स्नातकों और कृषि इंजीनियरी स्नातकों को लाइसेन्स जारी करने पर विचार करेगी जो बेरोजगार हैं और जो उन उपकरणों का निर्माण आरम्भ कर सकें जो कि छोटे और सीमान्त किसानों तथा ग्रामीण क्षेत्रों के कृषि-आधारित सेवा-केन्द्रों के लिए उपयुक्त हैं। नौकरियां देने की बजाय, ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार कृषि-स्नातकों पशु-चिकित्सा स्नातकों और कृषि-इंजीनियरी स्नातकों को, छोटे और सीमान्त किसानों के लिए उपयोगी उपकरणों का निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित करना कहीं अच्छा है। मैं मन्त्री महोदय से यह भी जानना चाहता हूँ कि वह इस वर्ष और सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन-कौन से कदम उठाने जा रहे हैं। मैं जब प्रधान मंत्री महोदय से विचार-विमर्श कर रहा था तो उन्होंने मुझे बताया कि "वह सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किसानों की सुविधा के लिए पर्याप्त उपाय कर रहें हैं।" मैं यह जानना चाहता हूँ कि वह इन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए क्या उपाय करने जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप देखते हैं कि यह तो दोनों ओर से सहयोग प्राप्त होने की बात है। वह जानकारी ले भी रहे हैं और दे भी रहे हैं।

सरदार बूटा सिंह : महोदय, हमने यह सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों से पहले ही कह दिया है कि कृषि-उद्योग निगम का 30 प्रतिशत बजट का उपयोग विशेषरूप से छोटे और सीमान्त किसानों हेतु नवीनतम कृषि उपकरणों के निर्माण सहित, कृषि-इंजीनियरी कार्यकलापों के लिए किया जाए। कृषि उपकरणों के बारे में समीक्षा करने के लिए हमने राष्ट्रीय स्तर की समिति का गठन किया है। यह समिति न केवल समीक्षा करेगी, बल्कि कुछ नवीनतम सुधरे हुए उपकरणों एवं औजारों को भी देगी जिन्हें शुष्क भूमि क्षेत्रों के छोटे और सीमान्त किसानों की सहायता और उपयोग के लिए बनाया गया है।

हमने केन्द्रीय कृषि-इंजीनियरी संस्थान तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अन्य संस्थानों और कृषि-विश्व-विद्यालयों से भी निवेदन किया है कि वे उचित प्रकार के उपकरणों और औजारों के नमूने बनायें जो कि न केवल मशीन से चलें अपितु उन लोगों द्वारा हाथ से चलाये जायें जो ट्रैक्टरों और अन्य बड़ी मशीनों को नहीं खरीद सके हैं।

एक मात्र रूप से कृषि उपकरणों, औजारों और मशीनों की एक राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी, हिसार में लगाई गई थी, जिसमें विभिन्न संस्थानों, अभिकरणों और स्वयं किसानों ने भाग लिया है। इस प्रकार की प्रदर्शनियों को लगभग सभी राज्यों में प्रोत्साहित किया जायेगा।

महाराष्ट्र में सहकारी स्पिनिंग मिलों को वित्तीय सहायता की मंजूरी

*372 . **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार से राज्य की 20 सहकारी स्पिनिंग मिलों को वित्तीय सहायता देने के लिए कहा है;

(ख) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय सहकारी समिति विकास निगम, नई दिल्ली केवल छः मिलों को वित्तीय सहायता देने के लिए सहमत हुआ है तथा एक मिल को राष्ट्रीय सहकारी समिति विकास निगम के माध्यम से विश्व बैंक द्वारा सहायता दी जा रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या शेष 13 मिलों को केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दिये जाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक तथा यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) महाराष्ट्र सरकार ने छठी योजना के दौरान राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से 22 नई सहकारी कताई मिलों को वित्तीय सहायता देने का अनुरोध किया था।

(ख) छठी योजना में महाराष्ट्र में 6 नई सहकारी कताई मिलें स्थापित करने की कार्यक्रम की संकल्पना की गई थी। इसके मुकाबले, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने सात नई मिलों को वित्तीय सहायता प्रदान की जिनमें विश्व बैंक कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता प्राप्त एक मिल भी शामिल है।

(ग) और (घ). राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से पहले ही सहायता प्राप्त कुछेक सहकारी कताई मिलों को अभी वित्तीय संस्थाओं से आवधिक ऋण मिलना है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से और अधिक कताई मिलों को सहायता मिलना छठी योजना के यूनिटों तथा सातवीं योजना में लगाई जाने वाली नई मिलों की भी जरूरतें पूरी करने के लिए वित्तीय संस्थाओं द्वारा आवधिक ऋण उपलब्ध कराये जाने पर निर्भर करता है।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित : अध्यक्ष जी, माननीय मन्त्री जी ने मेरे प्रश्न का जो उत्तर दिया है यदि उसको ऐसे ही रहने दिया जाए तो उससे को-आपरेटिव मूवमेंट को बहुत बड़ा आघात लगेगा। ये महाराष्ट्र की कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल्स वास्तव में कौटेन ग्रोअर्स की मिल्स हैं और वर्ष 1980 से लेकर 1984 तक एक-एक गांव में बुनकर और किसानों से 200-200 और 400-400 रुपया शेयर कैपिटल जमा करके ये कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल्स प्रोमोट हुई हैं। मैं माननीय मन्त्री जी से इतना ही पूछना चाहता हूँ कि जहां 21 अगस्त 1984 को आपने नई पौलिसी की घोषणा की और अब स्पिनिंग मिल्स को लाइसेंस लेना जरूरी हो गया तो उसके बाद ये सब भारी तकलीफ में आ गई है। जहां एक स्पिनिंग मिल में लगभग दस करोड़ रुपये की लागत होती है और वे आपसे कोई जादा नहीं मांगते हैं, सिर्फ 50 परसेंट का इक्विटी डैट रेशो है और खाली 5-5 या 4-4 करोड़ रुपये के लोन की इन कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल्स को जरूरत है, जहां आप बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज को बड़े-बड़े उद्योगपतियों को बैंकों की ओर से 200-200 या 300-300 करोड़ रुपया देते हैं तो इन बुनकरों और किसानों की, कौटेन ग्रोअर्स की कोआपरेटिव स्पिनिंग मिलों को 4-4 या 5-5 करोड़ रुपया क्यों नहीं दे सकते। इतने पैसे देने में आपको क्या अड़चन आ गई, मैं समझ नहीं पाया। इसलिए मैं आपसे एक बार फिर निवेदन करता हूँ कि इन कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल्स को जिनके सामने दो प्रकार की प्रोब्लम्स पैदा हो गई हैं—एक तो लाइसेंसिंग की नई पौलिसी बन जाने के जिन्होंने एफैक्टिव स्टैप्स लिए हैं जिन्होंने शेयर-कैपिटल जमा कर लिया है। जमीन खरीद ली है। एक तो उनके लिए लाइसेंस देने की व्यवस्था करें और दूसरे इन कोआपरेटिव मिल्स को चाहे कहीं से भी हो, यहां पर प्रधान मन्त्री जी भी बैठे हुए हैं, मैं महाराष्ट्र के कोटन ग्रोअर्स की तरफ से उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि उनको सिर्फ 4-4- या 5-5 करोड़ रुपये के लोन की ही आवश्यकता है, उसकी भी व्यवस्था करने की कृपा करेंगे क्या ?

[अनुवाद]

सरदार बूटा सिंह : जैसा कि मैंने बताया है दो प्रकार की कताई मिलें स्थापित की जा रही हैं। एक तो उत्पादकों द्वारा चलाई जा रही हैं और दूसरी बुनकरों द्वारा।

हमारे मन्त्रालय का सम्बन्ध उत्पादक क्षेत्र में स्थापित होने वाली मिलों से है।

बुनकर क्षेत्र में कताई मिलों की देखभाल उद्योग मन्त्रालय करता है।

जैसा कि मैंने बताया है कि महाराष्ट्र सरकार ने हमारे पास जिन मिलों के बारे में प्रस्ताव भेजा है उसमें से, उन्होंने छः नई मिलों की जाँच की है जोकि कृषि मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अन्तर्गत आती हैं—एक नई मिल विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत आ गई हैं। महाराष्ट्र सरकार ने हमें यही संख्या बताई थी।

मुझे आशंका है कि एन० सी० डी० सी० द्वारा दिया जाने वाला अन्शदान देश की सम्पूर्ण स्थिति पर विचार करके निश्चित किया जाता है। इन्हें वस्त्र मन्त्रालय की सलाह से निश्चित किया जाता है और अकेले हमारा मन्त्रालय इसे बढ़ा नहीं सकता है क्यों कि इन्हें सन्तोषजनक पाया जाता हैं और महाराष्ट्र में वर्तमान प्रणाली के अन्तर्गत सहकारी मिलें बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। यदि माननीय सदस्य या सम्मानित सभा इसे संशोधित करना चाहती है तो हम सुझाव पर विचार कर सकते हैं, लेकिन इस समय हम छठी योजना के लक्ष्य के अन्तर्गत महाराष्ट्र सरकार की पूर्ण आवश्यकता को पूरा करने में सफल रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित : अध्यक्ष महोदय, यह जो बची हुई 13 या 15 मिलें हैं उन्होंने सारे इफेक्टिव स्टेप्स उठा लिए हैं, शेयर्स कलेक्ट कर लिए हैं, जमीनें खरीद ली हैं और कुछ मिलों की तो बिल्डिंग्ज तक बन गयीं हैं और अब अगर उनको पैसा नहीं मिलेगा तो जो प्रमोटर्स हैं उनकी क्या हालत होगी और किसानों को कोआपरेटिव मूवमेंट पर किस तरह से विश्वास आयेगा? इसलिए मन्त्री महोदय से मेरा निवेदन है कि कोआपरेटिव सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए, जोकि सरकार की नीति है, उस पर गम्भीरता से विचार करके उनको पैसा दिलाने की व्यवस्था करेंगे—यह मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं। **(व्यवधान)**

सरदार बूटा सिंह : छठी पंचवर्षीय योजना में कुल 47 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया था 13 करोड़ अकेले महाराष्ट्र में ही खर्च किया गया है।

[अनुवाद]

इससे पता चलता है कि भारत सरकार महाराष्ट्र में उत्पादकों की सहकारी कताई मिलों के प्रति बहुत ही उदार और सहायक रही है। महोदय, ये मानदन्ड वस्त्र मन्त्रालय और कृषि मन्त्रालय द्वारा योजना आयोग की सलाह से संयुक्त रूप से निर्धारित किए जाते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : क्वेश्चन आवर में अध्यक्ष सिर्फ देखता है, सुनता नहीं है।

श्रीमती प्रेमलाबाई चव्हाण : अध्यक्ष महोदय, अभी मन्त्री जी ने जैसा बताया है, मुझे मालूम है कि महाराष्ट्र की डिमान्ड बहुत ऊँची है, वे इसमें एक्सपर्ट भी हैं और टेक्सटाइल में सबसे

अच्छा महाराष्ट्र में ही हो सकता है। तो मैं मन्त्री जी जानना चाहूँगी कि हमारे जो लाइसेन्स अभी दिए नहीं गए हैं उनके सम्बन्ध में क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना में विचार किया जाएगा ?

इसके साथ-साथ एक नयी टेक्नालाजी भी इन्ट्रोडुयश हुई है जिसमें काटन ही नहीं, वेस्ट-काटन से भी बहुत सा काम हो सकता है तो क्या उसके लिए भी लाइसेन्स दिए जायेंगे ?

[अनुवाद]

सरदार बूटा सिंह : महोदय, जैसाकि पहले ही उल्लेख कर चुका हूँ 47 करोड़ रुपए के मूल परिव्यय में से महाराष्ट्र को 13 करोड़ रुपए दिए गए थे। इसको 20 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 47 करोड़ रुपए करने की हमारी योजना है और यदि कोई मिल इसकी हकदार है तो हम निश्चय ही उसको इस प्रकार की सेवा प्रदान करेंगे, परन्तु यह संसाधनों की उपलब्धि पर निर्भर करता है। राज्य सरकार ने हमारे पास केवल छः मिलों के बारे में भेजा है और इसके अतिरिक्त हमने विश्व बैंक ऋण के तहत एक और मिल को भी ले लिया है ।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना में कितनी कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल्स को विकसित करने के लिए अलग-अलग स्टेट्स से सिफारिशें आई और उनमें से कितनी आपने स्वीकृत कीं ? खास तौर से राजस्थान के सम्बन्ध में मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे जिले में आसीन और शाहपुरा कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल्स के लिए जो रेकमेंडेशन आई थी उसको आपने अभी तक स्वीकृति नहीं प्रदान की है। आपने बीच में जो पालिसी बदली उसकी वजह से सहायता नहीं मिल पा रही है। तो क्या आप उसको बदलकर कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल्स को पूरी तरह से पैसा दिलाकर ग्रोअर्स की बनाई हुई कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल्स को स्थापित करेंगे ? 47 करोड़ की धनराशि जो आपने निश्चित की है, उससे सारे देश की कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल्स की आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप 47 करोड़ की धनराशि को बढ़ाइए। इसके अलावा जितनी कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल्स स्थापित करने की माँग—खास तौर से राजस्थान से—आपके पास आई है उनको आप स्वीकार कीजिए क्योंकि आपने जो कपड़ा नीति बनाई है उसमें हैंडलूम को बहुत प्राथमिकता दी गई है और अगर कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल्स स्थापित नहीं किए गए तो यार्न उपलब्ध नहीं हो पाएगा। मैं मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार की तरफ से जितनी कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल्स स्थापित करने की माँग आई है उसको आप स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें।

सरदार बूटा सिंह : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने क्वैश्चन महाराष्ट्र के सम्बन्ध में किया था। चूंकि राजस्थान की बात है इसलिए मैं और आप पीछे नहीं रह सकते। राजस्थान की तरफ से एक प्रापोजल हमारे पास आया था वह हमने मान लिया है। एक मिल जो राजस्थान में है एन० सी० डी० सी० की तरफ से उसको पूरी सहायता मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पहले अर्ज किया, जहां तक क्राइटेरिया की बात है, वर्किंग ग्रुप डिपार्टमेंट टैक्सटाइल वालों ने राज्यों के लिए चार किस्म के क्राइटेरिया लेड-डाउन किए हैं।

[अनुवाद]

सरदार बूटा सिंह : वस्त्र विभाग द्वारा स्थापित कार्य दल ने छठी योजना में नई सहकारी कताई मिलों के आवंटन हेतु निम्नलिखित मानदन्ड को ध्यान में रखा :

1. वे राज्य जिनमें हथकरघों — भारी संख्या में है, लेकिन

(क) फिलहाल हथकरघा क्षेत्र में कोई सहकारी कताई मिल नहीं है।	(1) असम (2) बिहार (3) मणिपुर (4) त्रिपुरा
(ख) हथकरघों की संख्या को देखते हुए, हथकरघा बुनकरों के क्षेत्र में, वर्तमान कताई क्षमता अपर्याप्त है	(1) पश्चिमी बंगाल (2) उड़ीसा (3) केरल (4) उत्तर प्रदेश

2. भारी मात्रा में कपास पैदा करने वाले राज्य, परन्तु

(क) फिलहाल कपास उत्पादक क्षेत्र में कोई संगठित मिल काम नहीं कर रही है।	(1) मध्य प्रदेश
(ख) कपास उत्पादन के मुकाबले उत्पादकों के क्षेत्र में वर्तमान कताई क्षमता अपर्याप्त है।	(1) हरियाणा (2) राजस्थान (3) पंजाब (4) गुजरात

प्रो० एन० जी० रंगा : आंध्र-प्रदेश की क्या स्थिति है ?

सरदार बूटा सिंह : मैं उसके बारे में भी बताऊँगा।

(3) स्थानीय आवश्यकताओं और राज्य सरकारों की नीतियों को देखते हुए कपास उत्पादकों की या हथकरघा बुनकरों की कताई मिलें।	(1) आन्ध्र प्रदेश (2) कर्नाटक (3) महाराष्ट्र (4) तमिलनाडु

श्री एस० एम० गुरड़ी : महाराष्ट्र में कितनी कताई मिलें हैं और कितनी सही ढंग से कार्य कर रही हैं ? और कितनी सहकारी कताई मिलें घाटे में चल रही हैं और यदि घाटे में चल रही है तो उनके घाटे का क्या कारण है ?

सरदार बूटा सिंह : मेरे पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इस समय देश में चल रही 82 मिलों में से 26 महाराष्ट्र में हैं। जहां तक उनके मुनाफे या घाटे में चलने का अथवा अन्य स्थिति का सम्बन्ध है तो मुझे खेद है कि इस समय मेरे पास आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। यदि जरूरत हो तो मैं ये आकड़े माननीय सदस्य के पास भेज सकता हूँ।

इलैक्ट्रानिक उद्योग में महिलाओं को रोजगार

*373. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की जानकारी है कि विकासोन्मुख इलेक्ट्रानिक उद्योग में महिलाओं को रोजगार देने के अधिक अवसर हैं;

(ख) यदि हां, तो रोजगार के इन अवसरों के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में महिलाओं को प्रशिक्षित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) क्या इलेक्ट्रानिक औद्योगिक एककों को महिलाओं को अधिक अनुपात में रोजगार देने के लिए कहा जाएगा ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अन्जैया) : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

महिलाओं के लिए 128 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैं। इनके अतिरिक्त, 70 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में महिला कक्ष है । इन संस्थानों में सीटों की कुल संख्या 14,573 है।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में महिलाओं के लिए उपयुक्त अनेक व्यवसायों को शुरू करने हेतु उनका पता लगाया गया है। इनके अन्तर्गत, निम्नलिखित व्यवसाय इलेक्ट्रानिक्स के क्षेत्र से संबंधित हैं :

(i) टी० वी० मेकैनिक (सर्विस और मरम्मत)

(ii) टेप रिकार्डर सर्विस तथा अनुरक्षण (घरेलू)

(iii) इलैक्ट्रानिक इन्स्ट्रूमेंटस

(iv) चिकित्सा सम्बन्धी इलैक्ट्रानिक उपकरण-अनुरक्षण

(v) डाटा प्रिपरेशन सहायक

(vi) कन्सोल आपरेटर एवं प्रोग्रामर सहायक

इन व्यवसायों को राज्य सरकारों के ध्यान में इस अनुरोध के साथ पहले ही ला दिया गया है कि वे सम्बन्धित व्यवसायों में प्रशिक्षण आवश्यकताओं का त्वरित सर्वेक्षण शुरू करें। इसके अलावा, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में मेकैनिक-रेडियो तथा टी० वी० और मेकैनिक-इलैक्ट्रानिक्स के व्यवसायों में और शिक्षुता प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत इलेक्ट्रानिक मेकैनिक तथा मेकेनिक रेडियो और रडार (एयर क्राफ्ट) के व्यवसायों में पहले से ही प्रशिक्षण दिया जा रहा है। महिलाओं के कौशलों को अपग्रेड करने के लिए, राष्ट्रीय महिला व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली और क्षेत्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान, बम्बई और बंगलौर में उच्च पाठ्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।

श्रीमती किशोरी सिंह : मुझे प्रसन्नता है कि महिलाओं के विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण के प्रावधान किये गये हैं। मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहती हूँ कि क्या मन्त्रालय को यह पता है कि बहुत से नियोक्ता इलेक्ट्रानिक्स उद्योग में मुख्यतया इसलिए कार्य करते हैं क्योंकि नियोक्ताओं का एक पूर्णग्रह है और वे प्रसूति—लाभ जैसी सुविधाएं देने को तैयार नहीं हैं तो इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या वह कारखाना निरीक्षणालय तथा दुकानों और संस्थानों को निर्देश देंगे कि वे इलेक्ट्रानिक्स औद्योगिक इकाइयों में महिलाओं के रोजगार पर निगरानी रखेंगे और भेदभाव के मामलों की जाँच करेंगे ?

[हिन्दी]

श्री टी० अन्जैया : ठीक है, इन्क्वायरी कर देंगे।···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है इन्क्वायरी करायेंगे।

[अनुवाद]

श्रीमती किशोरी सिंह : मैं यह जानना चाहती हूँ कि क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सृजित किये जाने वाले रोजगार के अवसरों का मूल्यांकन किया गया है। मैं यह भी जानना चाहूँगी कि क्या सरकार इस बात से सन्तुष्ट है कि विभिन्न उद्योगों में रोजगार देने के लिए पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित महिलाएँ उपलब्ध होंगी।

[हिन्दी]

श्री टी० अन्जैया : अध्यक्ष महोदय, अभी लगभग दो लाख विमैन्स के लिए प्लान हो रहा है।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के एक उपक्रम कोल इण्डिया लिमिटेड में महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर धीरे-धीरे कम होते जा रहे हैं ? महिला कामगारों को स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति हेतु बाध्य किया जा रहा है और उनके स्थान पर एक भी महिला कामवार की भर्ती नहीं किया जा रहा है। यह केवल इलेक्ट्रानिक्स उद्योग में ही रोजगार के अवसरों का प्रश्न नहीं है परन्तु अन्य क्षेत्रों का भी है जहाँ पर महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर धीरे-धीरे कम रहे हैं। क्या सरकार इस सम्बन्ध में स्पष्ट निर्देश जारी करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : नहीं, महोदय। आप प्रश्न के संगत मुद्दे की बात कीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य : मेरा मुद्दा यह है कि महिलाओं के रोजगार के अवसरों को कम न किया जाए और पुरुष एवं महिला दोनों को समान अवसर प्रदान किए जाएँ।

क्या सरकार न केवल इलैक्ट्रोनिक उद्योग के बारे में अपितु सभी उद्योगों के बारे में स्पष्ट अनुदेश जारी करेगी ? ···**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

कुमारी ममता बनर्जी : महिलाओं के उत्थान के लिए हमारे मन्त्री की अत्यधिक रुचि है और उन्होंने प्रधान मन्त्री का पद संभालने के बाद ही महिलाओं के लिए निःशुल्क सैकंडरी शिक्षा की घोषणा की है तथा समाज कल्याण मन्त्रालय का समाज और महिला कल्याण मन्त्रालय बना दिया गया है। यह महिला दशक है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप मुख्य प्रश्न से सम्बद्ध प्रश्न पूछ रही हैं अथवा कुछ और बात पूछ रही हैं ? संगत प्रश्न पूछिए।

कुमारी ममता बनर्जी : यह महिला दशक है अन्तर्राष्ट्रीय युवा वर्ष है। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने महिलाओं के लिए समान वेतन के अधिकार से सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कनवेशंन संख्या 100 की सन्पुष्टि की थी। क्या सरकार का महिलाओं के लिए समान अवसर के अधिकार सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं के लिए अधिकाधिक रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए कोई प्रस्ताव है ? यह अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष है।

अध्यक्ष महोदय : इलैक्ट्रोनिक्स औद्योगिक एककों में महिलाओं के लिए रोजगार ने अवसरों के सम्बन्ध में यह बहुत साधारण प्रश्न ही नहीं इसका मुख्य प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : वह एक 'इलैक्ट्रानिक्स' महिला है।

अध्यक्ष महोदय : वह एक 'करन्ट' हैं।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : मन्त्री महोदय ने प्रश्न के भाग (ग), अर्थात क्या इलैक्ट्रानिक्स औद्योगिक एककों से महिलाओं को अधिक संख्या में रोजगार देने को कहा जायेगा;

क्या सरकार का विचार ऐसा विधेयक लाने का है जिसके द्वारा महिलाओं के लिए ऐसे काम जिन्हें वे सरलता से कर सकें आरक्षित करने का है ?

श्री टी० अन्जैया : हम केवल अनुदेश दे सकते हैं, लेकिन विधेयक लाना सम्भव नहीं है।

प्रधान मन्त्री (श्री राजीव गांधी) : महिलाओं को रोजगार दिलाने में सहायता करने के लिए हम सभी सम्भव उपाय करेंगे। लेकिन उसके साथ ही ऐसा विशिष्ट विधेयक लाना जिससे इस सम्बन्ध में आरक्षण में उचित नहीं होगा क्योंकि इससे महिलाओं की प्रतिष्ठा को ठेस लगेगी यदि आप कुछेक महिलाओं से बात करें तो आप पायेंगे कि अधिकांश महिलाएं ऐसा ही महसूस करती हैं।

एक माननीय सदस्य : जी, नहीं, महोदय।

श्री राजीव गांधी : ठीक है, हमारा मूल्यांकन यह है कि महिलाएँ आरक्षण नहीं चाहती ···(**व्यवधान**) क्या आप मेरा मूल्यांकन चाहते हैं अथवा आप उत्तर चाहते हैं ?

मेरा मूल्यांकन है कि महिलाएँ विशिष्ट आरक्षण नहीं चाहती हैं क्योंकि इससे उनकी प्रतिष्ठा को चोट पहुँचती है। हम महिलाओं को बेहतर शिक्षा से लेकर उन्हें रोजगार दिलाने के लिए सभी प्रयास कर रहे हैं। यह इन सभी बातों का स्तर है। हम महिलाओं के शिक्षित करने उन्हें रोजगार के लिए तैयार करके उन्हें वास्तविक रूप से रोजगार दिलाने में पहले से अधिक कदम उठा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह सही है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : इस विषय पर आधे घण्टे की चर्चा होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : अब समय नहीं है; यह अगले सत्र में होगा।

दूरदर्शन पर शैक्षिक और क्षेत्रीय महत्व के कार्यक्रमों का दिखाया जाना

*374. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार और गुजरात में दूरदर्शन पर शैक्षिक कार्यक्रम और क्षेत्रीय महत्व के कार्यक्रम दिखाये जाते हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के पहले और बाद के वर्षों के दौरान और अधिक राज्यों को भी इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत लाने का विचार है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, हाँ। हिन्दी में शैक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रमों का विस्तार मध्य प्रदेश तथा राजस्थान राज्यों में भी कर दिया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) उपग्रह के माध्यम से शैक्षिक तथा क्षेत्र विशिष्ट कार्यक्रमों का और विस्तार करना इन्सेट-1 उपग्रह समूह में टी० वी० ट्रांसपोंडरों की सीमित उपलब्धता के कारण सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सम्भव नहीं है।

प्रो० नारायण चन्द पराशर : चूंकि देश के केवल आठ राज्य ही दूरदर्शन के अन्तर्गत आते हैं, और जैसाकि मन्त्री महोदय ने बताया है कि इसमें कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां हैं ? क्या मन्त्री महोदय अन्य राज्यों के लिए कोई स्थानापन्न कार्यक्रम तैयार करायेंगे, ताकि जो राज्य इन कार्यक्रमों से लाभान्वित नहीं हो रहें वे भी विभिन्न हैं। क्षणिक कार्यक्रमों से वंचित न रहें जो जिनकी नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत व्यवस्था की जा रही है अथवा की जायेगी ?

श्री वी० एन० गाडगिल : महोदय, दूरदर्शन नेटवर्क के विस्तार से अब 176 प्रसारण केन्द्र बन गए हैं, अब अनेकानेक शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण एवं दूरदर्शन पर दिखाया जाना सम्भव होगा।

प्रो० नारायण चन्द पराशर : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इस कार्यक्रम के शुरू होने से इस कार्यक्रम की कोई गुणात्मक समीक्षा यदि विषयगत समीक्षा की गई है ताकि दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले उन कार्यक्रमों का समय समय पर अपेक्षित नवीकरण अथवा फेर बदल किया जाए।

श्री वी० एन० गाडगिल : जैसा माननीय सदस्य जानते हैं शैक्षिक कार्यक्रम मुख्य रूप से शिक्षा मन्त्रालय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, एन० सी० ई० आर०टी० तथा अन्य संस्थाओं द्वारा तैयार किए जाते हैं। जहां तक विशिष्ट कार्यक्रमों जो मुख्यत: ग्रामीणोन्मुखी, विकासोन्मुखी, है की निरन्तर समीक्षा की जाती है।

[हिन्दी]

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं मन्त्री जी की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने और भी अनेक प्रदेशों को इसमें शामिल किया है लेकिन जो प्रदेश सम्मिलित किये जा रहे हैं या जिनमें कार्यक्रम चल रहा है, ऐसे क्षेत्र जो बहुत पिछड़े हुए हैं और जहां आप शिक्षण की सुविधाएँ देंगे लेकिन वहां दूरदर्शन केन्द्र नहीं हैं, जिससे वहां के पिछड़े हुए और अपेक्षित लोग उससे लाभ उठा सकें। तो क्या यह पूर्ति भी आप उन क्षेत्रों में शीघ्र से शीघ्र करेंगे, जहां पर दूर दर्शन केन्द्र नहीं हैं। बुन्देलखण्ड में छतरपुर और टीकमगढ़ ऐसे इलाके आते हैं। क्या उनको प्राथमिकता देने का आप कष्ट करेंगे ?

[अनुवाद]

श्री वी० एन० गाडगिल : महोदय, जैसा सामान्य उत्तर आप चाहते हैं, वैसा मैं आपको दूंगा। सातवीं योजना तैयार नहीं है, इसलिए मैं इस बारे में अभी कुछ नहीं बता सकता।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : पूछिये मुंशी जी। आपके हाथ से खतरा लगता है, हर वक्त यह खड़ा रहता है।

[अनुवाद]

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : महोदय, मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या प्रत्येक रविवार को, जब छात्र अपने घरों पर होते हैं उन्हें दूरदर्शन द्वारा कम्प्यूटर विज्ञान की शिक्षा देने का विचार करेंगे जैसाकि चीन तथा जापान में बच्चों को पढ़ाया जाता है। मैं यह भी जानना चाहूँगा कि

प्रधान मन्त्री द्वारा लाल किले से दिया गया भाषण पटना से दूरदर्शन पर क्यों नहीं दिखाया गया, जैसाकि समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है।

श्री वी० एन० गाडगिल : जहां तक प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध है हिन्दी में भी कम्प्यूटर के बारे में एक शृंखला दिखाई गई थी। दूसरे भाग के बारे में यह एक बहुत अच्छा सुझाव है और हम निश्चय ही इस पर विचार करेंगे।

पटना के बारे में मैंने रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट आने पर मैं बता पाऊंगा कि क्यों और किन कारणों से उसे दूरदर्शन पर प्रसारित नहीं किया गया।

निर्धारित से कम मूल्य पर गेहूं की खरीद

*375. **श्री धर्म पाल सिंह मलिक** :

श्री एम० रघुमा रेड्डी :

क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब जैसे कुछ राज्यों में भारतीय खाद्य निगम और अन्य अभिकरणों ने सरकार द्वारा निर्धारित 157 रुपए प्रति क्विंटल की बजाए 145 से लेकर 150 रुपए प्रति क्विंटल तक के हिसाब से गेहूं की खरीद की है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन अभिकरणों ने सीधे किसानों से गेहूं खरीदने की बजाए बिचौलियों के माध्यम से खरीदा है;

(ग) क्या उक्त राज्यों के खरीद केन्द्रों पर अनियमितताएं भी हुई हैं;

(घ) क्या इस बीच कोई जांच की गई है; और

(ङ) इसके बारे में क्या कार्रवाई की गई है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) पंजाब और हरियाणा में, सरकारी एजेन्सियां सामान्यतया कच्चे आढ़तियों के जरिये गेहूं की वसूली करती हैं। इसी प्रकार, उत्तर प्रदेश में ग्राम व्यापारियों के जरिये गेहूं की वसूली करने की सामान्य प्रथा है।

(ग) से (ङ). केन्द्रों द्वारा गेहूं की खरीदारी करने में अनियमितताएं होने के बारे में कोई सूचना नहीं मिली है।

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : महोदय, मन्त्री महोदय ने नाकारात्मक उत्तर दिया है। भारतीय खाद्य निगम में बहुत सी अनियमितताओं, जिनमें कम अदायगी की जाना, बचौलियों के माध्यम से खरीद, भण्डारों की भारी चोरी, खरीदे गए गेहूं के रखने के प्रबन्ध उपयुक्त शामिल हैं, के गम्भीर आरोप हैं। न होना यह मामला कई बार इस सम्मानीय सभा के ध्यान में लाया गया है परन्तु आरोपों पर ध्यान देने और सुधारात्मक कदम उठाने के बजाए मन्त्री सदा खाद्य निगम को बचाने की चेष्टा करते रहे हैं। अत: महोदय आपके माध्यम से मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या वह मेरे आरोपों की निष्पक्ष जांच के लिए सहमत हैं क्योंकि ये आरोप मेरी व्यक्तिगत जानकारी पर आधारित है। सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि ऐसी ये सभी घटनाएँ हो रही हैं। व्यापारी कम दामों पर गेहूं खरीदते हैं और अगले ही दिन वे व्यापारी भारतीय खाद्य निगम तथा अन्य एजेन्सियों को अधिक मूल्य पर बेच देते हैं, जिसे वह किसानों के नाम से बेच देते हैं अपने नाम से नहीं।

राव बीरेन्द्र सिंह : महोदय, मैंने भारतीय खाद्य निगम से ही तथ्यों की जांच करने के बाद ही तथा सम्बद्ध राज्य सरकारों से जांच कराने के बाद ही उत्तर दिया है। जो कि एक निगम है। भारतीय खाद्य निगम के तीन मुख्य गेहूँ उत्पादक राज्यों में बिक्री के बहुत कम केन्द्र हैं। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम के 4850 केन्द्रों में से 356 केन्द्रों में कार्य हो रहा है। उत्तर-प्रदेश में राज्य की 4528 ऐजेन्सियां हैं। इसी प्रकार हरियाणा में भारतीय खाद्य निगम के अगस्त के वर्तमान मौसम में 110 केन्द्र हैं जबकि राज्य की ऐजेन्सियों के केन्द्रों की संख्या 150 है। पंजाब में भारतीय खाद्य निगम के 347 केन्द्र हैं, जबकि राज्य सरकार की ऐजेन्सियों के केन्द्रों की संख्या 570 है। जहां तक भारतीय खाद्य निगम का प्रश्न है।...

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

गुजरात में भूमिहीनों के लिए निःशुल्क आवास-स्थलों की व्यवस्था

*376. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में कितने ग्रामीण भूमिहीन परिवार हैं;

(ख) गुजरात में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के ऐसे कितने भूमिहीन परिवार हैं, जिन्हें मार्च, 1985 के अन्त तक निःशुल्क आवास स्थल दिए गए हैं; और

(ग) मार्च, 1985 तक कितने ग्रामीण भूमिहीन परिवारों को निःशुल्क आवास स्थल दिए गए हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) गुजरात सरकार द्वारा यथा अनुमानित ऐसे परिवारों की संख्या 8,65,983 है।

(ख) राज्य सरकार से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार 1,75,010 अनुसूचित जाति तथा 201,297 अनुसूचित जनजाति के परिवारों को मार्च, 1985 तक आवास स्थल आवंटित किए गए हैं।

(ग) राज्य सरकार द्वारा यथा सूचित मार्च, 1985 तक निःशुल्क आवास स्थल उपलब्ध कराए गए ग्रामीण भूमिहीन परिवारों की कुल संख्या 8,48,997 है जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के भूमिहीन परिवार भी शामिल हैं।

गरीबी हटाओ कार्यक्रम का मूल्यांकन

*377. **श्री राम पूजन पटेल** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम में हुई प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए प्रत्येक जिले में एक विकास खंड चुना जाएगा; और

(ख) क्या यह दिखाने के लिए भी सर्वे किए गए जनता के धन से गरीबों को लाभ हुआ है

और कितने प्रतिशत हुआ है; मूल्यांकन प्रतिवेदन को लगा सभा पटल पर रखा जाएगा ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, नमूना अध्ययनों के द्वारा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की प्रतिमाह साथ-साथ मूल्यांकन करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसका ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

(ख) जी, नहीं।

भाषा कार्यक्रमों के निर्माण केन्द्र

*378. **श्री जी० जी० स्वैल** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों की ओर से यह मांग की गई है कि भाषा कार्यक्रमों के निर्माण के लिए प्रत्येक राज्य की राजधानी में एक आधार केन्द्र होना चाहिए;

(ख) इसके सम्बन्ध में उनकी क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) उक्त आधार केन्द्रों की स्थापना कब तक किए जाने की सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). राज्यों की राजधानियों में स्टूडियो केन्द्रों की स्थापना करना दूरदर्शन विस्तार योजना का मुख्य आधार है। कार्यक्रम निर्माण सुविधायें 11 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की राजधानियों में पहले ही उपलब्ध हैं। जबकि छः अन्य राज्यों की राजधानियों में स्टूडियो केन्द्रों की स्थापना कार्यान्वयनाधीन है, 7 मौजूदा केन्द्रों में सुविधाओं का दर्जा बढ़ाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

शहरी भूमि के मूल्यों में वृद्धि

*379. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नगर तथा ग्राम आयोजन संगठन द्वारा भूमि के मूल्यों के सम्बन्ध में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार गत पांच वर्षों में शहरी भूमि के मूल्य 100 प्रतिशत से अधिक बढ़े हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस मूल्य वृद्धि के कारण ऐसे अधिकांश कालोनी निर्माताओं को, जिनकी कम आय वर्ग के लोगों के लिए मकान बनाने की योजनाएँ थीं, काम बन्द करना पड़ा है; और

(घ) बड़े शहरों में कम कीमत पर भूमि उपलब्ध कराने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख). नगर एवं ग्राम आयोजना संगठन द्वारा किए गए अध्ययन से पता चलता है कि दिल्ली के मामले को छोड़कर, जहां 1980-82 की अवधि के दौरान इसकी शहरी भूमि की कीमतों में 100 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है, सभी प्रमुख नगरों में 4 प्रतिशत से 60 प्रतिशत के मध्य शहरी भूमि की कीमतों में आम-तौर से वृद्धि हुई है। अर्थव्यवस्था में प्रचलित मुद्रास्फीति, कालाधन की मौजूद अधिक मात्रा में विदेशों से धन का प्रवाह और बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए लाभ वाली शहरी भूमि की उपलब्धता में कमी जैसे कतिपय कारणों से शहरी भूमि की कीमतों में वृद्धि हुई है।

(ग) ऐसा कोई प्रमाण सरकार के पास उपलब्ध नहीं है।

(घ) भूमि, आवास तथा नगर विकास राज्य के विषय हैं। राज्य सरकारों ने भूमि की कीमतों को नियन्त्रित करने के बहुत से उपाय किए हैं। इनमें मुख्य हैं—सरकारी अभिकरणों के माध्यम से वाजिब कीमतों पर विकसित भूमि और मकानों की आपूर्ति बढ़ाना।

तथापि, और अधिक आवास सुविधाओं की व्यवस्था करने पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है जिसमें वाजिब मूल्यों पर भूखण्डों का उपलब्ध कराया जाना भी शामिल है।

चीनी उद्योग के लिए मजूरी बोर्ड

*380. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी उद्योग के लिए एक मजूरी बोर्ड गठित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस बोर्ड के सदस्य कौन-कौन हैं और इसके निर्देश-पद क्या हैं;

(ग) क्या मजदूर संघ बहुत समय से मजूरी निर्धारण और मजूरी में संशोधन हेतु गैर-सांविधिक मजूरी बोर्ड के गठन की बजाए त्रिपक्षीय वार्ता और समझौते की मांग कर रहे हैं;

(घ) क्या मजूरी बोर्ड का गठन करने से पहले मजदूर संघों से परामर्श किया गया था; यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री टी० अन्जैया) : (क) से (ङ). सरकार ने भारत के राजपत्र में प्रकाशित संकल्प संख्या वी-24030/1/82-डब्ल्यू० बी०, तारीख 17 जुलाई, 1985 द्वारा चीनी उद्योग के लिए तीसरे मजदूरी बोर्ड को गठित करने का निर्णय लिया ताकि इस उद्योग में वर्तमान मजदूरी ढांचे में और संशोधन करने के प्रश्न पर विचार किया जा सके। इस मजदूरी बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे :

1. न्यायमूर्ति जे० एल० टण्डन, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के सेवा-निवृत्त न्यायाधीश	अध्यक्ष
2. श्री डी० बी० कादम, सदस्य विधान सभा, नेशनल फैडरेशन आफ कोआपरेटिव सुगर फैक्टरीज लि० का प्रतिनिधि करने वाले।	सदस्य
3. श्री ओ० पी० धानूका, इण्डियन सुगर मिल्स, एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करने वाले।	सदस्य
4. श्री चन्द्रिका सिंह इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने वाले	सदस्य

5. श्री वीराश्वर त्यागी सदस्य
हिन्द मजदूर सभा
का प्रतिनिधित्व करने वाले

यह मजदूरी बोर्ड अपनी सिफारिश करते समय, निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेगा :

(क) कर्मचारियों के प्रवर्गों, (मैनुअल, लिपिकीय, पर्यवेक्षी आदि) का निश्चय करना जिन्हें प्रस्तावित मजदूरी निर्धारण के सीमा क्षेत्र में लाया जाना चाहिए,

(ख) उचित मजदूरी समिति की रिपोर्ट में तथा निर्धारित उचित मजदूरी के सिद्धान्तों के आधार पर मजदूरी ढांचा तैयार करना (इसमें उद्योग की भुगतान करने की क्षमता भी शामिल है) ।

हाल ही में सरकार को प्राप्त अभिवेदनों से यह प्रतीत होगा कि ट्रेड यूनियनें मजदूरी बोर्डों के शीघ्र गठन के लिए उत्सुक हैं और श्रमिकों के हितों की रक्षा करने तथा औद्योगिक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से, सरकार ने तीसरे मजदूर बोर्ड के गठन का निर्णय लिया। मजदूरी बोर्ड के गठन में देरी को करने के लिए यह आवश्यक नहीं समझा गया कि ट्रेड यूनियन संगठनों से परामर्श किया जाए।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा चावल मिलों की बिक्री

*381. **श्री गुरुदास कामत :**

श्रीमती गीता मुखर्जी :

क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने लाभ कमाने वाली मिलों सहित अपनी सभी आधुनिक चावल मिलों को बेचने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसा निर्णय करने के क्या कारण हैं;

(ग) भारतीय खाद्य निगम के अधीन कुल कितनी चावल मिलें हैं और कितनी मिलें घाटे में चल रही हैं;

(घ) भारतीय खाद्य निगम की महाराष्ट्र में कितनी चावल मिलें हैं; और

(ङ) सरकार ने घाटे में चल रही मिलों के कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख). भारतीय खाद्य निगम के प्रबन्ध ने आर्थिक असक्षमता के कारण अपनी आधुनिक चावल मिलों में कार्यचालनों को बन्द करने और पूर्वी जोन की चावल मिलों को बेचने का फैसला किया है।

(ग) भारतीय खाद्य निगम की 25 आधुनिक चावल मिलें हैं। ये आर्थिक और परिचालन की दृष्टि से असक्षम यूनिट हैं।

(घ) भारतीय खाद्य निगम की महाराष्ट्र राज्य में कोई चावल मिल नहीं है।

(ङ) उनके कार्य में सुधार करने के लिए धान का पर्याप्त स्टाक रखने, बिजली की नियमित आपूर्ति करने के लिए राज्य सरकारों से अनुरोध करने, स्टैंड-बाई डीजल जेनरेटरों को लगाने, योग्य

पर्यवेक्षी स्टाफ को तैनात करने, भूसी से जलने वाली भट्टियों को लगाने आदि सहित कई एक पग उठाए गए हैं।

सफेदी आदि के निविदाओं के पुंज बनाना

*382. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग दिल्ली में सफेदी तथा रंग-रोगन हेतु निविदाओं के पुंज बनने के सम्बन्ध में जांच की जा रही थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले की जांच पूरी कर ली गई है तथा यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं कि भविष्य में निविदाओं के पुंज न बन सकें?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। इस बारे में कोई विशेष कमी ध्यान में नहीं आई।

(ग) इस विषय पर बने नियमों और हिदायतों में निविदाओं के एकत्रीकरण के प्रति सतर्कता के लिए पर्याप्त व्यवस्था है।

मणिपुर को आवंटित खाद्य तथा अखाद्य तेलों की बिक्री

*383. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मणिपुर को आवंटित खाद्य और अखाद्य तेलों की काफी मात्रा को एजेन्टों द्वारा मणिपुर में पहुंचने से पहले ही बेच दिया जाता है;

(ख) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख). केन्द्रीय सरकार को इस बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

पर्यावरणिक संतुलन कायम रखना

*384. **श्री हुसेन दलवाई** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि औद्योगिकृत शहरी क्षेत्रों में हरित पट्टियों की संख्या कम होती जा रही है; और

(ख) पर्यावरणिक संतुलन बनाए रखने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख). जी हां। ये प्रवृत्तियां सरकार के ध्यान में आई हैं। इन प्रवृत्तियों को रोकने तथा पर्यावरणीय सन्तुलन सुनिश्चित करने के लिए इन कस्बों का आगे विकास सुनियोजित ढंग से किया जाना अपेक्षित है। इस उद्देश्य में हरित

पट्टी, नगरीय क्षेत्रों की पारिस्थितिकी एवं सौन्दर्य परकता सहित पर्यावरणीय सन्तुलन का संरक्षण शामिल है। सम्भावित प्रदूषण वाले नये उद्योगों का स्थापित करने के सम्बन्ध में सक्षम राज्य प्राधिकारियों द्वारा पर्यावरणीय दृष्टिकोण से अनुमोदित करने के पश्चात तथा पारस्थितिकी एवं पर्यावरणीय आवश्यकताओं को सुरक्षित रखने के स्तर के लिए निर्धारित शर्तों की शर्त पर ही औद्योगिक लाइसेन्स दिए जा रहे हैं।

कर्नाटक के लिए चावल का कोटा

*385. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक राज्य के लिए चावल का कितना मासिक कोटा निर्धारित किया गया है;

(ख) कर्नाटक सरकार ने कितनी मात्रा में चावल की मांग की है; और

(ग) क्या सरकार का विचार कर्नाटक सरकार के अनुरोध पर विचार करने और कर्नाटक सरकार द्वारा निर्धनों को सस्ती दरों पर चावल देने की योजना के क्रियान्वयन के लिए अपेक्षित मात्रा में चावल देने का है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) से (ग). कर्नाटक की केन्द्रीय पूल से 50,000 मीटरी टन चावल का आवंटन करने की मांग के प्रति, कर्नाटक के चावल के मासिक आवंटन को मई, 1985 के 25,000 मीटरी टन से बढ़ाकर जून, 1985 में 30,000 मीटरी टन और जुलाई, 1985 तथा अगस्त, 1985 में प्रतिमास 32,000 मीटरी टन कर दिया गया था। इसे और बढ़ा कर सितम्बर, 1985 के लिए 35,000 मीटरी टन कर दिया गया था। कर्नाटक को उनके मासिक आवंटनों के अतिरिक्त, जुलाई, 1985 में 20,000 मीटरी टन चावल का एक समय का विशेष आवंटन भी किया गया था। केन्द्रीय पूल से आवंटन, जो कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों को मास प्रतिमास के आधार पर किये जाते हैं, खुले बाजार में उपलब्धता के केवल अनुपूरक होते हैं।

उड़ीसा में चावल की संघन खेती के लिए प्रायोगिक परियोजना

*386. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या **कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में 1983-84 में चावल के सघन खेती के लिए प्रायोगिक परियोजना के रूप में कितने खण्डों को चुना गया और उन खंडों के नाम क्या है तथा प्रत्येक खंड के लिए कितनी धनराशि मंजूर की गई और कितने वर्षों के लिए;

(ख) वर्ष 1983-84 के दौरान स्वीकृत धनराशि में से प्रत्येक खण्ड पर कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ग) यदि सारी धनराशि खर्च नहीं की गई है तो इस बारे में क्या कार्यवाही की जाएगी ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) उड़ीसा में चावल पाइलेट परियोजना के लिए कुल मिलाकर सात खण्डों का चयन 1984-85 में किया गया था न कि 1983-84 में। ये सालीपुर, पिपीली, सिमूलिया, भजनगर, बेलगुंठा अट्टावोरा और बोडन हैं। वर्ष 1984-85 के लिए 9.43 लाख रुपये प्रति ब्लाक के हिसाब से धनराशि स्वीकृत की गई थी।

(ख) इन खण्डों में 66.01 लाख रुपये की स्वीकृत राशि के मुकाबले 56.71 लाख रुपये खर्च किए गए। 1984-85 के दौरान खण्डवार खर्च नीचे दिया गया है :

खण्ड	खर्च (रुपये लाखों में)
सालीपुर	8.40
पिपीली	9.43
सिमूंलिया	8.58
मंजनगर	5.70
बेलगुंठा	5.50
अट्टाबोरा	9.50
बीडन	9.60
कुल	56.71 लाख

(ग) बकाया धनराशि का समायोजन उड़ीसा को भविष्य में दिये जाने वाले धन में भारत सरकार के हिस्से में कर दिया जायेगा ।

विश्व बाजार में कृषि उत्पादों की बिक्री

*387. **श्री बी० बी० देसाई :**

श्री सी० पी० ठाकुर :

क्या **कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न कृषि उत्पादों के उत्पादन में वृद्धि हुई है;

(ख) क्या देश को अपने अधिक उत्पादों की बिक्री के लिए विश्व बाजार में अभी अपना स्थान बनाना है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) जी, हाँ ।

(ख) यह देश चाय और काफी की बागानी फसलों के अलावा खली, काजू-गिरी, मसालों, तम्बाकू आदि परम्परागत निर्यातक रहा है । हाल ही में यह देश कच्ची कपास, बासमती चावल तथा गेहूं के एक निर्यातक के रूप में भी सामने आया है ।

(ग) सरकार देश में विभिन्न जिंसों के उत्पादन तथा उत्पादकता को बढ़ाने के उपाय करने के अलावा निर्यात के लिए उपलब्ध फालतू कृषि जिंसों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर निर्यात नीति की समीक्षा भी करती रही है ।

अखबारी कागज के लिए लाइसेंस देने की प्रणाली

*388. **श्री शान्ति धारीवाल :**

श्री विष्णु मोदी :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लाइसेंस प्रणाली लागू किए जाने पर आयातित अखबारी कागज स्वदेशी अखबारी कागज से सस्ता पड़ेगा;

(ख) क्या मैसूर और केरल की मिलों से खरीदे गए स्वदेशी अखबारी कागज का मूल्य आयातित अखबारी कागज के मूल्य से बहुत अधिक है; और

(ग) क्या छोटे और मध्यम दर्जे के समाचार पत्रों के सीमित साधनों को ध्यान में रखते हुए अखबारी कागज के लिए लाइसेंस प्रणाली आरम्भ करने का सरकार का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) आयातित अखबारी कागज इस समय भी नेपा मिलों द्वारा उत्पादित अखबारी कागज को छोड़कर अन्य मिलों के स्वदेशी अखबारी कागज की अपेक्षा सस्ता है।

(ख) जी, हां।

(ग) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यालयों को विकास सदन में स्थानान्तरित करना

3813. **श्रीमती एन० पी० झांसी लक्ष्मी** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यालयों को विकास सदन में स्थानान्तरित करना जनहित में नहीं था;

(ख) क्या स्थानान्तरण के समय पूर्ति प्रमाण पत्र भी नहीं किया गया था;

(ग) यदि हां, तो दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यालयों को विकास सदन में किस तारीख को स्थानान्तरित किया गया और पूर्ति प्रमाण पत्र किस तारीख को जारी किया गया; और

(घ) इस गलती के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). दिल्ली विकास प्राधिकरण अतीत में अपने भवनों के सम्बन्ध में पूरणता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं करता रहा है। इसी प्रकार, इस मामले में भी कोई प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं किया गया। अप्रैल, 1984 से स्थानान्तरण शुरू किया गया।

(घ) कोई कार्रवाई करने का प्रस्ताव नहीं है।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा दिल्ली में किराए पर लिए गए अतिथि गृह

3814. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने राजधानी में अत्याधिक दरों पर एक से अधिक अतिथि गृह किराए पर ले रखे हैं;

(ख) यदि हां, तो इन अतिथि गृहों का ब्यौरा क्या है और स्थापना तथा रख-रखाव पर होने वाले रोजमर्रा के खर्च के अलावा कितना मासिक किराया अदा किया जाता है;

(ग) यह अतिथि गृह औसतन कितने भरे रहते हैं;

(घ) क्या सरकार ने किसी भी स्तर पर व्यय में बचत करने के लिए अशोक यात्री निवास में कुछ कमरे "डिस्काऊंटस" आधार पर लम्बी अवधि के लिए आरक्षित करने की वांछनीयता पर विचार किया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख). भारतीय खाद्य निगम ने दिल्ली में डी० डी० ए० के फ्लैट में स्थित केवल एक अतिथि-गृह 2400 रुपए प्रतिमास की दर पर किराए पर लिया है। इसकी देखभाल 75 रुपए प्रतिमास पर लगाए गए एक अंशकालिक स्वीपर के अलावा, भारतीय खाद्य निगम के श्रेणी-चार के दो कर्मचारियों द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त, पानी तथा बिजली के वास्तविक प्रभारों को भी वहन किया जाता है।

(ग) इस अतिथि-गृह का औसत अधिभोग लगभग 70 प्रतिशत है।

(घ) निगम के प्रबन्ध ने अशोक यात्री निवास में कुछ कमरों को आरक्षित कराने की वांछनीयता के बारे में विचार किया था, लेकिन सम्बन्धित प्राधिकारियों ने उनके प्रस्ताव पर सहमति नहीं दी थी।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

बहुभाषा राष्ट्रीय समाचार एजेंसी

3815. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार बहु भाषा राष्ट्रीय समाचार एजेंसियों को प्रोत्साहन देने में कहां तक सफल रही है; और

(ख) भारतीय भाषाओं के समाचार-पत्र-पत्रिकाओं के मालिकों और संपादकों की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख). सरकार की नीति कोई एजेन्सी शुरू करने की नहीं है और न ही सरकार इस प्रकार की किसी भी एजेन्सी के प्रबन्ध या अतिरिक्त कार्य संचालन में शामिल होना चाहती है। इसके अलावा, भाषायी समाचारपत्रों को सन्तोषजनक सेवा उपलब्ध कर सकने वाली एक समाचार एजेन्सी की जरूरत को स्वीकार करते हुए, मैंने भाषायी समाचारपत्रों के प्रमुख सम्पादकों तथा मालिकों की 25 और 26 जून, 1985 को दो बैठकें बुलायीं।

इन बैठकों के परिणाम स्वरूप, आम राय यह थी कि हिन्दी की मौजूदा समाचार एजेन्सियों अर्थात हिन्दुस्तान समाचार तथा समाचार भारती को पुनर्जीवित करना सम्भव नहीं है। बैठक में इस बात पर सर्वसम्मति थी कि यह समाचारपत्रों के मालिकों तथा सम्पादकों का काम है कि वे स्वयं इस प्रकार की समाचार एजेन्सी सेवा स्थापित कर संचालित करें। विकल्पों की गहराई से जांच करने के

लिए, श्री आर० एन० गोयंका की अध्यक्षता में समाचारपत्रों के प्रमुख व्यक्तियों की एक समिति का गठन किया गया। इस समिति ने निम्नलिखित विशिष्ट सिफारिशें की हैं :

(1) पर्याप्त प्रौद्योगिकी सुविधाओं से युक्त एक पूर्णरूपेण समाचार एजेन्सी की स्थापना करने के लिए पूंजीगत व्यय के रूप में कम से कम 3 करोड़ रुपए की जरूरत होगी तथा इसके अतिरिक्त आवर्ती व्यय प्रतिवर्ष 1 करोड़ रुपए होगा। भारतीय भाषाओं के समाचारपत्र इस पूंजीगत लागत का 50 प्रतिशत अंश भी वहन करने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा, प्रतिवर्ष 1 करोड़ रुपए के आवर्ती व्यय को हिन्दी/भारतीय भाषायी ग्राहकों से वसूल नहीं किया जा सकता।

(2) दूसरी ओर, यदि भारतीय भाषायी सेवा को किसी मौजूदा समाचार एजेन्सी की अवस्थापना से जोड़ दिया जाए तो अतिरिक्त वार्षिक व्यय केवल 50 लाख रुपए होगा। व्यवहार्यतः पूंजीगत लागत कोई नहीं होगी। इतने वार्षिक व्यय की व्यवस्था समाचार पत्रों तथा आकाशवाणी और दूरदर्शन जैसे अन्य ग्राहकों द्वारा की जा सकती है। फिर भी यदि कोई घाटा होता है तो संबंधित समाचार एजेंसी उसे पूरा कर सकती है।

सरकार ने इन सिफारिशों पर अन्तिम दृष्टिकोण अभी नहीं बनाया है।

उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में अन्तर्देशीय मत्स्य पालन के लिए विश्व बैंक सहायता

3816. **श्री के० प्रधानी** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्यों में वैज्ञानिक मत्स्य पालन के अन्तर्गत क्षेत्रों को शामिल करने के लिए अन्तर्देशीय मत्स्य पालन हेतु विश्व बैंक से कितनी सहायता मिली है;

(ख) उक्त दो राज्यों में मत्स्य पालन के अन्तर्गत कितने क्षेत्र को शामिल किया गया है;

(ग) क्या उक्त परियोजना के लिए उड़ीसा को आबंटित की गयी धनराशि का काफी बड़ा भाग पश्चिम बंगाल को दिया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो लगभग कितनी धनराशि दी जा रही है और पश्चिम बंगाल को उक्त धनराशि दिए जाने के क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्नूलाल चन्द्राकर) : (क) से (घ). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बोनस अधिनियम में असंगतियां

3817. **श्री पूर्ण चन्द्र मलिक** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी गैर-सरकारी कम्पनी कर्मचारियों ने सरकार का ध्यान बोनस अधिनियम और उपदान अधिनियम में असंगतियों की ओर आकर्षित किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री टी० अन्जैया) : (क) जी, हां। मैसर्स फ्रैंसिस क्लैन एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता के कर्मचारियों द्वारा हस्ताक्षरित एक अभ्यावेदन मई, 1985 में

प्राप्त हुआ जो बोनस अधिनियम में असंगतियों के बारे में था। प्राइवेट कम्पनियों से भी कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जो उपादान संदान अधिनियम में असंगतियों के बारे में थे, जिसमें इस समय 1600/-रुपए प्रतिमाह से अनधिक मजदूरी पाने वाले कर्मचारियों को उपदान (ग्रेच्युटी) की अदायगी करने की व्यवस्था है।

(ख) उपरोक्त में से पहला अभ्यावेदन 1600/-रुपए और 1601/-रु० का वेतन पाने वाले कर्मचारियों के बोनस की गणना करने में असंगति के बारे में है, जबकि 1600/-रु० तक वेतन लेने वाले कर्मचारियों को 20 प्रतिशत की दर से वार्षिक बोनस 3840/- रु० मिलता है; लेकिन 1601 रु० वेतन पाने वाले कर्मचारियों को जरा भी बोनस नहीं मिलता। सरकार की राय है कि बोनस की गणना करने के लिए कोई निश्चित सीमा निर्धारित तो करनी ही होगी। यदि अधिकतम सीमा को बढ़ा भी दिया जाय, तो यह शिकायत फिर भी बनी रहेगी। इस समय अधिकतम सीमा को बढ़ाने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। जहां तक बाद के अभ्यावेदनों का प्रश्न है, उपदान संदस्य अधिनियम में 1600/- रुपए प्रतिमाह से अनधिक मजदूरी पाने वाले कर्मचारियों को उपदान की अदायगी करने की स्पष्ट व्यवस्था है। इस तथ्य को किसी प्रकार की असंगति नहीं समझा जा सकता है कि 1600/-रु० प्रतिमाह से अधिक मजदूरी पाने वाले कर्मचारी उपदान के हकदार नहीं हैं। तथापि, इसके सीमा क्षेत्र के लिए मजदूरी सीमा को बढ़ाने के प्रश्न पर सरकार समुचित अवसर पर विचार कर सकती है।

[हिन्दी]

सार्वजनिक उपक्रमों में लाभ और हानि

3818. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मन्त्रालय के अधीन भारतीय खाद्य निगम को छोड़ कर कितने सार्वजनिक उपक्रम कार्य कर रहे हैं तथा प्रत्येक उपक्रम में अब तक कितनी पूंजी लगाई गई है; और

(ख) गत तीन वर्षों में इन सार्वजनिक उपक्रमों में वर्ष-वार कितना लाभ या हानि हुई ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) :

(क) सरकारी उपक्रम का नाम	(लाख रुपए) पूंजी निवेश
(1) सेंट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन (सी० डब्ल्यू० सी०)	7714.80
(2) माडर्न फूड इन्डस्ट्रीज (इंडिया) लि० एम० एफ० आई० एल०	441.14
(3) उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम (नेरामाक)	200.00
(4) हिन्दुस्तान वेजिटेबिल आयल कारपोरेशन (एच० बी० ओ० सी०)	224.37

(ख) इन सरकारी उपक्रमों को हुए लाभ (कर-पूर्व)/हुई हानि का वर्ष-वार ब्यौरा नीचे दिया जाता है :—

(लाख रुपए)

वर्ष	सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन	माडर्न फूड इंडस्ट्रीज (इंडिया) लि०,	नेरामाक	*हिन्दुस्तान वेजिटेबल आयल कारपोरेशन
1982-83	1139.85	204.73	0.07 (हानि)	*
1983-84	1605.11	223.29	10.47	*
1984-85	इन सभी चारों उपक्रमों के वार्षिक लेखे तैयार किए जा रहे हैं।			

* यह कारपोरेशन मार्च, 1984 में सरकारी कम्पनी के रूप में शामिल की गई थी।

[अनुवाद]

अल्लेप्पी में आकाशवाणी रिले केन्द्र का दर्जा बढ़ाना

3819. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या अल्लेप्पी स्थित आकाशवाणी के रिले केन्द्र का दर्जा बढ़ाने का प्रस्ताव है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : जी, नहीं। इस केन्द्र में 100 किलोवाट मीडियम वेव का उच्च शक्ति वाला एक ट्रांसमीटर पहले ही है।

पश्चिम बंगाल में बन्दी और तालाबन्दी के बारे में ज्ञापन

3820. **श्री आनन्द पाठक** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंटक सहित सभी केन्द्रीय श्रमिक संघों के पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधियों द्वारा वहां बन्दी और तालाबन्दी की स्थिति के सम्बन्ध में 7 जून, 1985 को कलकत्ता में संयुक्त रूप से श्रम मन्त्री को दिए गए ज्ञापन के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(ख) उनकी मांगें क्या हैं और सरकार ने उन मांगों के विषय में क्या कदम उठाये हैं ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री टी० अन्जैया) : (क) और (ख). पश्चिम बंगाल की सैन्ट्रल ट्रेड यूनियनों ने 2 जून, 1985 को कलकत्ता में श्रम मन्त्री को एक संयुक्त ज्ञापन दिया जो पश्चिम बंगाल में तालाबन्दी और कामबन्दी तथा वैगन यूनिटों की मांग में कटौती करने के कारण उत्पन्न हुई स्थिति के बारे में था। इसके बाद उस ज्ञापन में उठाई गई मांगों पर विचार-विमर्श हुआ जिसमें विशेषकर तालाबन्दी/कामबन्दी के अधीन पड़ी जूट और कपड़ा मिलों को तुरन्त पुन: खोलने, जूट और कपड़ा उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने, रेलवे वैगनों की मांग में बढ़ोत्तरी करने, रुग्ण उद्योगों को पुनरूज्जीवित करने सम्बन्धी आदि मांगों पर चर्चा हुई। ज्ञापन में उठाए गए कुछ मुद्दों पर कलकत्ता 12 जून, 1985 को हुई त्रिपक्षीय बैठक में भी चर्चा हुई। चूंकि इस सम्बन्ध में कार्रवाई पूर्ति और कपड़ा मन्त्रालय और रेलवे बोर्ड द्वारा की जानी है, इसलिए यह मामला उनके साथ उठाया गया है।

राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम द्वारा ऋण की वापसी

3821. **श्री मोहनभाई पटेल** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम ने अपनी परियोजनाओं को चलाने के लिए विदेशी बैंकों से विदेशी मुद्रा में ऋण लिया है, यदि हाँ, तो प्रत्येक बैंक से लिए गए ऋण की धन राशि और उस कार्य का नाम क्या है जिसके लिए यह ऋण लिया गया है;

(ख) विदेशी मुद्रा में चुकायी गयी वार्षिक ब्याज की धन राशि क्या है और अब तक कुल कितना ब्याज चुकाया गया है;

(ग) क्या इन ऋणों को चुकाये जाने की कोई सम्भावना है यदि हाँ, तो कब;

(घ) क्या राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम ने सम्बन्धित निर्माण कार्यों के लिए निविदायें देते समय बैंक ब्याज पर विचार कर लिया था; और

(ङ) क्या सरकार यह स्पष्ट आश्वासन देती है कि इन बैंकों के ऋण को डूबा ऋण नहीं माना जाएगा ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख). ब्यौरे संलग्न विवरण 1 तथा 2 में दिए गए हैं।

(ग) ईराक में परियोजनाओं की वित्त व्यवस्था के लिए जुटाए गए ऋण की वापसी को ईराक सरकार द्वारा भारत सरकार और ईराक सरकार के मध्य आस्थगित ऋण करार के अन्तर्गत भारतीय निर्यात-आयात बैंक को पुनर्भुगतान के साथ सम्बद्ध किया गया है। जहाँ तक लीबिया में परियोजनाओं का सम्बन्ध है, ऋणों तथा ओवर ड्राफ्टों की राशि का भुगतान लीबिया सरकार से मिलने वाली राशि में से किया जाएगा जिसके लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। यमन अरब गणतन्त्र में परियोजना के लिए ऋण जो हाल ही में जुटाया गया है, 1986-87 के दौरान परियोजना प्राप्तियों में से अदा किए जाने की आशा है।

(घ) और (ङ). जी, हाँ।

विवरण-1

(I) लिबियायी कार्य		परियोजना का नाम	बैंकर का नाम
ऋण/ओवर ड्राफ्ट	बकाया ऋण/ ओ० डी० की राशि (आकड़े यू० एस० डालर मिलियन)		
1	2	3	4
ऋण	15.870	आवास तथा अस्पताल	सिंडिकेट बैंक लन्दन
ओवर ड्राफ्ट	2.095	आवास तथा अस्पताल	—वही—
ऋण	0.321	पी० एस० एस० आई० कार्य	—वही—

1	2	3	4
ऋण	1.621	बेनिवालिद में विद्यालय	सिंडिकेट बैंक लन्दन
ऋण	0.632	घाट में विद्यालय तथा अस्पताल	—वही—
ऋण	0.495	स्ट्रीट लाइट, बेनिवालिद	—वही—
ऋण	0.577	गलियों में प्रकाश, तुवारक्षा	—वही—
ऋण	2.886	घाट हवाई अड्डा परियोजना	—वही—
ओवर ड्राफ्ट	0.035	गलियों में प्रकाश का कार्य	—वही—
ओवर ड्राफ्ट	0.022	ब्रगेन तथा इदरिश	—वही—
ऋण	1.000	घाट हवाई अड्डा परियोजना	इण्डियन ओरसिज बैंक,
	योग : 25.554		कोलम्बी ब्रांच श्रीलंका
(II) ईराकी कार्य			
ऋण	10.627	रेलवे परियोजना	सिंडिकेट बैंक लन्दन
ओवर ड्राफ्ट	1.671	ब्रेन स्टोरेज बैंक	—वही—
	12.298		
ओवर ड्राफ्ट	7.07	रेलवे परियोजना	कैनरा बैंक लन्दन
ओवर ड्राफ्ट	0.86	ब्रेन स्टोरेज टैंक	—वही—
	7.93		
ओवर ड्राफ्ट	9.27	मोकुल होटल	भारतीय स्टेट बैंक, बहरिन
ओवर ड्राफ्ट	1.92	डोकन होटल	—वही—
	8.19		
ऋण	1.800	रेलवे परियोजना	भारतीय ई० एक्स० आई० एम० बैंक
	योग : 30.218		
(III) साना (यार) कार्य			
ऋण	0.645	ढामर में 774 रिहायशी एक	भारतीय ई० एक्स आई० एम० बैंक

योग (1) (11) तथा (111)

यू० एस० डी० एम० 56.417

ईराकी कार्यों का ओवर ड्राफ्ट

	में बकाया ओवर ड्राफ्ट मिलियन ईराकी दीनार में	परियोजना का नाम	बैंकर का नाम
ओवर ड्राफ्ट	0.130	भाउल होटल	रैफेडियन बैंक, बगदाद ईराक
ओवर ड्राफ्ट	0.149	डोकन होटल	—वही—
ओवर ड्राफ्ट	0.822	रेलवे परियोजना	—वही—
	योग : 1.281		

विवरण-2

(I) लीबियाई कार्य

वित्तीय वर्ष	सिंडिकेट बैंक लन्दन	दिए गए ब्याज की राशि (अमेरिकन मिलियन डालर) इण्डियन ओवरसीज बैंक, कोलम्बो
1976-77	0.010	—
1977-78	0.002	—
1978-79	0.180	—
1979-80	0.370	—
1980-81	1.762	0.194
1981-82	3.059	0.206
1982-83	2.944	0.161
1983-84	2.357	0.130
1984-85	2.962	0.130
31. 3. 85 तक	13.726	0.821
1. 4. 85 से 30.6. 85 तक 9. 75 की दर से	0.597	0.31
	14.323	0.852

(II) ईराकी कार्य

वित्तीय वर्ष	रैफेण्डियन बैंक बगदाद ईराक (ईराकी दीनार मिलियनों में)	सिंडिकेट बैंक लन्दन अमेरी की मिलियन डालर में	भारतीय स्टेट बैंक, बहरीन अमेरिकन मिलियन डालर में
1978-79	0.035	—	—
1979-80	0.046	—	—
1980-81	0.044	--	—
1891-82	0.114	—	—
1982-83	0.140	0.321	0·178
1983-84	0.132	1.106	0.300
1984-85	0.167	2.003*	0.439
31.3.85 तक	0.678	3.430	0.917
1.4.85 से 30.6.85 तक	0.042	0.635*	0.119
योग : 30.6.85 तक	0.720	4.065	1.036

*इसमें कैनरा बैंक लन्दन का ब्याज शामिल है ।

(III) साना (यार) कार्य

	दिए गए ब्याज की राशि अमेरिकन मिलियन डालर में
1.4.85 से 30.6.85 तक	0.012 भारतीय ई० एक्स० आई० एम० बैंक

श्रम संविदा समितियों का गठन

3822. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मालिकाना और भागीदारी संविदा की वर्तमान प्रणाली के खतरे को दूर करने के देश में प्रत्येक जिले में राज्य और केन्द्र सरकार के कार्य करने के लिए श्रम संविदा समितियों के गठन को प्रोत्साहन देनें का है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चंद्राकर) : (क) और (ख). कमजोर वर्गों के फायदे के लिए श्रमिक संविदा सहकारी समितियों का सम्वर्धन और विकास करना सहकारिता विकास कार्यक्रमों का एक महत्वपूर्ण पहलू है। राज्य सरकारों और काम दिलाने वाली केन्द्रीय एजेंसियों को इन सहकारी समितियों को कतिपय सुविधाएँ और रियायतें देने की सलाह दी गई है। देश में 30 जून, 1983 तक देश में वन श्रमिक सहकारी समितियों सहित कुल श्रमिक संविदा सहकारी समितियाँ लगभग 17,000 हैं जिनकी सदस्यता लगभग 11 लाख है। इन समितियों ने वर्ष 1982-83 के दौरान लगभग 156.00 करोड़ रुपए का काम किया। इन सहकारी समितियों के कार्यकलापों को और तेज किया जाएगा।

चितरंजन पार्क, नई दिल्ली में शरणार्थियों को प्लाटों का आवंटन

3823. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चितरंजन पार्क नई दिल्ली में शरणार्थियों को कितने प्लाट आवंटित किए गए;

(ख) चितरंजन पार्क में बसाये गए शरणार्थियों अथवा आवटियों ने 31 मार्च, 1985 तक कितने प्लाट ऐसे व्यक्तियों को बेच दिये, जो शरणार्थी नहीं हैं; और

(ग) अभी कितने प्लाटों का आवंटन किया जाना है ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) चितरंजन पार्क में प्लाटों का आवंटन तत्कालीन पुनर्वास विभाग द्वारा किया गया था। कार्य के अन्तरित होने पर 1935 रिहायशी प्लाटों से सम्बन्धित फाइलें पट्टों के प्रशासन के लिए भूमि तथा विकास कार्यालय को अन्तरित की गई थी।

(ख) सूचना सुलभता से उपलब्ध नहीं है।

(ग) पुनर्वास विभाग द्वारा पात्र घोषित 714 शरणार्थियों को आवंटन करने का एक प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

सुपर बाजार द्वारा चावल की खरीद

3824. **श्री सी० जंगा रेड्डी** :

डा० ए० के० पटेल :

क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 11 मई, 1985 के इण्डियन एक्सप्रेस, में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि अप्रैल, 1984 में सुपर बाजार ने कतिपय प्राइवेट फर्मों से अधिक ऊंची दरों पर अनुमोदित परमल चावल और अनुमोदित बासमती चावल खरीदा;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है और इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या यह सच है कि सुपर बाजार 260 रु० प्रति क्विंटल की दर से आटा खरीदता है और उसे जनता को 270 रु० प्रति क्विंटल की दर से बेचता है जबकि उसी ब्रांड का आटा बाजार में 250 रु० प्रति क्विंटल की दर पर उपलब्ध है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) अब तक की गई ऐसी खरीद में लगभग कितनी राशि अन्तर्ग्रस्त है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख). सुपर बाजार ने 11.5.1985 के इण्डियन एक्सप्रेस में लगाए गए आरोपों का खण्डन किया है। तथापि, सुपर बाजार ने सूचित किया है कि उसने अप्रैल, 1984 में मैसर्स दीनानाथ धर्मवीर से 315 रु० प्रति क्विंटल की दर पर 70 क्विंटल परमल चावल तथा मैसर्स कुन्दन लाल घनश्याम दास से 585 रु० क्विंटल चावल की दर से (60 क्विंटल चावल को छोड़कर जो 581 रु० प्रति क्विंटल की दर पर खरीदा गया) 300 क्विंटल बासमती चावल खरीदा है। उक्त खरीदारी प्रतिस्पर्धी दरों पर तथा गुणता परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा नमूने को स्वीकृति दिए जाने के बाद ही की गई थी।

(ग) सुपर बाजार ने मैसर्स अशोक फ्लोर मिल्स का रोज ब्रांड आटा (10 कि० ग्रा० की थैलियों में) 260 रु० प्रति क्विंटल की दर पर खरीदा था और 9.5.85 तक 270 रु० प्रति क्विंटल (10 कि० ग्रा० की थैलियों में) की दर से बेचा था। 10.5.1985 से मूल्य घटाकर 265 रु० प्रति क्विंटल कर दिया गया था। सुपर बाजार ने यह भी सूचित किया है कि उनके खुदरा बिक्री केन्द्रों में आटे का मूल्य बाहर के बाजार मूल्य की तुलना में कम है।

(घ) ऊपर (क) में उल्लिखित चावल की खरीद में सुपर बाजार द्वारा 1,97,310 रु० की राशि खर्च की गई।

[अनुवाद]

शहरी विकास और जल प्रदाय योजनाओं के लिए वित्तीय संस्थाएं

3825. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहरी विकास और जल प्रदाय योजनाओं के लिए वित्तीय संस्थायें स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख). जी, हां। शहरी विकास एवं शहरी जलपूर्ति की वित्त व्यवस्था करने के लिए एक वित्तीय संस्थान की स्थापना करने का प्रस्ताव है।

चूंकि प्रस्ताव को अभी अन्तिम रूप दिया जा रहा है, इसलिए ब्यौरे देना संभव नहीं है।

सरकारी कर्मचारियों को मकानों का निर्माण करने हेतु उदारता से ऋण देना

3826. **श्री के० एस० राव** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारियों को एक विशिष्ट समयावधि के भीतर आवास निर्माण करने के लिए उदारता से ऋण देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख). केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए गृह निर्माण अग्रिमों नियमों को अप्रैल, 1984 में उदार बनाया गया था। आवास

तथा नगर विकास निगम (हुडको) के माध्यम से एक "स्वामित्व आवास योजना" हाल ही में आरम्भ की गई है, जिसके लिए केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की सामूहिक बीमा निधि के संचय में से वित्त दिया जाना है। योजना की मुख्य-मुख्य बातें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की सामूहिक बीमा योजना में से वित्त दी जाने वाली स्वामित्व आवास योजना की मुख्य-मुख्य बातें :—

लक्ष्य

केन्द्र सरकार के उन कर्मचारियों के लिए स्वामित्व आवास योजना को बढ़ावा देना जो भारत सरकार की सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत आते हैं। इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता अखिल भारतीय सेवाओं से सम्बन्धित कर्मचारियों सहित सरकारी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है। स्वामित्व आवास योजना आवास बोर्डों, नगर निगमों, राज्य सरकारों, सरकारी कर्मचारी, सहकारी समितियों, सहकारी ग्रुप आवास समितियों आदि द्वारा बनाई जा सकती है। इस प्रयोजन के लिए ऋण आवास तथा नगर विकास निगम (हुडको) के माध्यम से दिए जाते हैं।

अधिकतम लागत तथा अनुमेयता

किसी मकान के निर्माण के लिए कुर्सी क्षेत्र, सभी अधिकतम लागत सहित, कालम 2 तथा कालम 3 के अनुसार होगा। अनुमेय ऋण की राशि नीचे कालम 4 में दर्शायी गई राशि के अनुसार होगी :—

मूल वेतन	कुर्सी क्षेत्र (वर्गमीटर)	अधिकतम लागत (भूमि की लागत को छोड़कर) (लाख रुपयों में)	अनुमेय ऋण (विकसित भूमि की लागत को छोड़कर)
1	2	3	4
800 रुपए तक	80 तक	1.25	90 प्रतिशत
801 रुपए से 1700 रुपए तक	130 तक	2.00	
1701 रुपए तथा इससे अधिक	200 तक	3.00	

तथापि, यदि कुर्सी क्षेत्र के निर्माण की वास्तविक लागत अधिक निकाली जाती है तो अधिकतम लागत ही निर्माण की वास्तविक लागत होगी।

जिन सरकारी कर्मचारियों ने अपने नियोक्ताओं से पहले ही गृह निर्माण अग्रिम ले लिया है वे इस योजना के अन्तर्गत ऋण के लिए पात्र नहीं हैं।

उधार लेने वाले अभिकरणों द्वारा निम्नलिखित अपेक्षताओं का भी अनुपालन किया जाए :—

(i) प्रशासन तथा पर्यवेक्षीय प्रभारों के लिए प्रावधान निर्माण लागत के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

(ii) आवेदक सरकारी कर्मचारी या उसकी पत्नी या आश्रित बच्चों का उस नगर या

शहर में अपना मकान नहीं होना चाहिए जिसमें इस योजना के अन्तर्गत मकान के निर्माण का प्रस्ताव है।

ऋण की ब्याज दरें

आवास तथा नगर विकास निगम के ऋण की ब्याज दर पर 12 प्रतिशत होगी जिसे कि सरकार द्वारा हुडको को ऋण दर में वृद्धि किए जाने पर बढ़ाया जा सकता है।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यानों के लाने ले जाने के दौरान खाद्यानों की चोरी

3827. **श्री सोडे रामैय्या** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यानों के लाने-ले जाने के दौरान खाद्यान्न की दो प्रतिशत की चोरी बहुत अधिक है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस चोरी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख). हैंडलिंग कार्यों में खाद्यान्नों का छीजन होने सहित कुछेक कमियां लाज़मी तौर पर हो ही जाती हैं। भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यानों को हैंडल करने विषयक बड़े पैमाने पर किए जा रहे कार्यों को देखते हुए सभी कारणों से 2 प्रतिशत के आस-पास की कुल हानि को कोई बहुत अधिक नहीं समझा जा सकता है। तथापि, निगम इन कमियों को कम करने के लिए निरन्तर प्रयास करता रहता है। निगम द्वारा उठाए गए कदमों में, खाद्यानों को हैंडल करने वाले सभी केन्द्रों पर यथासम्भव 100 प्रतिशत तौल करना, अतिरिक्त तौल-पुलों को लगाना, खरीदारी के समय कड़ाई के साथ ग्रुप नियंत्रण करना, बेहतर परिरक्षण, पैकिंग के आकार को छोटा करना, मशीन द्वारा सिलाई करना, खुले वैगनों में संचलन करने से बचना, अचानक छापे मारने सहित प्रभावकारी और कड़ी निगरानी करना आदि शामिल हैं।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश को आवंटित चीनी का कोटा

3828. **डा० प्रभात कुमार मिश्रा** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश सरकार को पिछले एक वर्ष के दौरान चीनी का कितना कोटा आवंटित किया गया और राज्य सरकार द्वारा कितना कोटा उठाया गया; और

(ख) यदि पूरा कोटा नहीं उठाया गया, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) मध्य प्रदेश सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित करने के लिए लेवी चीनी का कोटा आवंटित किया गया था और राज्य सरकार द्वारा पिछले एक वर्ष के दौरान उक्त कोटे के प्रति भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से उठायी गई मात्रा का ब्यौरा नीचे दिया जाता है :—

(मीटरी टन)

मास	आवंटन*	निर्गम
1	2	3
जुलाई, 84	23307.3	21427.0

1	2	3
अगस्त, 84	23297.3	22766.5
सितम्बर, 84	23295.2	22006.3
अक्तूबर, 84	23304.9	29003.1
नवम्बर, 84	23294.9	21787.2
दिसम्बर, 84	23294.9	21172.4
जनवरी, 85	23309.1	22776.5
फरवरी, 85	23294.4	22735.6
मार्च, 85	23294.9	20655.6
अप्रैल, 85	23304.9	20221.8
मई, 85	23294.9	19314.0
जून, 85	23294·9	23672.8

* इसमें राज्य में तैनात केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की बटालियन के लिए आवंटित की गई मामूली मात्रा भी शामिल है।

(ख) भारतीय खाद्य निगम आवंटित किए गए लेवी चीनी के मासिक कोटों के प्रति राज्य सरकार के नामितों को सुपुर्द करने के लिए लेवी चीनी की पर्याप्त उपलब्धता को बनाए हुए है। यह सूचित किया गया है कि अधिकांश महीनों में वैधता अवधि के अन्दर आवंटित लेवी चीनी को उठाने के लिए राज्य सरकार के नामितों द्वारा वित्तीय व्यवस्था करने में विफल हो जाने के कारण सरकार द्वारा आवंटित किए गए कोटे के प्रति कुछ मात्रा बिना उठाए रह गई थी।

[अनुवाद]

कुछ कर्मचारियों द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के जाली प्रमाण-पत्रों का प्रस्तुत किया जाना

3829. **श्री हरिहर सोरन** : क्या **श्रम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें कुछ कर्मचारियों द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के जाली प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनमें कुछ संसद सदस्यों द्वारा की गई शिकायतें भी शामिल है;

(ख) क्या ऐसे कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस दिए गए थे; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अन्जैया) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

दिल्ली में पानी की सप्लाई

3830. **श्री काली प्रसाद पाण्डेय** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में जल की पूर्ति तथा वितरण आवश्यकता से कहीं कम किया जा रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति जलपूर्ति औसतन केवल 15 गैलन की जा रही है जबकि इसकी तुलना में शहरी क्षेत्रों में औसत जलपूर्ति 53 गैलन है;

(ग) क्या यह सच है कि पानी के कम प्रेशर, इसके उपरि मंजिलों तक न पहुंचने, पुराने पाइप होने के कारण पाईप लाइनों में रुकावट और रिसाव तथा सार्वजनिक नलों और हाइड्रेन्टों से पानी के बेकार होने के बारे में कई शिकायतें हैं, किन्तु सरकार ने इस बारे में कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए; और

(घ) सरकार द्वारा उपर्युक्त शिकायतों को दूर करने तथा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त और उचित जलपूर्ति करने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, हाँ, इस समय दिल्ली में 472 एम० जी० डी० की आंकलित आवश्यकता की तुलना में 357 एम० जी० डी० पानी की पूर्ति हो रही है ।

(ख) जी, हां।

(ग) दिल्ली के कुछ पाकिटों, जोकि वितरण प्रणाली के आखिरी कोने या अधिक ऊंचाई पर स्थित हैं, से ग्रीष्म ऋतु के महिनों के दौरान कम दबाव की शिकायतें प्राप्त होती हैं। उन क्षेत्रों से भी शिकायतें प्राप्त होती हैं जहाँ पुरानी वितरण प्रणाली है और पाइप लाइन में रुकावट है। अपर्याप्त आकार की है, रिसन इत्यादि है। बिजली के गुल हो जाने/कम बोल्टता से भी जलपूर्ति पर प्रभाव पड़ता है।

(घ) वितरण प्रणाली को सुचारू बनाने की दृष्टि से जल वितरण प्रणाली का एक विस्तृत कम्प्यूटर अध्ययन किया गया है। इस अध्ययन ने भण्डारण तथा पम्पिंग क्षमताओं में वृद्धि करने सहित वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता को इंगित किया है। कई पाकिटों में कम व्यास वाली पाइप लाइनों को बदलने सहित वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने की भी आवश्यकता है। मुख्य ट्रांसमिशन प्रणाली को सुदृढ बनाने की कार्यवाही पहले ही आरम्भ कर दी गई है और अन्य महत्वपूर्ण कार्य तीन वर्षों की अवधि में पूरे हो जाएंगे।

पानी के पर्याप्त दबाव तथा समान वितरण के लिए भूमिगत टैंक का निर्माण किया जा रहा है और पुरानी पाइप लाइनों को बदला जा रहा है।

वितरण प्रणाली में आन्तरिक रिसावों का पता लगाने और उसे बन्द करने के लिए एक रिसाव खोजी कक्ष का गठन किया गया है। विशेष रूप से पुरानी वितरण प्रणाली में रुकावों/रिसावों का परीक्षण करने के लिए आवधिक रूप से वितरण प्रणाली का दबाव सर्वेक्षण भी किया जाता है।

दिल्ली में पानी की विद्यमान पूर्ति 357 एम० जी० डी० है और 1985 के अन्त तक इसके 412 एम० जी० डी० हो जाने की आशा है। दिल्ली में जलपूर्ति में और अधिक वृद्धि पड़ौसी राज्यों में कच्चे पानी के स्रोतों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी, जिसके लिए बातचीत आरम्भ कर दी गई है। जहाँ तक ग्रामीण क्षेत्रों का सम्बन्ध है, अतिरिक्त स्रोतों के माध्यम से पानी की उपलब्धता

की शर्त पर 7 वीं योजना अवधि के दौरान प्रति व्यक्ति 30 जी० पी० सी० डी० तक बढ़ाये जाने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

समाचार भारती के लिए बोर्ड का गठन

3831. **श्री सुरेश कुरूप** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि समाचार भारती गत दो महीनों से बिना बोर्ड के कार्य कर रही है; और

(ख) नया बोर्ड गठित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) पता चला है कि समाचार भारती के 11 निर्देशकों में से अब तक 7 निदेशक, निदेशक मंडल से त्याग पत्र दे चुके हैं। शेष सदस्यों से कानून के अन्तर्गत वैध बोर्ड बनाता है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

पश्चिम विहार में महा निदेशक, स्वास्थ्य सेवा द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों का आवंटन

3832. **श्री लालाराम केन** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने ए-ब्लाक पश्चिम विहार में मध्यम आय वर्ग के चार फ्लैट, महानिदेशक स्वास्थ्य सेवा की मांग पर पश्चिम विहार, नई दिल्ली में सी० जी० एच० एस० डिस्पेंसरी खोलने के लिए आवंटित किए हैं; और

(ख) क्या महा निदेशक, स्वास्थ्य सेवा को इन फ्लैटों का कब्जा सौंप दिया गया है, यदि हां, तो किस तारीख को और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इसका कब्जा कब तक दिए जाने की सम्भावना है ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) 1983 में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय के लिए पश्चिमपुरी ए-3 ब्लाक में फ्लैटों के तैयार हो जाने पर तीन फ्लैटों के आवंटन का निर्णय लिया गया था।

(ख) ये फ्लैट अभी-अभी कब्जे में लिए तैयार हुए हैं और इन्हें केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना को सौंपा जा रहा है।

भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में ठेका प्रणाली समाप्त करना

3833. **श्री कमला प्रसाद रावत** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम के कुछ गोदामों में ठेका प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार भारतीय खाद्य निगम के बाराबंकी (उत्तर प्रदेश) स्थित गोदामों में ठेका प्रणाली समाप्त करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो ठेका प्रणाली अब तक समाप्त न किए जाने का क्या कारण है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). भारतीय खाद्य निगम कर्मचारी संघ द्वारा दायर की गई याचिका पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में उत्तर प्रदेश सहित राज्य सरकारों को इस बात की जांच करने के लिए कहा है कि क्या भारतीय खाद्य निगम में ठेका श्रम को समाप्त कर दिया जाए, ठेका श्रम (विनियमन और समापन) अधिनियम, 1970 के अन्तर्गत समितियां गठित करने के लिए निदेश दिए हैं और उनसे अपनी समितियों की रिपोर्ट पर कार्रवाई करने के लिए भी कहा है।

शिक्षा संस्थाओं को भूमि का आवंटन

3834. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन शिक्षा संस्थाओं/सोसाइटियों के नाम क्या हैं जिनको 1982 तथा 1983 के दौरान दिल्ली प्रशासन ने स्कूल चलाने के लिए भूमि आवंटन हेतु मंत्रालय से सिफारिश की थी;

(ख) क्या उनमें से किसी को अभी तक भूमि आवंटित की गई है तथा यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं; और

(ग) उनके क्या नाम हैं जिन्हें भूमि आवंटित नहीं की गई है और इसके कारण क्या हैं तथा इन संस्थाओं/सोसाइटियों को भूमि कब तक आवंटित कर दी जाएगी;

संसदीय कार्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) से (ग). सम्बन्धित सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

खाद्यान्नों की कीमतों में गिरावट और अन्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होना

3835. **श्री दिनेश सिंह** : क्या **कृषि और ग्रामीण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में हाल ही में खाद्यान्नों की कीमतों में गिरावट आई है जबकि अन्य वस्तुओं की कीमतें काफी बढ़ गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का किसानों की सहायता के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चंदूलाल चंद्राकर) : (क) अप्रैल, 1985 के मुकाबले, जुलाई, 1985 (20-7-1985 तक) में खाद्यान्नों की मासिक औसतन थोक मूल्य सूचकांक संख्या 5.3 प्रतिशत विनिर्मित उत्पादों की 2.9 प्रतिशत और सभी जिन्सों की 3.5 प्रतिशत तक बढ़ गई है। तथापि इसी अवधि के दौरान अखाद्य वस्तुओं के मासिक औसत सूचकांक में 3.5 प्रतिशत तक गिरावट आई।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय गेहूं की गुणवत्ता के सम्बन्ध में प्रचार

3836. **श्री भोला नाथ सेन** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कुछ प्रतिष्ठित गेहूं निर्यातकों द्वारा विश्व बाजार में भारतीय गेहूँ की गुणवत्ता के सम्बन्ध में किये जा रहे गलत प्रचार की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे प्रचार का प्रतिरोध करने और विदेशी खरीददारों का विश्वास प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, उठाने का विचार है; और

(घ) भारत द्वारा गेहूँ का निर्यात करने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर गेहूँ निर्यातक देशों की प्रतिक्रिया क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) से (घ). प्रतिष्ठित गेहूं निर्यातकों द्वारा विश्व की मंडियों में भारतीय गेहूं के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रचार करने के बारे में सरकार के पास कोई सूचना प्राप्त नहीं है।

भारतीय खाद्य निगम के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारी संगठन द्वारा दिया गया ज्ञापन

3837. **श्री गंगा राम** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधियों की उनके साथ 8 अप्रैल, 1985 को एक बैठक हुई थी तथा उन्होंने एक ज्ञापन दिया था;

(ख) यदि हां, तो बैठक में उनकी किन कठिनाइयों अथवा किन विषयों पर चर्चा की गई थी; और

(ग) भारतीय खाद्य निगम के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी संगठन की कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) मुख्य शिकायत भारतीय खाद्य निगम के जोनल/क्षेत्रीय कार्यालयों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए सुरक्षित पिछले बचे पदों के बारे में थी। एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के सामान्य रूप से यह भी कहा था कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की शिकायतों पर तत्परता से कार्रवाई नहीं की जाती है।

(ग) भारतीय खाद्य निगम ने अब जोनल/क्षेत्रीय कार्यालयों को निदेश दिया है कि वे इस संबंध में सरकार के निर्देशों की दृष्टि में, सभी संवर्गों और श्रेणियों में सुरक्षित पदों, की पिछली बची रिक्तियों, यदि कोई हो, को भरने के लिए सभी प्रयास करें। इन कार्यालयों को ये भी अनुदेश दिए गए हैं कि वे शिकायतों पर तत्परता से कार्रवाई करें।

नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया के कर्मचारियों को सरकारी आवास का आवंटन

3838. **श्री धर्मवीर सिंह त्यागी** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आदि समिति अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत स्वायत्तशासी निकाय के रूप में पंजीकृत हैं;

(ख) क्या राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भी उक्त अधिनियम के अन्तर्गत स्वायत्तशासी निकाय के रूप में पंजीकृत है;

(ग) क्या उक्त निकायों में कार्य करने वाले कर्मचारी सम्पदा निदेशालय के सामान्य पूल से आवास प्राप्त करने के हकदार हैं;

(घ) यदि हां, तो राष्ट्रीय पुस्तक न्यास में कार्य करने वाले कर्मचारियों को सामान्यपूल से आवास आवंटित न करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) उन्हें भी सरकारी आवास आवंटित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद तथा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत स्वायतशासी निकाय हैं जबकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग संसद द्वारा एक अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित किया गया था।

(ख) जी, हां।

(ग) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद तथा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के केवल स्थाई कर्मचारी, जो कि दिल्ली मुख्यालय में नियुक्त हैं, वे लाइसेन्स फीस की मार्कीट दर अदा करने पर सामान्य पूल वास के लिए आवंटन के पात्र हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कर्मचारी सामान्य लाइसेन्स फीस अदा करने पर सामान्य पूल वास के आवंटन के लिए पात्र हैं।

(घ) नीति के मामले के रूप में नेशनल बुक ट्रस्ट आफ इण्डिया जैसे बहुत से अन्य स्वायतशासी निकाय सामान्य पूल वास आवंटन के लिए पाक नहीं हैं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

रेल्लीज इंडिया और वल्लभ पेस्टीसाइड्स का पंजीकरण

3839. **श्री मोती लाल सिंह** : क्या **कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेल्लीज इंडिया और वल्लभ पेस्टीसाइड्स विभिन्न कीटनाशी दवाइयों का उत्पादन करने के लिए कीटनाशी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त कम्पनियों द्वारा दिए गए आवेदन पत्रों और पंजीकरण समिति को पिछले दो वर्षों में तिथि-वार पंजीकरण की मंजूरी देने हेतु मिले आवेदन पत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त कम्पनियों के मामले पंजीकरण समिति के सामने विचार करने के लिए कब रखे

गए और क्या रेल्लीज इंडिया और वल्लभ पेस्टीसाइड्स के आवेदन पत्रों से पहले मिले अन्य आवेदकों के सभी आवेदन पत्र इन कम्पनियों के मामलों पर विचार करने से पहले मंजूर कर लिए गए थे, यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार का इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) जी, हाँ।

(ख) कीटनाशी अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत विभिन्न कीटनाशियों के पंजीकरण के लिए गत 2 वर्षों अर्थात 12.९.83 से आज तक मैसर्स रेल्लीज इंडिया लि० और मैसर्स वल्लभ पेस्टीसाइड्स द्वारा क्रमश: 19 और 24 आवेदन पत्र पंजीकरण समिति के सचिवालय को प्रस्तुत किए गए थे। फर्मों द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन पत्रों के ब्यौरों को दर्शाने वाली (तारीख वार) सूची अनुबंध 1 और 2 (पृष्ठ 50—51 व पृष्ठ 52—53) में संलग्न है।

(ग) वे तारीखें, जिनको मैसर्स रेल्लीज इंडिया और मैसर्स वल्लभ पेस्टीसाइड्स द्वारा प्रस्तुत किए गए मामलों को पंजीकरण समिति के सामने विचार करने के लिए रखा गया था, क्रमश: संलग्न विवरण 1 और 2 के स्तम्भ 6 में दी गई हैं। पंजीकरण समिति ने मामलों की जांच करने के लिए पंक्ति प्रणाली के पालन करने का कठोर मानदण्ड निर्धारित किया है। पंजीकरण समिति के विशेष आदेशों से प्राथमिकता केवल तकनीकी ग्रेड की कीटनाशियों के स्वदेशी निर्माण और निर्यात उद्देश्यों के लिए कीटनाशियों के निर्माण के मामलों को ही दी जाती है। जाँच करते समय यदि कमियां पाई जाती हैं तो इन्हें ठीक करने के लिए आवेदक को भेज दिया जाता है। गलती ठीक होने के बाद आँकड़े प्राप्त होने पर, आगे के आंकड़ें भेजने की तारीख से इस वर्ग में इसे दुबारा प्राथमिकता दी जाती है। अत. बताई गई आकस्मिक स्थिति उत्पन्न नहीं होती है।

(घ) प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है।

लद्दाखी कलाकारों की भर्ती

3840. **श्री पी० नामग्याल** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गीत और नाटक प्रभाग के श्रीनगर केन्द्र में चार टोलियाँ हैं अर्थात् बाहू टोली, तवी टोली, पम्पोशी टोली और गोनपा टोली;

(ख) क्या गोनपा टोली के दस सदस्यों में से 6 सदस्य गैर-लद्दाखी हैं जो लद्दाखी भाषा गीत अथवा संगीत नहीं जानते;

(ग) क्या लद्दाख के लोगों ने गैर-लद्दाखी कलाकारों की लद्दाखी भाषा और संस्कृति की अज्ञानता पर रोष व्यक्त किया है; और

(घ) यदि हाँ, तो 6 गैर-लद्दाखी कलाकारों के स्थान पर लद्दाखी कलाकारों को भर्ती न किए जाने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) गीत और नाटक प्रभाग के श्रीनगर केन्द्र में पाँच मंडलियां हैं—एक विभागीय नाटक मंडली तथा चार सीमा-वर्ती प्रचार मण्डिलयाँ अर्थात् बाह मंडली, तवी मंडली, पोम्पोश मण्डली, तथा गुम्फा मण्डली।

विवरण-1

12.8.1983 से मैसर्स रेल्लीज इंडिया लिमिटेड से प्राप्त आवेदनों की सूची

क्र० सं०	फाइल सं०	कीटनाशी का नाम	प्राप्त होने की तिथि	क्या पंजीकृत किया गया या कमी पायी गयी/ मामला समाप्त किया गया	पंजीकरण समिति की बैठक की तारीख, जिसमें विचार किया गया
1.	5286—सी आई आर	एसीफेट 75 प्रतिशत	23-8-1983	निरस्त	दुबारा अस्थायी पंजीकरण को
2.	5287—सी आई आर	एसीफेट तक०	23-8-1983		दिनांक 31-12-1984 को पंजीकरण समिति द्वारा स्वीकृति नहीं दी गई।
3.	5676—सी आई आर	क्विनालफोस 1.5 प्रतिशत धूलि	8-11-1983	पंजीकृत (26-2-85)	26-2-1985
4.	5677—सी आई आर	क्विनालफोस 25 प्रतिशत ई०सी०	8-11-1983	पंजीकृत (24-7-85)	कार्योत्तर-अनुमोदनार्थ 80वीं पंजीकरण समिति में विचार किया जाएगा।
5.	5837—सी आई आर	फेनवैलेरेट तक०	3-12-1983	पंजीकृत (11-5-84)	4-5-84
6.	5838—सी आई आर	बूटाक्लोर तक०	3-12-1983	पंजीकृत (10-4-85)	11-4-1985
7.	6170—सी आई आर	आइसोप्रोटुरान 50 प्रतिशत डब्ल्यू० डी० पी०	25-1-1984	मामला बन्द किया गया*	
8.	6191—सी आई आर	क्लोरपाइरिफोस 28 प्रतिशत ई०सी०	30-1-1984	(संपूर्ण मामला)	अनुमोदनार्थ 80वीं पंजीकरण समिति में विचार किया जाएगा।

9.	6192—सी आई आर	मोनोक्रोटोफोस 36 प्रतिशत एस० एल०	30-1-1984	कमी पायी गयी**	
10.	6686—सी आई आर	ग्लाइफोसेट 41 प्रतिशत एस० एल०	16-4-1984	जांच की जा रही है	
11.	6687— सी आई आर	बूटाक्लोर तक०	16-4-1984	कमी पायी गयी**	
12.	6937—सी आई आर	फेनवैलेरेट तक०	22-5-1984	वापस किया गया†	
13.	7078—सी आई आर	फेनवैलेरेट तक०	11-6-1984	पंजीकृत (1-9-1994)	23-8-1984
14.	7274—सी आई आर	डी—एल्लेथ्रिन तक०	25-7-1984	कमी पायी गयी**	
15.	7522—सी आई आर	डी—एल्लेथ्रिन तक०	31-8-1984	कमी पायी गयी**	
16.	7630—सी आई आर	टेट्रामेथिन तक०	20-7-1984	जांच की जा रही है	
17.	8915—सी आई आर	बेन्थियोकार्ब 80 प्रतिशत डब्ल्यू० पी०	10-5-1985	—तदैव—	
18.	8916—सी आई आर	बेन्थियोकार्ब तक०	10-5-1985	—तदैव—	
19.	9206—सी आई आर	फेनिट्रोथिआन 2 प्रतिशत	5-8-1985	प्रारंभिक जाँच चल रही है।	

*अनुबंधित अवधि के भीतर कमियों को दूर करने के अभाव में मामला बन्द किया गया।

**कमियां बतायी गयी हैं, मगर संशोधनों की प्रतीक्षा है।

†निरस्त किया गया और आवेदन वापस कर दिये गये।

विवरण-2

मैसर्स वल्लभ पेस्टीसाइड्स मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी से 12.8. 1983 से प्राप्त आवेदनों की सूची

क्र० सं०	फाइल सं०	कीटनाशी का नाम	प्राप्त होने की तिथि	पंजीकृत किया गया या कमी पायी गयी/मामला बन्द किया गया	पंजीकरण समिति की बैठक की तारीख, जिसमें विचार किया गया
1.	5356—सी आई आर	डेकामेथ्रिन 2.3 प्रतिशत ई०सी०	12-9-83	मामला बन्द किया गया*	
2.	5357—सी आई आर	फेनवैलेरेट 20 प्रतिशत ई०सी०	12.9-83	पंजीकृत (16-4-8+)	6-3-84****
3.	5636—सी आई आर	फोसेलोन 35 प्रतिशत ई०सी०	7-11-83	पंजीकृत (5-7-85)	23-7-85****
4.	5637—सी आई आर	थाइरेम 75 प्रतिशत एस०डी०	7-11-83	पंजीकृत (10-4-85)	11-4-85****
5.	5894—सी आई आर	एल्ड्रिन 30 प्रतिशत ई० सी०	14-12-83	मामला बन्द किया गया*	
6.	6074—सी आई आर	साइपरमेथ्रिन 25 प्रतिशत ई० सी०	4-1-84	वापस किया गया†	
7.	6075—सी आई आर	साइपरमेथ्रिन 10 प्रतिशत ई०सी०	4-1-85	मामला बन्द किया गया*	
8.	6849—सी आई आर	डायजिनोन 10 प्रतिशत ग्रेन्यूल	2-5-84	पंजीकृत (16-5.85)	23-7-85****
9.	6850—सी आई आर	कार्बोफ्यूरेन 3 प्रतिशत ग्रेन्यूल	2-5-84	वापस किया गया†	
10.	6871—सी आई आर	डाइकोफोल 18.5 प्रतिशत ई०सी०	3-5-84	पंजीकृत (24-7-85)	कार्योत्तर अनुमोदनार्थ 80वीं पंजीकरण समिति में विचार किया जाएगा।
11.	7102—सी आई आर	मोनोक्रोटोफोस तक०	16-6-84	जाँच की जा रही है	
12.	7109—सी आई आर	फोसफेमिडान तक०	18-6-84	पंजीकृत (5-7-85)	23-7-85****

13.	7110—सी आई आर	डाइक्लोरवोस तक०	18-6-84	जांच की जा रही है	
14.	7111—सी आई आर	बूटाक्लोर तक०	,,	वापस किया गया***	
15.	7112—सी आई आर	क्लोरपाइरिफोस तक०	,,	पंजीकृत (5-7-85)	23-7-85****
16.	7113—सी आई आर	डाइजिनोन तक०	,,	पंजीकृत (5-7-85)	23-7-85****
17.	7972—सी आई आर	मेनकोजेब 75 प्रतिशत डब्ल्यू०पी०	19-11-84	कमी पायी गयी**	
18.	7975—सी आई आर	कार्बेन्डेजिम 50 प्रतिशत डब्ल्यू० पी०	19-11-84	कमी पायी गयी**	
19.	7976—सी आई आर	मैनकोजेब तक०	19-11-84	जांच की जा रही है	
20.	8053—सी आई आर	फेनवैलेरेट 20 प्रतिशत ई०सी०	5-12-84	कमी पायी गयी**	
21.	8183—सी आई आर	बूटाक्लोर तक०	21-12-84	पंजीकृत (14-5-85)	23-7-85****
22.	9166—सी आई आर	बूटाक्लोर तक०	23-7-85	कमी पायी गयी**	
23.	9214—सी आई आर	ग्लाइफोसेट तक०	8-8-85	प्रारंभिक जांच की जा रही है	
24.	9215—सी आई आर	ग्लाईफोसेट 41 प्रतिशत एस० एल०			

*निर्धारित अवधि के भीतर कमियों को सुधार करने के अभाव में मामला बन्द किया गया ।

**कमियाँ बता दी गई हैं, मगर संशोधनों की प्रतीक्षा है ।

***निरस्त किया गया और आवेदन वापस कर दिया गया ।

****कार्योत्तर स्वीकृति ।

(ख) जी, नहीं। श्रीनगर केन्द्र में पाँच लद्दाखी कलकार हैं। शेष कलाकारों, जो लद्दाख क्षेत्रों के नहीं हैं, को भी लद्दाखी गीत गाने तथा लद्दाखी नृत्य प्रस्तुत करने में प्रशिक्षित कर दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

महाराष्ट्र को खाद्यान्नों का आवंटन

3842. **श्री बाला साहेब विखे पाटिल** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों को खाद्यान्नों, मिट्टी के तेल आदि के आवंटन के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) महाराष्ट्र को गत तीन वर्षों के दौरान खाद्यान्नों का वर्ष-वार कितना आवंटन किया गया; और

(ग) क्या अकाल अथवा बाढ़ जैसी विशेष परिस्थितियों में केन्द्र द्वारा अतिरिक्त आवंटन किया जाता है और यदि हाँ, तो गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र को इस शीर्ष के अन्तर्गत कितना आवंटन किया गया ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) से (ग). विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को खाद्यान्नों के आवंटन के केन्द्रीय पूल में स्टाक की समूची उपलब्धता, विभिन्न राज्यों की सापेक्ष आवश्यकताओं, बाजार-उपलब्धता और अन्य संगत तथ्यों को ध्यान में रखकर प्रत्येक मास के आधार पर किए जाते हैं।

मिट्टी के तेल का आवंटन चार महीने के एक ब्लाक के आधार पर किया जाता है जिसमें पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान किए गए आवंटनों के अलावा 5 प्रतिशत की वृद्धि की इजाजत दी जाती है।

नियमित आवंटनों के अलावा, अकाल/बाढ़ों आदि जैसी विशिष्ट परिस्थितियों में भी, जब कभी ऐसी स्थिति पैदा होती है, अतिरिक्त तदर्थ आवंटन किए जाते हैं।

एक विवरण संलग्न है, जिसमें महाराष्ट्र को पिछले तीन वर्षों के दौरान खाद्यान्नों और मिट्टी के तेल के किए गए नियमित और तदर्थ आवंटनों का ब्यौरा दिया गया है।

विवरण

1982, 1983 तथा 1984 के वर्षों में महाराष्ट्र को किए गए खाद्यान्नों तथा मिट्टी के तेल के नियमित आवंटन और अतिरिक्त तदर्थ आवंटन

(हजार मीटरी टनों में)

वर्ष	नियमित आवंटन		अतिरिक्त तदर्थ आवंटन	
	खाद्यान्न	मिट्टी का तेल	खाद्यान्न	मिट्टी का तेल
1982	1452.4	905·93	4.25	22.47
1983	1368.6	975.23	3.75	4.56
1984	1648.1	1018.68	—	6.00

[हिन्दी]

धार्मिक कार्यक्रमों का प्रसारण

3843. **श्री मानवेन्द्र सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रामायण पाठ, कृष्ण लीला और राम लीला जैसे धार्मिक कार्यक्रम तथा अन्य धर्मों के कार्यक्रम आकाशवाणी पर प्रसारित किये जाने वाले धार्मिक कार्यक्रमों की भाँति विशेष अवधि के लिए नियमित रूप से दूरदर्शन पर भी प्रसारित किये जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली दूरदर्शन द्वारा प्रसारित किये गये ऐसे कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार अवधि विशेष के लिये धार्मिक कार्यक्रम नियमित रूप से प्रसारित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो भविष्य में प्रसारित किये जाने वाले कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख). नीति के रूप में दूरदर्शन नियमित आधार पर कोई धार्मिक कार्यक्रम टेलीकास्ट नहीं करता है तथापि, एक प्रायोजित कार्यक्रम "सर्ब सांझी गुरूबानी" हर रविवार को टेलीकास्ट किया जा रहा है। विभिन्न सम्प्रदायों के विशेष धार्मिक त्योहारों के दिन धार्मिक कार्यक्रम भी टेलीकास्ट किए जाते हैं।

(ग) और (घ). दूरदर्शन से धार्मिक कार्यक्रम नियमित रूप से टेलीकास्ट करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, रामायण और महाभारत पर कार्यक्रमों की श्रृंखलाएं शुरू करने के प्रस्ताव हैं जहां किसी धर्म विशेष का प्रचार किए बिना इन कृतियों को उस को उस समय के इतिहास, संस्कृति, सामाजिक सम्बन्धों, आदि का चित्रण करने वाले महाकाव्यों के रूप में समझा जायेगा।

दिल्ली विकास प्राधिकरण का इंजीनियरी विभाग

3844. **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली विकास प्राधिकरण के इंजीनियरी विभाग को सुधारने हेतु कदम उठा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

संसदीय कार्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आवश्यकताओं एवं अपेक्षाओं के अनुसार अपने इन्जीनियरी विभाग को सुधारने के लिए समय-समय पर आवश्यक प्रयास किए जाते हैं।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने पूर्ण-विकसित मुख्य इन्जीनियर के नियंत्राणाधीन कार्य कर रहे नियमित कोटि नियंत्रण कक्ष के अलावा अंचलीय स्तरों पर कोटि नियन्त्रण कक्ष के सृजन जैसे विभिन्न उपायों को अपनाकर इन्जीनियरी स्कन्ध के कार्यकलाप को कारगर बनाया है। सतर्कता कक्ष में एक अधीक्षक इन्जीनियर और सहायक कर्मचारियों सहित दो कार्यपालक इन्जीनियरों की

नियुक्ति करके इंजीनियरी पक्ष को सुदृढ़ किया गया है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने उन दोषी अधिकारियों एवं ठेकेदारों के विरुद्ध कार्यवाही भी की है जो घटिया किस्म का काम करने के लिए जिम्मेदार पाए गए हैं। निर्माण की कोटि को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दिल्ली विकास प्राधिकरण ने मकान बनाने के कार्यक्रम की देखभाल करने में मुख्य इन्जीनियरों/अधीक्षक इन्जीनियरों जैसे वरिष्ठ इन्जीनियरों को भी शामिल किया है। इसके अतिरिक्त, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अपने कार्य में सुधार करने के उपाय सुझाने के लिए एक प्रसिद्ध परामर्शदात्री फर्म को भी लगाया है।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

भारतीय खाद्य निगम द्वारा आयातित चीनी की बिक्री

3845. **श्री मुरलीधर माने :**

श्री गुरुदास कामत :

क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने आयातित चीनी की बिक्री के बारे में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार को भारतीय खाद्य निगम द्वारा की गई कितनी अनियमिताओं का पता चला है; और

(ग) सरकार ने निगम के दोषी व्यक्ति के विरुद्ध तथा निर्धारित मानदन्डों के आधार पर आयातित चीनी की बिक्री सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) जी नहीं, आयातित चीनी के वितरण की स्कीम जून, 1985 से लागू हुई है। भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार भारतीय खाद्य निगम, राज्य सरकारों को आयातित चीनी की सुपुर्दगी और नीलामी/टेंडर के जरिये इसकी बिक्री करने की व्यवस्था कर रहा है।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

डी० डी० ए० कालोनियों में गृह उद्योग

3846. **श्री जैनुल बशर** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन ने रोजगार पैदा करने के लिए दिल्ली में कुछ खास गृह उद्योगों को घरों में चलाने की मंजूरी दे दी है;

(ख) क्या यह भी सच है कि डी० डी० ए० के अधिकारी इस प्रकार के वर्गीकरण की बिल्कुल अवहेलना करते हैं और अपनी कालोनियों में वे किसी भी गृह उद्योग को नहीं चलाने देते हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार वर्गीकरण का अनुसरण करने और डी० डी० ए० की कोलोनियों में कुछ विशिष्ठ गृह उद्योगों को चलाने की मंजूरी देने हेतु डी० डी० ए० को स्पष्ट आदेश जारी करने का है ?

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने आयुक्त, दिल्ली नगर निगम तथा अध्यक्ष, नई दिल्ली नगर पालिका को अपने-अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले क्षेत्रों में घरेलू उद्योगों को स्वीकृति प्रदान करने के लिए शक्तियों का प्रत्यायोजन 1979 में कर दिया था।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

डी० डी० ए० द्वारा विधवाओं को भूमि अथवा फ्लैटों का आवंटन

3847. **श्री प्रकाश चन्द्र** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसी कोई योजना है जिसके अन्तर्गत डी० डी० ए० अथवा अन्य सरकारी ऐजेन्सियों द्वारा गरीब विधवाओं को प्राथमिकता के आधार पर कोई भूखण्ड अथवा फ्लैट दिया जाता है; यदि हां, तो यह योजना कब से चालू है;

(ख) योजना का ब्यौरा क्या है और भूमि अथवा फ्लैट के आवंटन के लिए क्या मानदण्ड हैं; और

(ग) 31 जुलाई, 1985 तक कितनी विधवाओं को भूमि अथवा फ्लैट दिए गए हैं और कितने मामले अन्तिम निर्णय हेतु लम्बित पड़े हैं; और

(घ) इन फ्लैटों को कौन प्राधिकारी आवंटित करता है ?

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) तीव्र (हार्ड) मामलों में विधवाओं को बिना बारी के फ्लैटों के आवंटन की दिल्ली विकास प्राधिकरण में व्यवस्था है। यद्यपि, फ्लैटों में आवंटन के बारे में कोई सामान्य प्राथमिकता नहीं है। यह व्यवस्था 12.2.1982 से विद्यमान है। जहां तक रिहायशी प्लाटों का सम्बन्ध है, ऐसी कोई व्यवस्था अथवा योजना नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जुलाई, 1985 तक विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा 5-8 विधवाओं को फ्लैट आवंटित किए गए हैं और लगभग 40 मामले प्रक्रियाधीन हैं।

(घ) प्रत्येक मामले के गुणावगुणों पर निर्भर करते हुए दिल्ली के उप राज्यपाल तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को इस तरह के बिना बारी आवंटन के अधिकार दिए गए हैं।

केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में पांच दिन का कार्य सप्ताह लागू होने से कामगरों/ मजदूरों को कम मजूरी

3848. **श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई मावणि** : क्या **श्रम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में पांच दिन कार्य सप्ताह लागू होने से दैनिक मजदूरी पाने वाले कामगरों/मजदूरों को 2 दिन की मजूरी की हानि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो दैनिक कामगरों/मजदूरों की समस्याओं के हल के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं; और

(ग) उन्हें दी जाने वाली राहत का ब्यौरा क्या है ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री टी० अन्जैया) : (क) से (ग). दिल्ली/नई दिल्ली में स्थित केन्द्रीय सरकार के उन कार्यालयों में, जहां पांच दिन का सप्ताह शुरू दिया गया है, काम कर

रहे नैमित्तिक अकुशल श्रमिकों की दैनिक मजदूरी दर को 9 अगस्त, 1985 से 13.60 रुपये से बढ़ाकर 15.70 रुपये कर दिया गया है।

मैसर्स जिन्दल एल्यूमिनियम लिमिटेड, बंगलौर

3849. **डॉ० गौरी शंकर राजहंस** : क्या **श्रम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स जिन्दल एल्यूमीनियम लिमिटेड, बंगलौर और दिल्ली तथा बम्बई में इसकी शाखाओं में इस समय कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ख) कम्पनी द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान भविष्य निधि और बीमा की पृथक-पृथक कितनी धनराशि जमा कराई गई;

(ग) क्या सरकार को पता है कि यह कम्पनी श्रम कानूनों का उल्लंघन कर रही है और इस प्रकार बड़ी संख्या में बंधुआ मजदूर भी उसके शिकंजे में हैं; और

(घ) सरकार का मैसर्स जिन्दल एल्यूमीनियम लिमिटेड, बंगलौर के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री टी० अन्जैया) : (क) कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकरणों ने निम्नानुसार सूचित किया है :

शहर का नाम	इस समय काम कर रहे कर्मचारियों की संख्या
बंगलौर	399
बम्बई	18
दिल्ली	28

(ख) मैसर्स जिन्दल एल्म्यूनियम लिमिटेड, बंगलौर और इसकी दिल्ली तथा बम्बई स्थित शाखाओं द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान जमा कराई गई भविष्य निधि की राशि निम्न प्रकार से है :

	1982-83	1983-84	1984-85
बंगलौर	रु० 4,99,840.00	रु० 5,97,953.50	रु० 7,00,190.00
बम्बई	रु० 15,454.00	रु० 25,119.00	रु० 33,539.50
दिल्ली	रु० 56,437.24	रु० 63,072.50	रु० 76,544.00

जहां तक कम्पनी द्वारा जमा कराई गई बीमा राशि का सम्बन्ध है, यह सूचित किया गया है कि इस प्रतिष्ठान की बीमा की अपनी एक अलग स्कीम है और इसे कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अधीन कर्मचारी जमा सम्बद्ध बीमा योजना के परिचालन से छूट दी गई है। इसलिए कर्मचारी जमा सम्बद्ध बीमा योजना के अधीन बीमा अंशदानों को उनके द्वारा जमा करने का प्रश्न नहीं उठता। तथापि, कर्नाटक राज्य सरकार ने सूचित किया है कि समूह बीमा योजना के अन्तर्गत अंशदानों की राशि निम्न प्रकार से है :

1982-83	रु० 18,850.00
1983-84	रु० 9,050.00
1984-85	रु० 18,390.00

(ग) कर्नाटक राज्य सरकार और दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि श्रम कानूनों के उल्लंघन के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। जहां तक बम्बई स्थित शाखा का सम्बन्ध है, महाराष्ट्र सरकार से सूचना अभी प्राप्त होनी है।

(घ) की जाने वाली कार्रवाई प्राप्त हुई शिकायत की प्रकृति पर निर्भर करती है।

"हम लोग" कार्यक्रम के कलाकारों को अदा की गई धनराशि

3850. **श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली से रिले होने वाली "हम लोग" सीरीज के कलाकारों को कुल कितनी धनराशि की अदायगी की गई है;

(ख) क्या दूरदर्शन प्राधिकारियों द्वारा इन कलाकारों के साथ कोई अनुबन्ध किया गया है;

(ग) "हम लोग" कार्यक्रम के प्रायोजकों से विज्ञापन के रूप में कुल कितनी धनराशि एकत्रित की गई है; और

(घ) क्या अन्य देशों ने सीरीज को खरीदने हेतु पूछताछ की है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख). मैसर्स टाइम्स एण्ड स्पेस वीडियो कम्यूनिकेशन "हम लोग" नामक दूरदर्शन धारावाहिक का निर्माण कर रहे हैं तथा इसे प्रायोजन की सामान्य शर्तों पर दूरदर्शन पर प्रायोजित कर रहे हैं। प्रायोजक दूरदर्शन को टेलीकास्ट शुल्क के रूप में 35,000/-रु० प्रति एपीसोड अदा करते हैं तथा कार्यक्रमों के निर्माण पर समूचा व्यय करते हैं। दूरदर्शन कार्यक्रमों के वास्तविक निर्माण में शामिल नहीं है तथा इस धारावाहिक के बनाने पर कोई व्यय नहीं किया है। दूरदर्शन तथा "हम लोग" धारावाहिक के कलाकारों के बीच कोई अनुबन्ध नहीं है।

(ग) दूरदर्शन को "हम लोग" धारावाहिक के प्रायोजन के रूप में 5-8-1985 तक कुल 41.61 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है।

(घ) जी, हां।

अभिसमय समिति का प्रतिवेदन

3851. **श्री के० राममूर्ति** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपुष्ट अभिसमयों की गहन विवेचना करने के लिए 1983 में स्थापित की गई अभिसमय समिति की उपसमिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री टी० अन्जैया) : (क) और (ख). अभिसमय संबंधी समिति ने अक्तूबर, 1983 में हुई अपनी बैठक में अभिसमय संबंधी एक उप-समिति का गठन किया। उप-समिति के विचारार्थ विषयों में से एक विषय के अनुसार इसने निम्नलिखित छह अपुष्ट अभिसमयों की गहन विवेचना करने का निर्णय लिया :

1. उपक्रमों में श्रमिकों के प्रतिनिधियों के संबंधित अभिसमय संख्या-135.

2. सवेतन शैक्षणिक छुट्टी के संबंधित अभिसमय संख्या-140.

3. मशीनरी की रखवाली से संबंधित अभिसमय संख्या-119.

4. किसी एक श्रमिक द्वारा उठाए जाने वाले अधिकतर अनुज्ञेय से संबंधित अभिसमय संख्या 127.

4. बैनजीन से संबंधित अभिसमय संख्या-136.

6. व्यावसायिक कैंसर से संबंधित अभिसमय संख्या-139.

इस उप-समिति ने अभिसमय संबंधी समिति के विचारार्थ अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

समाचार पत्रों का सेंसर

3852. **श्री अमर रायप्रधान** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में अभी भी समाचार पत्रों पर सेंसर लगा हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और जैसे ही यह उपलब्ध हो जायेगी, सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

दुग्ध चूर्ण की पैकिंग

3853. **डा० जी० विजयराम राव** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व भर में दुग्ध चूर्ण को इसकी गुणवत्ता को सुरक्षित रखने के लिए केवल टीन के डिब्बे में पैक किया जाता है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या हमारे देश में भी वही विनियम लागू हैं ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) और (ख). खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के प्रावधानों के अनुसार स्प्रे सूखा दूध चूर्ण ऐसे शीलबन्द डिब्बों मे पैक किया जाना जरूरी है जिनमें हवा आ-जा न सके, यदि यह 510 ग्राम से अधिक है। फिर भी संयुक्त खाद्य और कृषि संगठन/विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा तैयार किए गए दूध चूर्ण कोडेक्स स्टेंडर्ड में पैकिंग के बारे में कुछ नहीं कहा गया है।

दिल्ली में कपास की धूल से होने वाली बीमारी के शिकार कपड़ा मिल श्रमिक

3854. **श्री सैफुद्दीन चौधरी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कपड़ा मिलों में कितने श्रमिक कपास की धुल से होने वाली घातक बीमारी के शिकार हुए हैं;

(ख) दिल्ली में एवटरेनियम इलैक्ट्रोप्लेटिंग कार्यों में तथा पाटराज, चीनी मिट्टी संबंधी कार्यों तथा एसबैस्टास और लैड प्रोसेसिंग संयंत्रों में विभिन्न प्रकार के अम्लीय धुएं से कितने कर्मचारी प्रभावित हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) श्रमिकों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अन्जैया) : (क) दिल्ली प्रशासन ने कपास की धूल से होने वाली बीमारी के किसी मामले के बारे में नहीं बताया है।

(ख) और (ग). संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में कारखाना अधिनियम, 1948 के अधीन एवटरे-नियम इलैक्ट्रोप्लेटिंग करने वाली कोई फैक्ट्री पंजीकृत नहीं है। दिल्ली में पाटरीज, चीनी मिट्टी के कार्यों, एस्बेस्टास और लेड प्रोसेसिंग प्लाण्टों में नियोजित श्रमिकों में किसी प्रकार की व्यावसायिक बीमारी होने की रिपोर्ट भी नहीं मिली है।

(घ) संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को समय-समय पर सलाह दी गई है कि वे उत्पादक यूनिटों में सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी उपाय करें जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं : (1) माडल नियमों में निर्धारित नियंत्रण उपायों को शामिल करके कारखाना नियमों को अद्यतन बनाना, (ii) अर्हक निरीक्षकों की नियुक्ति कर कारखाना निरीक्षालयों को सुदृढ़ करना और (iii) सभी कारखानों, विशेषकर खतरनाक उत्पादन प्रक्रियाओं में लगे कारखानों, का निरीक्षण तेज करना।

औद्योगिक प्रतिष्ठानों में श्रमिकों की भागीदारी

3855. **श्री एस० कृष्ण कुमार** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल कितने औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं;

(ख) ऐसे प्रतिष्ठानों की संख्या कितनी है जहां उद्योग में श्रमिकों की भागीदारी औपचारिक तौर पर शुरू की गई है और यह भागीदारी दुकान स्तर और बोर्ड स्तर पर चल रही है; और

(ग) प्रबन्ध योजना में श्रमिकों को भागीदारी के असन्तोषजनक कार्यान्वयन के क्या कारण हैं ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अन्जैया) : (क) से (ग). सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, इस समय देश में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कुल संख्या 216 है, जिनमें वित्तीय संस्थान, बीमा कम्पनियां तथा वे उपक्रम शामिल नहीं हैं जहां सरकार ने निवेश किया है, लेकिन जहां सरकार के पास इनका प्रबन्ध नहीं है। केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के 42 उपक्रमों ने प्रबन्ध में कर्मचारी सहभागिता की उस नई योजना को लागू किया है, जिसे सरकार ने 30 दिसम्बर, 1983 को अधिसूचित किया था। केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के 13 और उपक्रमों में इस योजना को आंशिक रूप से लागू किया गया है। जहां तक बोर्ड स्तर पर सहभागिता का संबंध है, इस योजना में यह व्यवस्था है कि योजना को बोर्ड स्तर पर शुरू करने के लिए उपयुक्त उपक्रमों की सूची तैयार की जाए। सरकार किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है कि यह योजना असंतोषजनक रूप से काम कर रही है।

हिन्दी समाचार एजेंसियों का बन्द होना

3856. **श्री विजय कुमार मिश्र** : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दो हिन्दी समाचार एजेंसियों—: "समाचार भारती" तथा "हिन्दी समाचार" के बन्द होने की सूचना है;

(ख) क्या हिन्दी समाचार एजेंसियों को हतोत्साहित करने तथा अंग्रेजी समाचार एजेंसियों को महत्व देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो हिन्दी समाचार एजेंसियों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) से (ग). सरकार को दो हिन्दी समाचार एजेंसियों, समाचार भारती तथा हिन्दुस्तान समाचार की बिगड़ती दशा की जानकारी है। ये एजेंसियां अभी भी अस्तित्व में हैं। भाषायी समाचारपत्रों के प्रमुख संपादकों तथा मालिकों की 25 और 26 जून, 1985 को मेरे द्वारा ली गई बैठक में, यह स्वीकार किया गया था कि हिन्दुस्तान समाचार तथा समाचार भारती को पुनर्जीवित करने की कोई सम्भावना नहीं है। इसको देखते हुए, एक भाषायी समाचार एजेन्सी सेवा के लिए विभिन्न विकल्पों का पता किया गया। श्री आर० एन० गोयंका की अध्यक्षता में समाचारपत्रों के प्रमुख व्यक्तियों की बनी एक समिति ने प्रश्न की विस्तार से जांच की और इस निष्कर्ष पर पहुंची कि भाषायी समाचारपत्रों के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी से सुसज्जित एक नई समाचार एजेंसी शुरू करने के लिए पर्याप्त संसाधन जुटा पाना सम्भव नहीं होगा। समिति ने यह नोट किया है कि इसका एक विकल्प यह हो सकता है कि भाषायी सेवा को वर्तमान अंग्रेजी समाचार एजेन्सियों से जोड़ दिया जाए। समिति की रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है तथा अन्तिम निर्णय अभी निर्णय नहीं लिया गया है।

अखबारी कागज के मूल्यों में वृद्धि

3857. **श्री एस० एम० भट्टम** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें यह जानकारी है कि अखबारी कागज आदि के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हुई है;

(ख) क्या इस वृद्धि के परिणामस्वरूप पुस्तकों और कापियों के मूल्य बहुत अधिक बढ़ गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो मूल्य वृद्धि को रोकने तथा अखबारी कागज आदि उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जबकि स्वदेशीय अखबारी कागज का मूल्य मार्च, 1984 से उसी स्तर पर रहा है, आयातित अखबारी कागज के मूल्य में कुछ वृद्धि हुई है।

(ख) और (ग). क्योंकि अखबारी कागज सामान्यतया पुस्तकों के प्रकाशन के लिए प्रयुक्त नहीं होता है, अत: उनके मूल्य में वृद्धि का कारण अखबारी कागज के मूल्य में वृद्धि नहीं है। कापियां छापने के लिए अखबारी कागज का आबंटन नहीं किया जाता।

सिंचित भूमि में निवेश

3858. **श्री प्रताप राव वी० भोसले** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिंचित भूमि में किया गया निवेश असिंचित भूमि में किए गए निवेश से अधिक है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) और (ख). जी, हाँ। मौजूदा कृषि प्रणाली में सिंचित भूमि में पूंजी निवेश असिंचित भूमि के पूंजी निवेश से अधिक है। सिंचित खेती के अन्तर्गत सिंचाई साधनों (जैसे कूएं, नलकूप इत्यादि) और उनके बाद में रखरखाव के रूप में निश्चित पूंजी निवेश की बहुत अधिक मांग है। इसके अलावा, सिंचित परिस्थितियों के अन्तर्गत खेती में आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी (जैसे अधिक उपज देने वाली फसलों की किस्में अपनाना इत्यादि) को प्रोत्साहन मिलता है, जिसे उन्नत बीजों, कार्बनिक खाद, रासायनिक उर्वरकों सिंचाई खर्चों, श्रम उपयोग इत्यादि के रूप में अधिक आदान के इस्तेमाल की अधिक आवश्यकता होती है। सिंचित हालतों के अन्तर्गत फसल उत्पादन पर कार्यकरण व्यय को पूरा करने के लिए अधिक धन की जरूरत होती है। अतः उपयुक्त पृष्ठभूमि को देखते हुए निश्चित और कार्यकारी पूंजी आवश्यकता, दोनों पर अधिक निवेश करने से असिंचित भूमि की तुलना में सिंचित भूमि पर फसल उगाने के मामले में कुल पूंजी निवेश/आवश्यकता में वृद्धि होती है।

प्रबंध में श्रमिकों का भाग लेना

3859. **श्री टी० बशीर** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार श्रमिकों का उद्योग में विभिन्न स्तरों पर प्रबन्ध में भाग लेने को बढ़ावा देने के लिए कोई वैधानिक मंजूरी लाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अन्जैया) : (क) और (ख). प्रबन्ध में कर्मचारी सहभागिता की नई योजना में, जो सरकार ने 30 दिसम्बर, 1983 को अधिसूचित की थी, यह निर्धारित किया गया है कि "इस योजना को किसी प्रकार का वैधानिक समर्थन देने के लिए तत्काल कोई कानून नहीं बनाया जाएगा। तथापि, इस योजना के कार्यकरण में समुचित अनुभव प्राप्त करने पर ऐसे कदम उठाने पर विचार किया जाएगा।

केन्द्रीय कीटनाशी बोर्ड

3860. **श्री एस० जी० घोलप** : क्या **कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय कीटनाशी बोर्ड नाम से कोई बोर्ड है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके सदस्य कौन हैं तथा इसके कार्य क्या हैं ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) जी, हाँ।

(ख) बोर्ड के सदस्यों का उल्लेख, कीटनाशी दवा अधिनियम, 1968 की धारा 4 में किया गया है। बोर्ड के मौजूदा पदेन/नामित सदस्यों की सूची संलग्न विवरण में दे दी गई हैं।

कार्य

बोर्ड के कार्य मूलतः कीटनाशी दवा अधिनियम, 1968 की विभिन्न धाराओं के तहत मूलरूप से प्रतिष्ठापित हैं और संगत धाराओं के उद्धरण निम्नलिखित हैं।

धारा 3 (ङ)—"कीटनाशक" से अभिप्राय—

(2) ऐसे अन्य पदार्थ (फफून्दीनाशी तथा खरपतवार नाशियों सहित), जिन्हें भारत सरकार, बोर्ड से परामर्श करके, राजपत्र में अधिसूचित करके समय-समय पर सूची में शामिल करें।

धारा 4 (1) इस अधिनियम को लागू करने से उत्पन्न तकनीकी मामलों में केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों को सलाह देना और ऐसे अन्य कार्यों को करना, जो इस अधिनियम द्वारा या इसके तहत बोर्ड को सौंपे जाए।

धारा 4 (2) ऐसे मामलों, जिन पर बोर्ड उपर्युक्त (1) के तहत सलाह दे, में निम्नलिखित से सम्बन्धित मामले शामिल होंगे :

(क) मनुष्यों या पशुओं को, कीटनाशियों के प्रयोग से होने वाला खतरा और ऐसे खतरे से बचने के लिए आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय;

(ख) मनुष्यों और पशुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के विचार से कीटनाशियों का विनिर्माण, बिक्री, भन्डारण, संचलन और वितरण।

कीटनाशी अधिनियम, 1968 के तहत बनाए गए कीटनाशी नियम, 1971 द्वारा निर्दिष्ट अतिरिक्त कार्य, जिन्हें केन्द्रीय कीटनाशी बोर्ड द्वारा सम्पन्न किया जाना है, निम्नलिखित है :—

(क) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के तहत कीटनाशियों के विनिर्माण के बारे में केन्द्रीय सरकार को सलाह देना।

(ख) कीटनाशियों की विषाक्तता और हवाई छिड़काव के लिए उनकी उपयुक्तता के आधार पर कीटनाशियों के प्रयोगों या वर्गीकरण को निर्धारित करना।

(ग) विभिन्न जिंसों के सम्बन्ध में कीटनाशी अपशिष्टों के प्रति सहनशीलता की सीमाओं और कीटनाशियों के प्रयोग तथा फसल कटाई के बीच न्यूनतम अन्तराल रखने के बारे में सलाह देना;

(घ) कीटनाशियों की सक्रियता की अवधि का निर्धारण करना;

(ङ) कीटनाशिओं के सांद्रणों और खासतौर पर अत्यन्त विषाक्त प्रकृति वाली के, में मिलाए जाने वाले रंजक द्रव्य सहित रंजन का सुझाव देना।

(च) अधिनियम और इन नियमों द्वारा प्रदत्त किसी भी कार्य के पूरक, आनुषंगिक या अनुवर्ती कार्यों को निष्पादित करना।

विवरण

केन्द्रीय कीटनाशी बोर्ड के पदेन/नामित सदस्यों की सूची

1. महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा, निर्माण भवन, नई दिल्ली। — अध्यक्ष, पदेन

2. भेषज नियन्त्रक (भारत) निर्माण भवन, नई दिल्ली।	सदस्य, पदेन
3. वनस्पति रक्षण सलाहकार, भारत सरकार, वनस्पति रक्षण संगरोध और संचयन निदेशालय, फरीदाबाद	सदस्य, पदेन
4. गुण नियन्त्रण अधिकारी, (भण्डारण और निरीक्षण निदेशालय का कार्यनिष्पादक), खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मन्त्रालय, (खाद्य विभाग), कृषि भवन, नई दिल्ली-1	सदस्य, पदेन
5. महानिदेशक, फैक्टरी परामर्श सेवा एवं श्रम संस्थान (फैक्टरी के मुख्य सलाहकार का कार्यनिष्पादक) श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय, इस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे, सिआन, बम्बई-1	सदस्य, पदेन
6. महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद, कृषि भवन, नई दिल्ली	सदस्य, पदेन
7. निदेशक, राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, अलीपुर रोड, नई दिल्ली	सदस्य, पदेन
8. महानिदेशक, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसन्धान परिषद, अन्सारी नगर, नई दिल्ली	सदस्य, पदेन
9. निदेशक, भारतीय प्राणिविज्ञान सर्वेक्षण, 34, चितरन्जन एवेन्यू, कलकत्ता-1	सदस्य, पदेन

10. महानिदेशक, सदस्य, पदेन
भारतीय मानक संस्थान,
मानक भवन,
बहादुरशाह जफर मार्ग,
नई दिल्ली-1

11. महानिदेशक, सदस्य, पदेन
(एवजी/उप महानिदेशक)
नौवहन एवं परिवहन मन्त्रालय,
बम्बई

12. संयुक्त निदेशक, यातायात (सामान्य) सदस्य, पदेन
रेल मन्त्रालय,
रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली

13. सचिव, सदस्य, पदेन
केन्द्रीय खाद्य पदार्थ मानक समिति
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय,
निर्माण भवन, नई दिल्ली-1

14. पशुपालन आयुक्त, सदस्य, पदेन
कृषि और सहकारिता विभाग,
कृषि भवन, नई दिल्ली

15. संयुक्त आयुक्त (मात्स्यिकी) सदस्य, पदेन
कृषि मन्त्रालय,
कृषि एवं सहकारिता विभाग,
कृषि भवन, नई दिल्ली

16. संयुक्त सचिव और निदेशक सदस्य, पदेन
वन्य प्राणि संरक्षण, पर्यावरण विभाग,
नई दिल्ली 1 (भूतपूर्व वन उप महानिरीक्षक
(वन्य प्राणि) का कार्य करने वाला)

17. औद्योगिक सलाहकार (रसायन) सदस्य, पदेन
तकनीकी विकास महानिदेशालय,
उद्योग भवन, नई दिल्ली-1

18. सलाहकार (रसायन), सदस्य, पदेन
रसायन और उर्वरक मन्त्रालय,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली

19. प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, सदस्य, पदेन
औषध-विज्ञान विभाग,

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,
नई दिल्ली

20. उप निदेशक, सदस्य, पदेन
राष्ट्रीय व्यावहारिक स्वास्थ्य,
मनोरोग अस्पताल के सामने,
अहमदाबाद

21. स्वास्थ्य सेवा निदेशक, सदस्य, पदेन
प्रभारी, जन स्वास्थ्य,
हरियाणा, चन्डीगढ़

22. कृषि निदेशक, महाराष्ट्र, सदस्य, पदेन
सेन्ट्रल बिल्डिंग,
पुणे

23. कृषि निदेशक, सदस्य, पदेन
कर्नाटक, शेषाद्रि रोड़,
बंगलौर

24. संयुक्त सचिव और कृषि आयुक्त, सदस्य, पदेन
भारत सरकार, कृषि मन्त्रालय,
कृषि और सहकारिता विभाग,
कृषि भवन, नई दिल्ली-1

25. निदेशक, सदस्य, पदेन
केन्द्रीय फोरेन्सिक विज्ञान प्रयोगशाला,
आर० के पुरम, नई दिल्ली

26. औद्योगिक स्वास्थ्य और व्यावहारिक सदस्य, पदेन
बाधाओं के विशेषज्ञ,
औद्योगिक विषविज्ञान अनुसन्धान केन्द्र,
महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ

27. निदेशक, सदस्य, पदेन
राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला,
पुणे (महाराष्ट्र)

28. वरिष्ठ पर्यावरण, अधिकारी, सदस्य पदेन
पर्यावरण विभाग,
बीकानेर हाऊस,
नई दिल्ली

सदस्य सचिव—नामित

29. सचिव,
केन्द्रीय कीटनाशी बोर्ड एवं पंजीकरण समिति,
वनस्पति रक्षण, संगरोध एवं संचयन निदेशालय,
एन० एच०—4, फरीदाबाद।

[हिन्दी]

रोलिंग फ्लोर मिलों को लाइसेंस देने की नीति

3861. **श्री डालचन्द्र जैन** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रोलिंग फ्लोर मिलों को लाइसेंस जारी करने के बारे में क्या नीति है और यह नीति कब निर्धारित की गई थी और यह कितनी अवधि के लिए निर्धारित की गई थी;

(ख) इस नीति की किन परिस्थितियों में पुनरीक्षा की जा सकती है;

(ग) सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन स्थानों पर रोलिंग फ्लोर मिलों के लिए लाइसेंस जारी किए हैं; और

(घ) सरगोधा फ्लोर मिल, जबलपुर को किन परिस्थितियों में लाइसेंस जारी किया गया है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख). रोलर फ्लोर मिलिंग उद्योग में पहले से सृजित हुई क्षमता और मौजूदा यूनिटों द्वारा उपयोग के स्तर को दृष्टि में रखते हुए, केन्द्रीय सरकार ने मई, 1980 में एक सामान्य नीति के रूप में निर्णय किया था कि देश में रोलर फ्लोर मिलें स्थापित करने के लिए नई अनुमतियाँ न दी जाएं। उस समय चल रही स्थिति को दृष्टि में रखते हुए, इस नीति की समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है।

(ग) केवल पिछले तीन वर्षों के दौरान, जम्मू और कश्मीर, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैण्ड तथा अरुणाचल प्रदेश में दूरस्थ/पहाड़ी, जनजातीय क्षेत्रों से सम्बन्धित छः मामलों के सम्बन्ध में उक्त सामान्य नीति में ढील दी गई है। इन क्षेत्रों में 30 मीटरी टन प्रतिदिन क्षमता तक के छोटे पैमाने के यूनिटों को लगाने की अनुमति दी गई है।

(घ) जून, 1979 से मई, 1980 के दौरान, विभिन्न राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा 30 मीटरी टन प्रतिदिन क्षमता के कई नए यूनिट लगाने की अनुमति दी गई थी। मैसर्स सरगोधा रोलर फ्लोर मिल्स, जबलपुर को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उसी अवधि के दौरान एक ऐसा यूनिट स्थापित करने की भी अनुमति दी गई थी। इस यूनिट के पूरा हो जाने पर, इस यूनिट को व्हीट रोलर फ्लोर मिल्स (लाइसेंसिंग एण्ड कंट्रोल) आदेश, 1957 के अन्तर्गत एक लाइसेंस प्रदान किया गया था।

फार्म प्रौद्योगिकी का आयात

3862. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** :
श्री प्रताप सिंह बघेल :

क्या **कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मन्त्री ने हाल ही में वैज्ञानिकों को सलाह दी है कि वे किसानों द्वारा खेती के लिए आधुनिक तरीके अपनाने तथा कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान और उपलब्धियों का लाभ उठाए;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार कृषि प्रौद्योगिकी का आयात करने का है ताकि वर्षा द्वारा सिंचित क्षेत्र और रेगिस्तानी क्षेत्रों की बंजर जमीन को कृषि उत्पादन के लिए उपजाऊ भूमि में बदला जा सके; और

(ग) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) ऐसा प्रतीत होता है कि इस सम्बन्ध में भा० कृ० अ० प० के वैज्ञानिकों के लिए दिया गया लिखित रूप में प्रधान मन्त्री का विशिष्ट परामर्श अभी तक इस विभाग को प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

संघों को मान्यता प्रदान करना

3863. **श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी** : क्या **श्रम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मन्त्रालय द्वारा जांच पड़ताल के बाद श्रमिक संघों को प्रदान की गई मान्यता प्रबन्धकों द्वारा इस आधार पर समाप्त नहीं की जा सकती कि उनको बहुमत का समर्थन प्राप्त नहीं है जबकि मन्त्रालय द्वारा बहुमत समर्थन के बारे में जांच पड़ताल के बाद उसे रद्द नहीं कर दिया जाता है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस व्यवस्था के विरुद्ध कार्य करने पर सरकार द्वारा प्रबन्धकों के विरुद्ध तथा कार्यवाही की जा सकती है ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री टी० अन्जैया) : (क) और (ख). अनुशासन संहिता के अनुसार, जब किसी यूनियन को मान्यता प्रदान की जाती है तो इसकी स्थिति में मान्यता प्रदान करने की तारीख से दो साल की अवधि तक कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, बशर्ते कि इस अवधि के दौरान उक्त संहिता का उल्लंघन करने के लिए उत्तरदायी न पाया गया हो। प्रबन्धतंत्र द्वारा किन्हीं अन्य कारणों से दी गई मान्यता को एक पक्षीय तौर पर वापस लेने की कार्रवाई को प्रबन्धतन्त्र द्वारा अनुशासन संहिता का उल्लंघन माना जाएगा जिनके लिए उक्त संहिता के अधीन प्रतिबन्ध लगाए जा सकते हैं।

[अनुवाद]

केरल में समुद्री उत्पादन

3864. **श्री के० मोहन दास** :

श्री के० कुन्जम्बु :

क्या **कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्री उत्पादन में वृद्धि करने में केवल की सहायता करने के लिए केन्द्र की कोई विशेष योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) और (ख). समुद्री मछली के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए केन्द्रीय सरकार को सिर्फ केरल में ही कोई विशेष योजना नहीं है, तथापि, अन्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों सहित केरल में भी समुद्रीमात्स्यकी के संवर्धन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कई कार्यक्रम क्रियान्वित किये जाए रहे हैं। केरल सरकार ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को वित्तीय सहायता से एक समेकित मात्स्यकी परियोजना भी आरम्भ की है।

कर्नाटक के लिए शुष्क भूमि विकास बोर्ड

3866. **श्रीमती बसव राजेश्वरी** : क्या **कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार से कोई ऐसा प्रस्ताव हुआ है जिसमें राज्य सरकार द्वारा बनाए गए शुष्क भूमि विकास बोर्ड के लिए विशेष अनुदान की मांग की गयी है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी है और राज्य सरकार ने कितनी सहायता मांगी है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

घोड़ों के लिए अधिकारियों को प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्ति पर विदेश भेजना

3867. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या **कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार घोड़ों के पोषण, प्रजनन, प्रबन्ध तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी पहलुओं के बारे में प्रशिक्षण हेतु कुछ अधिकारियों को विदेश भेजने का है;

(ख) क्या इस उद्देश्य हेतु खाद्य और कृषि संगठन के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो समझौते का ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) और (ख). जी, हां।

(ग) 17 जून, 1985 को हस्ताक्षर हुए करार के अधीन खाद्य और कृषि संगठन घोड़ों के प्रजनन, प्रबन्ध और स्वास्थ्य के सभी पहलुओं में छः भारतीय अधिकारियों को हंगरी में चार माह की अवधि के लिए प्रशिक्षण देने का प्रबन्ध करेगा।

चीनी का आयात मूल्य और खुली बिक्री के लिए मूल्य

3868. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी का 160 रुपए प्रति क्विंटल के मूल्य से आयात किया जाता है और उसे खुले बाजार में लगभग 600 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बेचा जाता है; और

(ख) यदि हां, तो चीनी के आयात मूल्य और खुली बिक्री के मूल्य के बीच इस प्रकार का भारी अन्तर होने के क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख). राज्य व्यापार निगम द्वारा 1985 के दौरान चीनी का आयात करने के लिए अब तक किए गए ठेके के अनुसार चीनी का अनुमानित औसत लागत और भाड़ा मूल्य लगभग 200/-रुपये प्रति क्विंटल है। इसमें सीमा शुल्क, उपकर, बीमा, पत्तन प्रभारों आदि को शामिल करने के बाद आयातित चीनी का कुल मूल्य लगभग 400 रुपये प्रति क्विंटल बैठता है। विभिन्न बन्दरगाहों से दूरदराज उपभोक्ता केन्द्रों तक आयातित चीनी के संचलन, भारतीय खाद्य निगम द्वारा हैंडलिंग, भण्डारण प्रभारों आदि पर किए जा रहे खर्चों को ध्यान में रखकर, निगम द्वारा राज्य सरकारों को अब 520 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर निर्मुक्तियां की जा रही है जबकि पहले यह मूल्य 540/-रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया था। थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं के लिए अनुमत लाभ के अलावा, परिवहन, हैंडलिंग, भण्डारण प्रभारों आदि के लिए व्यवस्था करने के बाद, राज्य सरकारों द्वारा नियंत्रित माध्यमों द्वारा वितरित की जा रही आयातित चीनी के निर्गम मूल्य अब 5.80 रुपये प्रति किलो से भी कम निर्धारित किए गए हैं जबकि पहले ये मूल्य 6.00 रुपये किलो से कम निर्धारित किए गए थे।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अधीन उत्तर प्रदेश को धनराशि का आबंटन

3869. **श्री हरीश रावत** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1985-86 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अधीन उत्तर प्रदेश को केन्द्र सरकार द्वारा आबंटित की गयी राशि उसे 1984-85 में आबंटित राशि की तुलना में कम है;

(ख) क्या 1985-86 के लिए इस शीर्ष के अधीन राज्य को आबंटित की गयी राशि में और भी कोई कटौती की गयी है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राज्य सरकार ने विभिन्न जिलों को इस शीर्ष के अधीन किए जाने के लिए चुने गए कार्य में से 40 प्रतिशत कार्यों को छोड़ देने के आदेश दिए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस कार्यवाही का क्या औचित्य है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) वर्ष 1985-86 के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश को पिछले वर्ष जितनी अर्थात् 39.22 करोड़ रुपए की धनराशि आबंटित की गयी है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत चुने गए कार्यों में से 40 प्रतिशत कार्यों को छोड़ दिए जाने के बारे में राज्य सरकार द्वारा कोई आदेश जारी नहीं किए गए हैं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

कसौली में टी० वी० ट्रांसमीटर

3870. **श्री सुखराम** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कसौली में लगाया जा रहा टी० वी० ट्रांसमीटर कब तक चालू हो जाएगा;

(ख) कसौली ट्रांसमीटर का प्रसारण क्षेत्र कितना होगा; और

(ग) राज्य के शेष क्षेत्र, विशेषकर कसौली ट्रांसमीटर के क्षेत्र से बाहर के मंडी जैसे बड़े शहर, को यह सुविधा प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) कसौली में इस समय 1 किलोवाट की कम शक्ति पर संचालित ट्रांसमीटर के 10 किलोवाट की पूरी शक्ति पर चालू वर्ष में चालू हो जाने की उम्मीद है।

(ख) सिरमौर, सोलन, शिमला, हमीरपुर, तथा उना जिले के भाग भी कसौली के ट्रांसमीटर द्वारा कवर होने की उम्मीद है।

(ग) मंडी नगर सहित हिमाचल प्रदेश के कवर न हुए क्षेत्रों में दूरदर्शन सेवा की व्यवस्था करना भविष्य में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

राष्ट्रीय फिल्म नीति के बारे में कार्यकारी दल की रिपोर्ट

3871. **श्री चित्त महाता** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय फिल्म नीति के बारे में डा० के० एस० कारंत की अध्यक्षता में गठित कार्यकारी दल की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हाँ, तो कब;

(ग) क्या सरकार ने दल की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और क्या इन सिफारिशों से फिल्म उद्योग को अधिक राहत मिलेगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख). जी, हाँ। डा० के० एस० करंथ की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय फिल्म नीति सम्बन्धी कार्यदल की रिपोर्ट, कार्यदल द्वारा सरकार को 17 मई, 1980 को प्रस्तुत की गई थी।

(ग) और (घ). एक विवरण संलग्न है जिसमें उन सिफारिशों के बारे में सूचना दी हुई है जिन्हें पूर्णत: या अंशत: स्वीकार कर लिया गया है।

कार्यदल द्वारा की गई कुछ सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया है। उन सिफारिशों को स्वीकार न करने का मुख्य कारण यह है कि विषय राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है और उन्होंने इस सम्बन्ध में संकोच व्यक्त किया है या वित्तीय संसाधनों पर दबाव के कारण उन सिफारिशों को स्वीकार करना संभव नहीं होगा।

कार्यदल ने सामान्यत: फिल्म उद्योग के लिए राहत की सिफारिश की है।

विवरण

डा० के० एस० करंथ की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय फिल्म नीति सम्बन्धी कार्यदल ने कुल

मिलाकर 231 सिफारिशों कीं। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें जिन्हें सरकार द्वारा/सिद्धान्तः स्वीकार/अंशतः स्वीकार कर लिया गया है। संक्षेप में इस प्रकार है :

सिफारिश संख्या 6 :

राष्ट्रीय फिल्म नीति में मोटे तौर पर निम्नलिखित उद्देश्य होने चाहिएं।

(1) सिनेमा से समाज पर पड़ने वाले प्रभाव का विचार करते हुए सिनेमा की सांस्कृतिक मान्यताओं में सुधार करना।

(2) समस्त देश में अधिकाधिक लोगों को सिनेमा का लाभ प्रदान करना।

(3) सिनेमा की संस्कृति, कलात्मक अभिव्यक्ति, संचार ज्ञान और मनोरंजन के माध्यम के रूप में विकास करना तथा फिल्मों की अच्छाइयों के प्रचार तथा उनके प्रति चेतना पैदा करने के लिए एक नीति तैयार करना।

(4) भारतीय सिनेमा को एक महत्वपूर्ण उद्योग के रूप में मान्यता देकर उसे सहायता देना और इसे भी उसी प्रकार की सुविधाएं प्रदान करना जो अन्य महत्वपूर्ण उद्योगों को उपलब्ध है।

(5) लघु फिल्मों, सूचना/वृत्तचित्र, शैक्षणिक और विज्ञान सम्बन्धी फिल्मों के निर्माण को प्रोत्साहन देना तथा इनके थियेटरों में प्रदर्शन के अतिरिक्त स्कूलों, कालेजों और सामुदायिक केन्द्रों में प्रदर्शन के लिए सुविधाएं देना तथा सामाजिक प्रगति के लिए उनका उपयोग करना।

(6) देश के सभी क्षेत्रों में बच्चों की फिल्मों के निर्माण, वितरण और प्रदर्शन की सभी सुविधाएं देना।

(7) फीचर फिल्मों के वितरण की व्यवस्था में परिवर्तन करने के लिए इस प्रकार सहायता देना जिससे उत्कृष्ट कलात्मक तथा सामाजिक महत्व की फिल्मों को दर्शकों तक पहुँचने का अवसर मिले तथा बाक्स आफिस प्रधान फिल्मों पर से वह दबाव कम करना जिसके कारण वे सट्टेबाजी के जंजाल में फंस जाती हैं।

(8) फिल्म कर्मचारियों के काम की शर्तों को विनियमित करना तथा उनमें सुधार करना।

(9) फिल्म उद्योग के प्रौद्योगिक आधार के आधुनिकीकरण की आवश्यकता के अनुरूप उपकरण और कोरी फिल्म के आयात के बारे में नीतियों को उदार बनाना तथा इसके साथ-साथ फिल्म प्रौद्योगिकी के स्वदेशीकरण के लिए अनुसंधान और विकास की सुविधाएं प्रदान करना और अद्यतन प्रगति की जानकारी रखना।

(10) भारत में सिनेमा के विकास को ध्यान में रखकर सिनेमा के रचनात्मक और तकनीकी पहलुओं में प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार करना।

(11) ये सुनिश्चित करना कि कराधान नीतियां सिनेमा के विकास को प्रोत्साहित करने के सामान्य उद्देश्यों के अनुरूप हैं तथा कराधान से सिनेमा के लिए बाजार अनिश्चितता तथा सट्टेबाजी से युक्त तो नहीं है। इसका अर्थ यह है कि कर राजस्व पैदा करने की सामान्य नीति से राजस्व साधनों का सम स्तर पर विस्तार

हो न कि कराधान स्तर में लम्बरूप वृद्धि हो।

(12) विश्व भर से कलात्मक और तकनीक उपलब्धि की फिल्मों का इस दृष्टि से आयात करना जिससे भारतीय और अन्तर्राष्ट्रीय सिनेमा के बीच रचनात्मक परस्पर क्रिया को प्रोत्साहन मिले तथा निर्यात की प्रक्रिया को सरल बनाकर, निर्यात विपणन की सूचना प्रदान कर तथा निर्यातकों को संगठनात्मक समर्थन देकर और विदेशी फिल्म निर्माताओं के साथ फिर निर्माण में सहयोग कर भारतीय फिल्मों को विदेशी मुद्रा कमाने की संभावना का पूरा लाभ उठाया जाए।

सिफारिश संख्या 35 :

लाइसेंस सम्बन्धी नियमों को सरल बनाया जाना चाहिए।

सिफारिश संख्या 38 और 39 :

सिनेमाघरों की विकट कमी को देखते हुए विभिन्न उपायों के माध्यम से जैसे कि संस्थागत वित्तपोषण के प्रावधान, मनोरंजनकर और चलते-फिरते थियेटरों को प्रोत्साहन करके प्रमुखतया 16 मिलीमीटर के प्रोजेक्टरों से युक्त 400 से 500 सीटों वाले सिनेमाघरों के निर्माण में तेजी लाई जानी चाहिए।

सिफारिश संख्या 63 :

फिल्म प्रोसेसिंग लेबोरेट्रीज लाइसेंस सम्बन्धी प्रणाली वे संदर्भ मे बनाया जाना चाहिए।

सिफारिश संख्या 71 :

रंगीन कोरी फिल्मों को देश में बनाने की दिशा में तुरन्त कार्यवाही की जानी चाहिए।

सिफारिश संख्या 89 :

राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर पुरस्कार प्राप्त सभी फिल्मों "क्यू' प्रमाणपत्र प्राप्त करने वाली फिल्मों तथा बच्चों की फिल्मों को केवल एक सीमित अवधि के लिए मनोरंजन कर से छूट देने के स्थान पर मनोरंजन कर से स्थायी रूप से छूट दिया जाना चाहिए।

सिफारिश संख्या 94 और 95 :

फिल्मों प्रिन्टों पर उत्पादन शुल्क कम किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय पुरस्कृत और राज्य पुरस्कार से पुरस्कृत फिल्मों और लघु फिल्मों की प्रिन्टें जिन्हें सिनेमाघरों में अनिवार्य प्रदर्शन के लिए स्वीकार किया गया हो, उनको उत्पादन शुल्क से पूर्णतया छूट दी जानी चाहिए।

सिफारिश संख्या 106 :

फिल्म डिवीजन की फिल्म निर्माण गतिविधि का विकेन्द्रीकरण होना चाहिए।

सिफारिश संख्या 194 :

सरकार को एक ऐसे व्यक्ति की अध्यक्षता में जिसको न्यायिक अनुभव हो एक स्थायी न्यायाधिकरण की स्थापना करनी चाहिए, जो सेंसर बोर्ड के विरुद्ध अपीलों की विरुद्ध सुनवायी करे।

सिफारिश संख्या 195 :

एक मध्यवर्ती प्रमाणपत्र और शुरू किया जाय जिसका नामकरण "यू० ए०" किया जा सकता है। इस प्रमाणपत्र में कहा जाना चाहिए कि फिल्म सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए स्वीकृत की जाती है किन्तु इसमें कुछ ऐसे अंश मौजूद हैं जिन्हें माता पिता, बारह बरस से कम आयु के बच्चों को दिखाना पसन्द न करें। यह प्रमाणपत्र शुद्ध परामर्शदात्री रूप में होगा।

सिफारिश संख्या 222 :

सिने कर्मी की स्थितियों को विनियमित करने के लिए विशेष कानून बनाये जाने चाहिए।

इनमें से कुछ सिफारिशों को पहले ही कार्यान्वित किया जा चुका है।

कलकत्ता दूरदर्शन द्वारा वृत्त चित्रों का निर्माण

3872. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता दूरदर्शन द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान कितने लोक संस्कृति और आदिवासी संस्कृति से सम्बन्धित कितने 16 मिलीमीटर वृत्तचित्रों का निर्माण किया गया;

(ख) उक्त फिल्मों के निर्माताओं के नाम क्या हैं, फिल्मों के कथानक क्या हैं तथा प्रत्येक फिल्म पर कितना व्यय हुआ;

(ग) क्या आदिवासी वृत्तचित्रों की भाषा आदिवासी न होकर क्षेत्रीय है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठते।

खाद्य तेलों का आयात

3873. **श्री अमर सिंह राठवा :** क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस वर्ष के पहले छः महीनों में माह-वार कितनी मात्रा में खाद्य तेलों का आयात किया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्य सरकारों को खाद्य तेलों की कितनी मात्रा का वितरण किया गया;

(ग) राज्यों को खाद्य तेलों के आबंटन के क्या मानदण्ड हैं; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान गुजरात राज्य को खाद्य तेलों की कुल कितनी मात्रा का आबंटन किया गया ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) राज्य व्यापार निगम के माध्यम से इस वर्ष के पहले छः महीनों के दौरान आयात किए गए खाद्य तेलों की मात्रा, माहवार नीचे दी गई है :

महीना	आयातित मात्रा (मी० टनों में)*
जनवरी, 1985	71,172
फरवरी, 1985	1,00,370
मार्च, 1985	83,800
अप्रैल, 1985	54,468
मई, 1985	96,850
जून, 1985	1,51,369
कुल :	5,58029

*ये सन्निकट (एप्रोक्सिमेट) आंकड़े हैं।

(ख) इस वर्ष के पहले छः महीनों के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वितरित की गई खाद्य तेलों की मात्रा 3,40,103 मीटरी टन है।

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को आयातित खाद्य तेलों का आवंटन उनकी मांग, खपत के स्वरूप, त्यौहार के मौसम, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों अथवा क्षेत्र में देशी खाद्य तेलों की उपलब्धता, राज्य व्यापार निगम के पास उपलब्ध भण्डार तथा अन्य संगत बातों, जिनमें राज्यों को पहले आवंटित किए गए खाद्य तेलों को उठाने की गति शामिल है, के आधार पर प्रति-माह किया जाता है।

(घ) वर्ष के पहले छः महीनों के दौरान गुजरात को आवंटित किए गए आयातित खाद्य तेलों (आर० बी० डी० पामोलीन) की कुल मात्रा 26.500 मी० टन है।

अंतर्देशीय मात्स्यिकी समिति

3874. **श्री बनवारी लाल पुरोहित :**

श्री बाला साहेब विखे पाटिल :

क्या **कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने अंतर्देशीय मात्स्यिकी को प्रोत्साहित करने के लिए राज्यों द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाली आम राष्ट्रीय नीति और कानूनी प्रावधानों के बारे में निर्णय करने के लिए सरकारी और गैर सरकारी सदस्यों से युक्त एक समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) महाराष्ट्र राज्य में मात्स्यिकी के विकास हेतु राज्य को पर्याप्त वित्तीय सहायता देने के लिए केन्द्र सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चंद्राकर) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग). इस सम्बन्ध में समिति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। इस बीच, राज्य सरकारों और संघशासित क्षेत्रों से भारतीय मात्स्यकी अधिनियम, 1897 के संशोधन के संबंध में सुझाव देने का अनुरोध किया गया है।

(घ) महाराष्ट्र में मात्स्यकी के विकास हेतु पर्याप्त वित्तीय सहायता सुलभ कराने के लिए राज्य में निम्नलिखित केन्द्रीय/केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं चल रही हैं :

(1) मत्स्यपालक विकास एजेंसी कार्यक्रम;

(2) राष्ट्रीय डिम्पोना कार्यक्रम;

(3) अंतर्देशीय मात्स्यकी सांख्यकी का विकास;

(4) खारे जल में मत्स्यपालन का विकास;

(5) कार्यरत मछुआरों के लिए समूह दुर्घटना बीमा योजना;

(6) मछुवा समुदाय का प्रौद्योगिक-सामाजिकार्थिक सर्वेक्षण;

(7) छोटे बन्दरगाहों पर मत्स्य पत्तनों का विकास।

देश में बागान श्रमिक

3875. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल कितने बागान श्रमिक हैं;

(ख) क्या बागान क्षेत्र में 55 प्रतिशत से अधिक श्रमिक महिलाएं हैं;

(ग) क्या बागान श्रमिकों में व्यवसायजन्य बीमारियों की रोकथाम के लिए कोई व्यवस्था नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उठाये जा रहे विशिष्ट कदमों का ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अन्जैया) : (क) वर्ष 1983 में उन दस राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में, जो विवरणियां भेजते हैं, बागानों में बागान श्रमिकों की औसत दैनिक संख्या 9,96,918 है।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है।

(ग) और (घ). बागान श्रम अधिनियम की धारा 17 में राज्य सरकारों को नियम बनाने के अधिकार दिए गए हैं ताकि हर बागान में नियोजक वर्ष या ठंड से कर्मकारों की संख्या के लिए इतनी संख्या में और ऐसे प्रकार के छातों, कम्बलों, बरसातियों या ऐसे ही अन्य सुख-सुविधाओं की व्यवस्था करें। केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को परामर्श दिया है कि वे अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (2) की मद (1) के अधीन नियम बनाने के प्रश्न पर विचार करें जो कीटनाशक दवाइयों के छिड़काव करने और उनका प्रयोग करने से होने वाले स्वास्थ्य से सम्बन्धित सभी पहलुओं के बारे में हो। कारखाना सलाह सेवा और श्रम विज्ञान केन्द्र महानिदेशालय संगठन द्वारा इस सम्बन्ध में तैयार किए गए माडल नियमों को राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को परिचालित किया गया है।

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान छोटे तथा मध्यम कस्बों का विकास

3876. **श्री बासुदेव आचार्य** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान छोटे तथा मध्यम कस्बों के समेकित विकास के अंतर्गत लाये गये छोटे तथा मध्यम कस्बों की संख्या क्या है;

(ख) इन कस्बों के विकास के लिए सरकार द्वारा कितनी धनराशि स्वीकृत की गई तथा इसमें से अब तक राज्यों को कितनी राशि दे दी गई है; और

(ग) क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई नीति तैयार करेगी कि छोटे तथा मध्यम कस्बों के समेकित विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्पन्न परिसम्पत्तियों को किस प्रकार बनाये रखा जाये ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख). छोटे तथा मध्यम दर्जे के कस्बों के एकीकृत विकास की केन्द्र द्वारा प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 235 कस्बों में विकास कार्य आरम्भ कर दिया गया है। इस योजना के तहत कम लागत की स्वच्छता कार्य सहित अन्य मदों के लिए 63.57 करोड़ रुपये की राशि केन्द्रीय ऋण सहायता के रूप में जारी की गई है। अनुमोदित कस्बों एवं जारी की गई धनराशि के ब्यौरे सभा पटल पर रखे गये विवरण में दिए गए हैं। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-1378/85]**

(ग) योजना के मार्गनिर्देशनों के अनुसार, राज्य सरकारों/स्थानीय निकायों को योजना के अन्तर्गत परिसम्पत्तियों के उचित रख-रखाव एवं संचालन तथा सुविधाओं के लिए अधिकरणों का पता लगाना है।

आन्ध्र प्रदेश में चावल उत्पादन हेतु प्रायोगिक परियोजनाएं

3877. **श्री वी० तुलसीराम** : क्या **कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चावल के उत्पादन में वृद्धि हेतु प्रायोगिक परियोजनाएं प्रारम्भ करने के लिए आन्ध्र प्रदेश राज्य में कुछ खण्डों के चयन का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के प्रथम अर्ध भाग में तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) उस राज्य में विशेष चावल उत्पादन कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी वित्तीय सहायता दी जायेगी; और

(घ) परियोजना के कब तक प्रारम्भ किये जाने की संभावना है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चंदूलाल चंद्राकर) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठते।

आधुनिकीकरण का बंधुआ मजदूरी की प्रथा कम करने पर कोई प्रभाव न पड़ना

3878. **प्रो० रामकृष्ण मोरे** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजलीकरण, सिंचाई सुविधाएं और साक्षरता दर के रूप में आधुनिकीकरण किये जाने का देश में बंधुआ मजदूरी की प्रथा कम करने पर कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) और (ख). भारत में बंधित श्रम पद्धति उस ग्रामीण ऋणग्रस्तता का परिणाम है जो लम्बे समय से विद्यमान है और जिसमें समाज के आर्थिक रूप से कुछ शोषित और कमजोर वर्ग शामिल हैं। यह पद्धति सामन्तीय और अर्द्ध-सामन्तीय दशाओं द्वारा बनाई गई असमान सामाजिक ढाँचे से उद्भूत हुई। बंधुआ श्रमिक ग्रामीण निर्धनों में से सबसे कमजोर वर्ग के हैं। चूंकि आधुनिकीकरण यानी विद्युतीकरण, सिंचाई की सुविधाएं और साक्षरता से समग्र विकास हुआ है, इसलिए इससे बंधुआ श्रम पद्धति पर कुछ असर पड़ सकता है। तथापि, इस सम्बन्ध में कोई अध्ययन नहीं किया गया है। बंधुआ श्रमिक अधिकांशत: अनपढ़, भूमिहीन, संपत्तिहीन और स्त्रोतहीन व्यक्ति हैं। इसलिए इस समस्या का समाधान ग्रामीण श्रमिकों की निरक्षरता, अज्ञानता, गरीबी, भूमिहीनता और संपत्तिहीनता को मिटाना तथा उनके लिए रोजगार अवसर सृजित करना है। ग्रामीण निर्धनों की दशा में सुधार करने के लिए 20-सूत्री कार्यक्रम में कई कार्यक्रम शामिल किए गए हैं।

पोर्मपट (मणिपुर) में दूरदर्शन केन्द्र का निर्माण

3879. **प्रो० मिजिनलंग कामसन** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पोर्मपट (मणिपुर) में दूरदर्शन केन्द्र का निर्माण कब शुरू हुआ था;

(ख) यह कब तक पूरा और चालू हो जाएगा; और

(ग) ट्रांसमीटर कितना शक्तिशाली है और इसका प्रसारण क्षेत्र कितना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) इम्फाल में पोर्मपत में दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करने के लिए स्थान दूरदर्शन को मई, 1985 में उपलब्ध कराया गया था। भवन और टावर का निर्माण करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

(ख) उम्मीद है कि केन्द्र प्रचालन के लिए 1985 में तैयार हो जाएगा।

(ग) इम्फाल में प्रस्तावित 1 किलोवाट के दूरदर्शन ट्रांसमीटर की सेवा परिधि स्थानीय मैदानी स्थितियों के अधीन रहते हुए लगभग 60 किलोमीटर होने की उम्मीद है।

कोरिया में पशुओं के चारे के रूप में गेहूँ की बिक्री

3880. **प्र० के० वी० थामस** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम दक्षिण कोरिया को पशुओं के चारे के रूप में लगभग एक लाख मीट्रिक टन गेहूँ बेचने के लिए वहाँ के पशु खाद्य निगम से बातचीत कर रहा है; और

(ख) क्या ऐसा भंडागार की पर्याप्त सुविधाएं न होने के कारण भारतीय खाद्य निगम द्वारा रखे गए अनाज के खराब होने के कारण किया जा रहा है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) जी नहीं, फिलहाल भारतीय खाद्य निगम द्वारा ऐसी कोई बात-चीत नहीं की जा रही है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता। तथापि, यह सही है कि भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध खाद्यान्नों के स्टाक का भंडारण करने के लिए, निगम के पास ढकी हुई भंडारण क्षमता पर्याप्त नहीं है और इस सम्बन्ध में सावधानियाँ बरतने के बावजूद भी ढके हुए भंडारण स्थान की कमी के कारण कुछ मात्रा क्षति-ग्रस्त हो ही जाती है।

केरल को चावल, दालों और गेहूं का आवंटन

3881. **डा० के० जी० आदियोडी :**

श्री वी० एस० विजयराघवन :

क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल को पिछले तीन वर्षों के दौरान चावल, दालें और गेहूं का कितना कोटा आवंटित किया गया;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान केरल सरकार की कितनी मांग थी और केन्द्र ने उसके मांग के कितने भाग की पूर्ति की;

(ग) क्या केन्द्र ने हाल में आयी बाढ़ के कारण केरल की अतिरिक्त खाद्यान्नों की सप्लाई की पूरी मांग को पूरा किया है; और

(घ) यदि हां, तो कितना और इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है, जिसमें सूचना दी गई है।

(ग) और (घ). राज्य सरकार ने अगस्त, 1985 से अक्तूबर, 1985 तक 25000 मीटरी टन चावल का अतिरिक्त मासिक आवंटन करने के लिए अनुरोध किया है। केरल सरकार के चावल के 1,10,000 मीटरी टन के सामान्य मासिक आवंटन में जून, 1985 में 5,000 मीटरी टन, जुलाई 1985 में 10,000 मीटरी टन तथा अगस्त और सितम्बर, 1985 के प्रत्येक महीने में 15,000 मीटरी टन की वृद्धि की गई थी। उसके अतिरिक्त जुलाई, 1985 में 25,000 मीटरी टन चावल का एक समय का विशेष आवंटन भी किया गया था।

केन्द्रीय पूल से आवंटन खुले बाजार में उपलब्धता के केवल अनुपूरक होते हैं।

विवरण

1982 से 1984 के वर्षों के दौरान चावल, गेहूं तथा चीनी की मांग, आवंटन और उठान

(आंकड़े लाख मीटरी टनों में)

मद		1982	1983	1984
चावल	मांग	16.20	16.30	16.20
	आवंटन	12.05	13.05	13.60
	उठान	11.67	12.94	13.23
गेहूं	मांग	2.40	2.70	3.47
	आवंटन	1.37	4.13	5.28
	उठान	1.13	2.45	2.07
चीनी	मांग	*	*	*
	आवंटन (**)	1.30	1.33	1.36
	उठान	***	***	***

दालें : कोई नियमित मांग अथवा केन्द्रीय सरकार की ओर से कोई नियमित आवंटन नहीं होता है ।

*लेवी चीनी का मासिक आवंटन राज्य सरकार की आवश्यकता अथवा उनसे प्राप्त मांग के आधार पर नहीं किये जाते हैं अपितु सभी राज्य सरकारों को आवंटित करने के लिए लेवी चीनी की कुल उपलब्धता से कुछेक एक-समान मान-दण्डों के आधार पर किए जाते हैं । 1.10.1983 से लेवी चीनी का आवटन 1.10.1983 को प्रायोजित जनसंख्या के लिए 425 ग्राम प्रति व्यक्ति की उपलब्धता के आधार पर किया जा रहा है ।

**सीमा सुरक्षा बल/केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल को आवंटित की गई थोड़ी-सी मात्रा इसमें शामिल नहीं है ।

***राज्य सरकार आवंटित की गई लेवी चीनी को फैक्ट्रियों से उठाने की व्यवस्था स्वयं कर रही है ।

स्थायी पट्टों पर दुकानों का आवंटन

3882. **श्री वी० एस० विजयराघवन : क्या निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली में सरकारी मार्किटों की दुकानों को वर्तमान लाइसेंस-धारियों को स्थायी पट्टे पर देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

लेवी चीनी का खरीद मूल्य

3883. **श्री एम० अरुणाचलम : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लेवी चीनी का खरीद मूल्य चीनी की उत्पादन लागत की तुलना में कम है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान मिलों को कितनी हानि हुई है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख). लेवी चीनी के निकासी मूल्य का आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के खण्ड 3 (3 सी०) के सांविधिक उपबन्धों के अधीन हिसाब लगाया जाता है । अतः लेवी मूल्य निर्धारित करते समय केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किए गए गन्ने के मूल्य के सांविधिक न्यूनतम स्तर के आधार पर उत्पादन लागत को भी ध्यान में रखा जाता है ।

सरकार द्वारा दिसम्बर, 1979 से दोहरी मूल्य निर्धारण नीति के साथ आंशिक नियंत्रण प्रणाली के रूप में जिस नीति का अनुसरण किया जा रहा है, उसमें यह परिकल्पना की गई है कि यदि फैक्ट्रियों को लेवी मूल्य निर्धारित करते समय कोई हानि होती है तो उस दशा में जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है, उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे ऊँची उत्पादन लागत के कारण हुई हानि को, यदि

कोई हो, खुले बाजार में मुक्त बिक्री की चीनी के 35 प्रतिशत की वसूलियों से पूरा करें। खुले बाजार में मूल्य आपूर्ति और मांग की बाजार शक्तियों द्वारा शासित होते हैं।

गन्ने के उत्पादन के लिए लाभप्रद मूल्य

3884. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984 के दौरान गन्ने की खेती के अन्तर्गत कुल कितनी भूमि थी;

(ख) वर्ष 1985 के दौरान कितनी भूमि में गन्ने की खेती किये जाने का अनुमान है;

(ग) क्या गन्ना उत्पादकों से कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि उन्हें लाभप्रद मूल्य नहीं मिल रहा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार गन्ने का मूल्य और उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) 1984 के दौरान करीब 30 लाख हैक्टार क्षेत्र में गन्ना लगाये जाने का अनुमान है।

(ख) फसल वर्ष 1985 के सम्बन्ध में इसके तहत लाए गए क्षेत्र के अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्यों में गन्ना उत्पादकों का लाभ भी शामिल है। गन्ने का उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित नीति अपनाई जा रही है :—

(1) गन्ने की अच्छी बीज-गाँठों का उत्पादन तथा वितरण;

(2) सिंचाई के तहत क्षेत्र बढ़ाया जाना;

(3) उर्वरकों का अधिक मात्रा में उपयोग;

(4) रैतून फसल का कुशल प्रबन्ध;

(5) गहन पौध रक्षण के उपायों को अपनाना;

(6) प्रौद्योगिकी का अन्तरण; तथा

(7) कार्मिकों को प्रशिक्षण।

विदेशी पोतों को चार्टर परमिट

3885. **श्री दौलत सिंहजी जडेजा** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री विदेशी वस्त्य पोतों के उपयोग के लिए लाइसेंस के बारे में 15 अप्रैल, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3072 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 16 अप्रैल, 1985 से अब तक कोई चार्टर परमिट अथवा आशयपत्र दिए गए हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) इस प्रकार की कंपनियों के निदेशकों का ब्यौरा क्या है;

(ग) भारतीय सीमा क्षेत्र में चार्टर नौकाओं की कुल संख्या कितनी है;

(घ) इनके द्वारा किन-किन बन्दरगाहों का उपयोग किया जा रहा है;

(ङ) क्या विदेशी चार्टर नौकाओं के ईंधन की आवश्यकता भारत द्वारा पूरी की जा रही है; और

(च) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चंदूलाल चंद्राकर) : (क) और (ख). 16 अप्रैल, 1985 से किसी भी कम्पनी को कोई आशयपत्र जारी नहीं किया गया है। तथापि, संलग्न विवरण में दिए गए ब्यौरे के अनुसार चार कम्पनियों को पहले दिए आशयपत्रों के आधार पर चार्टर परमिट जारी किए गए हैं।

(ग) इस समय, भारतीय जल क्षेत्र में सिर्फ छह चार्टर पोत कार्य कर रहे हैं।

(घ) प्रश्न के भाग (क) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित पोतों का आवंटित कार्यक्षेत्र मद्रास है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

क्रम सं०	कम्पनी का नाम	पोतों की संख्या, जिनके लिए परमिट जारी किए गए हैं।	निदेशक मण्डल
1	2	3	4
1.	मैसर्स लियो सी पूड्स प्रा० लि०, नई दिल्ली	2	श्री शमशेर सिंह (एम० डी०) श्री जे० एस० भण्डारी, तकनीकी निदेशक श्री आर० एस० जरी, प्रचालन निदेशक
2.	मैसर्स यंग फिशरीज प्रा० लि०, नई दिल्ली	1	श्री एस० प्रसाद रेड्डी (एम० डी०) श्री टी० विश्वनाथ श्री चरणजीत सिंह
3.	मैसर्स स्टार मैरीन फूड्स प्रा० लि०, विशाखापतनम	2	श्री के० वी० रेड्डी (एम० डी०) श्री वी० वसन्त कुमार (कार्यकारी निदेशक) श्री टी० रघुराथ रेड्डी (तकनीकी निदेशक)

1	2	3	4
4.	मैसर्स वाली कोल्ड स्टोरेज प्रा० लि०, मद्रास	1	डा० सी० बाली (अध्यक्ष व एम० डी०) श्रीमती वैजयन्ती माला वाली (निदेशक) श्री सुधीर वाली (तकनीकी निदेशक)

[हिन्दी]

भोजपुरी बोली के कार्यक्रमों का टेलीकास्ट और प्रसारण

3886. **श्री जितेन्द्र सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजधानी में भोजपुरी बोलने वाले व्यक्तियों, जिनकी संख्या 20 लाख से कम नहीं है, के मनोरंजन और ज्ञानवर्धन के लिए आकाशवाणी और दिल्ली दूरदर्शन से भोजपुरी बोली और भाषा में क्रमशः कुल कितनी फीचर फिल्मों, नाटकों, कवि सम्मेलनों और अन्य कार्यक्रमों का प्रसारण और टेलीकास्ट किया जाता है; और

(ख) उक्त माध्यमों से इस भाषा में अब तक प्रसारित टेलीकास्ट किए गए कार्यक्रमों का अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित टेलीकास्ट किए गए कार्यक्रमों की तुलना में क्या अनुपात है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख). आकाशवाणी, दिल्ली और दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली की मुख्य भाषा हिन्दी है। दिल्ली की जनसंख्या में से 75 प्रतिशत हिन्दी, 14 प्रतिशत पंजाबी और लगभग 5 प्रतिशत उर्दू बोलते हैं। संविधान में उल्लिखित अन्य भाषाएँ और क्षेत्रीय बोलियाँ बोलने वाले लोगों की प्रतिशतता एक एक प्रतिशत से भी कम होगी। इसलिए भोजपुरी बोली के कार्यक्रमों का स्टेशन/केन्द्र की मुख्य भाषा की तुलना में कोई निश्चित अनुपात नहीं हो सकता।

आकाशवाणी, दिल्ली एकान्तर सोमवार को 20 मिनट की अवधि के लिए भोजपुरी लोक गीत प्रसारित करता है। दूरदर्शन ने गत एक वर्ष के दौरान भोजपुरी में 6 कार्यक्रम टेलीकास्ट किए हैं जिनमें एक फीचर फिल्म, "चित्रकला" कार्यक्रम में 3 गीत, और दो भोजपुरी लोक गीत शामिल हैं।

[अनुवाद]

श्रीनगर दूरदर्शन केन्द्र से राष्ट्रीय कार्यक्रम का प्रसारण

3887. **प्रो० सैफुद्दीन सोज** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्री नगर दूरदर्शन केन्द्र से राष्ट्रीय कार्यक्रम के प्रसारण हेतु कितना समय दिया जाता है;

(ख) स्थानीय कार्यक्रमों के लिए कितने समय का उपयोग किया जाता है; और

(ग) क्या जनता की माँग को देखते हुए स्थानीय कार्यक्रमों के लिए दिया जाने वाला समय पर्याप्त है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) राष्ट्रीय

कार्यक्रम के टेलीकास्ट में प्रयुक्त समय प्रति दिन औसतन 2 घंटे 35 मिनट है। इसमें विशेष रविवारीय प्रातःकालीन और दोपहर के प्रेषण शामिल नहीं हैं।

(ख) दूरदर्शन केन्द्र, श्रीनगर द्वारा स्थानीय कार्यक्रमों को टेलीकास्ट करने के लिए प्रयुक्त समय प्रतिदिन असौतन 3 घण्टे 10 मिनट हैं। इसमें स्कूल के दिनों में टेलीकास्ट किए जाने वाले 20 मिनट की अवधि के शैक्षणिक कार्यक्रम शामिल नहीं हैं।

(ग) इस प्रकार की कोई विशिष्ट मांग प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, संसाधनों पर दबाव और सीमित कार्यक्रम निर्माण सुविधाओं को देखते हुए, श्रीनगर सहित दूरदर्शन केन्द्रों का कुल प्रेषण समय बढ़ाना इस समय सम्भव नहीं है।

परिवर्ती खेती के लिए मार्गदर्शी परियोजना

3888. **श्री राधाकान्त डिगाल** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों में परिवर्ती खेती पर नियन्त्रण रखने के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में कुछ मार्गदर्शी परियोजनाएं कार्यान्वित की गई थीं;

(ख) क्या उक्त मार्गदर्शी परियोजनाओं को बाद में राज्य क्षेत्र में अन्तरित कर दिया गया था;

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि सम्बद्ध राज्यों के पास साधनों की कमी के कारण उक्त परियोजनाएं ठीक प्रकार से कार्यान्वित नहीं हो पाई हैं; और

(घ) यदि हां, तो उक्त परियोजनाओं का ठीक प्रकार से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र का क्या कदम उठाने का विचार है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) से (ग). जी, हां।

(घ) भारत में भूम खेती सम्बन्धी कृतक बल तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के आर्थिक विकास के मन्त्रियों की समिति और राष्ट्रीय भूम खेती बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार सभी समस्याग्रस्त राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में 25000 भूमिया परिवारों को बसाने के लिए 7 वीं योजना के लिए 75 करोड़ रुपए के परिव्यय से भूम खेती पर नियन्त्रण करने के लिए एक केन्द्र क्षेत्र कार्यक्रम तैयार किया है। इस पर योजना आयोग और वित्त मन्त्रालय के अनुमोदन की प्रतीक्षा है। लाभानुभोगी उन्मुखी कार्यक्रमों के माध्यम से इस पद्धति से भूम कृषकों को अलग करके वैकल्पिक व्यवसाय और आर्थिक उत्थान सुलभ कराना इसकी व्यापक नीति है। इस प्रस्तावित केन्द्रीय क्षेत्र के कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु स्वीकृति मिलने पर, इसे 1985-86 से शुरू किया जाएगा और सम्बन्धित राज्यों और संघशासित क्षेत्रों द्वारा इसे क्रियान्वित किया जाएगा।

[हिन्दी]

हिमाचल प्रदेश में आटा मिलें लगाने के लिए आवेदन

3889. **श्री के० डी० सुलतानपुरी** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में आटा मिलें लगाने के लिए कितने लोगों ने आवेदन किया है;

(ख) उस पर क्या कार्यवाई की गई है; और

(ग) देश में कितने राज्यों ने पिछले दो वर्ष के दौरान आटा मिलें लगाने के लिए अनुमति मांगी है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ग). हिमाचल प्रदेश सहित देश के लगभग सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से रोलर फ्लोर मिलें स्थापित करने के लिए उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम के अधीन औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने के लिए अथवा व्हीट रोलर फ्लोर मिल्स (लाइसेंसिंग और नियन्त्रण) आदेश 1957 के अधीन अनुमति प्रदान करने/मिलिंग लाइसेंस देने के लिए कई एक आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं।

(ख) चूंकि सरकार ने मई, 1980 में एक सामान्य नीति के रूप में देश में रोलर फ्लोर मिलें स्थापित करने के लिए नयी मंजूरियां न देने का फैसला किया था, इसलिए रोलर फ्लोर मिलें स्थापित करने के लिए हिमाचल प्रदेश से प्राप्त हुए सभी आवेदन पत्रों को अस्वीकार कर दिया गया था।

[अनुवाद]

शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम के ठेकेदारों और अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें

3890. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जिला शाहजहांपुर, उत्तर-प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम के ठेकेदारों के विरुद्ध अनियमितताओं और कदाचारों की शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय खाद्य निगम के दोषी ठेकेदारों और अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जिला स्तर पर की गई प्रारम्भिक जांच से विदित होता है कि ठेकेदार के साथ पक्षपात करने सहित विभिन्न अनियमितताओं में सहायक प्रबन्धक (डिगरे) का हाथ था। इस सम्बन्ध में आगे उपयुक्त कार्रवाई की जा रही है।

दूरदर्शन पर "भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम" कथानक-शृंखला का दिखाया जाना

3891. **श्री के० कुन्जम्बु** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दूरदर्शन पर दिखाई जाने वाली "भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम" नामक कथानक-शृंखला बन्द कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या स्वतन्त्रता संग्राम की विभिन्न महत्वपूर्ण घटनाएं जिन्हें अभी तक दूरदर्शन पर नहीं दिखाया गया है; नियमित रूप से दिखाई जायेंगी ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

सरकारी मकानों को आगे किराए पर देना

3892. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही :**

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

श्री एच० जी० रामुलु :

क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि सरकारी कर्मचारियों को आवंटित किए गये बहुत से क्वार्टर वे आगे किराये पर दे दिये जाते हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस सम्बन्ध में दिल्ली में विशेषतया सेवा नगर एण्ड्रयूजगंज और सादिक नगर में कोई सर्वेक्षण किया गया है और यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम निकला है;

(ग) क्या इस गलत प्रथा को रोकने के लिए कोई कदम उठाए गये हैं;

(घ) क्या इस प्रकार की गलती करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है;

(ङ) किस प्रकार की कार्यवाही की गई है; और

(च) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) कुछ मामले सरकार के ध्यान में आये हैं जिनमें सरकारी कर्मचारी को आवंटित सरकारी क्वार्टरों को उन्होंने किराए पर दिया है।

(ख) और (ग). इन क्षेत्रों में कोई विशिष्ट सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तथापि, उप-किराएदारी के शंकित मामलों का पता लगाने के विभिन्न कालोनियों में अचानक निरीक्षण गहन रूप से किये जा रहे हैं। उप-किराएदारी की विशिष्ट शिकायतों पर भी कार्यवाही की जाती है।

(घ) और (ङ). जिन मामलों में उप-किराएदारी प्रमाणित हो जाती है उनमें क्वार्टर का आबंटन तुरन्त रद्द कर दिया जाता तथा लोक परिसर (अनधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत बेदखली की कार्यवाही आरम्भ की जाती है। सरकारी कर्मचारी को आगामी तीन वर्षों के लिए भावी आबंटन से वंचित करना, समय से अधिक रहने की अवधि के लिए किराए में वृद्धि, वास की सहभागिता से वांछित करना इत्यादि जैसे दण्ड दिये जाते हैं।

(च) उप किराएदारी के कुल 654 मामलों का पता लगा है। उपकिराएदारी के 310 मामले सत्य पाए गये तथा नियमानुसार दण्डित किये गये। शेष मामले प्रक्रियाधीन हैं।

केरल के लिए जारी की गयी लेवी चीनी की मात्रा

3893. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में गत छः महीने के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए लेवी कोटे से चीनी की कितनी मात्रा जारी की गई है;

(ख) राज्य सरकार की माँग के अनुसार मासिक माँग क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकार कोटा बढ़ाने की मांग कर रही है; और

(घ) क्या उनकी मांग स्वीकार कर ली गयी है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख). लेवी चीनी के राज्यवार मासिक कोटे राज्य सरकार की आवश्यकता अथवा मांग पर आधारित नहीं होते हैं। ये कोटे सभी राज्य सरकारों को आबंटित करने के लिए लेवी चीनी की कुल उपलब्धता में से कुछेक एक समान मानदण्डों के आधार पर आबंटित किए जाते हैं। केरल सरकार को पिछले छः महीनों के दौरान 11225 मीटरी टन लेवी चीनी का मासिक कोटा आबंटित किया गया था। तथापि, जून, और अगस्त, 1985 के महीनों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण करने के लिए त्यौहारों के लिए अतिरिक्त कोटे के रूप में 1794 मीटरी टन की अतिरिक्त मात्रा भी आबंटित की गई थी।

(ग) और (घ). राज्य सरकार से पिछले छः महीनों के दौरान मासिक कोटे में वृद्धि करने के बारे में कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

उड़ीसा के लिए "आऊटडोर टेलिकास्ट वेन"

3894. **श्री अनाधिचरण दास** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में वर्तमान दूरदर्शन केन्द्रों की क्षमता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाने का विचार है;

(ख) उड़ीसा को कितनी अतिरिक्त "आउटडोर टेलिकास्ट वेन" (सीधे प्रसारण के लिए) देने का विचार है; और

(ग) राज्य में खेल और शिक्षा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय खेलों के सीधे प्रसारण हेतु की गयी कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख). भुवनेश्वर में पूर्ण रूपेण स्टूडियो सुविधाओं और एक रंगीन ओ० बी० वैन की व्यवस्था के साथ दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, भवानीपटना में अल्प शक्ति वाला एक दूरदर्शन ट्रांसमीटर की स्थापना कार्यान्वयनाधीन है।

(ग) उड़ीसा में क्षेत्रीय खेलों का टेलीकास्ट करना तब संभव होगा जब लिंकेज की उपग्रह प्रणाली राज्य में उपलब्ध हो जायेगी। इस प्रकार की स्कीम का कार्यान्वयन भविष्य में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

संसदीय कार्य के लिए अलग छापाखाना

3895. **श्री जगदीश अवस्थी** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसदीय कार्य के लिए अलग छापाखाने स्थापित करने की योजना जिसे सरकार की व्यय वित्त समिति ने अनुमोदित किया था, कार्यान्वित हो गयी है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, नहीं।

(ख) लोक सभा सचिवालय की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, परियोजना का पुनरीक्षण किया जाना अपेक्षित था। अब इसे प्राथमिकता के आधार पर लिया जा रहा है और इसे तीन वर्षों के भीतर कार्यान्वित किए जाने की आशा है।

[हिन्दी]

बिहार में खरीफ फसल के बीमें के लिए आबंटित धनराशि

3896. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार राज्य में खरीफ फसल के बीमे के लिए आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार भी इस कार्य के लिए कुछ धनराशि आबंटित करेगी; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्र द्वारा कितनी धनराशि आबंटित की जाएगी ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चंद्राकर) : (क) नई विस्तृत फसल बीमा योजना के तहत निधियों का राज्यवार आबंटन किया गया है।

(ख) नई फसल बीमा योजना के अनुसार, राज्य सरकारों द्वारा राज्य फसल बीमा निधियां स्थापित की जानी हैं। इस निधि का 50 प्रतिशत केन्द्रीय सरकार द्वारा दिया जाता है। इसके अतिरिक्त इस योजना में छोटे और सीमांत किसानों द्वारा देय बीमा सेवा शुल्क (प्रीमियम) पर 50 प्रतिशत तक ही राजसहायता देने की परिकल्पना भी की गयी है। इस राजसहायता का 50 प्रतिशत भी केन्द्र सरकार के शेयर में आता है। फसल कटाई प्रयोगों को बढ़ाने हेतु कार्यतन्त्र को मजबूत बनाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा समान आधार पर निधियों में अंशदान करने की परिकल्पना भी इस योजना में की गयी है।

(ग) विभिन्न राज्यों को आबंटन की धनराशि का निर्णय नहीं लिया गया है क्योंकि इस सम्बन्ध में योजना को कार्यान्वित कर रहीं विभिन्न राज्य सरकारों से औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए है।

[अनुवाद]

आन्ध्र प्रदेश में आधारभूत आवश्यकताओं सम्बन्धी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए चुने गये शहर

3897. **श्री जी० मूपति** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र द्वारा "शहरी आधारभूत सेवा योजना" (अर्बन बेसिक सर्विस स्कीम) कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए आन्ध्र प्रदेश के कितने शहरों को चुना गया है; और

(ख) इस योजना के अन्तर्गत सरकार का विचार इन शहरों में क्या विकास कार्य करने का है ?

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) शहरी आधारभूत सेवा योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार ने यूनिसेफ सहायता प्राप्त योजना को अमल में लाने के लिए आन्ध्र प्रदेश के महबूब नगर जिले में 4 शहरों को चुना है।

(ख) इस योजना के तहत प्रस्तावित विकास गतिविधियां इस प्रकार हैं :—

(i) शिशु संरक्षण और स्वास्थ्य सेवाएं, पानी तथा स्वच्छता सुविधा और महिलाओं एवं शहरी निर्धनों के लिए आय कमाने के अवसर देना;

(ii) मलिन बस्ती क्षेत्रों में निर्धन लोगों को स्वास्थ्य तथा सामुदायिक शिक्षण सेवायें बढ़ाना;

(iii) सामाजिक विकास में ग्रामीण तथा शहरी असन्तुलनों को कम करना;

(iv) अल्पाय परिवारों में बच्चों एवं महिलाओं का उत्तरजीवन बढ़ाना एवं उनका विकास करना।

महाराष्ट्र में परशुराम सहकारी शक्कर खाना, चिपलन के लिए आशय पत्र जारी करना

3898. **श्री हुसेन दलवाई** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में एक नये चीनी कारखाने की स्थापना के लिए परशुराम सहकारी शक्करखाना चिपलन के लिए आशय पत्र मंजूर करने के लिए एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) क्या महाराष्ट्र में चालीसगांव में एक सहकारी चीनी कारखाने की स्थापना के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की ओर से कोई आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ है, यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेंद्र सिंह) : (क) जी हाँ। परशुराम सहकारी शक्कर कारखाने द्वारा चिपलुन में नयी चीनी फैक्ट्री स्थापित करने के लिए आशय पत्र प्रदान करने हेतु प्राप्त आवेदन पत्र सरकार के विचाराधीन है।

(ख) जी, नहीं।

उड़ीसा में परती भूमि को कृषि योग्य बनाना

3899. **श्री के० प्रधानी** : क्या **कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में नए 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1982-83 से 1984-85 तक कितनी परती भूमि को कृषि योग्य बनाया गया है; और

(ख) इस राज्य के लिए वर्ष 1985-86 के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) और (ख). उत्पादकता वर्ष 1982-83 के दौरान 8 राज्यों, नामशः आन्ध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, और तमिलनाडु में परती भूमि (चालू परती भूमि को छोड़कर) के सुधार के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम को 1983-84 और 1984-85 के दौरान उड़ीसा सहित पांच और राज्यों तक बढ़ाया गया था।

राज्य सरकार से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार 1983-84 और 1984-85 के दौरान उड़ीसा राज्य में कुल 15,709 हैक्टार भूमि का सुधार किया गया, जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार है :

	क्षेत्र (हैक्टार)		
वर्ष	कृषि के लिए भूमि सुधार	उपयोगी वृक्षों और वन-प्रजातियो के वृक्ष लगाने के लिए	कुल
1983-84	520	8,313	8,833
1984-85	400	6,476	6,876
	920	14,789	15,709

यह कार्यक्रम 1985-86 में जारी नहीं रखा गया। तथापि, लगभग 20 लाख हैक्टर भूमि का सर्वेक्षण करने और 5 लाख हैक्टार भूमि का सुधार करने के लिए "चालू परती भूमि को छोड़कर, कृषि योग्य परती तथा बंजर भूमि का सर्वेक्षण प्रवर्गीकरण और सुधार" नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यों, इनमें उड़ीसा भी शामिल है, में कार्यान्वित करने हेतु योजना आयोग को प्रस्तावित की गई है। इस प्रस्ताव पर अभी अंतिम निर्णय होना है।

सहकारी तेल मिलों की स्थापना

3900. **श्री के० प्रधानी** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में सहकारी तेल मिलों की संख्या बढ़ाने के लिए कदम उठाये हैं;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों में कितनी सहकारी मिलें स्थापित की गई हैं;

(ग) उड़ीसा में अब तक ऐसी कितनी सहकारी तेल मिलें स्थापित की गई हैं; और

(घ) ये सहकारी तेल मिलें कहां-कहां स्थापित की गई हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) जी, हाँ।

(ख) से (घ). विभिन्न राज्यों में 43 सहकारी तेल मिलें हैं। निम्नलिखित दो पार्टियों को उड़ीसा में तेल मिलें स्थापित करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए हैं :

(i) मैसर्स उड़ीसा स्टेट को-आपरेटिव मार्केटिंग फैडरेशन भुवनेश्वर, (जिला सम्भलपुर)

(ii) मैसर्स उड़ीसा स्टेट को-आपरेटिव आयलसीड्स ग्रोअर्स फैडरेशन लि० भुवनेश्वर को सरसों तथा मूंगफली के लिए (तहसील : खुर्दा, जिला पुरी)।

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा की गई अनियमितताएं

3901. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मन्त्रालय को राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा की गई वित्तीय तथा प्रशासकीय अनियमितताओं का पता लगा है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) उचित ढंग से हिसाब किताब रखने और राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम की निर्यात आय के प्रत्यावर्तन, जिसमे जिन गैर सरकारी व्यक्तियों को वीडियो अधिकार बेचे गए हैं उनके माध्यम से वीडियो फिल्मों से बिक्री आय भी शामिल है, पर क्या निगरानी रखी जा रही है;

(घ) इन गैर सरकारी व्यक्तियों या एजेंसियों को किस दर से कमीशन दिया जाता है; और

(ङ) वीडियो फिल्मों की बिक्री से भारत को अब तक कितनी धनराशि प्राप्त हुई है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, हाँ।

(ख) क्योंकि मामले की जाँच हो रही है, इसलिए ब्यौरा देना सम्भव नहीं पाया गया है।

(ग) से (ङ). सूचना एकत्र की जा रही है और उसको यथा समय सदन की मेज पर रख दिया जाएगा।

पश्चिम बंगाल को चीनी का आबंटन

3902. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल को इस समय कितनी मात्रा में लेवी की चीनी आबंटित की जाती है और आगामी तिमाही के दौरान कितनी मात्रा में आबंटित किए जाने का विचार है;

(ख) क्या पूजा के आगामी मौसम को ध्यान में रखते हुए सरकार इस कोटे में वृद्धि करने के औचित्य पर विचार करेगी, यदि हाँ, तो कितनी वृद्धि करने पर; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) से (ग). पश्चिम बंगाल सरकार को इस समय 24,435 मीटरी टन लेवी चीनी का मासिक कोटा आबंटित किया जा रहा है। अगस्त, 1985 के चालू मास के लिए राज्य सरकार को त्यौहारों के प्रयोजन के लिए 3,906 मीटरी टन लेवी चीनी की अतिरिक्त मात्रा भी आबंटित की गई है।

जबकि लेवी चीनी के सामान्य मासिक कोटे के आगामी महीनों/अगली तिमाही में मौजूदा स्तर पर बने रहने की आशा है, त्यौहारों के प्रयोजनों के लिए अतिरिक्त लेवी चीनी की निर्मुक्ति करने के सम्बन्ध में कुल उपलब्धता स्थिति और साथ ही विभिन्न राज्य सरकारों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाएगा।

खनन श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन

3903. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **श्रम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अभी हाल ही में अनुसूचित रोजगारों के लिए निर्धारित कुशल श्रमिकों और खेतिहर मजदूरों के न्यूनतम वेतन में संशोधन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने खनन श्रमिकों के न्यूनतम वेतन पर भी विचार किया है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और नए वेतन कब से लागू होंगे ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री टी० अन्जैया) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग). 29 खनन रोजगारों में न्यूनतम मजदूरी दरों में 12 फरवरी, 1985 से संशोधन किया था। एक विवरण संलग्न है जिसमें न्यूनतम मजदूरी की संशोधित दरें दी गयी हैं।

विवरण

विभिन्न अनुसूचित नियोजनों में 12-2-1985 को यथा संशोधित न्यूनतम मजदूरी की दरें

क्रमांक	नियोजन का नाम	संशोधन की तारीख	प्रतिदिन के लिए मजदूरी दरें			
			अकुशल (सबसे कम मजदूरी पाने वाले श्रमिक) रुपए	अर्ध-कुशल रुपए	कुशल लिपिकीय रुपए	सबसे अधिक कुशल रुपए
1	2	3	4	5	6	7
1.	जिप्सम खानों में नियोजन	12-2-85	11.00	13.75	17.00	17.00
		(भूमि के ऊपर कार्य के लिए)				
			13.25	16.50	20.25	
		(भूमि के नीचे कार्य के लिए)				
2.	वेराइटिस खानों में नियोजन	12-2-85	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
3.	वाक्साइट खानों में नियोजन	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
4.	मैंगजीन खानों में नियोजन	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
5.	चीनी मिट्टी खानों में नियोजन	12-2-85	11.00	13.75	17.00	17.00
		(भूमि के ऊपर कार्य के लिए)				
			13.25	16.50	20.25	
		(भूमि के नीचे कार्य के लिए)				
6.	कायनाइट खानों में नियोजन	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
7.	ताँबा खानों में नियोजन	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
8.	मृतिका खानों में नियोजन	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
9.	पत्थर खानों में नियोजन	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
10.	सफेद मिट्टी खानों में नियोजन	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
11.	अग्निसह मिट्टी खानों में नियोजन	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्य	यथोक्त
12.	गेहूँ खानों में नियोजन	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त

1	2	3	4	5	6	7
13.	सेलखड़ी खानों (जिनके अन्तर्गत साबुन प्रस्तर और टेल्कों उत्पादक खाने भी हैं) में नियोजन	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
14.	ऐस्बेस्टोस खानों में नियोजन	12-2-85	11.00	13.75	17.00	17.00
			(भूमि के ऊपर कार्य के लिए)			
			13.25	16.50	20.25	
			(भूमि के नीचे कार्य के लिए)			
15.	क्रोमोइट खानों में नियोजन	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
16.	क्वार्टजाइट खानों में नियोजन	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
17.	क्वार्टज खानों में नियोजन	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
18.	सिलिका खानों में नियोजन	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
19.	अभ्रक खानों में नियोजन	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
20.	मैंग्नेसाइट खानों में नियोजन	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
21.	ग्रेफाइट खानों में नियोजन	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
22.	पेनस्पार खानों में नियोजन	12-2-85	11.00	13·75	17.00	17.00
			(भूमि के ऊपर कार्य के लिए)			
			13.25	16.50	20.25	
			(भूमि के नीचे कार्य के लिए)			
23.	रेड आक्साइड खानों में नियोजन	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
24.	लेटराइट खानों में नियोजन	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
25.	डोलोमाइट खानों में नियोजन	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
26.	लौह अयस्क खानों में नियोजन	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
27.	ग्रेनाइट खानों में नियोजन	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
28.	वोलफ्रोम खानों में नियोजन	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
29.	मैंगनेटाइट खानों में नियोजन	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त

तालाबन्दी, बंदी और गैर अधिसूचित करने और छंटनी करने के बारे में राष्ट्रीय अभियान समिति द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन

3904. **श्री आनन्द पाठक** : क्या **श्रम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने बन्दी, तालाबन्दी, छंटनी और गैर अधिसूचित करने के बारे में 8 केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों की राष्ट्रीय अभियान समिति द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन के बारे में क्या कदम उठाए हैं ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री टी० अन्जैया) : श्रम मन्त्री को 15 मई, 1985 को दिए गए ज्ञापन में, ट्रेड यूनियनों की राष्ट्रीय प्रचार समिति ने तालाबन्दियों और कामबन्दियों को बढ़ती हुई घटनाओं की ओर ध्यान आकर्षित किया और उन उद्योगों को गैर-अधिसूचित करने का विरोध किया जिनसे श्रमिकों को रोजगार में हानि होती है। तालाबन्दियों और कामबन्दियों को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के संगत उपबन्धों द्वारा विनियमित किया जाता है। उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय द्वारा निर्धारित वर्तमान नीति निर्देशों के अनुसार, किसी औद्योगिक यूनिट को गैर-अधिसूचित करने के बारे में जब कभी निर्णय लिया जाता है, तो यह इस निष्कर्ष पर आधारित होता है कि उस अवधि के दौरान, जिसमें यूनिट का अधिग्रहण करने के पश्चात संचालन किया गया है, परिचालन परिणामों द्वारा बताए अनुसार, इसे पुन: शुरू करना सम्भव नहीं है।

असन्तोषजनक पशु प्रजनन अनुसन्धान परियोजना

3905. **श्री आनन्द पाठक** : क्या **कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी योजना के दौरान पशु प्रजनन अनुसन्धान परियोजना के अधीन भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद द्वारा केन्द्र-वार घनराशि देने के बावजूद संकर जाति के पशुओं और उनकी मादा संतति की संख्या में तीव्र गिरावट आई है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार ने क्या सुधारात्मक उपाय किए हैं; और

(ख) क्या अनुसन्धान फार्मों में पशुओं के प्रजनन, दूध के उत्पादन, और संकर जाति की मादाओं की जीवित रहने की क्षमता में तेजी से गिरावट आई है; यदि हां तो छठी योजना के दौरान उनका केन्द्र-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) जी नहीं, श्रीमान। अखिल भारतीय समन्वित गोपशु, अनुसन्धान प्रायोजना के अन्तर्गत प्रायोजना के विभिन्न एककों में होलस्टीन फ्रीसियन, ब्राउन स्वीस और जर्सी विदेशी नस्लों का हरियाना, गिर और अंगोल जैसी भारतीय नस्लों के साथ संकरण द्वारा संकर नस्लों और दूसरी पीढ़ि के कुछ संकर नस्ल के गोपशुओं को तैयार करने की बात सोची गई है। अवस्थापन संबंधी सुविधाओं, स्थान, आहार और संसाधनों की सीमित रूप में उपलब्धि को देखते हुए कार्य नीति के रूप में वर्कशाप में यह फैसला किया गया कि जैसे ही वर्ण-संकर नस्ल की गायें अपेक्षित संख्या में उपलब्ध हो जाएगी मूल पशुओं (गायों) की छटाई कर दी जाएगी। इसी तरह से जैसे ही दूसरी पीढ़ी के संकर नस्ल की गायें अपेक्षित संख्या में उपलब्ध हो जाएगी वर्ण-संकर गायों की छटाई कर दी जाएगी। वर्ण-संकर पशुओं की उत्पादन क्षमता का रिकार्ड तैयार कर लिया गया है।

(ख) जी नहीं, श्रीमान।

दिल्ली की एस० डी० शिक्षा संस्था के लिए भूमि का आबंटन

3906. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने 1966 के आसपास भूमि तथा विकास कार्यालय के माध्यम से दिल्ली की एस० डी० शिक्षा संस्था को सरकार द्वारा सहायता प्राप्त जे० वी० एस० डी० गर्ल्स सीनियर सेकेन्ड्री स्कूल चलाने के लिए डी-II, झण्डेवालान एक्सटेन्शन, करोलबाग, नई दिल्ली में एक प्लाट दिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या संस्था को भूमि का पूरा कब्जा दे दिया गया है, यदि हाँ, तो उसका तारीख क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो एस० डी० शिक्षा संस्था को भूमि का पूरा कब्जा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) कब तक वे ऐसा करने में सफल हो जायेंगे तथा विलम्ब के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) से (घ). 1.4 एकड़ आकार का एक भूखण्ड एस० डी० एजूकेशन सोसायटी को आबंटित किया गया था तथा सिवाय भूमि के एक पाकेट को छोड़कर जहाँ पर 3 अनधिवासियों ने दिल्ली विकास प्राधिकरण और भूमि तथा विकास कार्यालय के विरुद्ध न्यायालय ने स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया था 3-6-66 को जमीन पर कब्जा सौंप दिया था। गाडगिल आश्रमन के अन्तर्गत उन्हें वैकल्पिक आवास देने के लिए इन व्यक्तियों के मामले दिल्ली विकास प्राधिकरण के विचाराधीन हैं।

हिमाचल प्रदेश के लिए दूरदर्शन केन्द्र जलंधर से कार्यक्रम का प्रसारण

3907. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन केन्द्र जलन्धर द्वारा सायं के समय हिमाचल प्रदेश के लिए प्रसारित किया जाने वाला कार्यक्रम, जिसमें पहाड़ी भाषा के कार्यक्रम भी शामिल हैं, को अच्छी तरह नहीं देखा जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो हिमाचल प्रदेश के लिए और विशेषकर पहाड़ी भाषा के कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है और दूरदर्शन केन्द्र ने इसके लिए कितना समय निर्धारित किया है;

(ग) क्या प्रसारण समय को 8 से 10 बजे सायं के बीच निर्धारित किया जाएगा और दोनों श्रेणियों के प्रसारण समय में वृद्धि की जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो इस कार्य के किस तारीख तक किए जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) दूरदर्शन केन्द्र, जलंधर द्वारा अपने दोपहर के प्रेषण में हिमाचल प्रदेश के लिए पहाड़ी भाषा में कोई कार्यक्रम टेलीकास्ट नहीं किया जाता है।

(ख) दूरदर्शन केन्द्र, जलंधर द्वारा पहाड़ी भाषा में कार्यक्रमों को अपने रविवारीय प्रातः कालीन प्रेषण में प्रातः 8.45 बजे से प्रातः 9.30 बजे तक 45 मिनट की अवधि के लिए टेलीकास्ट किया जाता है।

(ग) और (घ). इस प्रकार का कोई प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है।

राष्ट्रीय अण्डा विकास बोर्ड

3908. **श्री एम० रघुमा रेड्डी** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एक अण्डा विकास बोर्ड बनाने का है;

(ख) यदि हाँ, तो इस बोर्ड के कार्य तथा शक्तियाँ क्या होंगी; और

(ग) क्या सरकार अण्डा उत्पादन को 'कृषि' मानती है अथवा उद्योग ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) राष्ट्रीय अण्डा विकास बोर्ड गठित करने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

(ग) विद्युत शुल्क, श्रम और भूमि कानून, संस्थागत वित्त, बिक्रीकर, चुंगी, इत्यादि के प्रयोजन से कृषि और सहकारिता विभाग पहले ही राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को अण्डों और खाद्य कुक्कुटों का उत्पादन करने के लिए कुक्कुटपालन को कृषि का दर्जा देने का सुझाव दे चुका है।

मुर्गियों के लिए टीकों और औषधियों का अभाव

3909. **श्री एम० रघुमा रेड्डी** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मुर्गियों को लगाए जाने वाले टीकों और औषधियों का अभाव है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार सहकारी/सरकारी क्षेत्र में मुर्गियों की औषधियों के उद्योग स्थापित करने का है;

(ग) क्या इस समय यह उद्योग अधिकतर गैर सरकारी प्रबन्धकों के हाथ में है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या मुर्गियों की औषधियों पर कोई मूल्य नियंत्रण है;

(ङ) क्या सरकार इन औषधियों पर किस्म नियंत्रण लागू कर रही है; और

(च) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) और (ख). कुल मिलाकर देश में कुक्कुटों पर आमतौर पर होने वाले रोगों के लिए कुक्कुट औषधि और टीकों की कोई कमी नहीं है।

(ग) सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों में ही कुक्कुटों के टीकों और औषधियों का विनिर्माण किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र की 17 तथा निजी क्षेत्र की 3 यूनिटों में टीकों का विनिर्माण किया जाता है, जबकि औषधियों का निर्माण अधिकतर निजी एजेंसियों तथा सार्वजनिक क्षेत्र की एजेंसियों अर्थात् इण्डियन ड्रग एंड फार्मायूटिकल्स लिमिटेड, आदि द्वारा किया जाता है।

(घ) औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश मानव चिकित्सा और पशु चिकित्सा वाली सभी औषधियों, जिसमें कुक्कुट चिकित्सा से सम्बन्धित औषधियां भी शामिल हैं, पर लागू होता है।

(ङ) और (च). टीकों के गुण नियंत्रण का कार्य प्रत्येक निर्माण केन्द्र द्वारा स्थापित मानकीकरण/गुण नियन्त्रण एककों द्वारा किया जाता है। इसके अलावा, पशु चिकित्सा, जैविक उत्पादों जिनमें कुक्कुट टीके तथा औषधियाँ भी शामिल हैं, के विनिर्माण, मानकीकरण तथा गुण नियंत्रण को भारत सरकार के औषधि तथा प्रसाधन अधिनियम के अन्तर्गत विनियमित किया जाता है।

पश्चिम बंगाल कृषि विकास कार्यक्रम के लिए स्वीकृत धनराशि

3910. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं तथा छठी योजना में पश्चिम बंगाल कृषि विकास कार्यक्रम के लिए कुल स्वीकृत राशि में से कितनी राशि खर्च की गई;

(ख) पाँचवीं तथा छठी योजना के दौरान पश्चिम बंगाल में उत्पादन का अनुमानित लक्ष्य क्या था तथा कितना लक्ष्य प्राप्त किया गया; और

(ग) इन दो योजनाओं में जिन चार राज्यों ने औसतन अच्छा उत्पादन किया है उनके नाम क्या है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) पाँचवीं योजना (1974-79) तथा छठी योजना (1980-85) में पश्चिम बंगाल में कृषि और इससे सम्बद्ध क्षेत्रों, जिनमें ग्रामीण विकास तथा सहकारिता भी शामिल है, के लिए स्वीकृत परिव्यय और व्यय की स्थिति इस प्रकार है :

(लाख रुपए)

योजनावधि	स्वीकृत परिव्यय	व्यय
पाँचवीं योजना (1974-79)	19870	24019
छठी योजना (1980-85)	67870	42814

(ख) पाँचवीं योजना तथा छठी योजना के अन्तिम वर्षों अर्थात 1978-79 तथा 1984-85 के दौरान पश्चिम बंगाल में महत्वपूर्ण फसलों का उत्पादन लक्ष्य और इस दौरान हुआ वास्तविक उत्पादन इस प्रकार है :

(लाख मीटरी टन)

फसल	1978-79		1984-85	
	लक्ष्य	वास्तविक उत्पादन	लक्ष्य	वास्तविक उत्पादन
खाद्यान्न	105.0	80.4	120.0	92.6
तिलहन	1.0	0.9	2.0	2.3
गन्ना	20.0	18.8	26.0	10.2
पटसन और मेस्ता (प्रत्येक 180 कि० ग्रा. की गाँठें)	43.0	43.7	45.0	44.7

(ग) राज्यों के योजना निष्पादन के अनुसार उनके कार्य निष्पादन के बारे में कोई ग्रेडिंग नहीं की जाती है।

उस्ताद अलाउद्दीन खान, बड़े गुलाम अली और बेगम अख्तर पर संगीत वृत्तचित्र

3911. **श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी** : **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वर्गीय उस्ताद अलाउद्दीन खान, बड़े गुलाम अली और बेगम अख्तर पर एक पूरी लम्बाई का वृत्तचित्र बनाने का प्रस्ताव है जिससे हमारे युवा संगीतज्ञों को प्रेरणा मिल सके और इन महान कलाकारों की शैली और घराना की शिक्षा मिल सके;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इसे कार्यान्वित किया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) उस्ताद अलाउद्दीन खान और बेगम अख्तर पर डाकुमेंट्री फिल्में फिल्म प्रभाग द्वारा पहले ही बनाई जा चुकी हैं। वित्तीय संसाधनों पर दबाव के कारण, इन महान संगीतज्ञों पर और पूरी लम्बाई की संगीतमय फिल्म बनाना आवश्यक नहीं समझा जाता।

[हिन्दी]

भारतीय राज्य फार्म निगम को लाभ-हानि

3912. **श्री सी० जंगा रेड्डी** :

डा० ए० के० पटेल :

क्या **कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय राज्य फार्म निगम की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान और इस वर्ष, इसे वर्ष-वार कितना घाटा अथवा लाभ हुआ और उक्त अवधि में प्रति वर्ष कपास, मूंग, चना और बीजों तथा पुनर्उत्पादन वाले बीजों का कितना उत्पादन हुआ ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) भारतीय राज्य फार्म निगम की स्थापना निम्नलिखित उद्देश्यों से 1969 में की गई थी :

(1) मुख्य रूप से खाद्यान्नों, रेशे वाली फसलों, बागानी फसलों, तिलहनों, सब्जियों तथा फलों के बीजों का उत्पादन करने के लिए कृषि फार्मों की स्थापना करना तथा उन्हें चलाना और भारत सरकार द्वारा सरकारों से अधिप्राप्त की गई भूमि पर देश के विभिन्न भागों में इन फसलो का अध्ययन करना।

(2) कुक्कुट, भेड़, सुअर तथा अन्य पशु प्रजनन फार्मों को या तो स्वतंत्र एककों अथवा कृषि फार्मों के भाग के रूप में स्थापित करना।

(3) *कम्पनी के फार्मों के लिए अथवा उसके अधीन के फार्मों के लिए अपेक्षित भूमि का विकास, पुनरुद्धार सुधार करना।*

(4) गैर-सरकारी पार्टियों से भुगतान के आधार पर इन पार्टियों की भूमि का विकास, पुनरुद्धार तथा सुधार करना।

(5) कृषकों, डेरी, कुक्कुट, उद्यान तथा बागवानी उत्पाद सहित सभी प्रकार के कृषि उत्पाद के उत्पादकों, परिसंस्करणकर्ताओं, निर्यातकों, पैकरों तथा आयातकों के सभी या किसी कारोबार को करना।

(6) सभी किस्मों के कुक्कुट तथा पशु के रक्षकों, प्रजनकों, आयातकों, निर्यातकों और व्यापारियों का कारोबार करना।

(7) कम्पनी की मशीनरी को राज्य तथा केन्द्रीय सरकार और निजी व्यक्तियों को भाड़े पर देना :

(8) बीज उत्पादक, नर्सरी लगाने वालों के रूप में कार्य करना और कंपनी के कार्य-कलापों से सम्बद्ध किसी माल की खरीद, बिक्री तथा व्यापार करना।

(ख) 1981-82, 1982-83, 1983-84 और 1984-85 के वित्तीय वर्षों के दौरान अर्जित निवल लाभों अथवा हुई निवल हानियों की स्थिति नीचे दी गयी है :

वर्ष	निवल लाभ (+) निवल हानि (—) (लाख रुपए)
1981-82	(+) 2.38
1982-83	(—) 35.33
1983-84	(—) 279.05
1984-85	(—) 40.00 (अस्थायी)

चूंकि अभी तक लेखों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है अत: 1984-85 के आंकड़े अस्थायी हैं, क्योंकि भारतीय राज्य फार्म निगम का वित्तीय वर्ष जुलाई से जून तक होता है।

1981-82, 1982-83, 1983-84 और 1984-95 के वर्षों के दौरान भारतीय राज्य फार्म निगम द्वारा कपास, मूंग, चना जैसी फसलों का कुल उत्पादन तथा बीजों का उत्पादन नीचे दिया गया है :

(क्विंटलों में)

फसलें	1981-82		1982-83		1983-84		1984-85	
	कुल	बीज	कुल	बीज	कुल	बीज	कुल	बीज
कपास	32282	13609	39397	13029	21047	5456	33038	12460
मूंग	5245	3832	10664	6340	6453	4127	10314	6510
चना	65841	36727	72144	40897	33977	24073	54381	37679

[अनुवाद]

इन्द्रप्रस्थ स्टेडियम के निकट दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बनाया गया होटल

3913. **श्री सोमनाथ रथ :**

श्री चिंतामणि जेना :

क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्द्रप्रस्थ स्टेडियम, नई दिल्ली के निकट दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बनाया गया होटल अभी तक अप्रयुक्त पड़ा है;

(ख) कितनी अनुमानित हानि हुई है; और

(ग) होटल के कब तक चालू होने की सम्भावना है ?

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इन्द्रप्रस्थ एस्टेट में स्पोर्टस काम्पलेक्स के साथ प्लेयर्स ब्लाक नामक एक भवन का निर्माण कार्य आरम्भ किया था। तदन्तर दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इसे स्थल (वेन्यू) होटल में विकसित करने का निर्णय लिया। यह भवन अभी पूर्ण नहीं हुआ है।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) को देखते हुए कोई हानि नहीं हुई है।

(ग) अन्तिम रूप से सहयोगी/सहयोगियों के चयन के उपरान्त ही होटल पूर्ण होगा तथा कार्य करना आरम्भ कर सकेगा। सहयोगियों के साथ समझौता बातचीत पहले से ही अग्रिम अवस्था में है।

पुरानी दिल्ली में भीड़भाड़ कम करना

3914. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मन्त्री ने पुरानी दिल्ली में भीड़-भाड़ कम करने के लिए योजना तैयार करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो राजधानी की सड़कों और मकानों को सुधारने तथा पुरानी दिल्ली में भीड़भाड़ कम करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ग) क्या भीड़-भाड़ को कम करने की दिशा में एक कदम के रूप में सदर बाजार की थोक मण्डी को अन्यत्र स्थानान्तरण करने का कोई प्रस्ताव है ?

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग). दिल्ली विकास प्राधिकरण, पुरानी दिल्ली के विकास के लिए दिल्ली की वृहद योजना के अन्तर्गत ही एक विशिष्ट योजना तैयार कर रहा है।

वर्ष 2001 के संदर्भ सहित दिल्ली की वृहद् योजना में अन्य बातों के साथ-साथ राजधानी की आवास स्थिति सुधारने सड़कों पर आवागमन में सुधार, पुरानी दिल्ली में भीड़ भाड़ कम करने तथा सदर बाजार की थोक मार्केट के पुनर्विकास के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण ने संशोधनों को तैयार किया है। जनता से आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित करते हुये इन्हें 6.4.1985 को प्रकाशित किया गया था।

भूतपूर्व सैनिक के उनकी पुनर्नियुक्ति पर आवास का आवंटन

3916. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों को उनकी पुनर्नियुक्ति पर आवास आबंटित करने के प्रयोजन हेतु उनकी पूर्व सेवाओं को भी सम्मिलित करने का निर्णय किया है;

(ख) क्या राज्य सरकार सेवाओं के अधिकारियों की केन्द्रीय सरकार सेवा में नियुक्ति पर उनको इसका लाभ मिलेगा;

(ग) क्या यह, विशेष आवास फूल के मामलों में भी लागू होगा; और

(घ) यदि हां, तो दिल्ली में इस श्रेणी के अन्तर्गत जनवरी, 1985 से अब तक प्रत्येक टाइप में कुल कितने क्वार्टर आबंटित किये गये हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) आदेश में उल्लिखित दशाओं की शर्त पर भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्नियोजित होने पर सामान्य पूल वास के प्रयोजन के लिए उनकी सेवा को हिसाब में लेने के लिए आदेश पहले ही विद्यमान हैं।

(ख) राज्य सरकार के अधीन की गई लगातार सेवा को भी सामान्यपूल वास के आबंटन के लिए हिसाब में लिया जाता है।

(ग) विभिन्न मन्त्रालयों/विभागों द्वारा नियन्त्रित विशेष पूलों में वास आबंटन के नियम/आदेश सम्बन्धित मन्त्रालयों/विभागों द्वारा जारी किये जाते हैं।

(घ) इस प्रकार के आंकड़े इस मन्त्रालय में नहीं रखे जाते हैं।

गन्ना, पटसन और "मेस्टा" की पैदावार में गिरावट

3917. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या **कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान गन्ने, पटसन और "मेस्टा" का पैदावार में गिरावट आई है; और

(ख) उनकी पैदावार बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) गन्ने के उत्पादन में ह्रास हुआ है परन्तु पटसन और मेस्टा के मामले में ऐसा नहीं है।

(ख) देश में गन्ने का उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित नीति अपनाई गयी है।

(1) अच्छे किस्म के बीज गन्ने का उत्पादन और वितरण;

(2) सिंचित क्षेत्र का विस्तार;

(3) उर्वरक का अधिक उपयोग;

(4) रैतून फसल का कुशल प्रबन्ध;

(5) गहन पौद संरक्षण उपायों को अपनाना;

(6) टेक्नालाजी का हस्तांतरण;

(7) कार्मिकों का प्रशिक्षण;

पटसन और मेस्टा के उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए 7 वीं योजना में अपनायी जाने वाली मुख्य नीति में निम्नलिखित शामिल हैं :

(1) सिंचित और वर्षा सिंचित क्षेत्र दोनों में उन्नत पटसन/मेस्ता उत्पादन प्रौद्योगिकी को तेज करना;

(2) बहु-फसल क्रम में पटसन/मेस्ता को और अधिक क्षेत्र में उगाना;

(3) उत्पादकता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण आदानों की सही समय पर व्यवस्था करना;

(4) रेशे को क्वालिटी में सुधार कर लाने के लिए गलाने की पर्याप्त व्यवस्था करना/लक्षित उत्पादन की प्राप्ति के लिए राज्यों के प्रयासों के अनुपूरक हेतु एक गहन पटसन/मेस्ता विकास कार्यक्रम नाम केन्द्रीय प्रायोजित योजना चलाई जा रही है जो सातवीं योजना अवधि में जारी रहेगी।

[हिन्दी]

आकाशवाणी और दूरदर्शन में अस्थायी रूप में कार्यरत IV श्रेणी के कर्मचारियों की छंटनी

3918. **श्री कमला प्रसाद रावत** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी और दूरदर्शन में नैमित्तिक आधार पर कार्यरत श्रेणी iv के कर्मचारियों की सेवा से छटनी की जा रही है यद्यपि वे वर्ष में लगातार 240 दिन से अधिक समय से कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन कर्मचारियों की छंटनी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख). आकाशवाणी और दूरदर्शन में व्यक्तियों को दिहाड़ी पर नैमित्तिक स्वरूप के विशिष्ट कार्यों के लगाया जाता है। अतः जब कार्य समाप्त हो जाता है तो इस प्रकार के व्यक्तियों को हटा दिया जाता है। कार्मिक विभाग द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार, दिहाड़ी पर लगाए गए उन व्यक्तियों की जिन्होंने दो वर्ष की न्यूनतम अवधि में 240 दिन कार्य किया हों, चपरासी के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकता है बशर्ते कि कतिपय शर्तों को पूरा करते हों और पद उपलब्ध हों। वास्तव में आकाशवाणी ने फरवरी, 1985 के बाद इस प्रकार के 6 व्यक्तियों को नियमित किया।

(ग) और (घ). प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने वाले अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सम्बन्ध में सूचना

3919. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने वाले अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के सम्बन्ध में प्रत्येक महीने सभी राज्यों से तार द्वारा रिपोर्ट की जाती है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और ऐसी रिपोर्टें तार द्वारा मंगवाने के क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) जी, हां।

(ख) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल सभी लाभार्थियों तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के परिवारों के लाभार्थियों के बारे में पिछले माह की सूचना प्रत्येक अगले माह की 7 तारीख तक राज्यों/केन्द्रशासित क्षेत्रों से तार द्वारा प्राप्त की जाती है और इसे योजना आयोग को 20 सूत्री कार्यक्रम की उनकी मासिक रिपोर्ट हेतु भेज दिया जाता है।

गायों के आयात करने के बारे में राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड के अधिकारियों के विदेशी दौरे

3920. **श्री काली प्रसाद पांडेय** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 20,000 होल्सटोन फरीसियन गायों के भारत को उपहार में दिए जाने के बारे में राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड के कुछ अधिकारी जर्मनी गए थे;

(ख) यदि हां, तो इन अधिकारियों के ब्यौरे क्या हैं तथा इन पर कितनी राशि खर्च की गई;

(ग) क्या इन्होंने इन पशुओं का प्रभार सम्भाल लिया है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ये गायें देश में कब पहुंचेगी तथा इन्हें कहां रखा जायेगा ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) और (ख). राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड (एन० डी० डी० बी०) ने, भारत को गायों के प्रस्तावित उपहार के सम्बन्ध में अपने एक कार्यकारी निदेशक को दो बार यूरोप भेजा है। राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा उसके दौरों पर किए गए व्यय की राशि लगभग 1,15,988 रुपए थी।

(ग) से (ङ). जी, नहीं। उपहार स्वीकार करने की प्रक्रिया और गायों के भारत में पहुँचने के पश्चात उनको रखने के सम्बन्ध में अन्य ब्यौरों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

शैक्षिक कार्यक्रमों का दूरदर्शन पर प्रसारण

3921. **श्री एस० एन० भट्ट** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दूरदर्शन पर शैक्षिक कार्यक्रमों को अधिक समय देने का है; और

(ख) यदि, हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख). दूरदर्शन शैक्षिक कार्यक्रमों की ओर पहले ही पर्याप्त ध्यान दे रहा है। दूरदर्शन के दिल्ली,

बम्बई, श्रीनगर और मद्रास केन्द्र स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम टेलीकास्ट कर रहे हैं। विभिन्न केन्द्रों द्वारा शैक्षिक कार्यक्रमों प्रतिदिन दिया जाने वाला समय इस प्रकार है :

क. **दिल्ली**	
(1) शैक्षिक कार्यक्रम	80 मिनट
(2) स्कूल का कार्यक्रम	8 घन्टे 40 मिनट
ख. **बम्बई**	
स्कूल कार्यक्रम	160 मिनट
ग. **श्रीनगर**	
शैक्षिक कार्यक्रम	80 मिनट
घ. **मद्रास**	
शैक्षिक कार्यक्रम	40 मिनट

जबकि स्कूल कार्यक्रम स्थानीय स्कूलों के विवरण के अनुरूप होते हैं शैक्षिक कर्यक्रम सामान्य समृद्धि कार्यक्रमों के स्वरूप के होते हैं और ये पाठ्यचर्या पर आधारित नहीं होते।

2. उपर्युक्त केन्द्रों के अलावा, शैक्षिक कार्यक्रम इनसैट-1 बी के माध्यम से आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 8 राज्यों में टेलीकास्ट किये जा रहे हैं। प्रत्येक राज्य के लिए शैक्षिक कार्यक्रम के लिए दिया गया समय इस प्रकार है ?

(क) बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश,—45 मिनट

(सामान्य कार्यक्रम)

(ख) आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा—45 मिनट।

(हर राज्य के लिए अलग)

शैक्षिक कार्यक्रम राज्य की स्थानीय भाषा में टेलीकास्ट किए जाते हैं।

3. दूरदर्शन छः राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में से प्रत्येक के लिए इनसैट के माध्यम से 40 मिनट से लिए क्षेत्र विशिष्ट कार्यक्रम टेलीकास्ट कर रहा है। इन कार्यक्रमों में प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम भी होते हैं।

4. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भी देश भर में सभी कार्य दिवसों पर प्रतिदिन दो घन्टे लिए सामान्य शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए दूरदर्शन की सेवाओं का उपयोग कर रहा है।

5. क्योंकि शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए पहले ही पर्याप्त समय दिया जा रहा है, अतः इस समय शैक्षिक कार्यक्रमों की अवधि बढ़ना फिलहाल आवश्यक नहीं समझा जाता।

सहकारी समितियों द्वारा कन्ट्रोल के कपड़े की बिक्री

3922. **श्री शान्ति धारीवाल :**

श्री विष्णु मोदी :

क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सहकारी समितियों को बिक्री के लिए कन्ट्रोल का कपड़ा उपलब्ध कराती है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि सहकारी समितियां कन्ट्रोल के इस कपड़े को गरीब लोगों को बेचने की बजाए काला बाजार में बेचती हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का ध्यान दिनांक 22 जुलाई, 1985 के "जनसत्ता" में "सहकारी समितियों ने कन्ट्रोल का कपड़ा ब्लैक में बेचा" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस मामले में क्या ठोस कदम उठाए गए हैं और ऐसी सहकारी समितियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) से (ङ). मिल क्षेत्र (राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलें) द्वारा तैयार किये गये कन्ट्रोल के कपड़े का वितरण मुख्यतया राज्य संघों, सहकारी समितियों, उचित दर की दुकानों, जैसाकि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्राधिकारियों द्वारा अधिकृत किया गया है, तथा राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ द्वारा किया जाता है। आमतौर पर यह देखा गया है कि दोषपूर्ण वितरण प्रणाली की वजह से नियन्त्रित कपड़े का कुछ भाग अनधिकृत माध्यमों में पहुंच जाता है। अतः नागरिक पूर्ति विभाग ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कहा है कि वे नियंत्रित कपड़े के वितरण-पैटर्न को सुप्रवाही बनाने के लिए आवश्यक उपचारात्मक कदम उठायें। राज्यों को एक कार्य-योजना का सुझाव दिया गया है कि राज्य अभिकरणों द्वारा नियंत्रित कपड़े के प्रबन्ध के बारे में राज्य नागरिक आपूर्ति सचिव द्वारा निरन्तर परिवीक्षा की जानी चाहिए, ताकि नियंत्रित कपड़े का प्रबन्ध करने वाली एजेन्सी द्वारा माल की सुपुर्दगी लेने में होने वाले विलम्ब से बचा जा सके। जिले की थोक-व्यापार एजेन्सी द्वारा नियंत्रित कपड़ा प्राप्त करने पर, उपायुक्त/कलक्टर तथा जिला आपूर्ति अधिकारी को कुल प्राप्त की गई मात्रा की सूचना दी जानी चाहिए तथा उपायुक्त कलक्टर की यह जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वे जिला आपूर्ति अधिकारी तथा सहकारी सोसाइटियों के उप/सहायक पंजीयक की सहायता से अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में नियंत्रित कपड़े का वितरण सूचित करें। नियंत्रित कपड़े का कारोबार करने वाले सभी उपभोक्ता सहकारी भण्डारों तथा अन्य एजेन्सियों को चाहिए कि वे प्राप्त तथा बेचे गये नियंत्रित कपड़े के स्टाक की स्थिति का प्रदर्शन करें। प्रत्येक थोक विक्रेता/खुदरा विक्रेता के स्टाक के वास्तविक सत्यापन की प्रणाली शुरू की जानी चाहिए तथा खुदरा विक्रेताओं द्वारा एक रजिस्टर रखा जाना चाहिए, जिसमें स्टाक की प्राप्ति उसकी मात्रा (किस्म-वार) आदि दिखाई गई हो। यह भी सुझाव दिया गया है कि नियंत्रित कपड़े की खुदरा दुकानों की संख्या शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में बढ़ायी जाए, ताकि लोगों को बिना कठिनाई के नियंत्रित कपड़ा प्राप्त कराने के लिए उचित सुविधाएं उपलब्ध करायी जा सकें। राज्य सरकारें/संघ क्षेत्र प्रशासन इन सुझावों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक कदम उठा रहे हैं।

प्रश्न के भाग (ग) के सम्बन्ध में यह उल्लेख है कि 22 जुलाई, 1985 के दैनिक "जनसत्ता" में "सहकारी समितियों ने कन्ट्रोल का कपड़ा ब्लैक में बेचा" शीर्षक से एक समाचार दिया गया है। यह समाचार मोरेना (मध्य प्रदेश) की सहकारी समितियों के संदर्भ में है। अतः मध्य प्रदेश राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वे इस मामले की जांच करें तथा उपयुक्त कार्यवाही करें।

उड़ीसा में सहकारी चीनी कारखाने

3923. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में अब तक कितने सहकारी चीनी कारखानों की स्थापना की जा चुकी है;

(ख) ये सहकारी चीनी कारखाने कहां-कहां स्थापित किए गए हैं;

(ग) उन सहकारी चीनी कारखानों में से कितनों को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा सहायता मिल रही है;

(घ) गत तीन वर्षों में उन सहकारी चीनी कारखानों को दी गई केन्द्रीय सहायता तथा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा दी गई सहायता का ब्योरा क्या है; और

(ङ) तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) उड़ीसा में अभी तक चार सहकारी चीनी मिलों को लाइसेंस दिया गया है, जिनमें से दो चीनी मिलों ने उत्पादन आरम्भ कर दिया है तथा बाकी दो चीनी मिलें लगाई जा रही हैं।

(ख) चीनी का उत्पादन कर रही दो सहकारी चीनी मिलों में से एक अस्का (गंजम जिला) तथा दूसरी बारगढ़ (सम्बलपुर जिला) में स्थित है और जिन दो सहकारी चीनी मिलों की स्थापना की जा रही है, उनमें से एक नयागढ़ (पुरी जिला) तथा दूसरी बारम्बा (कटक जिला) में स्थित है।

(ग) राज्य की सभी चारों सहकारी चीनी मिलों को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से सहायता मिली है।

(घ) और (ङ). देश में सहकारी चीनी मिलों से सम्बन्धित कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को केन्द्रीय सहायता दी जाती है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अलग-अलग चीनी मिलों की सहायता निर्मुक्त करता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित सहकारी चीनी मिलों को निम्न मात्रा में सहायता प्रदान की गई है :—

	(लाख रुपये)
1. बारगढ़	91.50
2. नयागढ़	40.00
3. बारम्बा	30.00

रुपये की कीमत में गिरावट के कारण उपदान की दर में वृद्धि

3924. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपदान की पिछली दर निश्चित होने के बाद रुपये की कीमत में भारी गिरावट के कारण सरकार का उपदान की दर में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि नहीं, तो इस गिरावट के लिए किस रूप में कामगारों को किस तरह मुआवजा दिया जाएगा; और

(ग) क्या कामगारों को जल्दी नौकरी छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु उपदान में अन्य सेवानिवृत्ति लाभ भी शामिल किए जाएंगे ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अन्जैया) : (क) और (ख). इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है कि रुपये की कीमत में गिरावट के कारण उपदान की राशि में वृद्धि की जाए या कामगारों को किसी अन्य रूप में मुआवजा दिया जाए।

(ग) जी, नहीं।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विज्ञापन

3925. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने गत दो वर्षों के दौरान समाचार-पत्रों में और अन्य विज्ञापनों पर कुल कितनी धनराशि खर्च की;

(ख) फ्लैटों/प्लाटों के आबंटितियों को उनके आबंटन की सूचना देने के लिए कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ग) आबंटितियों को आबंटन में विलम्ब और उसके कारणों के सम्बन्ध में विज्ञापनों के जरिये सूचित करने पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) 104.30 लाख रुपये (1983-84 और 1984-85 के दौरान)।

(ख) 8.10 लाख रुपये।

(ग) 0.02 लाख रुपये।

खाड़ी के देशों के लिए एक वाणिज्यिक सेवा की स्थापना

3926. **श्री जी० जी० स्वैल** : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी द्वारा खाड़ी के देशों के लिए एक वाणिज्यिक सेवा आरम्भ की जा रही है;

(ख) क्या यह सच है कि हमारी वर्तमान आकाशवाणी विदेश सेवाएं कमजोर है और उपयोगी नहीं है; और

(ग) विदेश सेवाओं के लिए हमारे वर्तमान ट्रांसमीटर की किलोवाट क्षमता क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) सातवीं योजना के अपने मसौदा प्रस्तावों में अकाशवाणी ने खाड़ी के देशों के लिए वाणिज्यिक सेवा के लिए पणजी (गोवा) में 2 × 250 कि० वा० शार्टवेव ट्रांसमीटर स्टूडियों आदि स्थापित करने की स्कीम शामिल की है। स्कीम का कार्यान्वयन धन-राशि के अन्तिम आवंटन पर निर्भर करेगा।

(ख) जी, नहीं। हो सकता है कि कुछ लक्ष्य क्षेत्रों में, हमारे ट्रांसमीटरों की सापेक्ष कम शक्ति तथा अन्य अधिक शक्तिशाली ट्रांसमीटर से हस्तक्षेप जैसी बातों के कारण सिगनलों की वाछंनीय क्षमता नहीं हो।

(ग) अकाशवाणी के संजाल में विदेश सेवाओं के प्रसारण के लिये 20 कि० वा०, 50 कि० वा०, 100 कि० वा० तथा 250 कि० वा० तथा 500 कि० वा० शार्टवेव ट्रांसमीटरों का मिश्रण है।

कृषि कार्य कालेजों और महाविद्यालयों को देना

3927. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या **कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विस्तार कार्य को कृषि महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों और विश्वविद्यालयों को देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के विस्तार कर्मचारी सरकारी विस्तार गतिविधियों में अपना सहयोग देंगे; और

(ग) क्या इन संस्थानों में से किसी संस्थान में प्रोद्योगिकी को कृषि कार्य के लिए ठीक प्रकार से पहुँचाने के लिए अनुसन्धान किया जा रहा है ? यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) औपचारिक रूप से नहीं। फिर भी, कृषि विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के विस्तार कर्मचारियों को जहाँ कहीं भी जरूरी हो, राज्य के कृषि विभाग के विस्तार कर्मचारियों के सहयोग से कार्य करना चाहिए।

(ग) कृषि विश्वविद्यालयों तथा भा० कृ० अ० प० के अनुसन्धान संस्थानों में सही किस्म का व्यावहारिक अनुसन्धान कार्य किया जा रहा है। देश में 22 कृषि विश्वविद्यालय और 38 अनुसन्धान संस्थान/अनुसन्धान निदेशालय देश में कृषि अनुसन्धान का कार्य कर रहे हैं। इसके साथ ही इन विश्वविद्यालयों/संस्थानों के अनेक अनुसन्धान परीक्षण केन्द्र उपकेन्द्र भी अनुसन्धान का कार्य कर रहे हैं। भा० कृ० अ० प० के राष्ट्रीय कृषि अनुसन्धान प्रायोजना के द्वारा कृषि विश्वविद्यालयों की क्षेत्रीय अनुसन्धान की क्षमता को और बढ़ाया जा रहा है।

1 जनवरी, 1983 और 1 जनवरी, 1985 को बन्द कारखानों की संख्या और बेरोजगार हुए श्रमिक

3928. **श्री नारायण चौबे** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1 जनवरी, 1983 और 1 जनवरी, 1985 को राज्यवार पंजीकृत बेरोजगार की संख्या कितनी है;

(ख) 1 जनवरी, 1983 और 1 जनवरी, 1985 को बन्द कारखानों की संख्या कितनी थी और इस कारण कितने श्रमिक बेरोजगार हुए;

(ग) कितने कारखाने तालाबन्दी, जबरी छुट्टी, बन्द करने और हड़ताल के कारण बन्द किए गए; और

(घ) (एक) कितने श्रमिक तालाबन्दी, जबरी छुट्टी और बन्द किए जाने के कारण कितने व्यक्ति बेरोजगार हुए और (दो) हड़ताल के कारण कितने व्यक्ति बेरोजगार हुए ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री टी० अन्जैया) : (क) रोजगार कार्यालयों के चालू

रजिस्टरों में 31-12-1982 और 31-12-1984 की स्थिति के अनुसार दर्ज आवेदकों की संख्या के बारे में सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग). श्रम ब्यूरो औद्योगिक विवादों से भिन्न कारणों जैसे वित्तीय विवशताओं, बिजली की कमी, कच्चे माल की कमी, मशीनरी के खराब होने, मांग की कमी आदि कारणों से हुई कामबन्दी के बारे में सूचना एकत्र करता है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, औद्योगिक कामबन्दियों की संख्या 1982 में 286 और 1984 में 188 थी।

(घ) हालांकि हड़तालों, तालाबन्दियों और जबरी-छुट्टी के कारण रोजगार की क्षति नहीं हो सकती, लेकिन श्रम ब्यूरो में प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 1984 के दौरान हड़तालों के कारण 17.12 लाख श्रमिक, तालाबंदियों के कारण 2.14 लाख श्रमिक, कामबन्दियों के कारण 0.72 लाख श्रमिकों और जबरी छुट्टी के कारण 1.41 लाख श्रमिक प्रभावित हुए।

विवरण

31-12-1982 और 31-12-1984 तक रोजगार कार्यालयों में चालू रजिस्टर में आवेदकों की संख्या

क्रमांक	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत आवेदकों की संख्या (हजारों में)	
		31-12-82 को	31-12-1984 को
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	1764.8	2172.8
2.	असम	399.9	387.1
3.	बिहार	2556.3	2668.5
3.	गुजरात	580.2	631.8
5.	हरियाणा	446.3	467.6
6.	हिमाचल प्रदेश	169.0	257.6
7.	जम्मू व कश्मीर	61.7	66.7
8.	कर्नाटक	668.4	770.0
9.	केरल	2029.6	2529.1
10.	मध्य प्रदेश	913.0	1115.4
11.	महाराष्ट्र	1551.2	2100.4
12.	मणिपुर	149.1	186.0
13.	मेघालय	9.8	11.9
14.	नागालैंड	8.6	13.8
15.	उड़ीसा	481.8	559.4

1	2	3	4
16.	पंजाब	505.5	526.2
17.	राजस्थान	404.2	504.7
18.	सिक्किम	*	*
19.	तमिलनाडु	1392.0	1706.5
20.	त्रिपुरा	79.1	92.7
21.	उत्तर प्रदेश	1610.4	1873.2
22.	पश्चिम बंगाल	3448.2	4124.2
23.	अण्डमान व निकोबार	12.1	11.7
24.	अरुणाचल प्रदेश	*	*
25.	चण्डीगढ़	75.4	88.3
26.	दादर व नागर हवेली	**	**
27.	दिल्ली	328.7	451.2
28.	गोवा, दमन व दीव	33.0	43.0
29.	लक्ष्यद्वीप	5.4	6.3
30.	मिजोरम	14.0	16.7
31.	पांडिचेरी	48.6	64.0
	कुल	19753.0	23546.8

(*) = राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में कोई रोजगार कार्यालय काम नहीं कर रहा है।

(**) = एक रोजगार कार्यालय कार्य कर रहा है किन्तु आंकड़े प्राप्त नहीं हो रहे।

ध्यान दीजिए = अंकों को निकटतम (राउण्डिंग) करने के लिए आवश्यक नहीं है कि कुल संख्या मेल खाए।

स्रोत = रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशाय, श्रम मन्त्रालय।

पश्चिम बंगाल के छोटे तथा मध्यम कस्बों का विकास

3929. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल के बसीरहाट कस्बे सहित 20 कस्बों को छठी पंचवर्षीय योजना के छोटे तथा मध्यम कस्बों के समेकित विकास कार्यक्रम में शामिल किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रत्येक कस्बे के लिए केन्द्र द्वारा 40 लाख रुपए की ऋण सहायता दी गई थी अथवा इसमें कुछ कमी थी; और

(ग) क्या राज्य सरकार के इस अनुरोध पर विचार किया जाएगा कि निर्माण लागतों में भारी वृद्धि को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार की केन्द्रीय ऋण सहायता को अनुदान में बदल दिया जाए ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, हां।

(ख) प्रत्येक शहर को दी गई केन्द्रीय सहायता नीचे दी गई है : —

		(लाख रुपयों में)
1.	खड़गपुर	48.31*
2.	मीदनापुर	14.30
3.	बांकुड़ा	21.00
4.	कलिमपौंग	23.21
4.	कूच विहार	48.26*
6.	पूरुलिया	17.51
7.	इंगलिश बाजार	35.34
8.	कृष्णा नगर	28.03
9.	सूरी	28.19
10.	तारकेश्वर	26.62
11.	जलपाईगुड़ी	16.85
12.	सिल्लीगुड़ी	13.80
13.	दार्जिलिंग	26.19
14.	बरहामपुर	24.02
15.	बैलूर घाट	35.32
16.	विष्णुपुर	28.83
17.	बसिरहाट	17.38
18.	रायगंज	30.13
19.	राणाघाट	19.47
20.	कटवा	22.56
	योग:	525.32

* कम लागत की स्वच्छता योजनाओं के लिए दी गई राशि सहित।

(ग) इस योजना के अन्तर्गत ऋण के स्थान पर अनुदान देने के बारे में विचार करने का केन्द्रीय सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों के वेतनों का पुनरीक्षण

3930. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत 15 वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों के वेतनों का पुनरीक्षण नहीं किया गया है;

(ख) क्या सरकार को भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों में इसके कारण व्याप्त असन्तोष की जानकारी है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) से (ग). बन्दरगाहों तथा डिपुओं में कार्य कर रहे भारतीय खाद्य निगम के कामगारों की मजदूरी पिछले 15 वर्षों के दौरान समय समय पर बढ़ायी गई है। निगम के नियमित कर्मचारियों के वेतन मान पिछली बार 1973 में बढ़ाए गए थे। उनके वेतन को बढ़ाने का प्रश्न, जोकि औद्योगिक महंगाई भत्ते के पैटर्न को अपनाने से संबद्ध है, न्यायाधीन है।

राज्यों में शीर्ष गृह-निर्माण सहकारी समितियों को सहायता

3931. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों में शीर्ष गृह-निर्माण सहकारी समितियों को केन्द्रीय सहायता का पैटर्न क्या है;

(ख) क्या इन शीर्ष निकायों को वित्तीय संस्थानों से पर्याप्त वित्तीय सहायता प्राप्त न होने के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है; और

(ग) शीर्ष गृह-निर्माण समितियों के कार्य-निष्पादन का राज्य-वार ब्योरा क्या है ?

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख). राज्य स्तरीय एपैक्स आवास सहकारी संघ विभिन्न केन्द्रीय वित्त संस्थाओं तथा जीवन बीमा निगम, आवास तथा नगर विकास निगम (हुडको) तथा सहकारी बैंकों से वित्त सहायता प्राप्त करते हैं। सहकारी क्षेत्र द्वारा प्रस्तुत की गई किसी आवास योजना को वित्तीय अड़चनों के कारण धक्का नहीं पहुंचा है। अपने संसाधनों पर अत्यधिक दबाव के बावजूद भी जीवन बीमा निगम इन समितियों को अपनी निधियों के वितरण में वृद्धि के प्रयास कर रहा है।

(ग) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में (30-6-84 की स्थिति के अनुसार) इन समितियों के ऋण अभियान तथा आवास निर्माण गतिविधियों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्रम सं०	राज्य स्तर की ऐपेक्स समिति का नाम	ऋण		भवन निर्माण		योग
		स्वीकृत	वितरण	पूर्ण किया गया	निर्माणाधीन	
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	4056.00	2966.00	10389	5206	15595
2.	असम	296.50	194.28	561	444	1005

1 2	3	4	5	6	7
3. बिहार	3765.25	2286.70	4209	4459	8668
4. दिल्ली	1799.00	1346.55	801	3070	3871
5. गोवा, दमन और द्वीप	187.27	185.88	452	95	548
6. गुजरात	43467.91	25632.75	89419	130270	219689
7. हरियाणा	1179.42	1346.55	2033	913	2946
8. जम्मू और कश्मीर	74.24	50.35	50	54	112
9. कर्नाटक	2276.00	1943.00	13246	2173	15419
10. केरल	4528.48	3933.97	14424	4176	18600
11. मध्य प्रदेश	3232.18	2432.77	7228	1771	9053
12. महाराष्ट्र	24620.34	17411.48	58556	75538	134094
13. मणिपुर	—	—	—	—	—
14. मेघालय	64.61	58.87	213	170	383
15. उड़ीसा	901.05	615.96	5011	4291	9302
16. पंजाब	1515.00	1152.00	2056	910	2966
17. राजस्थान	2500.72	1451.90	13984	428	14412
18. तमिलनाडु	22160.74	18664.09	229845	41874	271719
19. उत्तर प्रदेश	1430.00	1021.85	2632	1407	4039
20. पश्चिम बंगाल	3747.67	2944.07	10152	2537	12689

आकाशवाणी, इम्फाल की प्रसारण क्षमता

3932. **श्री एन० टोम्बी सिंह :**

प्रो० मिजिनलंग कामसन :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के इम्फाल केन्द्र की प्रसारण क्षमता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या आकाशवाणी के इम्फाल केन्द्र के 50 किलोवाट ट्रांसमीटर की पूरी क्षमता का उपयोग किसी न किसी कारण कम किया जाता है; और

(ग) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) सातवीं योजना के लिए अपने मसौदा प्रस्तावों में, आकाशवाणी ने इम्फाल में 50 किलोवाट मीडियम वेव के मौजूदा ट्रांसमीटर के अलावा 50 कि० वा० शार्ट वेव का एक ट्रांसमीटर स्थापित करने की स्कीम शामिल की है। इसका कार्यान्वयन धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(ख) और (ग). इम्फाल में 50 किलोवाट मीडियम वेव का ट्रांसमीटर बिजली की सप्लाई पर निर्भर करते हुए पूरी क्षमता पर प्रचालित किया जाता है। तथापि, पिछले कुछ वर्षों के दौरान, बिजली की सप्लाई में बार-बार व्यवधान हुए हैं। इस प्रकार के अवसरों पर, कार्यक्रमों को डीजल जनरेटर से चलाए जाने वाले आपातोशयोगी 1 किलोवाट के मीडियम वेव के ट्रांसमीटर पर रिले किया जाता है। बिजली की निर्विघ्न सप्लाई के लिए आकाशवाणी के केन्द्र स्थानीय राज्य बिजली प्राधिकारियों पर निर्भर करते हैं।

पूर्वोत्तर क्षेत्रों में झूम खेती

3933. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या **कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद ने पूर्वोत्तर क्षेत्रों के पहाड़ी क्षेत्रों में प्रचलित झूम खेती के विनाशक कारणों का अध्ययन किया था;

(ख) यदि हाँ, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं और इसके लिए प्रस्तावित उपचारात्मक उपाय क्या हैं;

(ग) क्या भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद की एकर्क इम्फाल तथा क्षेत्र के अन्य राज्यों की राजधानियों में इस सम्बन्ध में उनके अस्तित्व का कोई प्रभाव पैदा करने में असफल रही है; और

(घ) यदि हाँ, तो उसके कारण क्या हैं ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) झूमिंग कृषि के विकल्प के रूप में एक अन्य कृषि पद्धति का विकास कर लिया गया है। झूम कृषि की जगह माडल भूमि उपयोग का सुझाव दिया गया है जो कृषि फसलों के लिए बेंच टैरेसिंग के अन्तर्गत पहाड़ी तलहटी का करीब 1/3 भाग खेती के अन्तर्गत, मध्य का 1/3 भाग-बागवानी और चारा फसलों के लिए तथा ढाल का 1/3 भाग वन आच्छादन के अन्तर्गत लाया जाएगा।

(ग) जी नहीं, श्रीमान। क्षेत्र फसलों, सब्जियों और बागवानी फसलों की उन्नत किस्मों का पता लगाया गया है। अनुकूलतम उत्पादन की एक मुश्त कृषि क्रियाओं का विकास किया गया है। पशुधन और मत्स्य उत्पादन के लिए कारगर प्रबन्ध विधियों पर अध्ययन किया गया है और उसे तैयार कर लिया गया है। प्रयोगशाला से खेत तक, राष्ट्रीय प्रदर्शनों, कृषि विज्ञान केन्द्रों और शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से प्रमाणित प्रौद्योगिकियों को राज्य सरकारों तथा इस क्षेत्र की खेतिहर जातियों तक पहुंचाया गया है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत महिलाओं को लाभ

3934. **श्रीमती बसव राजेश्वरी** : क्या **कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं योजना के प्रथम वर्ष के दौरान समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम और ग्रामीण युवकों के लिए स्व-रोजगार प्रशिक्षण जैसी विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत और अधिक ग्रामीण महिलाओं को लाभ पहुँचाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त योजनाओं के अन्तर्गत ग्रामीण महिलाओं को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं का ब्योरा क्या है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) और (ख). समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 1985-86 से व इससे आगे के लिए 20 प्रतिशत महिलाओं को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया था जिसे अब संशोधित करके 30 प्रतिशत तक किया जा रहा है।

[हिन्दी]

सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यय की जाने वाली धनराशि

3935. **श्री हरीश रावत** : क्या **कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985-86 के दौरान सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत कितनी राशि खर्च करने का विचार है;

(ख) क्या योजना आयोग ने मन्त्रालय द्वारा इस शीर्ष के अन्तर्गत मांगी गई राशि में कमी करने का सुझाव दिया है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस कमी का प्रभाव कुछ ऐसे विकास खंडों पर पड़ेगा जिन्हें कार्य दल ने इस कार्यक्रम में सम्मिलित करने की सिफारिश की है; और

(घ) यदि हां, तो कार्यदल द्वारा सिफारिश किए गए किन क्षेत्रों को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल न किए जाने की संभावना है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) से (घ). वर्ष 1985-86 के लिए सूखा सम्भावित क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत 73.9 करोड़ रुपए की कुल धनराशि आवंटित की गई है जिसमें से 37 करोड़ रुपए का केन्द्रीय अंश होगा। अन्तर विभागीय दल की सिफारिश के अनुसार सरकार ने पहले से ही इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1984-85 में 70 जिलों के 511 खण्डों से बढ़ाकर वर्ष 1985-86 में 88 जिलों के 615 खण्डों में इसका विस्तार कर दिया है। लेकिन 1984-85 में 40 करोड़ रुपए का केन्द्रीय अंश 1985-86 में घटकर 37 करोड़ रुपए हो गया है। कार्यक्रम का विस्तार हो जाने के कारण प्रति खंड कुल आवंटन 1984-85 में 15 लाख रुपए से घटकर 1985-86 में 12 लाख रुपए रह गया है। सातवीं योजना को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही सही तस्वीर सामने आ सकेगी।

दिल्ली जलपूर्ति और मल व्ययन उपक्रम के कर्मचारियों को आवास आवंटन

3936. **श्री हरीश रावत** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली जल पूर्ति और मल व्ययन उपक्रम के कर्मचारियों को आवास आवंटन का मानदण्ड क्या है;

(ख) क्या सरकार को यह जानकारी है कि 10-15 वर्ष से कार्यरत कर्मचारियों को आवास आवंटित नहीं किए गए हैं जबकि 2-3 वर्ष की सेवा वाले कर्मचारियों को आवास आवंटित कर दिए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इन मामलों की संख्या कितनी है और सरकार का विचार इन अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का है ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) दिल्ली नगर निगम के अनुसार :

(1) कतिपय अपवादों की अवस्था में जहां निम्नलिखित आधार पर बिना बारी के आवंटन किए गए हैं, आम कर्मचारियों को वरिष्ठता के आधार पर ही आवंटन किया जाता है।

(i) चिकित्सा के आधार पर।

(ii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/विस्थापित व्यक्तियों के कोटे के प्रति।

(iii) अनुकम्पा के आधार पर।

(2) संयंत्रों और अन्य स्थापनाओं पर कार्य कर रहे कर्मचारियों को आवश्यक ड्यूटी के आधार पर।

(ख) मकानों की भारी कमी है और कर्मचारियों को काफी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। तथापि, एक कर्मचारी जो किसी संयंत्र पर काम कर रहा है और संयंत्र में जिसका ठहरना जरूरी समझा जाता है, वह आम कर्मचारियों और वितरण पर कार्य करने वाले कर्मचारियों से पहले मकान का आवंटन प्राप्त करता है।

(ग) इस प्रकार का कोई मामला नहीं है जहां आबंटन नियमित आधार पर नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

सी० पी० सी० आर० आई०, त्रिवेन्द्रम में नैमित्ति मजदूर

3937. **श्री टी० बशीर** : क्या **कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिवेन्द्रम में पालोड में सी० पी० सी० आर० आई० के फार्म में कितने नैमित्तिक मजदूर हैं;

(ख) उनमें से कितनों ने फार्म में 10 वर्ष से अधिक की सेवा कर ली है;

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह सच है कि सेवा को नियमित किए जाने का नैमित्तिक मजदूरों से प्राधिकारियों को किया गया अनुरोध वर्षों से लंबित पड़ा है;

(ङ) यदि हां, तो उन्हें नियमित न किए जाने के क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(छ) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए हैं ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) छत्तीस श्रीमान।

(ख) उनमें से पैंतीस ने प्रत्येक वर्ष अल्प कालावधि में 10 वर्ष से अधिक काम किया है।

(ग) 1966 के बाद छः, 1967 के बाद एक, 1978 से ग्यारह, 1969 से एक, 1971 से सोलह ने कार्य किया है।

(घ) से (छ). नैमित्तिक मजदूरों को नियमित आधार पर नियुक्त करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं। अतः जब कभी नियमित पद उपलब्ध होंगे, तो इस विषय पर नियमों के अनुसार पात्र नैमित्तिक मजदूरों को नियमित आधार पर नियुक्त किए जाने पर विचार किया जाएगा।

सोयाबीन का उत्पान और उससे निकाला गया तेल

3938. **श्री मोहनभाई पटेल** : क्या **कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में सोयाबीन का वर्ष-वार कितना उत्पादन हुआ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान सोयाबीन से कितना तेल निकाला गया;

(ग) इस तेल का उपयोग किस प्रकार जा रहा है; और

(घ) देश में खाद्य तेल की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने हेतु देश में अधिक सोयाबीन पैदा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) और (ख). देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित मात्रा में सोयाबीन का उत्पादन हुआ :

वर्ष	उत्पादन (लाख मीटरी टन)
1982-83	4.9
1983-84	5.8
1984-85	9.3

सोयाबीन से निकाले गए तेल की मोटे तौर पर औसत मात्रा कुल बीज उत्पादन का करीब 15 से 18 प्रतिशत बैठती है।

(ग) सोयाबीन के तेल के अधिकांश भाग का उपयोग सीधी खपत के लिए किया जाता है जबकि इसका बहुत थोड़ा भाग वनस्पति के विनिर्माताओं दिया जाता है।

(घ) राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना में सोयाबीन के अधिक उत्पादन को उच्च प्राथमिकता दी गई है, जिसे उत्पादन को बढ़ाने की दृष्टि से 1984-85 से क्रियान्वित किया जा रहा है, तदनुसार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना के अन्तर्गत सोयाबीन की एक विशेष परियोजना चल रही है। इसके अलावा, बिहार, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में भी जहां सोयाबीन की फसल की खेती सम्भावनाएं हैं, गहन तिलहन विकास कार्यक्रम चल रहा है जिसके तहत सोयाबीन को भी शामिल किया गया है।

"ट्रेडर्स शन एफ० सी० आई० ट्रेडर्स" शीर्षक से समाचार

3939. **श्री भोला नाथ सेन** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री** दिनांक 25 जुलाई, 1985 के बिजिनेस स्टेन्डर्ड में "ट्रेडर्स शन एफ० सी० आई० टेन्डर्स" से प्रकाशित शीर्षक समाचार के सन्दर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता के चीनी के व्यापारियों ने भारतीय खाद्य निगम द्वारा आमंत्रित निविदाओं का बहिष्कार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारतीय खाद्य निगम के अधिकृत ठेकेदारों के माध्यम से सफल बोली लगाने वालों के पास चीनी की ढुलाई न किए जाने के क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख). भारतीय खाद्य निगम पश्चिमी बंगाल राज्य में नीलामी/टेंडरों के माध्यम से आयातित चीनी की बिक्री करने की व्यवस्था कर रहा है। निगम के पास कलकत्ता के व्यापारियों द्वारा टेंडरों का बहिष्कार करने के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) टेंडरों की शर्तों के अनुसार, सफल टेंडरकर्ताओं को भारतीय खाद्य निगम के डिपुओं से स्टाक जारी किए जाते हैं। स्टाक की सुपुर्दगी करने के बाद, स्टाक का परिवहन करने की जिम्मेदारी टेंडरकर्ताओं की होती है। भारतीय खाद्य निगम के प्राधिकृत ठेकेदारों के जरिये स्टाक का परिवहन करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

महाराष्ट्र सरकार का सातवीं योजना में नई चीनी मिलें स्थापित करने सम्बन्धी प्रस्ताव

3940. **श्री मुरलीधर माने** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र सरकार से सातवीं योजना अवधि के दौरान राज्य में 51 नई चीनी मिल स्थापित करने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

स्वर्गीय डा० राजेन्द्र प्रसाद की प्रतिमा की स्थापना

3941. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नई दिल्ली में किसी उपयुक्त स्थान पर भारत के प्रथम राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद की प्रतिमा स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो किस स्थान पर और यह प्रतिमा कब तक स्थापित की जाएगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, हाँ।

(ख) यह मामला सरकार के विचाराधीन है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

आकाशवाणी के नए केन्द्रों की स्थापना

3942. **श्री के० प्रधानी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1985-86 में आकाशवाणी के कुछ नये केन्द्र स्थापित करने के लिए कुछ स्थानों का चयन किया है;

(ख) यदि हां, तो चयन किये गये स्थानों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या उड़ीसा में कुछ स्थानों का चयन कर लिया गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख). अल्मोड़ा (उत्तर प्रदेश), इटानगर (अरुणाचल प्रदेश) शोलापुर (महाराष्ट्र), आदिलाबाद (आन्ध्र प्रदेश) और कोटा (राजस्थान) में निर्माणाधीन नए रेडियो स्टेशनों के 1985-86 के दौरान तैयार हो जाने की संभावना है।

(ग) और (घ). उड़ीसा में क्योंझर में 1 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर, स्टूडियो संग्रहण सुविधाओं और स्टाफ क्वार्टरों के साथ स्थानीय रेडियो स्टेशन स्थापित करने की स्कीम को अनुमोदित छठी योजना में शामिल किया गया था। इस समय भवन निर्माण कार्य चल रहा है। केन्द्र के 1986-87 के दौरान चालू हो जाने की उम्मीद है।

देश में सभी के लिए आवास की व्यवस्था

3943. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में और विशेषरूप से आदिवासी क्षेत्रों में अनेकों लोगों के पास आवास नहीं है;

(ख) क्या ऐसे व्यक्तियों का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है ? यदि हाँ, तो यह सर्वेक्षण कब किया गया था और इसके क्या निष्कर्ष हैं; और

(ग) देश में प्रत्येक नागरिक को आवास जैसा बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख). दशवार्षिक जनगणना के दौरान बेघर व्यक्तियों अर्थात उन व्यक्तियों के बारे में सूचना एकत्र की जाती है जो आमतौर पर सड़कों के किनारे, एकल पथों, ह्यूम पाइपों, जीनों के नीचे या खुले में, मन्दिरों, मण्डपों, प्लेटफार्मों और ऐसे ही अन्य स्थलों पर पाये जाते हैं।

1981 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण तथा आदिवासी क्षेत्रों में 1,724,111 व्यक्ति बेघर थे। इनमें असम तथा पाकिस्तान और चीन के गैर-कानूनी कब्जे के क्षेत्रों के व्यक्ति शामिल नहीं हैं क्योंकि यहां जनगणना नहीं की जा सकी थी।

(ग) आवास राज्य का विषय है और गरीब वर्गों के लिए मूलरूप से निम्नलिखित दो योजनायें हैं :—

(i) ग्रामीण आवास स्थलों का आबंटन तथा निर्माण सहायता की व्यवस्था और

(ii) शहरी क्षेत्रों में समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए मकानों का निर्माण।

राजधानी में चीनी के मूल्यों में वृद्धि

3944. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राजधानी में चीनी का मूल्य 9 रुपये प्रति किलो तक हो जाने की संभावना है जो कि सबसे अधिक होगा;

(ख) क्या इंडियन फैडेरेशन आफ कनजयूमर आर्गेनाइजेशन ने चीनी के मूल्यों में वृद्धि के लिए उनके मंत्रालय पर आरोप लगाया है;

(ग) यदि हां, तो चीनी के उत्पादन में कमी के बारे में तथ्यों की जानकारी के बावजूद तत्काल कदम उठाने के क्या कारण हैं; और

(घ) कमी को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) दिल्ली में मुक्त बिक्री की चीनी के खुदरा मूल्य अगस्त के पहले सप्ताह में 8.30 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुँच गए थे जो कि 14.8.85 को गिरकर 7.50 रुपये प्रति किलोग्राम पहुँच गए हैं।

(ख) समाचार पत्र में प्रकाशित इस आशय का एक समाचार सरकार के नोटिस में आया है।

(ग) और (घ). स्वदेशी चीनी की उपलब्धता में वृद्धि करने के उद्देश्य से, सरकार ने 10 लाख मीटरी टन चीनी का आयात करने और राज्य सरकार की एजेंसियों के माध्यम से 5.80 रुपये प्रति किलोग्राम से भी कम मूल्य पर इसका वितरण करने तथा भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से नीलामी/टेंडर द्वारा लाइसेंसशुदा व्यापारियों को इसकी बिक्री करने की व्यवस्था करने का फैसला किया है। इसके अलावा, मुक्त बिक्री और लेवी चीनी की पर्याप्त निर्मुक्तियां भी की गई हैं। दिल्ली में आयातित चीनी सुपर बाजार, दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, केन्द्रीय भण्डार और अन्य खुदरा माध्यमों से 5.50 रुपये प्रति किलो (खुली) और 5.65 रुपये प्रति किलो (पौली पैक में) की दर पर बेची जा रही है। दिल्ली प्रशासन सभी उचित दर की दुकानों के माध्यम से लेवी चीनी की आपूर्ति करना भी सुनिश्चित कर रहा है।

औद्योगिक नियोजकों द्वारा भविष्य निधि, उपदान और कर्मचारी बीमा नियमों का उल्लंघन किया जाना

3945. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि देश में अनेक औद्योगिक नियोजकों द्वारा भविष्य निधि, उपदान और कर्मचारी बीमा नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है;

(ख) क्या इस बारे में उपयुक्त विधान बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूरा ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार का अन्य क्या उपाय करने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री टी० अन्जैया) : (क) जी, हाँ ।

(ख) और (ग). कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, और उपदान संदाय अधिनियम के विद्यमान कानूनी और दाण्डिक उपबंधों में कमियों को हटाने और इन अधिनियमों के उपबन्धों का उल्लंघन करने के लिए कठोर दंड निर्धारित करने के प्रश्न पर सरकार ध्यान दे रही है। तथापि, इन प्रस्तावों के ब्यौरों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

"बैटर फिल्म्स आन टी० वी० प्लान्ड" शीर्षक समाचार

3946. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 11 जुलाई, 1985 के "टाइम्स आफ इण्डिया" में "बैटर फिल्म्स आन टी० वी० प्लान्ड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो दूरदर्शन पर दिखाए जा रहे इस प्रकार के सीरियलों की संख्या क्या हैं;

(ग) प्रत्येक सीरियल के प्रत्येक एपीसोड के प्रभार क्या हैं; और

(घ) उतनी अवधि के लिए नाटक, चित्रहार अथवा किसी विदेशी सीरियल के प्रसारण की लागत क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग). एक विवरण संलग्न है।

(घ) दूरदर्शन पर कार्यक्रमों के प्रयोजन के लिए रेट कार्ड संलग्न है (परिशिष्ट-2)।

विवरण-I

क्र० सं०	कार्यक्रम का शीर्षक	अनुमोदित कार्यक्रमों की संख्या	दूरदर्शन द्वारा लिया जाने वाला प्रायोजन शुल्क
			(प्रति एपीसोड रुपए)
1.	अड़ोस-पड़ोस	26	35,000
2.	खानदान	52	35,000
3.	हम लोग	156	35,000
4.	रजनी	26	35,000
5.	दर्पण	13	35,000
6.	नटखट नारद	13	35,000
7.	बैरिस्टर विनोद	13	35,000
8.	बीबी नातियों वाली	13	35,000
9.	यह जो है जिन्दगी	52	35,000
10.	बसन्ती	8	35,000
11.	बाबाजी का बाइसकोप	13	35,000
12.	मिस्टर या मिसेज	13	35,000
13.	पेइंग गेस्ट	26	35,000
14.	वाह जनाब	13	35,000
15.	बनते बिगड़ते	13	35,000
16.	स्टार ट्रैक	13	1,00,000
17.	टेरी एंड जून	13	60,000
18.	सरवाइवल	17	1,00,000
19.	क्विज टाइम	36	35,000

विवरण-2

कार्यक्रम "ग" श्रेणी	दिल्ली/मसूरी/जयपुर रायपुर मुजफ्फरपुर अल्प शक्ति वाले ट्रांसमीटर	बम्बई/पुणे/ पणजी	कलकत्ता/मद्रास/ जलंधर/अमृतसर	लखनऊ/ कानपुर/ हैदराबाद/ बंगलौर	श्रीनगर	राष्ट्रीय संजाल
	1	2	3	4	5	6
दूरदर्शन के प्रायोजित कार्यक्रम						
सुपर "ए" स्पेशल	37,500	25,000	12,500	10,000	10,000	1,25,000
सुपर "ए"	30,000	20,000	10,000	7,500	7,500	1,00,000
"ए"	18,000	9,600	6,000	4,000	4,000	60,000
"बी"	12,000	6,400	4,000	3,000	3,000	40,000
"सी"	6,000	3,200	2,000	1,600	1,600	20,000
प्रायोजकों द्वारा निर्मित प्रायोजित कार्यक्रम						
2 मिनट के नि:शुल्क समय के साथ 30-25 मिनट	10,000	6,000	5,000	5,000	5,000	35,000
1 मिनट के नि:शुल्क समय के के साथ 15-12½ मिनट	6,000	4,000	3,000	3,000	3,000	21,000

प्रायोजकों द्वारा आयातित प्रायोजित कार्यक्रम						
40 सेकेंड नि:शुल्क विज्ञापन समय के साथ 30 मिनट	40,000	25,000	12,000	7,500	7,500	1,10,000
20 सेकेंड नि:शुल्क विज्ञापन समय के साथ 15 मिनट	20,000	12,500	6,250	3,750	3,750	55,000

[हिन्दी]

भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी अधिनियम का कार्यान्वयन

3947. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी अधिनियम में कुछ कमियां रहने अथवा उसकी गलत व्याख्या किए जाने के कारण, अनेक राज्यों में इसके उद्देश्य पूरे नहीं हो पाये हैं क्योंकि बड़े किसानों, भूतपूर्व शासकों और जमींदारों ने भूमि हथिया रखी है जिसके परिणामस्वरूप अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छोटे तथा सीमान्त किसानों को जो भूमि की वास्तविक जुताई करते हैं, अनेक गांवों में आज भी स्वामित्व अधिकार से वंचित रखा गया है; और

(ख) क्या सरकार का विचार उक्त परिस्थितियों की जांच करने के लिए कोई समिति गठित करने का है जिससे कि अवैध रूप से अथवा गलत कानून के कारण हथियाई गई भूमि वापिस ली जा सके; और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) और (ख). निम्नलिखित तालिका में वर्ष 1970-71 तथा 1980-81 में कृषि गणना से सामने आए परिचालन जोतों के ढांचे के आंकड़े दर्शाये गए हैं :—

जोतों का वर्ग तथा आकार		परिचालन जोतों की संख्या (मिलियन)		परिचालित क्षेत्र (मिलियन हैक्टेयर)	
		1970-71	1980-81	1970-71	1980-81
1.	सीमान्त जोतें	37.20	50.52	14.56	19.80
	(एक हैक्ट. से कम)	(50%)	(56.5%)	(9%)	(12.2%)
2.	छोटी जोतें	13.43	16.08	19.28	22.96
	(1-2 हैक्टेयर)	(18.9%)	(18.7%)	(11.9%)	(14.1%)
	कुल (1) व (2)				
	2 हैक्टेयर तक	49.63	66.60	33.84	42.76
		(68.9%)	(14.5%)	(20.9%)	(26.3%)
	बड़ी जोतें (10 हैक्टेयर	2.77	2.15	50.06	37.13
	तथा अधिक)	(3.9%)	(2.4%)	(30.9%)	(22.8%)

इस प्रकार 2 हैक्टेयर तक की जोतों की संख्या 49.63 मिलियन से बढ़कर 66.6 मिलियन तथा उनका परिचालन क्षेत्रफल 33.84 मिलियन हैक्टेयर से बढ़कर 42.76 मिलियन हैक्टेयर हो गया है। जबकि, बड़ी जोतों की संख्या 2.77 मिलियन से घटकर 2.15 मिलियन हैक्टेयर और उनका क्षेत्रफल 50.86 मिलियन हैक्टेयर से घटकर 37.13 मिलियन हैक्टेयर रह गया है। अत: छोटे तथा सीमान्त भू-स्वामियों के हक में जोतों का निश्चय ही पुन: वितरण किया गया है।

इस सम्बन्ध में समिति गठित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि राज्य राजस्व मंत्रियों

तथा सचिवों के समय-समय पर हुए सम्मेलनों में इस मामले की पुनरीक्षा की जा रही है। राज्य राजस्व मंत्रियों के हाल ही के सम्मेलन में भूमि की अधिकतम सीमा कानूनों के कार्यान्वयन के बारे में विचार-विमर्श किया गया तथा उनकी निम्नलिखित सहमतियों को राज्यों को आवश्यक कार्रवाई हेतु सूचित कर दिया गया है :—

(क) राज्यों/केन्द्रशासित क्षेत्रों द्वारा वर्तमान अधिकतम सीमा कानूनों, संशोधन-पूर्व तथा संशोधित कानूनों, दोनों के कार्यान्वयन की निगरानी पर पूरा जोर दिया जाए।

(ख) अनुमानित फालतू भूमि तथा फालतू घोषित भूमि, फालतू घोषित भूमि तथा कब्जे में लिए गए क्षेत्र तथा कब्जे में लिए गए क्षेत्र तथा वितरित क्षेत्र के बीच अन्तर के बारे में उपचारी कार्रवाई हेतु विश्लेषण करने की आवश्यकता है।

(ग) विवरणियों का निपटान विभिन्न न्यायालयों में वापिस किए गए तथा पुनः खोले गए मामलों सहित लम्बित मामले, कब्जे में लिया गया क्षेत्र, फालतू घोषित भूमि तथा उसका वितरण, शीघ्र नामान्तरण, पर्चा, पट्टे तथा मौके पर वास्तविक पैमाइश तथा कब्जा देने आदि पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

(घ) भूमि सीमा मामलों को शीघ्र निपटाने हेतु संबंधित उच्च न्यायालयों के परामर्श से संविधान के अनुच्छेद 323 (ख) के अन्तर्गत न्यायाधिकरणों का गठन तथा/अथवा उच्च न्यायालयों में विशेष न्यायालय बेंचों (न्यायपीठों) के गठन पर विचार किया जाए।

(ङ) राज्य यह सुनिश्चित करे कि भूमि सीमा मामलों के निपटान से संबंधित राजस्व तथा न्यायिक अधिकारियों के पद रिक्त न रहें।

(च) भूमि की अधिकतम सीमा कानून के उल्लंघन और टालमटोल के मामलों का पता लगाने की कार्रवाई गम्भीरता से की जाए। वर्तमान कानून में सम्भावित कमियों को दूर करने हेतु पुनरीक्षण किए जाएं।

(छ) बेनामी हस्तांतरण तथा कानून से बचने के तरीकों का पता लगाने के लिए तेजी से कार्यवाई की जाए तथा उसके पश्चात् कानूनी तथा अन्य ठोस उपचारी उपाय किए जाएं।

(ज) यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए कि अधिकतम सीमा कानूनों तथा भूमि-अभिलेखों में भूमि का वर्गीकरण एक समान रहे।

(झ) नए सिंचित क्षेत्रों में तथा सार्वजनिक राजकोष से वित्त पोषित परियोजनाओं और योजनाओं द्वारा सिंचित क्षेत्रों में अधिकतम सीमा कानूनों को लागू करने की पुनरीक्षा की जाए जिससे उन पर उपयुक्त सीमा कानूनों को लागू किया जा सके।

(ञ) अधिकतम सीमा को कम करने तथा परिवार की परिभाषा में बालिग पुत्रों को शामिल करने के बारे में राज्यों द्वारा विचार किया जा सकता है। राष्ट्रीय मार्गदर्शिकाओं के अनुसार प्रत्येक बालिग पुत्र को अलग पारिवारिक भूमि-सीमा का हक देने के वर्तमान प्रावधान में संशोधन करते हुए 24.1.1971 की स्थिति के अनुसार बालिग पुत्रों को उनके अभिभावकों की भूमि-जोतों की अधिकतम सीमा की गणना करने के लिए परिवार का ही सदस्य माना जाए।

(ट) भूमि की अधिकतम सीमा की पुनरीक्षा करने पर विचार किया जा सकता है। 5 सदस्यों के परिवार के लिए सुनिश्चित सिंचाई वाली तथा वर्ष में कम से कम 2 फसलें देने वाली उत्तम श्रेणी की 5 हैक्टेयर भूमि, सुनिश्चित सिंचाई वाली वर्ष में कम से कम 1 फसल देने वाली

इससे अगली श्रेणी की 7.5 हैक्टेयर भूमि तथा अन्य भूमियों के लिए 12 हैक्टेयर की भूमि-सीमा रखने पर विचार किया जा सकता है।

(ठ) धार्मिक तथा धमार्थ संस्थाओं के पास भूमि को भी राज्यों द्वारा भूमि की अधिकतम सीमा कानूनों के अन्तर्गत लाने पर विचार किया जा सकता है।

(ड) फालतू भूमि के उस भाग को कब्जे में लेने का भी प्रावधान किया जाना चाहिए जिस पर कोई मुकदमा नहीं चल रहा है।

(ढ) भूमि सीमा के मुकदमों के पक्षों की ओर से पैरवी करने से वकीलों को रोकने के बारे में जहाँ कहीं कानूनी प्रावधान नहीं हैं, वहाँ ऐसे प्रावधान किए जाएं।

(ण) राज्यों द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए जांच की जानी चाहिए कि जो भूमि खेती के अयोग्य घोषित की गई है, क्या वह वास्तव में वैसी ही है।

[अनुवाद]

राज्यों को आयातित वनस्पति तेल जारी करना

3948. **डा० जी० विजय राम राव** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र द्वारा सारा वनस्पति तेल (वाणिज्यिक आयात या उपहार) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों आदि को वितरित और जारी किया जा रहा है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; (बिजनेस स्टैंडर्ड 28 जून, 1985)

(ख) क्या केन्द्र द्वारा सभी प्रकार के वनस्पति तेलों (वाणिज्यिक अथवा उपहार) के प्राप्त होने पर और भण्डारण के पश्चात जारी करने पर कोई किस्म नियन्त्रण रखा जाता है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सभी प्रकार के आयातित वनस्पति तेलों (आयात या उपहार) का निर्गम मूल्य निर्धारण केन्द्र द्वारा किया जाता है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या फालतू आयातित तेल (उपहार या वाणिज्यिक) जारी करने से उत्पादन में, विशेषकर, उन राज्यों में जिन्हें फालतू तेल जारी किया जाता है, कमी आयी है; और

(ङ) क्या सरकार उपभोक्ता उत्पादक हितों की रक्षा तथा क्वालिटी नियन्त्रण के लिए सभी वनस्पति तेलों के आयात और उनमें वितरण को एक केन्द्रीय प्राधिकरण के अधीन रखेगी ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) आयातित खाद्य तेल (वाणिज्यिक), सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उपभोक्ताओं में वितरित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तथा वनस्पति उत्पादन के लिए वनस्पति उद्योग को सप्लाई किए जाते है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की खाद्य तेल तथा तिलहनों के उत्पादन तथा विपणन को नया रूप देने की परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए धन जुटाने हेतु अमरीकी कोआपरेटिव लीग और कनाडियन कोआपरेटिव यूनियन के माध्यम से अमरीका और कनाडा से क्रमशः परिष्कृत सोयाबीन तेल तथा अपरिष्कृत रेपसीड तेल का उपहार के रूप में आयात किया जा रहा है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा प्राप्त उपहार स्वरूप तेल, राज्य स्तरीय तिलहन उत्पादक सहकारी संघों को वितरण के लिए सप्लाई किए जाते है। इस समय यह परियोजना गुजरात, मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु,

उड़ीसा, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक राज्यों में कार्यान्वित की जा रही है। अपरिष्कृत रेपसीड तेल को बेचने से पहले परिष्कृत किया जाता है।

(ख) जी हां।

(ग) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आयातित खाद्य तेल (वाणिज्यिक) केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्व निर्धारित मूल्यों पर दिए जाते हैं। उपहार स्वरूप तेल राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा नियत दर पर बेचे जाते हैं।

(घ) तिलहनों के उत्पादन में वास्तव में वृद्धि हुई है।

(ङ) खाद्य तेलों (वाणिज्यिक) का आयात 1978 से, भारतीय राज्य व्यापार निगम के माध्यम से मार्गीकृत है। उपहार स्वरूप तेल का आयात राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा अपनी परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए किया जाता है। उपभोक्ता हित की सुरक्षा के लिए खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमों के तहत गुणता नियन्त्रण का अनुपालन पहले से ही किया जा रहा है।

मदर डेयरी द्वारा अण्डे, मछली और मीट उत्पादों की बिक्री

3949. **डा० जी० विजय रामा राव** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मदर डेयरी द्वारा दिल्ली उपभोक्ताओं को अण्डे, मछली और मीट उत्पादों की बिक्री की जायेगी;

(ख) यदि हां, तो समय सूची और प्रस्तावित मूल्यों के सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या मदर डेयरी वर्ष 1985 में आपरेशन फ्लड 2 के अन्त में गन्ने के रस और "क्लूसा" से प्राप्त वनस्पति तेल की बिक्री भी विक्रय बूथों के माध्यम से प्रारम्भ कर रही है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) और (ख). मदर डेयरी दिल्ली द्वारा अण्डे, मछली और मीट उत्पादों को बेचने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) मदर डेरी, दिल्ली के दुग्ध विक्रय बूथों के जरिए गन्ने के रस और वनस्पति तेल को बेचने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

गृह-हीनों के लिए आवास के बारे में सम्मेलन

3950. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में फरवरी, 1985 में गृह विहीनों के लिए आवास के बारे में दो-दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन द्वारा दिए गए प्रमुख सुझावों का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, हां।

(ख) अन्य बातों के साथ-साथ भाग लेने वालों में मतैक्य इस प्रकार था :—

1. आई० वाई० एस० एच० परियोजनाओं के भावी लाभ भोगी अनधिवासी तथा सलिन बस्ती निवासी, आश्रयहीन और समाज के अन्य असुविधा वाले वर्गों के होने

चाहिए जो पेयजल, स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा रोजगार के अवसरों तथा समान सुविधाओं एवं सेवाओं के बिना हैं।

2. आश्रयविहीन की समस्याओं से निबटने के लिए एकल खिड़की दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।

3. उपलब्ध भूमि संसाधनों की तालिका तैयार की जानी चाहिए और आंकड़ों को निरन्तर अद्यतन बनाया जाना चाहिए।

4. भूमि की न्यूनतम प्रतिशतता नियत की जानी चाहिए और यह बेघर लोगों को आश्रय मुहैया करने के प्रयोजनों के लिए उद्दिष्ट की जानी चाहिए।

5. एक भूमि बैंक बनाया जाना चाहिए।

6. निजी विकासकर्ताओं के लिए यह आदेशात्मक होना चाहिए कि वे निर्धनों में सबसे अधिक निर्धनों के लिए कुल विकसित भूमि की न्यूनतम प्रतिशतता की व्यवस्था करें।

7. कामगारों को शैल्टर मुहैया करने के लिए पर्याप्त भूमि तथा संसाधनों का नियतन करने के लिए यह सभी औद्योगिक इकाइयों पर आदेशात्मक होना चाहिए।

8. दो कांटेदार आक्षेप होने चाहिए नामतः नए आवास भण्डार बनाना और मौजूदा आवास परिसम्पत्तियों का अनुरक्षण उन्हें पहले की स्थिति में बहाल करना, सुधार करना एवं उनका विस्तार करना।

9. आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों और ग्रामीण आवास योजना के लिए वर्तमान लागत सीमा में 25 प्रतिशत वृद्धि सरकार द्वारा अनुमोदित की जानी चाहिए।

10. भावी लाभभोगियों के लिए शैल्टर परियोजनाओं के लिए ब्याज की दर कम करके 5 प्रतिशत कर दी जानी चाहिए।

11. एक ग्रामीण आवास वित्त निगम की स्थापना होनी चाहिए।

12. समुदाय की प्रतिक्रिया जानकर शैल्टर परियोजनाएं बनायी जाएं।

13. ग्रामीण आवास कार्यक्रम में भाग लेने के लिए स्वैच्छिक अभिकरणों को प्रोत्साहित किया जाए।

14. सारे देश में मलिन बस्तियों एवं सीमान्त बस्तियों की गणना की जानी चाहिए।

15. भावी आर्थिक विकास एवं जनसांख्यिकी प्रक्षेपणों पर आधारित दीर्घ-कालीन भू-उपयोग नीति अपनानी चाहिए।

16. भूमि का गहन उपयोग करने के लिए "लो राइज हाई डेन्सिटी" विकास की नीति अपनानी चाहिए।

17. संवृद्धि विकास की संकल्पना को भूमि विकल्प के रूप में समझा जाना चाहिए।

18. आवास में कुल पूंजी निवेश की विशिष्ट प्रतिशतता आई० वाई० एस० एच० परियोजनाओं के भावी लाभभोगियों को शैल्टर देने के लिए होनी चाहिए।

19. प्रत्येक क्षेत्र के लिए दीर्घ स्तर के एकीकृत भूमि विकास नक्शे राज्य नगर एवं ग्राम आयोजन संगठनों द्वारा तैयार किए जाने चाहिए।

20. विभिन्न नगर प्राधिकरणों के विस्तृत कार्य समन्वय करने एवं मार्गनिदेशन के लिए उपयुक्त विस्तार अभिकरणों का सृजन करना चाहिए।

21. मानव बस्ती कार्यों में अन्तर्ग्रस्त संगठनों की बहुलता की जाँच करने के लिए और सांस्थनिक संरचना में उपयुक्त संशोधन सुझाने के लिए तथा अलग-अलग संस्थाओं की प्रबोधन गतिविधियों के लिए उपयुक्त यन्त्रावली सुझाने के लिए भी एक समिति का गठन किया जाये।

22. अपेक्षतया बड़े गांवों का विकास कार्यक्रम राज्य नगर एवं ग्राम आयोजना संगठनों द्वारा तैयार किया जाना चाहिए।

23. सहायता प्राप्त ग्रामीण आवास जारी रहे लेकिन मुफ्त आवास मुहैया करने की प्रथा समाप्त कर दी जाए।

24. परम्परागत भवन निर्माण सामग्री का पुनर्जीवन के लिए व्यापक कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए।

25. ग्रामीण तथा नगर आश्रय कार्यक्रम में 60.40 के अनुपात में योजना संसाधनों का नियतन किया जाए और इसके अतिरिक्त वाणिज्यिक बैंकों से योजना निधि संसाधन भी जुटाये जाएं।

26. शैल्टर के लिए वाणिज्यिक बैंक ऋणों पर भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिबन्ध को उदार बनाना चाहिये और शैल्टर परियोजनाओं की वित्त व्यवस्था करने के लिए वित्तीय संस्थाओं द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाये।

27. भावी लाभभोगियों पर "संचालन लागत" का प्रभाव कम करने के उद्देश्य से भू-अर्जन, पंजीकरण, स्वामित्वाधिकार ग्रहण करने पर आने वाली लागत कम करने के लिए मौजूदा कानूनों में उपयुक्त संशोधन किया जाये।

28. भावी लाभभोगियों के लिए "सहनीय शैल्टर" तैयार करने के लिये शैल्टर के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास कार्य किया जाना चाहिये और कार्यान्वयन अभिकरणों के कार्मिकों को सहनीय शैल्टर की नवीन संकल्पनाओं एवं तकनीकी में प्रशिक्षित किया जाना चाहिये।

मिजोरम में ट्रांसमीटर और निर्माण केन्द्र स्थापित करना

3951. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 1 जुलाई, 1985 के इंडियन एक्सप्रेस में ऐजवाल म्युआर प्रेफर बांग्ला टी० वी० प्रोग्राम्स शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है कि ऐजवाल में स्थित एक मात्र दूरदर्शन रिले केन्द्र की तुलना में मिजोरम में बांग्लादेश दूरदर्शन के कार्यक्रम अधिक लोगों द्वारा देखे जाते हैं; और

(ख) यदि हां तो क्या मिजोरम सरकार ने मांग की है कि ऐजवाल में तत्कालिकता के

आधार पर ट्रांसमीटर और निर्माण केन्द्र तथा दो जिला मुख्यालयों लुंगली और सेहा में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित किये जाएं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) सरकार ने प्रश्नास्पद समाचार को देखा है ।

(ख) जबकि ऐजवाल में कार्यक्रम निर्माण सुविधाओं के साथ उच्च शक्ति वाले दूरदर्शन ट्रांसमीटर की स्थापना कार्यान्वयानाधीन है, मिजोरम में दूरदर्शन सेवा का और विस्तार करना भविष्य में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

केरल नागरिक पूर्ति निगम को गोदामों के निर्माण हेतु सहायता

3952. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल नागरिक पूर्ति निगम ने अपने गोदामों और अन्य आधारभूत सुविधाओं के निर्माण के लिए सहायता की माँग की है;

(ख) यदि हाँ, तो कितनी सहायता मांगी गई है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

ताड़ की खेती

3953. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या **कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय पाम आयल का आयात किया जा रहा है;

(ख) स्वदेशी उत्पादन से देश की तेल की कितनी मांग पूरी होती है;

(ग) क्या देश में ताड़ की बड़े पैमाने पर खेती करने वालों के लिये कोई योजना तैयार की गई है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) जी, हाँ।

(ख) देशी उत्पादन से देश की आवश्यकता की पूर्ति पूरी तरह से नहीं हुई और शेष आवश्यकता की पूर्ति आयात करके की गई है।

(ग) और (घ). केरल और अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह में आयल पाम की खेती की जाती है। वहाँ कृषि जलवायु सम्बन्धी परिस्थितियाँ इसके उपयुक्त है। केरल में आयल पाम इंडिया लिमिटेड ने जो भारत सरकार और केरल का संयुक्त उद्यम है, प्लांटेशन कर रहा है और अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह में अण्डमान तथा निकोबार वन और बागान विकास निगम लाल आयल पाम का प्लांटेशन कर रहा है।

राज्यों को आवास योजनाओं के लिए धनराशि देना

3954. **श्री प्रकाश चन्द्र** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने केन्द्र सरकार से 1 जनवरी, 1985 तक राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय योजनाओं के लिए धनराशि जारी करने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ग) वर्ष 1984-85 के दौरान प्रत्येक राज्य को परियोजना के अन्तर्गत कितनी सहायता दी गई और प्रत्येक राज्य द्वारा किए गये कार्य का ब्यौरा क्या है; और

(घ) योजना को लागू करने के लिये वर्ष 1985-86 में क्या व्यवस्था की गई ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) से (घ). आवास राज्य का विषय है । राज्य योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता समेकित ऋणों और समेकित अनुदानों के रूप में दी जाती है जो किसी विशेष विकास शीर्ष या योजना से जुड़ी नहीं होती है ।

लेह आकाशवाणी केन्द्र में बाल्टी और तिब्बती अनुभाग खोलना

3955. **श्री पी० नामग्याल** : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी का लेह केन्द्र लद्दाखी में प्रसारण करता है और बाल्टी तथा तिब्बती बोलियों में नहीं जो कि लद्दाख क्षेत्र के बहुत से निवासियों द्वारा बोली जाती है;

(ख) क्या तथाकथित "अजाद काश्मीर" रेडियो और बीजिंग रेडियो का लहासा केन्द्रों से उनके अत्यंत शक्तिशाली शार्ट-वेव ट्रांसमीटरों के जरिए क्रमशः बाल्टी और तिब्बती भाषाओं के कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं;

(ग) यदि हां, तो खासतौर पर आजाद काश्मीर, रेडियो और बीजिंग रेडियो द्वारा किए जा रहे जोरदार प्रचार का मुकाबला करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार आकाशवाणी के लेह केन्द्र में बाल्टी और तिब्बती अनुभाग खोलने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री बी० एन० गाडगिल) : (क) लद्दाखी में कार्यक्रमों के अतिरिक्त, आकाशवाणी, लेह तिब्बती में 30 मिनट का एक पाक्षिक कार्यक्रम प्रसारित करता है । किन्तु आकाशवाणी लेह या श्रीनगर से इस समय बाल्टी में कोई कार्यक्रम प्रसारित नहीं किया जा रहा है ।

(ख) ऐसी रिपोर्टें हैं कि रेडियो पाकिस्तान बाल्टी बोली में कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है, जो भारत के कारगिल जिले तथा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में बोली जाती है ।

(ग) से (ङ). सातवीं योजना के अपने मसौदे में, आकाशवाणी ने उस क्षेत्र में आकाशवाणी की सेवा को अधिक प्रभावी बनाने के लिए हार्डवेअर और साफ्टवेअर सम्बन्धी स्कीमों का प्रस्ताव किया

है। हार्डवेअर सम्बन्धी स्कीमों में, लेह में एक शार्टवेव ट्रांसमीटर की स्थापना करना तथा श्रीनगर और जम्मू स्थित मौजूदा शार्टवेव और मीडियम वेव ट्रांसमीटरों का दर्जा बढ़ाना शामिल हैं। लेह और श्रीनगर से बाल्टी में नये कार्यक्रमों को शुरू करने पर भी आकाशवाणी में विचार किया जा रहा है।

आन्ध्र प्रदेश में खरीफ फसल बीमा के लिए मंजूर की गई धनराशि

3956. **श्री वी० तुलसीराम** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने आन्ध्र प्रदेश को खरीफ फसल बीमा के लिए कोई धनराशि मंजूर की है;

(ख) यदि हां, तो कितनी धनराशि मंजूर की गई है;

(ग) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार ने इस प्रयोजन के लिए अधिक धनराशि देने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इन किसानों के लिए आवश्यक धनराशि कब तक दे दी जाएगी ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) और (ख). वर्ष 1985-86 के दौरान फसल बीमा योजना के अन्तर्गत धनराशि का कोई राज्यवार आवंटन/नियुक्ति नहीं की गई है।

(ग) और (घ). आन्ध्र प्रदेश सरकार ने पूछा था कि क्या केन्द्रीय सरकार राज्य फसल बीमा निधि के संग्रह को 2 करोड़ रुपये का अंशदान देगी। राज्य सरकार को बताया गया था कि केन्द्रीय सरकार का अधिकतम अंशदान प्रत्येक राज्य को 1 करोड़ रुपए से अधिक नहीं हो सकता है। तथापि, धनराशि की निर्मुक्ति के लिए राज्य सरकार से कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

आन्ध्र प्रदेश में नारियल के पेड़ों में जड़ों की बीमारी

3957. **श्री वी० तुलसीराम** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में बहुत से नारियल के पेड़ "जड़ों की बीमारी" से पीड़ित हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ग) इस राज्य के नारियल उत्पादकों को बचाव हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) पेड़ों में जड़ों की बीमारी को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) जी, नहीं। राज्य सरकार के अनुसार आन्ध्र प्रदेश में नारियल के पेड़ों में जड़ों की कोई बीमारी नहीं है।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठते।

कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों में चिकित्सा कर्मचारी

3958. **श्री वी० तुलसीराम** : क्या श्रम मन्त्री कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों के बारे में 25 मार्च, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 872 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन अस्पतालों में डाक्टरों, नर्सों तथा अर्ध चिकित्सा कर्मचारियों के कितने पद (i) छः महीने से अधिक तथा (ii) एक वर्ष से अधिक समय से खाली हैं तथा उन्हें न भरे जाने के क्या कारण हैं;

(ख) इन अस्पतालों में डाक्टरों, नर्सों तथा अन्य कर्मचारियों की वास्तव में कितनी आवश्यकता है; और

(ग) अपेक्षित जानकारी कब तक सभा पटल पर रख दी जाएगी ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री टी० अन्जैया) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है :

पद का नाम	स्वीकृत पद	खाली पड़े पद	
		छह माह से एक वर्ष तक	एक वर्ष से अधिक
1. डाक्टर	2635	102	303
2. नर्स	4698	67	286
3. सहायक चिकित्सा कर्मचारी	2963	78	250
4. अन्य कर्मचारी	11,905	262	547

राज्य सरकारों द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, ये पद सामान्यतः या तो भर्ती नियमों को अन्तिम रूप न दिए जाने, आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों की अनुपलब्धता, तकनीकी पदों के अर्हक उम्मीदवारों का अनुपलब्धता की वजह से या इन पदों को भरने के लिए प्रक्रियात्मक विलम्बों आदि के कारण खाली पड़े हैं।

आन्ध्र प्रदेश में नारियल के पेड़ पुनः लगाया जाना

3959. **श्री वी० तुलसीराम** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश राज्य में नारियल के अधिकतर पेड़ काफी पुराने हैं और उनसे अच्छी फसल नहीं मिलती है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य में नारियल के नए पेड़ लगाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ग) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है और इसको कब तक कार्यान्वित किए जाने की सम्भावना है; और

(घ) इस प्रयोजना के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी वित्तीय सहायता दी जाएगी और कब ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) आन्ध्र प्रदेश में नारियल के पुराने तथा कम उत्पादक पेड़ों के बारे में कोई विस्तृत सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ख) नारियल विकास बोर्ड ने सातवीं योजना के लिए 15 राज्यों और संघ शासित प्रदेश के लिए एक समेकित विकास परियोजना तैयार की है। इसमें आन्ध्र प्रदेश में 500 हैक्टार में पुराने तथा अलाभकारी बागों में फिर से पेड़ लगाना शामिल है।

(ग) और (घ). इस परियोजना के अन्तर्गत पुन: पेड़ लगाने के लिए 100 रुपए प्रति पेड़ या 15,000 रुपए प्रति हेक्टार, जो भी कम हो, के आधार पर राज-सहायता देने का प्रस्ताव है। धनाभाव के कारण इस योजना को सातवीं योजना में शामिल करने पर विचार नहीं किया जा सका।

पपीते की टिसू खेती की तकनीक का असफल होना

3960. **श्रीमती ऊषा वर्मा** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 14 जुलाई, 1985 के "जनसत्ता" में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, पूसा, नई दिल्ली द्वारा की गई पपीते की टिसू खेती के बारे में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस पर अब तक कितनी धन राशि खर्च की गई है और उसके क्या परिणाम निकले ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) दैनिक पत्र में प्रकाशित रिपोर्ट में तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है। वैज्ञानिकों ने टीसू कल्चर के द्वारा पपीते के पौधों के उत्पादन के लिए एक उपयुक्त एवं व्यावसायिक दृष्टि से सक्षम तकनीक को विकसित करने में सफलता प्राप्त कर ली है। उन्होंने तकनीक की क्षमता का प्रदर्शन किया है और लागत-लाभ के अनुपात का भी हिसाब निकाला है। फिर भी, उन्होंने उक्त तकनीक को बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए नहीं अपनाया है क्योंकि वे मौजूदा समय में विधि द्वारा उगाये गये पौधों की अन्तिम क्षमता का मूल्यांकन कर रहे हैं। जब तक उसका वैज्ञानिक तौर पर परीक्षण नहीं कर लिया जाता और पपीते के पौधों से अन्तत: अच्छा उत्पादन नहीं मिल पाता एवं उनमें अपेक्षित गुण नहीं आ जाते तब तक उक्त तकनीक को बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता।

(ग) आई० ए० आर० आई० में टीसू कल्चर प्रयोगशाला की स्थापना पर 2.56 लाख रुपये व्यय किये गये हैं और व्यय केवल उपकरणों पर किया गया है।

अब तक जो अनुसंधान कार्य किये गये हैं जिसके परिणामस्वरूप कल्चर के लिए टीसू को प्रथक करना, सम्बर्धन के लिए प्रणाली का मानकीकरण, कल्चर के लिए अपेक्षित स्थितियों को अनुकूल बनाना, छोटे पौधों की मिट्टी में रोपाई करना, पौधों की बढ़वार में सुधार लाने के लिए विभिन्न वृद्धि नियन्त्रकों को प्रयोग में लाने जैसे कार्य में सफलता प्राप्त की गई है। टीसू कल्चर द्वारा उगाये गये पौधों का अब उनकी शक्ति, फल देने की क्षमता, क्वालिटी, कीट-व्याधियों के प्रति सहिष्णुता और लिंग-भिन्नता के लिए मूल्यांकन किया जाता है।

मछली उत्पादन

3961. **श्री एस० कृष्ण कुमार** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मछली उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान मछली और मछली उत्पादों के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई; और

(ग) कुल वार्षिक मछली उत्पादन कितना है और देश में अब तक मछली पालन की कितनी क्षमता का उपयोग किया गया है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) देश में मौजूद मात्स्यकी की भारी क्षमता का राज्यों और केन्द्र क्षेत्र, दोनों ही क्षेत्रों के अन्तर्गत क्रियान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के जरिए अधिक मात्रा में उपयोग किया जा रहा है। केन्द्र सरकार द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

1. मात्स्यकी सम्बन्धी कार्यकलापों में विविधता लाने तथा देशीय जलयानों को यंत्रीकृत करने के लिए ऋण/राजसहायता के जरिए राज्यों को सहायता;
2. देशी, आयातित और चार्टर किए गए जलयानों के युक्तिसंगत मिश्रण के जरिए गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जलयानों के बेड़े में वृद्धि करना;
3. देश में निर्मित गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जलयानों की लागत पर 33 प्रतिशत राजसहायता प्रदान करना;
4. गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जलयानों की खरीद के लिए नौवहन विकास निधि समिति के माध्यम से आसान शर्तों पर ऋण की व्यवस्था करना;
5. मात्स्यकी सम्बन्ध सर्वेक्षणों की संख्या बढ़ाना तथा बड़े और छोटे बन्दरगाहों पर मत्स्यन पत्तनों के निर्माण के लिए सहायता और छोटे मत्स्यन केन्द्रों पर अवतरण और लंगर डालने की सुविधाएँ; मछली पकड़ने के जलयानों पर कार्य करने के लिए मात्स्यकी सम्बन्धी प्रचालकों को प्रशिक्षण;
6. एक मात्र आर्थिक क्षेत्र में विदेशी जलयानों द्वारा मत्स्यन विनियमन। इसके लिए भारतीय समुद्री क्षेत्र (विदेशी जलयान मत्स्यन विनियमन) अधिनियम, 1981 को 2 नवम्बर, 1981 से लागू किया गया है;
7. जलकृषि के विकास के लिए जिला स्तर पर मछुआ विकास एजेंसियों की स्थापना;
8. राज्यों में वाणिज्यिक स्तर के डिम्पोना फार्मों और हैचरियों की स्थापना;
9. समुद्र तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में खारे जल मछली पालन का विकास तथा प्रान मछली पालन और भूमि-जलपाश वाले कुछ राज्यों की लवणीय भूमि का उपयोग;
10. मछली का उत्पादन बढ़ाने के लिए संसाधनों का विकास; और
11. वाणिज्यिक स्तर पर "ट्राऊट" मछली पालन में सहयोग के लिए "ट्राउट" हेचरियों की स्थापना।

(ख) मछली तथा मछली के उत्पादों के द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा का ब्यौरा निम्न प्रकार है :

वर्ष	विदेशी मुद्रा (करोड़ रुपए)
1982	342.24
1983	362.32
1984	385.50

(ग) राष्ट्रीय कृषि आयोग ने 2000 ई० तक समुद्री, अन्तर्देशीय तथा खारे जल क्षेत्र से 80 लाख मीटरी टन मछली के उत्पादन स्तर पर जोर दिया है। वर्ष 1984 में मछली का वार्षिक उत्पादन 28.40 लाख मीटरी टन होने का अनुमान है।

उचित दर की दुकानों के अन्तर्गत जनसंख्या

3962. **श्री एस० कृष्ण कुमार** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उचित दर की दुकानों के अन्तर्गत कितने प्रतिशत जनसंख्या है;

(ख) शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी उचित दर दुकानें हैं; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों को हासिल करने में विभिन्न राज्यों के कार्य निष्पादन की प्रतिशतता क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) देश की सम्पूर्ण जनसंख्या के लिए उचित दर की दुकानें खोल दी गई हैं।

(ख) सूचना के अनुसार 31 मार्च, 1985 को देश में उचित दर की दुकानों की कुल संख्या 3.19 लाख थी। इसमें से लगभग 2.48 लाख उचित दर की दुकानें ग्रामीण क्षेत्रों में हैं।

(ग) केन्द्रीय सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी है कि वे प्रति 2000 व्यक्तियों के लिए एक उचित दर की दुकान के प्रतिमान को प्राप्त करने का प्रयास करें। 1981 की जनगणना में जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर 15 राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों ने इस प्रतिमान को प्राप्त कर लिया है। बाकी के 16 राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों में अभी तक यह प्रतिमान प्राप्त नहीं किया गया है और कमी का प्रतिशत 3 से 51 प्रतिशत के बीच है।

स्व-रोजगार के लिए ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण कार्यक्रम का कार्यान्वयन

3963. **श्री काली प्रसाद पांडेय** : क्या **कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को स्व-रोजगार के लिए ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण कार्यक्रम राज्य सरकारों द्वारा असमान रूप से कार्यान्वित किए जाने की जानकारी है;

(ख) क्या इसको ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार विद्यमान प्रशिक्षण प्रबन्धों तथा विभिन्न प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रमों की विस्तृत विवेचना करने का है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चंद्राकर) : (क) ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण योजना (ट्राइसेम) एक केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम है, जिसे केन्द्रीय सरकार की एक समान मार्गदर्शिकाओं के अनुसार कार्यान्वित किया जाता है। देश के सभी जिलों और सभी

खंडों में फैले इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में कुछ न कुछ असमानता हो सकती है, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता है।

(ख) और (ग). इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा समय-समय पर की जाती है। प्रशिक्षण संस्थाओं के लिए आधारभूत ढांचा उपलब्ध कराने तथा प्रशिक्षण के विषयों का संशोधन करने के बाद ही इनके पाठ्यक्रमों और इनकी अवधि दोनों का पुनरीक्षण करने की कार्रवाई शुरू की जाती है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश को धान के उत्पादन के लिए वित्तीय सहायता

3964. **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने धान का उत्पादन बढ़ाने के लिए केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता देने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) जी, हां।

(ख) उत्तर प्रदेश के 102 चुनीन्दे प्रखण्डों के लिए विशेष चावल उत्पादन कार्यक्रम को एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्रियान्वित किये जाने के लिए भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है। वर्ष 1985-86 के लिए स्वीकृत वित्तीय परिव्यय 841.20 लाख रुपये है जिसे भारत सरकार और राज्य सरकार बराबर-बराबर के आधार पर वहन करेगी।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल को खाद्य तेलों का आवंटन

3965. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने पश्चिम बंगाल को दिए जाने वाले खाद्य तेलों के मासिक आवंटन में कमी करके इसे 12000 टन से 6000 टन कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस कटौती के परिणामस्वरूप राज्य सरकार को राशन की दुकानों से दिये जाने वाले रिफाइन्ड रेपसीड आयल की सप्लाई की मांग को कम करने के लिए विवश होना पड़ा है;

(घ) क्या राज्य सरकार ने आवंटन में की गई इस कमी पर विरोध प्रकट किया है और केंद्र से कोटे में वृद्धि करने का अनुरोध किया है;

(ङ) यदि हां, तो इस पर केन्द्र की क्या प्रतिक्रिया है और आगामी त्यौहारों को देखते हुए मूल कोटे को बहाल करने और खाद्य तेलों की अतिरिक्त मांग उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) पश्चिम बंगाल के लिए अगस्त, 1985 के महीने हेतु आयातित खाद्य तेलों का आवंटन 7,500 मी० टन है, जबकि फरवरी, 1985

में यह आवंटन 12000 मी० टन था। मई से जुलाई, 1985 के दौरान यह आवंटन 6,000 मी० टन था।

(ख) राज्य में सरसों के तेल के मूल्य तथा उसकी उपलब्धता की स्थिति बहुत संतोषजनक थी, अत: सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आयातित तेल का आवंटन घटा दिया गया था। यह आवंटन अनुपूरक स्वरूप का होता है और इसका उद्देश्य देशीय खाद्य तेल की उपलब्धता तथा उसकी माँग के बीच के अन्तर को पाटना है। आयातित खाद्य तेलों की सीमित उपलब्धता के कारण इनसे किसी राज्य क्षेत्र की सम्पूर्ण माँग को पूरा नहीं किया जा सकता है।

(ग) से (ङ). इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से एक अनुरोध प्राप्त हुआ था। केन्द्रीय सरकार ने पश्चिम बंगाल को अगस्त, 1985 के महीने के लिए आयातित खाद्य तेल का आवंटन पहले ही बढ़ाकर 7,500 मी० टन कर दिया है।

देश में कुक्कुटों का उत्पादन करने वाली अंडज उत्पत्तिशालाएं (हैचरीज)

3966. **श्री एम० रघुमा रेड्डी** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुक्कुट उत्पादकों की माँग को पूरा करने के लिए कितने चूजों की आवश्यकता है;

(ख) चूजे उत्पादक अंडज उत्पत्तिशालाएं कौन सी हैं;

(ग) क्या अण्डा उत्पादकों को चूजे सप्लाई करने के लिए सरकार के पास पर्याप्त संसाधन हैं;

(घ) क्या सरकार का गैर-सरकारी अंडज उत्पत्तिशालाओं पर कोई नियन्त्रण है और यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का चूजों के मूल्यों पर कोई नियन्त्रण है, यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) क्या सरकार का विचार गैर-सरकारी अंडज उत्पत्तिशालाओं का एकाधिकार समाप्त करने के लिए कोई कानून बनाने का है और यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) 1985-86 के दौरान कुक्कुट उत्पादकों द्वारा चूजों की आवश्यकता 860 लाख लेयर चूजे और 710 लाख ब्रायलर चूजे आंकी गई है।

(ख) कुछ मुख्य कुक्कुट प्रजनन फार्म/हैचरियों, जो अपनी सहयोजित हैचरियों को वाणिज्यिक स्तर पर संकर चूजों के प्रजनन और उनकी बिक्री के लिए कुक्कुटों का मूल स्टाक बेचती हैं, निम्नलिखित हैं :

1. मैसर्स एशियन एग्रो फार्म इंडिया लि०, नई दिल्ली।
2. मैसर्स एसेक्स फार्म प्राइवेट लि०, नई दिल्ली।
3. मैसर्स हाइब्रिड इंडिया प्राइवेट लि०, करनाल, हरियाणा।
4. मैसर्स कासिला फार्म प्राइवेट लि० हैदराबाद।

5. मैसर्स केग्ग फार्म, गुड़गांव (हरियाणा)

6. मैसर्स पेरून्द्रराई कुक्कुट फार्म और हैचरी, तमिलनाडु।

7. मैसर्स पूरा पीयर्लस कुक्कुट प्रजनक फार्म और हैचरी, पुणे।

8. मैसर्स रानीशावर कुक्कुट प्रजनन फार्म प्राइवेट लि० नई दिल्ली।

9. मैसर्स बेंकों अनुसंधान और प्रजनक फार्म, पुणे।

10. मैसर्स वेंकटेश्वर अनुसंधान और प्रजनक फार्म पुणे।

इनमें से कुछ प्रजनक फार्म/हैचरियां वाणिज्यिक संकर चूजों का भी सीधे उत्पादन और बिक्री कर रही हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र में कृषि और सहकारिता विभाग के तहत चण्डीगढ़, भुवनेश्वर, बम्बई और हैस्सरघाटा (बंगलौर) में स्थित केन्द्रीय कुक्कुट प्रजनन फार्म, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की इज्जतनगर स्थित कुक्कुट प्रजनन सम्बन्धी अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना तथा इस परियोजना के अन्तर्गत के केन्द्र और विभिन्न राज्य कुक्कुट फार्म भी मूल स्टाक वाणिज्यिक संकर चूजों का उत्पादन और बिक्री कर रहे हैं।

(ग) कृषि और सहकारिता विभाग के अन्तर्गत केन्द्रीय कुक्कुट प्रजनन फार्म और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की कुक्कुट प्रजनन पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना अपने परवर्ती गुणन तथा किसानों को वाणिज्यिक संकर चूजों की सप्लाई करने के लिए अण्डे के रूप में मूल स्टाक की भारी आवश्वकता को पूरा करने की स्थिति में है।

(घ) निजी क्षेत्र में देश के विभिन्न भागों में कार्य कर रही हैचरियों पर इस प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है। तथापि, कृषि और सहकारिता विभाग ने स्वैच्छिक आधार पर हैचरियों कुक्कुट प्रजनन फार्मों का पंजीकरण शुरू कर दिया है।

(ङ) सार्वजनिक क्षेत्र के एककों में उत्पादित चूजों के मूल्य सरकार द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। निजी क्षेत्र के एककों में उत्पादित चूजों के मूल्य सम्बन्धित एककों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। चूजों के मूल्यों पर नियन्त्रण करने का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(च) और (छ). जैसा कि भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लेख किया गया है, सार्वजनिक क्षेत्र के प्रजनन फार्मों के अलावा, कई निजी क्षेत्र के कुक्कुट प्रजनन फार्म हैचरियां कार्य कर रही हैं। चूंकि कई सार्वजनिक क्षेत्र और निजी एकक कार्य कर रहे हैं, अत: इस प्रकार का कोई एकाधिकार नहीं है। निजी हैचरियों के नियन्त्रण और विनिमय के लिए कानून बनाने का इस समय केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव नहीं है। इसके अलावा, कुक्कुट पालन राज्य का विषय है।

भारत में 'शुद्ध जाति' चूजे पैदा किया जाना

3967. **श्री एम० रघुमा रेड्डी** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चूजों के महाजनक का आयात करने पर प्रतिबन्ध है यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) भारत में 'शुद्ध जाति' चूजे पैदा करने वाली फर्मों का ब्यौरा क्या है, उनमें से कितनी

गैर सरकारी क्षेत्र में और कितनी सरकारी क्षेत्र में हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार अच्छी किस्म के चूजे सप्लाई करने हेतु सरकारी क्षेत्र के अधीन एक 'शुद्ध जाति' चूजा परियोजना आरम्भ करने का है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अब तक किन-किन वंशक्रमों का विकास किया है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) अप्रैल, 1985 से मार्च, 1988 की अवधि के लिये आयात निर्यात नीति में महाजनक (कुक्कुटों) का आयात प्रतिबंधित मदों में शामिल है। तथापि, पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति के अन्तर्गत अनुमोदित पंजीकृत हैचरियों को प्रति पंजीकृत हैचरी एक लाइसेन्स वाले वर्ष में (1) जिंदा चूजों और सेने योग्य अंडों के निर्यात के मूल्य के दस प्रतिशत तक बशर्ते इनका अधिकतम मूल्य पांच लाख रुपये से अधिक न हो और (2) टेबल अंडों के निर्यात के 3 प्रतिशत तक, बशर्ते उनकी कीमत 0.50 लाख रुपये से अधिक न हो, महाजनक कुक्कुट आयात करने की अनुमति है।

(ख) देश में गैर-सरकारी क्षेत्र के निम्नलिखित मुख्य कुक्कुट प्रजनन फार्मों में 'शुद्ध जाति' के चूजों के प्रजनन का कार्यक्रम चलाया जाता है :

1. मैसर्स वेंकटेश्वरा अनुसंधान और प्रजनन फार्म, पुणे।
2. मैसर्स बेंकों अनुसंधान और प्रजनन फार्म, पुणे।
3. मैसर्स केग्ग फार्मस, गुड़गांव (हरियाणा)।
4. मैसर्स पूना पल्र्स कुक्कुट प्रजनन फार्मस और हैचरीज, पुणे।
5. मैसर्स कासिला फार्मस प्राइवेट लि०, हैदराबाद।

वे शुद्ध जाति के चूजों का उत्पादन अपने प्रजनन कार्यक्रम के लिए करते हैं। अधिकता वे जनक कुक्कुट बेचते हैं, लेकिन उनमें से कुछेक वाणिज्यिक संकर चूजे भी बेचते हैं। कृषि और सहकारिता विभाग और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की कुक्कुट प्रजनन अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र में 'शुद्ध जाति' के चूजों के प्रजनन का कार्यक्रम बम्बई, हेस्सर-घट्टा (बंगलौर), भुवनेश्वर और चण्डीगढ़ स्थित केन्द्रीय कुक्कुट प्रजनन फार्मों में शुरू किया गया है। 'शुद्ध जाति' के कुक्कुट प्रजनन कार्यक्रम कुछेक राज्य कुक्कुट प्रजनन फार्मों ने भी शुरू किये हैं।

(ग) जैसा कि ऊपर (ख) में बताया गया है, 'शुद्ध जाति' के चूजों का उत्पादन कृषि और सहकारिता विभाग तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की कुक्कुट प्रजनन सम्बन्धी अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के अधीन केन्द्रीय कुक्कुट प्रजनन फार्मों में पहले ही शुरू किया जा चुका है। सार्वजनिक क्षेत्र के इन कुक्कुट प्रजनन फार्मों/परियोजना में क्वालिटी 'लेयर और ब्रायलर' जनक कुक्कुट उपलब्ध होते हैं।

(घ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने आई० एल० आई०—80 नामक 'लेयर' प्रजाति तथा आई० वी० एल०—80 तथा आई० वी०वी०—83 नामक ब्रायलर प्रजातियां विकसित की हैं।

[हिन्दी]

आधुनिकीकरण के लिए चीनी मिलों को बन्द किया जाना

3968. **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ चीनी मिल मालिक आधुनिकीकरण के नाम पर अपनी मिलों को बन्द करने का प्रयत्न कर रहे हैं;

(ख) यदि हां तो उनमें काम कर रहे अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवाओं की रक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि कोई कार्रवाई नहीं की जा रही तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(ख) और (ग). उपर्युक्त (क) की दृष्टि से प्रश्न ही नहीं उठते।

चीनी मिलें बन्द होने के कगार पर

3969. **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि खलिलाबाद की आनन्द चीनी मिल, शाहगंज, जौनपुर की रतना चीनी मिल तथा बस्ती की जौनपुर और वाल्टरगंज चीनी मिल बन्द होने के कगार पर है;

(ख) यदि हां तो क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के लिये ये चीनी मिलें बन्द न हों कोई कदम उठाने जा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह सच है कि इन मिलों पर किसानों की बहुत सी राशि बकाया है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार का किसानों की राशि की अदायगी सुनिश्चित करने के लिए क्या करने का विचार है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) सरकार के पास इस आशय की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि खलिलाबाद रतना और वाल्टरगंज शुगर फैक्ट्रियों को स्थाई रूप से बन्द करने का इरादा है।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

(घ) इन फैक्ट्रियों के प्रति गन्ने के मूल्य के भुगतान की स्थिति नीचे दी जाती है :—

(आंकड़े रु०लाख)

चीनी फैक्ट्री	1984-85 मौसम के लिए देय गन्ने का कुल मूल्य	गन्ने का अदा किया गया मूल्य	1984-85 मौसम के लिए शेष	1983-84 और पिछले मौसमों के लिए बकाया राशि
खलीलाबाद	42.95	13.82	29.28	शून्य
रतना	83.58	60.20	23.38	नगण्य
वाल्टरगंज	64.08	64.08	—	शून्य

(ङ) उद्योग की तरलता स्थिति में सुधार लाने, ताकि वह गन्ने की बकाया राशि का भुगतान कर सके, के लिए किए गए उपायों के अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार गन्ने के मूल्य की बकाया राशि पर नजर रख रही है और वह उत्तर प्रदेश सरकार सहित राज्य सरकारों को बकाया राशि का तत्काल भुगतान करवाने के लिए निर्देश दे रही है। तथापि, गन्ने के मूल्य की बकाया राशि का भुगतान करवाने की जिम्मेदारी सीधी राज्य सरकारों की होती है जिनके पास ऐसे भुगतान करवाने के लिए आवश्यक फील्ड संगठन और शक्तियां होती हैं। इस मौसम में उत्तर प्रदेश का कार्य-निष्पादन काफी संतोषजनक रहा है जैसा कि इस तथ्य से विदित होगा कि 1984-85मौसम के लिए 30-6-85 तक उत्तर प्रदेश में गन्ने के मूल्य की बकाया राशि गन्ने के कुल मूल्य का 6.2 प्रतिशत थी, जबकि पिछले वर्ष उसी तारीख को वह 20.8 प्रतिशत थी।

[अनुवाद]

आकाशवाणी द्वारा शास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत और लोक गीतों की वार्षिक प्रतियोगिता का आयोजन

3970. **श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी द्वारा शास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत और लोक गीतों की वार्षिक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है;

(ख) क्या सभी प्रसारण केन्द्रों को ऐसी प्रतियोगिताएं आयोजित करने के निदेश दिए गए हैं अथवा केवल कुछ चुने हुए केन्द्र ही इन प्रतियोगिताओं का आयोजन करते हैं;

(ग) क्या आकाशवाणी द्वारा सफल प्रत्याशियों को संगीत गोष्ठि आयोजित करने के ठेके दिए जाते हैं;

(घ) क्या प्रतियोगिता के लिए सभी भाषाओं के लोक गीतों को भी चुना जाता है; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या निकट भविष्य में प्रसारणों में पर्याप्त समय देकर सभी बोलियों के लोक गीतों को प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, हां। आकाशवाणी शास्त्रीय संगीत और सुगम संगीत में ही प्रतियोगिता का आयोजन करती है।

(ख) जी, हां। प्रतियोगिता का आयोजन दो अवस्थाओं में किया जाता है; अर्थात :—

(1) "प्रारम्भिक प्रतियोगिता "जिसका आयोजन आकाशवाणी के प्रत्येक केन्द्र पर किया जाता है; और

(2) "अन्तिम प्रतियोगिता", जिसका आकाशवाणी महानिदेशालय, नई दिल्ली तथा मद्रास में क्रमशः हिन्दुस्तानी और कर्नाटक संगीत के लिए किया है।

(ग) जी, हां। आकाशवाणी पर प्रसारणों के लिए प्रत्येक श्रेणी में अन्तिम प्रतियोगिता में सफल उम्मीदवारों को अनुबन्ध दिए जाते हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) आकाशवाणी केन्द्र अपने दिन-प्रतिदिन के कार्यक्रमों में लोक संगीत पहले ही नियमित रूप से प्रसारित कर रहे हैं। लोक संगीत आकाशवाणी के संगीत कार्यक्रम का एक अति महत्वपूर्ण अंग है तथा कुल संगीत कार्यक्रमों का 10.91 प्रतिशत है और कुल संगीत कार्यक्रम आकाशवाणी के कुल कार्यक्रमों का 38 प्रतिशत है। 1984 के दौरान आकाशवाणी द्वारा प्रसारित लोक संगत कार्यक्रमों की कुल अवधि 16,821 घंटे थी। आकाशवाणी केन्द्र अपने क्षेत्रों तथा अन्य क्षेत्रों का भी लोक संगीत प्रसारित करते हैं।

शास्त्रीय साहित्य का प्रसारण

3971. **श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न भाषाओं में शास्त्रीय साहित्य को महीने में कम से कम एक बार प्रसारित किए जाने का कोई अवसर मिलता है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, हां।

(ख) आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्र विभिन्न भाषाओं के शास्त्रीय साहित्य पर आधारित कार्यक्रमों को समय-समय पर निम्नलिखित किस्म के कार्यक्रमों में नियमित रूप से और प्रायः प्रसारित करते हैं :—

(1) साहित्यिक पत्रिका कार्यक्रम;

(2) धार्मिक ग्रन्थों से पाठ ;

(3) शास्त्रीय कविताओं से पाठों पर आधारित निदेशात्मक कार्यक्रम ;

(4) विभिन्न भाषाओं की शास्त्रीय साहित्यिक कृतियों पर आधारित रेडियो नाटक ;

(5) सार्वभौम विषयों पर शास्त्रीय लेखकों के कथन ;

(6) शास्त्रीय साहित्य पर वार्ताएं।

दिल्ली केन्द्र से 1-4-83 से 31-7-85 तक प्रसारित कार्यक्रमों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

आकाशवाणी, नई दिल्ली

अप्रैल, 1985 से 31 जुलाई, 1985 तक शास्त्रीय साहित्य पर प्रसारित कार्यक्रमों की सूची

तारीख	समय	चैनल और अवधि	कार्यक्रमों का विवरण
1	2	3	4
30-4-85	7.45 अपराह्न	दिल्ली "बी" 20 मिनट	"स्तूत-ए-गालिब", डा० खलीर अंजुम द्वारा संकलित ।
7-5-85	9.30 अपराह्न	दिल्ली "ए" 30 मिनट	चार अध्याय : नाटक रवीन्द्र नाथ टैगोर की मूल कहानी रूपान्तर-श्री दीप नारायण मिथोलिया ।
8-5-85	8.30 अपराह्न	दिल्ली "ए" 12 मिनट	रवीन्द्र नाथ टैगोर के काव्य में प्रेम : श्रीमती उषा चौधरी की वार्ता ।
18-5-85	7.45 अपराह्न	दिल्ली "बी" 18 मिनट	अदबी शहपारे : दास्तान-ए-अमीर हामजा पर निदर्शी वार्ता : प्रो० ज्ञान चन्द जैन द्वारा ।
19-5-85	7.02 पूर्वाह्न	दिल्ली "बी"	संस्कृत भाष्यम-अलंकार साहित्यम ध्वनि आलोको : श्री दामोदर शास्त्री की वार्ता ।
21-5-85	7.30 पूर्वाह्न	दिल्ली "ए" 10 मिनट	कबीर के पदों का पाठ ।
2-6-85	7.02 पूर्वाह्न	दिल्ली "बी"	कालीदास की रचनाओं में तत्कालीन परिस्थितियां : डा० हरबन्श लाल शर्मा की वार्ता ।
15-6-85	7.45 अपराह्न	दिल्ली "बी" 18 मिनट	आदमी शहपारे : प्रो०मंजूर अब्बास नकवी की "मसनवी सहरूल बयान" पर निदर्शी वार्ता ।
16-6-85	7.01 पूर्वाह्न	दिल्ली "बी" 10 मिनट	संस्कृत भाष्यम—अलंकार साहित्यम । साहित्यदर्पण : प्रो० सत्यव्रत की वार्ता ।
27-6-85	8.15 अपराह्न	दिल्ली "ए" 15 मिनट	आज के सन्दर्भ में बंकिम चन्द्र, श्री गंगा प्रसाद विमल की वार्ता
28-6-85	9.30 अपराह्न	दिल्ली "ए" 60 मिनट	देवी चौधरानी : बंकिम चन्द्र चटर्जी का मूल नाटक ।

1	2	3	4
			रेडियो रूपान्तरण : श्री विनायक भट्टाचार्य।
6-7-85	7.45 अपराह्न	दिल्ली "बी" 11 मिनट	अदबी शहपारे : डा० अशफाक मोहम्मद खाँ की "फ्शनकाए-आजाद" पर निदर्शी वार्ता :
21-7-85	7-02 पूर्वाह्न	दिल्ली "बी" 10 मिनट	संस्कृत गौरव ग्रंथ : ऋग्वेद प्रो० सत्यकाम वर्मा की वार्ता।
24-7-85	9.00 अपराह्न	दिल्ली "ए" 14 मिनट	मैथिली शरण गुप्त कृत "साकेत" में मानवीय मूल्यों की व्याख्या। डा० बिन्दु अग्रवाल की वार्ता।
30-7-85	9.30 पूर्वाह्न	दिल्ली "ए" 30 मिनट	सुजान भगत : नाटक मूल कहानी : मुंशी प्रेम चन्द्र रेडियो रूपांन्तरण श्री शेखर शैल्णवी।
30-7-85	7.45 पूर्वाह्न	दिल्ली "बी" 29 मिनट	खुदा-ए-सुखुन: मीर तकी मीर। डा० एन० ए० फारुखी द्वारा लिखित विशेष रूपक। श्री मोहम्मद शफीक द्वारा प्रकल्पित और निर्मित।
31-7-85	9.00 अपराह्न	दिल्ली "ए" 14 मिनट	मानवीय भावनाओं के उद्गाता—प्रेमचन्द्र डा० हरदयाल की वार्ता।

दूरदर्शन में उदघोषकों और समाचार वाचकों की नियुक्ति

3972. **श्री ई० अय्यप्प रेड्डी** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन में उदघोषकों और समाचार वाचकों की नियुक्ति केवल ठेके के आधार पर की जाती है ; और

(ख) क्या समय-समय पर होने वाली निर्धारित परिक्षाएं पास कर लेने पर उन्हें स्थाई कर देने के प्रस्ताव हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

दूरदर्शन केन्द्र, बंगलौर में समाचार वाचकों और उद्घोषकों की नियुक्तियां

3973. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बंगलौर दूरदर्शन केन्द्र में समाचार वाचकों और उद्घोषकों का चयन सार्वजनिक तौर पर विज्ञापन दिए बिना संविदा के आधार पर किया जाता है;

(ख) क्या यह सच है कि इस समय यही कार्य कर रहे कुछ समाचार वाचक और उद्घोषक केन्द्र, राज्य सरकार प्रतिष्ठानों के स्थाई कर्मचारी हैं;

(ग) क्या सरकार उक्त पदों के लिए पहले से ही कार्य कर रहे व्यक्तियों को लेने के बजाय बेरोजगार व्यक्तियों को लेने पर विचार करेगी ; और

(घ) क्या यह सच है कि कुछ कलाकारों ने, जिन्होंने कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं, अपने अपने कार्यालयों से इसके लिए पूर्वानुमति नहीं ली हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और उसको सभा की मेज पर रख दिया जाएगा।

दिल्ली दूरदर्शन द्वारा फीचर फिल्मों का प्रसारण

3975. **श्री राधा कांत डिगाल** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली दूरदर्शन द्वारा एक वर्ष में कितनी फीचर फिल्में दिखाई जाती हैं ;

(ख) दिल्ली दूरदर्शन पर दिखाई जाने वाली विभिन्न श्रेणी की प्रत्येक फिल्म के लिए कितनी धनराशि का भुगतान किया जाता है ;

(ग) क्या नवीनतम फिल्में दिखाकर कार्यक्रम को अधिक रुचिकर बनाने की आवश्यकता है ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) से (घ). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली हर महीने फीचर फिल्मों को निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार टेलीकास्ट कर रहा है :

(क) प्रथम रविवार के दोपहर में—राष्ट्रीय संजाल पर पुरस्कार प्राप्त क्षेत्रीय फिल्में।

(ख) दूसरे, तीसरे और पांचवे रविवार के दोपहर में—दिल्ली तथा रिले ट्रांसमीटरों से ऐसी क्षेत्रीय फिल्में, जो चयन समिति द्वारा 'ए' के रूप में श्रेणीकृत हैं।

(ग) रविवार सांय को—राष्ट्रीय संजाल पर हिन्दी फिल्में, पुरस्कार प्राप्त क्षेत्रीय फिल्में तथा प्रथम टेलीकास्ट के लिए फिल्में।

(घ) पहले और तीसरे शनिवार की रात को—राष्ट्रीय संजाल पर विदेशी और पुरान क्लासिक फीचर फिल्में :

2. दूरदर्शन केन्द्र दिल्ली से सादी फीचर फिल्मों के लिए भुगतान का दर-ढांचा इस प्रकार हैं :

क. हिन्दी की फीचर फिल्में

(1) दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली से सादी फीचर फिल्मों के लिए भुगतान का दर-ढांचा इस प्रकार है :

फिल्म की श्रेणी	दिल्ली मसूरी	10 किलोवाट वाले ट्रांसमीटर	1. रायपुर 2. मुजफ्फरपुर 3. गुलबर्गा 4. सम्बलपुर 5. नागपुर 6. 20 अल्प. शक्ति : (किलोवाट) वाले ट्रांसमीटर
1	2	3	4
"ए"	20,000	10,000	3,000
"बी"	15,000	7,500	2,250
"सी"	10,000	5,000	1,500

(2) संजाल में जुड़े किसी भी अन्य स्वतन्त्र केन्द्र पर सादी फिल्म के टेलीकास्ट के लिए यदि ट्रांसमीटर 1 किलोवाट या कम शक्ति पर कार्य करता है तो कालम-4 में दी गई दर पर तथा यदि ट्रांसमीटर 10 किलोवाट पर कार्य करता है तो कालम-3 में दी गई दर पर अतिरिक्त भुगतान किया जायेगा।

(3) वैयक्तिक केन्द्रों से रंगीन में हिन्दी की फीचर फिल्मों के टेलीकास्ट के लिए भुगतान का उपरि उल्लिखित दरों (सादी फिल्म के लिए) से 25 प्रतिशत अधिक अनुज्ञेय होगा।

(4) राष्ट्रीय संजाल पर रंगीन में हिन्दी की फीचर फिल्मों के टेलीकास्ट के लिए भुगतान की दरें इस प्रकार होंगी :

1. 'ए' श्रेणी की फिल्म	4.00 लाख रुपए
2. 'बी' श्रेणी की फिल्म	3.00 लाख रुपए
3. 'सी' श्रेणी की फिल्म	2.00 लाख रुपए

किसी भी फिल्म के प्रथम पुन: टेलीकास्ट के लिए उसके प्रथम टेलीकास्ट के लिए देय दरों के 70 प्रतिशत की दर पर भुगतान किया जायेगा। दूसरे तथा अनुवर्ती पुन: टेलीकास्ट के लिए भुगतान की दर प्रथम टेलीकास्ट के लिए देय दरों का 50 प्रतिशत होगी।

(ख) क्षेत्रीय फीचर फिल्में

केवल ऐसी क्षेत्रीय फिल्में ही, जो विभिन्न दूरदर्शन केन्द्रों पर गठित चयन समितियों द्वारा

'क' के रूप में श्रेणीकृत हैं, दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली से केलीकास्ट किए जाने के लिए पात्र होंगी। यदि किसी भाषा विशेष की 'ए' श्रेणी की कोई फिल्म नहीं है और प्रतिनिधित्व आवश्यक है तो 'बी' श्रेणी की फिल्में भी टेलीकास्ट की जा सकती हैं तथापि, एक कैलेंडर वर्ष में इस प्रकार की दो से अधिक क्षेत्रीय भाषा की फिल्में प्रदर्शित नहीं की जाएंगी इस प्रकार की फिल्मों के मालिकों उपशीर्षकों के साथ फिल्मों की प्रतियां सप्लाई करेंगे। इस प्रकार शीर्षकों की फिल्मों के लिए भुगतान की दरें चढ़ी होंगी जो हिन्दी की फीचर फिल्मों के लिए हैं। तथापि, उप शीर्षकों के लिए भुगतान व्यय की पूर्ति-पूर्ति के रूप में होगा, अग्रिम भुगतान के रूप में नहीं।

(ग) फिल्मों का प्रथम टेलीकास्ट

भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों के पैनोरमा वर्ग में शामिल सभी फीचर फिल्मों और ऐसी सभी फिल्में जिन्हें राष्ट्रीय फिल्म समारोह या किसी भी फिल्म समारोह में कोई भी पुरस्कार प्राप्त हुआ है, की पेशकश यदि दूरदर्शन के राष्ट्रीय संजाल पर प्रथम टेलीकास्ट के लिए की जाती है तो वे 8 लाख रुपए के शुल्क के भुगतान के लिए विचार किए जाने के लिए पात्र होंगी।

(घ) पुरानी क्लासिक फिल्में

पुरानी सादी क्लासिक फीचर फिल्में राष्ट्रीय संजाल पर टेलीकास्ट किए जाने पर वे राष्ट्रीय संजाल पर हिन्दी की रंगीन फीचर फिल्मों के टेलीकास्ट की दर से 25 प्रतिशत की कम दर के लिए पात्र होंगी।

(ङ) राष्ट्रीय संजाल पर क्षेत्रीय फिल्में

वे अच्छी क्लासिक फिल्में तथा सर्वोत्तम श्रेणी की वे क्षेत्रीय फिल्में, जिन्हें सर्वोत्तम फिल्मों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है और फिल्मों की चयन समिति ने 'क' के रूप में श्रेणीकृत किया है, दूरदर्शन के राष्ट्रीय संजाल पर टेलीकास्ट किए जाने पर हिन्दी की फीचर फिल्मों के बराबर भुगतान किए जाने के लिए पात्र हैं।

3. यद्यपि दूरदर्शन का प्रयास सदा नवीनतम फिल्मों को टेलीकास्ट करने का रहा है, तो भी मूल बात यह है कि दूरदर्शन को केवल ऐसी फिल्मों पर ही निर्भर करना पड़ता है जो टेलीकास्ट के लिए निर्माताओं/दूरदर्शन अधिकार धारकों द्वारा दूरदर्शन को प्रस्तावित की जाती हैं। सामान्यतया फिल्में दूरदर्शन को तब प्रस्तावित की जाती हैं जब फिल्मों का वाणिज्यिक रूप से पूर्णतया उपयोग कर लिया जाता है। तथापि, अच्छे फिल्म निर्माताओं को प्रोत्साहित करने के लिए दूरदर्शन ने हाल ही में फिल्मों के टेलीकास्ट की दरों में वृद्धि की है और 8 लाख रुपए के भुगतान पर 'प्रथम' टेलीकास्ट की स्कीम भी चालू है।

बंगलौर दूरदर्शन केन्द्र में कार्य कर रहे कन्नड़ भाषी लोग

3976. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलौर दूरदर्शन केन्द्र में द्वितीय और तृतीय श्रेणियों में कितने कन्नड़ भाषी लोग कार्य कर रहे हैं;

(ख) इस समय वहां द्वितीय और तृतीय श्रेणियों के कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) क्या कन्नड़ मातृभाषा वाले अभ्यर्थियों को कोई प्राथमिकता दी जाती है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना इस प्रकार है :

श्रेणी	कार्यरत व्यक्तियों की कुल संख्या	कन्नड़ भाषी व्यक्तितों की संख्या
समूह 'ख'	16	5
समूह 'ग'	48	18
स्टाफ आर्टिस्ट	43	26

(ग) और (घ). भर्ती सर्वथा निर्धारित भर्ती नियमों के अनुसार की जाती है और भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। तथापि, जहां कार्यात्मक आवश्यकताओं के कारण कन्नड़ भाषा में प्रवीणता पात्रता की एक शर्त के रूप में निर्धारित होती है, वहाँ चयन के लिए इस भाषा में प्रवीण उम्मीदवारों पर विचार किया जाता है।

जन बल के सम्बन्ध में विश्वव्यापी नीति

3978. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **श्रम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने कुछ अन्य देशों के साथ अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में जन बल के संबंध में विश्व व्यापी नीति तैयार करने की माँग की है;

(ख) क्या ऐसी नीति तैयार कर ली गई ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अन्जैया) : (क) जून, 1985 में जेनेवा में हुए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भारत ने मानव स्रोतों के बारे में विश्व-व्यापी नीति तैयार करने का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं किया।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

ग्रामीण क्षेत्रों में आवास यूनिटों के आंकड़े एकत्र करना और उनका अनुरक्षण

3979. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आवास यूनिटों की संख्या और विवरण के सम्बन्ध में निश्चित आँकड़े मालूम करने के लिए इस समय कोई तंत्र अथवा व्यवस्था नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में आवास यूनिटों के आंकड़ों को एकत्र करने और अनुरक्षण के लिए कोई स्थायी तन्त्र स्थापित करने का है ;

(ग) नई व्यवस्था के कब तक आरम्भ हो जाने की आशा है ; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) आवास एककों की संख्या तथा ढांचे के आकार के बारे में सूचना दस वार्षिक जनगणना के समय एकत्र की जाती है तथा समय-समय पर देश में आवास की कमी का आंकलन करने के लिए राष्ट्रीय भवन (निर्माण) संगठन द्वारा प्रयोग में लाई जाती है।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठते।

कर्मचारी बीमा योजना को गैर-सरकारी क्षेत्र पर लागू करना

3980. **श्री हरिहर सोरन** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा योजना को गैर-सरकारी क्षेत्र पर भी लागू कर दिया है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या गैर-सरकारी क्षेत्र को आवश्यक दिशा-निर्देश देने का विचार है ; और

(ग) ऐसी योजनाओं को गैर-सरकारी क्षेत्रों पर लागू करने के लिए अन्य क्या कदम उठाने का विचार है ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री टी० अन्जैया) : (क) कर्मचारी राज्य बीमा योजना पहले ही निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उन कारखानों तथा प्रतिष्ठानों के कतिपय अन्य श्रेणियों पर लागू होती है, जो उन क्षेत्रों में स्थित हैं, जहां इस योजना को लागू किया गया है।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

दूरदर्शन पर रुचिपूर्ण सीरियल शुरू करना

3981. **श्री हरिहर सोरन** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन पर और अधिक रुचिपूर्ण सीरियल शुरू करने तथा वर्तमान सीरियल की गुणवत्ता में सुधार करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) क्या दूरदर्शन द्वारा प्रसिद्ध भारतीय लघु कहानियों और बच्चों की फिल्मों के सीरियल भी प्रसारित का विचार है ;

(ग) क्या इस प्रकार के परिवर्तन राज्य दूरदर्शन केन्द्र पर भी किए जाने का विचार है ;

(घ) यदि हां, तो सभी दूरदर्शन केन्द्रों को इस बारे में क्या मार्ग निर्देश दिए गए हैं ; और

(ङ) इस सम्बन्ध में सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) दर्शकों की रुचि बनाए रखने के लिए नए धारावाहिक शुरू करने तथा कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार करने का दूरदर्शन का सदा प्रयास रहा है। तथापि, यह सतत प्रक्रिया है।

(ख) जी, हां।

(ग) से (ङ). जी, हां। दूरदर्शन केन्द्र अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में प्रायोजित धारावाहिक स्वीकार करेंगे यदि टेलीकास्ट के लिए उनकी पेशकश की जाए, बशर्ते कि वे इस सम्बन्ध में निर्धारित स्तरों के अनुरूप हों। केन्द्रों से यह भी कहा गया है कि वे ऐसे प्रस्तावों को प्रोत्साहन दें जो उनके क्षेत्र और लोगों की कला, संस्कृति, साहित्य और आकांक्षाओं को प्रतिबिम्बित करते हों।

दिल्ली में प्रतिनियुक्ति पर आने वाले कर्मचारियों के लिए आवास व्यवस्था

3982. **श्री मानवेन्द्र सिंह** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मन्त्री ने दो महीने पहले इस आशय के निर्देश जारी किये थे कि केन्द्र सरकार में निश्चित अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर आने वाले कर्मचारियों को दिल्ली में पदग्रहण करने के तुरन्त बाद उनकी पात्रता के अनुसार आवास प्रदान किया जाना चाहिए ;

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या यह सच है कि इन निर्देशों को ईमानदारी से क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) यद्यपि ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया गया था फिर भी प्रशासन की कार्यकुशलता में सुधार लाने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर कार्मिक तथा प्रशिक्षण और प्रशासनिक सुधार, लोक शिकायत तथा पेंशन राज्य मन्त्री के साथ प्रधान मन्त्री ने विचार विमर्श किया था। दिल्ली में टन्यूर पर आने वाले अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों की वास सम्स्या में सुधार लाने से सम्बन्धित मामले को कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग ने निर्माण और आवास मन्त्रालय के साथ उठाया।

(ख) दिल्ली में टेन्यूर हर आने वाले अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों को आवंटन के लिए टाइप 'डी', टाइप 'ई' तथा हास्टेल वास से युक्त एक टेन्यूर पूल विद्यमान है। हाल ही में निम्नलिखित कार्यवाही की गई है :

(i) इस पूल में क्वार्टरों की विशेष संख्या तथा कस्तूरबा गांधी मार्ग हास्टल में और अधिक सूटों को उद्दिष्ट करने के आदेश जारी किए गए हैं।

(ii) टेन्यूर पूल से वास के पात्र टाइप के आबंटन की व्यवस्था के लिए मई, 1985 में आबंटन नियमों में संशोधनकिया जाता है।

(iii) निर्माणाधीन नये क्वार्टरों के पूर्ण हो जाने पर इस पूल में और अधिक क्वार्टरों को शामिल करने का निर्माण किया गया है।

(ग) जी, नहीं।

कालकाजी में 1979 की हुडको योजना के फ्लेटों का आबंटन

3983. **श्री जैनुल बशर** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1979 की हुडको फ्लैट योजना के आबंटन के लिए कालकाजी एक्सटेंशन हेतु कोई ड्रा निकाला गया है;

(ख) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं;

(ग) जनवरी, 1983 में निकाले गए कालौनी-वार ड्रा में सफल आबंटियों को कालकाजी एक्सटेंसन (1979 की हुडको योजना) में फ्लैट कब तक आबंटित किए जाने की सम्भावना है ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) कालकाजी एक्सटेंसन में 304 निम्न आय वर्ग के फ्लैटों के नियतन के लिए ड्रा 16-2-1983 को निकाला गया था। फ्लैटों के नम्बरों के लिए विशिष्ट ड्रा अभी तक नहीं निकाला गया है।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) इन फ्लैटों के दिसम्बर, 1985 तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है और तत्पश्चात इन्हें आबंटित कर दिया जाएगा।

कृषि उत्पादन हेतु क्षेत्रवार नीति

3984. **श्री सोम नाथ रथ** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कृषि क्षेत्र में अभी भी असन्तुलन विद्यमान है, यदि हाँ, तो क्षेत्रवार और फसल-वार तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या समग्र रूप से उत्पादन में और वृद्धि लाने के लिए क्षेत्र-वार एक विशिष्ट नीति बनाना आवश्यक है; और

(ग) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चंद्राकर) : (क) से (ग). अधिकतर कृषि जलवायु परिस्थितियों और संसाधन सम्पन्नता में अन्तः क्षेत्रीय विविधताए होने के कारण सस्य प्रतिमान, आदान के उपयोग और इनके फलस्वरूप फसल को उत्पादकता में विभिन्नता होती है। सरकार सस्य-प्रतिमान में विविधता लाने और विभिन्न क्षेत्रों में फसल की उत्पादकता में सुधार लाने के लिए नीति की संवीक्षा और उसका प्रबोधन कर रहा है। विभिन्न कृषि जलवायु की परिस्थितियों में अधिक प्रभावी फसलों की खेती करने, तिलहनों और दलहनों के अन्तर्गत क्षेत्र का विस्तार करने और सोयाबीन तथा सूरजमुखी, आदि जैसी गैर-परम्परागत फसलों की खेती के लिए समय-समय पर मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए जाते हैं।

समाचारों और विज्ञापनों के बीच अनुपात

3985. **श्री वसव राजेश्वरी** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचारों और विज्ञापनों के अनुपात के सम्बन्ध में समाचार पत्रों के लिए कोई मानदण्ड निर्धारित है ; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारत में विदेशी शीतल पेयों का प्रचलन

3986. **श्री आनन्द पाठक** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार भारत में विदेशी शीतल पेयों के विपणन की अनुमति देने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख). ऐसा कोई प्रस्ताव इस मन्त्रालय के विचाराधीन नहीं है।

कर्नाटक के कर्मचारी भविष्य निधि कर्मचारियों की मांगें

3987. **श्री हरिहर सोरन** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के संबंध में सक्षम प्राधिकरण केन्द्रीय सरकार है;

(ख) क्या उच्चतम न्यायालय ने निर्णय देते समय यह भी टिप्पणी की थी कि कर्नाटक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कर्मचारी संघ की लम्बे अर्से से लम्बित मांगों को केन्द्रीय सरकार द्वारा न्यायाधिकरण के पास भेजा जाना चाहिए; और

(ग) यदि हां तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाई की गई है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अन्जैया) : (क) जी, हां।

(ख) उच्चतम न्यायालय ने यह टिप्पणी की है कि केन्द्रीय सरकार इन मांगों को औद्योगिक अधिकरण को निर्देशित करने के प्रश्न पर विचार करेगी और समुचित कार्रवाई करेगी।

(ग) इस मामले की जांच की गई और यह महसूस किया है कि केन्द्रीय सरकार इस मामले में तभी कार्रवाई करेगी जब संबंधित सहायक श्रमायुक्त (केन्द्रीय), अपना संराधन विफलता रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगा। केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को सलाह दी गई है कि वह जनरल सक्रेटरी, कर्नाटक भविष्य निधि कर्मचारी यूनियन बंगलौर को सूचित करें कि वे सर्वप्रथम इस मामले पर नये सिरे से संराधन कार्यवाहियां करवाने के लिए संबंधित सहायक श्रमायुक्त से अनुरोध करें।

उप क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय, सिलीगुड़ी

3988. **श्री हरिहर सोरन** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिलीगुडी, जलपाइगुड़ी तथा अन्य जिलों के उपभोक्ताओं को सेवा सुविधा प्रदान करने के लिए सिलीगुडी में उपक्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय पांच वर्ष पहले खोला गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या जलपाइगुड़ी जिले की फाइलें अभी तक सिलीगुड़ी नहीं भेजी गई है जिसके परिणामस्वरूप जलपाइगुड़ी के उपभोक्ताओं को बहुत कठिनाई हो रही है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) सिलीगुड़ी कार्यालय को शीघ्र रिकार्ड/फाइलें भेजने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अन्जैया) : (क) जी, हां। दार्जिलिंग जलपाइगुड़ी, पश्चिम दिनाजपुर, माल्दा और कूच बिहार जिलों के अंशदाताओं के लेखों से संबंधित कार्रवाई करने के लिए 4-2-1977 को यह कार्यालय खोला गया था।

(ख) और (ग). प्रारम्भ में कर्मचारी भविष्य निधि स्टाफ एशोसिएशन, पश्चिम बंगाल के प्रतिरोध के कारण, जलपाइगुड़ी जिले से संबंधित खाते सिलीगुड़ी स्थिति उप-क्षेत्रीय कार्यालय को स्थानान्तरित नहीं किए गए थे। अभी हाल ही के वर्षों में, कई लोगों से जलपाइगुड़ी में उप-क्षेत्रीय कार्यालय खोलने के लिए मांगें प्राप्त हुई। इस मामले में अन्तिम निर्णय होने तक, जलपागुड़ी जिले के खाते प्रादेशिक कार्यालय, कलकत्ता में ही रखे जाएंगे।

(घ) जलपाइगुड़ी जिले के खातों को कलकत्ता से या तो जलपाइगुड़ी या सिलीगुड़ी

स्थानान्तरित करने के बारे में अन्तिम निर्णय तभी लिया जा सकेगा जब केन्द्रीय न्यासी बोर्ड और सरकार जलपाईगुड़ी में उप-क्षेत्रीय कार्यालय खोलने के बारे में निर्णय ले लें।

भारतीय भाषाओं की समाचार एजेंसियों सम्बन्धी समिति द्वारा की गई सिफारिशें

3989. **श्री सुरेश कुरूप** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 26 जून, 1985 को गठित की गई भारतीय भाषाओं की समाचार एजेंसियों संबंधी समिति ने क्या सिफारिशें की हैं;

(ख) क्या समिति ने सिफारिश की है कि समाचार भारती और हिन्दुस्तान समाचार को पुनः बहाल न किया जाए; और

(ग) यदि हां, तो इन एजेंसियों में कार्यरत कर्मचारियों का भविष्य क्या होगा ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख). समिति ने निम्नलिखित विशिष्ट सिफारिशें की हैं :—

(1) पर्याप्त प्रौद्योगिकी सुविधाओं से युक्त एक पूर्णरूपेण समाचार एजेंसी की स्थापना करने के लिए पूंजीगत व्यय के रूप में कम से कम 3 करोड़ रुपये की जरूरत होगी तथा इसके अतिरिक्त आवर्ती व्यय प्रतिवर्ष (1) करोड़ रुपये होगा। भारतीय भाषाओं के समाचारपत्र इस पूंजीगत लागत का 50 प्रतिशत अंश भी वहन करने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा, प्रतिवर्ष 1 करोड़ रुपए के आवर्ती व्यय को हिन्दी/भारतीय भाषायी ग्राहकों से वसूल नहीं किया जा सकता।

(2) दूसरी ओर, यदि भारतीय भाषायी सेवा को किसी मौजूदा समाचार एजेंसी की अवस्थापना से जोड़ दिया जाये तो अतिरिक्त वार्षिक व्यय केवल 50 लाख रुपये होगा। व्यवहार्यतः पूंजीगत लागत कोई नहीं होगी। इतने वार्षिक व्यय की व्यवस्था समाचार पत्रों तथा आकाशवाणी और दूरदर्शन जैसे अन्य ग्राहकों द्वारा की जा सकती हैं। फिर भी यदि कोई घाटा होता है तो संबंधित समाचार एजेंसी उसे पूरा कर सकती है।

सरकार ने इन सिफारिशों पर अन्तिम दृष्टिकोण अभी नहीं बनाया है।

प्रमुख भाषायी समाचारपत्रों के सम्पादकों तथा मालिकों का यह मत था कि हिन्दी की मौजूदा दो समाचार एजेंसियों अर्थात् समाचार भारती तथा हिन्दुस्तान समाचार का पुनर्जीवित होना संभव नहीं है।

(ग) यह कर्मचारियों के लिए खुला है कि वे उन कानूनी/नियमों, जो उनकी सेवाओं को विनियमित करते हैं, के अन्तर्गत अपनी तकलीफों के निवारण की मांग करें।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्बल वर्गों के लिए जनता फ्लैटों के निर्माण की नई योजनाएं

3990. **श्री लाला राम केन** :

श्री गुरुदास कामत :

क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण भविष्य में समाज के निर्बल वर्गों के लिए छोटे फ्लैटों अथवा जनता फ्लैटों के निर्माण की कोई नयी योजना तैयार कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस प्रकार की योजना जनता के सूचनार्थ कब तक घोषित किए जाने की सम्भावना है ?

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए छोटे फ्लैटों या जनता फ्लैटों के निर्माण की योजनाएं दिल्ली विकास प्राधिकरण में पहले से ही हैं। कोई नई योजना नहीं बनायी जा रही है।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल में ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर ग्रामीण विकास कार्यक्रम का प्रभाव

3991. **श्री भोलानाथ सेन** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा वर्ष 1979-80 से प्रायोजित किए गए ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का पश्चिम बंगाल में ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर कोई प्रभाव पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन कार्यक्रमों का अन्य राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में पड़े प्रभाव की तुलना में पश्चिम बंगाल में क्या प्रभाव पड़ा है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) से (ग). पश्चिम बंगाल में कार्यान्वित किए जा रहे इस मंत्रालय के मुख्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम हैं :—समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम तथा भूमि सुधार। पश्चिम बंगाल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर इन कार्यक्रमों के प्रभाव के बारे में कोई मूल्यांकन अध्ययन इस मन्त्रालय द्वारा संचालित नहीं किया गया है। इनमें से कुछ कार्यक्रमों के मूल्यांकन अध्ययन तथा आवधिक रिपोर्टों से पश्चिम बंगाल सहित पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर इन कार्यक्रमों के प्रभाव का पता चलता है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के दो मुख्य मूल्यांकन अध्ययनों में से एक योजना मूल्यांकन संगठन द्वारा तथा दूसरा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा आयोजित किया गया है। इन दोनों अध्ययनों में पश्चिम बंगाल के जिलों में से कुछ नमूना परिवार शामिल थे। योजना मूल्यांकन संगठन द्वारा संचालित अध्ययन के अनुसार नमूना परिवारों के 49.4 प्रतिशत परिवारों ने गरीबी की रेखा पार कर ली है जबकि राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक द्वारा आयोजित अध्ययन के अनुसार यह 47 प्रतिशत है। गरीबी की रेखा से ऊपर उठे परिवारों के राज्य-वार आंकड़े इन अध्ययनों में नहीं दिए गए हैं। फिर भी छठी योजना के दौरान पश्चिम बंगाल में लक्ष्य के मुकाबले शामिल किए गए लाभार्थी 71.38 प्रतिशत थे (10 लाख के लक्ष्य के मुकाबले 7.17 लाख परिवारों को सहायता दी गई) 1 छठी योजना में अखिल भारत के लक्ष्य 15 मिलियन के मुकाबले 16.55 मिलियन परिवारों को सहायता दी जा चुकी है (अर्थात् 109 प्रशिशत उपलब्धि)।

सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत अपनाए गए भूमि संरक्षण उपायों पर एक अनुसन्धान तथा प्रभाव अध्ययन, आपरेशन रिसर्च ग्रुप, भुवनेश्वर द्वारा बिहार, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों में 1980 के आरम्भ में किया गया था। इस अध्ययन के निष्कर्षों के अनुसार पुरुलिया (पश्चिम बंगाल) में 94 प्रतिशत लाभार्थी तथा फुलबनी (उड़ीसा) तथा पालामऊ (बिहार) प्रत्येक में 90 प्रतिशत लाभार्थियों ने बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाकर तथा खेती की पद्धति में

परिवर्तन द्वारा भूमि संरक्षण योजना से लाभान्वित होने की सूचना दी है। पुरुलिया में 6 प्रतिशत किसान (फुलबनी में 18 प्रतिशत और पालामऊ में 16 प्रतिशत के मुकाबले) ऐसे क्षेत्र में खेती करने लगे हैं जो पहले खास तौर पर बंजर था। पुरुलिया में 49 प्रतिशत किसान, पलामू में 52 प्रतिशत तथा फुलबनी में 20 प्रतिशत किसानों द्वारा बाजरा जैसी सस्ती फसलों के स्थान पर धान जैसी अधिक कीमती फसलें उगाए जाने की सूचना मिली है। कुछ प्रभावों के अनुसार उत्पादकता में फुलबनी में 240 प्रतिशत तथा पालामऊ में 234 प्रतिशत औसत वृद्धि के मुकाबले पुरुलिया में 254 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत कोई मूल्यांकन अध्ययन अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। फिर भी, कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिवर्ष 300-400 मिलियन श्रमदिन रोजगार सृजित करने के साथ ही ग्रामीण आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने के लिए स्थायी परिसम्पत्तियां सृजित करना तथा ग्रामीण निर्धनों के पोषाहार स्तर को सुधारना था। जहां तक पश्चिम बंगाल का संबंध है, छठी योजना के दौरान कार्यक्रम के अन्तर्गत सारे देश में कुल 1774.37 मिलियन श्रम दिनों के रोजगार के मुकाबले 138.35 मिलियन श्रम दिन का रोजगार सृजित किया गया था। इसके अतिरिक्त, बड़ी संख्या में परिसम्पत्तियां भी सृजित की गई थीं। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम अगस्त, 1983 में ही आरम्भ किया गया था तथा आर्थिक व्यवस्था पर उसका अभी प्रभाव आंकना जल्दबाजी होगा।

भूमि सुधारों का जहां तक सम्बन्ध है, पूरे देश में वितरित 9,99,796 एकड़ भूमि के मुकाबले पश्चिम बंगाल में 1979-80 से अब तक 1,10,369 एकड़ फालतू भूमि वितरित की जा चुकी है।

परंपरागत चावल मिलिंग उद्योग का आधुनिकीकरण

3992. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में परंपरागत चावल मिलिंग उद्योग का आधुनिकीकरण करने के लिए कदम उठाये हैं;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी परंपरागत चावल मिलों का आधुनिकीकरण किया गया है;

(ग) उड़ीसा की कितनी परंपरागत चावल मिलों को उपर्युक्त आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत लाया गया है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) इस समय उपलब्ध सूचनानुसार, लगभग 7.6 हजार परम्परागत चावल मिलों का आधुनिकीकरण कर लिया गया है।

(ग) और (घ). 164 चावल मिलों में से, 139 हुलर-एवं-शैलर किस्म की और 25 शैलर किस्म की चावल मिलें हैं।

भारतीय कला केन्द्र आदि द्वारा भूमि का उपयोग

3993. **श्री डी० पी० यादव** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** भारतीय कला केन्द्र आदि द्वारा भूमि का उपयोग के बारे में 19 मार्च, 1984 के अतारांकित संख्या 3693 के उत्तर के सम्बन्ध

में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उपर्युक्त उत्तर में हालांकि यह कहा गया है कि संगीत भारती पर 906 वर्ग फीट आवासीय क्षेत्र के निर्माण के लिए कोई अर्थदण्ड नहीं लगाया गया है परन्तु वास्तव में संगीत भारती पर मार्च, 1981 में केवल 906 वर्ग फीट आवासीय क्षेत्र का निर्माण करने के लिए 3437 रुपये 34 पैसे का अर्थदण्ड लगाया गया था जबकि 15877 वर्ग फीट के आवासीय निर्माण की अनुमति है और संस्थान ने 27153 रुपये की किस्तों में अदायगी भी कर दी है ;

(ख) क्या संगीत भारती ने अदा करी राशि को वापस किए जाने के लिए अप्रैल, 1984 में अभ्यावेदन दिया था ;

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया है ; और

(घ) क्या संगीत भारती को इस सम्बन्ध में कोई उत्तर भेजा गया है ?

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) उस समय की सरकार की नीति तथा लागू निर्देशनों के अनुसार विभिन्न प्रभार वसूल किये गये थे जबकि इस सम्बन्ध में मार्च, 1984 में सरकार की नीति में परिवर्तन हुआ था।

(ख) जी, हां।

(ग) मामला जांचाधीन है।

(घ) जी, नहीं।

क्लूसा तिलहन परियोजन

3994. **श्री चिन्ता मोहन** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) नारियल सहित विभिन्न वनस्पति तिलहनों की वर्तमान उत्पादकता की तुलना में विभिन्न वनस्पति तिलहनों की सर्वोत्तम उत्पादिकता क्या थी;

(ख) क्या क्लूसा तिलहन परियोजना के अन्तर्गत राज्यों में उत्पादकता में वार्षिक सुधार होना था और यदि हां, तो क्लूसा परियोजना आरम्भ होने के समय से राज्यों में तिलहनों की फसल के वर्षवार आंकड़े क्या हैं;

(ग) क्या राज्यों में मंजूर शुदा क्लूसा परियोजना के अनुसार मूंगफली तथा थोड़े से अन्य तिलहनों पर ध्यान केन्द्रित करने के बजाए सोयाबीन जैसी नई फसलों की ओर ध्यान दिया जा रहा है और जिन राज्यों को पहले शामिल नहीं किया गया था अब इसके अन्तर्गत लाया जा रहा है और यदि हां, तो परिवर्तन करने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या नोडल मन्त्रालय और योजना आयोग द्वारा क्लूसा परियोजना के सम्बन्ध में कोई मूल्यांकन किया गया है ओर यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) "खाद्य तेल तथा तिलहन उत्पादन एवं विपणन के पुनर्गठन" सम्बन्धी राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड की परियोजना के आरम्भ से विभिन्न-विभिन्न तिलहनों की 1979-80 में हुई सर्वोत्तम उत्पादकता तथा वर्तमान उत्पादकता का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

फसल	सर्वोत्तम उत्पादकता (कि० ग्रा०/हैक्टार)	वर्तमान उत्पादकता* (कि० ग्रा०/हैक्टार)
मूंगफली	972	953
तोरिया-सरसों	659	659
सोयाबीन	741	716
तिल	283	283
कुसम	586	586
सूरजमुखी	564	407
रामतिल	294	294
अलसी	300	300
एवंड	639	639
नारियल	5531 (गिरी/हैक्टार की संख्या)	5084 (गिरी/हैक्टार की संख्या)

*इस समय नवीनतम फसल उत्पादन के अनुमान 1983-84 के लिए उपलब्ध हैं।

(ख) तिलहन तथा वनस्पति तेल सम्बन्धी राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड की परियोजना को क्लूसा तिलहन परियोजना का नाम देना सही नहीं है। वास्तव में यह परियोजना संयुक्त राज्य अमेरिका (क्लूसा) के को ओपरेटिव लीग तथा कनाडा के सहकारी संघ (सी० यू० सी०) की सहायता से सात राज्यों, अर्थात् गुजरात, मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, महाराष्ट्र और कर्नाटक में चलाई जा रही है। इन राज्यों में तिलहनों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए अभिप्रेत केवल यही एक परियोजना/योजना नहीं है। इस उद्देश्य के लिए केन्द्रीय/राज्य सरकारों की अन्य योजनायें भी कार्यान्वित की जा रही हैं। इसके अलावा, तिलहन फसलों की उत्पादकता पर सिंचाई, डीजल और बिजली की सप्लाई, मौसम की स्थितियों आदि जैसे अनेक पहलुओं का प्रभाव भी पड़ता है।

(ग) इस परियोजना के अन्तर्गत यह प्रतिपादित किया था कि पहले मूंगफली उत्पादन वाले क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित किया जाये। इस परियोजना द्वारा विनौले, सूरजमुखी आदि जैसे तेल के अन्य मुख्य स्रोतों पर भी कार्य किया जाना था। मध्य प्रदेश को इस परियोजना के अन्तर्गत लाया गया है, क्योंकि वहां पर सोयाबीन विकास की क्षमता है। इसी प्रकार, उड़ीसा को भी शामिल किया गया है, क्योंकि वहां पर मूंगफली का उत्पादन बढ़ाने की बहुत क्षमता है।

(घ) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड की तिलहनों और वनस्पति तेल सम्बन्धी परियोजना का पिछला मूल्यांकन एक संयुक्त दल द्वारा 1983 में किया गया, जिसमें अमेरिकी सहकारी लीग (क्लूसा) अन्तर्राष्ट्रीय विकास के लिए अमेरिकी एजेंसी/भारत सरकार/राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड शामिल थे। इस दल द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित हैं :

1. परिसंस्करण सुविधाओं के लिए लाइसेंस देने की पद्धति को सरल और कारगर बनाया जाये।

2. बाजार सम्बन्धी विश्लेषण तथा पूर्वानुमान लगाने के कार्यों का केन्द्रीयकृत तन्त्र विकसित किया जाये।

3. परियोजना की कार्यनीति वर्षा सिंचित क्षेत्रों में वर्ष प्रति वर्ष पैदावार को एक संतुलित स्तर पर स्थिर करने की हो, न कि वार्षिक पैदावार को बहुत बढ़ाने की।

4. सोसायटी-सचिवों को अपने कार्य करने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

5. जहां कृषि पदों के लिए गैर-कृषि उम्मीदवारों को तैनात करना जरूरी हो वहां उनके लिए कृषि-विषयों में गहन और औपचारिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए।

6. राज्य सरकारें तथा राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड संघों के उच्च स्तरीय प्रबन्धक पदों पर सुअर्हक व्यक्तियों को तैनात करने तथा उन्हें उन पदों पर तीन से चार वर्ष तक बनाए रखने के लिए पूरी तरह बचनबद्ध हों।

7. राज्य संघों को भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा जाना चाहिए और परिसंस्करण संयंत्र प्रबन्धकों को उनके क्षेत्र में अर्ध-स्वायत्त क्षेत्राधिकार दिया जाना चाहिए।

8. कच्चा माल या तैयार उत्पाद क्षेत्रों के बाहर लाने और ले जाने का निर्णय संघ के मुख्यालय में लिया जाना चाहिए।

9. सिंचित क्षेत्रों में, जहां पर उत्पादन, खरीद और क्षमता का अनुकूलतम उपयोग होना अधिक निश्चित है, बड़े प्लांट, उपयुक्त हैं।

10. राज्य संघों को खरीद सम्बन्धी समर्थन के लिए राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड का उपयोग धीरे-धीरे कम करना चाहिए और खरीद के लिए वाणिज्यिक वाहनों का यथासंभव उपयोग शुरू करना चाहिए।

11. खरीद कार्य पूरे वर्ष किया जाए।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा कृषि विश्वविद्यालय को अनुदान देने सम्बन्धी नीति

3995. **श्री अजय मुशरान** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा कृषि विश्वविद्यालयों को अनुदान देने सम्बन्धी नीति क्या है;

(ख) क्या यह राज्य-वार दी जाती है अथवा राज्यों में स्थित विश्वविद्यालयों को सीधे भेजी है; और

(ग) पिछले पांच वर्षों में अन्य विश्वविद्यालयों की तुलना में जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, जबलपुर को कितनी सहायता दी गयी है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का शिक्षा प्रभाग दो योजनाओं अर्थात् (I) "कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना तथा

विकास" और (II) "राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रयोजना" के अन्तर्गत राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता देता है।

(I) "कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना और विकास" योजना के अन्तर्गत संस्थानिक विकास जन शक्ति विकास तथा शिक्षा के स्तार में सुधार लाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा नियुक्त की गई विजिटिंग टीम ने छठी योजना के दौरान कृषि विश्व-विद्यालयों के विकास के लिए दी गयी आवश्यक निधियों का मूल्यांकन किया था और नीचे दी गई नीति के आधार पर राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को आबंटन किया गया था।

क्रम संख्या	नीति	छठी योजना के दौरान वित्तीय सीमा
1.	राज्य में एक कृषि विश्वविद्यालय	प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिए 3 करोड़ रुपए तक।
2.	राज्य में दो कृषि विश्वविद्यालय	प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिए 2.50 करोड़ रुपए तक।
3.	राज्य में तीन कृषि विश्वविद्यालय	प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिए 2 करोड़ रुपए तक।
4.	राज्य में चार कृषि विश्वविद्यालय	प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिए 1.50 करोड़ रुपए तक।

(II) "राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रयोजना" योजना के अन्तर्गत कृषि विश्वविद्यालयों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता के लिए जो नीति अपनाई गई है उसके अनुसार कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा प्रस्तुत की गई प्रायोजना को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा गठित समिति द्वारा मूल्यांकन कराया जाता है। उसके बाद मूल्यनिर्धारण रिपोर्ट का अन्त: शासीय वैज्ञानिक पैनल द्वारा अनुमोदन किया जाता है, और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की प्रायोजना की प्रायोजना निधि समिति (पी० एफ० सी०) द्वारा अन्तिम रूप से अनुमोदन किया जाता है। वर्तमान संसाधनों को ध्यान में रखते हुए प्रायोजना की अनुसंधान आवश्यकताओं की कृषि जरूरतों को पूरा करने के लिए छठी योजना की अवधि के दौरान राज्य में प्रत्येक कृषि विश्वविद्यालय को औसतन 5.00 करोड़ रु० आबंटन किया गया था।

(ख) पृथक-पृथक कृषि विश्वविद्यालयों की सहायता की राशि दी जाती है, न की राज्य को।

(ग) उपरोक्त दो योजनाओं के अन्तर्गत राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को दी गई वित्तीय सहायता संलग्न है। "कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना तथा विकास" योजना के अन्तर्गत जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर को दी गई राशि संलग्न विवरण 1 के क्रम संख्या 8 के कोलम 9 में और "राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान के योजना के अन्तर्गत दी गई राशि संलग्न विवरण 2 के क्रम संख्या 4 कोलम 4 व 5 में देखी जा सकती है।

विवरण-1

छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कुल आबंटन 52.18 लाख रुपये भा० कृ० अ० प० 1980-85

कृषि विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय सहायता के रूप में 'कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना और विकास' योजना के अन्तर्गत छठी योजना (1980-85) के लिए आबंटन।

क्रम सं०	विश्वविद्यालय का नाम	बजट आबंटन (1980-85)	के दौरान दी गई राशि					(रु० लाखों में) कुल योग
			1980-81	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	ए०पी०ए०यू० हैदराबाद	238.00	42.00	26.00	42.25	85.01	42.74	238 00
2.	ए०ए०यू० जोरहाट	300.00	45.00	162.47	92.00	—	—	300.00
3.	आर०ए०यू० पटना (बिहार)	337.00	185.78	71.00	75.00	05.22	—	337.00
4.	जी०ए०यू० अहमदाबाद	256.10	21.25	79.85	55.75	61.75	37.50	256.10
5.	एच०ए०यू० हिसार	258.00	40.94	44.79	63.50	68.22	40.54	257.99
6.	एच०पी०के०वी०वी० पालमपुर	281.00	73.03	22.00	44.50	85.00	56.47	281.00
7.	यू०ए०एस० बंगलौर	295.41	54.00	83.42	20.97	96.21	40.81	295.41
8.	जे०एन०के०वी०वी० जबलपुर	292.91	37.91	65.00	69.00	79.53	40.42	291.86
9.	के०ए०यू० मन्नुथी	299.18	80.23	50.95	35.00	65.00	68.00	299.18
10.	के०के०वी० डपोली	149.92	56.99	15.93	34.36	12.57	30.07	149.92
11.	एच०पी०के०वी० राहुरी	148.84	9.75	41.79	52.00	27.98	17.31	148.84

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	एम०ए०यू० परभणी	149.66	39.43	15.23	38.54	35.87	20.34	149.41
13.	पी०के०वी० अकोला	149.23	10.94	17.29	53.75	35.27	30.75	149.00
14.	ओ०यू०ए०टी० भुवनेश्वर	300.00	16.54	53.06	96.50	24.20	109.70	300.00
15.	पी०ए०यू० लुधियाना	265.56	34.37	30.94	67.08	90.85	42.315	265.55
16.	सुखाड़िया यूनि० उदयपुर	297.94	60.36	118.58	28.90	28.50	61.60	297.94
17.	टी०एन०ए०यू० कोयम्बटूर	278 63	49.83	48.80	54.40	55.92	64.68	273.63
18.	जी०बी०पी०यू०ए० एण्ड टी० पन्तनगर	200.00	34.82	12.85	35.00	66.10	51.23	200.00
19.	एन०डी०यू०ए०टी० फैजाबाद	199.66	35.00	42.66	40.00	10.00	72.00	199.66
20.	सी०एस०ए०यू०टी० कानपुर	186.40	13.50	34.90	37.00	41.50	59.50	186.40
21.	बी०धी०के०वी०वी० कल्याणी	184.11	32.71	—	78.53	21.21	51.66	184.11
22.	बिरसा एग्री० यूनि० राँची	150.00					150.00	150.00
	कुल :	52,18.15	974.91	1037.51	1114-03	996.91	1087.645	5211.00

विवरण-2

'राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रायोजना' (एन० ए० आर० पी०) योजना के अन्तर्गत राज्य कृषि विश्वविद्यालय को किए गए वादे और दी गई राशि (रु० लाख में)

क्र० सं०	विश्वविद्यालय	वचन बद्धता	31-3-85 तक निर्मुक्ता	31-3-85 तक स्थल पर वास्तविक व्यय
1	2	3	4	5
1.	एच०ए०यू०	285.67	224·80	182.45
2.	ए०पी०ए०यू०	592.48	505.81	454.18
3.	जी०ए०यू०	504.69	438.21	413.26
4.	जे०एन०के०वी०वी०	499.10	334.59	243.01
5.	यू०ए०एस०	421.57	284.16	253.92
6.	के०ए०यू०	433.04	318.73	199.75
7.	पी०ए०यू०	202.36	106.85	73.14
8.	एम०यू०	456.78	289.64	196.38
9.	टी०एन०ए०यू०	486.13	291.88	177.66
10.	ओ०यू०ए०टी०	346.91	117.01	75.83
11.	ए०ए०यू०	315.04	41.37	22.28
12.	आर०ए०यू०	97.62	34.46	3.58
13.	बी०ए०यू०	207.73	—	—
14.	एच०पी०के०वी०वी०	354.75	120.62	52.51
15.	सी०एस०ए०यू०ए०टी०	193.53	24.20	7.10
16.	जी०बी०पी०यू०ए०टी०	331.59	18.15	10.42
17.	एन०डी०यू०ए०टी०	62.76	7.13	0.84
18.	एम०पी०के०वी०	175.64	15.88	15.28
19.	पी०के०वी०	87.93	20.28	8.51
20.	एम०ए०यू०	140.73	9.78	8.16
21.	के०के०वी०	160.99	24.18	9.32
22.	बी०सी०के०वी०वी०	—	—	—

1 2	3	4	5
23. आई०ए०आर०आई०	125.00	9.31	9.51
24. एन०ए०ए०आर०एम०	90.02	28.56	28.56
25. प्रोजेक्ट यूनिट	27.25	45.77	45.77
	6535.51	3311.72	2491.42

जनता मजदूर संघ को मान्यता देना

3996. **श्री एस० जयपाल रेड्डी** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनता मजदूर संघ को नेशनल ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड द्वारा मान्यता नहीं दी गई है यद्यपि ऊपरी असम (डिबरूगढ़ जिले) में लीडो मार्ग हेरीटा क्षेत्र के 6000 कोयला श्रमिक गत वर्ष इसमें शामिल हुए थे;

(ख) क्या केन्द्रीय श्रम विभाग, गोहाटी के सहायक श्रम आयुक्ता का ध्यान जनता मजदूर संघ से सम्बन्धित अनेक श्रमिकों और पदाधिकारियों को उनके पद से निलंबित किये जाने की ओर दिलाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री टी० अन्जैया) : (क) से (ग). इस्पात, खान और कोयला मन्त्रालय के अनुसार, यह सत्य नहीं है कि ऊपरी असम के लीडो मार्गहेरीटा क्षेत्र के 6000 कोयला श्रमिक जनता मजदूर संघ, जो कि मान्यता प्राप्त यूनियन नहीं है, में शामिल हो गए हैं। चार श्रमिकों की मुअत्तली के बारे में सहायक श्रमायुक्त (केन्द्रीय), गौहाटी द्वारा संशोधन कार्रवाई की जा रही है।

[हिन्दी]

विदेशों में श्रमिकों को मजूरी भुगतान न किया जाना

3997. **श्री राम बहादुर सिंह** : क्या **श्रम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ संसद सदस्यों ने विदेशों में कार्य कर रहे श्रमिकों को मजूरी का भुगतान न किए जाने के बारे में 7 जून, 1985 को उन्हें एक पत्र लिखा है;

(ख) यदि हां, तो उस पत्र का सार क्या है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री टी० अंजैया) : (क) और (ख). जी, हां।

वित्त मन्त्री को सम्बोधित पत्र की प्रति प्राप्त हुई थी। इस पत्र में विभिन्न अन्य विषयों के अतिरिक्त निम्नलिखित श्रम सम्बन्धी विषय उठाए गए हैं :

(i) गरीब कर्मकारों को विदेश जाने के लिए काफी बड़ी राशि अदा करनी होती है।

(ii) नियोजन संविदा शर्तों के अनुसार कर्मकारों को वेतन नहीं दिए जाते हैं।

(iii) घरेलू नौकरों का काम करने के लिए ले जाई गई युवतियों का व्यभिचार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।

(ग) जिन निर्माण कम्पनियों के विरुद्ध श्रमिक शोषण की शिकायतें थीं,उन के लिए उत्प्रवास अनुमति रोक दी गई और शेष पड़ी शिकायतों को निपटाने के बाद ही पुनः अनुमति दी गई।

[अनुवाद]

फिल्म निर्माण और थियेटर निर्माण को लघु उद्योग घोषित करना

3998. **श्री जायनल अबेदीन** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने राज्य सरकारों को एक परिपत्र जारी किया है, जिसमें राज्य सरकारों से फिल्म निर्माण और थियेटर निर्माण से की लघु उद्योग घोषित करने का अनुरोध किया गया है ताकि फिल्म उद्योग के इन क्षेत्रों को संस्थागतन वित्त उपलब्ध हो सके;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मन्त्रालय ने राज्य सरकारों द्वारा जारी किए गए इस आशय के पंजीकरण प्रमाणपत्र द्वारा उद्यमियों को मान्यता देने हेतु यह मामला उद्योग मन्त्रालय के साथ उठाया है;

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या उनके मन्त्रालय का इस सम्बन्ध में तेजी से कदम उठाने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) फिल्म निर्माण और थिएटर निर्माण को लघु उद्योग घोषित करने के बारे में राज्य सरकारों को हाल ही में कोई परिपत्र जारी नहीं किया गया है। तथापि, फरवरी, 1984 में, सूचना और प्रसारण मन्त्रालय ने राज्य सरकारों को लिखा था कि वे अपने राज्य में फिल्म निर्माण तथा थिएटर निर्माण को लघु उद्योग/उद्योग के रूप में घोषित करने के बारे में विचार करें, जैसा कि कुछ राज्य सरकारों द्वारा ऐसा पहले ही किया जा चुका है।

(ख) से (घ). सूचना और प्रसारण मन्त्रालय ने राज्य सरकारों द्वारा जारी किए पंजीकरण प्रमाणपत्रों को रखने वाले उद्यमियों को मान्यता देने सम्बन्धी कोई पत्र उद्योग मन्त्रालय को नहीं भेजा है। तथापि, फिल्म निर्माण और थिएटर निर्माण को लघु उद्योग के रूप में केन्द्रीय सरकार के स्तर पर मान्यता दिए जाने के लिए एक पत्र उद्योग मन्त्रालय को भेजा गया था।

घरौंदा गांव में अधिग्रहित भूमि के लिए मुआवजे के बारे में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अन्तिम निर्णय

3999. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा घरौंदा गांव में भूमि के अधिग्रहण के बारे में 5 अगस्त 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1937 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित विवादास्पद मामलों और मूल मालिक और या जिनके नाम भूमि आन्तरित की गई है उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त विवादास्पद मामलों में मुआवजे के अन्तिम निपटान के बारे में आगे क्या कार्यवाही करने का विचार है;

(ग) क्या मूल मालिकों की कुछ भूमि को पंजीकृत मुख्तारनामा द्वारा अन्तरित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तत्सम्बन्धी वास्तविकता क्या है ?

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) विवादास्पद मामलों के विवरण संलग्न विवरण (पृष्ठ 169—170) में दिये गये हैं।

(ख) अभिलिखित मालिकों, विवादियों तथा मुआवजे की राशि के विवरणों सहित क्रम संख्या 1 से 9 तक विनिर्दिष्ट मामलों को उनके सामने दी गई तारीखों को अपर जिला न्यायाधीश को भेजा गया है। दावों से सम्बन्धित प्रमाणों की जांच करने के बाद ऐसे मामलों में भुगतान अपर जिला न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा। क्रम संख्या 10 से 14 तक आलेखित मालिकों ने मुआवजे के लिए आवेदन नहीं किया है। आलेखित मालिकों के अलावा भी अन्य व्यक्तियों के भी भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा 9 तथा 10 के अन्तर्गत नोटिस के जवाब में उसी भूमि के लिए अपने दावे प्रस्तुत किए हैं। चूंकि अवार्ड घोषित किये जाने के बाद दिल्ली प्रशासन ने किसी दावेदार से मुआवजे के भुगतान के लिये कोई आवेदन प्राप्त नहीं किया था। इसलिये विवाद के कारण मुआवजे की राशि को उपायुक्त के कार्यालय में रखा गया है। दावेदारों से आवेदन प्राप्त होने के बाद इन मामलों की उस कार्यालय द्वारा जांच की जायेगी।

(ग) ऐसा कोई मामला दिल्ली प्रशासन के उपायुक्त की सूचना में नहीं आया बताया गया है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

कालीन उद्योग और माचिस उद्योग में बाल श्रमिकों का शोषण

4000. **श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मिर्जापुर, जम्मू और काश्मीर में कालीन उद्योग में तथा शिवाकाशी में माचिस उद्योग में बाल श्रमिकों का शोषण किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अन्जैया) : (क) और (ख). बालक नियोजन अधिनियम, 1938 के उपबन्धों को लागू करना सम्बन्धित राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। यह अधिनियम अनेक उद्योगों में, जिनमें कालीन और माचिस उद्योग शामिल है, बालकों के रोजगार को विनियमित करता है। यथापि, सरकार भी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर भदोही क्षेत्र और तमिलनाडु के सिवाकासी क्षेत्र में पाइलट परियोजनाएं तैयार कर रही है जिससे बाल श्रमिकों की कामकाज और रहन-सहन की दशाओं में सुधार किया जा सके। और इन क्षेत्रों में बाल श्रमिकों के शोषण को अन्ततः समाप्त किया जा सके।

विवरण

क्र० सं०	आलेखित मालिक का नाम	विवादी का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	अवार्ड संख्या	राशि	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	मेहता कृष्ण लाल	सरदार मंगलसिंह आदि	389, 390 से 392 तक	4-08	6ए/71-72	3278.63	यह राशि 15-9-80 को अपर जिला न्यायाधीश को भेजी गई क्योंकि इसके लिए अधिक दावेदार हैं।
2.	दिल्ली हाऊसिंग कं०	श्री रामप्रसाद आदि	390 से 392 तक	1-04	—वही—	6785.07	—वही—15-9-80 को
3.	श्रीमता पुष्पा	श्री सुरेन्द्र मोहन आदि	402	0-10	6सी/71-72	2012.19	—वही—5-7-82 को
4.	श्री छज्जू राम	श्री सी०के० शर्मा आदि	402 तथा 404	0-18	—वही—	3621.94	—वही—5-5-80 को
5.	श्री श्रीचन्द	श्री ताराचन्द आदि	393, 395 402 से 405, 407	24-09	—वही—	94371.79	—वही—23-11-79 को
6.	श्री शान्तिस्वरूप आदि	श्री रामनाथ आदि	387, 394	9-03	—वही—	32748.43	—वही—26-3-79 को
7.	श्री ओमप्रकाश	श्री आर०एन० बोहरा आदि	385	4-10	—वही—	20524.35	—वही—16-11-79 को
8.	मैं० दिल्ली हाऊसिंग कं०	श्री कृष्ण लाल आदि	406	5-17	—वही—	48493·82	यह राशि 29-6-1979 को अपर जिला न्यायाधीश को भेजी गई क्योंकि इसके लिए अधिक दावेदार हैं।

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	कृष्ण लाल मेहता	श्री रामप्रसाद आदि	383, 389	9-00	—वही—	323153.00	—वही—39-7-79 को क्योंकि दावेदारों से मुआवजे के लिए कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है इसलिए मुआवजा विवाद में इस कार्यालय में रखा गया है।
10.	श्रीमती शीलावती	श्रीमती लक्ष्मी देवी आदि	495	0-10	—वही—	2012.19	
11.	श्रीमती मंजीत कौर	—वही—	403	0-06	—वही—	1207.31	—वही—
12.	श्री खुलसी राम	—वही—	393	0-02	—वही—	402.44	—वही—
13.	श्री धर्मसिंह	—वही—	393	0-02	—वही—	402.44	—वही—
14.	श्रीमती जोगेन्द्रकौर	श्री कवल सिंह आदि	3852 38912	0-13 0-01	—वही—	2817.07	—वही—

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा नीलामी की शर्तों में परिवर्तन

4001. **श्री सी० सम्बू :**

श्रीमती एन०पी० झांसी लक्ष्मी :

श्री बलराम सिंह यादव :

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा की जाने वाली नीलामी की शर्तों में परिवर्तन किया है;

(ख) यदि हां, तो संशोधित शर्तें क्या हैं और मूल शर्तें क्या थीं; और

(ग) क्या संशोधित शर्तों से गैर-सरकारी निर्माताओं को लाभ होगा जबकि दिल्ली विकास प्राधिकरण को नुकसान होगा ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

उत्तर बंगाल में चाय बागानों में कर्मचारियों की भविष्य निधि की बकाया की अदायगी न करना

4002. **श्री अमल दत्त** : **क्या श्रम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर बंगाल के चाय बागानों के कर्मचारियों को कई ज्ञापन देने के बावजूद उनके भविष्य निधि की बकाया राशि की अदायगी नहीं की जा रही है;

(ख) क्या उन्हें भी इस सम्बन्ध में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) भविष्य निधि की बकाया राशि के निपटान के लिये क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री टी० अंजैया) : (क) भविष्य निधि पदाधिकारियों के अनुसार, यह कहना सही नहीं होगा कि उत्तरी बंगाल में चाय बागान श्रमिक अपनी भविष्य निधि प्राप्त नहीं कर रहे हैं। सदस्यता को छोड़ने वालों के दावों को यथासम्भव तत्परता से निपटाया जाता है, बशर्ते कि दावे हर प्रकार से पूरे हों और नियोजकों से देय अंशदान प्राप्त हुए हों। जिन मामलों में नियोजकों ने अंशदानों की पूरी राशि अदा नहीं की है, उन मामलों में दावों को नियोजक से अंशदान की वास्तव में प्राप्त हुई राशि और कर्मचारी के पूरे अंशदान (जिसमें नियोजक से वसूल न की गई राशि भी शामिल है) की राशि की अदायगी करके निपटाया जाता है। दोषी नियोजकों से देय बकाया राशि की वसूली करने और शेष राशि, यदि कोई हो, की अदायगी करने के लिए भी कार्रवाई की जा रही है।

(ख) और (ग). जलपाईगुड़ी में एक उप-क्षेत्रीय कार्यालय खोलने के बारे में एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है और उसकी जांच की जा रही है।

(घ) इस बारे में स्थिति उस प्रकार है जैसे प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में बताई गई है।

[हिन्दी]

कृषि सम्बन्धी कार्यों के लिए पुराने तरीकों का प्रयोग

4003. **श्री आर० एम० भोये** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन स्थानों का पता लगाया है जहाँ पुरानी और हाथ से बनाई गई बैलगाड़ियां, कुओं से पानी निकालने के लिए रहट और भैंसों, ऊँटों और बैलों आदि से चलाई जाने वाली चारा काटने की मशीनें अब भी बड़ी संख्या में प्रयोग की जाती हैं, जिनमें सुधार करने की आवश्यकता है; और

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे राज्यों के नाम क्या हैं और सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या सुधार किये जा रहे हैं ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चंद्राकर) : (क) जी हाँ, श्रीमान। भारत सरकार समय-समय पर पशु और पशुओं द्वारा संयुक्त रूप में खींचे जाने वाले बड़े उपकरण जैसे—बैलगाड़ियाँ, और रहटों की गणना करती है।

(ख) संलग्न विवरण में 1972 और 77 की गणना के आधार पर सूचना दी गई है। बैलगाड़ियों के सुधरे हुए डिजाइन, सुधरे हुए रहट और चारा काटने वाली मशीनों का विकास किया गया है और उनकी जांच की गई है।

विवरण-1

बैलों और हाथ से खींचे जाने वाले उपकरण

	गाड़ियाँ		परशियन व्हील (रहट)	
	1972	1977	1972	1977
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	14,29,000	14,22,400	38,000	31,600
आसाम	1,10,000	1,04,400	—	—
बिहार	7,75,000	7,13,600	53,000	52,000
गुजरात	8,18,000	7,58,400	6,000	2,700
हरियाणा	3,64,000	3,24,400	27,000	15,700
हिमाचल प्रदेश	3,000	2,800	1,000	800
जम्मू और कश्मीर	1,100	1,000	—	—
कर्नाटक	6,75,000	6,77,300	34,000	22,300
केरल	16,000	15,100	5,000	6,100
मध्य प्रदेश	23,22,000	24,22,500	1,01,000	1,25,700

1	2	3	4	5
महाराष्ट्र	15,21,000	14,94,600	3,000	1,500
मणिपुर	20,000	20,000	—	—
मेघालय	8,000	18,000	—	—
नागालैंड	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
उड़ीसा	5,87,000	2,09,200	—	200
पंजाब	3,03,000	3,32,400	51,000	32,500
राजस्थान	8,44,000	8,87,000	69,000	66,000
तमिलनाडु	5,95,000	6,30,500	1,000	900
त्रिपुरा	उपलब्ध नहीं		उपलब्ध नहीं	
उत्तर प्रदेश	22,31,000	22,91,300	2,49,000	2,30,600
पश्चिम बंगाल	3,31,000	3,31,000	—	—
अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	उपलब्ध नहीं		उपलब्ध नहीं	
अरुणाचल प्रदेश	—	600	—	—
चण्डीगढ़	1,000	600	—	200
दादर व नगर हवेली	—	2,000	—	—
दिल्ली	—	4,400	—	700
गोवा दमन और द्वीप	2,000	1,800	—	100
लक्षद्वीप	—	—	—	—
मिजोरम	—	—	—	—
पांडिचेरी	4,000	3,600	—	—
सम्पूर्ण भारत	129,60,000	126,69,800	6,38,000	5,66,400

[अनुवाद]

भारतीय डेरी निगम द्वारा राज्यों को स्किम्ड मिल्क पाउडर की सप्लाई न किया जाना

4004. **श्री महेन्द्र सिंह :** क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय डेरी विकास निगम ने निर्णय किया है कि वर्ष 1985 के दौरान छोटे शहरों में स्थापित की गई दुग्ध पूर्ति योजनाओं के लिये "स्किम्ड मिल्क पाउडर" आवंटित न किया जाए और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या भारतीय डेरी विकास निगम ने आदिवासी क्षेत्रों में स्थापित दुग्ध पूर्ति योजनाओं को भी "स्किम्ड मिल्क पाउडर" की सप्लाई बंद कर दी है;

(ग) क्या इसकी वजह से मध्य प्रदेश सरकार को मजबूर होकर भारतीय डेरी विकास निगम के "स्किम्ड मिल्क पाउडर" के मूल्य की तुलना में खुले बाजार से बहुत अधिक मूल्य पर यह पाउडर खरीदना पड़ रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या भारतीय डेरी विकास निगम द्वारा "स्किम्ड मिल्क पाउडर" के आवंटन की नीति पर पुन: विचार किया जाएगा ताकि मध्य प्रदेश सरकार को प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता बढ़ाने में सहायता मिल सके; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चंदूलाल चंद्राकर) : (क) भारतीय डेरी निगम ने निर्णय लिया कि 1985 के गर्मी के महीनों के दौरान विभिन्न संघों के अधीनस्थ ऐसे तरल दुग्ध संयंत्रों को 5000 टन तक सपरेटा दुग्ध चूर्ण जारी करने पर विचार किया जाए, जिनके यहां तरल दुग्ध के स्थानीय वितरण की मात्रा बहुत अधिक है और जिन्हें गर्मी के महीनों में कठिनाई आ सकती है। भारतीय डेरी निगम ने 1985 के दौरान ऐसे तरल दुग्ध संयंत्रों को सपरेटा दुग्ध चूर्ण की कुछ मात्रा सप्लाई की है।

(ख) जी, हां।

(ग) राज्य सरकार से इस बारे में कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। तथापि, भारतीय डेरी निगम ने मध्य प्रदेश राज्य में कुछेक डेरी संयंत्रों को 130 मीटरी टन सपरेटा दुग्ध चूर्ण पहले ही आवंटित कर दिया है।

(घ) और (ङ). जैसाकि ऊपर (ग) के उत्तर में बताया गया है भारतीय डेरी निगम ने मध्य प्रदेश में दुग्ध संयत्रों को सपरेटा दुग्ध चूर्ण पहले ही आवंटित कर दिया है।

दिल्ली दूरदर्शन केन्द्र में नैमित्तिक कलाकारों और प्रोडक्शन असिस्टेंटों को नियमित करना

4005. **श्री एच० एन० नन्जे गौड़ा :**

श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन केन्द्र में कार्यरत नैमित्तिक कलाकारों और प्रोडक्शन असिस्टेंटों ने अपनी सेवाएं नियमित करने की मांग की है;

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिन्होंने इस केन्द्र में नैमित्तिक कर्मचारी या कलाकार के रूप में उसे 3 या 4 वर्ष तक की सेवा कर ली है; और

(घ) उनमें पुनः विश्वास पैदा करने तथा दूरदर्शन केन्द्र में उनकी सेवाएं स्थायी करने या उन्हें 5 से 7 वर्ष तक की दीर्घावधि के आधार पर नियुक्त करने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख). जी, हाँ। नैमित्तिक आधार पर कार्यरत प्रोड्क्शन असिस्टेन्टों सहित नैमित्तिक कलाकारों से उनकी सेवाओं को नियमित करने के लिए अभ्यावेदन समय समय पर प्राप्त होते रहे हैं। इन अभ्यावेदनों की समय समय पर संगत मानदण्डों की रोशनी में जांच की गई थी जिनके अनुसार केवल ऐसे नैमित्तिक कलाकार ही, जिन्होंने तीन लगातार वित्तीय वर्षों 1974-75 से 1979-80 तक के दौरान 365 दिन कार्य किया या उसी अवधि के दौरान किसी भी एक वित्तीय वर्ष में 200 दिवस कार्य किया, नियमित किए जाने के लिए पात्र हैं, बशर्ते कि रिक्तियाँ उपलब्ध हों।

(ग) ऐसे 28 कर्मचारियों, जिन्होंने कार्य आधार पर 3-4 वर्ष या इससे अधिक वर्ष पूरे कर लिए हैं, का श्रेणीवार ब्यौरा नीचे दिया गया है।

श्रेणी	कर्मचारियों की संख्या
फ्लोर असिस्टेन्ट	9
जनरल असिटेन्ट	4
प्रोड्क्शन असिस्टेन्ट	5
फिल्म प्रोसेसर	1
कारपेंटर	3
पेंटर	1
मेक-अप असिस्टेन्ट	4
लाइटिंग असिस्टेन्ट	1
कुल	28

(घ) स्टाफ आर्टिस्टों की उक्त सभी श्रेणियों को सिविल पदों में बदला जा चुका है। पात्रता की शर्तें पूरी करने वाले पदधारियों को उनकी उपयुक्तता के अधीन रहते हुए तदनुरूप सिविल पदों पर खपाने पर विचार किया जाएगा।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित भूमि पर अवैध कब्जा

4006. **श्री मुकुल वासनिक** :

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा सहकारी आवास समितियों, अन्य व्यक्तियों और यहां तक कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग जैसे अर्ध-सरकारी संगठनों को आवंटित भूमि पर अवैध रूप से कब्जा किये जाने के मामले दिल्ली विकास प्राधिकरण और सरकार के ध्यान में आए हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या अवैध रूप से कब्जा करने वालों से भूमि को मुक्त कराने और विवाद में पड़ी भूमि अभिटियों को वास्तविक कब्जा दिलाने के लिए कोई कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

देश के अन्य भागों में सुपर बाजार की शाखाएं स्थापित करना

4007. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सुपर बाजार का विचार देश के अन्य भागों में भी अपनी शाखाएं स्थापित करने का है;

(ख) क्या सभी शाखाएं सुपर बाजार की दिल्ली स्थित प्रबन्ध समिति के नियन्त्रणाधीन होंगी;

(ग) यदि हां, तो दूर-दराज की शाखाओं का नियन्त्रण तथा कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान कहां तक सम्भव तथा उचित होगा; और

(घ) क्या सरकार का विचार स्थानीय लोगों को सहकारी आधार पर भण्डार तथा सुपर बाजार स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने का है, यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) से (ग). सुपर बाजार ने देश के अन्य भागों में अपनी शाखाएं खोलने का प्रस्ताव नहीं किया है। तथापि, सुपर बाजार दि को-आपरेटिव स्टोर लि०, दिल्ली को सुझाव दिया गया है कि वे सम्पूर्ण संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के साथ-साथ समूचे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, जिसमें हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान के हिस्से शामिल हैं, में अपनी सेवायें उपलब्ध करने के लिए अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार करने पर विचार करें। सुपर बाजार द्वारा प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। जब भी प्रस्ताव को अन्तिम रूप दिया जाएगा, इसके प्रबन्ध, शाखाओं के नियंत्रण सम्बन्धी ब्यौरे तथा अन्य सम्बन्धित समस्याओं के बारे में विचार किया जायेगा।

(घ) देश के विभिन्न भागों में स्थानीय लोगों को उपभोक्ता सहकारी भण्डार, जिसमें बहुविभागी भण्डार शामिल हैं और जिन्हें आमतौर पर सुपर बाजार, अपना बाजार, जनता बाजार, सहकारी बाजार आदि के नाम से जाना जाता है, स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जिला थोक उपभोक्ता/केन्द्रीय सहकारी भण्डारों तथा प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डारों को उपभोक्ता सहकारी समितियों के विकास की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत सहायता दी जा रही है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण का विस्तार

4009. **श्री भरत सिंह** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रारम्भ में दिल्ली विकास प्राधिकरण की स्थापना मुख्यत: दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए मास्टर प्लान तैयार करने के लिए की गई थी ;

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण को निर्माण के क्षेत्र में दाखिल होते तथा इसकी तेजी से विस्तार करने की अनुमति देने के क्या कारण थे ;

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा किए जा रहे दिल्ली के विकास कार्यों को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, जो काफी पुराना और सुसंगठित विभाग है, को न सौंपे जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण के तेजी से हुए विस्तार के कारण उत्तरदायित्व का ह्रास और निर्माण कार्यों के कार्यान्वयन के लिए अपनाए जाने वाले नियमों और प्रक्रियाओं के प्रति सम्मान कम हुआ है ?

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, नहीं।

(ख) जैसा कि दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 में उपबन्ध है, दिल्ली विकास प्राधिकरण, प्राधिकरण के उद्देश्यों के अनुसरण में निर्माण गतिविधियां आरम्भ करता है। ये उद्देश्य निम्नलिखित हैं :—

"योजना के अनुसार दिल्ली के विकास को बढ़ावा देने तथा सुनिश्चित करने के लिए तथा इस प्रयोजन के लिए भूमि तथा अन्य सम्पत्ति के अर्जन, रखने, प्रबन्ध करने तथा बिक्री, भवन, इंजीनियरी, खदान तथा अन्य कार्य करने, पानी तथा बिजली देना, मल-निकास का निपटान तथा अन्य सेवाओं और सुविधाओं से संबंधित कार्यों का निष्पादन करना, इस प्रकार के विकास के प्रयोजनार्थ और इसके आनुषांगिक प्रयोजन के लिए साधारणतया कुछ भी आवश्यकीय या शीघ्रता के कार्य करना।"

(ग) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण का एक कार्य विकास होने के कारण इस कार्य को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को सौंपने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

मिनर्लस आयल वर्कर्स यूनियन, दिगबोई द्वारा हड़ताल का नोटिस

4010. **श्री सैफुद्दीन चौधरी** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान मिनर्लस आयल वर्कर्स यूनियन, दिगबोई द्वारा अपनी माँगों को पूरा करने के लिए जारी किए गये हड़ताल के नोटिस की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो तेल उद्योग के हित में दिगबोई में आई० ओ० सी० (ए० ओ० डी०) के ठेकेदारों के साथ हुए समझौते के क्रियान्वयन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री टी० अन्जैया) : (क) और (ख). मिनरल आयल वर्कर्स यूनियन, दिगबोई ने मजदूरी में संशोधन करने, वर्ष 1978 और 1979 के लिए बोनस, चिकित्सा सुविधाएं पुन: दिए जाने आदि से संबंधित मांग पत्र के बारे में आई० ओ० सी० (ए० ओ० डी०) के ठेकेदारी को 6 अप्रैल, 1985 को हड़ताल करने का नोटिस दिया। इस विवाद पर सुलझाव कार्यवाहियां चल रही हैं।

पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार, ठेकेदारों और उनके कर्मकारों के बीच 22-12-1983 को हुए समझौते की शर्तों को पूरी तरह लागू किया गया है और उक्त समझौते को लागू न करने के बारे में न तो पेट्रोलियम मंत्रालयय में और न ही आई० ओ० सी० (ए० ओ० डी) के प्रबंधतंत्र के पास कोई शिकायत प्राप्त हुई है। तथापि ठेके के विद्यमान रहने की अवधि के दौरान मजदूरी में या ठेका श्रमिकों को लागू होने वाले फायदों में किसी प्रकार की सांविधिक बढ़ोत्तरी होने की सूरत में ठेका कर्मकारों को देय फायदों की रक्षा करने के लिए प्रबंधतंत्र ने कदम उठा रखे हैं।

पश्चिम बंगाल में पटसन उद्योग तथा महाराष्ट्र और गुजरात में कपड़ा उद्योग के श्रमिकों को भविष्य निधि की राशि के भुगतान से वंचित रखना

4011. **श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के पटसन उद्योग और महाराष्ट्र और गुजरात के कपड़ा उद्योग विशेष रूप से रुग्ण और बन्द मिलों, के श्रमिकों को बहुत से मामलों में भविष्य निधि की उन्हें देय बँध राशि के भुगतान से वंचित किया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे श्रमिकों की वास्तविक संख्या क्या है और उन्हें लगभग कितनी राशि देय है ; और

(ग) श्रमिकों को उनकी भविष्य निधि की देय राशि का निपटान करने और दोषी व्यक्तियों को दण्ड देने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री टी० अन्जैया) : (क) पश्चिम बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र में छूट-न-प्राप्त क्षेत्र में आने वाली रुग्ण और बन्द पड़ी जूट और कपड़ा मिलों में श्रमिकों के दावों को प्राप्त हुए अंशदानों की सीमा तक निपटाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, नियोजकों ने वसूल न हुए कर्मचारियों अंशदानों की राशि का भी पूरा भुगतान किया जा रहा है।

(ख) 31-3-1985 की स्थिति के अनुसार, पश्चिक बंगाल में जूट मिलों और महाराष्ट्र तथा गुजरात में कपड़ा मिलों ने निम्नलिखित सीमा तक चूक की :

	अन्तर्ग्रस्त श्रमिक	बकाया राशि (रु० लाखों में)
पश्चिम बंगाल जूट मिलें	तत्काल उपलब्ध नहीं है।	4,427.44
महाराष्ट्र कपड़ा मिलें	59,638	516.77
गुजरात कपड़ा मिलें	60,733	114.35

(ग) कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकारी देय भविष्य निधि की बकाया राशियों की वसूली करने और बाकी पड़े दावों को निपटाने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार हर सम्भव कानूनी और दाण्डिक कार्रवाई कर रहे हैं।

कर्मचारी राज्य बीमा (संशोधन) अधिनियम, 1984

4012. **श्री आनन्द पाठक** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कर्मचारी राज्य बीमा (संशोधन) अधिनियम, 1984 के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री टी० अन्जैया) : (क) जी, हां।

(ख) मामले की जाँच की जा रही है।

एशियाई खेल ग्राम कम्पलैक्स, नई दिल्ली के लिए साज-सज्जा की खरीद

4013. **श्री सनत कुमार मण्डल :**

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में एशियाई खेल ग्राम समूह के लिए साज-सज्जा की खरीद पर मूलत: कुल कितना खर्च किया गया था तथा इस समय कितनी राशि वसूल हुई है तथा भावी बिक्री से कितनी राशि वसूल होने की आशा है; और

(ख) बिक्री केवल दिल्ली विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों तक सीमित रखने तथा जनता के लिए न खोलने के क्या कारण थे, जिसमें अधिक अच्छे खरीदार भाग लेते और अधिक धनराशि प्राप्त होती ?

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख). दिल्ली विकास प्राधिकरण के अनुसार एशियाई खेल, 1982 के लिए निर्मित फ्लैटों की साज-सज्जा पर शुरू में 2.83 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई थी।

बाद में 40, 84, 825 रुपये की लागत से अतिरिक्त मांग को पूरा करने के लिए साज-सज्जा फर्नीचर की कुछ और मदें खरीदी गई थीं, ये अतिरिक्त मदें खेलों के बाद फालतू हो गईं। चूंकि रक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, पर्यटन विभाग इत्यादि जैसे अभिकरणों को फर्नीचर/साज-सज्जा की इन अतिरिक्त मदों की बिक्री के प्रयास किए गए तथा प्रेस नोटिसों के माध्यम से इच्छुक खरीदारों से भी निविदायें आमन्त्रित की गई जिन्होंने बहुत ही कम दरें कोट की थीं, दिल्ली विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष ने इन फालतू मदों को 40, 84,825 रुपये में दिल्ली विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों को बेचने का निर्णय लिया, प्रयोग में न लाई गई मदों के सम्बन्ध में लागत का 75 प्र० स० तथा प्रयोग में लाई गयी मदों के सम्बन्ध में लागत का 50 प्र० स० वसूल करने का निश्चय किया गया था। यदि कुछ सामग्री अब बिक्री के लिए शेष रहती है तो यह जनता में खुली बिक्री के लिए रखी जा सकती है।

पहले दौर में, दिल्ली विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों से बिक्री के रूप में 4.28 लाख रुपये की राशि प्राप्त की गई। शेष मदों से 18,22 लाख रुपये मिलने की सम्भावना है जिससे इन मदों की बिक्री से प्राप्त कुल आय 22,50 लाख रुपये हो जाएगी जबकि इन मदों की कुल मूल लागत 40,84, 825 रुपये है।

शक्ति नगर, दिल्ली स्थित भारतीय खाद्य निगम के खाद्य भण्डारण डिपो में अनियमितताएं

4014. **श्री काली प्रसाद पाण्डेय :**

श्रीमती पटेल रमाबेन रामजी भाई मावणि :

क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि भारतीय खाद्य निगम के खाद्य भण्डारण डिपो, शक्ति नगर, दिल्ली से गेहूं का एक पूरा वेगन गायब हो गया था;

(ख) क्या उसी डिपो में लगभग 400 बोरे फालतू पाए गए थे, जिनका कोई उचित रिकार्ड नहीं था;

(ग) सरकार ने शिकायतों की जांच करने और रेल हैड, सब्जीमंडी, शक्ति नगर, दिल्ली में कदाचार को रोकने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की है; और

(घ) जांच कार्य और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख). खाद्यान्नों का एक पूरा वैगन गायब हो जाने अथवा दिल्ली के शक्तिनगर में स्थित खाद्य भण्डारण डिपों में 400 बोरियां फालतू पाये जाने के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, सब्जी मंडी रेल शीर्ष पर खाद्यान्नों की 178 बोरियां अधिक पाई गयी थीं जिनके बारे में ड्यूटी पर तैनात स्टाफ द्वारा कोई लेखा-जोखा नहीं दिया जा सका था।

(ग) और (घ). बिना लेखे-जोखे का उपर्युक्त बोरियों के लिए जिम्मेदार पाए गए अधिकारियों को प्रमुख सजा देने के लिए चीर्ट-शीट दी गई थीं। जांच अधिकारी की कार्यवाही और रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत कर दी गई है। इस प्रकार की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सब्जी मण्डी रेल शीर्ष पर अतिरिक्त सुरक्षा प्रबन्ध लागू कर दिए गए हैं।

दिल्ली में अनधिकृत निर्माण

4015. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगर पालिका ने अलका होटल को अनधिकृत निर्माण के लिए नोटिस जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो अनधिकृत निर्माण को अभी तक न गिराए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या दिल्ली/दिल्ली में बिना रोक-टोक के बड़े पैमाने पर-कानूनी और अनधिकृत निर्माण हुआ है जिससे केन्द्रीय सरकार की सभी योजनाएँ अव्यवस्थित हो गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो लापरवाह अधिकारियों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, हां।

(ख) चूंकि पार्टी ने न्यायालय से स्थगनादेश ले लिया था, जिसे कि अभी तक रद्द नहीं कराया जा सका है, नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा गिराने की कार्यवाही नहीं की जा सकी।

(ग) और (घ). सरकारी भूमि पर अनधिकृत निर्माण और अतिक्रमण हुआ है जिससे दिल्ली का सुनियोजित विकास काफी सीमा तक प्रभावित हुआ है। जहां तक ध्यान में आता है, अनधिकृत निर्माण और इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है। दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जाती है।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों का बन्द किया जाना

4016. **श्री बसुदेव आचार्य :**

श्री अजय विश्वास :

श्री रेणुपद दास :

श्री अनिल बसु :

क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रम मन्त्रालय को यह जानकारी है कि वस्त्र मन्त्रालय द्वारा राष्ट्रीय कपड़ा निगम की कुछ मिलों को बन्द करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो श्रम मन्त्रालय की उस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या उनका मन्त्रालय वस्त्र मन्त्रालय को राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों को बन्द करने की अनुमति देगा जबकि देश में बेरोजगारी की गम्भीर समस्या है;

(घ) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो श्रम मन्त्रालय द्वारा इस समस्या से निपटने के लिए अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री टी० अन्जैया) : (क) टैक्सटाइल विभाग के अनुसार, राष्ट्रीय कपड़ा निगम की कुछ मिलों को बन्द करने के बारे में कोई निर्णय अभी नहीं लिया गया है, क्योंकि उन मिलों को व्यवहार्य बनाने का संभावना का पता लगाया जा रहा है ।

(ख) से (ङ). प्रश्न ही नहीं उठते ।

दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिलों में चाय उद्योगों में कर्मचारी भविष्य निधि परिवार पेंशन और कर्मचारी जमा से जुड़ी बीमा योजना में प्रगति

4017. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या **श्रम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिलों के चाय उद्योगों में कर्मचारी भविष्य निधि, परिवार पेंशन योजना और कर्मचारी जमा से जुड़ी बीमा योजना में क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या भविष्य निधि की अदायगी में देरी करने अथवा दावों की अदायगी न करने के विरुद्ध इस वर्ष मई के मध्य में बागान श्रमिकों ने व्यापक प्रदर्शन किया था; और

(ग) यदि हाँ, तो उप-क्षेत्रीय कार्यालय, सिलिगुड़ी, जिला दार्जिलिंग (पश्चिम बंगाल) द्वारा आन्दोलनकारियों को दिए गए आश्वासनों को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री टी० अन्जैया) : (क)कर्मचारी भविष्य निधि और अन्य दो योजनाओं का अब तक पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिलों में 311 चाय बागानों तक विस्तार किया गया है ।

(ख) भविष्य निधि प्राधिकरणों के अनुसार,3-5-1985 को एक प्रदर्शन किया गया था, जिसमें जलपाईगुड़ी में उप क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की माँग की गई थी ।

(ग) जलपाईगुड़ी में उस क्षेत्रीय कार्यालय खोलने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ।

बी० सी० सी०एल० में ठेका श्रमिकों को भुगतान

4018. **श्री वासुदेव आचार्य** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बी० सी० सी० एल० की खानों में कार्य करने वाले ठेका श्रमिकों को स्वयं बी० सी० सी० एल० द्वारा घोषित मजूरी की दरों के अनुसार ठीक-ठीक भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या 1985 में अमलाबाद, लोयाबाद और पुटकी बालिहारा परियोजनाओं जैसी कोयला खानों में ठेका श्रमिकों को मजूरी के भुगतान और उन्हें दी जाने वाली अन्य सुविधाओं के बारे में जांच की गई थी, यदि हां, तो उसके निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सेन्ट्रल कोल फ्लील्ड लिमिटेड के अधीन काथेरा वाशरी के ठेकेारों और प्रबन्धकों के विरुद्ध कानून के उपबन्धों का उल्लंघन करने के लिए जून, 1985 में बिहार कोलरी कामगार यूनियन द्वारा लगाए गए विशेष आरोपों की लेबर एनफोर्समेंट आफीसर्ज, बरमों द्वारा उपेक्षा की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री टी० अन्जैया) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही और सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

आन्ध्र प्रदेश में जल योजनाओं के लिए केन्द्रीय आबंटन

4019. **डा० जी० विजय रामा राव** : क्या **कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने जल योजनाओं के लिए अधिक केन्द्रीय आवंटन की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर की गई कार्यवाही का पूरा ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) और (ख). आंध्र प्रदेश सरकार ने मई, 1985 में एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था जिसमें पेयजल कार्यक्रम सहित सूखा-राहत के लिए केन्द्रीय सहायता की मांग की गई थी। केन्द्रीय दल की रिपोर्ट तथा राहत सम्बन्धी उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर 25 जून, 1985 को 30.80 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता की अधिकतम सीमा मन्जूर की गयी थी। इस सहायता में सूखा प्रवाहित क्षेत्रों में पेयजल कार्यक्रम के लिए 10.41 करोड़ रुपए की राशि भी शामिल है, यह राशि त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम आदि जैसे सामान्य पेयजल योजनाओं के अतिरिक्त है।

[हिन्दी]

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा सस्ती दरों पर जमीन खरीद कर ऊँची दरों पर बेचा जाना

4020. **श्री शांति धारीवाल** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण किसानों से सस्ती दरों पर जमीन खरीद कर वही जमीन बहुत ऊँची दरों पर बेचता है;

(ख) यदि हां, तो क्या एक आम आदमी अपना मकान बनाने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण से इतनी ऊँची दरों पर जमीन नहीं खरीद सकता;

(ग) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या यह बात सरकार के ध्यान में लाई गई है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण भविष्य में भूमि की वर्तमान न्यूनतम सीमा को भी कम करने जा रहा है ; और

(ङ) यदि हां, तो प्रस्तावित भूमि सीमा क्या है और आम आदमी उसमें कैसे गुजर कर पाएगा तथा इस सम्बन्ध में अन्य ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, नहीं। भू-अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित कीमतों पर भूमि के अर्जन के बाद यह प्राधिकरण उसे विकास के बाद अधिकांश-तया पूर्वनिर्धारित दरों पर बिना लाभ-हानि के आधार पर बेचता है। कुछ प्लाटों को नीलामी द्वारा बेचा जाता है जिनसे वास्तव में अच्छी कीमतें प्राप्त होती हैं परन्तु उनसे प्राप्तलाभ को अन्य आवास एवं विकास योजनाओं की सहायतार्थ उपयोग में लाया जाता है। भू-स्वामियों को अच्छा खासा मुआवजा देने हेतु भू-अर्जन अधिनियम को हाल ही में संशोधित किया गया है।

(ख) और (ग). रिहायसी प्लाटों के आबंटन की अधिकांश योजनाएं कुल मिला कर निम्न आय तथा मध्यम आय वर्ग तथा समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लाभार्थ हैं। उदाहरणार्थ दिल्ली विकास प्राधिकरण रोहिणी योजना में मूल रूप से आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग (जनता) निम्न आय वर्ग व मध्यम आय वर्गों के लाभार्थ 1,17,000 प्लाटों का विकास कर रहा है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

शकूरबस्ती दिल्ली में एल० पी० जी० के गोदाम के निकट अनधिकृत निर्माण

4021. **श्री लाला राम केन** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शकूर बस्ती दिल्ली में एल० पी० जी० गैस के गोदामों में आग लगने के बाद सरकार ने आग के भावी खतरे से बचने के लिए गोदामों के निकट प्रयुक्त तेल को, पुनः साफ करने के कार्य में लगे सभी अनधिकृत यूनिटों को हटा दिया था;

(ख) क्या कुछ ऐसे यूनिटों ने मोल्डन पार्क, रामपुरा में रेल लाइन के साथ-साथ पुनः काम करना शुरू कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो उसका तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं तो ऐसे यूनिटों के सरकारी आदेश का उल्लंघन करके उसी सरकारी भूमि पर बार-बार स्थापित होने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या ऐसे अनधिकृत यूनिटों द्वारा सरकारी भूमि पर कब्जा किए जाने को रोकने में असफल रहने के लिए स्थानीय पुलिस और अन्य संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा ?

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, हाँ।

(ख) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मैसर्स ग्रीव्ज कॉटन एण्ड कम्पनी लिमिटेड में तालाबन्दी

4022. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स ग्रीव्ज काटन एण्ड कम्पनी लिमिटेड के नासिक स्थित संयंत्र में ही राक रोलर बिट्स का उत्पादन किया जाता है, जिनको तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग और आयल इंडिया द्वारा तेल ड्रिलिंग के कार्यों में उपयोग में लाया जाता है;

(ख) क्या संयंत्र की प्रतिमाह 50/60 लाख रुपये मूल्य के ड्रिलिंग बिट्स का उत्पादन करने की क्षमता आयात प्रतिस्थापन में बहुत बड़ा योगदान होती है;

(ग) क्या इस संयन्त्र में 23-3-1985 से तालाबन्दी है और उत्पादन नहीं हो रहा है; और

(घ) यदि हां, तो क्या तालाबन्दी को समाप्त करने के लिए तत्काल उपाय करने की आवश्यकता है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री टी० अन्जैया) : (क) और (ख). औद्योगिक विकास विभाग के अनुसार, मैसर्स ग्रीव्ज काटन कम्पनी लिमिटेड के अतिरिक्त, मैसर्स प्रीसिजन ड्रिलिंग कम्पनी-नोएडा, उत्तर प्रदेश, नामक एक अन्य उपक्रम है, जो राक रोलर बिट्स का उत्पादन करता है, जिनका प्रयोग तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग और आयल इंडिया द्वारा ड्रिलिंग संक्रियाओं में किया जाता है। इन यूनिटों में उत्पादन करने की क्षमता से आयात प्रतिस्थापन में योगदान मिला है।

(ग) और (घ). महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, मैसर्स ग्रीव्ज काटन कम्पनी लिमिटेड के नासिक प्लांट द्वारा 23-3-1985 को घोषित की गई तालाबन्दी को श्रमिकों द्वारा उठाई गई मांगों के बारे में संराधन कार्यवाही में हुए समझौते के परिणामस्वरूप 13-7-1985 को उठा लिया गया था।

दूरदर्शन पर भारत के मानचित्र को दिखाया जाना

4023. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 जुलाई, 1985 के ब्लिट्स में प्रकाशित इस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि दूरदर्शन पर सरदार फर्टिलाइजर्स के एक विज्ञापन में भारत का मानचित्र अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्ष्यद्वीप के बिना ही दिखाया जाता है ;

(ख) क्या हिन्दी समाचार बुलेटिन में दिखाए जाने वाले मानचित्र में अण्डमान दिखाया जाता है लेकिन लक्ष्यद्वीप नहीं दिखाया जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, हाँ।

(ख) जी, हाँ।

(ग) सरदार फर्टिलाइजर्स का विज्ञापन वापिस ले लिया गया है और विज्ञापनदाता को दृश्य

में आवश्यक संशोधन करने की सलाह दी गई है। राष्ट्रीय कार्यक्रम के लोगों में गलती को ठीक करने के लिए भी आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

वेरावल (गुजरात) से मछलियों का निर्यात

4024. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि गुजरात में वेरावल में करोड़ों रुपयों के समुद्री मत्स्य उत्पादन उद्योग के अनेक यूनिटों के स्वच्छ जल की अपर्याप्त सप्लाई के कारण बन्द होने की सम्भावना है,

(ख) क्या सरकार को यह जानकारी है कि वेरावल का लगभग 10 करोड़ रुपए का वार्षिक मत्स्य निर्यात कारोबार पर वेरावल, मंगरोल पोरबन्दर बन्दरगाहों में अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों के कारण अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ; और

(ग) यदि हाँ, तो राज्य के समुद्री मत्स्य उद्योग के लिए, जिसका देश के मत्स्य उत्पादन में 14 प्रतिशत हिस्सा है, 100,000 लीटर ताजा जल की नियमित सप्लाई के लिए आवश्यक व्यवस्था करके तथा बन्दरगाहों की स्वास्थ्यकर परिस्थितियों को सुधारने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) राज्य सरकार ने बताया है, यह समस्या गम्भीर नहीं है।

(ख) वेरावल तथा पोरबन्दर से वार्षिक मछली निर्यात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, क्योंकि पिछले तीन वर्ष के निर्यात के आंकड़े वृद्धि की प्रवृत्ति दर्शाते हैं।

(ग) 5 लाख गैलन पानी प्रतिदिन सप्लाई करने तथा मात्स्यकी टर्मिनल प्रभाग संबंधी योजनाओं से बन्दरगाहों पर पानी की उपलब्धता तथा सफाई की स्थितियों, दोनों में सुधार होगा।

गहन कपास उत्पादन कार्यक्रम

4025. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव :**

श्रीमती एन० पी० झाँसी लक्ष्मी :

क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कपास के उत्पादन में सुधार लाने के उद्देश्य से विभिन्न राज्यों में गहन कपास उत्पादन कार्यक्रम आरम्भ किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और अधिक/कम उत्पादन करने वाले उन कपास उत्पादक राज्यों के नाम क्या हैं, जहां ये कार्यक्रम आरम्भ किए गए हैं;

(ग) क्या इन कार्यक्रमों में वर्षा पर आश्रित क्षेत्रों की तुलना में सिंचित क्षेत्र में वृद्धि करना शामिल है ;

(घ) यदि हाँ, तो सिंचित क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है ; और

(ङ) गत एक वर्ष के दौरान यदि अच्छी/मध्यम किस्म की कपास का यदि कोई निर्यात किया गया हो तो कितना और वर्ष 1985-86 में कितना निर्यात किए जाने की सम्भावना है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) जी, हां। केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक गहन कपास विकास कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है।

(ख) कार्यक्रम के घटक ये हैं : प्रजनक, आधारी और प्रमाणीकृत बीज का उत्पादन और वितरण, कृमि और रोग नियन्त्रण के लिए हवाई छिड़काव, पौध संरक्षण उपकरणों का वितरण और उन्नत उत्पादन प्रौद्योगिकी के सम्बन्ध में प्रदर्शनियों का आयोजन। यह कार्यक्रम हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा और उत्तर-प्रदेश में चल रहा है।

(ग) जी, हां।

(घ) कपास के अन्तर्गत सिंचित क्षेत्र 1970-71 (आई० सी० डी० पी० के शुरू होने से पहले का वर्ष) के 13.58 लाख हैक्टार से बढ़कर 1981-82 में 22.04 लाख हैक्टार हो गया है।

(ङ) 1984-85 में जून, 1985 तक कच्चे कपास की सभी किस्मों की निर्यात की गई मात्रा 1.29 लाख गाठें थीं। 1985-86 के लिए कपास निर्यात की सम्भावनाओं के बारे में मूल्यांकन करना अभी सम्भव नहीं है।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा उत्तर प्रदेश में गेहूं की खरीद में कदाचार

4026. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस वर्ष और पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश के गेहूं की खरीद में भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों के विरुद्ध कदाचारों की शिकायतें मिली हैं;

(ख) क्या यह सच है कि इस वर्ष गेहूं की समर्थन मूल्य योजना का पूरा लाभ कृषकों को नहीं मिल सका;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). जी, नहीं। सरकारी वसूली एजेन्सियां यह सुनिश्चित करती हैं कि किसी भी किसान को उसके उचित औसत किस्म के गेहूं का भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए गए समर्थन/वसूली मूल्य से कम मूल्य नहीं मिलता है।

राज्यों में सामुदायिक केन्द्रों हेतु टी० वी० सैट खरीदने के लिए केन्द्रीय सहायता

4027. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राज्यों में सामुदायिक केन्द्रों हेतु टी० वी० सैटों की लागत का कुछ भाग देने पर विचार कर रही है जैसाकि उसने प्रारम्भिक चरण में किया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, नहीं। सिवाए उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए जिसके लिए एक विशेष योजना विचाराधीन है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

"जैन शुद्ध घी" के विरुद्ध जांच

4028. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ वर्ष पहले घी में गाय की चर्बी मिलने के बारे में "जैन शुद्ध घी" आदि तथा उनके प्रबन्ध के विरुद्ध चल रही जांच तथा मुकदमा समाप्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला;

(ग) क्या उस कम्पनी के नाम पर कुछ भी आयात करने का कोई खुला सामान्य लाइसेंस अभी भी प्रभावी है;

(घ) क्या 31 मार्च, 1985 तक कोई अन्य कम्पनी भी खाद्य तेलों, घी तथा सरसों के तेल आदि में मिलावट के लिए इसी प्रकार के अपराधों के लिए पकड़ी गयी थी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) से (ग). जैन शुद्ध वनस्पति गाजियाबाद द्वारा वनस्पति में गाय की चर्बी मिलाने का कोई मामला नहीं था। परन्तु केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने गाय की चर्बी के अनधिकृत आयात के लिए कम्पनी के विरुद्ध छानबीन की थी। केन्द्रीय जांच ब्यूरो की छानबीन के आधार पर मुख्य मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, दिल्ली की अदालत में एक मामला चलाया गया, जिसे फर्म ने दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी, जिन्होंने शिकायत को रद्द कर दिया। 8.7.1985 को सर्वोच्च न्यायालय में एक विशेष आज्ञा याचिका (स्पेशल लीव पेटीशन) दायर की गई है।

उक्त फर्म को आयात लाइसेंस/निर्मुक्ति आदेश प्राप्त करने, वस्तुओं का आयात करने और राज्य व्यापार निगम/धातु तथा खनिज व्यापार निगम या इसी प्रकार की अन्य किसी एजेन्सी के माध्यम से आयातित वस्तुओं के आवंटन से वंचित कर दिया है।

(घ) और (ङ). केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा मैसर्स भटिंडा वनस्पति एण्ड कैमिकल मिल्स प्रा० लि०, भटिंडा, मैं० जेठमल सत्यनारायण, अपर बाजार, रांची और मैं० झंडु राम जोधी राम, अनाज मण्डी, नरवाना, जिला जींद, (हरियाणा) के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं।

केरल समुद्र में विदेशी पोत

4029. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या **कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल समुद्र से मछली पकड़ने के लिए विभिन्न कंपनियों को मछली पकड़ने की विदेशी चार्टर नौकाओं को लाने के लिए चार्टर परमिट अथवा आशय पत्र मंजूर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो केरल समुद्र पर इस समय कितनी विदेशी चार्टर नौकाएं मछली पकड़ने का कार्य कर रही हैं;

(ग) केरल समुद्र तट पर अन्ततः कितनी विदेशी नौकाएं मछली पकड़ने का कार्य करेंगी;

(घ) सरकार ने केरल के मछुआरों को बचाने के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(ङ) अब तक किए गए सुरक्षा उपायों का ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) से (ङ). अप्रैल, 1985 में यथा संशोधित भारतीय समुद्री क्षेत्र (विदेशी पोतों द्वारा किए जा रहे मत्स्यन का विनियमन) नियम, 1982 में निर्धारित सीमाओं के अध्यधीन विदेशी चार्टर पोतों का कार्य क्षेत्र गहरे समुद्र में भारतीय एकमात्र आर्थिक क्षेत्र के भीतर है । नियमों के अनुसार, विदेशी चार्टर मत्स्यन पोतों के लिए पश्चिमी तट पर 24 समुद्री मील से परे और पूर्वी तट पर निजामपतनम से पारादीप के बीच तथा निजामपतनम और पोर्ट कैलीमर के बीच 12 समुद्री मील से परे कार्य करना आपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, गुजरात-महाराष्ट्र तट के निकट के कुछ क्षेत्रों, दक्षिण-पश्चिमी केरल और सेंड हेड्स सहित पारादीप के उत्तर के क्षेत्रों को चार्टर पोतों के कार्य क्षेत्र से निकाल दिया गया है। कार्य क्षेत्र का उल्लंघन भारतीय समुद्री क्षेत्र अधिनियम, 1981 के तहत दण्डनीय है, जिसमें इसके लिए सख्त सजा अर्थात् चालक दल को जेल, जुर्माना और पोतों को जब्त करने का प्रावधान है। एकमात्रा आर्थिक क्षेत्र में कार्य कर रहे विदेशी चार्टर पोतों की संख्या 6 है, जिनका कार्य क्षेत्र मद्रास है।

तेल-ताड़ (आयल पाम) की खेती के लिए कृषि जलवायु क्षेत्र का पता लगाना

4030. **डा० के० जी० आदियोडी** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में तेल ताड की खेती करने के लिए उपयुक्त कृषि जलवायु क्षेत्र का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया गया है;

(ख) क्या केरल में तेल ताड़ की खेती का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव लम्बित है; और

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र की कम्पनी आयल पाम (इंडिया) लिमिटेड को अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तेल ताड़ की खेती के लिए भूमि के आबंटन के लिए उच्चतम प्राथमिकता दी जाएगी ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) जी, हाँ।

(ख) केरल में, 3705 हैक्टार क्षेत्र में वृक्षारोपण हो भी चुका है। अन्य 455 हैक्टार में वृक्षारोपण करने का प्रस्ताव है, ताकि केरल में कुल 4160 हैक्टार क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य को पूरा किया जा सके।

(ग) अंदमान प्रशासन ने रेड आयल पाम के बागान लगाने हेतु भूमि अभिज्ञान करने के लिए एक समिति गठित की है। पर्यावरण विभाग ने भी, रेड आयल पाम के बागानों पर पारिस्थितिकीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाई है। इन समितियों की रिपोर्टें अभी आनी हैं। इस समय भूमि आवंटन, यदि कोई हो, में किसी पार्टी को उच्च प्राथमिकता देने का कोई प्रश्न ही नहीं होता।

"योजना" और "आजकल" के प्रकाशनों को बन्द किया जाना

4031. **श्रीमती किशोरी सिंह** :

डा० जी० विजय रामा राव :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार "योजना" और "आजकल" जैसे विभिन्न प्रकाशनों को बन्द करने का है जैसाकि 28 जुलाई, 1985 के टाइम्स आफ इंडिया में प्रकाशित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सातवीं योजना में खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए उपाय

4032. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग द्वारा गठित एक कार्यकारी दल ने सातवीं योजना में खाद्य उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कतिपय उपायों का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन उपायों को कार्यान्वित करने के लिए उनके मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) और (ख). योजना आयोग द्वारा सातवीं योजना तैयार करने के लिए गठित कृषि उत्पादन संबंधी कार्य-दल ने सातवीं पंच वर्षीय योजना अवधि में खाद्यान उत्पादन बढ़ाने के लिये, कुछेक मुख्य उपायों का चयन किया है जैसे, वर्ष सिंचित खेती का विकास, पूर्वी क्षेत्र में उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाना, गेहूँ की उत्पादकता को बढ़ाना, विशेषकर, केन्द्रीय क्षेत्र में, फसलों की गहनता में वृद्धि करना, सिंचाई की कार्यकुशलता को बेहतर बनाना आदि।

(ग) योजना आयोग द्वारा इसी सातवीं योजना को अन्तिम रूप दिया जाना है और मुख्य उपायों की उपर्युक्त रूपरेखा को ध्यान में रखते हुए वास्तविक कार्यक्रमों का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

हिन्दी और अंग्रेजी में समाचारों के समय में परिवर्तन

4033. **श्री ई० अय्यपु रेड्डी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन पर हिन्दी और अंग्रेजी में प्रसारित होने वाले समाचारों के समय में परिवर्तन किया गया है;

(ख) क्या दो समाचार बुलेटिनों के बीच समय के अन्तराल को कम से कम दो घंटे बढ़ाया जा सकता है, ताकि वह नीरस न हो और प्रत्येक समाचार और विवरण की समय के थोड़े से अन्तराल में ही पुनरावृत्ति न हो; और

(ग) क्या अंग्रेजी के समाचार बुलेटिन के समय को बढ़ाकर उसमें हिन्दी बुलेटिन की तुलना में विदेशों के समाचार अधिक दिए जा सकते हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। हिन्दी और अंग्रेजी के समाचार बुलेटिनों में सदा एक जैसे समाचार नहीं होते। दोनों बुलेटिनों के बीच कम से कम दो घन्टे के समय का अन्तराल संभव नहीं है। इसके कारण हैं (1) राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए सीमित समय ; और (2) अंग्रेजी के समाचार बुलेटिन का पहले का

रात 10.00 बजे का टेलीकास्ट समय उत्तर-पूर्वी क्षेत्र, जहां सूर्य जल्दी छिपता है, के लोगों के लिए बहुत देरी का समझा गया था।

(ग) अंग्रेजी के समाचार बुलेटिनों में हिन्दी के समाचार बुलेटिनों की तुलना में विदेशों के समाचार पहले ही अपेक्षाकृत अधिक होते हैं।

[हिन्दी]

कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशें

4034. **श्री सुभाष यादव** : क्या **कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री** कृपि लागत और मूल्य आयोग द्वारा मध्य प्रदेश और बिहार में किसानों को रियायती दरों पर गेहूं के बीज देने की सिफारिश के बारे में दिनांक एक अप्रैल, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1686 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों की जांच की गई है और यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया;

(ख) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने 1982-83 और 1983-84 के लिये गेहूं, धान सोयाबीन और चने की फसलों के समर्थन मूल्यों के बारे में केन्द्रीय सरकार को अपनी सिफारिशें भी भेजी थीं; और

(ग) यदि हां, तो उक्त वर्षों के लिये इन फसलों का कम समर्थन मूल्य निर्धारित करने के क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) मध्य प्रदेश और बिहार के किसानों को गेहूं के बीज राजसहायता प्राप्त दरों पर देने में लिये कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों की कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा जांच की जा रही है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया है कि मध्य प्रदेश और बिहार राज्य में खेती की कुल लागत में बीजों की लागत की प्रतिशतता, पंजाब और हरियाणा राज्य में खेती की कुल लागत में बीजों की लागत की प्रतिशतता की तुलना में काफी अधिक है तथा इसकी वजह से आयोग ने मध्य प्रदेश और बिहार में गेहूं के प्रमाणीकृत बीज राजसहायता दरों पर उपलब्ध कराने की सिफारिश की है। बिहार सरकार ने औपचारिक तौर पर राजसहायता के लिये कोई अनुरोध नहीं किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने कृषि और सहकारिता विभाग से यह अनुरोध किया है कि कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा राजसहायता के सम्बन्ध में की गई सिफारिश के आधार पर राजसहायता के भार को केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाये।

मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में खेती की लागत का विस्तृत ब्यौरा आयोग से लिया गया था तथा वर्ष 1981-82 और 1982-83 के सम्बन्ध में मध्य प्रदेश, पंजाब तथा हरियाणा में खेती की लागत के सम्बन्ध में एक विश्लेषण किया गया था। विश्लेषण से पता चलता है कि मध्य प्रदेश में गेहूं की खेती की लागत में बीजों की लागत हरियाणा के बराबर है तथा पंजाब में यह लागत कुछ कम है लेकिन इसमें कोई भारी अन्तर नहीं है। दूसरी ओर मध्य प्रदेश में उर्वरकों का उपयोग काफी कम हुआ है तथा यह मूल रूप से इसलिये है कि मध्य प्रदेश में खेती की कुल लागत की प्रतिशतता के रूप में प्रति हैक्टर बीजों के उपयोग पर हुआ व्यय काफी अधिक है। तदनुसार यह निष्कर्ष निकाला गया कि बीजों के अलावा अन्य कृषि आदानों के वैज्ञानिक रीति से उपयोग करके मध्य प्रदेश में गेहूं की उत्पादकता को महत्वपूर्ण तौर पर काफी बढ़ाया जा सकता है। चूंकि बीजों की लागत पर राज-

सहायता देकर इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं की जा सकी थी अत: मध्य प्रदेश राज्य में गेहूँ के बीजों पर राजसहायता न देने का निर्णय लिया गया।

अत: राज्य सरकार को एक गहन विशिष्ट क्षेत्र गेहूँ विकास कार्यक्रम तैयार करने की सलाह दी गई है ताकि राज्य में गेहूँ की उत्पादकता को बढ़ाया जा सके।

(ख) मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 1982-83 तथा 1983-84 के सम्बन्ध में गेहूं, धान, सोयाबीन तथा चने के समर्थन मूल्यों के सम्बन्ध में अपनी सिफारिशों को कृषि मूल्य आयोग (जिसे अब 'कृषि लागत और मूल्य आयोग' नाम दिया गया है) को भेज दिया है। राज्य सरकार ने आयोग द्वारा अधिकांश फसलों के सम्बन्ध में सिफारिश किये गये समर्थन मूल्यों पर अपने विचार भी भेज दिये हैं।

(ग) कई घटकों को ध्यान में रखते हुए समर्थन मूल्य निर्धारित किये गये थे। इन घटकों में केवल जिस की उत्पादन लागत ही शामिल नहीं है अपितु इनमें कई अन्य घटक, जैसे मूल्यों की प्रवृत्ति, मांग और आपूर्ति की स्थिति, आम मूल्यों तथा जीवन स्तर पर प्रभाव तथा विभिन्न राज्य सरकारों के विचार भी शामिल हैं।

हालीवुड की फीचर फिल्मों का प्रदर्शन

4035. **श्री काली प्रसाद पांडेय** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में कुछ हालीवुड फिल्मों का प्रदर्शन के लिये भारत और मोशन पिक्चर्स एक्सपोर्ट एसोसिएशन आफ इण्डिया के बीच दूसरी बार किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं;

(ख) यदि हां, तो भारत ने अब तक कितनी हालीवुड फीचर फिल्में प्रदर्शित की गयी है और उक्त समझौते के अन्तर्गत कितनी फिल्में स्वीकृत की गई हैं और कितनी फिल्में अभी स्वीकृत की जानी हैं; और

(ग) उक्त एसोसिएशन के साथ हस्ताक्षर किये गये समझौते का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) एम० पी० ई० ए० ए० (मोशन पिक्चर एक्सपोर्ट एसोसिएशन आफ अमरीका) कम्पनी समूह की फिल्मों के आयात के लिये एम० पी० ई० ए० ए० और राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के बीच एक करार पर 1 अप्रैल, 1985 को हस्ताक्षर किये गये थे।

(ख) 1-4-1985 को हस्ताक्षरित करार के अन्तर्गत आयातित एम० पी० ई० ए० ए० की फिल्मों में से कोई भी फिल्म भारत में रिलीज नहीं की गई है, सिवाए 'अनफेथफुल्ली योर्स' नामक फिल्म के प्रीमियर शो के। उक्त करार के अन्तर्गत 13-8-85 तक 45 फिल्मों को (उन 12 फिल्मों के अतिरिक्त जिन्हें राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा इस शर्त पर स्वीकृत किया गया है कि एम० पी० ई० ए० ए० के सदस्य कम्पनियों द्वारा इनके निर्माण के बारे में साक्ष्य प्रस्तुत किया जाए) अनुमोदित किया गया था। इनके अलावा, 25 फिल्में राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा अभी अनुमोदित की जानी है।

(ग) करार का मोटा ब्यौरा निम्नानुसार है :

(1) करार 1 फरवरी, 1985 से 3 वर्ष की अवधि के लिये है।

(2) इसमें राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम को अग्रिम में तिमाही किस्तों में प्रति वर्ष 26.50 लाख रुपये की नियत कैनेलेलाइजेशन फीस का भुगतान करने पर प्रति वर्ष 75-100 फिल्मों का आयात किये जाने की व्यवस्था है।

(3) एम० पी० ई०ए० ए० की फिल्मों के कुल वार्षिक किराए का उपयोग निम्न प्रकार से किया जायेगा :

(1) प्रचालन व्यय अर्थात भारत में एम० पी० ई० ए० ए० के सम्पर्क कार्यालयों के प्रचालन, प्रबन्धकीय तथा प्रशासनिक व्यय, आयात प्रभाग, किसी भी तरह के सरकार को देय कर या फिल्म वितरण के लिये प्रचलित या उससे सम्बन्धित कोई भी अन्य व्यय 50 प्रतिशत।

(2) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम सहित अर्ध-सरकारी या सरकार द्वारा प्रायोजित संगठनों को ब्याज रहित ऋण 17.5 प्रतिशत।

(3) एम० पी० ई० ए० ए० की सदस्य कम्पनियों द्वारा तिमाही किस्तों में राशि वापस करना —15 प्रतिशत प्रति वर्ष 40 लाख रुपए की सीमा के अधीन)।

(4) भारत में फिल्मों का निर्माण तथा सह-निर्माण यात्रा तथा ठहरने सम्बन्धी व्यय, कर्मचारियों की यात्रा सम्बन्धी व्यय, भारतीय फिल्मों की खरीद इत्यादि जैसे विभिन्न कार्यों के लिये 17.5 प्रतिशत।

[अनुवाद]

नारियल बोर्ड का गठन

4036. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन :**

श्री वक्कम पुरुषोत्तमन् :

क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नारियल बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो बोर्ड के सदस्यों के नाम क्या हैं;

(ग) यदि नहीं, तो बोर्ड के गठन में विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या बोर्ड ने नारियल और गिरी के मूल्यों में भावी असासान्य गिरावट से पैदा हो रही स्थिति से निपटने के लिये कोई प्रस्ताव भेजा है ; और

(ङ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) और (ख). नारियल बोर्ड में ग्यारह नये सदस्य नियुक्त किये गये हैं। वर्तमान सदस्यों की सूची संलग्न है।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) सरकार को नारियल विकास बोर्ड से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।

(ङ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

नारियल विकास बोर्ड के सदस्यों की सूची

क्र०सं०	नाम और पदनाम	
1.	अध्यक्ष, नारियल विकास बोर्ड	अध्यक्ष
2.	भारत सरकार के कृषि आयुक्त कृषि और सहकारिता विभाग, पदेन	सदस्य
3.	निदेशक, केन्द्रीय, बागवानी फसल अनुसंधान संस्थान, पदेन	सदस्य
4.	अध्यक्ष, क्वायर बोर्ड, पदेन	सदस्य
5.	श्री सी० हरिदास, संसद सदस्य, राज्य सभा द्वारा निर्वाचित	सदस्य
6.	श्री जी० एस० रासवराजु, संसद सदस्य लोक सभा द्वारा निर्वाचित	सदस्य
7.	श्री वक्कम पुरुषोत्तमन्, संसद सदस्य, लोक सभा द्वारा निर्वाचित	सदस्य
8.	केन्द्रीय आबकारी कलक्टर	सदस्य
9.	संयुक्त सचिव, खाद्य और तेल प्रभाग	सदस्य
10.	बागवानी निदेशक, कर्नाटक, कर्नाटक सरकार के प्रतिनिधित्व के लिये	सदस्य
11.	बागवानी निदेशक, आन्ध्र प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश के राज्य के प्रतिनिधित्व के लिए	सदस्य
12.	बागवानी निदेशक, उड़ीसा, उड़ीसा राज्य के प्रतिनिधित्व के लिए	सदस्य
13.	संयुक्त कृषि निदेशक (वाणिज्यिक फसलें) पश्चिम बंगाल सरकार, पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधित्व के लिये।	सदस्य
14.	अपर कृषि निदेशक, पांडिचेरी, पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधित्व के लिए	सदस्य
15.	श्री गुठाला गौंडा, नारियल परिसंस्करण उद्योग के प्रतिनिधित्व के लिये	सदस्य

चार्टर नीति का पुनरीक्षण

4037. **श्री दौलत सिंह जी अदेजा :**

श्री विजय कुमार राज :

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव :

श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1985 में चार्टर नीति के संशोधन के पश्चात् विदेशी चार्टर मत्स्य नौकाओं को कितना अधिक क्षेत्र उपलब्ध हुआ है;

(ख) क्या इस अतिरिक्त क्षेत्र से हमारे मत्स्य उद्योग के हितों को हानि नहीं पहुंचेगी;

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं कि विदेशी चार्टर मत्स्य नौकाओं द्वारा श्रिम्पों को नहीं पकड़ा जाए;

(घ) क्या सरकार विदेशी नौकाओं के लिए 40 फैदम नियम को फिर से अपनाने हेतु किसी अभ्यावेदन पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) और (ख). चार्टर किए गए जलयानों द्वारा 40 फैदम तक की गहराई तक कार्य करने की सीमा को लागू करने में प्रवर्तन प्राधिकारियों द्वारा अनुभव की जा रही परेशानियों के कारण अप्रैल, 1985 में भारतीय समुद्री क्षेत्र, विनियम, 1982 में संशोधन किया गया, जिसके अनुसार पश्चिम समुद्र तट तथा पूर्वी तट पर बसे निजामापत्तनम और पारादीप के बीच 24 नाटिकल मील की सीमा तथा निजामापत्तनम के दक्षिण में 12 नाटिकल मील की सीमा तय की गई। 24 नाटिकल मील करीब-करीब 40 फैदम के क्षेत्र के समानान्तर है तथा पूर्वी तट पर निजामापत्तनम के दक्षिण में 12 नाटिकल मील से आगे 40 फैदम से अधिक की गहराई है। इसके अलावा पश्चिमी, दक्षिण-पश्चिमी तथा पूर्वी तट स्थित संसाधन क्षमता रखने वाले कुछ हिस्सों को चार्टर किए गए जलयानों के परिचालन क्षेत्र से बाहर रखा गया है ताकि भारतीय मत्स्यन उद्योग के हितों की रक्षा की जा सके।

(ग) भारतीय समुद्री क्षेत्र विनियम, 1982 के अनुसार चार्टर किए गए विदेशी मत्स्यन जलयानों पर समुद्र तट पर श्रिम्प मछली हेतु श्रिम्प मछली पकड़ने पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। विनियमों का उल्लंघन दण्डनीय है जिसके लिए जुर्माना किया जा सकता है तथा चार्टर के अनुज्ञा-पत्र को निरस्त किया जा सकता है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं होता।

[हिन्दी]

वैश्य कोआपरेटिव न्यू बैंक, नई दिल्ली में अनियमितताएं

4038. **श्री मानवेन्द्र सिंह :**

श्री लाला राम केन :

क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वैश्य कोआपरेटिव न्यू बैंक, दरियागंज, नई दिल्ली के सदस्यों से उन्हें ऋण प्राप्त करने में आने वाली कठिनाइयों के सम्बन्ध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) गत छः महीनों के दौरान उक्त बैंक को ऋण के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए, अब उनमें से अब तक कितने आवेदन निपटाए गए, कितने लम्बित हैं और ऋण न देने के यदि कोई कारण हैं, तो तत्सम्बन्धी पृथक पृथक कारण क्या हैं;

(ग) क्या गैर-सरकारी कम्पनियों में सेवारत सदस्य ऋण लेने के पात्र हैं और यदि नहीं, तो उन्हें बैंक का सदस्य बनाने और उसके बाद उन्हें सदस्यों को मिलने वाले लाभ से वंचित करने का क्या औचित्य है;

(घ) क्या हाल ही में उक्त बैंक का निरीक्षण किया गया था और कुछ अनियमितता पाई गई थीं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, सहकारी बैंकों के सदस्यों के हित की रक्षा के लिए समय-समय पर निरीक्षण न किए जाने के क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

केरल में बाढ़ से नुकसान

4039. **प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य को बाढ़ से हुई 670 करोड़ रुपए की हानि को देखते हुए केन्द्र सरकार द्वारा दी गई बाढ़ राहत अपर्याप्त है;

(ख) क्या किसी विशेष दल ने क्षति का मूल्यांकन करने के लिए राज्य का दौरा किया है;

(ग) क्या राज्य को अतिरिक्त धनराशि दी जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) से (घ). केरल सरकार ने बाढ़ राहत हेतु 675.06 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता मांगने के लिए एक ज्ञापन दिया था। बाद में यह राशि बढ़ाकर 743.36 करोड़ रुपये कर दी गई थी। सम्बन्धित मन्त्रालयों/विभागों के प्रतिनिधियों के एक केन्द्रीय दल ने, स्थिति का सामना करने के लिए राज्य सरकार द्वारा मांगी गई आवश्यक केन्द्रीय सहायता का और स्थिति का मौके पर जायजा लेने के लिए 16 से 19 जुलाई, 1985 तक राज्य का दौरा किया। केन्द्रीय दल की रिपोर्ट पर राहत सम्बन्धी उच्च स्तरीय समिति द्वारा विचार किया गया है। केन्द्रीय सहायता की अधिकतम सीमा की स्वीकृति शीघ्र ही जारी कर

कर लिए जाने की सम्भावना है। केन्द्रीय सहायता की राशि उस दल की सिफारिशों पर आधारित होती है, जो स्थिति और आवश्यकता का अध्ययन करती है। भारत सरकार राहत और पुनः बसाने के लिए सहायता देती है, हानि की क्षतिपूर्ति नहीं करती। इस बीच तत्काल व्यय को पूरा करने के लिए राज्य सरकार को 40 करोड़ रुपए की राशि साधनोपाय पेशगी के रूप में निर्मुक्त कर दिए गए हैं।

[हिन्दी]

शिक्षा के प्रसार के लिए लखनऊ में स्टूडियो का निर्माण

4040. **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के पिछड़े हुए जिलों, बस्ती, गोरखपुर और आजमगढ़ में शिक्षा के प्रसार के लिए एक स्टूडियो का निर्माण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस स्टूडियो का अभी तक निर्माण नहीं किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस पर अब तक कितना व्यय किया गया है और भविष्य में कितना व्यय किए जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, हां। राज्य सरकार इनसेट योजना के अन्तर्गत मुख्यतया बस्ती, गोरखपुर तथा आजमगढ़ जिलों के लिए शैक्षिक कार्यक्रमों के निर्माण हेतु एक केन्द्र बना रही है।

(ख) और (ग). शैक्षिक कार्यक्रमों के निर्माण के लिए स्टूडियो का बनाना राज्य सरकार की परियोजना होने के कारण, दूरदर्शन के पास इस सम्बन्ध में कोई औपचारिक सूचना नहीं है।

[अनुवाद]

नवीन शाहदरा, दिल्ली के आस-पास सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा

4041. **श्रीमती ऊषा वर्मा** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि नवीन शाहदरा के समीप सुभाष पार्क तथा पंचशील पार्क के बेईमान तत्वों द्वारा इस क्षेत्र के स्वीकृत नक्शे में सड़कों, उद्यानों तथा अन्य सार्वजनिक सेवाओं के लिए आरक्षित भूमि पर वाणिज्यिक तथा आवासीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग हेतु अवैध कब्जा किया जा रहा है अथवा कर लिया गया है तथा उक्त भूमि पर बहुमंजिली इमारतें बनायी जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार उक्त भूमि पर से अवैध कब्जा समाप्त करने के लिए क्या उपाय कर रही हैं; और

(ग) इस क्षेत्र के नक्शे के अनुसार भूमि का कब तक विकास किया जाएगा ?

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) से (ग). सुभाष पार्क तथा पंचशील गार्डन अनधिकृत नियमित कालोनियां हैं। दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि पार्कों, विद्यालयों तथा सामुदायिक सुविधाओं के लिए सुभाष पार्क में 14 तथा पंचशील गार्डन में 6 स्थल

उदिष्ट हैं। पंचशील गार्डन में 6 स्थलों में से 3 पार्क और सुभाष पार्क में 14 स्थलों में से 1 पार्क का घास वाली भूमि के रूप में विकास किया गया है। अन्य स्थलों पर कई वर्षों से पक्के मकानों द्वारा और कई मामलों में कालोनियों के नियमितीकरण से भी पहले अत्यधिक अतिक्रमण किया गया है। इस मामले पर कानूनी तथा अन्य दृष्टिकोणों से विचार किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए कोई समय सीमा निर्धारित करना व्यवहार्य नहीं होगा।

भारतीय डेरी निगम द्वारा सपरेटा दुग्ध पाउडर के मूल्य का निर्धारण

4042. **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या **कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय डेरी निगम को सपरेटा दुग्ध पाउडर का आयात करने का अधिकार दिया गया है;

(ख) क्या भारतीय डेरी निगम नीति निर्धारित करता है और विभिन्न राज्यों को वितरण के लिए सपरेटा दुग्ध पाउडर का मूल्य निर्धारित करता है; और

(ग) पिछले पाँच वर्ष के दौरान राज्यों को सपरेटा दुग्ध पाउडर की राज्य वार कितनी मात्रा आवंटित की गई ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) जी, नहीं। भारतीय डेयरी निगम यूरोपीय आर्थिक समुदाय से डेयरी विकास कार्यक्रम के लिए स्किम दुग्ध चूर्ण की सप्लाई उपहार स्वरूप प्राप्त कर रहा है।

(ख) भारतीय डेरी निगम द्वारा भारत सरकार के अनुमोदन से प्रतिवर्ष विभिन्न प्रयोक्ता डेरियों के आबंटन की नीति और जिन्सों के मूल्य का निर्णय किया जाता है।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

तिलहनों का आयात

4043. **श्री जी० जी० स्वैल** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारा तिलहनों का आयात बढ़ रहा है;

(ख) वर्ष 1984 में हमने कितना और कितने मूल्य के तिलहनों का आयात किया और किन देशों से आयात किया; और

(ग) हमने इस वर्ष अब तक कितने मूल्य के तिलहनों का आयात किया है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) से (ग). भारतीय राज्य व्यापार निगम, जो खाद्य तेलों तथा तिलहनों के आयात के लिए मार्गीकरण अभिकरण है, ने किसी तिलहन का आयात नहीं किया।

[हिन्दी]

सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिए छोटे किसानों को ऋण और अनुदान

4044. **श्री कमला प्रसाद रावत** : क्या **कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा

करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सिंचाई क्षमता बढ़ाने के हेतु साधन जुटाने के लिए छोटे और सीमांत किसानों को ऋण और अनुदान देने की एक योजना आरम्भ की है;

(ख) यदि हाँ, तो इस योजना के अन्तर्गत राज्यवार कितने किसानों को ऋण दिए गए और कितनों को अनुदान दिए गए;

(ग) उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में ऐसे किसानों की संख्या कितनी है; और

(घ) यदि इस योजना के अन्तर्गत जिले बाराबंकी के किसान लाभान्वित नहीं हुए हैं, तो ब्यौरे सहित इसके क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्द्रलाल चन्द्राकर) : (क) जी, हाँ।

(ख) राज्य सरकारों से अब तक प्राप्त रिपोर्टों से यह प्रकट होता है कि कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए छोटे तथा सीमान्त किसान योजना के तहत सिंचाई क्षमता बढ़ाने हेतु लगभग कुल 3.76 लाख किसानों को ऋण तथा अनुदान मुहैय्या किया गया है। उन किसानों की जिन्हें ऋण तथा अनुदान मुहैय्या किया गया, राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दे दी गई है।

(ग) योजना की लघु सिंचाई संघटक के तहत बाराबंकी जिले में अब तक 740 किसान लाभान्वित हुए हैं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए छोटे तथा सीमान्त किसानों को सहायता की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत सिंचाई सुविधाएं सर्जन करने के लिए ऋण तथा अनुदान प्राप्त करने वाले किसानों की संख्या

	राज्य	लाभान्वित किसानों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	14,513
2.	असम	सूचना नहीं मिली
3.	बिहार	32,140
4.	गुजरात	37,046
5.	हरियाणा	7,573
6.	हिमाचल प्रदेश	सूचना नहीं मिली
7.	जम्मू व कश्मीर	सूचना नहीं मिली
8.	कर्नाटक	287
9.	केरल	35,371
10.	मध्य प्रदेश	49,102
11.	महाराष्ट्र	*

12.	मणिपुर	शून्य
13.	मेघालय	शून्य
14.	नागालैंड	सूचना नहीं मिली
15.	उड़ीसा	14,390
16.	पंजाब	8,100
17.	राजस्थान	12,677
18.	सिक्किम	सूचना नहीं मिली
19.	तमिलनाडु	82,361
20.	त्रिपुरा	1,326
21.	उत्तर प्रदेश	61,689
22.	पश्चिम बंगाल	12,000
23.	संघ राज्य क्षेत्र	1,322
	कुल	3,69,897

* लघु सिंचाई सम्बन्धी धनराशि भूगर्भ जल संरचनाओं को पुनः चालू करने की समेकित पनधारा विकास के लिए उपयोग की जा रही है।

[अनुवाद]

उर्वरकों के मूल्य कम करना

4045. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या **कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि निर्यात को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से उर्वरकों के मूल्य में पर्याप्त कमी करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) क्या उर्वरक कृषि में एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण आदान है और कृषि निर्यात में कोई सफलता प्राप्त करने की दृष्टि से सरकार का यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है कि किसानों को उचित मूल्यों पर यह आदान मिल सके ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) उर्वरकों की कृषक कीमतों को बदलने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए उर्वरक एक महत्वपूर्ण आदान है। उर्वरक के उत्पादन की लागत में वृद्धि हो जाने के बावजूद इसके विक्रय मूल्य में जून, 1983 से कोई संशोधन नहीं किया गया है और इस संशोधन द्वारा भी विक्रय मूल्य में 7½ प्रतिशत की कमी की गई थी।

कीटनाशक दवाओं का निर्माण करने वाले एककों द्वारा सुरक्षा सम्बन्धी मानदण्डों का उल्लंघन

4046. **श्री के० कुन्जम्बु** : क्या **श्रम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कीटनाशकों का निर्माण करने वाले उन एककों का नाम क्या है जिनके विरुद्ध सुरक्षा सम्बन्धी मानदण्डों का उल्लंघन करने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) सुरक्षा सम्बन्धी नियमों को लागू करने के लिए प्रत्येक मामले में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री टी० अन्जैया) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है।

लतीनी अमरीका तथा अफ्रीका के देशों में कार्यरत भारतीय

4047. **श्री मुरली देवरा** : क्या **श्रम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लतीनी अमरीकी तथा अफ्रीकी देशों में कार्यरत भारतीयों को बेईमान नियोजकों द्वारा काफी परेशान करने तथा अत्याचार करने के अनेक दृष्टांत सामने आए हैं तथा क्या भारत वापस आने के लिए वे भारत सरकार का हस्तक्षेप चाहते हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए कदम उठाने का विचार किया है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री टी० अन्जैया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[**हिन्दी**]

उड़ीसा में गरीबी

4047-क. **श्री सी० जंगा रेड्डी** :

डा० ए० के० पटेल :

क्या **कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 27 जून, 1985 के स्टेट्समैन में प्रकाशित इस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि देश में गरीबी इस सीमा तक बढ़ गई है कि उड़ीसा के कालाहांडी जिले में कुछ माताओं को अपने बच्चों को बेचना पड़ा, ताकि ये बच्चे और उनके माता-पिता किसी तरह से जीवित रह सकें;

(ख) ऐसे क्षेत्रों के निवासियों को इस प्रकार की अत्यधिक गरीबी से मुक्ति दिलाने के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ग) देश के अन्य कौन-कौन से भाग हैं जहां इतनी अधिक गरीबी है और उन क्षेत्रों के लिए क्या योजनाएँ तैयार की गयी हैं; और

(घ) क्या किसी अल्पावधि योजना का अनुमोदन किया गया है, ताकि अत्यधिक गरीबी से उत्पीड़ित कालाहांड़ी क्षेत्र को अविलम्ब सहायता दी जा सके ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चंदूलाल चंद्राकर) : (क) 27 जून, 1985 के स्टेट्समैन में प्रकाशित समाचार भारत सरकार की जानकारी में आया है। भयंकर सूखा की स्थिति के कारण माताओं द्वारा अपने बच्चे बेचे जाने के समाचार की राज्य सरकार द्वारा मौके पर तहकीकात किए जाने के बाद निराधार पाया गया है।

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता विवरण के लिए केन्द्रीय सरकार ने निम्नलिखित योजनाएँ शुरू की हैं :—

1. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम;
2. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम;
3. ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम।

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान सारे देश में इन कार्यक्रमों पर कुल व्यय और उनकी उपलब्धियां इस प्रकार रहे हैं :

	व्यय (रु० लाख में)	उपलब्धियां
स० ग्रा० वि० कार्यक्रम	166187.74	165.56 लाख लाभार्थी
रा० ग्रा० रो० कार्यक्रम	184184.53	17,743.73 लाख श्रमदिन
ग्रा० भू० रो० गा० कार्यक्रम	38015.27	2601.8 लाख श्रमदिन

(ग) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन ने विभिन्न राज्यों में गरीबी की रेखा से नीचे बसर कर रहे व्यक्तियों तथा जनसंख्या में उनके प्रतिशत का अनुमान लगाने के लिए 1983 में एक सर्वेक्षण किया था। इस सर्वेक्षण के राज्य-वार ब्यौरे को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(घ) भारत सरकार पूरे देश में गरीबी दूर करने हेतु कुछ योजनाएँ कार्यान्वित कर रही है जैसाकि ऊपर (ख) में बताया गया है।

उड़ीसा सरकार ने लोगों को सहायता देने के लिए और कदम उठाए हैं। इनमें तुरन्त रोजगार मुहैया कराने हेतु श्रम प्रधान कार्य शुरू करना, आपतकालीन भोजन कार्यक्रम, आर पार बांधों का निर्माण करना, पेयजल के नलकूपों की व्यवस्था करना, किसानों को फसल सामग्री के लिए आर्थिक सहायता देना आदि शामिल हैं।

[अनुवाद]

"3-डी ग्लासेज" शीर्षक से समाचार

4047.-ख **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 16 जुलाई, 1985 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "3-डी ग्लासेज शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने राजधानी में सिनेमा मालिकों की पटुता के मामले में जांच

करवायी है जिसमें वे लोगों को लूटने के नये तरीके निकल रहे हैं और बिना खास मेहनत के भारी मुनाफा कमा रहे हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं अथवा करने का विचार है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण विभाग में राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, हाँ।

(ख) जी, हां।

(ग) स्पेक्टेकेल का उचित मूल्य, जो पैटर्न से लिया जा सके। निश्चित करने के लिए दिल्ली प्रशासन ने एक समिति बना दी है जिसके अध्यक्ष पुलिस सहायक आयुक्त, लाइसेंसिंग हैं और नेशनल एसोसिएशन आफ मोशन पिक्चर्स एक्जीबीटर्स के अध्यक्ष तथा मनोरंजन कर अधिकारी उसके सदस्य हैं।

पश्चिम बंगाल में पटसन की खेती का क्षेत्र

4047-ग. **श्री अतीश चन्द्र सिन्हा** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिम बंगाल में पटसन की खेती का क्षेत्र पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कितना है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : चालू कृषि वर्ष 1985-86 के दौरान पश्चिम बंगाल में पटसन की खेती के तहत लाए गए क्षेत्र के सम्बन्ध में ठोस जानकारी प्राप्त करने की अवधि अभी नहीं हुई है। तथापि, इस वर्ष लगाए गए ताजे अनुमान के अनुसार जूट की खेती के तहत लाया गया क्षेत्र पिछले वर्ष लाए गए क्षेत्र, जिसका 5.35 लाख हैक्टार होने का अनुमान लगाया गया था, से अधिक है।

दैनिक समाचार पत्रों को अखबारी कागज के आबन्टन के बारे में दिनांक 22-4-85 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3960 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति के अतारांकित प्रश्न संख्या 3960 के भाग (ख) के उत्तर में, मैंने अनवधानता से परिशिष्ट-1 में यह उल्लेख किया था कि महाराष्ट्र के जिन दैनिक समाचारपत्रों को वर्ष 1984-85 के दौरान अखबारी कागज आबंटित किया गया था, उनकी संख्या 108 (एक सौ आठ) है।

2. यह सूचना सही नहीं है। क्योंकि क्रम संख्या 97 से 108 तक के सम्मुख उल्लिखित समाचारपत्रों को वर्ष 1984-85 के दौरान अखबारी कागज आबंटित नहीं किया गया था, अत: उक्त परिशिष्ट-1 में उनके नाम निकाल दिए गए समझे जाएं।

3. यह विवरण सदन की मेज पर पहले नहीं रखा जा सका क्योंकि गलती हाल ही में ध्यान में आई।

12.00 मध्याह्न

[अनुवाद]

(व्यवधान)

श्री एन वी० एन० सोमू (मद्रास दक्षिण) : महोदय, मैंने श्रीलंका के मामले पर एक नोटिस दिया हैं। वहां पांच सौ तमिलों की हत्या की गई···

अध्यक्ष महोदय : एक मिनट रुकिए। आपका प्रस्ताव बाद में आया था; लेकिन उसके बावजूद···

(व्यवधान)

श्री एन० वी० एन० सोमू : लेकिन महोदय, सरकार को चाहिए कि···

अध्यक्ष महोदय : मैं भी यही करने का प्रयास कर रहा हूँ।

श्री एन० वी० एन० सोमू : युद्ध विराम के बावजूद, महिलाओं और बच्चों सहित 500 लोगों की गोली मार कर हत्या कर दी गई है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरी बात सुनिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप मेरी बात सुनेंगे ? इस तथ्य के बावजूद कि आपने प्रस्ताव देर से दिया था तथा यह उचित रूप से नहीं था, मैंने मन्त्री महोदय से तथ्यों का पता लगाने के लिए कहा है। मैं विचार करूँगा कि इस सम्बन्ध में क्या किया जाए।

श्री पी० कुलनदईवेलू (गोबिचेट्टीपालयम्) : सरकार को इस पर वक्तव्य देना चाहिए। और आज ही···

अध्यक्ष महोदय : मैं तथ्य प्राप्त करूँगा कि मैंने मन्त्री महोदय से बात की है तथा वह तथ्य प्राप्त कर रहे हैं। इसके बाद ही मैं आपको जानकारी दूंगा।

श्री एन० वी० एन० सोमू : बच्चों सहित पाँच सौ लोगों की प्रतिदिन हत्या की जा रही है।

अध्यक्ष महोदय : आप जो कुछ कह रहे हैं इसके अतिरिक्त मैंने स्वयं मन्त्री महोदय से कहा है कि इसकी जाँच की जाए और मुझे तथ्यों की जानकारी दी जाए।

श्री पी० कुलनदईवेलू : मन्त्री महोदय को आज ही वक्तव्य देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यदि उनके पास तथ्य नहीं है तो उन्हें तथ्यों का पता लगाना होगा। यदि कुछ तथ्यों का पता चल गया है तो वह इसकी जानकारी आपको देंगे। बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर बाद में विचार करेंगे। अभी इसके लिए समय नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सब एक साथ क्यों बोल रहे हैं ?

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : मैं दिल्ली हवाई अड्डे से बिना जांच किए पड़े विदेशी समान की निरन्तर चोरियां होने के सम्बन्ध में पिछले सप्ताह नोटिस दिया था और इस सप्ताह भी दिया है इसमें निषिद्ध विस्फोटक सामग्री है···

अध्यक्ष महोदय : मैं सभी पर एक ही दिन चर्चा नहीं करा सकता। मैं एक एक करके ले रहा हूँ।

श्री अमल दत्त : लेकिन मैंने पिछले सप्ताह नोटिस दिया था। इस सप्ताह भी मैंने एक नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : क्या कोई दिन ऐसा बीता है जब चर्चा नहीं की गई हो ?

श्री अमल दत्त : लेकिन महोदय···

अध्यक्ष महोदय : मैं क्या कर सकता हूँ ? क्या आप इसमें मेरी सहायता करेंगे ?

श्री अमल दत्त : लेकिन यह एक ऐसे संगठन से सम्बद्ध है जो सेना के अधिकार में है।

अध्यक्ष महोदय : इस तरह से कोई चर्चा नहीं की जाएगी।

श्री अमल दत्त : महोदय, इससे राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : गृह मन्त्री के विरुद्ध दिए गए मेरे विशेषाधिकार प्रस्ताव के नोटिस का क्या हुआ, जिन्होंने इस सभा में यह कहा था कि पश्चिम बंगाल सरकार ने आह्वान किया था···

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस पर कार्यवाही कर दी है। आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी।

श्री बसुदेव आचार्य : आपको गृह मन्त्री महोदय से उत्तर मिल गया है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे आपका भी नोटिस मिल गया है और मैं इस पर आगे कार्यवाही करूँगा। आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य : क्या मैं फिर से नोटिस दूं ?

अध्यक्ष महोदय : आप अनावश्यक ही मेरा समय क्यों व्यर्थ कर रहे हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैंने उसे फिर उनके पास भेजा है।

(व्यवधान)

श्री एन० वी० एन० सोमू : महोदय, प्रधानमन्त्री जी यहाँ उपस्थित हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें पहले ही कह चुका हूँ। आप मुझसे और क्या चाहते हैं ?

श्री पी० कुलनदईवेलू : महोदय, यह अत्यन्त गम्भीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय : चूंकि यह मामला गम्भीर है, इसलिए मैंने इस सम्बन्ध में उनसे जानकारी माँगी है।

श्री पी० कुलनदईवेलू : मेरा निवेदन है कि आज भी समाचार पत्रों में···

अध्यक्ष महोदय : श्रीमान कुलनदईवेलू, मैं स्थिति से पहले ही अवगत हूँ। मैं पहले ही

यह मामला उनके पास भेज चुका हूँ। मैं तथ्य प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। मैं भी उतना ही विक्षुब्ध हूं जितने कि आप हैं।

श्री पी० कुलनदईवेलू : महोदय, हम जानना चाहते हैं कि सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है।

अध्यक्ष महोदय : जल्दी मत कीजिए। इसमें समय लगता है। मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ।

श्री एन० वी० एन० सोमू : हमने दो वर्ष तक इन्तजार किया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूँ। लेकिन क्या इसके बिना काम चल सकता है? आप अपना स्थान ग्रहण करें। रास्ते में मत खड़े होइए। श्रीमन सोज, आप कहाँ खड़े हैं? अपनी सीट पर बैठिए। यह उचित नहीं है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : महोदय, मेरा एक निवेदन है।

[हिन्दी]

श्री विजयकुमार यादव (नालन्दा) : अध्यक्ष महोदय मैंने एक कालिंग अटेंशन नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं कालिंग अटेंशन को देखूंगा। मेरे पास आकर मुझ से मिलिए।

श्री विजयकुमार यादव : बिहार में कालेज और यूनिवर्सिटी के 50 हजार नान-टीचिंग स्टाफ के लोग स्ट्राइक पर हैं···

अध्यक्ष महोदय : यादव जी, एक दिन में एक ही नोटिस आ सकता है एक दिन में एक ही चीज डिस्कस हो सकती है। मेरे पास कोई जादू नहीं है कि मैं सारा एक ही दिन में डिस्कस करवा दूं। आप बैठिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : मैं समझता हूँ कि लोक सभा अपना महत्व खो रही है।

अध्यक्ष महोदय : क्यों?

श्री एस० जयपाल रेड्डी : क्योंकि काले धन सम्बन्धी महत्वपूर्ण रिपोर्ट पर राज्य सभा में तो चर्चा हुई, लोक सभा में नहीं।

अध्यक्ष महोदय : यह एक तथ्य है। प्रश्न यह नहीं है कि हम अपना महत्व खो रहे हैं। किसी विषय पर कभी राज्य सभा में चर्चा होती है तो कभी हम चर्चा करते हैं। हम सब समान हैं। कोई बड़ा-छोटा नहीं है किसी के महत्व को कम करने का प्रयत्न मत कीजिए।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : नहीं नहीं, मैं यह नहीं कह रहा हूँ, किन्तु आप इस पर चर्चा कब कब करवा रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : इस पर चर्चा की भी जा रही है। हम हमेशा किसी न किसी विषय पर चर्चा करते रहते हैं और कुछ समय में यह विषय भी आ जाएगा। कोई समस्या नहीं है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, स्थगन प्रस्ताव कैसे···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप यह कहना चाहते हैं कि आप चर्चा के लिए मुझे महत्वहीन विषय दे रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री अमल दत्त : लोग जो विषय महत्वपूर्ण समझते हैं, उस पर चर्चा के लिए कहते हैं किन्तु अन्ततः जो राष्ट्रीय महत्व का विषय है ···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम हमेशा ऐसा ही करते हैं। मैं हमेशा आपकी सलाह से काम करता हूँ और यदि इसका कोई महत्व नहीं है, तो यह बुरी बात है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जी हाँ, श्रीमान महफूज अली खां, आप क्या कहना चाहते हैं ?

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद महफूज अली खां (एटा) : अध्यक्ष महोदय, मुझे सूचना मिली है कि मेसर्स प्लेब्वाय द्वारा बनाई गई फिल्म में महात्मा गांधी को शराब पीते हुए दिखाया है।

अध्यक्ष महोदय : आज शाम को पांच बजे डिसक्शन हो रहा है, उसमें आप यह बात भी उठाना।

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी : हमें पहले से यह पता होना चाहिए कि सभा 23 तारीख को स्थगित हो रही है या नहीं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं नहीं, सभा स्थगित नहीं हो रही है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : महोदय, कश्मीर में, पेंथर्स पार्टी के अध्यक्ष···

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है ?

प्रो० सैफुद्दीन सोज : ···और जम्मू कश्मीर विधान सभा के कुछ अन्य सदस्यों को सभा से निष्कासित कर दिया गया है। आप उस पर चर्चा क्यों नहीं कराते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : नहीं नहीं। यह सम्भव नहीं है।

(व्यवधान)

प्रो० सैफुद्दीन सोज : आप इस पर चर्चा क्यों नहीं कराते हैं ? आप कृपया कुछ सुनिए।

अध्यक्ष महोदय : नहीं नहीं। मैं ऐसा नहीं कर सकता।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह राज्य का विषय है, इस पर चर्चा कराना विधान सभा की जिम्मेदारी है।

(व्यवधान)

प्रो० सैफुद्दीन सोज : यह राज्य का विषय नहीं है। जम्मू और कश्मीर में क्या हो रहा है ···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री सोज, आप अकारण ही बहुत ज्यादा शोर मचाते हैं।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मुद्दा यह है कि···* *···नोटिस दिया···

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक है। मैं उन्हें अनुमति नहीं दे रहा हूँ।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री सोज, आप कभी नहीं सुनते। यह आपकी कमजोरी है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें एक भी शब्द कहने की अनुमति नहीं दे रहा हूँ।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप कभी समझने और सुनने की कोशिश नहीं करते।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैं अनुशासनबद्ध हूँ।

अध्यक्ष महोदय : फिर सुनिए। यदि किसी कारण···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको नियम समझने होंगे। कश्मीर विधान सभा में···

(व्यवधान)

प्रो० सैफुद्दीन सोज : आप जरा सोचिए महोदय, यह राज्य का विषय नहीं है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : हे भगवान ! आप क्या कर रहे हैं ?

प्रो० सैफुद्दीन सोज : भारत की अखण्डता के विरुद्ध कुछ नहीं किया जाना चाहिए।

**कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह तो ठीक है किन्तु उसके लिए विधान सभा है, मैं कुछ नहीं कर सकता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इधर देखिए। हमारे पास और प्रस्ताव भी हैं। आप यह बात क्यों नहीं समझते।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री सोज यह असंगत है। मैं आपको इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान) **

अध्यक्ष महोदय : आप अब असंगत बात कह रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया विधान सभा सर्वोच्च है। मैं उस राज्य की विधान सभा के कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकता।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : महोदय, आप हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि आप 'हस्तक्षेप' शब्द का प्रयोग करें।

अध्यक्ष महोदय : फिर कृपया बैठ जाइए।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : किन्तु आप कृपया मेरी बात सुनिए।

अध्यक्ष महोदय : नहीं नहीं। मैं नही सुन सकता। किसी विधान सभा में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बात की अनुमति नहीं दे सकता कि यहां विधानसभा का जिक्र किया जाए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। बैठ जाइए। आप सभा पटल पर पत्र रखे जायेंगे। श्री एच० के० एल० भगत।

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : अध्यक्ष महोदय, कुमारी बानो नागा कन्या है। वह जामिया मिलिया कालेज की छात्रा है। उनके साथ दिल्ली के दो सिपाहियों द्वारा दुर्व्यवहार किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपने कोई नोटिस दिया है ?

कुमारी ममता बनर्जी : मैंने नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : किस बारे में ?

कुमारी ममता बनर्जी : कि दिल्ली पुलिस के सिपाहियों ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया।

अध्यक्ष महोदय : मैं पता लगाऊंगा। आप मुझे नोटिस दीजिए।

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

कुमारी ममता बनर्जी : मैंने नोटिस दिया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। हम पता लगायेंगे।

(व्यवधान)

12.08 म० प०

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

[अनुवाद]

राष्ट्रीय सहकारी चीनी कारखाना महासंघ समिति, नई दिल्ली के वर्ष 1983-84 के वार्षिक प्रतिवेदन, इसके कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा तथा इन पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का विवरण

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) राष्ट्रीय सहकारी चीनी कारखाना महासंघ सीमित, नई दिल्ली, के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय सहकारी चीनी कारखाना महासंघ सीमित, नई दिल्ली, के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-1330/85]

दिल्ली विकास अधिनियम, 1975 के अन्तर्गत अधिसूचना और इस अधिसूचना को सभा पटल पर रखे जाने में हुए विलम्ब के कारणों का विवरण

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ : —

(1) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 58 के अन्तर्गत, अधिसूचना संख्या का० आ० 546 (अ) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो भारत के राजपत्र में 26 जुलाई, 1985 को प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें अधिसूचना संख्या का० आ० 404 (अ) का शुद्धि पत्र दिया गया है, और जो 20 मई, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के

कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-1331/85]

चीनी उपक्रम (प्रबन्ध ग्रहण) अधिनियम, 1978 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : मैं चीनी उपक्रम (प्रबन्ध ग्रहण) अधिनियम, 1978 की धारा 21 के अन्तर्गत, निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

(1) का० आ० 889 (अ), जो 28 नवम्बर, 1984 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा अजुध्या चीनी मिल, राजा-का-साहसपुर (उत्तर प्रदेश) के प्रबन्ध के बारे में है।

(2) का० आ० 904 (अ), जो 7 दिसम्बर, 1984 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा केशोरायपाटन सहकारी चीनी मिल सीमित, केशोरायपाटन (राजस्थान) के प्रबन्ध के बारे में है तथा तत्सम्बन्धी शुद्धि-पत्र, जो अधिसूचना संख्या का० आ० 158 (अ) में 22 फरवरी, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

(3) का० आ० 905 (अ), जो 7 दिसम्बर, 1984 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा श्री सीताराम चीनी कम्पनी सीमित, बंतलपुर (उत्तर प्रदेश) के प्रबन्ध के बारे में है तथा शुद्धिपत्र, तत्सम्बन्धी अधिसूचना संख्या 159 (अ) में 22 फरवरी, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

(4) का० आ० 906 (अ), जो 7 दिसम्बर, 1984 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जीजामाता सहकारी शक्कर कारखाना सीमित, शंकरनगर (महाराष्ट्र के प्रबन्ध के बारे में है।

(5) का० आ० 907 (अ), जो 7 दिसम्बर, 1984 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा देवरिया चीनी मिलस सीमित, देवरिया (उत्तर प्रदेश) के प्रबन्ध के बारे में है।

(6) का० आ० 61 (अ), जो 30 जनवरी, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा कावेरी चीनी और रसायन सीमित, कावेरी कारखाना, पेट्टयाटलिया (तमिलनाडु) के प्रबन्ध के बारे में है।

(7) का० आ० 62 (अ), जो 30 जनवरी, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा रायबहादुर नारायण सिंह चीनी मिल सीमित, लकसर (उत्तर प्रदेश) के प्रबन्ध के बारे में है।

(8) का० आ० 176 (अ), जो 4 मार्च, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा सकसेरिया चीनी मिल सीमित, बभनान (उत्तर प्रदेश) के प्रबन्ध के बारे में है।

(9) का० आ० 231 (अ), जो 26 मार्च, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा अजुध्या चीनी मिल लि० राजा-का-साहसपुर (उत्तर प्रदेश) के प्रबन्ध के बारे में है।

(10) का० आ० 232 (अ), जो 26 मार्च, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जीजामाता सहकारी शक्कर कारखाना लि० शंकरनगर (महाराष्ट्र) के प्रबन्ध के बारे में है।

(11) का० आ० 233 (अ), जो 26 मार्च, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा केशोरायपाटन सहकारी शूगर मिल लि० केशोरायपाटन (राजस्थान) के प्रबन्ध के बारे में है।

(12) का० आ० 234 (अ), जो 26 मार्च, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा देवरिया चीनी मिल लि० देवरिया (उत्तर प्रदेश) के प्रबन्ध के बारे में है।

(13) का० आ० 235 (अ), जो 26 मार्च, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा सीताराम चीनी कम्पनी लि० बैतलपुर (उत्तर प्रदेश) के प्रबन्ध के बारे में है।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-1332/85]

कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत कर्मचारी भविष्य निधि (तीसरा संशोधन) योजना, 1985 और श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचारपत्र (सेवा शर्तें) प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1955 के अधीन अधिसूचनाएं तथा सरकारी संकल्प संख्या बी० 24030/1/85 तथा-डब्ल्यू वी दिनांक 17-7-85

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री टी० अन्जैया) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उपधारा (2) के अन्तर्गत, कर्मचारी भविष्य निधि (तीसरा संशोधन) योजना, 1985 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 667 में 13 जुलाई, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-1333/85]

(2) श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार-पत्र (सेवा शर्तें) और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1955 की धारा 20 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) का० नि० आ० 1858, जो 27 अप्रैल, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें अधिसूचना संख्या का० नि० आ० 2428 का शुद्धि-पत्र दिया गया है, जो 16 सितम्बर, 1975 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

(दो) का० नि० आ० 1859 जो 27 अप्रैल, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें अधिसूचना संख्या का० आ० 889 (अ), का शुद्धि-पत्र दिया गया है जो 12 नवम्बर, 1980 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-1334/85]

(3) चीनी उद्योग के लिए तीसरे वेतन बोर्ड की स्थापना के बारे में 17 जुलाई, 1985 के सरकारी संकल्प संख्या वी० 24030/1/85-डब्ल्यू० बी० की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी०-4335/85]

12.09 म० प०

प्राक्कलन समिति

पांचवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : मैं नौवहन और परिवहन मन्त्रालय – राष्ट्रीय राजमार्ग के सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति (सातवीं लोक सभा) के 59 वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में उक्त समिति का पाँचवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

लोक लेखा समिति

दसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री ई० अय्यप्पू रेड्डी (कुरनूल) : मैं कोचिंग (अध्यापन) सेवाओं के बारे में लोक लेखा समिति (सातवीं लोक सभा के 154 वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट शिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के सम्बन्ध में लोक लेखा समिति के 10वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

सभा पटल पर रखे गये पत्रों सम्बन्धी समिति

पहला, दूसरा व तीसरा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति (कनकपुर) : मैं सभा-पटल पर रखे गए पत्रों सम्बन्धी समिति का पहला, दूसरा और तीसरा प्रतिवेदन(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

सभा पटल पर रखे गये पत्रों सम्बन्धी समिति

कार्यवाही सारांश

[अनुवाद]

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति (कनकपुर) : मैं सभा-पटल पर रखे पत्रों सम्बन्धी समिति के पहले, दूसरे तथा तीसरे प्रतिवेदनों से सम्बन्धित समिति की बैठकों के कार्यवाही-सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम धन्यावर्पण प्रस्ताव पर आते हैं। श्री सुरेश कुरूप।

प्रो० एन० जी० रंगा (गूंटूर) : अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कृपया बताइए कि इस चर्चा की समय सीमा क्या है ? एक घंटा या दो घंटे ? या फिर तीन घंटे है अथवा चार घंटे ? आधे घण्टे की चर्चा के लिए डेढ़ घंटा दिया जाता है।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप सब सहमत हैं तो हम इसे कम कर देंगे।

प्रो० एन० जी० रंगा : नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा के लिए दो घंटे दिए जाते हैं, किन्तु इस तरह से चलता रहता है ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप लोग अधिक से अधिक बोलना चाहते हैं। महोदय, मैं क्या कर सकता हूँ।

प्रो० एन० जी० रंगा : हममें से कुछ सदस्य बहुत धैर्य के साथ सुनते रहते हैं। हम 6.30 बजे तक प्रतीक्षा करते रहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं सदन की सहमति से करता हूँ। महोदय, मैं कोई अपनी इच्छा से नहीं करता हूँ। जब आप लोग कहते हैं कि 'हम बोलना चाहते हैं' तब मैं समय बढ़ा देता हूँ। यदि सदन समय बढ़ाने के लिए न कहे तो मुझे खुशी होगी। इसमें कोई कठिनाई नहीं है।

अब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा आरम्भ करेंगे। श्री सुरेश कुरूप···।

प्रो० एन० जी० रंगा : 'आधे घंटे की चर्चा' पर भी डेढ़ घंटा लगा दिया जाता है।

अध्यक्ष महोदय : श्री कमलनाथ।

12.10 म० प०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण

[अनुवाद]

भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं सम्बन्धी उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन में कथित विलम्ब

श्री कमलनाथ (छिंदवाड़ा) मैं निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर रक्षा मंत्री महोदय का ध्यान दिलाता हूँ और अनुरोध करता हूँ कि वह उस पर एक वक्तव्य दें :

> "भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं संबंधी उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन में कथित विलम्ब तथा इस मामले को शीघ्र निपटाने हेतु सरकार द्वारा उठाये गये कदम"

अध्यक्ष महोदय : श्री कमलनाथ जी, क्या आपने प्रो० रंगा की टिप्पणी सुन ली है ?

श्री कमलनाथ : मैंने उनकी बात सुनी है, किन्तु वह इस मामले पर नहीं कह रहे थे। वह किसी अन्य मामले पर कह रहे थे।

अध्यक्ष महोदय : आपको 10 मिनट दिये जाते हैं।

श्री कमलनाथ : वह मेरे समय निर्धारण के बारे में नहीं कह रहे थे। क्यों महोदय, क्या आप मेरे लिए कह रहे थे ?

अध्यक्ष महोदय : अब से यह प्रत्येक पर लागू होगा।

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : महोदय, सरकार भूतपूर्व सैनिकों को कल्याण और पुनर्वास की सुविधा प्रदान करने के सम्बन्ध में हमेशा उत्सुक रही है और इस बात को महसूस करती है कि उनकी कठिनाइयों को शीघ्रता से दूर करने की जरूरत है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सरकार ने पिछले वर्षों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रोत्साहनों तथा सुविधाओं की व्यापक आधार पर व्यवस्था की है और उन्हें कार्यान्वित भी किया है। ये सुविधाएं क्या हैं इनके बारे में सभी को जानकारी है अतः आज इनके विषय में मैं विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा।

इन सब सुविधाओं के होते हुए भी ऐसा महसूस किया जाता है कि इस सारे विषय की समीक्षा की जाए ताकि यह पता चल सके कि इस संबंध में और क्या किया जा सकता है। इसी आधार पर सरकार ने मार्च, 1984 में तत्कालीन रक्षा राज्य मंत्री और अब कार्मिक तथा प्रशिक्षण राज्य मंत्री श्री के० पी० सिंह देव की अध्यक्षता में भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया। समिति ने बड़ी प्रशंसनीय गति से काम किया और 27 अक्तूबर, 1984 को अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी। वर्तमान सरकार के गठन के तुरंत बाद इस रिपोर्ट पर कार्रवाई शुरू कर दी गई। रिपोर्ट की प्रकाशित प्रतियां दोनों सदनों के पटल पर प्रस्तुत की जा चुकी हैं।

रिपोर्ट के संबंध में पहली कार्रवाई यह की गई कि सभी 68 सिफारिशों की जांच रक्षा मंत्रालय में ही की गई। इन 68 सिफारिशों में से छः का संबंध अनन्य रूप से राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से था। 26 सिफारिशों को केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ मिलकर स्वीकृत तथा कार्यान्वित किए जाने की जरूरत थी। शेष 36 सिफारिशें अनन्य रूप से भारत सरकार से संबंधित थी, लेकिन उनमें से अधिकांश के बारे में विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों और साथ ही योजना आयोग के साथ विचार-विमर्श करने की जरूरत थी।

तदनुसार सम्बन्धित सिफारिशें संबंधित राज्य सरकारों तथा मंत्रालयों और केन्द्रीय एजेंसियों के पास भेजी गई। अधिकांश सिफारिशें मैंने स्वयं भेजी और अन्य सिफारिशें प्रशासनिक स्तर पर, आमतौर पर रक्षा सचिव स्तर पर भेजी गईं।

इन सिफारिशों के बारे में अन्तर मन्त्रालय विचार-विमर्श जल्दी पूरा करने और उनके बारे में मतैक्य शीघ्रता से प्राप्त करने की दृष्टि से रक्षा मंत्रालय में अपर सचिव की अध्यक्षता में एक अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया। इस समिति में, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अन्य सभी सम्बन्धित मंत्रालयों के उच्च स्तरीय प्रतिनिधि शामिल किए गए। (**प्रो० एन० जी० रंगा**) बहुत अच्छे समिति को तीन महीनों का समय दिया गया। समिति की पांच बैठकें हुई और उसने निर्धारित समय में अपना काम पूरा कर दिया। 09 जुलाई, 1985 को हुई अपनी पिछली बैठक में समिति ने सिफारिशें भी तैयार कर लीं।

आपको स्मरण होगा कि संसद के बजट सत्र के दौरान मैंने सदस्यों को सूचित किया था कि वर्तमान सत्र के अन्त तक मुझे इस मामले में काफी प्रगति होने की आशा है।

घटनाओं के उपर्युक्त क्रम से पता चलेगा कि उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों पर अन्तिम निर्णय लेने में सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। जैसाकि मैं पहले कह चुका हूं कि हमारा उद्देश्य यह है कि इन सिफारिशों पर जैसे-जैसे अन्तिम निर्णय लिया जाए वैसे ही उन पर अमल करना शुरू कर दिया जाए बजाए इसके कि सभी सिफारिशों पर अन्तिम निर्णय होने की प्रतीक्षा की जाए।

इस तरह आज मैं यह कहने की स्थिति में हूँ कि अधिकार प्राप्त समिति द्वारा किए गए विचार-विमर्श और अब तक जिन मामलों को एकमत होकर स्वीकार किया गया है उसके अनुसार अब तक 68 में 42 सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं। इनकी सूची इस वक्तव्य के अनुबंध-1 में दी गई है। इन अनुबन्धों को भी सभा पटल पर रख दिया गया है। इनके अलावा किराया नियंत्रण अधिनियम और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में आरक्षण से सम्बन्धित दो और सिफारिशें भी आंशिक रूप से मंजूर कर ली गई हैं। तीन और सिफारिशें जिनका सम्बन्ध जनगणना, संयुक्त प्रायोजन और आरक्षित पदों को अनारक्षित करने की प्रक्रिया से है, शीघ्र ही मंजूर कर लिए जाने की आशा है। रोजगार के लिए पंजीकृत और रोजगार में लगाए गए भूतपूर्व सैनिकों के बारे में आंकड़े रखने से संबंधित दो अन्य सिफारिशें भूतपूर्व सैनिक की 58 वर्ष की उम्र तक के लिए पक्के रोजगार की व्यवस्था करने के प्रस्ताव से जुड़ी हुई है और उसका परिणाम ही उसका आधार है। इस तरह की ये 7 सिफारिशें भी इस वक्तव्य के अनुबन्ध-1 में दी गई हैं।

इस तरह अब केवल 19 सिफारिशें अन्तिम निर्णय के लिए शेष बची हैं। अधिकार प्राप्त समिति ने इनके संबंध में भी अपने स्तर पर कार्रवाई पूरी कर ली है। लेकिन ये सिफारिशें या तो बड़े नीति विषयक पहलुओं से सम्बन्धित हैं या इनके वित्तीय परिणाम बहुत बड़े होंगे जिससे कि सरकारी स्तर पर इनके विषय में एकमत नहीं हुआ जा सका। इनमें से कुछ सिफारिशों के विषय में मतों में भी भिन्नता है इसलिए इन पर निर्णय होने में कुछ और समय लगेगा। मुझे विश्वास है कि यह सदन इन 19 सिफारिशों के मुख्य विषयों के बारे में कुछ ब्यौरा जानना चाहेगा। मैं संक्षेप में इनका उल्लेख करता हूँ। मोटे तौर पर इनका संबंध उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों में दिए गए चार बड़े विषयों से है।

पहले विषय का सम्बन्ध इस प्रस्ताव से है कि सशस्त्र सेनाओं के सभी सदस्यों को सेवानिवृत्त होने से लेकर उनकी 58 वर्ष की उम्र होने तक के लिए सिविल पदों में रोजगार की बराबर पक्की व्यवस्था की जाए। इस सम्बन्ध में यह कहना उचित होगा कि उच्च स्तरीय समिति ने पैरा 5.41 में स्वयं यह स्वीकार किया है कि इस प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिए एक प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार करनी होगी। सेवानिवृत्त होने वाले प्रत्येक कार्मिक, किसी स्थान विशेष में स्थित किसी विशिष्ट संस्थान में किसी खास पद के लिए अपेक्षित योग्यता तथा अनुभव और संबंधित कार्मिक द्वारा उस पद को स्वीकार किया जाना-इस सबका पता लगाना एक बहुत बड़ा काम होगा। इस प्रस्ताव के बारे में समुचित ब्यौरा तैयार करना न केवल कठिन काम है बल्कि इसके लिए नियमों में उचित सीमा तक संशोधन करना और साथ ही प्रवेश के लिए निर्धारित अर्हताओं में छूट देना और मौजूदा आर्डरों को ढाँचे की फिर से समीक्षा करना जरूरी है। इसलिए इस पर विचार करने तथा अन्तिम रूप देने के लिए इसे कार्मिक तथा प्रशिक्षण मंत्रालय को सौंपा गया है। यह सिफारिश इस वक्तव्य के अनुबन्ध-2 में दी गई है।

दूसरी तरह की सिफारिशों का विषय इस प्रस्ताव से है कि सम्बन्धित सरकारों के अधीन भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास की समस्याओं पर विचार करने के लिए संसद तथा राज्य विधानांगों द्वारा एक अधिनियम पारित किया जाए, भूतपूर्व सैनिक पुनर्वास आयोग (या आयुक्त) नियुक्त किया जाए और भूतपूर्व सैनिकों के लिए एक अलग संसदीय समिति बनाई जाए। इस संबंध में विधि मंत्रालय तथा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को लिखा गया था और अब उनसे प्राप्त मतों पर विचार किया जा रहा है। इस बात को देखते हुए कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए भी ऐसा कोई अधिनियम नहीं बनाया गया है, यह उचित होगा कि इस विषय पर सभी पहलुओं से बहुत सावधानीपूर्वक विचार किया जाए। ये तीन सिफारिशें इस वक्तव्य के अनुबंध-3 में दी गई हैं।

अब मैं उन चार सिफारिशों का उल्लेख करूँगा जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रस्ताव रखा गया है कि भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण और पुनर्वास की योजनाओं के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में 350 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जाए जो केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा वहन की जाए। इन प्रस्तावों को योजना आयोग का मत जानने के लिए भेजा गया और अब आयोग द्वारा दिए गए मत पर विचार हो रहा है। ये चार सिफारिशें इस वक्तव्य के अनुबंध-4 में दी गई हैं।

अन्त में पेंशन नीति और दुबारा नौकरी पर लगने के बाद सेवा की शर्तों में संशोधन करने से संबंधित ग्यारह सिफारिशें हैं। पेंशनों से संबंधित सिफारिशों का वित्तीय प्रभाव काफी बड़ा है। इन पर इस संदर्भ में विचार करना होगा कि इनका सिविल पेंशनों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इनमें से कुछ मामलों में कानून बनाने का प्रश्न विचाराधीन होने के कारण समस्या और जटिल हो गयी है। दुबारा नौकरी पर लगने के बाद सेवा की शर्तों में परिवर्तन से संबंधित सिफारिशों और मौजूदा सिविल कर्मचारियों की अपेक्षाओं पर उनके प्रतिकूल प्रभाव के विषय में भी गहराई से विचार करना होगा। इन सभी सिफारिशों पर वित्त मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है। ये ग्यारह सिफारिशें अनुबंध-5 में दी गई हैं।

जो सिफारिशें मंजूर कर ली गई हैं उन्हें तेजी से कार्यान्वित किया जा रहा है। उनके मामलों में सरकार ने अपेक्षित आदेश जारी कर दिए हैं। फिर भी यह बात समझनी होगी कि सिफारिशों को कार्यान्वित करने का काम ऐसा है जो बराबर चलता रहेगा। अनेक मामलों में सेवा नियमों में संशोधन करना होगा। सरकार का यह आदेश जारी होने पर भी कि इस प्रकार के संशोधन कार्यान्वित किए जाएं संबंधित एजेंसियों को ये औपचारिकता पूरी करने में कुछ समय लग सकता है। इसी तरह भूतपूर्व सैनिकों को सैनिक अस्पतालों में अपना इलाज कराने की सुविधा प्रदान करने के प्रस्ताव के संबंध में आधारभूत जरूरतें और अतिरिक्त सुविधाएं क्रमिक आधार पर ही जुटाई जा सकती हैं।

अन्त में, जैसा कि मैं पहले निवेदन कर चुका हूँ छः सिफारिशों का सम्बन्ध केवल राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से है और 26 का सम्बन्ध केन्द्र, राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से सम्मिलित रूप से है। जहां तक केन्द्र सरकार का सम्बन्ध है मैंने इन सिफारिशों की स्थिति पहले स्पष्ट कर दी है। फिर भी यह बात माननी होगी कि प्रत्येक राज्य सरकार को अपने-अपने स्तर पर ये सिफारिशें स्वीकार करनी होंगी और साथ ही उनके कार्यान्वयन की जिम्मेदारी भी उठानी होगी। इन मामलों में सम्बन्धित राज्य सरकारों को विभिन्न स्तरों पर बार-बार लिखा जा चुका है। नई दिल्ली में 10 जुलाई, 1985 को हाल ही में जब केन्द्रीय सैनिक बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमन्त्री या मन्त्री स्तर के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो मैंने इस अवसर का लाभ उठाते हुए उनसे यह बात जोर देकर कही थी कि ये सिफारिशें जल्दी स्वीकार करने तथा कार्यान्वित किये जाने की जरूरत है। सदन को यह सूचित करते हुए मुझे खुशी है कि केन्द्रीय सैनिक बोर्ड की बैठक में तथा मेरे पत्रों के उत्तर में अधिकांश राज्य सरकारों ने आमतौर पर मुझे अपने सहयोग और समर्थन देने का आश्वासन दिया है। मैं उनके द्वारा की जा रही कार्रवाई पर नजर रखे हुए हूँ और हम उन्हें इस बारे में बराबर स्मरण कराते रहते हैं। मुझे जहां एक ओर आशा है कि इन प्रयासों से काफी अच्छे परिणाम निकलेंगे, वहां यह भी स्वाभाविक है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में इनका प्रभाव अलग-अलग होगा।

माननीय सदस्य जानते ही हैं कि सरकार ने उच्च स्तरीय समिति के 23 जून, 1984 के संकल्प पर काफी तेजी से कार्रवाई की है। इस के परिणामतः सरकार ने 01 सितम्बर, 1984 से उन

रक्षा पेंशनरों को तदर्थ अनुग्रहपूर्वक अदायगी मंजूर कर दी है जो 01 जनवरी, 1973 से पहले सेवा-निवृत्त हुए थे। इस पर प्रतिवर्ष 14.50 करोड़ रुपया खर्च होगा। इसी तरह जो सेना अफसर तथा कार्मिक 31 दिसम्बर, 1963 से पहले सेवानिवृत्त हो गए थे या जिनकी मृत्यु हो गई थी उनके मामलों में साधारण परिवार पेंशन मंजूर करने के आदेश भी हाल ही में जारी कर दिए गए हैं। जो अन्य रैंक रिजर्विस्ट 01 मार्च, 1968 से पहले पेंशन स्थापना को स्थानांतरित किए गए थे उनके परिवार भी अब परिवार पेंशन पाने के हकदार हो गए हैं। उच्च स्तरीय समिति की इस सिफारिश पर सरकार के निर्णय से लगभग 30,000 विधवाओं तथा सेना अफसरों तथा कार्मिकों के पात्र बच्चों को लाभ होने की संभावना है। सरकार उच्च स्तरीय समिति की अन्य सभी सिफारिशों पर शीघ्र निर्णय लेने तथा उनका कार्यान्वयन शुरू करने के लिए बराबर उतनी ही उत्सुक है।

अनुबन्ध-1

उन सिफारिशों की सूची जिन्हें स्वीकार कर लिया गया है / आंशिक रूप से स्वीकार किया गया है या स्वीकार किए जाने की संभावना है या जो उसी स्वरूप की सिफारिशें हैं (वक्तव्य का पैरा 8 देखें)।

स्वीकृत

क्रम सं०	सिफारिश सं०	विषय
1.	15.2	भूतपूर्व सैनिक की परिभाषा।
2.	15.6	भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार देने का विशेष अभियान।
3.	15.7	बाद में समूह "क" और "ख" के उपयुक्त पदों में नियुक्त किया जाना।
4.	15.8	सेवामुक्ति प्रमाण-पत्र में सुधार।
5.	15.11	भरती नियमों में परिवर्तन।
6.	15.12	राज्य तथा जिला सैनिक बोर्डों को फिर से सुदृढ़ किया जाना।
7.	15.13	सेवामुक्त अल्प सेवा कमीशन अफसरों का नियोजन।
8.	15.14	भूतपूर्व सैनिकों के लिए राष्ट्र-निर्माण कार्यों में अवसर प्रदान करना।
9.	15.18	58 वर्ष तक की उम्र के लिए पक्का रोजगार मंजूर कर लिए जाने के बाद छूट आदि बन्द किया जाना।
10.	15.26	सेवा के अन्तिम 18 महीनों के दौरान कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण की व्यापक सुविधाएं।
11.	15.27	अफसरों के पुनर्वास प्रशिक्षण की औपचारिक सुविधाएँ।
12.	15.28	सेनाओं द्वारा सेवानिवृत्त कार्मिकों के लिए लाभपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम।
13.	15.29	सैनिक अर्हताओं, ट्रेडों तथा व्यावसायिक अनुभव को समकक्ष सिविल योग्यताओं के अनुरूप मानना।
14.	15.32	केन्द्र तथा राज्य सरकार के स्तरों पर आरक्षण की सांविधिक व्यवस्था जिससे कि भूतपूर्व सैनिकों को अपना रोजगार चलाने में सहायता मिल सके।
15.	15.33	भूतपूर्व सैनिकों को छोटी-छोटी स्वरोजगार परियोजनाओं को शुरू करने के लिए सेनाओं द्वारा प्रोत्साहन।

16.	15.34	भूतपूर्व सैनिकों को अपना रोजगार चलाने में केन्द्र/राज्य सरकारों द्वारा प्राथमिकता।
17.	15.35	भूतपूर्व सैनिकों द्वारा रक्षा उद्योगों के लिए सामान के निर्माण के लिए सहायक यूनिटें।
18.	15.40	सेवा कार्मिकों की पेंशन मंजूर करने का काम फिर से व्यवस्थित करना।
19.	15.41	पेंशन मंजूर करने और भुगतान करने की सरल विधि।
20.	15.42	नियंत्रक, रक्षा लेखा (पेंशन),इलाहाबाद के पास उपलब्ध मौजूदा सुविधाओं में सुधार।
21.	15.43	1-1-1984 से पहले के पेंशनरों की विधवाओं को परिवार पेंशन।
22.	15.46	आचरण संहिता।
23.	15.47	मुख्य मन्त्री, अन्य मन्त्री तथा वरिष्ठ सेना अधिकारी अपने दौरों के समय भूतपूर्व सैनिकों से मिलें।
24.	15.48	मुख्य मन्त्रियों और कलेक्टरों तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिए सैनिक सम्मेलन की व्यवस्था फिर से लागू करना।
25.	15.49	राज्य सरकारों तथा जिला प्रशासनों द्वारा समय पर सहायता और भद्र व्यवहार।
26.	15.50	सेना कार्मिक भूतपूर्व सैनिकों से सम्पर्क बनाए रखें।
27.	15.51	सेना मुख्यालय सेवानिवृत्ति-पूर्व पुनश्चर्या पाठ्यक्रम शुरू करें।
28.	15.52	भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षार्थियों को लाल बहादुर शास्त्री अकादमी में प्रशिक्षण देते समय भूतपूर्व सैनिकों के बारे में भी बताया जाए।
29.	15.53	भूतपूर्व सैनिकों को अनुशासन और आचरण का उच्च स्तर बनाए रखना चाहिए।
30.	15.54	रक्षा कार्मिकों की जमीन सुरक्षित रखने के लिए भूमि सुधार अधिनियम और नियमों में संशोधन और फालतू जमीन देने के समय भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण।
31.	15.55	राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के आवास बोर्ड कम से कम 10% मकान/प्लाट भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रखें।
32.	15.57	सेवानिवृत्त होने वाले जिन रक्षा कार्मिकों के बच्चे केन्द्रीय विद्यालयों में पढ़ते हैं उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद उस स्थान पर केन्द्रीय विद्यालय में स्वत: प्रवेश दिया जाए जहां वह रहने लगता है।
33.	15.59	सैनिक अस्पतालों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए सुविधाएं बढ़ाई जाएं।
34.	15.60	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र भूतपूर्व सैनिकों का मुफ्त इलाज करें।
35.	15.61	जहां बड़ी संख्या में भूतपूर्व सैनिक रहते हों उस जिले में कैंटीन सुविधा दी जाए।

36.	15.62	पुनर्वास महानिदेशालय का पुनर्गठन।
37.	15.63	पुनर्वास महानिदेशालय का स्वरूप बदलना।
38.	15.64	सैनिक बोर्ड संगठन सुदृढ़ करना।
39.	15.65	क्षेत्रीय पुनर्वास निदेशालयों को मजबूत बनाना और स्थैतिक मुख्यालयों में स्टाक की व्यवस्था।
40.	15.66	रोजगार के लिए पंजीकृत कार्मिकों के बारे में रोजगार के उपयुक्त आंकड़े रखने की प्रणाली।
41.	15.67	सभी माध्यमों से बड़े पैमाने पर प्रचार।
42.	15.68	भूतपूर्व सैनिकों के लिए नई पुस्तिकाएँ/पेम्फलेट।

43. आंशिक रूप से स्वीकृत

1.	15·56	सेवानिवृत्त होने वाले रक्षा कार्मिकों के लिए किराया नियंत्रण कानून में ऐसी व्यवस्था की जाए कि वे प्राथमिक कार्रवाई के बाद ही अपने मकान आदि खाली करा सकें। मकान बनाने के लिए रियायती दर पर ऋण।
2.	15.58	भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों को व्यावसायिक संस्थानों में प्रवेश देने के लिए राज्य सरकारें आरक्षण सुविधा और रियायत की व्यवस्था करें।

जिनकी स्वीकृत होने की संभावना है

1.	15.1	1991 की जनगणना में भूतपूर्व सैनिकों की अलग श्रेणी के रूप में गणना।
2.	15.9	राज्य/जिला सैनिक बोर्डों तथा रोजगार दफ्तरों द्वारा आरक्षित तथा गैर-आरक्षित पदों के लिए भूतपूर्व सैनिकों को भेजना।
3.	15.10	भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पदों का अनारक्षण उपयुक्त व्यक्ति में मिलने की पुष्टि के लिए 30 दिन पिछले एक साल के आरक्षित पदों को अगले साल के लिए ले जाना।

अन्य लोगों पर भी प्रभाव डालने वाली सिफारिशें

1.	15.16	सिविल विभागों में उपलब्ध पदों के लिए अपेक्षित पात्रता आदि के बारे में व्यापक आंकड़े रखना।
2.	15.17	58 वर्ष की उम्र तक के लिए नौकरी देने की निश्चित सम्भावनाएँ।

अनुबन्ध-2

निश्चित रोजगार से सम्बन्धित सिफारिशें जो विचाराधी * (वक्तव्य का पैरा 10 देखें)।

क्रम सं०	सिफारिश सं०	विषय
1.	15.15	58 वर्ष की उम्र तक निश्चित रोजगार।

अनुबन्ध-3

प्रस्तावित अधिनियम तथा सम्बद्ध मामलों से सम्बन्धित सिफारिशें जो विचाराधीन हैं। (वक्तव्य का पैरा 11 देखें)

क्रम सं०	सिफारिश सं०	विषय
1.	15.3	राष्ट्रीय भूतपूर्व सैनिक पुनर्वास अधिनियम और राज्यों के लिए आदर्श अधिनियम का प्रारूप।
2.	15.4	संसद के दोनों सदनों के सदस्यों की संसदीय समिति का गठन।
3.	15.5	भूतपूर्व सैनिक पुनर्वास आयोग (या आयुक्त) की स्थापना।

अनुबन्ध-4

भूतपूर्व सैनिकों तथा सातवीं पंचवर्षीय योजना से सम्बधित सिफारिशें जो विचाराधीन है (वक्तव्य का पैरा 12 देखें)।

1.	15.30	केन्द्र में एक राष्ट्रीय भूतपूर्व सैनिक वित्त निगम की स्थापना।
2.	15.31	प्रस्तावित निगम भूतपूर्व सैनिकों को अपना रोजगार चलाने के लिए सभी सहायता तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था कर सकता है।
3.	15.44	केन्द्र स्तर पर 170 करोड़ रु० और राज्य स्तर पर 180 करोड़ रुपए के योजना परिव्यय का प्रस्ताव।
4.	15.45	सिफारिश 15.44 के अनुसार धन के आवंटन को सातवीं पंचवर्षीय योजना के पाँच वर्ष की अवधि में बाँटना।

अनुबन्ध-5

पुनर्नियोजन और पेंशन नीति से सम्बन्धित शर्तों सम्बन्धी सिफारिशें जो विचाराधीन हैं (वक्तव्य का पैरा 13 देखें)।

1.	15.19	भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्नियोजन के समय लागू आदेशों तथा सुविधाओं के बारे में सरल तथा समान नियम।
2.	15.20	भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्नियोजन पर गैर-पेंशनर को अपनी पूरी सैनिक सेवा को पाँच वर्ष तक के लिए और उसके बाद के पाँच वर्ष तक उस सेवा के 50% भाग को जोड़ने की अनुमति ताकि उसे वेतन वृद्धि का लाभ हो सके लेकिन वरिष्ठता का नहीं।
3.	15.21	आपाती कमीशन तथा अल्पसेवा कमीशन के जिन अफसरों ने कमीशन पूर्वी प्रशिक्षण लिया या जिन्हें 1-11-1962 के बाद लेकिन 10-1-1968 से पहले कमीशन दिया गया था उनकी वरिष्ठता तथा वेतन का निर्धारण।
4.	15.22	अल्पसेवा के जिन कमशीशन अफसरों को 10-1-1968 को या उसके बाद कमीशन मिला था उन्हें पुनर्नियोजन पर पहले पाँच वर्षों तक पूरी सैनिक सेवा और उसके बाद के पाँच वर्षों तक 50% सेवा जोड़ने की अनुमति दी जाए जिससे उन्हें वेतन का लाभ हो सके परन्तु वरिष्ठता का नहीं।

5. 15.23 पुनर्नियोजन पर भूतपूर्व सैनिकों को अपनी पूरी सैनिक सेवा जोड़ने की अनुमति हो ताकि उन्हें विभिन्न प्रकार के ऋण, अग्रिम तथा परिवार आवास पाने की सुविधा मिल सके।

6. 15.24 सरकारी नौकरियों में पुनर्नियोजित अफसर पेंशनरों की छूट योग्य पेंशन की सीमा (250 रुपए) बढ़ाई जाए।

7. 15.25 पुनर्नियोजित भूतपूर्व सैनिकों की उच्च पद या ग्रेड में पदोन्नति होने पर पिछले मूल वेतन की सुरक्षा और उच्च ग्रेड में एक वेतनवृद्धि।

8. 15.36 पिछले पेंशनरों के लिए पेंशन नीति की समीक्षा करने की दृष्टि से चौथे वेतन आयोग के विचारार्थ विषय-सूची में संशोधन।

9. 15.37 रैंक के लिए रैंक पेंशन और पेंशन बढ़ने पर पुराने पेंशनरों की पेंशन भी बढ़ाना।

10. 15.38 जीवन निर्वाह खर्च को पेंशन से जोड़ने के लिए एक स्थाई समिति की नियुक्ति।

11. 15.39 पेंशन के संराशीकृत अंश को फिर से चालू करना।

अध्यक्ष महोदय : क्या इस विस्तृत वक्तव्य के बाद कुछ और स्पष्टीकरण की भी जरूरत है ?

श्री कमलनाथ : जी हां, बहुत कुछ। इन्होंने कार्य और भी कठिन बना दिया है।

तत्कालीन राज्य रक्षा मन्त्री श्री के० पी० सिंह देव की अध्यक्षता में गठित उच्चस्तरीय समिति ने एक विस्तृत और अच्छी रिपोर्ट तैयार करके प्रस्तुत की थी।

अध्यक्ष महोदय : दस मिनट।

श्री कमलनाथ : ठीक है। आप हर वस्तु को सीमित कर रहे हैं।

सौभाग्यवश श्री के० पी० सिंह देव यहां हैं। समिति ने अपनी रिपोर्ट समय पर दे दी थी। प्रस्तावना में, जो काफी दिलचस्प है, तत्कालीन राज्य रक्षा मन्त्री श्री के० पी० सिंह देव ने विस्टन चर्चिल, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी, स्वर्गीय पण्डित जवाहर लाल नेहरू को तो उद्धृत किया ही है, एक युद्ध कब्रिस्तान से समाधि लेख को भी उद्धृत किया है।

12.23 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

हमें भूतपूर्व सैनिकों की समस्या की गम्भीरता और महत्व से अवगत होना चाहिए। समस्या की गम्भीरता और भी बढ़ जाती है जब हम यह देखते हैं कि प्रति वर्ष 31 और 45 वर्ष की आयु वर्ग में 20,000 सैनिक सेवानिवृत हो रहे हैं। इस समय लगभग चार लाख भूतपूर्व सैनिक हैं। यह एक अत्यन्त गम्भीर महत्व का विषय है और मैं रक्षा मन्त्री महोदय को बधाई देता हूँ कि उन्होंने शीघ्रता से कार्यवाही की क्योंकि नई सरकार पहली जनवरी से सत्ता में आयी है। इस वक्तव्य में जो उन्होंने शीघ्र कार्यवाही की बात कही है, उसके अनुसार कुल 68 सिफारिशों में से 36 का सम्बन्ध केन्द्रीय सरकार से है। इन 68 सिफारिशों में से 42 को स्वीकार कर लिया गया है, 19 पर अभी विचार चल रहा है और 7 को या तो आंशिक रूप से स्वीकार किया गया है या फिर वे पारिणामिक है।

मैं यह समझता हूँ कि शताब्दियों का सैन्य इतिहास—कुरु क्षेत्र के युद्ध से लेकर वियतनाम की लड़ाई तक—मनुष्य की शस्त्रों पर विजय का द्योतक है। मेरे विचार से हम्बरगर और कोकाकोला पर पले अमरीकी सैनिकों की वियतनाम में पराजय का यही कारण है। सौभाग्यवश, हमारे जवान अमरीकी सैनिकों से अलग हैं।

हमारे जवान कहीं अधिक योग्य और संसक्त समाज का हिस्सा हैं और उनकी जड़ें एक ऐसे समाज में हैं जो भारतीय लोकाचार पर आधारित है। पिछले वर्ष मैं स्वयं 18000 फुट की ऊँचाई पर स्थित उत्तरी क्षेत्र के कुछ दूर-दराज क्षेत्रों में गया था, जहाँ हममें से बहुत कम लोग जाते हैं। उस समय श्री के० पी० सिंह देव ने मुझसे कहा था कि यदि मैं वहां गया तो मर जाऊँगा। मैंने वहाँ जाकर सैनिकों और अधिकारियों से बातचीत की। मैंने उनसे जिन कठिन परिस्थितियों में वे रह रहे थे उनके बारे में पूछा। मैंने उनसे पूछा कि उन्हें सबसे ज्यादा चिन्ता किस बात की है? उन्होंने कहा "जब हम सेवा निवृत्त होंगे तो हमारा क्या होगा?" उन्हें इस बात की अधिक चिन्ता नहीं है कि वे बहुत कठिन परिस्थितियों में रह रहे हैं, उन्हें प्राकृतिक खतरों का सामना करना पड़ता है; उन्हें सबसे ज्यादा चिन्ता इस बात की है कि सेवा निवृत्त होने के बाद उनका क्या होगा? वे फिर से राष्ट्रीय मुख्यधारा का और वह भी अधिक मुख्यधारा का हिस्सा किस प्रकार बन पायेंगे? अतः हमें सैनिकों के सेवा निवृत्त होने के बाद की अवधि का ध्यान रखना है। मेरे विचार से 'पुनर्वास' शब्द का भूतपूर्व सैनिकों के सन्दर्भ में प्रयोग घटना अत्यन्त अनुचित है। हम उनका पुनर्वास नहीं कर रहे हैं, हमारा कुछ दायित्व है और ऐसा करना उनकी सेवा की शर्तों का एक हिस्सा होना चाहिए। पुनर्वास बोर्डों का गठन करना ही पर्याप्त नहीं है। पुनर्वास से आपका क्या तात्पर्य है? वे कोई शरणार्थी नहीं है जिनका हमें पुनर्वास करना है। वे हमारे समाज का एक हिस्सा हैं जिन्होंने देश को अपने जीवन के श्रेष्ठ वर्ष अर्पित किये हैं। उनके सेवा निष्पादन को आप इस बात पर नहीं तौल सकते कि उन्होंने क्या लिया और क्या दिया बल्कि उन्होंने कितनी निष्ठा, समर्पण और जी-जान से देश की सेवा की, इस बात को ध्यान में रखना होगा। उनके असैनिक क्षेत्र में वापस आने पर इसी बात को ध्यान में रखकर हमें उनकी समस्याओं, कठिनाइयों को देखना है।

जहाँ तक उच्च स्तरीय समिति, जिसने 68 सिफारिशें की हैं, की रिपोर्ट में उठाये गये मुद्दों का सम्बन्ध है, रक्षा मन्त्री महोदय ने तुलना करते हुए कहा कि इससे अ-सैनिक सेवाओं पर भी प्रभाव पड़ेगा। इस मामले में किसी अन्य के साथ तुलना क्यों की जाए? उन्हें दी जाने वाली सुविधाओं और लाभों की तुलना असैनिक सेवाओं के साथ क्यों की जाए? रक्षा मन्त्री महोदय ने उल्लेख किया है कि असैनिक पक्ष को भी ध्यान में रखना होता है। मैं इससे सहमत नहीं हूँ क्योंकि हमें इस मामले को इसके साथ बिलकुल नहीं जोड़ना चाहिए। जब हमें कुछ सुविधाएँ, विशेषाधिकार आदि देने होते हैं तो हम असैनिक सेवाओं के साथ तुलना करने लगते हैं। मैं समझता हूँ कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए; मैं इस बात पर उनसे बिलकुल सहमत नहीं हूँ। वास्तव में भूतपूर्व सैनिकों को सैद्धांतिक रूप से असैनिकों से ऊपर मानना चाहिए और यदि हम असैनिक सेवाओं के साथ या अन्य सेवाओं के साथ सैनिक सेवाओं की तुलना करने लगेंगे तो स्थिति ज्यों की त्यों बनी रहेगी और उसमें कोई सुधार नहीं हो पायेगा क्योंकि पिछले 20 वर्षों से भूतपूर्व सैनिकों की समस्या पर विचार किया जा रहा है, रिपोर्टें प्रस्तुत की गई हैं, अनेक भाषण दिये गए हैं, समितियां बनायी गई हैं किन्तु हुआ कुछ ज्यादा नहीं है। पहला कदम होता है समिति का गठन करना। उसके बाद समिति सिफारिशें देती है, तब उनकी जाँच की जाती है और उन्हें स्वीकार किया जाता है। सिफारिशों को स्वीकार करना तो मामले की शुरूआत होती है, मामले का अन्त नहीं क्योंकि सिफारिशें स्वीकार किये जाने के बाद उनके कार्यान्वयन का प्रश्न आता है और फाइल या किसी कागज के टुकड़े पर किसी सिफारिश को स्वीकार करने का तब

तक कोई औचित्य नहीं रहता जब तक उस व्यक्ति को लाभ नहीं पहुंचता जिसके लिए सिफारिश की गई है।

महोदय, वास्तव में भूतपूर्व सैनिकों के लिए उनकी सेवा-निवृत्ति के बाद किसी व्यवसाय की व्यवस्था करने की जरूरत है। इस बारे में उच्च स्तरीय समिति ने भी सिफारिश की है लेकिन इस पर अभी भी विचार किया जा रहा है। 42 सिफारिशों में से जिन्हें यहां स्वीकार किया गया है, इसे उनमें शामिल नहीं किया गया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अन्तर विभागीय बैठकें होती हैं। यह बहुत अच्छा है। सेवा में आने पर उन्हें दूसरे पेशे का आश्वासन भी दिया जाना चाहिए क्योंकि वे बहुत युवा अवस्था में सेवानिवृत्त हो जाते हैं और हम अनुरोध करते हैं कि रक्षा मन्त्री जी को इस पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण सिफारिश है।

सिफारिशों में जो दूसरी बात है, जिसे स्वीकार किया गया है, वह स्वतः रोजगार के बारे में है परन्तु कोटे का निर्धारण गलत है जबकि हम उन्हीं के लिए कुछ चीजें बनाते तो हम उन्हें केवल कोटा ही क्यों देते हैं? माननीय मन्त्री ने कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए भी कुछ कानून है। हमें उन्हें अनुसूचित जातियों और जनजातियों के बराबर क्यों रखना चाहिए? यह कोटे का प्रश्न नहीं है। उसको पूरी तरह से उनके लिए एक तरफ रखा जाना चाहिए और उदाहरण के लिए यदि हम पेट्रोल पम्प या गैस एजेंसी जैसे एक मामले को लें तो हमें देखना चाहिए कि इसे पूरी तरह से भूतपूर्व सैनिकों को दिया जाना चाहिए। यदि भूतपूर्व सैनिकों की ओर से कोई आगे नहीं आता है, तभी ये रोजगार असैनिकों को दिए जा सकते हैं।

एक माननीय सदस्य : या कुछ समय बाद इन्हें असैनिकों को दिया जा सकता है।

श्री कमल नाथ : जी हाँ, कुछ समय सीमा हो सकती है या कुछ प्रतिशत निर्धारित किया जा सकता है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोटा और आरक्षण के मामले में हमारी नजर में धुंधलापन या अस्पष्ट विचार न हो। हमें वह नहीं करना चाहिए। अब मैं उस प्रश्न पर सीधे आता हूं जिसको मैं उठाना चाहता हूँ।

इन भूतपूर्व सैनिकों की समस्याएं अनेक प्रकार की हैं। वे बहुत गहरी हैं और भूतपूर्व सैनिकों की अनेक आशाएँ, और आकांक्षाएं हैं। रक्षा मन्त्री जी से मेरा यह प्रश्न है कि अब 42 सिफारिशें स्वीकार कर ली गयी हैं, तो वास्तविक लाभ भोगियों को इन सिफारिशों का लाभ तब तक प्राप्त होगा? स्व-नियोजन के बारे में सिफारिश स्वीकार कर ली गई है। लेकिन इसका लाभ उन्हें कब तक मिलेगा? इस पर पहले भी बहस की गई है। सिर्फ यह कहना कि उन्हें 5,000 रुपए का ऋण दिया जाएगा। और उस पर 4 प्रतिशत या इसके लगभग ब्याज लिया जाएगा। काफी नहीं होगा। ये सभी चीजें पुरानी हो गई हैं। वे सभी न तो प्रयोजनात्मक है और नहीं व्यावहारिक। निर्यात वित्त निगम की तरह भूतपूर्व सैनिकों के लिए हमारे पास वित्त निगम कार्य नहीं होना चाहिए। आप उन्हें गैस ऐजेंसी, पेट्रोल पम्प या डीजल पम्प देने पर कब विचार कर रहे हो। आप कुछ कोटा या आरक्षण के बारे में क्यों सोचते हो? हमें उन्हें इसे पूरी तरह क्यों नहीं दे दिया जाना चाहिए?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मन्त्री···

श्री अजय मुशरान (जबलपुर) : मैं उल्लेख करना चाहता हूँ···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मन्त्री महोदय के जवाब देने के पश्चात आप बोल सकते हैं।

रक्षा मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : मेरे पास उत्तर देने के लिए विशेष मुद्दे नहीं हैं।

सामान्यत: मैं श्री कमलनाथ द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से सहमत हूँ। मैं उनको आश्वासन देना चाहता हूं कि सरकार इन पर विचार कर रही है और जवानों से जब वह बात करने गए थे उससे बहुत समय से पहले सम्भव कदमों को उठाया जा रहा है। अंत: जवानों की इच्छा के बारे में उनके द्वारा दी गई सूचना के लिए मैं उनका धन्यवाद करने के साथ मैं उनको आश्वासन देना चाहता हूँ कि सीमा पर जवानों के दु:खों के बारे में सरकार पूरी तरह से सचेत है। हम इन दु:खों को निपटाने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं।

जैसा कि मैंने कहा कि सिफारिशों पर लिए गए निर्णय या कुछ सिफारिशों के कार्यान्वयन जारी रहने वाली प्रक्रिया है। यदि आप मुझसे पूछते हैं कि इसे कब तक किया जाएगा तो मेरे पास वास्तव में इसका कोई जवाब नहीं है क्योंकि इसका कोई जवाब नहीं हो सकता है। 50,000 से 70,000 तक के बीच के सैनिकों का नया बैच प्रति वर्ष सेना में से बाहर आ रहा है। अत: यह जारी रहने वाली प्रक्रिया होगी।

वास्तव में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में जो कार्यान्वयन में होने वाले विलम्ब के बारे में विचार किए जाने पर जोर दिया गया। मैं कहना चाहता हूँ कि विलम्ब नहीं किया जाता है। निर्णय लिए जाते हैं, जैसे ही निर्णय लिए जाते हैं, वैसे ही कार्यान्वयन शुरू कर दिया जाता है। हम सभी सिफारिशों की प्रतीक्षा नहीं करते हैं चाहे उन्हें स्वीकृत किया जाता हो या अस्वीकृत किया जाता हो। हम तुरन्त कार्रवाई करते हैं। मैंने पहले ही बताया है कि क्या कार्यवाही की जा रही है। ऐसे कुछ मामले हैं जिन पर हम अपने आप निर्णय नहीं ले सकते हैं। राज्य सरकारों को निर्णय लेना होता है और उन्हें लागू करना होता है।

हमें वित्त मन्त्रालय, योजना आयोग तथा कार्मिक विभाग से परामर्श करने के बाद निर्णय लेना होता है। मैंने सदन को उन मामलों के बारे में भी बताया है जिनको उन्हें सौंपे गए हैं। श्री के० पी० सिंह देव जिनके पास अब दूसरा विभाग है, को इस पर विचार करना होगा और हमें बताना है कि क्या किया जाए। केवल तभी निर्णय लिए जा सकते हैं। जहाँ तक हो सकता है हम मन्त्रालय में निर्णय ले सकते हैं और वे कार्यान्वयन के लिए प्रगति पर है। आदेश जारी किए गए हैं। परन्तु जैसा कि बताया गया है कि इन आदेशों के चल रहे आधार पर कार्यान्वित किया जाएगा। मैं जबकि मुझसे संसद एक सत्र से दूसरे सत्र, छ: महीने से दूसरे छ: महीने और एक वर्ष से दूसरे वर्ष तक रिपोर्ट चाहेगा, मैं संसद को रिपोर्ट देने के लिए तैयार हूं। मैं संसद को, इस मामले में हुई प्रगति की रिपोर्ट देने के लिए तैयार हूँ। हम इन सभी बातों पर समान रूप से उत्सुक हैं। मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ वह यही है।

श्री अजय मुशरान (जबलपुर) : सबसे पहले, मैं रक्षा मन्त्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि अभी हाल ही में उन्होंने घोषणा की है कि निर्दिष्ट तारीख से पहले जो लोग सेवानिवृत्त हो जाते थे या जिनका देहान्त हो जाता था उन पर लागू होने वाली पारिवारिक पेंशन अब अन्यों पर भी लागू होगी। मैं समझता हूँ कि यह विशिष्ट रूप से भारत सरकार की वास्तविकता को साबित करती है कि यह भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण में दिलचस्पी लेती है और उन्हें कुछ सुविधाएँ देना चाहती है।

भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं पर विस्तार से विचार करने के लिए उच्च स्तरीय समिति के गठन के बारे में हमें न तो सन्देह है और न ही भारत सरकार द्वारा समिति की सिफारिशों को जोर-शोर से लागू करने में कोई झिझक है, भूतपूर्व सैनिक होने के नाते हमें विश्वास है कि हमारा सुख हमारी आवश्यकता और हमारा कल्याण माननीय रक्षा मन्त्री और माननीय प्रधान मन्त्री के हाथों में पूरी

तरह सुरक्षित है। हमें पूरा विश्वास है और पूरी आशा है कि आने वाले समय में हम इन सभी निर्णयों को कार्यान्वित करा सकेंगे, चाहे इसकी एजेंसी भारत सरकार हो या सेवाओं के प्रमुख हों या राज्य सरकारें हो या सरकारी क्षेत्र के उपक्रम हों या निजी क्षेत्र हों। लेकिन इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य यह है कि विलम्ब को माननीय मन्त्री के ध्यान में लाना है जो कार्यान्वयन शुरू करने के चरण के बाद होता है। होता यह है कि उच्च स्तरीय समिति के प्रतिवेदन की सिफारिशों पर भारत सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के बाद इसे कार्यान्वयन के लिए विभिन्न एजेंसियों के पास जाना होता है। क्या यह मन्त्रालय, सेनाध्यक्ष, नौसेनाध्यक्ष, वायुसेनाध्यक्ष की जिम्मेदारी नहीं है कि उनके एजेंसियों के माध्यम से जो कि ठीक जिला स्तर तक मौजूद हैं। कार्यान्वयन में की जा रही प्रगति को देखें और यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक भूतपूर्व सैनिक को वास्तविक लाभ मिलें।

दो प्रकार के भूतपूर्व सैनिक होते हैं। एक प्रकार का भूतपूर्व सैनिक वह होता है जो अपनी सेवानिवृत्ति के बाद की समस्याओं को शुरू से जब से उसने सेना में प्रवेश किया था, देखते हैं। जब वह भगवान या पूर्वज की कृपा से सेवानिवृत्ति हो जाता है तो उसे भूमि मिलती है, वह कुछ व्यापार करता है या अपनी पेंशन के अलावा कुछ अलग से आय प्राप्त करता है। दूसरे प्रकार का भूतपूर्व सैनिक वही होता है जो अफसर नहीं है जो अच्छी तरह से व्यवस्थित नहीं है, जिसके पास आश्रय के लिए कुछ नहीं है। यह वह व्यक्ति है जिसके कार्यान्वयन में विलम्ब करने से कठोर चोट पहुँचती है और सेनाध्यक्ष के स्तर पर जांच की कमी के कारण या राज्यों के स्तर पर या सरकारी क्षेत्र उपक्रमों के स्तर पर····· (व्यवधान)

श्री कमल नाथ : तीसरे किस्म का भी भूतपूर्व सैनिक वह होता है जो राजनीति में प्रवेश लेता है।

श्री अजय मुशरान : राजनीति अत्यन्त अस्थायी कार्य है। आपने भूतपूर्व सैनिकों के दुर्भाग्य को देखा है कि ध्यानाकर्षण बैल्ट पर भी भूतपूर्व सैनिकों का नाम आखिर में आया है। अतः मैं आशा करता हूँ कि कम से कम आपके स्तर पर हम कुछ आरक्षण प्राप्त करेंगे···(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : जो भूतपूर्व सैनिक नहीं हैं वे सूची में नहीं हैं।

श्री अजय मुशरान : जैसा कि माननीय मित्र श्री कमल नाथ ने कहा कि यह व्यक्ति की प्रतिष्ठा है जिसे बनाए रखना है। यह भी एक सिफारिश है। मैं इसे माननीय मन्त्री महोदय के ध्यान में लाऊंगा कि हमारे देश में ऐसे कलक्टर हैं जो किसी कर्नल या ब्रिग्रेडियर को तीन सप्ताह तक नहीं देखते हैं। क्या किसी कलक्टर के पास कर्नल को पांच मिनट देने का समय नहीं है जो इसके साथ बात करना चाहता है ? क्या इसके लिए सांविधानिक औचित्य की आवश्यकता है या राज्य सरकार के स्तर पर महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यकता है ? मैं इन लोगों के नाम नहीं लेना चाहता हूं लेकिन लोग दुःख महसूस करते हैं। एक ऐसा ब्रिग्रेडियर है जिसने एक सूबेदार के कल्याण के बारे में सेनाध्यक्ष को लिखा था और ब्रिग्रेडियर को जबाव देना था शिष्टाचार उनके पास नहीं है। यह बात नहीं है कि हमें किसी रोजगार की आवश्यकता है। यह बात नहीं है कि हमें किसी आरक्षण की आवश्यकता है, यह नहीं है कि हमें अपनी अयोग्यता के आरक्षण के द्वारा भरने की आवश्यकता है। हम चाहते हैं कि हमारे साथ सम्माननीय व्यवहार होना चाहिए, हालांकि एक सिफारिश भी बताती है कि मुख्य मन्त्रियों और अन्य मन्त्रियों तथा वरिष्ठ सेना अफसरों को अपने दौरों की अवधि में भूतपूर्व सैनिकों को मिलना चाहिए। मैं नहीं जानता कि यह कब लागू की जा रही है। "मुख्य मन्त्रियों और कलेक्टरों द्वारा भूतपूर्व सैनिकों के लिए सैनिक सम्मेलन के पुनः प्रचलन की प्रक्रिया···" मैं नहीं समझता कि भारत में किसी कलेक्टर ने किसी भूतपूर्व सैनिक के साथ कोई बैठक की

है। इसमें यह भी कहा गया है "राज्य सरकारों और जिला प्रशासनों द्वारा सम्मानित व्यवहार तथा समय से सहायता···" मैं रक्षा मन्त्री महोदय के ध्यान में यह भी लाना चाहता हूँ कि भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण से सम्बन्धित केन्द्रीय सैनिक बोर्ड की अन्तिम बैठक में यह अधिकार राज्यों द्वारा आयोजित किया गया था कि जिन प्रतिनिधियों ने इन बैठकों में भाग लिया था वे ऊवर सचिव के स्तर तक के भी नहीं थे। ऐसे कुछ राज्य हैं जहां मुख्य सचिव द्वारा उनके मन्त्रियों द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है और कुछ ऐसे राज्य हैं जहां जिला सैनिक बोर्ड के सदस्य द्वारा या राज्य सैनिक बोर्ड के एक अधिकारी द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है। यह वह स्तर नहीं है जिस पर कल्याण कार्य किया जा सकता है।

भूतपूर्व सैनिक की आज मुख्य समस्या उसके मकान को खाली करना है। यदि कोई व्यक्ति एक मकान बनाता है और वह इसे खाली कराना चाहता है। ऐसे बहुत सी कानूनी समस्याएँ हैं जिन्हें इन कल्याण योजनाओं के बीच रखा गया है जिन्हें स्वीकार किया गया है। आज, कुछ ऐसे राज्य हैं जो एक ऐसे अधिनियम में आते हैं जिसके अन्तर्गत एक भूतपूर्व सैनिक या एक व्यक्ति जो अभी भी सेवा में है, वह अपना मकान खाली करा सकता है परन्तु अधिकांश राज्य विशेष कर संघ क्षेत्र दिल्ली में जहां भूतपूर्व सैनिकों की एक बड़ी संख्या प्रभावित है, को इससे लाभ नहीं मिला है। इसलिए मैं रक्षा मन्त्री महोदय से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि पंजाब तथा अन्य राज्यों में विशेषकर दिल्ली में जहां भूतपूर्व सैनिकों अथवा सैनिकों की बड़ी संख्या है वहां मुख्य मन्त्रियों के स्तर पर इन अधिनियमों को पारित करने के लिए विशेष प्रयास करने चाहिए क्योंकि एक सामान्य भूतपूर्व सैनिक न्यायालय में नहीं जा सकता। उसके पास न तो पैसा है और न ही समय। उनमें से कुछ जे०सी०ओ० या सिपाही के रैंक के लोग न्यायालय में जाने की जानकारी भी नहीं रखते हैं।

दूसरी समस्या सैनिकों और भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों के बारे में है। जहां उनका स्थानांतरण होता है वहां वे इंजीनियरिंग कालेज या मेडिकल कालेज या केन्द्रीय विद्यालय में आसानी से प्रवेश नहीं पाते हैं। मैंने वस्तुतः यह देखा और अनुभव किया है कि कोई भी राज्य भूतपूर्व सैनिकों को नहीं अपनाता है अतः यदि उसका लड़का या लड़की मेडिकल या इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के लिए प्रतियोगिता में उत्तीर्ण होते हैं तो उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाता है। मैं उन लोगों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ जिन्हें एक सौ में से 15 या 20 अंक मिलते हैं। भूतपूर्व सैनिकों ने जो देश के लिए सेवा की है वह उसका आभार चाहता है। जैसा कि श्री कमल नाथ ने कहा, उसके परिवार द्वारा बलिदान के लिए वह आभार चाहता है—जबकि अफसर और अन्य रैंक अननुकूल वातावरण और परिवार से दूर रहते थे। आज सिविल सेवाओं में यदि आप दो आई० ए० एस० के अधिकारियों को अर्थात पति और पत्नी को तीन महीनों के लिए अलग-अलग नियुक्त कर दे तो वे कहते हैं कि उन्हें भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। यहां कुछ ऐसे अफसरों और व्यक्तियों के उदाहरण हैं जिन्होंने परिवार रहित स्टेशनों पर लगातार 10 वर्षों से सेवा की है। उन्हें संरक्षण दिया जाना चाहिए उनका सम्मान प्रतिष्ठित होना चाहिए। उसके देय देन चाहिए यह मेरी सिफारिश है। अतः उनके बच्चों के लिए इंजीनियरिंग और मेडिकल कालेजों में दाखिले की उनकी मुख्य समस्या है ताकि भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों के भविष्य की सुरक्षा की जा सके।

दूसरे, भूतपूर्व सैनिकों या भूतपूर्व सैनिकों की विधवाओं को, विशेषकर दिल्ली और पंजाब में मिले मकानों को खाली करवाते समय सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाना चाहिए।

भूतपूर्व सैनिकों की देखभाल करने के मामले में हरियाणा श्रेष्ठ राज्य है। हरियाणा सरकार पर हमें गर्व है। हमें अन्य राज्यों पर भी गर्व है लेकिन अधिक गौरवान्वित हम तब महसूस करते जब

अन्य राज्य भी हमें वही सम्मान और गरिमा देते जो हमें पहले मिला करता था। अत: मैं यह कहना चाहता हूँ कि राज्य के अधिकारियों, जिला अधिकारियों और तीनों सेनाओं के अध्यक्षों को भूतपूर्व सैनिकों का उचित सम्मान करना चाहिए। मुझे खेद है कि यह बात मुझे रक्षा मन्त्री महोदय के ध्यान में लानी पड़ रही है लेकिन मैं समझता हूँ कि संसद सदस्य तथा भूतपूर्व सैनिक होने के नाते ऐसा करना मेरा कर्तव्य है।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : महोदय, मैं माननीय सदस्य, जो स्वयं भूतपूर्व सैनिक भी हैं और जिन्हें भूतपूर्व सैनिकों के बारे में विशेष जानकारी है, की भावनाओं से पूर्णतया सहमत हूँ।

महोदय, अगर मुझे यह स्पष्ट करना पड़े कि एक व्यक्ति विशेष की सिफारिश पर क्या कार्रवाई की गई, उस पर क्या निर्णय लिया गया, उसे कैसे कार्यान्वित किया जायेगा या कार्यान्वित किया गया है तो मेरे विचार से यह सब बता कर मैं सदन का बहुत समय व्यर्थ करूंगा। 68 सिफारिशों में से मैंने कुछ सिफारिशों का विश्लेषण किया है और इन पर कार्ययाही की गई है। इसी तरह अन्य कुछ सिफारिशों पर भी कुछ कार्यवाही की गई है। मैंने अलग-अलग अनुलग्नक दिए हैं। अगर कोई माननीय सदस्य या सदस्य गण पूछना चाहें तो मैं उन्हें इसमें से प्रत्येक सिफारिश से सम्बन्धित सम्पूर्ण सूचना या सिफारिश पर लिए गए निर्णय की जानकारी देने को तैयार हूँ। मैं उन्हें बताने को तैयार हूँ कि क्या किया गया है तथा इस सम्बन्ध में जो कुछ करने की जरूरत है और उस सम्बन्ध में उनके द्वारा दिए गए सुझावों को मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। मैं यह नहीं कह रहा कि और अधिक कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए तो उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। और इसीलिए उक्त समिति की सिफारिशों के तुरन्त बाद हम ये सब सुझावों पर विचार कर रहे हैं। मैं सदन को यह भी बता देना चाहता हूँ कि हम अपने स्तर पर अनेक नए कदम उठाने पर विचार कर रहे हैं। सोच-विचार अभी जारी है क्योंकि अभी ये जांच-स्तर पर हैं। फिलहाल मैं उनका उल्लेख नहीं करना चाहता क्योंकि अभी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा गया है। अत: मैं उन्हें उस रूप में सदन में प्रस्तुत नहीं करना चाहता। मैं इन्हें बाद में प्रस्तुत कर दूंगा। लेकिन इस बीच अगर कोई सदस्य यह जानना चाहे कि किसी सिफारिश विशेष पर क्या कार्यवाही की जा रही है या करने का विचार है तो मैं उन्हें सम्पूर्ण अपेक्षित सूचना देने के लिए तैयार हूँ। मुझे यही कुछ कहना है।

12.49 म०प०

संपरिवर्तनीय संचयी अधिमानी अन्शों के बारे में वक्तव्य

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : श्रीमान अध्यक्ष महोदय, जैसा कि सभा को विदित है, 16 मार्च, 1985 के अपने बजट भाषण में मैंने यह घोषणा की थी कि शेयर बाजार की गतिविधि में विविधता लाने के लिए, एक नए शेयर को, जिसका नाम 'परिवर्तनीय संचयी तरजीही शेयर' होगा, प्रचलित किया जाएगा। इन परिवर्तनीय संचयी तरजीही शेयरों के निर्गम से सम्बन्धित मार्ग-निर्देश अब तैयार कर लिए गए हैं और उनको सभा-पटल पर रखा जा रहा है।

12.49½ म०प०

विधेयक

(1) सरकारी बचत विधि (संशोधन) विधेयक*

[अनुवाद]

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : महोदय, मैं श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की ओर से प्रस्ताव करता हूँ कि सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1973 तथा सरकारी बचत पत्र अधिनियम 1959 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 तथा सरकारी बचत पत्र अधिनियम 1959 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

12.50 म०प०

(2) आसूचना संगठन (अधिकार निर्बन्धन) विधेयक**

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि आसूचना या प्रतिआसूचना के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित कुछ संगठनों के सदस्यों को लागू होने में संविधान के भाग 3 द्वारा प्रदत्त कुछ अधिकारों का निर्बन्धन करने का, जिससे कि उनके कर्त्तव्यों का उचित पालन और उनमें अनुशासन बनाए रखना सुनिश्चित रहे, उपलब्ध करने वाले विधेयक को पुरः-स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

कि आसूचना या प्रतिआसूचना के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित कुछ संगठनों के सदस्यों को लागू होने में संविधान के भाग 3 द्वारा प्रदत्त कुछ अधिकारों का निर्बन्धन करने का, जिससे कि उनके कर्त्तव्यों का उचित पालन और उनमें अनुशासन बनाए रखना सुनिश्चित रहे, उपलब्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री एस० बी० चव्हाण : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

---

*दिनांक 19-8-1985 के भारत के राजपत्र असाधारण भाग 2, खंड 2, में 19-8-1985 को प्रकाशित।

**दिनांक 19-8-85 के भारत के असाधारण राजपत्र असाधारण भाग 2, खण्ड 2 में प्रकाशित।

(3) उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) संशोधन विधेयक*

[अनुवाद]

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : श्री अशोक सेन की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) अधिनियम, 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) अधिनियम 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री एच० आर० भारद्वाज : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री गुलाम नबी आज़ाद।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आज हम मध्याह्न भोजनावकाश न करें।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से माननीय सदस्य यह बात स्वीकार कर लेंगे।

कुछ माननीय सदस्य : जी हां।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, यह बात स्वीकार की जाती है।

एक माननीय सदस्य : कल से ही.....

उपाध्यक्ष महोदय : हम आज ही करके देखते हैं। कल के बजाय हम आज ही कोशिश करके देखते हैं कि इससे कैसा काम चलता है।

12.52 म०प०

नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब नियम 377 के अन्तर्गत मामले। श्री एम० एल० शिकराम—अनुपस्थित हैं। श्री बाला साहेब विरवे पाटिल—अनुपस्थित हैं। अब श्री जैनुल बशर।

[हिन्दी]

(एक) इलाहाबाद विश्वविद्यालय और देश के अन्य पुराने विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने की आवश्यकता

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार और उच्च शिक्षा की परम्पराओं से देश के कुछ विश्व विद्यालय बहुत अधिक सम्बद्ध रहे हैं। इन विश्व-

*दिनांक 19-8-85 के भारत के असाधारण राजपत्र भाग2, खंड 2 में प्रकाशित।

विद्यालयों के बिना भारत की आधुनिक शिक्षा का कोई इतिहास ही नहीं बनता। इन विश्वविद्यालयों में इलाहाबाद विश्वविद्यालय का प्रमुख स्थान है। आजादी के बाद किन्हीं कारणों से इलाहाबाद सहित अन्य प्रमुख विश्वविद्यालयों जैसे कलकत्ता, मद्रास और बम्बई विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय विश्वविद्यालय नहीं बनाया गया। राज्य सरकारों के अधीन रहने के कारण इन विश्वविद्यालयों में शिक्षा और डिसीप्लिन का स्तर बराबर गिरता जा रहा है। उदाहरण के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो कि भारतीय शासनिक सेवाओं में अपने छात्रों को अधिक संख्या में भेजने में अग्रणी था, धीरे-धीरे पीछे होता जा रहा है।

19वीं और 20वीं शताब्दी में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे जाने वाले लोग बड़ी संख्या में इन्हीं विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी थे। इन विश्वविद्यालयों के स्तर गिरने से देश में परम्परागत अच्छी और उच्च स्तर की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध बहुत बड़े-बड़े भू-भाग में ऐसी शिक्षा के अवसर कम होते जा रहे हैं।

इन विश्वविद्यालयों में परम्परागत शिक्षा के स्तर को ऊँचा बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के साथ देश के पुराने विश्वविद्यालयों को राष्ट्रीय महत्व का विश्वविद्यालय घोषित किया जाए और इनको केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए।

(दो) उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर जिले के पहाड़ों और जंगलों को काटे जाने से बचाने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता

श्री उमाकान्त मिश्र (मिर्जापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के हमारे मिर्जापुर जिले में शताब्दियों से ज्यादातर पहाड़ और जंगल रहे हैं। यह जिला जंगली और पहाड़ी ही माना जाता रहा है। यद्यपि आर्थिक रूप से पिछड़ा होने के बावजूद यह जिला प्राकृतिक पर्यावरण की दृष्टि से उत्तम माना जाता रहा है। इस जिले के दक्षिणी भाग में जल विद्युत, तापीय विद्युत के अनेक कारखाने तथा अन्य बड़े उद्योगों की स्थापना के कारण काफी जंगल और पहाड़ साफ कर दिए गए। शेष जंगल लकड़ी के ठेकेदारों ने काट-कांटकर करोड़ों रुपया बनाया। पहाड़ों को भी मिट्टी तथा पत्थर के ठेकेदार अवैध रूप से बड़ी तेजी से तोड़ और काट रहे हैं। जो नए प्लान्टेशन तैयार किए जा रहे हैं, उनको भी वन विभाग के अधिकारी तथा ठेकेदार सांठ-गांठ करके काटकर मुनाफा कमा रहे हैं। जितना वन लगाया जा रहा है, उतना उससे ज्यादा साफ किया जा रहा है। पहाड़ों के पत्थर भी अवैध रूप से तोड़मोड़ कर पहाड़ समाप्त किए जा रहे हैं। इस प्रकार मिर्जापुर का प्राकृतिक स्वरूप नष्ट किया जा रहा है। इसका पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। फलस्वरूप मिर्जापुर जिला तथा आस-पास के क्षेत्र अतिवृष्टि, अनावृष्टि इत्यादि प्राकृतिक आपदाओं का शिकार हो रहे हैं।

केन्द्रीय सरकार से मेरा निवेदन है कि मिर्जापुर के जंगलों और पहाड़ों की रक्षा के लिए उचित कदम उठायें।

(तीन) पक्की सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार का वर्ष 1985-86 के दौरान 100करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता देने की आवश्यकता

श्री के० डी० सुलतानपुरी (शिमला) : उपाध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश स्वतन्त्रता के बाद विकास के कार्य में आगे बढ़ा और इस तरह अन्य राज्यों के बराबर स्थिति पाई। यहां का विकास सड़कों के बन जाने से अधिक हुआ क्योंकि पहले दूर-दराज के गांव में पहुंचना बहुत कठिन था और लोगों को बहुत कठिनइयों का सामना करना पड़ता था। आज सड़कें बन गईं और लोग इसे अपने भाग्य की रेखा समझते हैं और इससे ग्रामीण लोग लाभान्वित हो रहे हैं। परन्तु सैंकड़ों किलोमीटर

सड़कें इस प्रकार की हैं जो पक्की न होने के कारण अधिक वर्षा और बर्फ पड़ जाने के कारण बर्बाद हो जाती हैं। छोटे-छोटे पुल और पुलिया नदी के कटाव में नष्ट हो जाते हैं और जो सरकार द्वारा धन खर्च होता है सब बर्बाद हो जाता है। लोगों की दैनिक वस्तुएं खरीद करने की क्षमता खत्म हो जाती है। महंगाई का सामना करना पड़ता है। अतः इन सब निर्धनता पैदा करने वाली त्रुटियों का एक ही इलाज है कि भारत सरकार हिमाचल सरकार को वर्षा और बर्फ पड़ने के कारण सड़कों की तबाही बचाने के लिए इन मार्गों को पक्का करने तथा कटाव रोकने हेतु सरकार से इस साल 85-86 में 100 करोड़ रुपए की सहायता राज्य सरकार को दे ताकि इन कामों की पूर्ति की जा सके। राज्य सरकार इस स्थिति में नहीं है कि इस समस्या का समाधान कर सके क्योंकि राज्य सरकार के साधन सीमित हैं। मैं भारत सरकार के वित्त मन्त्री से प्रार्थना करूंगा कि उक्त धन तुरन्त देने के लिए पग उठाए जाएं।

(चार) सातवीं योजना के दौरान राजस्थान में पेयजल की सुविधाएं प्रदान करने के लिए योजनाएं

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान प्रान्त के थार रेगिस्तानी क्षेत्रों विशेषतः बाड़ोर, जैसलमेर एवं जोधपुर जिलों में पीने के पानी की समस्या राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा करोड़ों रुपए व्यय करने के उपरान्त भी अभी तक आधे से अधिक ग्रामों में गंभीर से गंभीरतम बनी हुई है।

उक्त जिलों के एक तिहाई भाग में पानी का कोई स्रोत नहीं है, दूसरे तिहाई भाग में पानी खारा है या बहुत कम है। जो नलकूप बनाए गए हैं उनमें से लाठी सिरीज को छोड़ कर बहुत कम पानी प्राप्त हुआ है और उसके अधिक उपयोग होने के कारण 25 वर्षों में ये नलकूप भी पानी देना बन्द कर देंगे। तब स्थिति विषम से विषमता हो जाएगी।

अतः नलकूपों और कुओं का निर्माण करके इस क्षेत्र की बढ़ती हुई आबादी के लिए स्थायी तौर से पीने के पानी की समस्या का हल नहीं किया जा सकता।

इतने विशाल क्षेत्र के मनुष्यों एवं पशुओं को पानी पिलाने का स्थायी हल राजस्थान केनाल यानी इन्दिरा केनाल द्वारा ही किया जा सकता है।

अतः केन्द्र से एवं राज्य सरकार से पुरजोर निवेदन है कि राजस्थान प्रान्त के बाड़मेर, जैसलमेर एवं जोधपुर जिलों के करीब दो हजार गांवों और जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, पोकरण, शेरगढ़, बालोतरा एवं फलोदी नगरों के लिए राजस्थान नहर के पोकरण लिफ्ट केनाल, कोलायत लिफ्ट केनाल एवं मोहनगढ से बाड़मेर लिफ्ट केनाल और लीलवा ब्रांच, जो सागरमल गोपा के नाम से पुकारी जाती है, के फलो केनाल की स्वीकृति देकर इन नहरों से पीने के पानी की योजनाएं बना कर सातवीं पंचवर्षीय योजना में इस बार रेगिस्तानी क्षेत्र में पीने के पानी की समस्या का स्थायी हल करें।

[अनुवाद]

(पांच) चिरकाल से सूखा प्रभावित क्षेत्रों में अकाल को समाप्त करने के लिए स्थायी उपाय करने की आवश्यकता

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी (हिंदूपुर) : देश के बहुत से क्षेत्रों में भयंकर सूखा पड़ा हुआ है। वहां के लोगों को लगातार सूखे का सामना करना पड़ रहा है। कम और अनिश्चित वर्षा के कारण अप्रत्याशित सूखा पड़ रहा है जिसके कारण लोग बहुत मुसीबत में पड़ गए हैं। लोगों की तकलीफों

को कम करने के लिए केवल अस्थायी प्रयास ही किए जा रहे हैं। भविष्य में पड़ने वाले सूखे से उन्हें बचाने के लिए किसी स्थायी उपाय पर न तो विचार किया गया है न ही कार्यान्वयन।

अत: केन्द्रीय सरकार को सूखा स्थायी तौर पर समाप्त करने के लिए एक वृहद योजना बनानी चाहिए तथा उसे कार्यान्वित करना चाहिए ताकि अधिक से अधिक व्यक्तियों और क्षेत्रों को निरन्तर पड़ने वाले सूखे से बचाया जा सके। सूखे को स्थायी तौर पर समाप्त करने के लिए निम्नलिखित उपायों पर विचार किया जाना चाहिए :—

1. इन क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा में सुधार करने के लिए अर्थोपायों का पता लगाना।

2. रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए-कृषि पर आधारित तथा खनिज पर आधारित उद्योग की अधिकाधिक स्थापना करना।

3. परकोलेशन टैंक, चैक डेम आदि का निर्माण करके तथा मौजूदा टैंक और सिंचाई कुओं में सुधार करके भूमिगत जल व्यवस्था में सुधार करना।

4. वानिकीय के लिए विशेष अभियान।

5. कृषि के लिए विद्युत उपलब्ध कराना।

6. गाँवों से विपणन स्थलों तक परिवहन सुविधाओं में सुधार करना।

7. इन क्षेत्रों के सभी बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना।

1.00 म० प०

(छ:) लघु उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए हस्त निर्मित डिटर्जेंट उत्पादों पर उत्पाद-शुल्क में दी गई छूट को वापिस लेने वाली अधिसूचना और विधेयक को वापस लेने की आवश्यकता

श्री अजित कुमार साहा (विष्णुपुर) : महोदय, जहाँ एक ओर भारत सरकार विभिन्न क्षेत्रों में लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने की नीति के प्रति तथा उत्पाद शुल्क जैसी विभिन्न प्रकार की छूट और अन्य सुविधाएं प्रदान कर बड़े उद्योगों की असमान प्रतिस्पर्धा से उनकी सुरक्षा करने के बचनबद्ध है, तो दूसरी ओर यह गड़े खेद का विषय है कि हाल ही में सरकार ने ऐसे अनेक कदम उठाए हैं जिनसे उपरोक्त नीमि का महत्व कम होता है तथा लघु उद्योगों को दी गई सुविधाएं वापस ले गई हैं। उदाहरण के तौर पर हाल ही में सरकार द्वारा हस्त निर्मित डिटर्जेंट केक, पाउडर, रसायन, घोल आदि पर दी गई उत्पाद शुल्क में छूट वापिस लिए जाने से साबुन तथा डिटर्जेंट बनाने वाले लघु उद्योगों के निर्माताओं पर बुरा प्रभाव पड़ा है। ऐसा प्रतीत होता है कि तदविषयक अधिसूचना 1-8-1985 से जारी की गई है और संसद के चालू सत्र में छूट वापस लेने का विधेयक भी पुर: स्थापित किया जा चुका है।

लघु उद्योगों को दी गई रियायतों को वापस ले लेने से उन्हें बड़े उद्योगों के साथ प्रतिस्पर्द्धा करनी होगी। उस नीति से लघु उद्योग नष्ट हो जायेंगे।

मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि उपरोक्त अधिसूचना तथा संसद में पुर:स्थापित किए गए विधेयक को वापिस ले लिया जाए जिसमें देश के स्वदेशी आर्थिक विकास के बेदता हित में हस्त निर्मित डिटर्जेंट पर उत्पादन शुल्क में दी गई छूट को वापिस लेने का प्रावधान किया गया है। चूंकि

यह मामला काफी अधिक गम्भीर है, इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि उस पर तत्काल कार्यवाही की जाए।

(सात) दिल्ली में विभिन्न सरकारी स्कूलों में काम कर रहे शैक्षिक तथा व्यावसायिक मार्गदर्शक परामर्शदाताओं को सरकारी स्कूलों में कार्यरत अन्य सभी श्रेणियों के अध्यापकों के समान लाभ उपलब्ध कराने की आवश्यकता

श्री के० जे० अब्बासी (डुमरियागंज) : महोदय, दिल्ली सरकारी स्कूलों में कार्यरत विभिन्न श्रेणी के शिक्षाओं को विभिन्न प्रकार के लाभ जैसे आयु 60 वर्ष तक बढ़ाना, चयन ग्रेड, अवरुद्ध वेतन-वृद्धि चिकित्सा भत्ता, आदि स्वीकृत किए गए हैं। किन्तु उन्हीं स्कूलों में कार्यरत शैक्षिक तथा व्यावसायिक मार्गदर्शक परामर्शदाताओं को ये लाभ अभी तक प्रदान नहीं किए गए हैं। शैक्षिक तथा व्यावसायिक मार्गदर्शक परामर्शदाता मार्गदर्शक कार्य के अतिरिक्त, अन्य श्रेणियों के शिक्षकों की तरह स्कूल में नियमित, पीरियड, भी लेते हैं। ये पूर्णरूप से शिक्षण कार्य में लगे रहते हैं।

चूंकि ये लाभ शिक्षण कार्य न करने वाले पुस्तकालयाध्यक्षों और प्रयोगशाला सहायकों को भी प्रदान किए गए हैं, इसलिए उसी स्कूल में कार्यरत शैक्षिक तथा व्यावसायिक मार्गदर्शक परामर्शदाताओं को इन लाभों से वंचित रखने का कोई औचित्य नहीं है।

शिक्षा मन्त्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वह इस मामले पर ध्यान दें तथा परामर्शदाताओं के साथ किए गए भारी अन्याय को दूर करें।

(आठ) पुरातत्वी अवशेषों की चोरी रोकने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में कार्य कर रहे संरक्षण कर्मचारियों को प्रोत्साहन देना

श्री दिग्विजय सिंह (सुरेन्द्रनगर) : महोदय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की सम्पत्ति का अतिक्रमण करने तथा पुरातत्वी अवशेषों की चोरी की घटनायें बहुत अधिक बढ़ गयी हैं। संरक्षण कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली बहुत कम परिलब्धियों को ध्यान में रखते हुए उन्हें प्रोत्साहन देना ही इसका एकमात्र हल है। 14 अगस्त, 1985 के मेरे अतारांकित प्रश्न संख्या 344 के उत्तर में ऐसे प्रोत्साहन दिए जाने से एकदम इनकार कर दिया गया है और इसलिए उन्हें ऐसी विशेष सुविधाएं दिए जाने की व्यवस्था करने की आवश्यकता है।

1.04 म० प०

आवश्यक सेवा (संशोधन) विधेयक, 1985

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री इन्द्रजीत गुप्त —उपस्थित नहीं हैं। श्री हारूभाई मेहता।

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : महोदय, सभी माननीय सदस्य भोजन के लिए गये हैं क्योंकि उनका विचार था कि विधेयक 2 बजे म० प० लिया जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : कोई भी विषय किसी भी समय समाप्त हो सकता है। यह बात हम कैसे कह सकते हैं। हम लोग यह अनुमान नहीं लगा सकते कि यह 2.00 म० प० ही लिया जायगा।

श्री हन्नान मोल्लाह : 1 से 2 बजे तक का समय भोजनावकाश का समय है।

उपाध्यक्ष महोदय : इसीलिए, मैंने सभा योजन काल समाप्त करने की बात कही थी। सभी इस पर सहमत हो गए थे। कोई भी असहमत नहीं था। इसलिए अब पूछने की कोई बात नहीं है। अब हम लोग इस विधेयक पर चर्चा जारी रखेंगे।

श्री हरूभाई मेहता (अहमदाबाद) : महोदय आवश्यक सेवा अधिनियम, 1981 का कार्य-काल बढ़ाये जाने से मुझे कोई प्रसन्नता नहीं हो रही है और मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री महोदय, जिन्होंने यह विधेयक प्रस्तुत किया है, वह भी ऐसा ही अनुभव कर रहे होंगे। तथापि, हम लोग ऐसी स्थिति में पहुँच गये हैं। जिसमें हमें ऐसे कुछ उपाय बिल्कुल पसंद नहीं थे जिनका हम पालन करते रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आवश्यक सेवा अधिनियम (ई० एस० एम० ए०) के उपबन्ध कुछ सीमा तक घातक हैं।

1.05 म० प०

[श्रीमती बसव राजेश्वरी पीठासीन हुईं]

इस अधिनियम के कार्यकरण को समाप्त करने के लिए मैं भी उतनी ही दलील देता जितनी कि अनेक मित्रों ने दी है यदि कर्मचारियों की अभूतपूर्व हड़ताल ने ऐसा रवैया न धारण किया होता जिसे देश भक्ति बिल्कुल नहीं समझा जा सकता। उदाहरण के तौर पर, किसी सरकारी उपक्रम में हड़ताल होती है, जो वास्तविक कर्मचारी संघ के उद्देश्यों से प्रेरित न होकर कुछ ऐसी विदेशी एजेन्सियों के उकसानें में आकर उस सरकारी उपक्रम को कमजोर बनाने पर तुले हों ताकि भारत आत्म-निर्भरता की ओर अग्रसर न हो सके, और सरकारी उपक्रम को कमजोर करने का विचार ही इसलिये बनाया गया हो कि भारत के आगे बढ़ने में रुकावट आये। उस हड़ताल को भी लीजिए, जो ऐसे कर्मचारी संघों द्वारा आयोजित की गई हो, जिसके निर्णय लेने वाले निकाय ऊँची जाति के दकियानूसी विचारों के लोगों द्वारा नियन्त्रित होते हैं और जिनकी मांग का उद्देश्य ही आरक्षण या रोस्टर को समाप्त करने का हो। ऐसी हड़तालें हमारे संविधान के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध हैं और कर्मचारी संघ के कार्यकलापों के संदर्भ में ये हड़तालें कमजोर वर्ग के कर्मचारियों के हितों के विरुद्ध होंगी। जो कोई कर्मचारी संघ की विचारधारा के प्रति सजग है, वह इस बात पर विचार करे कि क्या ये हड़तालें कर्मचारी संघ के वास्तविक उद्देश्यों के अनुकूल है और क्या ये हड़तालें समग्र रूप से समाज के हित में हैं? मुझे प्रसन्नता है कि मेरे प्रिय मित्र श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कहा था कि वह ऐसी हड़तालों का समर्थन नहीं करते हैं। ऐसी हड़तालें न केवल कर्मचारी संघ मोर्चे को अपितु समाज को भी विभाजित करती हैं।

ऐसी हड़तालों के प्रति देश भक्ति की क्या प्रतिक्रिया हो सकती है? क्या इस प्रकार की गति-विधियों को हम कर्मचारियों के मूलभूत अधिकारों का उपयोग करना कह सकते हैं?

कामगारों के मूल अधिकारों के आधार के सम्बन्ध में, मेरा नम्र निवेदन है कि आल इंडिया बैंक एम्पलाइज यूनियन केस (1962) में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि अनुच्छेद 19 (1) (ग) के अन्तर्गत मौलिक अधिकारों में हड़ताल करने के अधिकार को शामिल नहीं किया जा सकता। उच्चतम न्यायालय के निर्णय से कोई सहमत हो अथवा नहीं किन्तु यह देश का कानून है। मैं इस बात के प्रति सजग हूँ कि हाल ही में कर्मचारियों ने इसके विरुद्ध प्रदर्शन किया था विशेषकर ऐसी स्थिति में जबकि एम्सेलवीयर केस (1978) में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि नियोक्ता को अनुच्छेद 19 (1) (घ) के अन्तर्गत चालू औद्योगिक एकक को बन्द करने का

मूलभूत अधिकार है। जब तक कोई परिवर्तन नहीं किया जाता तब तक हमें इसी के अनुसार चलना होगा।

यदि उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय लिया है कि कर्मचारियों को हड़ताल करने का कोई मूलभूत अधिकार नहीं है तो मामला यहीं समाप्त नहीं हो जाता। कर्मचारियों के हित में एक और सामाजिक प्राधिकार का उद्धरण देना चाहता हूँ वह यह है कि महात्मा गांधी ने 6-10-1920 के यंग इण्डिया में लिखा था कि हड़ताल करना कर्मचारियों का जन्म सिद्ध अधिकार है। न्याय पाने के लिए वे उसका उपयोग कर सकते हैं।

मैं इस बात का उल्लेख करना चाहता हूँ कि अहमदाबाद शहर ही एक मात्र ऐसा शहर है जिसमें फरवरी-मार्च, 1918 में कपड़ा मजदूरों की हड़ताल के कारण पूर्णतः बन्द रहा था और जिसका मार्ग निर्देश स्वयं महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। तथापि यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि गांधी जी ने सार्वजनिक आवश्यक सेवाओं की हड़ताल की दलील कभी नहीं की थी। महात्मा गांधी ने ऐसे विचार दिनांक 21 अप्रैल, 1946 के 'हरिजन' में बम्बई में हुई सफाई वालों की हड़ताल के संदर्भ में प्रकाशित किये थे।

जहां तक आवश्यक सेवाओं और सरकारी उपक्रमों का सम्बन्ध है, इसके बारे में हम सभी को मिलकर विचार करना चाहिये जिससे कर्मचारी संघ की कोई ऐसी विधा विकसित की जा सके ताकि कर्मचारीगण द्विपक्षीय समझौतों, मध्यस्थता । अधिनिर्णय के माध्यम से अपनी कठिनाइयाँ दूर कर सकें, और यदि आवश्यक हो तो सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों की आवश्यक सेवाओं के कार्यकरण में व्यवधान डाले बिना भी संघर्ष करके निपटा सकें।

वास्तव में कर्मकारों के प्रति इस प्रकार का रवैया अपनाने से उनका एकतरफा आत्मदाह होगा। प्रबंधकों को भी नया वातावरण तैयार करना चाहिए। कुछ सरकारी उपक्रम के प्रबंधकों में दृष्टिगोचर होने वाली अफसरशाही तथा प्रायः अपनाये जाने वाले सामन्तवादी रवैये का परित्याग करना चाहिये। श्रमिकों की परेशानियों के प्रति सदा तत्परता और समझदारी बरतनी चाहिए। कर्मचारी संघ के वैध कार्य-कलापों के लिए श्रमिकों को शोषण से बचाया जाना चाहिए। मनमाने ढंग से उन्हें सेवा से निकाले जाने पर पाबन्दी लगाई जानी चाहिए। व्यक्तिगत अथवा सामूहिक विवादों को उभयपक्षीय समझौतों के द्वारा शीघ्रातिशीघ्र निपटाया जाये और जिन मामलों में ऐसा करना संभव न हो, ऐसे मामलों में उन्हें मध्यस्थता। अधिनिर्णय के माध्यम से निपटाया जाये। यह भी देखने में आया है कि कभी-कभी श्रमिक प्राधिकारी किसी मामले को औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 10 के अधीन अधिनिर्णय के लिए भेजने से भी कतराते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि कर्मकारों की परेशानियों की क्या स्थिति होती होगी जब वर्षों तक उन्हें अधिनिर्णय भी उपलब्ध नहीं हो पाता है। वस्तुतः अनेक मित्रों को पता है कि जफदरजंग के मामले में क्या हुआ था जब उच्चतम न्यायालय ने यह घोषणा की थी कि औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन औद्योगिक विवादों की परम्परा में अस्पताल के कर्मकारों के मामलों को शामिल नहीं किया जाएगा। दूसरे दिन अस्पताल के गेट पर लाल झंडे फहराये गये थे।

हमारा औद्योगिक अधिनिर्णय तन्त्र मन्थर गति से कार्य कर रहा है। मनमाने ढंग से निकाले जाने के मामले को लीजिये जिसका निर्णय कर्मकारों के हित में हुआ किन्तु उसके निर्णय में एक दशक का समय लगा। इस समय के अन्तराल में कर्मकार के परिवार पर क्या गुजरी होगी ?

मैं गृह मन्त्री महोदय का ध्यान उस स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूँ जब सरकारी उद्यम

के प्रबन्धक प्राय: अधिनिर्णय तन्त्र के निर्णय को मानने से इनकार कर देते हैं। वे इसको उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में चुनौती देते रहते हैं और मामला चलता रहता है तथा अन्त में थककर श्रमिकों को अपेक्षित मांग से कुछ कम पर समझौता करना पड़ता है। प्रबंधकों का यह रवैया समुचित कर्मचारी संघ संस्कृति को प्रोत्साहित नहीं कर सकता है, जिसका उद्देश्य श्रमिकों के हितों के साथ समझौते किये बिना भी आवश्यक सेवाओं को बनाये रखने तथा सुदृढ़ करने का है।

तथापि आवश्यक सेवायें बनाये रखने के अधिनियम के चित्र को ध्यान में रखते हुए किसी को भी सदा ही उसका अन्धानुकरण नहीं करना चाहिए। धारा 4 में यह प्रावधान किया गया है कि हड़ताल करने या हड़ताल करने के लिए प्रेरित करने के आधार पर सेवा मुक्त करने के मामले में सामान्य उपबन्धों के अनुसार कार्य करना चाहिए।

धारा 8 और 9 में सरकार का तालाबन्दी और छंटनी रोकने का अधिकार है; जो उन्हीं परिस्थितियों में की गई हो जिन परिस्थितियों में हड़तालें की जाती हैं।

इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री से मेरा अनुरोध है कि प्रशासन को धारा 8 और 9 में दिये गये उपबन्धों को तेजी से कार्यान्वित करने के लिए कहा जाय।

इसके बारे में मेरा सुझाव है कि सरकार को इस विषय पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिये कि क्या धारा 3,8 और 9 के अन्तर्गत की गई घोषणाओं के तथ्यों पर विचार करने के लिए परामर्श-दाता बोर्ड गठित करना संभव है ? यथा परामर्शदाता बोर्ड में सरकार-गृह मन्त्रालय और श्रम मन्त्रालय के, कर्मकारों के और प्रबन्धकों के प्रतिनिधि हो सकते हैं। इससे अधिनियम के कारण पैदा हुई कटुता दूर होगी तथा इस प्रकार की घोषणा के अधिनिर्णय के सम्बन्ध में कर्मकारों और प्रबंधकों दोनों को समान आश्वासन प्राप्त हो सकेगा। अन्ततोगत्वा जबकि सी० ओ० एफ० ई० पी० ओ० एस० ए० के अन्तर्गत तस्करों को भी परामर्श दाता बोर्ड द्वारा अपने मामलों की जांच-पड़ताल करवाने का अधिकार है जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 22 में प्रावधान है, तो क्या कारण है कि आवश्यक सेवाओं में नियुक्त कार्यकारों को एक वर्ग के रूप में हड़तालों, तालाबन्दी अथवा छटनी से सम्बन्धित घोषणाओं के मामलों में परामर्शदाता बोर्ड से जांच-पड़ताल कराने का अधिकार नहीं है ? इस प्रक्रिया को अपनाने से घोषणाओं का औचित्य ठहराने में सरकार के हाथ मजबूत होंगे तथा इन मामलों में किसी प्रकार की संभावित मनमानी किये जाने के भय की गुंजाइश भी नहीं रहेगी।

इन शब्दों के साथ, मैं अपना कर्त्तव्य समझते हुए विधेयक का समर्थन करता हूँ।

[हिन्दी]

श्री दामोदर पांडे (हजारीबाग) : सभापति महोदय, अभी जो बिल हमारे सामने है, इसे समर्थन देने की कोई प्रसन्नता नहीं होती है। कभी-कभी कुछ ऐसी भी मजबूरियां होती हैं जो विवश करती हैं कि क्यों इस तरह का बिल लाया जाए और क्यों इस तरह की बात की जाए जो अनुमन नहीं करनी चाहिए। हमारे विरोध पक्ष के बैठे हुए कुछ माननीय सदस्य जो ट्रेड यूनियन में अपना एक ऊँचा स्थान रखते हैं उन्होंने इस बिल के सम्बन्ध में कुछ ऐसी बातें कह दीं जो शायद उनको नहीं कहनी चाहिए थी और कुछ ऐसी गलत बयानी भी हो गयी जिसके संबंध में उसका निराकरण जरूरी था, इसीलिए मैं आज यहां आपके सामने कुछ कह रहा हूँ। यहां पर कहा गया कि कोयला उद्योग में सब लोगों ने मिलकर हड़ताल की और मजदूरों की वाजिब मांगे नहीं मानी गई थीं इसलिए तीन बार हड़ताल करनी पड़ी। दिल पर हाथ रखकर फिर से बताएं कि यह मजदूरों की मांग के लिए हड़ताल

की बात की गई थी या अपनी मूंछ छटकने के लिए हड़ताल की बात रखी गई थी। तीन बार जो हड़ताल हुई उस पर हमारे विरोधी दल के ट्रेड यूनियन के सभी नेताओं ने मिलजुल कर नारा दिया था। उनका यह नारा नहीं था कि मजदूरों की मांगें हैं या नहीं हैं। मानी जाएं या न मानी जाएं, सिर्फ यह था कि उनकी मांगों पर विचार करने के लिए जो कमेटी बनाई जाती है, उसमें उनको उचित स्थान नहीं, उचित से ज्यादा स्थान मिल गया था, तो भी उनको यह गिला था कि हमें ठीक स्थान मिलना चाहिए। आप ही बताइये कि कोयला खदान जैसे महत्वपूर्ण उद्योग में अपनी मूंछ की लड़ाई लड़ने के लिए, मजदूरों के हित में नहीं बल्कि व्यक्तिगत हित की रक्षा के लिए, यदि इतने बड़े उद्योग का सर्वनाश होता है तो इसे किस हद तक जायज माना जाए। उसके बावजूद इन्होंने यह भी कह दिया कि आई० एन० टी० यू० सी० के विरोध करने के बावजूद हड़ताल हुई, पता नहीं इनको ये फीगर्स कहां से मिल गई क्योंकि मैं भी कोयला मजदूरों के बीच काम करता हूँ और इन्टक को रिप्रेजेन्ट करता हूँ और मैं जानता हूँ कि किस तरह से कोयला खनिकों ने इनको दुत्कारा था··· (व्यवधान) तीन बार पूरे हिन्दुस्तान के स्तर पर इन्होंने हड़ताल का काल दिया और तीनों बार कुल मिला-जुला कर सब जगह 80 प्रतिशत लोग काम पर गए और सिर्फ 20 प्रतिशत मजदूर काम पर नहीं गए और यह इनकी मिली-जुली सफलता है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसिरहाट) : तब तो इस कानून को लाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपकी इन्टक ही काफी है और इस कानून की कोई जरूरत नहीं है।

श्री दामोदर पांडे : लेकिन आप स्वयं अन्दाज लगाइये कि इस कानून को लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। हमारी इन्टर रिकग्नाइज्ड यूनियन है, और पूरे हिन्दुस्तान में सिंगरैनी कोलायरी में एक ही स्थान पर लगभग 60 हजार कोयला मजदूर काम करते हैं, और साल में 365 दिन होते हैं, उस एक ही कोलायरी में इन्होंने 440 बार हड़ताल करायी। अब सवाल उठता है कि इतनी हड़ताल क्यों हुई क्योंकि एग्रीमैंट हो जाने के बाद कुछ बेसी मांगें वहां उठाई गईं जिन मांगों को किसी भी हालत में उचित नहीं ठहराया जा सकता, जिन मांगों का कोई औचित्य नहीं। यदि कहीं वेतन निर्धारित किया गया तो कहा गया कि यह सुविधाएं और दो तब मानेंगे वरना हड़ताल कर देंगे। यदि किसी देश में किसी खदान में या किसी इंडस्ट्री में 365 दिनों में 440 बार हड़ताल होती है तो उस स्थिति में हम नहीं समझते कि किसी भी सरकार की व्यवस्था सुचारु रूप से चल सकती है और कोई भी आदमी इस स्थिति को कबूल करने के लिए तैयार हो। यदि आपका इन परिस्थितियों से निपटने का यही तरीका है···(**व्यवधान**)···लेकिन जब कानून लागू हुआ तो उसके बाद कोई हड़ताल नहीं हुई···

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आपके सब कानून बेकार हैं।

श्री दामोदर पांडे : इससे सिर्फ यही पता चलता है कि आप सिर्फ कानून के सहारे ही चलना चाहते हैं। यदि आपके ऊपर जिम्मेदारी छोड़ दी जाए तो क्या आप अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते कि कब हड़ताल करनी चाहिए और कब हड़ताल नहीं करनी चाहिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप लोग ही समझते हैं, इसे हम लोग नहीं समझते हैं···

श्री दामोदर पांडे : मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, आप इसकी छान-बीन करिये···

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मुझे मालूम है आपका उदाहरण बिल्कुल गलत है।

श्री दामोदर पांडे : अगर आप अपनी जिम्मेदारी को समझे होते तो आज हमारे गृह मंत्री जी को इस तरह का कानून लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यदि किसी कोयला खादान में 365 दिन में 440 बार हड़ताल हुई तो इसका मतलब है कि आपका कानून बेकार है। या तो बेकार है अथवा उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को हड़ताल तोड़ने के लिए कानून की जरूरत नहीं है··· (**व्यवधान**)

श्री दामोदर पांडे : आप लोगों ने किस तरह से कानून तोड़ा, वही तो मैं बता रहा हूँ कि एक साल में 440 बार आपने वहां हड़ताल कराई और जिस दिन कानून लागू हुआ, उस दिन से कोई हड़ताल वहां नहीं हुई, बन्द हो गई। इस तरह कानून की क्या उपादेयता हो सकती है, इसका क्या रैलेवेंस हो सकता है यह आपने पूव करके सारे हिन्दुस्तान के सामने रख दिया। आप कानून से ही मानेंगे कि हड़ताल नहीं करनी चाहिए। हड़ताल हम भी करते हैं लेकिन जरूरत होने पर। लेकिन ऐसा नहीं है कि हड़ताल करने के लिए हड़ताल की जाए। मैं नहीं कहता कि हड़ताल नहीं होनी चाहिए, आवश्यकता पड़ने पर अवश्य हड़ताल होनी चाहिए, लेकिन हड़ताल करने के लिए हड़ताल करना, मैं वाजिब नहीं मानता।

आपने नेशनल कैम्पेन कमेटी बनाई, भारत बन्द का नारा दिया और उद्योग-बन्द का भी नारा दिया लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि प्राइवेट सैक्टर में भी उद्योग हैं और प्राइवेट सैक्टर में भी एक्सप्लायटेशन होता है। आपकी नेशनल कैम्पेन कमेटी ने जो दबाव डाला वह सिर्फ पब्लिक सैक्टर के लिए था, क्या वजह थी··· (**व्यवधान**)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कौन बोले आपको ऐसा···आप अपना रिकार्ड उठाकर देखिए···

श्री दामोदर पांडे : हम जानते हैं और उसी आधार पर बोल रहे हैं। इस तरह की जितनी बातें होती हैं यह सिर्फ ट्रेड यूनियन के हकों की रक्षा के लिए, मजदूरों के हकों की रक्षा के लिए लड़ाई नहीं होती हैं बल्कि इससे इंगित होता कि आपका व्यू किस तरह का सैक्टेरियन है, आप किस दृष्टिकोण से भेजते हैं—कि सरकार ट्रेडयूनियन को लेते हैं जो सिर्फ पब्लिक सैक्टर पर दबाव डालने के लिए नहीं बल्कि कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा करने के लिए कि जो उसके सामने कठिनाइयां हैं उन कठिनाइयों को बढ़ा दिया जाए। उन कठिनाइयों को बढ़ा दिया जाए, तो क्या आपको कभी मजबूरन नहीं सोचना पड़ता है कि आखिर इसका निदान क्या है। आज सबसे अधिक देश का धन इस पब्लिक सैक्टर में लगा है। आप भी इस देश के नागरिक हैं, आपकी भी पॉकेट से पैसा टैक्स के रूप में निकलता है और उस टैक्स रूपी पैसे को सरकार ने इस पब्लिक सैक्टर में खर्च किया, तो उसको सुचारू रूप से चलाया जाए, क्या यह बात जो मैं कह रहा हूँ ठीक नहीं है, आपको भी टैक्स देना पड़ता है, आप भी इसके लिए चिन्तित रहते हैं कि पब्लिक सैक्टर की ठीक ढंग से चलाया जाए, लेकिन आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो यह महसूस करते हैं कि चाहे जो भी हो, पब्लिक सैक्टर को कमजोर बनाया जाए, इसके लिए जितनी हड़ताल हो सके, जितनी और बातें हो सकें वे की जाएं और पब्लिक सैक्टर को कमजोर बनाया जाए। आप इसके लिए तत्पर रहते हैं, जहां इस तरह की नीयत हो, जहां वाजिब बात के लिए हड़ताल न हों, वहां इस तरह के कानून लाने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। जब आप उचित काम के लिए सही कदम नहीं उठाएंगे, तो मजबूरन सरकार को ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं, जो वाजिब हैं। इसलिए सरकार को आपकी वजह से मजबूर होकर इस तरह का कानून लाना पड़ा है। अतः आप इसके बारे में सोचिए।

सभापति महोदया, मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो एसेंश्यल सर्विसेस हैं, जिनका जिक्र इसमें है, उसके बारे में कोई यह महसूस नहीं करता है कि जीवनयापन के लिए या हमारे जीवनक्रम के लिए जो हमारी जरूरतें हैं, उनको पूरा करने के लिए ये सब उद्योग अबाध गति से चलते रहने चाहिए। इसके लिए इनका चलते रहना बड़ा आवश्यक है और कोई ऐसा नहीं होगा जो यह चाहेगा कि इसमें

व्यवधान होना चाहिए। यह बात सही है कि वहां पर जो व्यवस्था में लोग बैठे हुए हैं वे कोई दूध के धुले हुए हैं और कोई गलती नहीं करते हैं, लेकिन उनकी गलती के निराकरण के लिए सरकार को हमेशा सचेष्ट रहना चाहिए। उनकी गलतियां भी कम नहीं होती हैं जिसकी वजह से मजबूरन हड़ताल करनी पड़ती है। इसलिए मजदूरों की जो ग्रीवेंसेस हैं, जो उनकी शिकायतें हैं, जो उनकी दिक्कतें हैं, उनकी जो परेशानियां हैं, उनको दूर करने के लिए कुछ ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए जिससे हड़ताल की नौबत नहीं आए। इसलिए क्या आप यह आवश्यक नहीं समझते कि जहां-जहां भी उद्योग हैं, वे अबाध गति से चलें और मजदूरों को अगर कोई शिकायत हो, तो उनकी उस शिकायत को वॉलण्ट्री आर्बिट्रेशन जिसकी हम कभी-कभी बात करते हैं, मिल बैठकर इस पर विचार करें और उसे सौंप दें। कम्पलसरी आर्बिट्रेशन में तो इसलिए नहीं ले जा सकते क्योंकि वहां समय ज्यादा लग जाता है। इसके लिए अधिकारी वर्ग सक्षम नहीं है, तो बाजाप्ता तौर पर आर्बिट्रेशन में दे दिया जाए, क्योंकि ट्रेब्यूनल में देने में बहुत समय लगता है।...

[अनुवाद]

श्री अमल दत्त (डायमण्ड हार्बर) : महोदय, क्या मैं बता सकता हूं कि सभा में गणपूर्ति नहीं है।

गृह मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : यह परम्परा है कि मध्याह्न भोजन काल में गणपूर्ति का प्रश्न नहीं उठाया जायेगा।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मध्याह्न भोजन काल को छोड़ने के सम्बन्ध में हमसे परामर्श नहीं किया गया था।

सभापति महोदय : सदन को विश्वास में लिया गया था और केवल तभी मध्याह्न भोजन काल को निलम्बित किया गया था। घण्टी बजायी जा रही है—

अब गणपूर्ति हो गयी है। माननीय सदस्य, श्री दामोदर पांडे अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री दामोदर पांडे : सभापति महोदया, मैं यह सुझाव दे रहा था कि जब हम यह महसूस करते हैं कि कुछ ऐसे उद्योग हैं, जिनका सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन से गहरा लगाव है, वहां हड़तालें न हों तो हमें ऐसी व्यवस्था करनी होगी कि वहां के मजदूरों की शिकायतों को हल करने के लिए कोई न कोई कारगर कदम उठाये जायें।

ऐसी जगहों पर ग्रीवांस सैटलिंग का जो एक प्रोसीजर सरकार ने बनाया है, उसको तत्परता से लागू किया जाये और जहां अभी तक नहीं बनाया गया है, उसे बनाया जाये। जहां-जहां इस तरह की शिकायतें अगर आपस की बातचीत से हल न हों तो सिर्फ सरकार के ट्रिब्यूनल से सहारा न लेकर ऐसी शिकायतों को कम्पलसरी आर्बिट्रेशन में भेजने की व्यवस्था हो तो मैं समझता हूं कि हड़तालें जरूरी नहीं हैं।

[अनुवाद]

डा० वत्सा सामंत (बम्बई दक्षिण मध्य) : मैं आवश्यक सेवा अधिनियम, 1981 को संशोधन करने वाले विधेयक का पूर्णतया विरोध करता हूं। सरकार 1981 के उस अधिनियम में संशोधन करने के लिए यह विधेयक सभा के समक्ष लायी है जो गत चार वर्षों से यह बताये बिना कि यह किस प्रकार

से देश हित में होगा लागू रहा है। इस अधिनियम के उपबन्ध बिल्कुल भी श्रमिकों के हित में नहीं हैं। दूसरी ओर सरकार इस अधिनियम को पाँच वर्षों के लिए और जारी रखना चाहती है। मुझे नहीं मालूम कि सरकार का श्रमिक वर्ग के प्रति क्या रवैया है। सरकार की वर्तमान नीति नियोजकों को कर रियायतों, आयात तथा निर्यात में रियायतों, उत्पादन शुल्क में रियायतों, लाइसेंसों को समाप्त करने आदि द्वारा अधिक प्रोत्साहन देने की है। कपड़ा मिल मालिकों को अपना उत्पादन पैटर्न बदलने, अर्थात कपड़े की जगह कुछ और उत्पादन करने की अनुमति दी जा रही है। ये सभी रियायतें दी गई हैं। मैं सरकार से पूछना चाहूँगा : क्या आप श्रमिकों के हितों की रक्षा करेंगे जिनकी संख्या इस देश की कुल जनसंख्या का 30 या 40 प्रतिशत है? वर्तमान अधिनियम में श्रमिकों के हितों की रक्षा करने के लिए क्या उपबन्ध किए गए हैं? मैं यह प्रश्न सरकार तथा सत्ता पक्ष में बैठे माननीय सदस्यों के सामने रख रहा हूं। वे इसके एक भी लाभ का उल्लेख करें। नियोजकों द्वारा कमाये गये लाभ में श्रमिकों का हिस्सा क्या है। श्रमिकों का हिस्सा निर्धारित करने के लिए और अधिक न्यायालय हो सकते हैं। परन्तु नियोजकों के लाभ में श्रमिकों का हिस्सा निर्धारित करने के लिए कोई कानून नहीं है। इस देश में 50 प्रतिशत श्रमिक नैमित्तिक मजदूर, ठेका मजदूर या 'बदली' मजदूर हैं। रेलवे तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में नैमित्तिक मजदूर हैं। आप श्रमिक वर्ग की उपेक्षा कर रहे हैं। लगभग 80,000 कारखाने सारे देश में बन्द पड़े हैं और 3000 करोड़ रुपये फंसे पड़े हैं।

दूसरी बात यह है कि उद्योग में रुग्णता स्वयं मिल मालिक पैदा करते हैं। वे अपने मिलों का कुप्रबन्ध करते हैं तथा श्रमिकों को उनके वेतन तथा भविष्य निधि से वंचित करके उन्हें काम से निकाल दिया जाता है।। आप उन मालिकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं जो करोड़ों रुपये का घोटाला करते हैं और उनकी इन गतिविधियों के कारण देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ता है? गरीब कर्मकारों की मदद करने के लिए आपने कौन से उपबन्ध किये हैं? कानून में एक उपबन्ध है कि कारखानों को बिजली की सप्लाई न होने जैसी प्राकृतिक आपदा की वजह से उन्हें जरूरी छुट्टी, आदि की अनुमति दी जा सकती है। अतः कारखानों के मालिक विद्युत बिलों का भुगतान नहीं कर रहे हैं। मैसर्स डब्ल्यू० जी० फोर्स एण्ड कम्पनी रक्षा से सम्बन्धित उत्पादों का निर्माण कर रही है और उसने भी 40 करोड़ रुपए के विद्युत बिलों का भुगतान नहीं किया है। इस तरह से देनदारी बढ़ती जा रही है। महोदय, माननीय मन्त्री को ज्ञात है कि मेसर्स अमर डाईकैम जो अम्बरनाथ में स्थित है ने भी बहुत बड़ी राशि के विद्युत बिलों का भुगतान नहीं किया है। मेसर्स साराभाई केमिकल्स, जो पहले ही सरकार की काली-सूची में दर्ज है, ने भी विद्युत बिलों का भुगतान नहीं किया है। कम्पनी ने विद्युत बिलों का भुगतान नहीं किया है और इसलिए उनका कारखाना बन्द पड़ा है और लगभग 2000 मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। इस तरह से श्रमिकों को बहुत सी कठिनाइयों में डाल दिया जाता है।

महोदय, अकेले बम्बई में ही मिल मालिकों द्वारा विद्युत बिलों का भुगतान न करने के कारण लगभग 20 कारखाने बन्द पड़े हैं। कारखानों में मशीनों को चलाने के लिए मिट्टी तेल की आवश्यकता होती है परन्तु मालिकों द्वारा इसे नहीं खरीदा जाता है। इन कारखानों में मिल मालिकों ने जबरी छुट्टी की घोषणा कर दी है तथा श्रमिकों के भविष्य निधि तथा अन्य सुविधायें, जो उनको देय हैं, नहीं दी गई हैं। लगभग 30000 श्रमिक इससे प्रभावित हुए हैं और वे बेरोजगार हैं। इन बेरोजगार श्रमिकों के लिए सरकार की क्या नीति है? सरकार उनके लिए क्या करने जा रही है? आप इस देश के श्रमिक वर्ग के लिए कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि उद्योगपति काला धन एकत्रित करने में लगे हुए हैं। दूसरी ओर आप श्रमिकों द्वारा की जाने वाली हड़तालों पर प्रतिबन्ध लगा रहे हैं। इस देश के 50 प्रतिशत श्रमिक नैमित्तिक श्रमिक अथवा ठेके के श्रमिक हैं। उनके क्या अधिकार हैं? परन्तु कितनी

कड़ी सजा आप उन्हें दे रहे हैं। बिना किसी वारंट या किसी ऐसी चीज के बिना पुलिस अधिकारी किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। आपको तस्करों अथवा ऐसी ही अन्य गतिविधियों में लगे लोगों की चिन्ता नहीं है। परन्तु आप इस प्रकार के प्रावधानों के लिए संक्षिप्त विचारण की व्यवस्था कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि कुछ सीमा तक आपने इन उपबन्धों का प्रयोग नहीं किया है, परन्तु मैं यह अवश्य कहूंगा कि सरकार इस देश के श्रमजीवी वर्ग के हितों के विरुद्ध काम कर रही है।

यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि चुनावों के समय इस देश का श्रमिक वर्ग अपने मताधिकार की उपेक्षा करता रहा है। यही कारण है कि आप अपने व्यक्तिगत करिश्में की वजह से मत प्राप्त करते रहे हैं। अगर आप फरीदाबाद औद्योगिक क्षेत्र में जायें तो आपको पता चलेगा कि 50 प्रतिशत श्रमिक अस्थायी, नैमित्तिक मजदूर हैं। वे आपको मत देते रहे हों मुझे इसका कोई मलाल नहीं है। परन्तु क्या डाक या तार विभागों या रेलवे में काम बन्द होने पर कोई प्रसन्न होगा ? मेरे विचार में कोई भी खुश नहीं होगा। किसी भी दल अथवा मजदूर संघ का कोई समझदार नेता आन्दोलन को जारी रखने और में ऐसी सेवाओं को बन्द रखने में प्रसन्न नहीं होगा। परन्तु श्रमिकों की शिकायतों को हल करने के लिए क्या प्रावधान है ?

उदाहरण के तौर पर बम्बई में मजगांव गोदी को ही लीजिए। सरकार अब मंहगाई भत्ते को कम करके 1.65 प्रतिशत कर रही है। इसे सरकार 12000 श्रमिकों पर लाद रही है। यह एक सरकारी उपक्रम है। आप मंहगाई भत्ते को घटा रहे हैं जो वे गत 40 वर्षों से ले रहे हैं। और इसके लिए आप एक 'जी० आर०' जारी करने जा रहे हैं। अब जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों की मांगों के बारे में चर्चा चल रही है। सरकार उनको वेतन की अधिकतम सीमा 3500 रुपये स्वीकार करने के लिए बाध्य कर रही है, और अगर वे इसे स्वीकार नहीं करेंगे तो आप एक 'जी० आर०' जारी कर देंगे। एक तरफ तो आप श्रमिकों को उनके मंहगाई भत्ते जैसी शर्तों को स्वीकार करने के लिए बाध्य कर रहे हैं और दूसरी तरफ आपको नैमित्तिक ठेके तथा बदली वाले श्रमिकों के बारे में कोई चिन्ता नहीं है। और अगर वे हड़ताल करें तो बिना वारंट पुलिस अधिकारी उन्हें गिरफतार करके छः माह के लिए जेल भेज सकता है। अब समय आ गया है जबकि सरकार को श्रमिकों के कल्याण के बारे में सोचना चाहिए।

आप भारी बहुमत के साथ सत्ता में हो सकते हैं परन्तु यदि सरकार इस देश के श्रमिकों की उपेक्षा इस प्रकार से करेगी तो एक दिन इस प्रकार की बातों के विरुद्ध श्रमिक विद्रोह कर देंगे।

इसके विपरीत आप उद्योगपतियों को कुछ भी करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। उन लोगों को जिन्होंने बम्बई में अम्बरनाथ जैसे स्थानों पर धोखाधड़ी की है ऋण दिया जा रहा है और वे अपने उद्योग कहीं मध्य प्रदेश तथा अन्य स्थानों पर शुरू कर रहे हैं। आप यह कैसे मालूम करेंगे कि ऐसा न हो ? उन्हीं नियोजकों को जिन्होंने एक स्थान पर धोखाधड़ी की है दूसरे स्थानों पर प्रोत्साहित किया जा रहा है। एक ही दल, कांग्रेस (आई) की सरकार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र अथवा गुजरात में है परन्तु इस प्रकार के कदाचारों को रोकने के लिये अपने क्या किया है ? आप उन नियोजकों को सभी प्रकार के ऋण दे रहे हैं। परन्तु दूसरी तरफ आप श्रमिकों पर पाबंदियां लगाने वाले विधेयक ला रहे हैं। गुजरात में कोई आन्दोलन चल रहा है। लगभग 500 लोगों को गिरफतार करके बर्खास्त कर दिया गया था ताकि कुछ दबाव डाल करके श्रमिकों पर और दबाव डाला जा सके। ये सब बातें हो रही हैं।

मैं, इसीलिए सरकार से अपील करता हूं कि वह इस देश के नियोजकों तथा उद्योगपतियों को ठीक करने के लिए कार्यवाही करे। मेरे विचार से, कृषि से भी अधिक तेजी से देश अद्योगीकरण की

तरफ बढ़ रहा है। सरकार को उन लोगों को जेल भेजना चाहिये जो आर्थिक धोखाधड़ियों के लिए जिम्मेदार हैं और सरकार को करोड़ों रुपए की आमदनी से वंचित कर रहे हैं।

इस देश का श्रमिक वर्ग बहुत समझदार हो गया है और ये हड़ताल करके प्रसन्न नहीं होते हैं। मैं उनकी भावनाओं को जानता हूं। मेरे संघों में लाखों श्रमिक हैं। वर्तमान कानून के उपबन्धों के अनुसार अगर किसी प्रतिष्ठान में 20 से कम श्रमिक होते हैं तो वे कोई संघ नहीं बना सकते। इस उपबन्ध की वजह से 30 प्रतिशत उद्योगों तथा छोटे प्रतिष्ठानों के श्रमिक संघ नहीं बना सकते हैं। और, आप इस देश में दुकान तथा स्थापना अधिनियम को लागू करने नहीं जा रहे हैं। न्यूनतम वेतन अधिनियम को इस देश में लागू नहीं किया जा रहा है।

एक तरफ तो आप श्रमिक वर्ग के हितों की रक्षा करने के लिए तैयार नहीं है और आप उन्हें हड़ताल करने के लिए बाध्य कर रहे हैं, और अगर वे हड़ताल करते हैं तो आप उनको जेल भेज देंगे। आवश्यक सेवाओं के नाम पर इस अधिनियम में विभिन्न उद्योगों को शामिल किया गया है सरकार किसी भी उद्योग को किसी भी समय इस प्रयोजन के लिये जब जरूरी समझे अधिसूचित कर सकती है। यहां तक कि राज्य सरकारों को भी यह शक्ति प्राप्त है। आपने इस कानून के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के विभिन्न प्रतिष्ठानों को सम्मिलित कर लिया है और मैं इसका समर्थन नहीं कर रहा हूं परन्तु गैर-सरकारी नियोजकों तथा छोटे उद्योगों को बीच में क्यों घसीटा जा रहा है जो कुछ भी मैं कहता हूं, मुझे मालूम है कि सरकार उसे स्वीकार नहीं करेगी, परन्तु आप मेरे इस सुझाव पर विचार करें कि इस कानून को गैर सरकारी लोगों पर जो कुछ चीजों का व्यापार कर रहे हैं लागू नहीं किया जाना चाहिए और इसलिए, एक बार फिर से मैं इस प्रकार के संशोधनों का पूरी तरह से विरोध करता हूं। सरकार तथा सत्ताधारी दल जो कुछ कर रहा है। वह श्रमिक वर्ग के प्रति अनादर है। अतः इस देश का श्रमिक वर्ग उन पर डाले गये ऐसे दबाव को कभी सहन नहीं करेगा। निश्चित तौर पर मैं फिर सरकार से इसे वापिस लेने की अपील करता हूं, अन्यथा हमें सड़कों पर आन्दोलनों के साथ इसका विरोध करना पड़ेगा।

***श्री जी० एस० बसवराजू(टुमकुर)** : सभापति महोदया मैं मन्त्री महोदय द्वारा प्रस्तुत आवश्यक सेवा अधिनियम 1981 में संशोधन करने वाले विधेयक का स्वागत करता हूं। इस विधेयक का समर्थन करते हुए मैं यह विचार व्यक्त करना चाहूंगा कि यह विधेयक किस तरह से हमारे देश का उत्पादन बढ़ाने और अर्थव्यवस्था में सुधार लाने में सहायक है। इस विधेयक पर पहले ही कई सदस्य बोल चुके है और इसलिए मैं अपनी बात बहुत संक्षेप में कहूंगा। पूरे देश में आधुनिकीकरण और औद्योगीकरण हुआ है। इस परिस्थिति में यह अत्यावश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्र के विकास में योगदान दे। लेकिन दुर्भाग्य से हम देखते हैं कि हर जगह श्रमिक हड़ताल कर रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप उद्योग बन्द हो रहे हैं। यहां अपेक्षित समर्पण की भावना नहीं है। स्वार्थ की भावना को अधिक महत्व दिया जाने लगा है। वर्ष 1971 के दौरान भारतीय टेलीफोन उद्योग और हिंदुस्तान एयरोनोटिक्स लिमिटेड, बंगलौर में आंदोलन हुए थे। इन हड़तालों के 10 वर्ष पश्चात् भी उसका प्रभाव अभी तक बना हुआ है। इससे देश की प्रगति में बाधा पड़ती है। इन सब आंदोलनों और हड़तालों के पीछे कुछ राजनीतिक शक्तियां हैं जिनके कारण कारखाने कई महीने तक बन्द पड़े रहे। हिन्दुस्तान मशीन टूल्स और भारतीय टेलीफोन उद्योग, बंगलौर में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं। माइको (mico) इंडस्ट्रीज कम्पनी बंगलौर की एक अन्य महत्वपूर्ण औद्योगिक इकाई है जहां स्पार्क प्लग, सिंगल सिलेंडर पंपस,

*कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का रूपांतर।

मल्टी सिलेंडर पम्पस जैसे विश्व प्रसिद्ध उपकरण तैयार किये जाते हैं। इस फैक्टरी में हुई हड़तालों और तालाबन्दी के बारे में श्रमिकों को कोई जानकारी नहीं थी। इस फैक्ट्री को भारी लाभ हो रहा था और यह काफी मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित कर रही थी। लेकिन अब यहां अनेक यूनियन बन गई हैं। दलबन्दी के परिणामस्वरूप आपसी संघर्ष तथा छुरेबाजी की घटनाएँ घटीं। प्रबन्धक कर्मचारियों को समय से पूर्व सेवा निवृत्ति होने के लिए कह रहे हैं।

छोटी-छोटी बातों को लेकर हड़तालें होती हैं और इसके परिणामस्वरूप तालाबन्दी हो जाती है। रेलवे, टेलिफोन विभाग और परिवहन विभाग में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। यदि किसी कंडक्टर पर गम्भीर आरोप होने की वजह से उसे निलम्बित कर दिया जाता है तो तुरन्त कर्मचारी हड़ताल कर देते हैं। इन परिस्थितियों का समाधान करने तथा उत्पादन में सुधार लाने के लिए यह विधेयक होना आवश्यक है। मेरे सहयोगी श्री इन्द्रजीत गुप्त ने इस विधेयक पर बोलते समय औद्योगिक श्रमिकों की शर्तों और सुविधाओं का जिक्र किया। मैं उन्हें स्मरण कराना चाहता हूँ कि इस देश में उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों की कार्य स्थिति में बहुत सुधार हुआ है। जब हम सोवियत रूस की यात्रा के दौरान ताशकन्द गए थे तो हमने औद्योगिक क्षेत्र कार्य की स्थिति की जांच की। फिन्निग फैक्ट्री में करीब 12,000 श्रमिक काम करते हैं और उन्हें आज भी उतना ही वेतन मिल रहा है जितना 1948 में मिलता था। अन्य सुविधाएं भी वैसी ही हैं। लेकिन वहां के श्रमिक अधिक समर्पण भाव से काम करते हैं। उन श्रमिकों के लिए राष्ट्र के लक्ष्यों का बहुत महत्व है। वे देश के लिए त्याग करते हैं। दूसरी ओर हमारे देश में हम देखते हैं कि कुछ तत्व असहयोग की भावना बढ़ाते हैं। बंगलौर स्थित आई० टी० आई० में कई बहुमूल्य मशीनें और अन्य उपकरण नष्ट कर दिए गए थे। वर्तमान विधेयक से ऐसी घटनाएँ रुकेंगी। अतः मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूँ और महोदय ऐसा विधान करने के लिए गृह मन्त्री महोदय को बधाई देता हूँ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने शांति-पूर्ण तरीकों का पाठ पढ़ाया। हम अहिंसात्मक तरीकों को बढ़ावा नहीं दे सकते। ऐसी हड़तालें और आंदोलन समाप्त होने चाहिए। हम जलपूर्ति, विद्युत बोर्ड में भी अशांति की स्थिति होने के कारणों का पता लगा रहे हैं। ऐसी स्थिति बनी नहीं रहने दी जानी चाहिए। यहां तक कि महत्वहीन कारण और बोनस की अल्प राशि के लिए भी कर्मचारी हड़ताल करना चाहते हैं। यह बिल्कुल ठीक नहीं है। उदाहरण के लिए, जापान में यदि श्रमिक अपना असन्तोष व्यक्त करना चाहते हैं तो वे एक बिल्ला लगा लेते हैं लेकिन वे अपना काम जारी रखते हैं। किन्हीं भी परिस्थितियों में वहां काम पर प्रभाव नहीं पड़ता। हमें अपने देश में देखना चाहिए बिना किसी बाधा के उत्पादन होता रहे। किसी उद्योग में तालाबन्दी नहीं होनी चाहिए। श्रमिक अपनी शिकायतों के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर सकते हैं किन्तु आन्दोलन का सहारा नहीं ले सकते और न गैर-सरकारी तथा सरकारी सम्पत्ति नष्ट कर सकते हैं। इस अच्छे विधेयक का स्वागत करना हमारे लिए अनिवार्य है। इससे नागरिकों के मौलिक अधिकारों में कोई बाधा नहीं पड़ेगी। इससे श्रमिकों की सुविधाओं जैसे आवास, भोजन, कपड़ा, आदि में भी कोई बाधा नहीं पड़ती। वास्तव में इससे हमारी एकता और अखण्डता मजबूत होती है। अतः मैं पुनः इस विधेयक का स्वागत करता हूँ और अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

श्री थम्पन थामस (मवेलीकारा) : इस विधेयक से हमारे देश में उत्पादन बढ़ाने में बाधा पड़ेगी। जब तक सरकार श्रमिक वर्ग को अपने विश्वास में नहीं लेगी, उत्पादन में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। श्रमिक पर दबाव डालने मात्र से वह उत्पादन नहीं करेगा। जब तक आप उसे विश्वास में नहीं लेंगे और उसे उसका हिस्सा नहीं देंगे तथा ऐसी सेवा शर्तें नहीं रखेंगे जिससे वह अपने पद पर बना रहे और काम कर सके वह आपको कोई फायदा पहुंचाने वाला नहीं। दबाव डालने वाले कानूनों से किसी तरह से प्रगति नहीं होगी। यह मात्र एक पतनोन्मुख कानून है, जिससे आप श्रमिक वर्ग को

दबाना चाहते हैं, जिसका सहारा लेकर नौकरशाह उस श्रमिक वर्ग पर राज करना चाहते हैं जो वास्तव में देश के लिए खून पसीना बहाकर अपना योगदान देता है। सरकार इन नौकरशाहों को जिन्हें इस कानून को कार्यान्वित करना है, मनमानी करने के अधिकार दे रही है। इस कानून के विभिन्न खण्डों अथवा भागों में कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है जिससे यह सुनिश्चित हो कि इसके कार्यान्वयन के बाद इसे उचित रूप से लागू किया जाएगा।

हाल ही में मुझे एक छोटे गोदाम में जहां करीब 100 श्रमिक काम करते हैं, इस कानून के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में एक अनुभव हुआ। यह तब हुआ जब एक विशेष अधिकारी, क्विलोन के जिला कलक्टर एक ढेर विशेष से चावल की विशेष मात्रा लेना चाहते थे और एक व्यक्ति को लाभ पहुँचाना चाहते थे। तब श्रमिकों ने आपत्ति की। आयुक्त ने तुरन्त आवश्यक सेवा अधिनियम के खण्डों के बारे में कहा / उन्होंने कहा कि श्रमिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बाधा डाल रहे थे। उसने उन्हें आवश्यक सेवा अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार कर लिया। उन्हें गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया। विभिन्न प्रशासकों और नौकरशाहों को मनमानी करने के लिए दिए गए अधिकार का किस तरह दुरुपयोग किया गया है। यह इसका स्पष्ट उदाहरण है। मैं उस मामले में प्रत्यक्ष रूप से अन्तर्ग्रस्त था। मैं इस मामले के बारे में खाद्य निगम के अधिकारियों के साथ बातचीत करना चाहता था और इसे निपटाना चाहता था। मैंने खाद्य निगम के अधिकारियों से बात की थी। मेरे वहाँ जाने से पहले ही लोगों को आवश्यक सेवा अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्हें न्यायालय में ले जाया गया। इसलिए पूरे राज्य में हड़ताल हो गयी। उस दिन कलक्टर द्वारा आवश्यक सेवा अधिनियम का प्रयोग किए जाने के कारण समूचे केरल राज्य में खाद्य निगम के सभी गोदामों के श्रमिकों ने हड़ताल कर दी। मैं त्रिवेन्द्रम में खाद्य निगम के अधिकारियों से बातचीत करने जा रहा था। जब मैं कोचीन से उनसे बातचीत करने के लिए गया तो कलक्टर ने आवश्यक सेवा अधिनियम का सहारा लेते हुए कहा कि इन श्रमिकों ने जनता को इन वस्तुओं के वितरण में बाधा पहुँचायी थी जबकि श्रमिक चाहते थे कि इस ढेर के बजाय दूसरे ढेर से वितरण किया जाय। वे चावल के सम्बन्ध में विवाद के बारे में बातें कर रहे थे।

मैंने यह बात केवल इसलिए कही कि नौकरशाहों ने इस कानून का दुरुपयोग किया था। क्या ऐसी बातों से निपटने के लिए इस अधिनियम में कोई सुरक्षा प्रदान की गयी है? यदि इस मामले की जांच की जाए कि इस अधिनियम का किस तरह प्रयोग किया गया, तो पता चलेगा कि इसका प्रयोग इस देश में केवल श्रमिकों के विरुद्ध ही किया गया है।

हमारे औद्योगिक कानून का मूल दृष्टिकोण क्या है? इस देश में औद्योगिक कानून मूलतः सामूहिक समझौते का है। श्रमिक के आपके पास आने और कोई मांग करने मात्र से आप उसे अधिकार देने नहीं जा रहे हैं। सामूहिक समझौते का सिद्धांत सर्वमान्य है। यह हमारे औद्योगिक कानून का बुनियादी सिद्धान्त है। विधिशास्त्र में ऐसा ही कहा गया है। अतः उन्हें सामूहिक रूप से समझौता करना होता है जब उन्हें सामूहिक रूप से समझौता करना होता है तो उन्हें मिलकर काम करना होता है, उन्हें यह देखना होता है कि उन्हें उनका अधिकार मिले। यदि आप उन्हें उनका अधिकार नहीं दे रहे हैं, तो संविधान में औद्योगिक कानून में यह प्रावधान है कि वे हड़ताल कर सकते हैं। लेकिन अब इस कानून के अनुसार सरकार या उच्चाधिकारी अपनी इच्छा से ऐसी हड़तालों को गैर-कानूनी तथा आवश्यक सेवा अधिनियम का उल्लंघन करने वाली ठहरा सकते हैं। फिर वे कहते हैं कि ये बातें आवश्यक सेवा अध्यादेश के अन्तर्गत आती हैं।

इस अधिनियम के विभिन्न उपबन्ध सामूहिक समझौते के विरुद्ध हैं। यह इस देश के श्रमिक वर्ग के मूल अधिकारों पर कुठाराघात है इससे विभिन्न अधिकारियों जिनमें उद्योग भी शामिल हैं, का स्वेच्छनिर्णय का अधिकार दिया गया क्योंकि अधिनियम के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत सरकार यह उचित समझती है कि उन्हें अधिकतम अधिकार दिए जाएं और इसलिए इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। यह श्रमिक वर्ग के हितों के विरुद्ध है।

यदि आप हमारे विगत अनुभव का विश्लेषण करें तो आप पायेंगे कि इस देश की प्रगति में श्रमिक वर्ग द्वारा की गई हड़तालों के कारण नहीं अपितु कुछ अन्य पहलुओं के कारण बाधा पड़ी है। अधिकांश फैक्टरियां हड़तालों के कारण बन्द नहीं होती अपितु वे मालिकों के कुप्रबन्ध के कारण बन्द होती हैं। क्या सरकार ने कुप्रबन्ध के कारण फैक्टरी न चलाने के लिए किसी प्रबन्धक के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है? अब डालमिया नगर में क्या हो रहा है? करीब 20,000 श्रमिक बेकार घूम रहे हैं। यह समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था कि उस क्षेत्र में महिलाएं अपनी जीविका के लिए अपने शरीर बेचने पर मजबूर हो गयी थीं। डालमिया के विरुद्ध आपने क्या किया है? वे वहां फैक्टरी नहीं चला सकते। श्रमिक काफी अर्से से बेरोजगार हैं। क्या आप उनके विरुद्ध आवश्यक सेवा अधिनियम लागू कर सकते हैं? जब ये श्रमिक अपनी मजदूरी के लिए समझौता करते हैं आप आवश्यक सेवा अधिनियम की सहायता से उन्हें जेल में डाल देते हैं। यह हमारे दण्डित कानून के बिल्कुल विरुद्ध है। आवश्यक सेवा अधिनियम के अन्तर्गत उसे सबूत देना होता है जो दोषी है। पूर्व-धारणा यह होती है कि वह दोषी है। यदि कलक्टर कहता है कि एक श्रमिक ने आवश्यक सेवा अधिनियम का उल्लंघन किया है, तो उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है। उसकी जमानत नहीं हो सकती। श्रमिक को तब तक जेल में रहना पड़ता है जब तक पीठासीन अधिकारी को सन्तोष नहीं होता कि यह गलत है। दोनों को इतने अधिकार क्यों दिए गए हैं? अतः इस अधिनियम के विभिन्न उपबन्ध वास्तव में हमारे कानूनों, वर्तमान कानूनों के मूल सिद्धान्तों के विरुद्ध हैं और हमारा भी यह अनुभव है कियह स्वार्थी व्यक्तियों द्वारा देश में केवल तानाशाही चलाने के लिए बनाया गया है न कि हड़तालों पर रोक लगाने के लिए। और कुल मिलाकर आप नौकरशाहों को, ऐसे व्यक्तियों को अधिकार दे रहे हैं, जिनका इस पर नियन्त्रण है, जिनके पास अधिकतम अधिकार हैं और वे इसका दुरुपयोग करते हैं। इसलिए मैं इस अधिनियम का विरोध करता हूँ और आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस संशोधन को वापिस ले लें।

श्री अमर राय प्रधान (कूच बिहार) : सभापति महोदय, कुछ वर्ष पहले हमने काफी समय तक आवश्यक सेवा अधिनियम पर चर्चा की थी और हम इस विधेयक का विरोध करते हैं। यद्यपि मेरे विपक्षी सहयोगी, कांग्रेस आई० के संसद सदस्य इस पर ज्यादा बोलने वाले नहीं हैं, कम से कम वे इस विधेयक का समर्थन कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह वास्तव में आवश्यक सेवाओं के लिए बनाया गया है या नियोजकों के हितों के लिए। वे पूर्णतः नियोजकों के हितों के लिए हैं। मेरा मन्त्री महोदय से अनुरोध है कि वह इसका नाम बदलकर नियोजक सेवा विधेयक रख दें।

इसी विधेयक में ही वे इस अधिनियम की अवधि चार-पांच वर्ष बढ़ाने के लिए क्यों कह रहे हैं? हम लोग, जो श्रमिक वर्ग के साथ हैं, यह सुनिश्चित करें कि यह अधिनियम इसी क्षण समाप्त हो जाये। इसे एक सैकिंड के लिए और नहीं बने रहना चाहिए।

एक माननीय सदस्य : एक सैकिंड के लिए भी नहीं?

श्री अमर राय प्रधान : जी हां, मैं नहीं चाहता कि यह एक मिनट भी बना रहे, क्योंकि यह

श्रमिक विरोधी विधेयक है। यह एक अत्यधिक कठोर विधेयक है। इस विधेयक के माध्यम से और इस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं—सरकार श्रमिक वर्गों के उन अधिकारों पर पावन्दी लगाना चाहती है जो उन्होंने अर्जित किए हैं। सरकार संगठित होने के अधिकार, सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार और हड़ताल करने के अधिकार आदि पर रोक लगाना चाहती है।

सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से गृहमन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह इतिहास को पढ़ें। ये अधिकार भारतीय श्रमजीवी वर्ग को आपकी गृहमन्त्री या प्रधान मन्त्री की अनुकम्पा से नहीं मिले। श्रमिक वर्ग ने इसके लिए अपना खून बहाया है, अपनी जानें दी हैं, तब जाकर उन्हें ये अधिकार मिले हैं। आप निश्चय ही नियोक्ताओं के साथ हैं।

एक माननीय सदस्य : मेरी समझ में नहीं आया।

श्री अमर राय प्रधान : आप इसे नहीं समझेंगे।

विधेयक पुलिस की सहायता करेगा, क्योंकि यह विधेयक अधिनियम बनेगा तो पुलिस अपनी मनमरजी करेगी और वह श्रमिकों को पकड़कर जेल में डाल देगी।

क्या मैं एक चीज जान सकता हूँ ? इन उद्देश्यों और कारणों के कथन में आपने इसका उल्लेख नहीं किया है किन्तु आपने केवल यह कहा है कि "पिछले चार वर्षों के दौरान अधिनियम के कार्यकरण के अनुभव से पता चलता है कि यह अत्यधिक उपयोगी और प्रभावी है।" सभापति महोदया, पहली बात यह है कि मैं इसका जोरदार विरोध करता हूँ, क्योंकि यह पश्चिम बंगाल सरकार ही है जिसने आवश्यक सेवा अधिनियम को पश्चिम बंगाल में कभी लागू नहीं किया, हालांकि गृहमन्त्री महोदय ने कुछ दिन पहले यह कहा था, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ चुनौती देकर कह सकता हूँ कि पश्चिम बंगाल सरकार ने कम से कम पश्चिम बंगाल में इसका प्रयोग नहीं किया है।

मैं मन्त्री महोदय से एक बात पूछना चाहता हूँ। उनके अपने राज्य, महाराष्ट्र में कुल मिलाकर क्या स्थिति है ? वहां हड़तालें आदि हुई हैं, जिनमें आवश्यक सेवा अधिनियम की गुंजाइश रहती है। कितने दिनों की हानि हुई है ? कितने श्रमिक हड़ताल पर रहे हैं ? कितनों की जब से छुट्टी हुई है ? कितने कारखाने बंद हुए हैं ? निश्चय ही इनकी संख्या पश्चिम बंगाल से अधिक है।

एक माननीय सदस्य : यह सब विरोधी दलों के कारण हुआ है।

श्री अमर राय प्रधान : नहीं, बिल्कुल नहीं। यह सब आप लोगों के कारण हुआ है। आप मध्यम वर्गों के अनुकूल परिस्थितियां नहीं बना पाये हैं।

सभापति महोदया : आप कृपया मुझे संबोधित करें।

श्री अमर राय प्रधान : जी हां, मैं आपको ही संबोधित कर रहा हूँ। जहां तक की गई टिप्पणियों का सम्बन्ध है, क्या मैं आपके माध्यम से गृह मन्त्री महोदय से पूछ सकता हूं कि क्या वह जानते हैं कि असंगठित श्रमिक वर्ग की क्या स्थिति है ? क्या उन्हें समाज के असंगठित वर्ग के श्रमिकों, कृषि श्रमिकों, जिनकी संख्या 2.5 करोड़ है और जिनके परिवारों के सदस्यों को मिलाकर यह संख्या 10 करोड़ बैठती है की स्थिति की जानकारी है ? क्या आपने इस अधिनियम को जमींदारों, कुलकों पर किसी भी मामले में लागू किया है ? एक भी मामले में ऐसा नहीं किया गया है। यह आपके हित में है, नियोक्ताओं, मिल-मालिकों के हित में है। अतः हम इसका सख्त विरोध करते हैं।

श्री अमल दत्त(डायमंड हार्बर): इस विधेयक की जिसमें देश के प्रजातांत्रिक लोगों द्वारा सदैव विरोध किए जाने वाले इस अत्यन्त कठोर अधिनियम की अवधि को और पांच वर्ष बढ़ाने की

व्यवस्था है, पूरी तरह से निन्दा की जानी चाहिए। यह संविधान के अध्याय 3 में दिए गए उन मूल अधिकारों के विरुद्ध है जिसमें व्यक्ति को स्वतन्त्रता दी गई है, संघ बनाने की स्वतन्त्रता दी गई है और अन्य स्वतन्त्रताएं दी गई हैं किन्तु इन सब स्वतन्त्रताओं को इस विधेयक के द्वारा छीना जा रहा है। यह संविधान के निदेशक तत्वों के भी विरुद्ध है जिनमें अन्य बातों के अलावा श्रमिकों को उचित वेतन देने, रोजगार में सुरक्षा देने, आदि का आश्वासन दिया गया है। ये सब खोखले शब्द मात्र रह जायेंगे क्योंकि वे अपने अधिकारों को लागू करवाने के लिए हड़ताल नहीं कर पायेंगे। यदि हड़ताल करने का अधिकार नहीं है तो सामूहिक सौदेबाजी का प्रश्न ही नहीं उठता है। यह श्रम कानून का बुनियादी सिद्धान्त है। स्वभावतः ये निदेशक सिद्धांत इस कानून के कारण श्रमिकों के सम्बन्ध में निरर्थक हो गए हैं।

प्रचण्ड बहुमत के कारण सरकार से जो आशाएं बंधी थीं वे सब धूमिल होती जा रही हैं। प्रतिदिन हम देखते हैं कि ऐसे नए-नए कानून बनाए जा रहे हैं जिनसे श्रमिकों और अन्य लोगों के अधिकार छिनते जा रहे हैं।

यह कानून 23 सितम्बर को समाप्त हो जाता किन्तु अब इसे और पांच वर्ष के लिए बढ़ाया जा रहा है। इस सरकार को अपनी शक्ति पर भरोसा होना चाहिए था और इस कानून को समाप्त होने देना चाहिए था तथा अवसर आने पर उचित कदम उठाना चाहिए था।

इस अधिनियम विशेष की अवधि बढ़ाने के लिए यह तर्क दिया जा रहा है कि स्थिति अभी वैसी बनी हुई है। ऐसा कैसे कहा जा सकता है कि वही स्थिति अब भी है जिससे, उनके अनुसार, बाध्य होकर 1981 में इस अधिनियम को, लागू करना पड़ा था? देश में उत्पादन में वृद्धि हुई है। हमारे पास 300 लाख मीटरी टन खाद्यान्न भण्डार है जोकि भारतीय खाद्य निगम के चेयरमैन के अनुसार शीघ्र ही 400 लाख मीटरी टन हो जाएगा। और उनके अनुसार यदि इसका वितरण लोगों में शीघ्र नहीं किया गया तो इसे नष्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्या इसका कारण यह है कि हमारे पास इतना अधिक है कि हम खा नहीं सकते? नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोगों में खरीदने की शक्ति नहीं है। इसी प्रकार खानों के मुहानों पर 300 लाख मीटरी टन से अधिक कोयले के भण्डार विद्यमान हैं। क्यों? क्योंकि लोगों के पास खरीदने की शक्ति नहीं है। जब कभी हम 70 या 80 लाख मीटरी टन, जोकि सामान्य उत्पादन है, से 5 या 10 लाख मीटरी टन इस्पात ज्यादा पैदा कर लेते हैं, तो बाजार में इस्पात की भरमार हो जाती है। क्यों? क्योंकि लोग खरीद नहीं सकते हैं। उनके पास खरीदने की शक्ति क्यों नहीं है? क्योंकि श्रमिकों के पास सामूहिक सौदेबाजी के समान अवसर नहीं है। वे अपनी बात मनवा नहीं सकते हैं। वे 15 दिन के लिए भी हड़ताल नहीं कर सकते हैं क्योंकि वे पूरी तरह से दबे हुए हैं, हालांकि उनके पास ऐसा करने का अधिकार है। वे बिना रोजगार के, बिना वेतन के नहीं रह सकते हैं। इसके बावजूद सरकार इस प्रकार के कठोर कानून लाना आवश्यक समझती है ताकि श्रमिक यदि हड़ताल करना भी चाहे तो न कर सके। यह पूरी तरह से एक मनमानी कार्यवाही है। यह सभी प्रजातांत्रिक सिद्धान्तों के विरुद्ध है। यह संविधान और सरकार द्वारा समय-समय पर किए जाने वाले वायदों के खिलाफ है। जब नियोक्ता बोनस नहीं देता, तब क्या होता है? जब नियोक्ता ग्रेच्युटी नहीं देता। तब क्या होता है? जब किसी श्रमिक को उसके सेवानिवृत्त होने पर भविष्य निधि नहीं दी जाती, तब क्या होता है? यही सब कुछ पटसन उद्योग में हो रहा है। मुझे बताया गया है कि भविष्य निधि के रूप में नियोक्ताओं पर 60 करोड़ रुपए बकाया है। सरकार इस बारे में क्या कर रही है? मैंने क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त से इस बारे में बात की है। वह कहते हैं कि वे न्यायालय में मामला ले गए थे और न्यायालय ने उन्हें किस्तों में अदा करने के लिए कहा है किन्तु वे किस्तों में भी नहीं दे रहे हैं। इस प्रकार वे इससे

ज्यादा और कुछ नहीं कर रहे हैं जिससे कि इस राशि की अदायगी हो सके। वे इस प्रकार के कानूनों के अन्तर्गत नियोक्ताओं को जेल में नहीं डालते हैं। उनके मामले ये सामान्य कानून ही लागू करते हैं जिससे कि न्यायालय नियोक्ता को राहत दे सके। किन्तु जब श्रमिक की बारी आती है तो सामान्य कानून पर्याप्त नहीं समझे जाते हैं। तब इन्हें ऐसे कानून लाने पड़ते हैं जिससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि वे अनुदेशों का पालन अवश्य करें। यह उत्पादन बढ़ाने के लिए नहीं है। उत्पादन किसलिए बढ़ाया जाए ? चीजों के नष्ट होने के लिए ? यह उद्देश्य नहीं होना चाहिए। अपनी झुंझलाहट को पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार, उसके अधिकारी नियोक्ता के रूप में तथा प्रबन्धक सभी नियोक्ताओं के अधिकारों और हितों के संरक्षक के रूप में इस अत्यन्त कठोर कानून का कार्यकाल बढ़ा रहे हैं। हम इसका जोरदार विरोध करते हैं।

गृह मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : सभापति महोदया, आवश्यक सेवाएं अधिनियम के उपबंधों को पांच वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाने का प्रस्ताव है और मैं चाहता था कि सदन में उपस्थित माननीय सदस्य वस्तुतः इसी मुद्दे पर ही अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते किन्तु दुर्भाग्यवश अनेक बातें कही गई हैं जैसे कि यह कानून सदन के समक्ष पहली बार आया हो। यह अधिनियम 1981 में पारित किया गया था और अगले महीने की 23 तारीख को इसकी अवधि समाप्त हो जाएगी। इस कानून को सदन में फिर से इसलिए लाया गया है क्योंकि हम चाहते हैं कि इस उपबन्ध को पांच वर्षों के लिए और बढ़ा दिया जाए। इस कानून की अवधि को और बढ़ाने का निर्णय लेने से पहले हमने प्रशासनिक मन्त्रालयों से और सम्बन्धित राज्य सरकारों से सलाह ली थी। दो या तीन को छोड़कर सभी राज्य सरकारें 'आवश्यक सेवाएं अधिनियम' के उपबन्धों को पांच वर्ष के लिए और बढ़ाना चाहते थे····· (व्यवधान)।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : वे सभी आपकी सरकारें हैं।

श्री एस० बी० चव्हाण : मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता कि क्या अन्य पार्टियों की सरकारों ने भी स्वीकार किया है··· (व्यवधान)

सभापति महोदया : कृपया बीच में नहीं बोलिए। उन्हें उत्तर देने दीजिए·····

(व्यवधान)

श्री अमल दत्त : आपने यह तो बड़ी आसानी से कह दिया है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने आवश्यक सेवाएं अधिनियम को लागू किया है·····(व्यवधान)

सभापति महोदया : उन्हें उत्तर देने दीजिए।

श्री एस० बी० चव्हाण : मैं इसका उत्तर देने जा रहा हूं। यदि माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि ऐसी राज्य सरकारें कौन सी हैं जो कांग्रेस विचारधारा की न होकर भी अधिनियम की अवधि बढ़ाने के लिए सहमत हुई हैं तो मैं बेझिझक उनका नाम बता सकता हूं क्योंकि मेरे पास उनकी लिखित सहमति है। मैं यह बात सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं कि आन्ध्र प्रदेश ने न केवल पांच वर्ष तक अधिनियम की अवधि बढ़ाने के लिए कहा है बल्कि इसे स्थायी बनाने के लिए भी कहा है। अन्य राज्य सरकारों ने भी सहमति दी है। कर्नाटक सरकार भी, जो कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं है, व्यावहारिक कठिनाइयों को जानती है। यदि उन्हें ये उपबन्ध उपलब्ध न हों तो वे जानते हैं कि उन्हें क्या कठिनाइयां हो सकती हैं। इसीलिए इन दोनों राज्य सरकारों और अन्य राज्य सरकारों ने इस कानून का समर्थन किया है और अनुरोध किया है कि इस अधिनियम के उपबन्धों को पांच वर्ष के लिए और बढ़ाया जाए।

कुछ माननीय सदस्यों ने जिस प्रकार इस सारे मामले को प्रस्तुत किया है, उससे मैं हैरान हुआ हूँ। मैं सम्भवत: यह नहीं कह सकता कि माननीय सदस्यों ने इस विधेयक के उपबन्धों का अध्ययन नहीं किया है। उन्होंने इस विधेयक के उपबन्धों का अध्ययन किया है और उन्हें निश्चित रूप से यह पता है कि इससे औद्योगिक विवाद अधिनियम के किसी भी उपबन्ध का उल्लंघन नहीं होता है। कुछ बातें ऐसी हैं जो वास्तव में औद्योगिक विवाद अधिनियम में भी नहीं है। क्या वास्तव में इससे सारे औद्योगिक सम्बन्ध तन्त्र नष्ट होने जा रहा है ? क्या वे ईमानदारी से यह मानते हैं कि औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित तन्त्र भविष्य में विवादों को हल करने के लिए उपलब्ध नहीं होगा ? यदि आपकी यह राय है तो वह गलत है। मैं आपके ध्यान में यह लाना चाहता हूँ कि औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत समझौते और न्याय-निर्णय सम्बन्धी सभी उपबन्ध तथा वे सभी उपाय जो आप औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत करते, अब भी उपलब्ध हैं।

श्री बसुदेव आचार्य (बाँकुरा) : आप किसी उद्योग को आवश्यक सेवा कब घोषित कर सकते हैं.....

सभापति महोदया : कृपया बीच में टोकिए मत।

श्री बसुदेव आचार्य : आपके द्वारा किसी उद्योग को आवश्यक सेवा घोषित करने के बाद.....

सभापति महोदया : कृपया बाधा मत डालिए। अपने स्थान पर बैठ जाइए।

श्री एस० बी० चव्हाण : मैंने आपकी बात पूरे ध्यान से सुनी है। आप कृपया मेरी बात धैर्यपूर्वक सुनें और उत्तर पूरा हो जाने के बाद यदि आप कोई बात कहना चाहते हैं और अध्यक्ष पीठ कहने की अनुमति देती है तो आप कहें। मैं उन मुद्दों को स्पष्ट करने के लिए तैयार हूँ।

यदि तथ्यों से यह सिद्ध हो जाता है कि औद्योगिक सम्बन्ध तन्त्र उपलब्ध है और यदि हम मामले को निपटाने में सफल नहीं होते हैं तो अन्तिम उपाय के रूप में आवश्यक सेवा अधिनियम के उपबन्धों को लागू किया जा सकता है, अन्यथा नहीं।

डा० दत्ता सामन्त (बम्बई दक्षिण मध्य) : अधिनियम में तो इसका उल्लेख नहीं है।

श्री एस० बी० चव्हाण : श्री दत्ता सामन्त जी, मैं जानता हूँ कि आपका इसमें बिल्कुल विश्वास नहीं है, क्योंकि आप सभा में कह चुके हैं कि हम इसे अगर पारित भी करा लेते हैं तो आप बाहर सड़कों पर इसका विरोध करेंगे।

डा० दत्ता सामन्त : श्रमिक वर्ग को अन्तत: बाहर सड़कों पर ही संघर्ष करना होगा।

सभापति महोदया : कृपया बाधा मत डालिए।

श्री एस० बी० चव्हाण : यदि आप इस प्रकार की बातों में विश्वास करते हैं तो मेरे विचार में लोकतान्त्रिक व्यवस्था में कम से कम इस सभा में इस प्रकार की बातों की गुंजाइश नहीं है। इस सभा में हम एक दूसरे को आश्वस्त करने का प्रयास कर रहे हैं परन्तु यदि आप यह कहते हैं कि आप इस लड़ाई को अन्तत: सड़कों पर ले जाएंगे तो आप ऐसा करने के लिए स्वतन्त्र हैं। मैं सम्भवत: यह नहीं कह सकता कि आप ऐसा नहीं कर सकते।

2.08 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

डा० दत्ता सामन्त : आप जो यह कह रहे हैं कि इस अधिनियम को अन्तिम उपाय के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा वह इस अधिनियम में नहीं है।

श्री एस० बी० चव्हाण : यह है।

डा० दत्ता सामन्त : वह इसकी एक व्याख्या हो सकती है परन्तु उसमें इसका उल्लेख नहीं है।

श्री एस० बी० चव्हाण : कृपया पहले इस अधिनियम के उपबन्धों का अध्ययन करिए। इसके बाद आप समझेंगे कि सारी औद्योगिक मशीनरी उपलब्ध है और अन्तिम उपाय के रूप में ही आवश्यक सेवा अधिनियम को लागू किया जा सकता है।

महोदया, दो या तीन बातें और हैं·····

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी (हावड़ा) : महोदया पीठासीन नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप मुझे सम्बोधित करें।

श्री एस० बी० चव्हाण : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कागज देख रहा था। मैंने नहीं देखा कि आप पीठासीन हो गए हैं।

एक और बात, जो वास्तव में अनेक माननीय सदस्यों द्वारा कही गई है; यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अभिसमय पर हमने भी हस्ताक्षर किए हैं। यह अधिनियम सामूहिक सौदेबाजी की धारणा को जड़ से काटने वाला है और इसमें न तो संघ बनाने की स्वतन्त्रता है और न ही भाषण की तथा अन्य बातों की। माननीय सदस्यों ने यही कहा है। मेरे विचार में इन दोनों पहलुओं के सम्बन्ध में मैं यह आश्वासन दे सकता हूँ कि सामूहिक सौदेबाजी की व्यवस्था अभी समाप्त नहीं हुई है। मैं जब यह कहता हूँ कि आवश्यक सेवा अधिनियम को केवल अन्तिम उपाय के रूप में लागू किया जा सकता है तो इसका स्पष्टतः यह अर्थ है कि आप बातचीत करके समझौता करने का पूरा प्रयास कीजिए, औद्योगिक विवाद अधिनियम के उपबन्धों का पूरा लाभ उठाने का प्रयास कीजिए। हड़ताल करने की बजाए और पूरे समाज को नुकसान पहुंचाने की धमकी देने की बजाए यदि इसे बातचीत द्वारा निपटाया जा सकता है तो बहुत ही अच्छा है। अन्यथा इस अधिनियम के उपबन्धों को लागू करने के अलावा अन्य कोई चारा नहीं होगा। इस प्रकार यह उस हद तक न तो अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अभिसमय के न ही मूल अधिकारों के विरुद्ध है। मेरे विचार में कोई इसका दावा नहीं कर सकता। इसी कारण उच्चतम न्यायालय में इसका विरोध किया गया था। उच्चतम न्यायालय ने इस सम्बन्ध में बिल्कुल स्पष्ट विनिर्णय दिया। उन्होंने कहा है कि यह किसी श्रमिक का मूल अधिकार नहीं है। आप यह नहीं कह सकते कि हड़ताल करना मेरा मूल अधिकार है, मुझे हड़ताल करने से कोई नहीं रोक सकता। यह लागू किए गए कतिपय सिद्धान्तों अथवा कतिपय अधिकारों को जड़ से काटता है। यह मूल अधिकार है या नहीं इस मामले को न्यायालय को भेजा गया था और न्यायालय ने बिल्कुल स्पष्ट विनिर्णय दिया है कि यह मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता।

माननीय सदस्यों ने एक और मामला उठाया था। वह निजी क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को संरक्षण प्रदान करने के बारे में था। मैं नहीं समझता कि हम इस अधिनियम के उपबन्धों में सारे निजी क्षेत्र को शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। केवल उस निजी क्षेत्र को इसमें सम्मिलित किया जा रहा है जो रक्षा अथवा सुरक्षा उपायों सम्बन्धी उत्पादन में अथवा आवश्यक समझी जाने वाली सेवाओं में लगा है। सारे निजी क्षेत्र को इस अधिनियम के उपबन्धों में सम्मिलित करने का विचार नहीं है। अतः जहां कहीं ऐसी स्थिति है वहां उन्हें प्रबन्धक स्तर पर सौहार्दपूर्ण हल ढूंढना चाहिए।

परन्तु हमें किसी भी प्रकार ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं करनी चाहिए जिससे सारे समाज को नुकसान हो।

माननीय सदस्य श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कहा था कि सभी पुलिस अधिकारियों को अधिकार दिए गए हैं परन्तु उनके पदनाम नहीं दिए गए हैं। अतः इन अधिकारों के दुरुपयोग होने की संभावना है। मैं उनकी आशंका को भली-भाँति समझता हूँ और इसीलिए मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी करते समय हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि जिन अधिकारों के प्रयोग करने की आवश्यकता है, उनका इस्तेमाल केवल एक पद विशेष के अधिकारी द्वारा किया जाए और उस पद विशेष के अधिकारी से नीचे के अधिकारी द्वारा न किया जाए।···

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप इसे अधिनियम में सम्मिलित क्यों नहीं करते ?

श्री एस० बी० चव्हाण : मेरे विचार में इसे अधिनियम में सम्मिलित करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसी स्थिति हो सकती है जिनमें कुछ उपबन्धों की आवश्यकता हो सकती है। मार्गदर्शी सिद्धान्त तो हम निस्सन्देह जारी कर सकते हैं। एक पद विशेष का अधिकारी ही इनका इस्तेमाल कर सकेगा।

मैं एक और मुद्दे के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूँ। पश्चिम बंगाल में, जिसका मैंने उल्लेख किया है। आवश्यक सेवा अधिनियम लागू करने के बारे में कुछ गलतफहमी सी लगती है। यदि माननीय सदस्य इस अधिनियम की धारा तीन का अध्ययन करें तो पता चलेगा कि इस अधिनियम के अधिकारों का प्रयोग केवल केन्द्र सरकार ही कर सकती है। इस प्रकार फरक्का बाँध परियोजना में आवश्यक सेवा अधिनियम पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा लागू नहीं किया गया····· **(व्यवधान)** यह क्या है ? मैं आपको समझाना चाहता हूँ। यदि कोई गलतफहमी है तो मैं विवश हूँ। इस अधिनियम में निहित अधिकारों का प्रयोग केवल केन्द्र सरकार द्वारा धारा तीन के अन्तर्गत किया जा सकता है इन अधिकारों को विद्युत क्षेत्र तक और राज्य विधान सभाओं या संसद के चुनाव कराने तक प्रत्यायोजित किया गया है या सीमित रखा गया है। इन दो मामलों में राज्य सरकारों को शक्तियाँ प्रत्यायोजित की गई हैं। परन्तु चार राज्यों को ये शक्तियाँ प्रत्यायोजित नहीं की गई हैं पश्चिम बंगाल इन चार राज्यों में से एक है। अतः पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा आवश्यक सेवा अधिनियम को लागू करने का प्रश्न ही नहीं उठता···**(व्यवधान)** यह बिल्कुल गलतफहमी थी और इसीलिए मैं स्थिति स्पष्ट कर रहा हूँ।

श्री बसुदेव आचार्य : आपने कहा था कि पश्चिम बंगाल ने आवश्यक सेवा अधिनियम लागू किया था।

श्री एस० बी० चव्हाण : पश्चिम बंगाल···

श्री बसुदेव आचार्य : "पश्चिम बंगाल सरकार ने आवश्यक सेवा अधिनियम लागू किया है।" कार्यवाही वृत्तान्त में यही है।

श्री एस० बी० चव्हाण : यदि पश्चिम बंगाल सरकार को शक्तियाँ प्रत्यायोजित ही नहीं की हैं तो मैं नहीं जानता कि इस प्रकार की व्याख्या कैसे की जा सकती है।

श्री बसुदेव आचार्य : हम जानते हैं। आपने कहा था कि पश्चिम बंगाल ने आवश्यक सेवा

अधिनियम को लागू किया था। 'पश्चिम बंगाल' का अर्थ है, पश्चिम बंगाल सरकार न कि 'पश्चिम बंगाल में'।

एक माननीय सदस्य : केन्द्र सरकार द्वारा।

श्री बसुदेव आचार्य : केन्द्र सरकार द्वारा। आप कार्यवाही वृत्तान्त पढ़िए।

श्री एस० बी० चव्हाण : माननीय सदस्य क्या आप वह स्वीकार नहीं करते जो मैं अब कह रहा हूँ या आप यह कहते रहेंगे, "नहीं, नहीं, आपने यह कहा था ?"

एक माननीय सदस्य : आप सभा को गुमराह क्यों करते हैं ?

श्री एस० बी० चव्हाण : सभा को गुमराह करने का प्रश्न ही नहीं है।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : आपने उस दिन कहा था कि पश्चिम बंगाल ने भी आवश्यक सेवा अधिनियम लागू किया था।

(व्यवधान)

श्री एस० बी० चव्हाण : मेरे ख्याल में मैं यही स्पष्ट करना चाहता था। मेरे विचार में मैंने अपनी ओर से पश्चिम बंगाल की स्थित पूरी तरह से स्पष्ट करने का प्रयास किया था। तीन या चार राज्य ऐसे हैं जिनको शक्तियां प्रत्यायोजित नहीं की गई हैं और इसी कारण इसका प्रश्न ही नहीं.....

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : आपने कहा था कि पश्चिम बंगाल सरकार ने आवश्यक सेवा अधिनियम लागू किया था।

श्री एस० बी० चव्हाण : यदि सदस्यों की दिलचस्पी हो तो मैं आंकड़े उद्धृत कर सकता हूँ। मुझे इस सारे ब्यौरे में जाने की आवश्यकता नहीं है।

(व्यवधान)

श्री एच० ए० डोरा (श्रीकाकुलम) : अन्य राज्य कौन से हैं ?

श्री एस० बी० चव्हाण : अधिकांश राज्य सरकारों ने अपने आवश्यक सेवा अधिनियम बनाए हुए हैं। यह केन्द्रीय अधिनियम है और केन्द्रीय अधिनियम के अन्तर्गत केवल केन्द्र सरकार ही अधिनियम की शक्तियों का प्रयोग कर सकती है। मैं यही स्पष्ट करना चाहता था, मैं सभा से विधेयक पारित करने का अनुरोध करता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि सभा सहमत है तो मैं प्रस्ताव के सभी संशोधनों को एक साथ सभा में विचार करने और मतदान के लिए रखूं।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, उन्हें पृथक-पृथक रखा जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप चाहते हैं तो हम पृथक-पृथक रख सकते हैं अन्यथा हम उन सभी को एक साथ रख सकते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मैं चाहता हूँ कि मेरा संशोधन अलग से रखा जाए। आपने

मुझे मेरे संशोधन पर बोलने की अनुमति नहीं दी।

उपाध्यक्ष महोदय : वह पहले बोल चुके हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : अपने संशोधन पर नहीं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप मत विभाजन चाहते हैं ?

श्री बसुदेव आचार्य : जी, हां।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को 15 सितम्बर, 1985 तक राय जानने के लिए परिचालित किया जाए।"(1)

दीर्घाएं खाली कर दी जाएं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब दीर्घाएं खाली हो चुकी हैं। प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को 15 सितम्बर, 1985 तक राय जानने के लिए परिचालित किया जाए।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

2.26 म०प०

मत-विभाजन संख्या-1

पक्ष में

अय्यर, श्री वी०एस० कृष्ण
आचार्य, श्री बसुदेव
गुप्त, श्री इन्द्रजीत
घोष स्वामी, श्रीमती विभा
जायनल अबेदिन, श्री
तुलसीराम, श्री वी०
थोटा, श्री गोपाल कृष्ण
दत्त, श्री अमल
पाठक, श्री आनन्द
बर्मन, श्री पलास
बसु, श्री अनिल
मलिक, श्री पूर्णचन्द
मसुदल हुसैन, श्री सैयद
महाता, श्री चित्त
मुखर्जी, श्रीमती गीता
यादव, श्री विजय कुमार
राय प्रधान, श्री अमर

राव, श्रीए०जे०वी०बी० महेश्वर
सामंत, डा० दत्ता
साहा, श्री अजित कुमार
साहा, श्री गदाधर
हंसदा, श्री मतिलाल
हन्नान मोल्लाह, श्री

विपक्ष में

अख्तर हसन, श्री
अहमद, श्री सरफराज
आजाद, श्री गुलाम नबी
उरांव, श्रीमती सुमति
कमला कुमारी, कुमारी
कुचन, श्री गंगाधर एस०
कुमार मंगलम, श्री पी० आर०
कुरियन प्रो० पी० जे०
कुरेशी, श्री अजीज
कृष्ण सिंह, श्री०
खां, श्री असलम शेर
खां, श्री आरिफ मोहम्मद
खां, श्री मोहम्मद अयूब
गुहा, श्रीमती फूलरेणु
गोमांगों, श्री गिरिधर
घोषाल, श्री देवी (बैरकपुर)
चव्हाण, श्री एस० बी
चार्ल्स, श्री ए०
चिंगवांग कोनक, श्री (नागालैंड)
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जांगड़े, श्री खेलन राम
जितेन्द्र प्रसाद, श्री
जितेन्द्र सिंह, श्री
जुझार सिंह, श्री
जैन, श्री निहाल सिंह
जैन, श्री वृद्धि चन्द्र
जैनुल बशर, श्री
टोम्बी सिंह, श्री एन०
ठाकुर, श्री सी० पी०
डेनिस' श्री एन०
तिवारी, प्रो० के० के०
त्रिपाठी, डा० चन्द्रशेखकर (खलीलाबाद)

थामस, प्रो० के० बी०
थुंगन, श्री पी० के०
दलवाई, श्री हुसैन
दास मुंशी, श्री प्रिय रंजन (हावड़ा)
दिग्विजय सिंह, श्री (सुरेन्द्रनगर)
दिघे, श्री शरद
देसाई, श्री बी० वी०
धारीवाल, श्री शांति
नायक, श्री शांताराम
नायकर, श्री डी० के०
नीखरा, श्री रामेश्वर
पन्त, श्री के० सी०
पटेल, श्री अहमद एम० (भड़ौच)
पटेल, श्री राम पूजन
पटेल श्री सी० डी०
पनिका, श्री राम प्यारे
पवार, श्री सत्यनारायण
पांडे, श्री दामोदर
पांडे श्री राज मंगल
पाइलट, श्री राजेश
पाटिल, श्री एच० बी०
पाटिल श्री शिवराज वी०
पारधी, श्री केशवराव
पुरोहित, श्री बनवारी लाल
पुष्पा देवी, कुमारी
प्रधानी, श्री के०
बघेल, श्री प्रताप सिंह
बनर्जी, कुमारी ममता
बीरेन्द्र सिंह, श्री
बैरागी, श्री बालकवि
भगत, श्री एच० के० एल०
भरत सिंह, श्री
भारद्वाज, श्री परसराम (सारंगढ़)
भोई, डा० कृपा सिन्धु
मनोरमा सिंह, श्रीमती
मल्लिक, श्री लक्ष्मण
महन्ती, श्री बृजमोहन
माने, श्री मुरलीधर

मिश्र, श्री उमाकान्त
मिश्र, श्री जी० एस०
मिश्रा, डा० प्रभात कुमार
मुशरान, श्री अजय
मूर्ति, श्री एम० वी० चन्द्रशेखर
मेहता, श्री हरूभाई
यादव, श्री डी० पी० (मुंगेर)
यादव, श्री श्याम लाल
रणवीर सिंह, श्री
रथ, श्री सोमनाथ
राजहंस डा० गौरी शंकर
राजेश्वरी, श्रीमती बसव
राठौड़, श्री उत्तम
राम, श्री राम रतन
राम, श्री रामस्वरूप
राय, श्री आई० रामा
राय, श्री राज कुमार
राव, श्री पी० वी० नरसिंह
राव, श्री वी० कृष्ण
रावणी, श्री नवीन
रावत, श्री हरीश
*रेड्डी, श्री बी० एन०
वनकर, श्री पूनमचन्द मीठाभाई
वर्मा, डा० सी० एस०
वासनिक, श्री मुकुल
वीरसेन, श्री
वेंकटेसन, श्री पी० आर० एस०
वैराले, श्री मधु सूदन
व्यास, श्री गिरधारीलाल
शनमुगम, श्री ए० सी०
शांति देवी, श्रीमती
शास्त्री, श्री हरिकृष्ण
शिवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री
शेरवानी, श्री सलीम आई०
शैलेश, डा० बी० एल०
सिद्दीक, श्री हाफिज मोहम्मद

*गलती से विपक्ष में मतदान किया।

सुमन, श्री राम प्यारे
सुल्तानपुरी, श्री के० डी०
सेठी, श्री अनंत प्रसाद
सोरन, श्री हरिहर
स्वामी प्रसाद सिंह श्री
स्वेल, श्री जी० जी०

उपाध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्याधीन ** मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है :

पक्ष में : 23

विपक्ष में : 112

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब, मैं श्री बासुदेव आचार्य द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधन संख्या 2 को सभा में मतदान के लिए रखता हूँ।

प्रश्न यह है :

"कि आवश्यक सेवा अधिनियम, 1981 में और संशोधन करने वाला विधेयक दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाए, जिसमें 15 सदस्य हों, इस सभा से 10 अर्थात् :—

(1) श्री अजय विश्वास
(2) श्री एस० बी० चव्हाण
(3) श्री सैफुद्दीन चौधरी
(4) प्रो० मधु दण्डवते
(5) श्री इन्द्रजीत गुप्त
(6) श्रीमती गीता मुखर्जी
(7) श्री सी० माधव रेड्डी
(8) श्री अजित कुमार साहा
(9) श्री के० पी० उन्नीकृष्णन; और

** निम्नलिखित सदस्यों ने भी मतदान में भाग लिया :

पक्ष में : श्री एन० बी० एन० सोमू, श्री एन० वेंकटरत्नम, डा० सुधीर राय, श्री एस० एस० एम० गुरड्डी और श्री बी० एन० रेड्डी।

विपक्ष में : श्री जे० चोक्का राव, श्री प्रकाश वी० पाटिल, श्री गुरुदास कामत, श्री एस० जी० घोलप, श्री कम्मोदीलाल जाटव, श्री सुख राम, श्री जय प्रकाश अग्रवाल, श्री मानवेन्द्र सिंह, श्री जी० एस० बसवराजू, डा० के० जी० अदियोडी, श्री पी० ए० एन्थनी, प्रो० मिजिनलंग कामसन और श्री मानकूराम सोडी

(10) श्री बसुदेव आचार्य।

और राज्य सभा से 5;

कि संयुक्त समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति समिति के सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई होगी;

कि समिति इस सभा को, 15 सितम्बर, 1985 तक प्रतिवेदन देगी।

कि अन्य विषयों में संसदीय समितियों के सम्बन्ध में इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों और रूपभेदों के साथ लागू होंगे जैसा अध्यक्ष द्वारा किए जायें; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले 5 सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।" (2)

दीर्घायें खाली कर दी जाएं—अब, दीर्घाएं खाली हो गई हैं।

प्रश्न यह है :—

"कि आवश्यक सेवा अधिनियम, 1981 में और संशोधन करने वाला विधेयक दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाए, जिसमें 15 सदस्य हों, इस सदन से 10 अर्थात्

(1) श्री अजय विश्वास

(2) श्री एस० बी० चव्हाण

(3) श्री सैफुद्दीन चौधरी

(4) प्रो० मधु दण्डवते

(5) श्री इन्द्रजीत गुप्त

(6) श्रीमती गीता मुखर्जी

(7) श्री माधव रेड्डी

(8) श्री अजित कुमार साहा

(9) श्री के० पी० उन्नीकृष्णन; और

(10) श्री बासुदेव आचार्य।

और राज्य सभा से 5,

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई होगी;

कि समिति इस सभा को 15 सितम्बर,1985 तक प्रतिवेदन देगी।

कि अन्य विषयों में संसदीय समितियों से सम्बन्ध में इस सभा के प्रक्रिया नियम, ऐसे परिवर्तनों और रूपाभेदों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष द्वारा किये जायें; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में

सम्मिलित हो और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले 5 सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे; (2)

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ।

मत विभाजन संख्या 2

2.32 म० प०

पक्ष में

अय्यर, श्री वी० एस० कृष्ण
आचार्य, श्री बसुदेव
गुप्त, श्री इन्द्रजीत
गुरुडी, श्री एस० एम०
घोष गोस्वामी, श्रीमती विभा
जायनल अबेदिन, श्री
डोरा, श्री एच० ए०
तुलसीराम, श्री वी०
थोटा, श्री गोपाल कृष्ण
दंडवते, प्रो० मधु
दत्त, श्री अमल
पाठक, श्री आनन्द
बर्मन, श्री पलास
बसु, श्री अनिल
मलिक, श्री पूर्ण चन्द्र
मसुदल हुसैन, श्री सैयद
महाता, श्री चित्त
यादव, श्री विजय कुमार
रत्नम, श्री एन० वेंकट
राजू, श्री आनन्द गजपति
राय, डा० सुधीर
रायप्रधान, श्री अमर
राव, श्री ए० जे० वी० बी० महेश्वर
साहा, श्री अजित कुमार
साहा, श्री गदाधर
हंसदा, श्री मतिलाल
हन्नान मोल्लाह, श्री

विपक्ष में

आजाद, श्री गुलाम नबी
उराव, श्रीमती सुमति
कमला कुमारी, कुमारी
कामत, श्री गुरुदास
कुचन, श्री गंगाधर एस०
कुमार मंगलम, श्री पी० आर०
कुरियन प्रो० पी० जे०
कुरेशी, श्री अजीज
कृष्ण सिंह, श्री
खां, श्री असलम शेर
खां, श्री आरिफ मोहम्मद
खां, श्री मोहम्मद अयूब
गंगा राम, श्री
गुहा, श्रीमती फूलरेणु
गोमांगों, श्री गिरिधर
घोषाल, श्री देवी
घोलय, श्री एस० जी०
चव्हाण, श्री एस० बी०
चार्ल्स, श्री ए०
चिंगवांग कोनयक, श्री
चोवका राव, श्री जे०
जांगड़े, श्री खेलन राम
जितेन्द्र प्रसाद, श्री
जुझार सिंह, श्री
जेना, श्री चिन्तामणि
जैन, श्री निहाल सिंह
जैन, श्री बृद्धि चन्द्र
जैनुल बशर, श्री
टोम्बी सिंह, श्री एन०
डेनिस; श्री एन०
तारादेवी, कुमारी डी० के०
तिलकधारी सिंह, श्री
तिवारी, प्रो० के० के०
त्रिपाठी, डा० चन्द्रशेखर
थामस, प्रो० वे० बी०
थुंगन, श्री पी० के०

दलवाई, श्री हुसैन
दिग्विजय सिंह, श्री (सुरेन्द्रनगर)
दिघे, श्री शरद
देसाई, श्री बी० वी०
धारीवाल, श्री शान्ति
नायक, श्री शान्तराम
नायकर, श्री डी० के०
नारायणन, श्री के० आर०
नीखरा, श्री रामेश्वर
पन्त, श्री के० सी०
पटेल, श्री अहमद एम०
पटेल, श्री राम पूजन
पटेल, श्री सी० डी०
पनिका, श्री राम प्यारे
पवार, श्री सत्यनारायण
पांडे, श्री दामोदर
पांडे, श्री मदन
पांडे, श्री राज मंगल
पाइलट, श्री राजेश
पाटिल, श्री एच० बी०
पाटिल, श्री प्रकाश वी०
पाटिल, श्री शिवराज वी०
पारधी, श्री केशवराव
पुरोहित, श्री बनवारी लाल
पुष्पा देवी, कुमारी
प्रधानी, श्री के०
बघेले, श्री प्रताप सिंह
बनर्जी, कुमारी ममता
बीरेन्द्र सिंह, श्री
बैरागी, श्री बालकवि
भगत, श्री एच०के०एल०
भरत सिंह, श्री
भारद्वाज, श्री परसराम
भोई, डा० कृपा सिन्धु
भोसले, श्री प्रतापराव बाबूराव
मल्लिक, श्री लक्ष्मण
महन्ती, श्री बृजमोहन
मानवेन्द्र सिंह, श्री

माने, श्री मुरलीधर
मिश्र, श्री उमाकान्त
मिश्र, श्री गार्गी शंकर
मिश्रा, डा० प्रभात कुमार
माजिनलंग, श्री कामसन
मुंशी, श्री प्रियरंजनदास
मुसगई, श्री ए०आर०
मूर्ति, श्री एम०वी० चन्द्रशेखर
मेहता, श्री हरुभाई
यादव, श्री डी०पी०
यादव, श्री बलरामसिंह
यादव, श्री श्यामलाल
रणवीर सिंह, श्री
रथ, श्री सोमनाथ
राजहंस, डा० गौरी शंकर
राठौड़, श्री उत्तम
राम, श्री राम रतन
राम, श्री रामस्वरूप
राय, श्री आई० रामा
राय, श्री राजकुमार
राव, श्री जे० वेंगल
राव, श्री पी०वी० नरसिंह
रावणी, श्री नवीन
रावत, श्री हरीश
**रेड्डी, श्री के० रामचन्द्र
लोवांग, श्री बंगफा
वनकर, श्री पूनमचन्द मीठाभाई
वर्मा डा० सी०एस०
वासनिक, श्री बालकृष्ण
वीरसेनी, श्री
वेंकटेशन, श्री पी०आर०एस०
वैराले, श्री मधु सूदन
व्यास, श्री गिरधारीलाल
शनमुगम, श्री ए०सी०
शांति देवी, श्रीमती
शास्त्री, श्री हरिकृष्ण
शिवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री

**गलती से विपक्ष में मतदान किया।

शेरवानी, श्री सलीम आई०
सिद्दीक, श्री हाफिज मोहम्मद
सुमन, श्री राम प्यारे
सुल्तानपुरी, श्री के०डी०
सेठी, श्री अनंत प्रसाद
सोडी, श्री मनकूराम
सोरन, श्री हरिहर
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
स्वेल, श्री जी० जी०

उपाध्यक्ष महोदय : शुद्धि के **अध्याधीन मत-विभाजन का परिणाम इस प्रकार है :

पक्ष में : 27

विपक्ष में : 120

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री सत्यगोपाल मिश्र के संशोधन संख्या 3 को सभा में मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन संख्या 3 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि आवश्यक सेवा अधिनियम, 1981 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खण्ड-वार विचार करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

** निम्नलिखित सदस्यों ने भी मतदान में भाग लिया :

पक्ष में : डा० दत्ता सामन्त, श्री एन० वी० एन० सोमू, श्री सी० माधव रेड्डी, श्रीमती गीता मुखर्जी, श्री अजय विश्वास, श्री बी० एन० रेड्डी और श्री के० रामचन्द्र रेड्डी।

विपक्ष में : श्रीमती मनोरमा सिंह, सर्वश्री जगन्नाथ प्रसाद, श्री कम्मोदी लाल जाटव, डा० बी०एल० शैलेश, सर्वश्री अख्तर हसन, जयप्रकाश अग्रवाल, जितेन्द्र सिंह, डा० सी० पी० ठाकुर, सर्वश्री वी० कृष्ण राव, अजल मुशरान, सरफराज अहमद, श्रीमती बसव राजेश्वरी, श्री जी० एस० बसवराज, डा० के० जी० अदियोडी और श्री पी०ए० एन्टनी।

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

गृह मन्त्री (श्री एस०बी० चव्हाण) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

अब मत विभाजन होगा : दीर्घाएं खाली कर दी जाएँ। दीर्घाएँ खाली कर दी गई हैं। अब मैं विधेयक सभा में मतदान के लिए रखता हूँ। प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ।

मत-विभाजन संख्या 3

2.39 म०प०

पक्ष में

बंसारी, श्री अब्दुल हन्नान
अखतर हसन, श्री
अग्रवाल, श्री जयप्रकाश
आदियोडी, डा० के०जी०
अहमद, श्री सरफराज
आजाद, श्री गुलाम नबी
एन्टनी, श्री पी० ए०
कमला कुमारी, कुमारी
कामत, श्री गुरुदास
कामसन, प्रो० मिजिनलंग
कुचन, श्री गंगाधर एस०
कुमार मंगलम, श्री पी०आर०
कुरियन, प्रो० पी०जे०
कुरेशी, श्री अजीज
मानयक, श्री चिंगनांग
कृष्णसिंह, श्री
खां, श्री असलम शेर
खां, श्री मोहम्मद अयूब
गुहा, श्रीमती फूलरेणु
गुरुड्डी, श्री एस० एम०
गोमांगो, श्री गिरधर
घोलप, श्री एस०जी०
घोषाल, श्री देवी

चव्हाण, श्री एस०बी०
चार्ल्स, श्री ए०
चोक्का राव, श्री जे०
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जाँगड़े, श्री खेलनराम
जाटव, श्री कम्मोदीलाल
जितेन्द्र प्रसाद, श्री
जितेन्द्र सिंह, श्री
जुझार सिंह, श्री
जेना, श्री चिन्तामणि
जैन, श्री निहाल सिंह
जैन, श्री वृद्धि चन्द्र
टोम्बीसिंह, श्री एन०
ठाकुर, श्री सी०पी०
डेनिस, श्री एन०
डोरा, श्री एच०ए०
तारादेवी, कुमारी डी०के०
तिवारी, प्रो० के०के०
तोमर, श्रीमती ऊषा रानी
त्रिपाठी, डा० चन्द्र शेखर
थामस, प्रो०के०बी०
थुंगन, श्री पी०के०
थोटा, गोपाल कृष्ण, श्री
दलवाई, श्री हुसैन
दास मुंशी, श्री प्रिय रंजन
दिघे, श्री शरद
धारीवाल, श्री शांति
नायक, श्री शांताराम
नायकर, श्री डी०के०
नोखरा, श्री रामेश्वर
पंत, श्री के०सी०
पटेल, श्री अहमद एम०
पटेल, श्री रामपूजन
पटेल, श्री सी०डी०
पनिका, श्री राम प्यारे
पराशर, प्रो० नारायणचन्द
पवार, श्री सत्यनारायण
पांडे, श्री दामोदर
पांडे, श्री मदन

पांडे, श्री राज मंगल
पाइलट, श्री राजेश
पाटिल, श्री एच० बी०
पाटिल' श्री प्रकाश वी०
पाटिल, श्री शिवराज वी०
पारधी, श्री केशवराव
पुष्पा देवी कुमारी
प्रधानी, श्री के०
फैलोरी, श्री एडुआर्डो
बघेले, श्री प्रताप सिंह
बनर्जी, कुमारी ममता
बीरेन्द्र सिंह, श्री
बैरागी, श्री बालकवि
भगत, श्री एच० के० एल०
भरत सिंह, श्री
भारद्वाज, श्री परसराम
भोई, डा० कृपा सिन्धु
मनोरमा सिंह, श्रीमती
महन्ती, श्री बृजमोहन
मानवेन्द्र सिंह, श्री
माने, श्री मुरलीधर
मिश्र, श्री उमाकान्त
मिश्र, श्री गार्गी शंकर
मिश्र, डा० प्रभात कुमार
मुसुगई, श्री ए० आर०
मुशरान, श्री अजय नारायण
मूर्ति, श्री एय० वी० चन्द्रशेखर
मेहता, श्री हरुभाई
यादव, श्री डी० पी०
यादव, श्री बलराम सिंह
यादव, श्री श्याम लाल
रणवीर सिंह श्री
रथ, श्री सोमनाथ
राउत, श्री भोला
राजहंस, डा० गौरी शंकर
राजेश्वरी, श्रीमती बसवै
राठौड़, श्री उत्तम

राम, श्री राम रतन
राम, श्री रामस्वरूप
राय, श्री आई० रामा
राय, श्री राजकुमार
राव, श्री जे० वेंगल
राव, श्री पी० वी० नरसिंह
रावणी, श्री नवीन
रावत, श्री हरीश
वनकर, श्री पूनमचन्द मीठाभाई
वर्मा, डा० सी० एस०
वासनिक, श्री मुकुल
वीरसेनी श्री
वेंकटेसन, श्री पी० आर० एस०
वैराल, श्री मधुसूदन
व्यास, श्री गिरधारीलाल
शनमुगम, श्री एस० सी०
शांति देवी, श्रीमती
शास्त्री, श्री हरिकृष्ण
शिवेन्द्र बहादुर सिंह,
सिद्धदीक, श्री हाफिज मोहम्मद
सुमन, श्री राम प्यारे
सुल्तानपुरी, श्री के० डी०
सेठी, श्री अनन्त प्रसाद
सोढी, श्री मनकूराम
सोरन, श्री हरिहर
स्वामी प्रसाद सिंह श्री
स्वेल, श्री जी० जी०
*हन्नान मौल्लाह,श्री

विपक्ष में

अय्यर, श्री वी० एस० कृष्ण
आचार्य, श्री बसुदेव
**गंगा राम, श्री
गुप्त, श्री इन्द्रजीत
घोष गोस्वामी, श्रीमती विभा
जायनल अबेदिन, श्री

*गलती से पक्ष में मतदान किया।
**गलती से विपक्ष में मतदान किया।

झांसी लक्ष्मी, श्रीमती एन० पी०
तुलसीराम, श्री बी०
दंडवते, प्रो० मधु
दत्त, श्री अमल
दास, श्री रेणुपद
*नारायणन, श्री के० आर०
पाठक, श्री आनन्द
बर्मन, श्री पलास
बसु, श्री अनिल
विश्वास, श्री अजय
भूपति, श्री जी०
मलिक, श्री पूर्णचन्द्र
मसुदल हुसैन, श्री सैयद
महाता, श्री चित्त
मुखर्जी, श्रीमती गीता
यादव, श्री विजय कुमार
रत्नम, श्री एन० वेंकट
राजू, श्री आनन्द गणपति
राय, डा० सुधीर
रायप्रधान, श्री अमर
राव, श्री ए० जे० वी० बी० महेश्वर
रेड्डी, श्री के० रामचन्द्र
रेड्डी, श्री पी० मानिक
रेड्डी, श्री बी० एन०
सामन्त, डा० दत्ता
साहा, श्री अजित कुमार
साहा, श्री गदाधर
हन्सदा, श्री मतिलाल

उपाध्यक्ष महोदय : शुद्धि के ** अध्याधीन मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है :

*गलती से विपक्ष में मतदान किया।

**निम्नलिखित सदस्यों ने भी मतदान में भाग लिया :

पक्ष में : सर्वश्री लक्ष्मण मलिक, जैनुल बशर, बी० एल० पुरोहित, श्री सलीम भाई शेखानी, डा० बी० एल० शैलेश, सर्वश्री प्रताव राव बी० भोंसले, वांगकालोबांग, प्रकाश चन्द्र, श्री कृष्णा राव, श्रीमती सुमति उंराव, श्री जी० एस० वासव राज, श्री के० आर० नारायण और श्री गंगाराम।

विपक्ष में : सर्वश्री एम० वी० एन० सोमू, सी० माधव रेड्डी, डा० जी० विजय रामा राव, श्री हन्नान मोल्लाह।

पक्ष में : 127

विपक्ष में : 34

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

डा० दत्ता सामन्त और कुछ अन्य सदस्य सभा भवन से बाहर चले गये।

2.40 म० प०

आवश्यक सेवा अधिनियम 1981 के बारे में सांविधिक संकल्प

[अनुवाद]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलैक्ट्रानिक्स विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : मैं निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूँ :

> "कि आवश्यक सेवा अधिनियम, 1981 (1981 का 40) की धारा (2) की उप-धारा (2) के अनुसरण में, यह सभा भारत सरकार की 8 अगस्त, 1985 की अधिसूचना गृह मन्त्रालय—संख्या का० आ० 595 (30) का अनुमोदन करती है, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खंड 3, उपखंड (दो) में 8 अगस्त, 1985 को प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा यूरेनियम उद्योग को, 14 अगस्त, 1985 को सभा पटल पर रखी गई थी उक्त अधिसूचना को जारी करने की तारीख से आवश्यक सेवा घोषित किया गया है।"

महोदय, परमाणु ऊर्जा विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण के अधीन सरकारी क्षेत्र के एक उपक्रम भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड (यू० सी० आई० एल०) को 1967 में सम्मिलित किया था। यह निगम यूरेनियम सान्द्र, ताँबा सांद्र, मोलिबडिनम सान्द्र और मेग्नाइट के उत्पादन के लिए यूरेनियम अयस्क के खनन और मिल से निर्माण के कार्य में रत है। यूरेनियम सान्द्र की यूरेनियम के उत्पादन में आवश्यकता होती है जिसकी कि देश में परमाणु विद्युत कार्यक्रम के लिए ईंधन के रूप में जरूरत पड़ती है। आजकल निगम बिहार में सिंहभूम जिले के जादुगुडा में यूरेनियम खनन एवं मिल से निर्माण करने के एक के एकक के रूप में कार्यरत है।

भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड का कार्य सामरिक महत्व का है इस बात को ध्यान में रखते हुए इसके परिसर को, परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 और भारतीय शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 के अधीन 'निषिद्ध क्षेत्र' घोषित किया गया है। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के उपबन्धों के अधीन यूरेनियम उद्योग में सेवा को समय-समय पर लोक उपयोगी सेवा भी घोषित किया जाता रहा है।

जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड की जादुगुडा की खानें ही देश में इस समय परमाणु विद्युत कार्यक्रम के लिए ईंधन का उत्पादन करने के लिए आवश्यक मुख्य कच्चे माल का एक मात्र स्रोत है और यह अनिवार्य है कि खनन और मिल से निर्माण कार्य हर समय चालू रखा जाए जिससे कि देश में परमाणु विद्युत रिएक्टरों हेतु ईंधन हर समय उपलब्ध हो सके। विद्युत रिएक्टरों के अतिरिक्त, हाल ही में चालू किया गया अनुसन्धान रिएक्टर 'ध्रुव'

भी अपनी ईंधन की आवश्यकताओं के लिए भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड के जादुगुडा संयंत्र पर निर्भर करता है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 246 के अधीन, यूरेनियम खनिज के बारे में कानून बनाने की एकमात्र शक्ति संसद के पास है, क्योंकि यह संविधान की सातवीं अनुसूची की क्रम संख्या 6 में उल्लिखित खनिज संसाधनों में से एक है।

ऊपर स्पष्ट किए गये विभिन्न तथ्यों पर विचार करते हुए, यूरेनियम उद्योग को अधिसूचना संख्या का० आ० 595 (ङ) जो भारत के राजपत्र, असाधारण भाग दो खंड 3 उपखण्ड (दो) में दिनांक 8 अगस्त, 1985 को प्रकाशित हुई थी, दिनांक 8 अगस्त, 1985 की अधिसूचना संख्या का० आ० द्वारा आवश्यक सेवा अधिनियम, 1981 (1981 का 40) की धारा 2 की उप-धारा 2 के अधीन आवश्यक सेवा घोषित किया गया था। उसी अधिसूचना को लोक सभा के पटल पर 14 अगस्त, 1985 को रखा गया था।

मैं उपर्युक्त संकल्प की सभा के विचारार्थ और स्वीकृति हेतु अनुसरण करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> "कि आवश्यक सेवा अधिनियम, 1981 (1981 का 40) की धारा (2) की उप-धारा (2) के अनुसरण में, यह सभा भारत सरकार की 8 अगस्त, 1985 की अधिसूचना गृह मन्त्रालय—संख्या का० आ० 595 (30) का अनुमोदन करती है, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खंड 3, उपखंड (दो) में 8 अगस्त, 1985 को प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा यूरेनियम उद्योग को, 14 अगस्त, 1985 को सभा पटल पर रखी गई उक्त अधिसूचना को जारी करने की तारीख से आवश्यक सेवा घोषित किया गया है।"

इस विषय पर बोलने के लिए मुझे किसी का नाम नहीं मिला है। अतः में संकल्प को सीधे ही सभा में मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न यह है :

> "कि आवश्यक सेवा अधिनियम, 1981(1981 का 40) की धारा(2) की उपधारा (2) के अनुसरण में, यह सभा भारत सरकार की 8 अगस्त, 1985 की अधिसूचना गृह मन्त्रालय—संख्या का० आ० 595 (30) का अनुमोदन करती है, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खंड 3, उपखंड (दो) में 8 अगस्त, 1985 को प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा यूरेनियम उद्योग को; 14 अगस्त, 1985 को सभा पटल पर रखी गयी उक्त अधिसूचना को जारी करने की तारीख से आवश्यक सेवा घोषित किया है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

2.44 म० प०

आतंकवादी क्षेत्र (विशेष न्यायालय)संशोधन विधेयक, 1985

[अनुवाद]

गृह मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि आतंकवादी क्षेत्र (विशेष न्यायालय) अधिनियम, 1984 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

आतंकवादी क्षेत्र (विशेष न्यायालय) अधिनियम संसद द्वारा 31 अगस्त, 1984 को बनाया गया था जो आतंतकवादी क्षेत्र (विशेष न्यायालय) अध्यादेश, 1984, जो 14 जुलाई, 1984 को जारी किया गया था, का स्थान लेता है। इस विधान को आतंक और हिंसा की उस पृष्ठभूमि में आतंकवादी क्षेत्रों में कुछ अपराधों के त्वरित विचारण की व्यवस्था के लिए बनाया गया था जिसमें प्राय: आतंकवादियों द्वारा किए जाने वाले अपराधों पर विचारण हेतु साधारण अदालतों के कार्य को अत्यन्त कठिन बना दिया था।

जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, कि सरकार और शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष के बीच हुए समझौते के ज्ञापन में यह व्यवस्था है कि अधिनियम के अधीन गठित विशेष न्यायालयों में विमान अपहरण और युद्ध करने के अपराधों से सम्बन्धित मामलों पर विचारण होना। इस विधेयक का उद्देश्य है, युद्ध ठानने (भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं 121, 121 क, 122 और 123) और विमान अपहरण (विमान अपहरण विरोधी अधिनियम की धाराओं 4 और (5) से सम्बद्ध केवल बहुत ही गम्भीर अपराधों को अधिनियम की परिधि में रखकर इस अधिनियम के कार्यान्वयन को सीमित करना, जिससे विशेष अदालतों द्वारा केवल वे ही अपराध अभियोजनीय बन सकें और अन्य सभी अपराधों से सम्बद्ध मामलों पर, चाहे वे विशेष अदालतों के समक्ष लम्बित पड़े हों या उनकी जांच-पड़ताल चल रही हो, साधारण अदालतों में सुनवाई हो सके।

मैं माननीय सभा से विधेयक की अनुशंसा करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि आतंकवादी क्षेत्र (विशेष न्यायालय) अधिनियम 1984 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री एन० वेंकट रत्नम (तेनाली) : कुछ वर्ष पहले संविधान में एक संशोधन किया गया था जिसके अन्तर्गत कतिपय परिस्थितियों में ही या प्रधान मन्त्री महोदय ऐसा करना ठीक समझें तो आपात स्थिति लागू की जा सकती है, परन्तु ऐसा कुछेक अधिनियमों के सशर्त नियमों के अधीन हो सकता था। एक मुख्य संशोधन राष्ट्र के विरुद्ध षडयन्त्र और युद्ध है। मुझे प्रसन्नता है कि उन उपबन्धों को यहां सम्मिलित किया गया है। महोदय, मैं सोचता हूँ और मेरे दल को भी इस विधेयक के पारित किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। एक मात्र बात यह है कि मामले के व्यावहारिक पहलू को बनाए रखना है इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण मनोवैज्ञानिक और भावात्मक पहलू है। मेरा सरकार से निवेदन है कि वह किसी प्रकार की भावना में न बहे क्योंकि हमारी सरकार एक उत्तरदायी सरकार है एक महान और विशाल प्रजातान्त्रिक देश और विश्व के महानतम लोकतन्त्र को सुरक्षा प्रदान कर रही है। अत:, इस सम्बन्ध में मैं सरकार से अपील करूंगा कि इस सम्बन्ध में वह भावात्मक कम और व्यावहारिक अधिक बने और मैं और मेरा दल व्यक्तिगत रूप से इस विधेयक को पारित करने की सिफारिश करते हैं।

श्री एन० टोम्बी सिंह (आन्तरिक मणिपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस विधेयक का समर्थन करते हुए प्रसन्नता हो रही है, जो देश की राजनीतिक परिस्थिति में सुधार की उद्घोषणा करता है। जब हम इस विधेयक पर चर्चा करते हैं तो मैं पंजाब और असम की समस्याओं के हल का विशेष उल्लेख करना चाहूंगा। इस विधेयक के उद्देश्यों को बताने वाले विवरण में मन्त्री महोदय ने

बड़ी ही विनम्रता से काम लिया है। उन्होंने उल्लिखित किया है कि परिस्थिति न केवल बदल गई है, परन्तु वास्तव में सुधर भी गई हैं। इस सरकार के अधीन और संविधान के अधीन चलाई गयी इस देश की प्रजातान्त्रिक परम्परा को इस विधेयक में भली भाँति प्रदर्शित किया गया है। जब कभी ऐसे विधेयकों को पुरःस्थापित और पारित किया गया विपक्ष और बहुत से आलोचकों की यह आशंका रही थी कि शायद इन विधेयकों का दुरुपयोग किया जाए। परन्तु अब हमने देखा है कि इस प्रजातान्त्रिक परम्परा का क्रोध जो अच्छे आदमी का गुस्सा रहा है, वह कभी समाप्त नहीं होगा। यह जल की सतह पर तलवार चलाने के समान है।

महोदय, हमने सभा के गत वर्ष के दौरान कुछ समय पूर्व आतंकवादी विरोधी कार्यकलाप विधेयक पर चर्चा की थी और दोनों ही ओर के बहुत से सदस्यों ने उस समय यह भी उल्लेख किया था कि सरकार को ऐसे कानूनों को लागू करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि पंजाब और असम में स्थिति सुधर जाने के तुरन्त बाद विशेष अदालतों की प्रासांगिकता को सीमित करने के लिए, यह संशोधन लाया गया है, जिसमें कि कार्यक्षेत्र केवल विमान अपहरण अधिनियम और देश राज्य के प्रति युद्ध ठानने तक ही सीमित होना चाहिए। इससे पता चलता है कि सरकार संवर रहे बन्धनों से निपटने की बहुत ही अस्थायी योजना थी।

महोदय, मैं पंजाब और असम की इस समस्या का विशेष उल्लेख करना चाहूँगा, जिसमें असम समस्या का विशिष्ट रूप से उल्लेख करूँगा। प्रधान मन्त्री महोदय के साथ गृह मन्त्री महोदय को भी श्रेय मिलना चाहिए जिन्होंने असम की समस्या के समाधान में इतना भारी योगदान दिया। पंजाब की समस्या के हल के बाद, असम की समस्या के हल से न केवल दो राज्यों की समस्याओं के हल का मार्ग प्रशस्त हुआ है, बल्कि देश भर की समग्र परिस्थिति में भी अपेक्षित परिवर्तन हुआ है। मैं तो केवल उत्तर पूर्व के कुछेक क्षेत्रों का उल्लेख करना चाहूँगा। जहां हम पर्याप्त कार्यवाही करने में असमर्थ रहे हैं, उस दिशा में राज्य सरकार या किसी अदालत ने आतंकवादियों की गतिविधियों के विरुद्ध पर्याप्त कार्यवाही नहीं की है।

महोदय, मणिपुर और नागालैण्ड राज्यों में कोई भी अदालत आतंकवादियों या भूमिगत उग्रवादियों के विरुद्ध कोई भी वास्तविक आदेश देने में असमर्थ रही है। हम भली भाँति समझ सकते हैं राज्य और राष्ट्रीय सरकार का दृष्टि कोण यह है : वे प्रतीक्षा कर रहे हों या अन्यथा उग्रवादियों को कभी-कभी आतंकवादियों को भी अवसर प्रदान कर रहे हों कि वे अपने विचारों को बदलें तथा अपना सहयोग देकर राष्ट्र की मुख्य धारा में आने पर विचार करें।

एक अन्य पहलू पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है उदाहरण स्वरूप, किसी विशेष राज्य या क्षेत्र में कोई दोष-सिद्धियां अभियोजन सम्भव नहीं हो सका ? क्या कोई ऐसी बात है कि अदालतों अथवा अभियोजन अभिकरणों ने स्वयं को राजनीतिक आन्दोलनों का ही अन्त बना डाला है अथवा अन्य क्या विचारण है ?

अत: आतंकवादी गतिविधियों से सम्बद्ध कानून को कार्यान्वित करते समय, विशेषकर इसके न्याय सम्मत व्यावहारिक पहलूओं को आपको कम से कम उन पर तो मुकदमा चलाना ही चाहिए जो गम्भीर मामलों में लिप्त हैं और यह अध्ययन करना होगा कि कोई भी अभियोजन अभिकरण किसी भी अदालत में कोई अच्छा मामला क्यों नहीं प्रस्तुत कर सके और यह भी देखना चाहिए कि क्यों उस मामले में कोई अदालत सजा नहीं दे सकी। इस मामले पर विचार किया जाना चाहिए।

जब वह उत्तर दें तो मैं मन्त्री महोदय से इस अधिनियम के कार्यान्वयन के परिणामों का

ब्यौरा जानना चाहूंगा उदाहरण स्वरूप आतंकवादी प्रभावित क्षेत्र (विशेष अदालतें) अधिनियम, 1984 अर्थात् इस अनुसूची के अधीन कितने मामलों को अभियोजनार्थ लिया गया और कितनों को इस अधिनियम के अधीन दण्डित किया गया। अब जबकि हम इस अधिनियम के संशोधन पर चर्चा कर रहे हैं तो राजनीतिक परिस्थिति में न केवल परिवर्तन ही आया है, बल्कि निश्चित रूप से सुधार भी हुआ है जो पंजाब और असम की समस्याओं के समाधान का प्रतिफल है मैं कुछेक सम्भावनाओं का उल्लेख करना चाहूंगा। मैं सातवें दशक के प्रारम्भ की बात कर रहा हूँ जब हमने नागालैण्ड और मणिपुर में सक्रिय राजद्रोहियों को सामान्य क्षमा प्रदान की थी। जो त्रिपुरा और अगरतला जेलों में बन्द थे। उन्हें आम क्षमा प्रदान की गई और इस आशा से प्रदान की गयी कि यह इसका स्थायी समाधान होगा तथा इन युवा एवं खफा लोगों से सहयोग मिलेगा। क्षमा प्रदान किये जाने के तुरन्त बाद, मैं नहीं जानता कि क्या राज्य सरकार ने इन लोगों के साथ गलत ढंग से व्यवहार किया। इन लोगों का तो सही ढंग से पुनर्वास किया जाना चाहिए था। मेरी समझ में नहीं आता कि इस समस्या को हल क्यों नहीं किया गया। शायद क्षमा प्रदान करने के परिणाम नहीं निकले, क्योंकि 1978 के आस पास, हमने नागालैण्ड और मणिपुर देश द्रोही संगठनों को फिर पनपते देखा। हमें यह बताया गया है कि जो लोग पकड़े गये थे और अगरतला जेल में रखे गये थे, जब वे बाहर आए तो विभाजित हो गए। हो सकता है राज्य सरकार उनका पुनर्वास करने में असफल रही हो। हमें यह बताया गया था उनमें से कुछ को समस्या की गलत समझ के आधार गलत तरीके से सरकार ने हथियार बन्द किया था और इस प्रकार दूसरे वर्ग को अलग कर दिया गया था और यह स्वाभाविक है कि उन्होंने पीपल्स लिबरेशन आर्मी (पी० एल० ए०) बनाने का प्रयास किया हो। हमारे लिए यह शिक्षा है। आज यदि हम यह देखें कि राजद्रोह मन्दा पड़ गया है और स्थिति स्पष्टतया शान्तिपूर्ण है तो सम्भवतः यह वास्तविक स्थिति न हो। इसीलिए हम गृह मन्त्री महोदय से निवेदन करते हैं कि यह पता लगाने के लिए कि क्या किसी और नाम से राजद्रोह की कोई अन्य चिंगारी तो नहीं भड़कने जा रही है वह गृह मन्त्रालय और इसके आसूचना अभिकरणों तथा इसके सैन्य अभिकरणों को इस काम में जुटाएं। यदि ऐसी बात हो तो नाराज युवकों को शान्त करने हेतु सामाजिक आर्थिक कार्यों में सहयोग दिया जाना चाहिए।

केवल उस दिन ही सेना की टुकड़ी पर घात लगाकर आक्रमण किया गया, जिसमें सात या आठ जवान मारे गये। अज्ञात उग्रवादियों में एक शान्ति कैम्प के सदस्यों को मार डाला और लोक सेवा संघ के एक भूतपूर्व सदस्य को भी मौत के घाट उतार दिया गया तथा भूतपूर्व मन्त्री श्री सोलोमन को अज्ञात उग्रवादियों ने उनके निवास पर ही ढेर कर दिया यह स्वयं इम्फाल में ही घटित हुआ जबकि सेना के जवानों और शान्ति कैम्प के सदस्यों को पहाड़ी क्षेत्र में मार दिया गया। इससे पता चलता है कि जबकि मोटे रूप से मुख्य समस्या को हल कर लिया गया है, छोटी-छोटी अभी भी हल की जानी हैं। पंजाब और असम की मुख्य समस्याएं हल कर ली गई हैं और यह अच्छा और स्वागत योग्य सुधार है, उपलब्धि है। परन्तु इनके साथ ही यदि हम उत्तर-पूर्व की बहुत समय से चली आ रही समस्याओं को हल कर सकें तो यह अधिक अच्छा होगा। उदाहरण स्वरूप, त्रिपुरा की समस्या को अकेले पुलिस या सैन्य कार्यवाही से हल नहीं किया जायेगा, इसके लिए आर्थिक और सामाजिक कार्यक्रम चलाने पड़ेंगे। मैं किसी प्रकार के आतंकवाद के पक्ष में नहीं हूँ और इसको हर तरह से समाप्त किया जाना चाहिए। परन्तु त्रिपुरा के आदिवासी लोगों की उचित शिकायतों को दूर किया जाना चाहिए। मूल आदिवासी लोगों की त्रिपुरावासियों की अधिक जनसंख्या है, मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता हूँ, और स्वाभाविक है कि इसीलिए वे असन्तुष्ट और नाराज हैं। अतः, युवा लोगों के पास विद्रोह संगठित करने और राज्य सरकार के लिए विधि और व्यवस्था की समस्याएं पैदा करने के कारण हैं। यहाँ मैं सुझाव दूंगा कि अकेले पुलिस कार्यवाही समस्या का हल नहीं है। हमें यह भी देखना

चाहिए कि त्रिपुरा के मूल निवासियों की वास्तविक कठिनाईयां और समस्याएं क्या हैं। अब उन लोगों की संख्या की तुलना में बाहर से आने वालों की संख्या अधिक हो गई है। वे अल्पसंख्यक बनकर रह गये हैं और अपने ही राज्य में जन संख्या का एक निस्सहाय खण्ड, अंग बनकर रह गये हैं। अतः, उनकी शिकायतों पर ध्यान देना होगा और संविधान की प्रजातान्त्रिक रूपरेखा के तहत उनकी मांगों को पूरा करना होगा। मेरे कहने का यह अर्थ नहीं है कि यह सब हमारे संविधान की बलि चढ़ाकर किया जाए परन्तु उनकी उचित मांगों को पूरा किया जाना चाहिए।

जब हम आतंकवादियों, उग्रवादियों या विद्रोहियों अथवा हम उन्हें जो भी नाम दें, को दण्डित करने की बातें करते हैं तो वे अधिकांशतः राजनीतिक होती हैं। अब तो गांधीवादी तरीके के औचित्य का प्रचार किया जाना चाहिए। ऐसा है कि हमने इस अत्यन्त मूल्यवान तरीके से सम्पर्क खो दिया है। हमने अपनी ऐतिहासिक स्वतन्त्रता ब्रिटिश की शांति से गांधीवादी तरीके से ही जीती थी। भारत को, जोकि एक विशाल देश है, जिसका शानदार संविधान है अपने प्रजातन्त्र को बनाए रखना चाहिए। अपने प्रजातन्त्र को सुरक्षित रखते हुए विभिन्न ग्रुपों की उचित और वैध आवश्यकताएँ और यहां तक कि विभिन्न श्रमिक संघों की भी मांगें पूरी की जानी चाहिए।

3.00 म० प०

अतः लोगों को अहिंसा के गांधीवादी तरीके की उपयुक्तता के बारे में शिक्षित करना पड़ेगा। इस पर हमारे प्रचार माध्यमों, हमारी शिक्षा और हमारे सार्वजनिक क्रियाकलापों और लोक तांत्रिक परम्पराओं के माध्यम से बल दिया जाना चाहिए, विशेषकर हमारी प्रजातान्त्रित पार्टियों, राष्ट्रीय पार्टियों को/राजनीतिक गतिविधियों को इस प्रकार संगठित या व्यवस्थित किया जाना चाहिए जिससे विशेषकर सीमा-क्षेत्रों के, युवकों को प्रशिक्षित किया जा सके जिससे कि वे हमारे राष्ट्रपिता के शानदार तरीके का अनुपालन कर सकें, जिससे कि हमारा प्रजातन्त्र अधिक अर्थवान, अधिक पूर्णता प्राप्त बन सके और इस क्षेत्र में आने वाली गतिविधियां, मांग, प्रजातान्त्रिक आन्दोलनों, वैध मांगों आदि की लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति बन सकें। राजनीतिक नेताओं और दलों को अस्थायी हितों के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आतंकवाद का समर्थन नहीं करना चाहिए।

श्री शांताराम नायक (पणजी) : प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी को पंजाब के नेताओं के साथ हुए समझौते के बाद वे जो कार्यवाही कर रहे हैं, उसके लिए हमें उन्हें वास्तव में बधाई देनी चाहिए। हमें इस नाजुक क्षेत्र में शान्ति के लिए गृह मन्त्री के प्रधान मन्त्री की सहायता में किए जा रहे प्रयास के लिए भी सराहना करनी चाहिए।

यह सच है कि वर्तमान कानून तथा इससे पूर्व पास किया गया कानून अस्थायी संविधिक उपाय है जिन्हें हमें विशेष उद्देश्य से समय समय पर अधिनियमित करना पड़ा है। मैं समझता हूँ कि ऐसा समय आएगा जब हमें विशेष अदालतों की देश के किसी भी भाग में आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि हमारी न्यापालिका को इतना प्रभावी होना चाहिए, जितने भी न्यायाधीश हों चाहें जो भी अपराध हों-वे उनका थोड़े समय में निपटारा कर सकें। आज हमें इनकी जरूरत है क्योंकि न्यायालय निर्धारित अवधि में अथवा थोड़ी अवधि में इन विशेष मामलों का निपटारा नहीं कर सकते। परन्तु निश्चय ही हमारे यहां ऐसा वातावरण होना चाहिए ताकि भविष्य में विशेष न्यायालयों की जरूरत न रहें। फिर भी हमें उस पर विचार करना है क्योंकि हमने वर्तमान अनुसूची में संशोधन किया है जिसमें हमने कई अधिनियमों के उपबन्धों को समाप्त कर दिया है—जो स्वरूप में अत्यन्त गम्भीर है उदाहरण के तौर पर भारतीय रेल अधिनियम, विस्फोटक अधिनियम इत्यादि। इस अधिनियम में कुछ उपबन्ध अत्यन्त गम्भीर हैं। अच्छा वातावरण तैयार करने के लिए अब हमने कुछ उपबन्धों को

निकाल दिया है, परन्तु हमें देखना चाहिए कि जब भी इस अधिनियम से सम्बन्धित अपराध होते है, सामान्य न्यायालय उन अधिनियमों के अन्तर्गत मामलों का शीघ्र निपटारा कर पायें तथा इस प्रयोजन के लिए इन सामान्य न्यायालयों में अधिक से अधिक न्यायाधीश नियुक्त किए जाएं ताकि सामान्य मशीनरी को बाधा न पहुंचे।

आम तौर पर हमें इस्तगासा मशीनरी को दृढ़ बनाना है। ऐसे अपराधों से निपटने के लिए निष्ठवान लोक अभियोजकों का चयन किया जाना है। अन्यथा यदि दोषपूर्ण जांच होती है अथवा लोक अभियोजक गम्भीरता पूर्वक कार्य नहीं करते तो प्रत्येक मामला विफल होगा। मेरे एक मित्र ने सुझाव दिया है कि बहुत से मुकदमें नहीं चलाए गए हैं, और वास्तव में बहुत से गम्भीर मामलों में दण्ड नहीं दिए गए हैं। यह इसीलिए है कि हमारी इस्तगासा मशीनरी उतनी प्रभावी नहीं है। अतः हमें उसे सुदृढ़ बनाना है।

वास्तव में, प्रत्येक मामले पर दो अभियोजक होने चाहिए ताकि यदि उनमें से एक किसी कारणवश मामले पर ध्यान न दे पाए तो दूसरा उपलब्ध हो सके। अथवा एक अतिरिक्त अथवा सहायक अभियोजक रखा जा सकता है ताकि वह उस पर ध्यान दे पाए, और उस पर कोई कुप्रभाव न पड़े।

फिर मैं गृह मन्त्री से निवेदन करना चाहता हूं कि हमें अपनी जांच की मशीनरी तथा इस्तगासा मशीनरी पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि हमने प्रायः देखा है कि एक ही भूल के कारण पूरा मामला विफल हो जाता है तथा सभी प्रयासों के बावजूद मामला हार जाता है यह जांच मशीनरी द्वारा की जान बूझ कर अथवा अन्यथा भूलों के कारण होता है। ऐसे मामलों पर नजर रखने के लिए विशेष सतर्कता होनी चाहिए ताकि हमारे प्रयास निष्फल न जायें।

मैं एक बार फिर प्रधान मन्त्री को तथा गृह मन्त्री को देश में अच्छा वातावरण पैदा करने के लिए धन्यवाद देता हूँ।

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : महोदय, साधारणतः ऐसे कानून की कोई व्यवस्था नहीं है। इस संशोधन का उद्देश्य मूल अधिनियम में कुछ कमी करना है। वह स्वागत योग्य है। परन्तु महोदय, इस अधिनियम को बनाए रखने में क्या लाभ है? एक वर्ष पूर्व पारित इस अधिनियम से उन हालात को लाने में जिनमें कि पंजाब समझौता हुआ है,क्या लाभ हुआ। क्या गृह मन्त्री बता सकते हैं कि क्या यह अधिनियम किसी भी तरह लाभदायक हो सका है? क्या वह कह सकते हैं कि इससे आतंकवाद को समाप्त अथवा कम किया जा सका है? स्थिति के साथ राजनीतिक दृष्टि से निपटने के लिए इस अधिनियम का कब उपयोग किया गया था? स्थिति का राजनीतिक समाधान किया जा रहा है तब इस अधिनियम की क्या आवश्यकता है मेरे से पहले बोलने वाले विद्वान सदस्य ने कहा है कि मुकदमें तथा जांच की प्रक्रिया में असंगतियां दूर की जानी चाहिएं, कानून में विद्यमान कमियों को दूर किया जाना चाहिए। हर सदस्य का यही विचार है। न केवल आंतकग्रस्त क्षेत्रों में अपितु सामान्य क्षेत्रों में जहाँ पर कि आतंकवाद नहीं है, ऐसा किया जाना चाहिए। परन्तु इस्तगासा मशीनरी कमियों का कम ही पता लगा है अपराध को रोक पाती है। अतः इस बारे में बहुत कुछ किया जाना है।

परन्तु दुर्भाग्य से सरकार ने ऐसी समस्या का कम ही सामना किया है। समय समय पर नियम बदलते रहे हैं। दण्ड प्रक्रिया संहिता 1977 में तैयार हुई। परन्तु यह अच्छे ढंग से क्रियान्वित नहीं हो रही। दुर्भाग्य से कोई भी देखने वाला नहीं है कि पुलिस अधिकारी अपना कार्य ठीक प्रकार से करें

उच्च अधिकारी निचले अधिकारियों के कार्य का पर्यावेक्षण नहीं करते और मन्त्रालय भी समग्र रूप से अपने पर्यवेक्षण के दायित्व को नहीं निभाते। अन्ततः दायित्व गृह मन्त्री महोदय का है। परन्तु मैं कहना चाहता हूं कि यदि दिल्ली में कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ जाती है तो वे कभी भी इसी आधार पर विशेष न्यायालय स्थापित कर सकते हैं।

अतः पूरे मामले पर पूरी राजनीतिक आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से विचार किया जाना चाहिए। इस बात का अध्ययन करना पड़ेगा कि हमारी न्याय शास्त्रीय प्रणाली में क्या कमी है तथा यह आर्थिक एवं राजनैतिक क्षेत्रों में हुए विकास के साथ कदम से कदम मिला कर क्यों नहीं चलती। पिछले दशक में ऐसा अनेक बार हुआ है। राजनीतिक तथा आर्थिक दिशा एक तरफ है तथा विकास की गति इसके पहले के युग से बहुत भिन्न रही है। लेकिन न्यायालय, कानून, न्यायशास्त्र आदि के क्षेत्र में विकास की गति बनी नहीं रही है। अतः आवश्यक यह है कि सरकार पूरी स्थिति पर समग्र रूप से ध्यान दे तथा कुछ उपचारात्मक उपाय बरते ताकि अपराधियों पर मुकदमा चला कर उन्हें सजा मिल सके। ऐसा हो नहीं रहा। न केवल केन्द्र में अपितु राज्यों में भी ऐसा नहीं हो रहा बहुत से बैंकों में डकैतियां पड़ी हैं। मैं नहीं समझता उनमें से एक अथवा दो को छोड़कर किसी का पता लगा हो अथवा किसी को सजा दी गयी हो। जब परिस्थिति ऐसी है आप विशेष न्यायालयों का क्या करेंगे? कतई कुछ नहीं कर सकते। आप इन्हें कानून की पुस्तकों में बनाए हुए हैं, एक दो कारणों से अर्थात शासन के विरुद्ध युद्ध छेड़ना। परन्तु यह एक ऐसी संकल्पना है कि मैं नहीं समझता कि इसका कोई व्यवहारिक उपयोग होगा। कोई आतंकवादी जो किसी व्यक्ति की निर्मम हत्या करता है, आप यह नहीं कह सकते कि वह शासन के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। केवल यही अपवादिक स्थिति है, जहां पर 224 वे कुछ अतिरिक्त क्षेत्रीय मांगें करते हैं जोकि राष्ट्रीय हित और भारत की अखंडता के विरुद्ध है जिससे कि इस विशेष वर्ग को भड़काया जा सकता है। अन्यथा क्या होता है कि बहुत से आतंकवादी क्रियाकलाप होते रहेंगे तथा विशेष न्यायालय कुछ भी नहीं कर पायेंगे। क्या उन्हें साधारण न्यायालयों द्वारा सजा मिलेगी? वे ऐसा नहीं करेंगे। वास्तव में चाहे विशेष न्यायालय हों अथवा न हों परिस्थिति वही रहेगी। मैं गृह मन्त्री महोदय तथा सरकार से अपील करता हूं कि इस अधिनियम को जो कि वास्तव में घृणित अधिनियम है जिसमें गुप्त रूप से अपराधिक जांच की व्यवस्था है जोकि न्यायशास्त्र के सिद्धान्त के विरुद्ध है, जिसका कि हम देश में पालन कर रहे हैं, उसे पूर्णतः समाप्त किया जाना चाहिए क्योंकि यह सर्वथा विफल सिद्ध हुआ हैं। अतः हमारा कहना है कि सचाई को अपनाते हुए इसे कानून की पुस्तक से बिल्कुल हटा दें। इसे अपनी लोकतन्त्रीय प्रणाली पर कलंक के रूप में बनाये न रखें। अतः इस अपील के साथ मैं इस कार्यवाही का समर्थन करता हूं। परन्तु मेरी अपील है कि इसे पूर्णतः हटा दिया जाए।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) उपाध्यक्ष जी, यह बिल कुछ औपचारिकता की पूर्ति करता है जिसके लिए पिछले दिनों सरकार ने कोशिश की है। इसलिए; मैं समझता हूं कि इस बिल ने हमको यह मौका दिया है कि दोनों पक्षों के सदस्य माननीय गृह मन्त्री जी और उनकी सरकार को इस बात के लिए बधाई दें क्योंकि उन्होंने देश में ऐसी सामान्य स्थिति बनाने की कोशिश की है ताकि हमको इस प्रकार के स्पेशल कोर्ट् बनाने की आवश्यकता न पड़े। सन् 84 में जिस समय यह बिल इन्ट्रोड्यूस हुआ उस समय देश के अन्दर हालात खराब थे। जगह-जगह उग्रवादी तत्व स्थिति खराब करने में जुटे हुए थे इसीलिए उस समय इस बिल को जो ओरिजिनल बिल था, उसको पेश करने की

आवश्यकता पड़ी। मैं समझता हूं, विपक्ष के सदस्य और सारा देश इस बात से सहमत था कि आतंकवादियों का सामना करने के लिए कुछ-न-कुछ कठोर कदम उठाए जाएं और कोई ऐसा तरीका निकाला जाना चाहिए ताकि उनमें एक भय का वातावरण पैदा हो सके और वे यह महसूस कर सकें कि देश के अन्दर ऐसा कानून है जिसके तहत उनको कठोरतम दन्ड दिया जा सकता है। जो सामान्य न्यायालय थे, वह दन्ड देने में असमर्थ थे। हो सकता है कि स्पेशल कोर्ट् को बैठाने के बावजूद भी बहुत सारे आतंकवादी न पकड़े गए हों या उनके खिलाफ ट्रायल स्टार्ट न हो पाया हो। लेकिन दहशत पैदा करने में उस समय के बिल से काफी मदद मिली। 1984 में उस प्रकार की स्थिति थी। इतने कम समय के अन्दर सरकार ने अपनी कोशिशों के द्वारा स्थिति को सामान्य किया। साथ ही साथ यह बिल सरकार के इरादे को भी साफ करता है जो सरकार ने देश के अन्दर सामान्य स्थिति बनाने वालों के साथ पंजाब में समझौते के माध्यम से वादा किया था। आसाम के आन्दोलनकारियों के साथ समझौता करके, बात चीत करके, उस वायदे की पूर्ति भी इस बिल के माध्यम से की जा रही है और हम लोगों को यह उम्मीद है कि जिस तरीके से सरकार ने एक-एक करके अपने तमाम वायदों को पूरा किया है और करती जा रही है, देश के अन्दर दूसरे लोग सरकार की उस भावना को समझेंगे और उस मंशा को समझ कर हालात सामान्य बनाने की दिशा में मदद करने की कोशिश करेंगे।

यहां पंजाब और आसाम के समझौते के विषय में बहुत कुछ कहा गया। पंजाब के समझौते का तो सर्वत्र स्वागत हुआ है लेकिन वहां चुनाव कराने का निर्णय वहां की स्थिति को और सामान्य बनाने की दिशा में एक कदम है। उसको लेकर कुछ पार्टियां अपने राजनैतिक दृष्टिकोण से इस निर्णय की आलोचना करने की कोशिश कर रही हैं। आसम के समझौते को लेकर भी बहुत से राजनैतिक दल अपने स्वार्थों के कारण कई तरह की बातें कह रहे हैं। लेकिन मैं आग्रह करना चाहूंगा कि ये दो समस्याएं हमारे देश के जनमानस को इतना आक्रान्त बनाए हुई थीं कि पूरा देश इनके कारण चिन्तित था। देश के भविष्य के प्रति सोचने वाले लोग, देश की भलाई चाहने वाले लोग, सभी इनसे चिन्तित थे लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और उनकी सरकार ने सूझ-बूझ का परिचय देते हुए इन दोनों समस्याओं का हल निकाला और इसके कारण लोगों ने चैन की सांस महसूस की। लोगों ने महसूस किया कि अब उनके सीने से बोझ हट गया है। अब हमको कोशिश करनी चाहिए कि जिस तरह से हमारी सरकार सांवैधानिक प्रक्रिया में आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रही है, उसने स्थिति को और सामान्य बनाने के लिए चुनावों की घोषणा की है, उसके इस निर्णय की भी सर्वत्र प्रशंसा की जानी चाहिए, स्वागत होना चाहिए। लोगों को सरकार के इस निर्णय को अपने राजनैतिक नजरिये से नहीं देखना चाहिए। मैं अपने विपक्षी दलों के मित्रों से भी आग्रह करना चाहता हूँ कि सरकार की इन कोशिशों को वे शंका की दृष्टि से न देखते हुए, लोगों के दिलों में किसी तरह की शंका पैदा न करके, वे उनके प्रयासों को दलगत राजनीति से हटकर देखने का प्रयत्न करें। पंजाब और आसाम में स्थिति को सामान्य बनाने के लिए हमारे प्रधानमन्त्री जी ने जो कदम उठाये हैं, उन्हें अपने प्रयत्नों में सफलता मिले और भविष्य में देश के हित में इस प्रकार का कोई बिल लाने की और इस सदन में चिन्ता व्यक्त करने की आवश्यकता न पड़े, उन्हें इस कार्य में अपना पूरा सहयोग देना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ।

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में जो टैरोरिस्ट अफेक्टिड एरियाज (स्पेशल कोर्टस) अमेंडमैंट बिल, 1985 प्रस्तुत है, मैं उसका पुरजोर समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। इस बिल का समर्थन करते समय मैं अपने माननीय प्रधानमन्त्री जी और गृह मन्त्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने हिन्दुस्तान के पूरे जनमानस के सामने यह स्पष्ट कर दिया है कि हमारे नेता, हमारी सरकार और हमारी पार्टी ने उनसे जो वायदे किए थे, उन सबको पूरा किया

जाएगा। आपने देखा कि हमारी पार्टी जनता से किए गए अपने वायदों को पूरा करने के लिए एक-के-बाद एक कदम उठाती जा रही है, चाहे वह भ्रष्टाचार को समाप्त करने का प्रश्न हो, चाहे देश में स्थिति सामान्य बनाने का प्रश्न हो। यहां हमारे मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि परिस्थितियों में परिवर्तन आया है, लेकिन यह केवल मात्र परिवर्तन ही नहीं है, बल्कि स्थिति में काफी इम्प्रूवमैंट आया है। यदि इस समय हिन्दुस्तान के जनमानस को देखा जाए तो उसमें सरकार के प्रति एक आशा बंधी है कि वर्षों से हमारा देश जिस तरह समस्याओं से घिरा हुआ था अब एक-एक करके वे समस्याएं हल होती जा रही हैं और हमारा देश उनसे निकल कर उन्नति की राह पर अग्रसर है। आपने जिस प्रकार से देखा कि गुजरात की समस्या का अन्त हुआ, आसाम की समस्या हल हुई और इन सब के अच्छे परिणाम सामने आये हैं।

मान्यवर, यह बात सही है कि जब हमारे सामने कुछ विशेष परिस्थितियां पैदा होती हैं तो सरकार को उन विशेष परिस्थितियों से निपटने के लिए ऐसे कानून लाने पड़ते हैं। मुझे याद है पिछले वर्ष अगस्त मास में ही इस बिल को पास किया गया था और उस समय देश में आतंकवादियों और अलगाव-वादियों का कितना जोर था, इससे हम सब लोग भलीभांति अवगत हैं। ये शक्तियां केवल पंजाब में ही नहीं, काश्मीर में भी सक्रिय थीं और देश के अन्य क्षेत्रों में भी थीं। अब जब हमारे देश में सामान्य परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं तो उसका श्रेय हमारी सरकार को जाता है। इस बिल को लाने के पीछे दो ही मुख्य उद्देश्य हैं—एक तो स्पेशल कोर्टस की स्थापना और देश में कोई इस प्रकार के अपराध न होने पायें जैसे हाईजैकिंग है या दूसरे इस किस्म के अपराध हैं। हमें विश्वास है कि अब अगर कोई ऐसी कार्यवाही होगी तो उससे सख्ती से निपटा जाएगा। यदि आप इसी तरह से कार्यवाही करते गए तो भविष्य में फिर स्पेशल कोर्टस की स्थापना करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। चूंकि इस बिल का उधर के लोगों ने भी समर्थन किया है इसलिए ज्यादा न बोलते हुए इतना ही निवेदन और करना चाहता हूं···

कश्मीर की समस्या हमारे भाइयों ने छेड़ दी है। खास तौर पर 15 अगस्त को जो कुछ हुआ, उस पर कड़ी नजर रखी जाए और जब तक हमारे प्रोफेसर साहब जैसे लोग हैं, जो (व्यवधान) केवल सत्ता से हट गए हैं, मैं इस सबका उत्तरदायित्व उन्हीं को सौंपता हूं। एक वातावरण जो ये क्रिएट करना चाहते हैं, उसको बनाए रखना आवश्यक है। तो मान्यवर, मैं ज्यादा न बोलकर सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि वर्तमान परिस्थितियों में जो यह बिल लाया गया है, इसका हम सबको समर्थन करना चाहिए और इस बिल को सर्वसम्मति से पास करना चाहिए। मैं, गृह मन्त्री महोदय से भी निवेदन करूंगा कि वे इसको सर्वसम्मति से पास कराएं। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर (बंगलौर दक्षिण) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि गृह मन्त्री महोदय सदा के लिए विशेष न्यायालयों का उन्मूलन करने वाला विधान लाते। बेशक उनका क्षेत्राधिकार घटा दिया गया है फिर भी विशेष न्यायालय बनी हुई हैं। निः सन्देह आपने उन हालात का स्पष्टीकरण किया है जिनमें इनकी स्थापना हुई थी परन्तु पंजाब समझौते से उत्पन्न सुखद वातावरण के कारण मैं निश्चय ही अनुभव करता हूं कि हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं। मैं स्वयं भी यह अनुभव करता हूं कि पंजाब समझौते के बाद इस कानून की कोई आवश्यकता नहीं है।

मैं स्वयं अनुभव करता हूं कि भारतीय दण्ड संहिता के वर्तमान उपबन्ध परिस्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त हैं विशेष रूप से इन नयी धाराओं के जो आपने इस संशोधन द्वारा नयी अनुसूची में

जोड़ी है। यह और भी महत्त्व पूर्ण है क्योंकि भारतीय दण्ड संहिता बहुत पुरानी पड़ गई है तथा उसमें संशोधन किया जाना चाहिए। मैं उस बारे में भली प्रकार परिचित हूँ। मेरे राज्य में अथवा किसी भी अन्य राज्य को देखें कि वहाँ कैसे मामलों की जाँच होती है, अच्छे मामले भी जाँच अधिकारियों द्वारा गलत जाँच द्वारा बिगाड़ दिये जाते हैं। यह सब इसलिए होता है क्योंकि हम जांच अधिकारियों को पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं देते हैं। मैंने देखा है कि बहुत से मामलों में, खासकर आपराधिक मामलों में वे मामलों की जाँच करने के लिए उत्पीड़न के बहुत ही घटिया तरीकों का प्रयोग करते हैं जिसके कारण अन्त में उन मामले में अदालतों में हार हो गयी। मेरा सुझाव है कि यही उपयुक्त समय है जब कि भारतीय दण्ड सहिता में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि मुकदमों का शीघ्र विचारण हो सके और आधुनिक तरीकों से पूरी तरह से जांच की जा सके। ऐसा कहा जाता है कि बहुत से उन्नत देशों में उन्नत तरीकों से जाँच की जाती है। मुझे व्यक्तिगत तौर पर इसकी जानकारी नहीं है लेकिन गृह मन्त्री होने के नाते उन्हें इसकी जानकारी अवश्य होगी। उन्हें अन्य देशों की स्थिति का अध्ययन करना चाहिए और उन्हें वे तरीके अपनाने चाहिए जो वास्तव में हमारे देश के लिए उपयुक्त हों। अतः मेरा आपसे हार्दिक अनुरोध है कि आप जाँच के तरीकों में सुधार करने पर विचार करें।

हम देखते हैं कि फौजदारी अदालतों में अनावश्यक देरी होती है। सत्तारूढ़ दल के मेरे एक मित्र श्री नायक ने भी इसका उल्लेख किया है। यहाँ तक कि सरकारी अभियोक्ताओं को भी ठीक से प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है। उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिये जाने की जरूरत है, क्योंकि अभियोजन में विशेष कौशल की जरूरत होती है। अतः सार्वजनिक अभियोजन के लिए भी उपयुक्त प्रशिक्षण की जरूरत होती है। अतः मैं यही चाहता हूँ कि शीघ्र ही एक दिन ऐसा आएगा जब हम इस समूचे अधिनियम को समाप्त कर देंगे।

अब मैं माननीय मन्त्री से यह जानना चाहता हूँ कि तथा इस कानून से आतंकवादी गतिविधियों को रोकने में मदद मिली है? कितने मामले दर्ज कराए गए हैं, कितनों में मुकदमा चलाया गया है तथा कितने मामलों में सजा दी गई है? यह एक महत्वपूर्ण जानकारी है। माननीय गृह मन्त्री से मेरा अनुरोध है कि वह यह जानकारी सदन को दें।

मुझे विश्वास है कि आप विशेष अदालतों को पूर्णतया समाप्त करने के लिए अगले सत्र में निश्चय ही एक विधेयक प्रस्तुत करेंगे। इसके साथ ही मेरी गृह मन्त्री से यह भी अपील है कि वह भारतीय दण्ड संहिता में संशोधन लाएं जो कि बहुत समय पहले ही लाया जाना था।

***श्री के० रामचन्द्र रेड्डी** (हिंदूपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इससे पूर्व कि मैं आतंकवादी क्षेत्र (विशेष न्यायालय) संशोधन विधेयक 1985 पर अपने विचार व्यक्त करूं, मुझे तेलगु में एक कहावत याद आ रही है जिसका अर्थ है कि फर्श साफ करने या मकान की सफाई कर देने से ही कोई त्यौहार उत्साह से नहीं मनाया जा सकता। उसे मनाने से पहले हमें बहुत से काम करने पड़ते हैं। मुझे हैरानी है कि कतिपय आरम्भिक मसलों पर कार्यवाही किए बिना इस संशोधन विधेयक को अचानक क्यों पेश किया गया है।

मूल अधिनियम 1984 में उस समय बनाया गया था जबकि आतंकवादियों की आपराधिक गतिविधियों के कारण देश के कुछ हिस्सों में अशान्ति का वातावरण बढ़ता जा रहा था। इस कानून के लागू होने के बाद अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत गठित विशेष अदालतों को कुछ मामले भेजे

---

* तेलगु में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी रूपान्तर।

गए। मुझे मालूम नहीं कि जिन उद्देश्यों को लेकर इन अदालतों का गठन किया गया था क्या वे पूरे हो पाए या नहीं। इस विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के कथन में 1984 में व्याप्त स्थिति जिनके कारण मूल अधिनियम बनाया गया था, तथा वर्तमान स्थिति का उल्लेख किए बिना माननीय मन्त्री ने इस विधेयक को पेश किया है। उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया है कि मूल अधिनियम को कार्यान्वित करने के परिणामस्वरूप क्या स्थिति में सुधार आया है। इसी तरह उन्होंने मूल अधिनियम से कुछ खण्डों को हटाने के कारणों का भी उल्लेख नहीं किया है। मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि जब मैंने मूल अधिनियम से कुछ खण्डों को हटा हुआ देखा तो मुझे अजीब सा लगा।

भारतीय दण्ड संहिता की लघु अपराधों से सम्बन्धित धारा 342, 343 तथा 506 को मूल अधिनियम में शामिल करके सरकार ने बहुत सी शक्तियां अनाधिकार रूप से ग्रहण कर ली है। अब माननीय मन्त्री जी को स्पष्ट करना चाहिए कि ऐसी किन विवशताओं के अन्तर्गत मूल अधिनियम के क्षेत्राधिकार से इन खण्डों को हटाया गया है और उन्हें सदन को यह भी बताना चाहिए कि क्या परिस्थितियों में ऐसा कोई परिवर्तन हुआ जिसके कारण मूल अधिनियम से इन खण्डों को निरस्त करना आवश्यक हो गया।

अब मैं संशोधन विधेयक के खण्ड 2 का उल्लेख करूंगा। जिसमें कहा गया है :

> "15 क. जहाँ वह क्षेत्र, जिसमें न्यायिक अंचल समाविष्ट है आतंकवादी क्षेत्र नहीं रह गया है और ऐसे न्यायिक अंचल के सम्बन्ध में स्थापित विशेष न्यायालय या अतिरिक्त विशेष न्यायालय के समक्ष कोई मामला लम्बित नहीं है वहां केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे विशेष न्यायालय या अतिरिक्त विशेष न्यायालय का उत्सादन कर सकेगी।"

विशेष अदालत या अतिरिक्त विशेष अदालत को समाप्त करने की दो शर्तें हैं। पहली तो यह कि वह क्षेत्र जिसमें न्यायिक क्षेत्र समाविष्ट है, आतंकवादी क्षेत्र नहीं रह गया है तथा दूसरी शर्त यह है कि विशेष अदालत या अतिरिक्त विशेष अदालत में कोई मामले विचाराधीन नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि कौन अधिकारी इस बात की घोषणा करेगा कि अमुक न्यायिक क्षेत्र आतंकवादी गतिविधियों से मुक्त हो गया है तथा उस अंचल में आपराधिक मामले नहीं हुए हैं। इस संशोधन विधेयक में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। माननीय मन्त्री को इस संशोधन विधेयक से इस कमी को दूर करना होगा।

महोदय, बेहतर होता अगर विशेष अदालतों को पूर्णतया समाप्त कर दिया जाता। मुझे समझ में नहीं आया कि सरकार ने मूल अधिनियम से हत्या, हत्या के प्रयास के मामलों तथा ऐसे आपराधिक अपराध जो हत्या के समान नहीं हैं, डकैती, चोरी, आगजनी तथा लूट-खसोंट से सम्बन्धित भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 302, 304, 307 और 308 हटा दी हैं। अधिनियम के क्षेत्राधिकार से भारतीय दण्ड संहिता की धारा 436 निकाल दी गयी है। विशेष अदालतों के क्षेत्राधिकार को बहुत गम्भीर अपराधों जैसे सरकार के विरुद्ध लड़ाई लड़ना तथा विमान-अपहरण तक सीमित रखा गया है। अगर सरकार का यह मत है कि सभी आतंकवादी गतिविधियां समाप्त हो गई हैं, तो समूचे अधिनियम को निरस्त कर दिया जाना चाहिए। मूलत: भारतीय दण्ड संहिता की इन सभी धाराओं को मूल अधिनियम में सम्मिलित किया गया था, क्योंकि सरकार का विचार था कि उक्त धाराओं के अन्तर्गत आने वाले सभी अपराध आतंकवादी गतिविधियां हैं। क्या इस संशोधन विधेयक को पेश करने से वे अब आतंकवादी गतिविधियां नहीं रही हैं? इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि केवल मकान की सफाई कर देने से ही त्यौहार नहीं मनाया जा सकता।

देश के लिए यह अच्छी बात है कि पंजाब और असम पर समझौता हो गया है। हमें खुशी है कि संघर्ष का युग समाप्त किया जा रहा है। लेकिन मैं चेतावनी देना चाहूंगा कि मात्र इन दो समझौतों से देश में स्थायी शांति और सौहार्द कायम नहीं होगा। मैं तो यह कहूंगा कि इन दो समझौतों पर अपनी आशाएं बनाए रखना कल्पना मात्र होगा। पंजाब समझौते के बाद दिल्ली में एक संसद सदस्य की हत्या की गई। अपराधियों को दण्ड देना तो दूर रहा हम उन्हें पकड़ तक नहीं सके। यह सोचना गलत है कि आतंकवादी गतिविधियां कम या समाप्त हो गई है। महोदय, आप जानते हैं कि जिस समय पंजाब समझौते पर बातचीत की जा रही थी उस समय राजधानी में ट्रांजिस्टर बमों के विस्फोट से बहुत से निर्दोष व्यक्तियों की जानें गयीं। देश से आतंकवाद पूरी तरह से समाप्त हो गया है या नहीं इस पर निर्णय करने के बाद ही विधेयक में उल्लखित पहलुओं पर विचार किया जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

गृह मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस विधेयक का समर्थन किया है। यह विधेयक भारत सरकार और शिरोमणि अकाली दल के बीच हुए समझौते के परिणाम स्वरूप लाया गया है। हमने वायदा किया था कि परिवर्तन किया जाएगा जिनके अनुसार केवल दो प्रकार के अपराधों पर ही विशेष अदालत में मुकदमा चलाया जा सकेगा। इस समझौते के परिणामस्वरूप इस सम्मानित सदन का समर्थन प्राप्त करने के लिए यह विधेयक पेश किया गया है।

महोदय, कुछ माननीय सदस्यों ने यह मुद्दा उठाया है कि विशेष अदालतों में कितने मुकदमे हैं। पंजाब में विशेष अदालतों में 26-7-85 तक विचाराधीन मामलों की स्थिति इस प्रकार है :

कुल 3896 मामले थे और अभियुक्तों की संख्या 7109 है।

जहां तक विशेष अदालतों द्वारा निपटाए गए मामलों का सम्बन्ध है, 3654 मामले निपटाए गए—3242 मामलों में सजा सुनाई गई तथा 412 मामलों में दोषमुक्ति की गयी। इनमें से भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत 324 मामलों में से 164 में सजा दी गई तथा 160 में दोषमुक्ति की गयी। शस्त्र अधिनियम तथा अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत मामलों की संख्या 3330 है। इनमें से 90% मामले शस्त्र अधिनियम से सम्बन्धित हैं।

चण्डीगढ़ : निपटाए गए कुल मामलों की संख्या 134 है। अतः इससे विशेष अदालतों के महत्व का स्पष्ट पता चलता है और इनसे पता चलता है, कि विशेष अदालतों का गठन जिस उद्देश्य से किया गया था क्या वे उसे पूरा कर पाई हैं। मेरे ख्याल से अभी समय नहीं आया है कि हम जल्दी में यह निर्णय कर लें कि हमें इन अदालतों को समाप्त करना है। माननीय सदस्य इस तथ्य से अवगत होंगे कि राजनीतिक मसलों पर जहां चर्चा करना सम्भव होता है वहां हम चर्चा करते हैं। हमने शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष से भी चर्चा की और सरकार ने जो उपयुक्त बातें सोची कि हमें समझौता करना चाहिए और समझौता हुआ। लेकिन हम इस तथ्य को भी भुला नहीं सकते कि अभी भी एक वर्ग ऐसा है जो अदालतों के खिलाफ है। वह अभी भी उस क्षेत्र में गड़बड़ी पैदा करने का प्रयास कर रहा है। ऐसे में अगर हम यह सोचें कि महज एक समझौते से अब उस क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधियों की कोई सम्भावना नहीं है तो हमारा यह आशावादी दृष्टिकोण ही होगा। मैं कम से कम इस समय देश में इस तरह की धारणा पैदा नहीं करना चाहता कि पंजाब में किसी भी तरह का आतंकवाद तथा उग्रवाद नहीं रहेगा। निस्संदेह वे तो उपयुक्त समय पर अपने तरीके

अपनाएंगे लेकिन हमें इस बात पर विश्वास नहीं कर लेना चाहिए कि हाल ही में कोई दुर्घटना नहीं हुई है इसलिए भविष्य में भी दुर्घटना नहीं होगी। विशेष न्यायालय अधिनियम बनाने का प्रमुख उद्देश्य यह है कि उस क्षेत्र में स्थिति ऐसी थी कि कोई भी व्यक्ति गवाह बनने को तैयार नहीं था। यहां तक कि जो लोग मुकदमे लड़ रहे थे वे भी डर रहे थे कि क्या वे सुरक्षित रह पाएंगे या नहीं। मेरे लिए यह कहना ही काफी होगा कि इस तरह की भावना न्यायाधीशों में भी व्याप्त थी। लोग ऐसे माहौल में काम कर रहे थे और इसलिए यह जरूरी हो गया था कि विशेष अदालतों का गठन किया जाए। पंजाब में चार या पांच विशेष अदालतों तथा पंजाब से बाहर दो अदालतों का गठन किया गया। अब विशेष अदालतों का काम दो अपराधों तक सीमित रह जाएगा—एक राजद्रोह या राज्य के विरुद्ध लड़ाई लड़ना और दूसरा विमान अपहरण विरोधी अधिनियम के अन्तर्गत अपहरण के मामले। ये दो श्रेणियां हैं जिनके अन्तर्गत ये अदालतें सभी अपराधों पर मुकदमा चलाएंगी। माननीय सदस्यों ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं जो जांच के दोषपूर्ण तरीकों के बारे में तथा सरकारी अभियोजकों द्वारा मुकदमों की पैरवी के ढंग के बारे में हैं कि अभियोजक या तो अदालतों में आते ही नहीं हैं या वे मुकदमों में उतनी रुचि नहीं लेते जितनी उन्हें लेनी चाहिए और इसी कारण बहुत से मामलों में दोष मुक्ति हो जाती हैं। मैं यह कहूँगा कि अब हम इन सभी मामलों पर कार्रवाई कर रहे हैं और यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या समूची स्थिति का उपयुक्त ढंग से विश्लेषण किया जा रहा है, कितने मामले दायर किए गए, अदालत ने क्या निर्णय दिया, क्या खामियां बतायीं और ऐसा क्यों हुआ कि मामले में निर्णय दोषी को दण्ड देने के पक्ष में नहीं हुआ और उन्हें दोषमुक्त क्यों कर दिया गया। निस्सन्देह वहाँ सरकारी मशीनरी है। वह अदालतों के निर्णयों की जांच करती है लेकिन उसमें कोई सुधार नहीं होता है। हम वास्तव में गुणात्मक सुधार लाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस तरह की गतिविधियों में भाग लेने वालों को दंड दिया जाए और उन पर निष्पक्ष मुकदमा चलाया जाए। उपयुक्त ढंग से जांच की जाए जिनके परिणामस्वरूप दोषी व्यक्तियों को सजा जरूर मिले हम भरसक प्रयास कर रहे हैं और मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देता हूँ कि विचाराधीन किन्हीं विशेष मामलों में अगर उन्हें शीघ्र निपटाने के लिए सामान्य अदालतों में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की जरूरत पड़ी तो हम इस पर विचार करेंगे और जरूरत पड़ने पर उनकी संख्या बढ़ाई भी जा सकती है। जहाँ तक मौजूदा सरकारी अभियोजकों का सम्बन्ध है, अगर उनकी संख्या भी कम पड़ी तो उसे बढ़ाने पर भी हम विचार कर सकते हैं, ताकि इनकी कमी के कारण सरकारी मुकदमे लम्बित न पड़े रहें।

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी : गुणवत्ता में सुधार किया जाना चाहिए—संख्या में वृद्धि करना जरूरी नहीं है।

श्री एस० बी० चव्हाण : मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मेरे विचार से मैं उन न्यायाधीशों की योग्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं दे सकता जिन्हें नियुक्त किया जाएगा। योग्यता का ध्यान लोक सेवा आयोग रखेंगे।

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी : मैं न्यायाधीशों की योग्यता की बात नहीं कर रहा। मैं तो सरकारी अभियोजकों की योग्यता की बात कर रहा हूं।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : आप यह तो कर सकते हैं।

श्री एस०बी० चव्हाण : मैं इसका ध्यान रखूंगा। निस्सन्देह सरकारी अभियोजकों की योग्यता में सुधार करने की आवश्यकता है। उन्हें तथा जांच अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण देने की जरूरत है।

एक माननीय सदस्य ने पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा वहां पर व्याप्त स्थिति का उल्लेख किया है। मेरे विचार से इस चर्चा से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। फिर भी उनकी जानकारी के लिए मैं बता सकता हूँ कि दो उग्रवादी—अगर मुझे कहना पड़े तो मैं कहूँगा—गिरोह उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इनमें से एक को 'मिजो नेशनल फ्रंट' कहते हैं जो मिजोरम तथा त्रिपुरा में भी काम करती हैं और दूसरी 'एम० एस० सी० एम०' जो नागालैण्ड, मणिपुर तथा एक सीमा राज्य के भाग में भी काम करती है। ये दो उग्रवादी दल हैं जो इन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। मैं महसूस करता हूँ कि बहुत कम समय के भीतर हम एक दल के साथ समझौता कर सकेंगे जो मिजोरम तथा त्रिपुरा दोनों में उपयोगी वातावरण पैदा करेगा। दूसरा दल जो वहाँ काम कर रहा है वह वास्तव में नागालैण्ड के साथ-साथ मणिपुर दोनों में कई समस्याएं पैदा कर रहा है। विश्लेषण से विद्रोही नागा तथा जिस रास्ते पर वे चल रहे हैं उसमें वे कई समस्याएं पैदा कर रहे हैं। इसलिए उस क्षेत्र में विद्रोहियों के विरुद्ध हमारी सेना को पूरी तरह से वहां तैनात किया गया है। और जैसे ही हम इस तरह के विद्रोह देखते हैं हम उसे खतम करने की कोशिश करते हैं। इसमें निश्चित रूप से स्थानीय लोगों के सहयोग तथा सहायता की आवश्यकता होगी और जब तक वे उस क्षेत्र से इन विद्रोही तत्वों को समाप्त करने में पूरी तरह सहयोग नहीं देंगे तब तक यह फिलहाल बना रहेगा।

लेकिन मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन दे सकता हूँ कि हम इन सभी उग्रवादी तत्वों के विरुद्ध अत्यन्त कठोर कार्रवाई के लिए प्रस्ताव करते हैं। हम सम्भवत: कुछ लोगों को पूरे समुदाय को संचालित करने से छुटकारा तथा अवैध रूप से कुछ धन प्राप्त करने और देश में कुछ हथियारों की तस्करी की भी अनुमति नहीं दे सकते हैं। इस तरह ये लोग सभी तरह की समस्याओं को उत्पन्न कर रहे हैं।

मैं समझता हूँ कि कुछ माननीय सदस्यों द्वारा ये मुख्य मुद्दे उठाए गए हैं। मैं नहीं समझता कि मुझे कोई अन्य मुद्दों को स्पष्ट करने की आवश्यकता है।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक को पारित करने के लिए सभा से अनुरोध करता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि आतंकवादी क्षेत्र (विशेष न्यायालय) अधिनियम, 1984 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खण्ड वार विचार आरम्भ करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 4 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 से 4 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री एस० बी० चव्हाण : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

3.43 म० प०

काफी (संशोधन) विधेयक, 1985

[अनुवाद]

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी०ए० संगमा) : श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूँ कि काफी अधिनियम, 1942 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।

जैसा कि सदन को मालूम है कि काफी बोर्ड इस प्रमुख उद्देश्य से काम कर रही है कि काफी बागान का विकास किया जाए और इस प्रकार के काफी बागानों से काफी उत्पाद की बिक्री और निर्यात को विनियमित किया जाए। इस बोर्ड का योजना और गैर-योजना खर्च काफी अधिनियम 1942 के अन्तर्गत लगाए जाने वाले सीमा शुल्क और उत्पादन शुल्क से होने वाली आमदनी में से पूरा किया जाता है। काफी पर सीमा शुल्क और उत्पादन शुल्क की प्रत्येक की वर्तमान दर अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित 11.80 रु० प्रति क्विंटल की ऊपरी सीमा तक पहुँच गई है। ये दरें 16-12-1977 से प्रचलित हैं।

ऋण और राज सहायता को छोड़कर बोर्ड के योजना और गैर योजना खर्चे 1978-79 में 1.78 करोड़ रुपए से बढ़कर 1984-85 में 3.90 करोड़ रुपए हो गये हैं। 1985-86 के लिए बजट प्राक्कलन 6.45 करोड़ रुपए तक का है। इस प्रकार गत वर्षों से व्यय बहुत अधिक बढ़ गया है जबकि उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क का स्तर वही है जो 16-12-1977 में निर्धारित किया गया था।

संस्थापन की ओर मंहगाई भत्ता, अतिरिक्त मंहगाई भत्ता, आन्तरिक सहायता आदि में मुख्य रूप से और अनुसंधान तथा विपणन गतिविधियों में वृद्धि होने के कारण गैर योजना खर्चे में बढ़ोतरी हुई है योजना के अन्तर्गत भी कई नई योजनाएं अर्थात् मानव शक्ति विकास, काफी फार्मों को खोलना, रसायन प्रयोगशालाओं की स्थापना, भण्डार तथा गोदाम की क्षमता आदि को लिया गया है और 1985-86 के दौरान आठ नई योजनाओं को लेने का प्रस्ताव है। दोनों शुल्कों की प्राप्ति पर्याप्त नहीं होगी और इसलिए केन्द्रीय सरकार को 1985-86 के वित्तीय वर्ष के लिये इस बोर्ड के खर्चे को पूरा करने के लिए सहायता अनुदान देना पड़ा था। यह पता चलने पर कि इस अधिनियम के अन्तर्गत दोनों मुल्कों से होने वाली आमदनी बढ़ते हुए खर्च को पूरा करने के लिये उचित अनुपात में नहीं है तो यह अनिवार्य पाया गया है कि काफी अधिनियम की धारा 11 और 12 में संशोधन किया जाए ताकि सीमा शुल्क और उत्पादन शुल्क की प्रत्येक दर को न्यूनतम 50 रुपए प्रति क्विंटल तक की आमदनी की ऊपरी सीमा के लिए व्यवस्था की जा सके। फिर भी दोनों शुल्कों के वास्तविक संचालित दरों को इस प्रकार के स्तरों तक निर्धारित किया जाएगा जिससे कि भविष्य में बोर्ड के बजट व्यय के बड़े हिस्से को पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध हो सके।

एकरूपता और प्रशासनिक सुविधा के हित में यह भी प्रस्ताव किया गया है कि सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के प्रावधान बनाए जाएँ जिससे काफी के निर्यात से संबंधित काफी अधिनियम,

1942 के अन्तर्गत सीमा शुल्क के भुगतान की वापसी और छूट प्रयोजनों पर लागू हो।

धारा 48 की उपधारा 3 में निहित नियमों को बताने से सम्बन्धित उपबन्ध के प्रतिस्थापन हेतु अवसर का भी लाभ उठाया जा रहा है जोकि अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर एक नया उपबन्ध है।

इन कुछ शब्दों के साथ इस विधेयक पर विचार करने के लिए इसे सदन पर छोड़ता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि काफी अधिनियम 1942 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री थोटा।

3.46 म० प०

[श्री एन० वेंकटरत्नम पीठासीन हुए]

श्री गोपाल कृष्ण थोटा (काकीनाडा) : सभापति महोदय, काफी के उत्पादन और उसकी समान बिक्री को पूरे देश में विनियमित करने के लिए 1942 में बनाए गये अधिनियम के अन्तर्गत काफी बोर्ड बनाया गया। इस बोर्ड ने देश में काफी गृह खोलें। ये भी घाटे पर चल रहे हैं। इसने प्रचार विभाग भी खोले हैं। काफी की खपत को बढ़ाने की आवश्यकता का प्रचार इस विभाग का काम है माननीय मन्त्री महोदय ने एक अतरांकित प्रश्न संख्या 1394 का उत्तर राज्य सभा में दिया है—क्या यह सही है कि 1982-83 से काफी का प्रति हैक्टर उत्पादन नीचे आ गया है—कि पिछले चार वर्षों से काफी के आकड़ों का उत्पादन इस प्रकार है :

1981—1,50,100 टन

1982—1,29,514 टन, और

1983—1,04, 624 टन

अत: 1981 और 1983 के बीच उत्पादन में कमी आई है। इससे बोर्ड के कार्य करने का पता चलता है। यह खपत को बढ़ावा देने में भी उपयोगी नहीं है प्रत्येक व्यक्ति का यह परम्परागत पेय है। केवल जनसंख्या में वृद्धि हुई है। लेकिन विभागीय दक्षता इस बात के लिए कोई सहयोग नहीं दे सकी है।

लोक लेखा समिति के 127 वें प्रतिवेदन ने इस बात पर हैरानी व्यक्त की है कि निजी पार्लर पैसा बना रहे हैं और बाकी को पैसे की हानि हो रही है। लेकिन चेयरमैन ने तर्क दिया है कि ये हानि नहीं थी, अपितु प्रचार माध्यम से काफी की खपत बढ़ी है, उन्होंने कहा है कि उस आधार पर पैसे का उपयोग किया गया था। काफी गृहों और प्रचार विभागों का प्रभाव कुछ नहीं हैं। वे प्रचालन खर्चे, किराया, ईंधन, गैस, वेतन तथा भत्ते आदि के लिए धन खर्च करते हैं।

अब 11.80 रु० प्रति क्विंटल लेवी है। परन्तु माननीय मन्त्री महोदय संशोधन अधिनियम के द्वारा इसे बढ़ाना चाहते हैं। इस वृद्धि का भार अन्त में साधारण व्यक्ति पर जाएगा न कि डीलर पर। अत: आप जो कुछ लेवी लगाना चाहते हैं उसे कृपया मजदूरों के कल्याण के लिए अनुसंधान तथा विकास कार्य के लिए और किसानों की राज सहायता के लिए करें। माननीय मन्त्री महोदय ने लोक सभा में एक अतारांकित प्रश्न संख्या 5127 का उत्तर दिया—(क) देश में काफी का उत्पादन करने

वाले राज्यों के नाम ; (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन राज्यों द्वारा उत्पादित की गई काफी का मूल्य; (ग) क्या ऐसे और अधिक क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया गया है जो काफी के उत्पादन के लिए उपयुक्त है; (घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है। (ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान काफी उत्पादन करने वाले राज्यों, विशेषकर उड़ीसा में काफी के उत्पादन में वृद्धि के लिए दी जाने वाली सहायता का ब्यौरा क्या है, और (च) देश में काफी के उत्पादन के बढ़ाने के लिए अन्य क्या विशेष कदम उठाये जा रहे हैं। इसका उत्तर यह है कि काफी मुख्य रूप से कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु तथा आन्ध्र प्रदेश में उत्पादित की जाती है। 1981-82 से 1983-84 के दौरान प्रमुख उत्पादन वाले राज्यों द्वारा उत्पादित की गयी काफी का मूल्य इस प्रकार है :

राज्य	1981-82	1982-83	1983-84
		(लाख रुपयों में)	
कर्नाटक	15,454.83	14,256.45	12,752.1
केरल	4,566.61	2,099.00	1,535.86
तमिलनाडु	2,331.16	2,022.76	2,492.85
आन्ध्र प्रदेश	70.37	73.32	85.19

पूर्वोत्तर क्षेत्र में 18,553 हैक्टर के क्षेत्र को सर्वेक्षण के अन्तर्गत शामिल किया गया है। बोर्ड द्वारा आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा और पड़ोसी राज्यों में सर्वेक्षण किये जाने की सम्भावना है। यह उत्पादन में कुछ कमी भी बताता है। और अधिकांश काफी गृह तथा प्रचार विभाग उत्तर में है जबकि काफी पैदा करने वाले क्षेत्र दक्षिण में है। काफी बोर्ड भी और अधिक काफी को पैदा करने को प्रोत्साहन दे रहा है लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। यह विदेशी मुद्रा अर्जित करती है। अत: हमें अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए काफी उत्पादों का विकास करना चाहिए। कुएं खोदने के लिए काफी बोर्ड को किसानों को ऋण देना चाहिए ताकि पानी की समस्या को हल किया जा सके। इन सभी चीजों के लिए पानी की मुख्य समस्या है।

इन शब्दों के साथ, मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

डा० के० जी० आदियोडी (कालीकट) : माननीय मन्त्री महोदय ने विधेयक सम्बन्धी अपने वक्तव्य में कहा है कि क्योंकि राजकोष संकटावस्था में है और क्योंकि काफी बोर्ड प्रतिवर्ष राजकोष के नियन्त्रण के बाहर खर्च कर रहा है, क्योंकि वे बिना किसी सीमा के खर्च कर रहा है और क्योंकि उनके पास फालतू धनराशि नहीं है, इसलिए सरकार उत्पाद शुल्क बढ़ा रही हैं तथा निर्यात शुल्क 11-80 रुपये प्रति किलो से बढ़ाकर 50 रुपये प्रतिकिलो कर रही है।

यह कोई स्पष्टीकरण नहीं है, क्योंकि काफी बोर्ड 1942 के बाद चाय बोर्ड या रबड़ बोर्ड की तरह काम नहीं कर रहा है। उनके अनुसंधान कार्य से और उनके द्वारा काफी बागान-मालिकों को गई सहायता से न तो उत्पादन में किसी भी प्रकार की सहायता मिल रही है और न ही भारत से बाहर बिक्री की व्यवस्था करने में सहायता मिल रही है।

देश में उत्पन्न काफी की सम्पूर्ण मात्रा की देश में ही खपत नहीं होती है। देश में इसकी केवल एक-तिहाई खपत होती है। दूसरी एक-तिहाई मात्रा संविदा देशों को उचित मूल्य पर बेच दी जाती है। शेष एक-तिहाई गैर-संविदा देशों में सार्वजनिक बाजारों में बेची जाती है और वह भी चालीस से पचास प्रतिशत तक रियायती मूल्यों पर। संविदा देशों से बाहर उन्हें जो मूल्य मिलता है उसे पुन:

इकट्ठा किया जाता है और उत्पादकों को उसी के हिसाब से अदायगी की जाती है।

केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में अधिकांश बागान मालिक मध्यम और सीमान्त उत्पादक हैं। देश में 108,000 काफी बागान हैं और उनमें चार हेक्टेयर से कम जोत वाले किसान 101,063 हैं और 4 से लगभग 10 हेक्टेयर वाले 2290 हैं। ये आंकड़े काफी बोर्ड द्वारा दिए जाते हैं और कोई भी काफी उत्पादक अपना उत्पाद सार्वजनिक बाजार में नहीं बेच सकता। सम्पूर्ण काफी उत्पादन काफी बोर्ड के पास जाना चाहिए और यदि वे नहीं देते हैं तब वे दण्ड के अधिकारी हैं और उन पर मुकदमा भी चलाया जा सकता है तथा कारावास दण्ड भी हो सकता है। इस प्रकार वे अत्यन्त सतर्क हैं और इस वर्ष काफी का मूल्य 6-54 रुपये है जबकि बीज के लिए काफी बोर्ड इसे 17-19 रुपये के हिसाब से बेचता है। आज यह 25 रुपये बेची जा रही है। राष्ट्रीय बीज निगम उत्पादकों को बीज उपलब्ध कराता है इसमें केवल दस प्रतिशत वृद्धि हुई है। केवल काफी में कई गुणा वृद्धि हुई है। माननीय मन्त्री महोदय 11-80 रुपये से 50-00 रुपए तक की वृद्धि कर रहे हैं। क्या यह उपभोक्ताओं के लाभ के लिए या उत्पादकों के लाभ के लिए है? विनाड, कुर्ग और अन्य स्थानों पर काफी बागान-मालिक अधिकांश रूप से भूमि को रबड़ तथा अन्य फसलों के लिए इस्तेमाल करने लगे हैं हम काफी बागान को नष्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम काफी बोर्ड के खर्चों को सीमित कर सकते हैं। क्या मैं जान सकता हूँ कि अध्यक्ष महोदय यहां हैं? मुझे बताया गया है वह हमेशा दौरे पर रहते हैं। मैं नहीं जानता कि दौरे का उद्देश्य क्या है, क्योंकि इंडोनेशिया ब्राजील और अन्य सभी स्थानों पर अच्छी फसल होती है। हमारे काफी के उत्पादन का एक तिहाई भाग संविदा देशों को बेचा जाता है जहां विश्व बाजार के मूल्य होते हैं। दूसरा एक-तिहाई भाग गैर-संविदा देशों की कृपा पर निर्भर है। यदि वे आगे नहीं आते तो इसे सार्वजनिक बाजार में जहां कहीं मांग होती है बेचना पड़ता है। गैर-संविदा देश मूल्यों के बारे में अपना हुक्म चलाते हैं। हम गैर-संविदा देशों को काफी 40-50 प्रतिशत रियायत पर बेच रहे हैं। यह कई वर्षों से हो रहा है।

महोदय, तीन वर्ष पहले ब्राजील और अन्य काफी उत्पादक देशों में अच्छी फसल नहीं हुई थी। वहां बहुत खराब फसल हुई। इसलिए हमें अपने मूल्यों में थोड़ी वृद्धि करनी पड़ी। इसके बाद सरकार ने सोचा काफी पर निर्यात शुल्क लगाकर कुछ और धन प्राप्त करना बेहतर होगा। तत्पश्चात् विधेयक तैयार किया गया और काफी बोर्ड ने भी स्वीकृति दे दी परन्तु वह काफी उत्पादकों द्वारा मांगा जा रहा न्यूनतम मूल्य नहीं दे सका।

गेहूँ, चावल आदि के मामले में कृषि विभाग उत्पादकों के लिए मूल्य निर्धारित करता है परन्तु काफी के मामले में नहीं। यहां काफी बोर्ड न्यूनतम बिक्री मूल्य निर्धारित करने में तीन से चार वर्ष लेता है। इसके अतिरिक्त संविदा देशों और गैर-संविदा देशों के बिकी मूल्य को इकट्ठा कर दिया जाता है और उसे न्यूनतम तीन वर्षों में जारी किया जाता है जबकि अन्य सभी निर्यात की जाने वाली कृषि वस्तुओं के मामले में भुगतान कम से कम एक वर्ष में कर दिया जाता है। यह बड़े दुःख की बात है।

महोदय, काफी बोर्ड के अनुमान के अनुसार चार हेक्टेयर के बागान में उत्पादन लागत लगभग 7500 रुपये है। चार हेक्टेयर बागान में लगभग 700 किलोग्राम उत्पादन होता है। इस प्रकार विपणन की इस पर से काफी उत्पादक को परिवार के भरण-पोषण के लिए कुछ नहीं मिलता है। केवल इतना ही नहीं काफी उत्पादन की वर्तमान प्रणाली मानसून पर निर्भर है। जब पहली वर्षा के साथ काफी का पौधा विकसित होने लगता है और यदि दूसरी वर्षा समुचित और समय पर न तो सारे मौसम में काफी की खेती नष्ट हो जाती है।

महोदय, कुछ क्षेत्रों में बौछारी सिंचाई सम्भव है परन्तु काफी बोर्ड इस बारे में नहीं सोच रहा है। जहां कहीं भू जल उपलब्ध है और जहां विभेदी दर से कुछ धन उपलब्ध कराया जा सकता है वहां काफी उत्पादक छिड़काव यन्त्र लगा सकते हैं। इस प्रकार मानसून पर निर्भर हुए बिना अच्छी फसल प्राप्त की जा सकती है परन्तु काफी बोर्ड इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है।

सभापति महोदय, यदि काफी एक स्थान पर एकत्र कर ली जाती है तो इसे पकाने के लिए बागानों से तीन चार सौ किलोमीटर दूर ले जाना पड़ता है। इस प्रकार काफी उत्पादकों को परिवहन पर मोटी रकम खर्च करनी पड़ती है। काफी पकाने के केन्द्र ठीक स्थानों पर स्थापित नहीं है ? जब तक उन्हें ठीक स्थानों पर स्थापित नहीं किया जाता तब तक काफी उत्पादकों के हितों की रक्षा नहीं की जा सकती। उन्हें सभी क्षेत्रों पर अतिरिक्त व्यय करना पड़ेगा।

4.00 म० प०

ब्रिटिश काल में 1942 से ही काफी उत्पादकों की सहायता हेतु एक कानून बनाया गया था। परन्तु कानून के उपबन्ध काफी उत्पादकों के लिए बनाए गए कार्यक्रम के विरुद्ध थे। अतः मेरा विनम्र निवेदन यह है कि यद्यपि यह विधेयक सभा में उचित समय पर प्रस्तुत नहीं किया गया है फिर भी मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूँ। परन्तु काफी बोर्ड के पक्ष में विधेयक पारित कराने में बहुत समय लगता है। निर्यात शुल्क में वृद्धि या कमी करना बोर्ड का काम है। संसद में विधेयक पारित कराने में अत्यधिक कठिनाई है। सबसे पहले मैं सरकार से मूल्य में कमी करने का अनुरोध करता हूँ। पिछली बार बजट के दौरान निर्यात शुल्क में रियायत के रूप में लगभग 2000 रुपये की कमी की गयी। मैं अब भी अनुरोध करता हूँ कि सारा निर्यात शुल्क खतम किया जाए और यदि आप काफी उत्पादकों की सहायता करना चाहते हैं तो अविलम्ब आगे अनुसंधान और क्षेत्र-कार्य आरम्भ किए जाने चाहिए।

महोदय, योजना आयोग से और राजकोष से कृषि क्षेत्र को जब तक अधिकतम लाभ नहीं मिलता वे तब तक देश का औद्योगिकीकरण नहीं कर सकते क्योंकि देश के औद्योगिकीकरण के लिए कृषि उत्पादन मुख्य आधार है। जब तक उन्हें मशीनों के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहन और सहायता नहीं दी जाती इस उत्पादन से गुजारा करना कठिन होगा। हमारे देश में हरित क्रान्ति से निस्सन्देह बहुत सुधार हुआ है और सम्पूर्ण विश्व इसे जानता है। परन्तु चावल और गेहूँ के अतिरिक्त अन्य वस्तुएं जैसे दालें, आदि, पिछड़ गई हैं। इस प्रकार जहां तक उत्पादन का सम्बन्ध है मिर्च, मसाले, अदरक, हल्दी, आदि जैसी नकद फसलें भी पिछड़ गई हैं। जब तक कृषकों के बारे में समुचित अध्ययन और उन्हें समुचित दिशा-निर्देश नहीं किया जाता और विभेदी ब्याज दर लागू नहीं की जाती तब तक वे अधिक प्रगति नहीं कर सकेंगे। मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

प्रो० पी० जे० कुरियन (इदुक्की) : महोदय, वास्तव में यह विधेयक सभा में उचित समय पर नहीं लाया गया है। मैं नहीं जानता कि इस समय इस विधेयक की क्या आवश्यकता थी, क्योंकि इस समय काफी उत्पादक उत्पादन को बेचने में वास्तव में कठिनाई का सामना कर रहे हैं और सम्पूर्ण काफी उद्योग कठिनाई में हैं। इस समय सरकार का काफी पर शुल्क बढ़ाने का विचार है। मेरे विचार में यह तब उचित होता जब बाजार में तेजी होती, मूल्य बढ़े हुए होते, आदि। अतः यह कहा जा सकता है कि अधिनियमन के लिए विधेयक प्रस्तुत करने का यह उचित समय नहीं है। महोदय, इलायची, रबड़ और अन्य बागानों के विपरीत काफी का मुख्य रूप से उत्पादन छोटे उत्पादक करते हैं। देश की काफी उत्पादन का 90 प्रतिशत से 95 प्रतिशत एक एकड़ जोत वाले किसानों द्वारा किया जाता है और इसलिए काफी को अन्य बागानों के समान नहीं समझा जा सकता। देश में केवल काफी ही एक

ऐसी वस्तु है जिसका मूल्य नियन्त्रण सीधे वित्त मन्त्रालय और वाणिज्य मन्त्रालय द्वारा होता है, क्यों कि काफी का सांविधिक मूल्य है जो कि वास्तव में दोहरी मूल्य नीति है। इसके अनुसार उत्पादकों से काफी की खरीद कीजाती है और उन्हें न्यूनतम निर्गम मूल्य दिया जाता है। यह न्यूनतम निर्गम मूल्य उत्पादन लागत के आधार पर निकाला जाना चाहिए। उत्पादन लागत में जहां प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है वहां दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि न्यूनतम निर्गम मूल्य में प्रतिवर्ष संशोधन नहीं किया जाता है। यह कम से कम तीन या चार वर्ष बाद संशोधित किया जाता है। इस समय न्यूनतम निर्गम मूल्य 6-50 रुपए है जोकि इस बात के उत्पादन लागत की तुलना में कहीं नहीं ठहरता। इसका निर्धारण कई वर्षों पहले किया गया था। मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार न्यूनतम निर्गत मूल्य में वृद्धि क्यों नहीं कर रही है। उत्पादकों के समक्ष उत्पादन न्यूनतम निर्गम मूल्य पर काफी बोर्ड को देने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं रहता। मैं चाहता हूं कि सरकार तत्काल मूल्य में वृद्धि करे। मेरे विचार में काफी बोर्ड ने भी वृद्धि की सिफारिश की है और यह सिफारिश पिछले एक वर्ष से वाणिज्य मन्त्रालय में विचाराधीन है। मन्त्रालय काफी उत्पादकों के अनुकूल दृष्टिकोण क्यों नहीं अपना रहा है ?

एक बात और है। काफी का उत्पादन बढ़ रहा है और हम देश में बाजार में उसे नहीं बेच सकेंगे क्योंकि देश की खपत उत्पादन से कहीं कम है। इसलिए हमें काफी का विदेशों में निर्यात करना पड़ेगा परन्तु इस सम्बन्ध में हम वास्तव में क्या कर रहे हैं ? वास्तव में काफी के निर्यात के बावजूद उत्पादकों को कम मूल्य दिया जा रहा है, विशेष रूप से उस समय जब कि काफी का निर्यात कुछ समाजवादी देशों को किया जाता है। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या काफी के लिये नए बाजार ढूंढने के लिए हम कुछ कदम उठा रहे हैं, ताकि उत्पादक को न्यूनतम लाभकारी मूल्य दिया जा सके।

मेरे विचार में यह केवल एक समर्थकारी विधेयक है। मैं नहीं जानता कि क्या आप उत्पादक शुल्क अभी लगाने जा रहे हैं या कुछ समय बाद लगायेंगे। बहरहाल उत्पाद-शुल्क में यह वृद्धि किसी भी प्रकार से उत्पादन वृद्धि में सहायक नहीं हो रही है और न ही उत्पादकों, वाणिज्य मन्त्रालय या हमारे देश को इससे कोई लाभ होगा, क्योंकि इससे उत्पादन को धक्का लगेगा।

हमारे देश में जब कभी अच्छा उत्पादन होता है तब हमें इसके निर्यात के लिए नए बाजारों का पता लगाना चाहिए और उत्पादकों को उचित मूल्य दिलाना चाहिए, ताकि हम उसे अधिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहित कर सकें और अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त कर सकें।

मैं यह नहीं समझा कि केवल इसी वस्तु पर उत्पाद शुल्क क्यों लगाया गया है। यह रबड़ और इलायची पर नहीं है। इससे हम विदेशी मुद्रा कमाते हैं परन्तु इसी वस्तु पर यह शुल्क लगाया जाता है और उत्पादकों को परोक्ष रूप से दण्डित किया जाता है।

मैं उत्पादकों से उत्पाद प्राप्त करने और काफी बोर्ड के कार्यचालन के बारे में पहले ही लिख चुका हूं। काफी बोर्ड के पर्याप्त डिपो नहीं हैं। जब अधिक उत्पादन होता है तब काफी की खरीद करने और इसके भण्डारण के लिए काफी बोर्ड के पास पर्याप्त व्यवस्था नहीं होती है। मुझे बताया गया है कि कुछ स्थानों पर वे काफी को खुले में रख देते हैं जो वर्षा का पानी पड़ने से खराब भी हो सकती है।

मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय काफी बोर्ड के कार्यचालन को सुधारें और सुनिश्चित करें कि उसकी खरीद उचित ढंग से होगी और उत्पादकों को न्यूनतम निर्गम मूल्य दिया जाएगा। काफी का जितना भी उत्पादन हो उसकी खरीद सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था की जाए। मैं चाहता हूं कि आपके पास न्यूनतम निर्गम मूल्य में संशोधन का जो प्रस्ताव विचाराधीन पड़ा है उसे अविलम्ब

स्वीकृति प्रदान की जाए। इसके अतिरिक्त प्रतिवर्ष न्यूनतम निर्गम मूल्य में वृद्धि की जाए और इसका निर्धारित काफी की उत्पादन लागत के आधार पर किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। परन्तु मुझे एक निवेदन करना है। कृपया इन उपबन्धों को अब क्रियान्वित न करें। यह एक समर्थकारी विधान है। यदि इसे क्रियान्वित किया जाता है तो इससे हमारे काफी उत्पादन पर और विदेशी मुद्रा की आय पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर (बंगलौर दक्षिण) : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। महोदय, केरल के विद्वान वक्ताओं की बातें सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ उनके कथन के पीछे कोई उद्देश्य था। लेकिन इस विधेयक के समर्थन में कहे गये उनके अन्तिम वाक्य, उनके अपने भाषण के ही परस्पर विपरीत थे। उन्होंने काफी उद्योग के हित में बहुत अच्छी ही बातें कही हैं।

मैं भी उसी राज्य का अर्थात् कर्नाटक का रहने वाला हूं, जहां काफी पैदा होती है। विधेयक को पुरःस्थापित करते समय मन्त्री महोदय ने कहा था कि इस विधेयक का उद्देश्य काफी बोर्ड की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करना है। दूसरी ओर, यह विधेयक उत्पादकता विरोधी है। उससे निश्चित रूप से काफी उद्योग का ह्रास होगा। माननीय सदस्यगण जो कह चुके हैं, मैं उसे दोहराना नहीं चाहता। वे लोग इसके बारे में सही-सही बातें कह चुके हैं। मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि इस लेवी से, जो एक अशक्त उपाय है, निश्चित रूप से काफी उद्योग का पतन हो जायेगा। मैं महसूस करता हूँ मन्त्री महोदय भी उसे महसूस करेंगे कि भारत सरकार काफी के साथ सौतेले व्यवहार कर रही है क्योंकि चाय के मामले में वित्त मन्त्री ने बजट चाय पर से निर्यात शुल्क बिल्कुल समाप्त कर दिया है। किन्तु पिछले कई वर्षों से हम विशेषकर काफी उत्पादक दक्षिणी राज्य भारत सरकार से अनुरोध करते आ रहे हैं कि काफी पर से उत्पादन शुल्क समाप्त किया जाए। यहां तक कि जो भी माननीय सदस्य बोल चुके हैं, उन्होंने भी उसकी वकालत की है। किन्तु यह समाप्त नहीं किया गया है।

काफी से पर्याप्त विदेशी मुद्रा अर्जित हो रही है। किन्तु पता नहीं क्यों काफी को कम महत्त्व दिया जा रहा है। इन दो लेवियों का काफी बाजार पर क्या प्रभाव पड़ेगा ? हमें पता है। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं। गत वर्ष काफी का उत्पादन एक लाख सत्तर हजार टन हुआ था। अन्तर्राष्ट्रीय काफी संगठन के गठन होने के बाद 1 अक्तूबर, 1983 से काफी की दरें अन्तर्राष्ट्रीय काफी संगठन द्वारा निर्धारित की जाती हैं। वह विश्व मांग का भी अनुमान लगाता है और प्रत्येक देश के लिए कोटा निर्धारित करता है। भारत के सम्बन्ध में, गत वर्ष, भारत द्वारा उत्पादित एक लाख सत्तर हजार टन काफी में से अन्तर्राष्ट्रीय काफी संगठन के समझौते के अन्तर्गत केवल 43,000 टन भारतीय काफी पश्चिमी देशों को अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य पर बेची गई। वास्तव में, अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य बहुत ही आकर्षक है। किन्तु भारत में उत्पादित शेष काफी का क्या होगा। स्वदेशी बाजार में लगभग 60,000 टन काफी की खपत होती है। शेष। 65,000 टन काफी, जो गैर-सदस्य देशों यथा सोवियत रूस, साऊदी अरब तथा अन्य पूर्वी देशों को निर्यात की जा सकती है, 50 से 55 प्रतिशत की छूट पर बेची जा रही है। इसीलिए, हमें हानि हो रही है। जब स्थिति यह है; तो सीमा शुल्क तथा उत्पाद शुल्क बढ़ाने की आवश्यकता ही क्या है जिसके कारण मूल्य और बढ़ जायेंगे ? विशेषकर योरोपीय बाजार में इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। वास्तव में, यदि अन्तर्राष्ट्रीय काफी संगठन भारत के लिए और अधिक कोटा निर्धारित कर दे तो अच्छा रहेगा। किन्तु उन्होंने ऐसा कभी भी नहीं किया। 35 प्रतिशत से अधिक कोटा कभी भी निर्धारित नहीं किया गया क्योंकि दक्षिण अमरीकी देशों के साथ, जो अधिक मात्रा में काफी का उत्पादन करते हैं, कड़ी प्रतिस्पर्द्धा है। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में हानि उठाने का एक कारण यह भी है ? भारत सरकार के अनेक संगठन इन सब बातों का अध्ययन

करते हैं किन्तु मेरी समझ में नहीं आता कि वे इस तथ्य पर विचार क्यों नहीं कर सके। इससे निश्चित रूप से अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमारी काफी बाजार का पतन हो जाएगा और इसका काफी उद्योग पर अवश्य ही प्रभाव पड़ेगा। इसके साथ इस उत्पाद शुल्क से देश में खपत होने वाली काफी का मूल्य अवश्य ही बढ़ जाएगा। भारत में लगभग 60,000 टन काफी की खपत होती है और इस उत्पाद शुल्क के कारण मूल्य अवश्य बढ़ जायेंगे। इसलिए चाहे निर्यात करने वाली काफी का मामला हो अथवा भारत में खपत की जाने वाली काफी का, दोनों ही मामलों में मूल्य तो अवश्य ही बढ़ेंगे और उद्योग पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मन्त्री महोदय इस विधेयक को संसद में पेश करने से पूर्व इस पर बार-बार विचार करेंगे, क्योंकि यदि एक बार यह विधेयक संसद में पेश कर दिया गया तो मूल्य बढ़ाने का निर्णय तो लेना ही पड़ेगा। इसलिए, मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

इस सम्बन्ध मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जब कभी हम काफी के बारे में सोचते हैं, तो हममें से अधिकांश व्यक्तियों की यह धारणा होती है कि काफी उत्पादक एक बहुत बड़ा उत्पादक है जिसके पास हजारों एकड़ अपनी भूमि है। महोदय, यह सच नहीं है। सच्चाई यह है, जैसाकि मुझे पता है, कि लगभग 1 लाख पंजीकृत व्यापारियों में से 85 प्रतिशत ऐसे व्यापारी हैं; जिनके पास 10 एकड़ से कम बागान हैं। इसलिये हमें इन छोटे उत्पादकों के बारे में विचार करना होगा। उनका क्या होगा? उन्हें लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है क्योंकि वे खुले बाजार में काफी नहीं बेच सकते हैं। हमारे देश में काफी ही एक ऐसी वस्तु है जो एक तरह से राष्ट्रीयकृत है। काफी बोर्ड सबसे प्राचीन संगठन है जिसकी स्थापना 1940 के दशक में हुई थी। तथापि, इसकी बिक्री, इसके बाजार और प्रत्येक चीज पर नियन्त्रण है। इसलिए हमें छोटे उत्पादकों के बारे में सोचना होगा और उनका महत्त्व इसलिए भी है क्योंकि विपणन से उत्पादन करने का विषय अधिक महत्वपूर्ण है। उत्पादकों के बारे में कोई नहीं सोचता। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, मुझे विश्वास है कि मन्त्री महोदय इस पर पुनः विचार करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि यह विधेयक वापिस लिया जाय, अन्यथा इससे काफी उद्योग नष्ट हो जाएगा। वस्तुतः काफी बोर्ड आश्चर्यजनक कार्य कर रहा है। चूंकि यह मेरे राज्य में स्थित है, इसलिए इसके कार्यकरण के बारे में मुझे पता है।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : आप सभी कह रहे हैं कि काफी बोर्ड के सदस्य इस निधि का सबसे अधिक लाभ उठा रहे हैं। दक्षिण भारत का कोई भी व्यक्ति काफी बोर्ड के सदस्यों के बारे में कुछ भी नहीं कह रहा है नहीं लोग किस तरह कार्य कर रहे हैं?

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : मैं आपको स्पष्ट करूँगा कि यदि आप मूल्य बढ़ा देंगे तो काफी का बाजार नीचे गिर जायगा। आज कल बिल्कुल मांग नहीं है क्योंकि दक्षिणी अमरीका के देश हमारे देश से कहीं अधिक काफी का उत्पादन करते हैं। इस बारे में हमें हानि हो रही है। मेरी आपत्ति यह है कि ये दोनों लेविया जिनसे यह उद्योग न केवल यूरोपीय बाजार में बल्कि स्वदेशी बाजार में भी नष्ट हो जायेगा। काफी बोर्ड अच्छा कार्य कर रहा है। किन्तु काफी बोर्ड भारत सरकार के प्रशासनिक नियन्त्रण में कार्य करता है और उसे वाणिज्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित नीतियों का पालन करना पड़ता है। यह उनके नियन्त्रण में है। इसलिये, महोदय, मैं इस विधेयक का घोर विरोध करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मन्त्री महोदय इस विधेयक को वापिस ले लें। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : सभापति जी, यदि हमारे कामर्स मिनिस्ट्री का कोई ऐसा बोर्ड है जिसका खर्चा सबसे ज्यादा है तो वह कौफी बोर्ड है। जब मैंने उसके खर्चे को देखा तो

मालूम हुआ कि पिछले 7 सालों में उसका खर्च 60 टाइम्स ज्यादा बढ़ गया है। यह कौफी बोर्ड का खर्चा इतना ज्यादा कैसे बढ़ गया जब मैंने इसकी तह में जाने की कोशिश की तो शायद गवर्नमैंट ने भी इसकी औडिट रिपोर्टस की फाइल्स वगैरह सारी देखी होंगी, इस बोर्ड में 32 मैम्बर्स हैं, यह खर्चा उनकी वजह से बढ़ा है। मुंह में 32 दांत होते हैं और इस बोर्ड के मैम्बर्स की संख्या भी 32 है। आखिर इतने सारे मैम्बर्स की उसमें क्या जरूरत है, मैं नहीं समझ पाया। कौफी बोर्ड के चेयरमैन का खर्च 10 हजार रुपए प्रति माह है और वे बिना मतलब घूमते रहते हैं। कभी इनके बारे में हमें आपसे कहना है। इसमें जो प्लान एक्सपेंडीचर और नौन-प्लान एक्सपेंडीचर दिखाया गया है, हम जानना चाहेंगे कि इसका नौन-प्लान एक्सपेंडीचर क्या है, आप हमें बतलाइये। जब कभी आप किसी स्टेट में लैक्चर देते हैं तब आप बात को बड़े ढंग से छिपाते हैं।

यह नहीं बताते कि बोर्ड फंक्शन कैसे कर रहा है। कभी हमारे मन्त्री महोदय ने वहां जाकर बोर्ड को देखा है कि वह कैसे फंक्शन कर रहा है?

[अनुवाद]

बोर्ड में कितने सदस्य हैं? बत्तीस। उस बोर्ड की 10 या 12 समितियां भी हैं।

[हिन्दी]

बोर्ड को असेम्बली से भी बड़ा बना दिया है और ये कमेटीज जगह-जगह घूमती हैं। मेरे ख्याल से ये नॉन प्लान एक्सपेंडीचर नहीं है? मन्त्री जी आप बताइए यह नॉन प्लान एक्सपेंडीचर क्यों इतना बढ़ना चाहिए? एक दफा इस काफी एक्ट 1942 को पूर्णरूप से संशोधित करिए जिससे इस प्रकार से बोर्ड के मैम्बर न बढ़ें।

[अनुवाद]

ये सदस्य किनका प्रतिनिधित्व करते हैं? काफी उत्पादक प्रमुख राज्यों की सरकारों का, काफी उत्पादकों के हितों का, काफी व्यापार के हितों का और उपभोक्ताओं के हितों का। इन उपभोक्ताओं के हितों पर और कौन ध्यान दे रहा है।

[हिन्दी]

हम राजस्थान के लोग कब काफी पीते हैं, हम तो काफी पीना बन्द कर देंगे। अगर एक्साइज-ड्यूटी और कस्टम-ड्यूटी बढ़ गई, तो होगा क्या? हम इस खर्चे को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए आप इस काफी एक्ट का जो 1942 का है, पूरा संशोधन करिए। इसमें चेयरमैन, वाइस-चेयरमैन और आफिसर्स बढ़ गए हैं 7 टाइम्स और आफिसर्स और एम्प्लोइज जो हैं वे हाईकोर्ट में गए हुए हैं। यह तो काफी बोर्ड नहीं बल्कि यह तो लोगों की आरामगाह है, चरागाह है, ग्रेजिंग ग्राउण्ड है। साउथ के लोग बोर्ड के खिलाफ बोलने से डरते हैं कि अगर हम बोर्ड के खिलाफ बोलेंगे, तो ये लोग हमें क्या कहेंगे। मैंने ऐसा मैम्बरों से सुना है। चेयरमैन और वाइस-चेयरमैन के क्या फंक्शन्स हैं, उसमें आपके सेक्रेट्रीज हैं और गवर्नमेंट के एम्प्लोइज हैं। और ये लोग सिर्फ 5 जगहों में ही घूमते हैं—कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और एक और उड़ीसा, ये क्या कोई टूरिस्ट्स इम्पार्टेन्स की जगहें हैं? अब तो अरूणाचल भी जाएंगे। इसलिए मेहर-बानी करके आप इनको रोकिए और इनका नॉन-प्लान का जो एक्सपेंडीचर बढ़ रहा है, इसको रोकिए।

[अनुवाद]

काफी ग्रिम आउटलुक शीर्षक के अन्तर्गत **एकानोमिक्स टाइम्स** में एक लेख प्रकाशित हुआ

है। इसमें कहा गया है कि ; भारत तथा अन्य उत्पादक देशों को सर्वविदित तथ्यों की ओर ध्यान देना होगा तथा ऐसी निर्यात नीति बनानी होगी जो विदेशों की कड़ी प्रतिस्पर्द्धा के अनुकूल हो। इस संदर्भ में, अनुचित निर्यात शुल्क लगाने से भारतीय निर्यातकों की परेशानियां और बढ़ जायेंगी। इसलिए कोयले पर छाप लगाने वाली नीति अपनाने के बजाय सरकार को चाहिए कि इस शुल्क को बिल्कुल ही समाप्त कर दे, जिसमें पहले ही देर हो चुकी है।

[हिन्दी]

गवर्नमेंट ने तो सीधा सजैशन दिया है और आपको प्लान दिया है। लेकिन जो आपने प्लान बनाया है, वह भी ठीक कार्य नहीं कर रहा है।

[अनुवाद]

एकानोमिक्स टाइम्स में कहा गया है कि :—

"योजना बनाने वालों ने कुल उत्पादन जो 146,000 टन से अधिक नहीं है, के आधार पर 1985-86 में (सातवीं योजना के पहले वर्ष में) 89,000 टन काफी निर्यात करने का विचार किया था। उन्हें यह भी आशा थी कि निर्यात धीरे-धीरे बढ़कर 1989-90 तक 109,000 टन तक हो जाएगा। यदि नाटकीय ढंग से विश्व बाजार की स्थिति में सुधार नहीं होता है तो ये सारी परियोजना गलत सिद्ध हो जायेंगी।

[हिन्दी]

अगर आप इस प्रकार से फंक्शन करेंगे, तो मैं आपको यह कहना चाहता हूँ कि इसमें आपको लाभ नहीं होगा। जब तक आप इसको सुधारेंगे नहीं तब तक आपको इसमें लाभ नहीं होगा। ग्रोअर्स को ज्यादा फायदा दीजिए, उनकी आमदनी बढ़ाइये। मेहरबानी करके यह भी बताइए कि नान-प्लान्ड एक्सपेंडीचर कितना बढ़ गया है और कितना और बढ़ाने जा रहे हैं और कहाँ तक बढ़ाने का इरादा है ? पहले साल में कितना बढ़ायेंगे, दो साल के बाद कितना बढ़ायेंगे, यह भी बताने की कृपा करें।

[अनुवाद]

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम) : सभापति महोदय, इस विधेयक का प्रयोजन काफी पर सीमा शुल्क तथा उत्पाद शुल्क की वर्तमान दर को 11.50 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 15 रुपए प्रति क्विंटल करने का है। अन्ततोगत्वा उससे काफी के मूल्य बढ़ेंगे और लोगों को इसे सहन करना पड़ेगा। इस सभा के समक्ष बजट पेश करने तथा उसे पारित किए जाने के बाद उत्पाद शुल्क बढ़ाने की सरकार की इस प्रकृति का मैं घोर विरोध करता हूं।

पिछले दिन सरकार ने कागज पर लेवी बढ़ायी थी और यह प्रकृति एक तरह से जनता को धोखा देना है। इसलिए मैं इस विधेयक का विरोध करता हूँ जिसके कारण काफी के मूल्य बढ़ जायेंगे। सरकार का कहना है कि स्वयं काफी का प्रचार करने के लिए यह लेवी लगाई गई है और यह कि इसका उपयोग काफी बोर्ड काफी उत्पादकों के कल्याण के लिए करेगी। किन्तु यह सर्वविदित बात है कि काफी का उत्पादन जो 1982-83 में 1.80 लाख टन था से 1984-85 में घटकर 1.10 लाख टन रह गया है। अब 7वीं योजना में इसके उत्पादन का लक्ष्य 1.80 लाख टन रखा गया है। किसी को नहीं पता कि यह लक्ष्य पूरा होगा अथवा नहीं। भारत में काफी का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। क्या छोटे उत्पादकों की सहायता के लिए वह कुछ कर रही है ? काफी बोर्ड छोटे उत्पादकों के लिए क्या कर रहा है ? काफी बोर्ड एक-एक करके सभी डिपो बन्द

करता जा रहा है और अब छोटे उत्पादक बड़े उत्पादकों की दया पर आश्रित हैं। काफी बोर्ड द्वारा क्या काम किए जाते हैं? काफी बोर्ड से यह अपेक्षा की जाती है कि वह स्वयं काफी का संवर्धन करे और भारत में कुछ ही काफी गृह काफी बोर्ड द्वारा चलाये जाते हैं और वे भी केवल कुछ ही सरकारी कार्यालयों में। मेरा उनसे अनुरोध है कि स्वयं काफी बोर्ड द्वारा चलाये जाने वाले काफी गृह कम से कम कुछ प्रमुख पर्यटक केन्द्रों में चलाने के लिए कदम उठाए जाएं। इससे काफी का प्रचलन काफी बढ़ जाएगा।

इसके अलावा काफी बोर्ड के कर्मचारी बहुत अधिक विदेश यात्रा करते हैं। मैं नहीं जानता कि वे किस प्रयोजन से विदेश यात्रा करते हैं और हमारे धन का अपव्यय करके उन्हें क्या प्राप्त हुआ है?

काफी बोर्ड के कुछ डिपो भी हैं जहां से काफी का पावडर खुदरा बिक्री में 18 रुपए से 20 रुपए प्रति किलो तक प्राप्त हो जाता है जब कि बाहर बाजार में उसे 25 रुपए से 28 रु० प्रति किलो बेचा जाता है।

इस सन्दर्भ में, मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह सुनिश्चित करें कि काफी बोर्ड सारे देश में न केवल शहरी क्षेत्रों में, बल्कि ग्रामीण लोगों में भी और अधिक खुदरा डिपो खोलें।

और अन्त में, मैं काफी बागानों में श्रमिकों की दयनीय स्थिति के बारे में बताना चाहूंगा। हमारे देश के श्रमिक वर्ग में ये श्रमिक सबसे उपेक्षित हैं। इनकी सहायता के लिए काफी बोर्ड के पास कोई योजना नहीं है, सरकार को भी इनकी परवाह नहीं है, क्योंकि एक दफा जो सरकारी काफी बागान में श्रमिक हो जाता है तो पीढ़ियों तक वह उसी बागान में बंधा रहता है। हमारे देश में यही हो रहा है।

अत: सरकार को इस बारे में कुछ करना चाहिए। हमारे देश के काफी बागानों और सम्पदाओं में कार्यरत श्रमिकों के कल्याण के लिए कुछ ठोस प्रस्ताव तैयार किए जाने चाहिएँ। इस सन्दर्भ में मैं कुछ मुद्दों के बारे में कहना चाहता हूं।

मैं एक बार फिर इस विधेयक का विरोध करता हूं क्योंकि इससे देश में काफी के मूल्यों में वृद्धि होगी और फलस्वरूप इस देश के लोगों को परेशानी उठानी पड़ेगी।

श्री सोमनाथ रथ (आस्का) : सभापति महोदय, यह आरोप लगाया गया है कि काफी बोर्ड लालफीताशाही से ग्रस्त है लेकिन साथ ही इसे आवश्यक सेवा भी निष्पादित करनी होती है। विधेयक के उद्देश्यों और कारणों में यह बताया गया है कि बोर्ड वर्तमान विकास गतिविधियों और अनुसन्धान तथा विस्तार कार्यक्रमों को जारी रखे हुए है।

अत: यह आवश्यक है। हमारे देश में ऐसे क्षेत्र हैं जहां काफी उत्पादन पर जोर नहीं दिया जाता। उदाहरण के तौर पर, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि उड़ीसा में काफी उत्पादन की बहुत अधिक सम्भावनाएँ है। वास्तव में, उड़ीसा के भूतपूर्व राज्यपाल श्री पूनाचां ने राजभवन परिसर में शिक्षण के तौर पर काफी पैदा करने का प्रयास किया था और पाया कि काफी की दो किस्में वहां की जलवायु के लिए काफी अनुकूल हैं।

काफी उत्पादन के लिए उपयुक्त जलवायु और भूमि आवश्यक जरूरतें है। और यह पाया गया है कि उड़ीसा की भूमि और जलवायु, विशेषकर कोरापुट, गंजम, फूलबनी, क्योंझर और अन्य पहाड़ी जिलों की भूमि काफी उत्पादन के लिए उपयुक्त है। काफी उत्पादन के लिए पर्याप्त गुंजाइश है और इससे लोगों को पर्याप्त कार्य रोजगार भी उपलब्ध होगा।

गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले इन पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को कुछ राजसहायता दी जानी चाहिए। काफी बोर्ड को इनकी सहायता करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि काफी के अधिक उत्पादन से इनकी आमदनी में वृद्धि हो। इस तरह देश के विभिन्न राज्यों में काफी उत्पादन पर अधिक जोर देना चाहिए। उनको अपना ध्यान केवल उन थोड़े से राज्यों तक ही केन्द्रीत नहीं करना चाहिए जहां काफी पैदा होती है। उन्हें अपनी गतिविधियों का विस्तार अन्य राज्यों में भी करना चाहिए और यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि काफी के मूल्यों में वृद्धि करने से इसके निर्यात पर बुरा असर न पड़े। अगर निर्यात बाजार में कमी आती है तो उत्पादकों को वे लाभ नहीं मिलेंगे जो उन्हें मिलने चाहिए। अतः उत्पादकों और पैदावार करने वालों को कुछ प्रोत्साहन मिलना चाहिए और अगर आवश्यक हो तो उनके लाभ के लिए कुछ राजसहायता भी दी जानी चाहिए और इनमें कार्यरत श्रमिकों को भी प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए ताकि वे अधिक काफी पैदा कर सकें।

यद्यपि मन्त्री महोदय ने उद्देश्यों और कारणों के कथन के पैरा 2 में कहा है :—

"सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों में साधारणतः माल के निर्यात के बारे में सीमा शुल्क के पूर्व संदाय के प्रतिदाय और उससे छूट देने के बारे में विस्तृत उपबन्ध किए गए हैं। एकरूपता और प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से, अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (3) के स्थान पर नई उपधारा रखकर, काफी के निर्यात के बारे में काफी अधिनियम, 1942 के अधीन सीमा शुल्क के पूर्व संदाय का प्रतिदाय और उससे छूट देने के प्रयोजनों के लिए भी इन उपबन्धों को लागू करने का प्रस्ताव है।"

यह एक अच्छा विचार है।

मैं मन्त्री महोदय से इस बात पर विशेष अनुरोध करना चाहता हूँ कि काफी बोर्ड अनावश्यक खर्चे में कटौती की जानी चाहिए और जहां तक सम्भव हो काफी की पैदावार वैज्ञानिक तरीके से की जानी चाहिए ताकि ज्यादा काफी पैदा करने में कार्यरत उत्पादनकर्ताओं और श्रमिकों को लाभ मिले। और इसके निर्यात-बाजार में वृद्धि करने के प्रयास किए जाने चाहिए।

[हिन्दी]

श्री सी०जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : सभापति महोदय, काफी उत्पन्न करने वाले जो किसान हैं उनके बारे में अभी-अभी हमारे केरल के मित्रों ने बताया कि जो काफी का उत्पादन कर रहे हैं, आप जो यह टैक्स लगा रहे हैं और एक्साइज ड्यूटी लगा रहे हैं, उसके कारण उन किसानों को किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं है। जिन किसानों के पास दो एकड़ या एक एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं होती है वह काफी ग्रो करते हैं। जिनके पास पांच एकड़ जमीन होगी वह पैडी बोयेगा या शुगर केन बोयेगा। लेकिन एक एकड़ या दो एकड़ वाले किसान काफी जैसी कैश क्राप लगाकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। उनके ऊपर इस ऐक्ट के तहत आप बोझ डाल रहे हैं। हमारा काफी जितना भी भारत देश में पैदा हो रहा है उसमें एक तिहाई देश के अन्दर उपयोग में लाया जाता है, एक तिहाई विदेशों में जो विदेशी मार्केट के अन्दर भाव होता है, उस भाव के ऊपर मार्जिन से बेचा जाता है और एक तिहाई सोशलिस्ट कंट्रीज से जैसे रशिया वगैरह में वह जो टर्म्स डिक्टेट करते हैं उसके आधार पर बेचना पड़ता है जिसकी वजह से काफी बोर्ड नुकसान में आता है। उस नुकसान को पूरा करने के लिए 11 रुपए से लेकर एकदम 50 रुपए जो एक्सपोर्ट ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी लगने वाली है उससे काफी बोने वालों पर बोझ बढ़ता है। इसके अन्तर्गत जो काफी उत्पादन करता है न उस के लिए कोई लाभ है न जो काफी पीने के आदी हैं उनको ही कोई लाभ है। अभी

कांग्रेस के लोगों ने बताया कि दक्षिण भारत के लोग ही इस काफी को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और वही काफी पैदा भी करते हैं, तो जहाँ पर चाय पर इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट ड्यूटी को आपने कम किया है या बिल्कुल निकाल दिया है वही काफी पर इसे लगाने से दक्षिण भारत के लोगों के मन में यह भावना पैदा हो रही है कि उनके साथ भारत सरकार सौतेली माँ जैसा व्यवहार दिखा रही है। इस प्रकार की भावना कांग्रेस वालों ने यह व्यक्त की, उनके इन मतों से मैं बिल्कुल सहमत हूं।

मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस बिल के द्वारा न उपभोक्ताओं को और न ही किसान को लाभ है, इसलिए तुरन्त आप इसे वापस लें तो ज्यादा अच्छा होगा।

काफी बोर्ड के बारे में जैसा डागा जी ने बताया काफी बोर्ड के लोग एयरकन्डीशन्ड कमरों बैठते हैं। काफी का प्रोपेगेंडा कहाँ होता हैं ? दिल्ली के आजू बाजू के लोगों में या बाबू लोगों में होता है। जहाँ चाय और काफी का ज्यादा इस्तेमाल है वहां ज्यादा प्रोपेगेंडा होना चाहिए। सेकेट्रिएट में अगर बिना किराया लिए काफी बोर्ड को मुफ्त में जगह दें तो वह ज्यादा अच्छा होगा। ज्यादातर भारत सरकार और राज्य सरकार के सचिवालयों के अन्दर ही इस काफी बोर्ड का प्रोपेगेंडा होता है। काफी बोने वालों की संख्या बढ़ाने के लिए हमें प्रोपेगेण्डा ज्यादा करना चाहिए। अभी हमारे देश में जो काफी पैदा हो रही है उसको बेचने के लिए हमको सोशलिस्ट कन्ट्रीज पर निर्भर होना पड़ रहा है। केन्द्रीय सरकार की ओर से, काफी पैदा करने वाले जो छोटे-छोटे किसान हैं, दो-तीन एकड़ से कम के जो किसान हैं, खास तौर से उनकी मदद की जानी चाहिए क्योंकि एक एकड़ के पीछे कम से कम दस हजार रुपए कास्ट आफ प्रोडक्शन लगाने की आवश्यकता पड़ती है।

सरकार ने कोई फाइनेंशियल मेमोरेंडम लगा कर यह बताने का प्रयत्न नहीं किया है कि आप जो कस्टम और एक्साइज ड्यूटी 11 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए करने जा रहे हैं, उससे आपके पास कितना ज्यादा पैसा आने वाला है। दूसरे आपने जो यह कहा है कि काफी बोर्ड को नुकसान हो रहा था तो उसका क्या कारण था—यह भी आपने नहीं बताया है। केवल इसलिए कि काफी बोर्ड नुकसान में है, इसलिए एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी जाए, कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी जाये या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी जाये —मैं समझता हूँ यह ठीक नहीं है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि कांग्रेस पक्ष के सदस्यों ने भी इस बिल का विरोध किया है और विरोध पक्ष के सदस्यों ने भी इसका विरोध किया है और जब सभी लोग इसका विरोध कर रहे हैं तब इस बिल को पारित करके आप क्या करने वाले हैं—यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। इस बिल के साथ आपने कोई फाइनेंसियल मेमोरेंडम भी नहीं लगाया है, यह बताने के लिए कि काफी बोर्ड को कितना नुकसान हो रहा था और कुल कितनी ड्यूटी आप वसूल करना चाहते हैं। सरकारी तौर पर आपने बताया है कि काफी बोर्ड को नुकसान हो रहा है जिसको पूरा करने के लिए आप कस्टम, एक्साइज ड्यूटी बढ़ाना चाहते हैं। वह भी आप 11 रुपए से बढ़ा कर 50 रुपया, यानी पाँचगुना करना चाहते हैं। इसलिए मैं अनुरोध करूँगा कि जो आपने बिल पेश किया है वह संविधान के अनुसार भी नहीं है अतः आप इसको वापिस ले लें तो अच्छा होगा अन्यथा हमें इसका विरोध करना पड़ेगा।

[अनुवाद]

श्री के० मोहनदास (मुकुन्दपुरम) : श्रीमान, मैं इस अवसर पर सभा के सामने देश के काफी उत्पादकों की कुछ समस्याएं रखना चाहता हूं। काफी उत्पादकों को फालतू उत्पादन के कारण काफी के मूल्यों में गिरावट की सबसे गम्भीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इस वर्ष देश में 1,65.000 टन काफी उत्पादन होने का अनुमान है। निर्यात कोटा43,400 टन का है, जबकि घरेलू खपत मात्र 60,000 टन ही है। इस प्रकार इस वर्ष हमारे पास 62,400 टन फालतू काफी बच

जायेगी। समस्या यह है कि इस काफी का क्या किया जाए। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं कि इससे उत्पादकों पर बुरा असर पड़ेगा। वर्तमान विधेयक के अनुसार काफी पर उत्पादन शुल्क 11.80 रु० से बढ़ाकर 50 रु० प्रति क्विंटल कर देने की व्यवस्था है। इससे काफी उत्पादकों को बड़ा धक्का लगेगा एक तरफ तो अन्तरर्राष्ट्रीय बाजार में काफी उत्पादन की भरमार है जिससे इसके मूल्यों में कमी आई है, दूसरी ओर उत्पादकों को इस भारी उत्पादन शुल्क का सामना करना पड़ रहा है। अतः मैं, सरकार से अनुरोध करूंगा कि वे इस बारे में पुनः विचार करें।

देश में करीब एक लाख काफी की जोत है। इनमें से 97.87 प्रतिशत छोटे किसान हैं। इनमें से ज्यादातर जोत 10 एकड़ से कम है। इन छोटे किसानों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बाकी उत्पादन लागत में भारी वृद्धि हुई है। जबकि निवेश पर लाभ कम हो रहा है। 1981 में सरकार ने न्यूनतम निकासी मूल्य 9.54 रु० निर्धारित किया था। चूंकि 1981 के बाद उत्पादन लागत में बहुत अधिक वृद्धि हुई है, अतः सरकार को इस सम्बन्ध में काफी बोर्ड द्वारा की गई सिफारिशें स्वीकार करनी चाहिए। जहां तक काफी के निर्यात का सम्बन्ध है, मैं नहीं समझता कि आगामी वर्षों में इसमें वृद्धि होगी। अतः हमें देश के भीतर ही इसकी खपत में वृद्धि करने के उपाय करने होंगे। इस काफी की आन्तरिक खपत में मात्र 3.5 प्रतिशत ही वृद्धि हुई है। व्यवसायिक गतिविधियों के माध्यम से इसमें वृद्धि की जा सकती है। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु अधिक काफी उत्पादक राज्य हैं और काफी उद्योग में संकट से इन राज्यों की आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल असर पड़ेगा, अतः सरकार को इस समस्या के प्रति अधिक तर्कसंगत मार्ग अपनाना चाहिए।

काफी उत्पादक बहुत ऋणग्रस्त हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 63 प्रतिशत काफी उत्पादक ऐसे हैं जिनके पास मात्र दो हैक्टेयर भूमि है, रिजर्व बैंक, काफी बोर्ड को दिए गए ओवरड्राफ्ट पर 18 प्रतिशत ब्याज ले रहा है। बोर्ड इस राशि को काफी उत्पादकों को ऋण बांटने के लिए प्रयोग करता है। ऐसी परिस्थिति में आप काफी उत्पादकों की स्थिति का अच्छी प्रकार से जायजा ले सकते हैं। अतः इन सब समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि काफी पर वर्तमान उत्पादन शुल्क में वृद्धि करके वृद्धि में पुनः विचार किया जाए।

***श्री आर० जीवरत्नम** (आर्कोनम) : माननीय सभापति महोदय, काफी(संशोधन) विधेयक, 1985 पर कुछ सुझाव देने के लिए अवसर दिया। मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूँ। जहां मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं, वहीं इस कानून द्वारा काफी उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले असर की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। इस विधेयक द्वारा सीमा शुल्क और उत्पादन शुल्क बढ़ाकर 11.80 रु० प्रति क्विंटल और 50 रु० प्रति क्विंटल कर दिया गया है। अगर मात्र सीमा शुल्क में ही वृद्धि की गई होती तो ज्यादा अन्तर नहीं पड़ता। लेकिन उत्पादन शुल्क बढ़ा कर 50 रुपये प्रति क्विंटल कर देने से काफी के मूल्यों में वृद्धि होगी। दक्षिण भारत में काफी एक खाद्य वस्तु है। गरीब से गरीब व्यक्ति भी दिन में एक दफा एक कप काफी पीने का आदी है। उत्पादन शुल्क में वृद्धि से, निश्चित ही काफी के मूल्यों में वृद्धि होगी, जिससे दक्षिण राज्यों के गरीब लोगों पर बुरा असर पड़ेगा। मन्त्री महोदय को ऐसे उपाय खोजने चाहिए, जिससे काफी के मूल्यों में वृद्धि न हो।

मेरा सुझाव है कि उत्पादन शुल्क 50 रुपये प्रति क्विंटल के बजाय 30 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया जाए। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु की 2,35,000 हैक्टेयर भूमि पर काफी की पैदावार की जाती है। कुल काफी उत्पादन क्षेत्र का 98 प्रतिशत भाग अर्थात 2,30,300 हैक्टेयर भूमि छोटे

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

कास्तकारों के पास है जिनके पास 10 हैक्टेयर या इससे भी कम भूमि है। आप अच्छी तरह देख सकते हैं कि छोटे काश्तकारों की संख्या इन राज्यों में बड़े जमींदारों से अधिक है ये छोटे काफी कास्तकार उत्पादन शुल्क में वृद्धि की सहन नहीं कर पायेंगे, अगर उन्हें जीवित रहना है तो उन्हें यह वृद्धि काफी उपभोक्ताओं पर डालनी होगी क्योंकि काफी उत्पादन में प्रयुक्त होने खाद आदि के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। मौसम का भी काफी उत्पादन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। काफी उत्पादकों को हर तीसरे वर्ष सूखे का सामना करना पड़ता है। अगर एक वर्ष अच्छी फसल हो जाती है तो अगले वर्ष सूखे का सामना करना पड़ता है। उन्हें इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अतः मैं सुझाव देता हूं कि काफी पर उत्पादन शुल्क में 50 रुपया प्रति क्विंटल के स्थान पर 30 रुपये प्रति क्विंटल वृद्धि की जाए।

भारत अन्तर्राष्ट्रीय काफी संघ का सदस्य है। 1983 में हमने नये अन्तर्राष्ट्रीय काफी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। मुझे डर है कि काफी पर उत्पादन शुल्क में वृद्धि करने से हमारे निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में काफी के मूल्यों में वृद्धि हो सकती है। हम अपना निर्यात कोटा शायद पूरा न कर सकें। मन्त्री महोदय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम हर स्थिति में अपने निर्यात कोटे को पूरा करें। 6 प्रतिशत आयात आपूर्ण लाभ के अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार काफी निर्यात के कुल मूल्य पर 8 प्रतिशत नगद मुआवजा भी देती है, यह मुख्यतः इन्सटेन्ट काफी के निर्यात के लिए ही है, अतः मेरा सुझाव है कि सरकार अन्तर्राष्ट्रीय समझौते के अनुसार काफी के निर्यात के कोटे को पूरा करे और सीमा शुल्क में की गई वृद्धि के कारण हमारे आयात में कमी नहीं आनी चाहिए।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में, काफी बोर्ड ने अनेक योजनाएं बनाई हैं, जिनसे काफी उत्पादन क्षेत्र में 50,000 हैक्टेयर की वृद्धि होगी। काफी उत्पादनमें वृद्धिके अलावा इससे हमारे निर्यात में वृद्धि होगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। अधिक उत्पादन होने से काफी के मूल्यों में भी गिरावट आयेगी। काफी बोर्ड, काफी संस्कृति में प्रसार के लिए प्रशिक्षण योजना बना रहा है। काफी उत्पादकों को मिट्टी की जांच, कीट-नाशक दवाईयों की सप्लाई, अधिक उपज वाले काफी बीज सप्लाई करना, काफी प्रदर्शन फार्म स्थापित करने की योजना, काफी बोर्ड की अनुसन्धान शाखा को सुदृढ़ बनाने की योजना, विकासात्मक कार्यों के लिए राजसहायता देना, समय पर काफी उत्पादकों को वित्तीय सहायता देना शामिल है काफी बोर्ड को इन योजनाओं को न केवल बनाना ही चाहिए, बल्कि दृढ़ता से लागू भी करना चाहिए। सरकार को काफी बोर्ड को उपयुक्त प्रशिक्षित व्यक्ति भर्ती करने की अनुमति देनी चाहिए, जिससे उन्हें पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जा सके ताकि वे इन योजनाओं को अच्छी तरह से लागू कर सकें।

विश्व के कुल काफी उत्पादन में भारत का अंशदान केवल 1.7% ही है। लेकिन विश्व के कुल काफी निर्यात में भारत का हिस्सा 1.25% ही है। 1983-84 में काफी का निर्यात कर 175 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा अर्जित की गयी, जबकि 1984-85 के प्रथम 8 महीनों में काफी से 138 करोड़ रुपए की ही विदेशी मुद्रा कमाई गई। काफी बोर्ड की यह एक बड़ी उपलब्धि है। मैं सुझाव देता हूं कि कम से कम 10% व्यक्ति विदेशी मुद्रा इन्सटेंट काफी तैयार करने के अति आधुनिक उपकरण खरीदने के लिए आरक्षित रखी जानी चाहिए। केवल तभी हम इन्सटेंट काफी का बड़ी मात्रा में निर्यात कर पायेंगे। इस समय दो बहुराष्ट्रीय कम्पनियां—ब्रुक बांड और प्योर फूड्स—ब्रू काफी और 'नेस्कैफे' का उत्पादन कर रही हैं। इन दो प्रकार की इन्सटेंट काफी को लोकप्रिय बनाने के लिए ये दो बहुराष्ट्रीय कम्पनियां विज्ञापनों पर बहुत अधिक पैसा खर्च कर रही हैं। उन्हें इन्सटेंट

काफी के निर्यात पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो सरकार को एक अध्यादेश जारी करके इन दो बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को निर्देश देना चाहिए कि वे ब्रू और नेस्कैफे का केवल निर्यात करें और इन्हें देश में न बेचें।

महोदय, काफी बोर्ड बागान श्रमिकों की कल्याणकारी योजनाओं पर ध्यान नहीं दे रहा है। काफी बोर्ड को तत्काल एक बागान श्रमिक कल्याण निधि बनानी चाहिए। काफी बोर्ड को बागान श्रमिकों की आवास योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए जीवन बीमा निगम और आवास विकास वित्तीय निगम से ऋण लेना चाहिए। काफी बोर्ड को श्रमिकों की शैक्षिक आवश्यकताओं के लिए धन आवंटन करना चाहिए। बागान श्रमिक अधिनियम ब्रिटिश शासकों ने 1938 में लागू किया था। आज तक इसमें कोई संशोधन नहीं हुआ है। सरकार को बागान श्रमिक अधिनियम में आवश्यक संशोधन करने चाहिए ताकि काफी बोर्ड बागान श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजना लागू कर सके। बागान श्रमिक सहकारी समितियाँ बनायी जानी चाहिए और इन समितियों को काफी का कोटा दिया जाना चाहिए तथा काफी बीजों को पीसने के लिए मशीनें दी जानी चाहिए। इससे बागान श्रमिकों का जो सदैव तंगी और गरीबी में रहते हैं, का काफी भला होगा।

महोदय, महानगरों में सर्वत्र दूध के बूथ बने हुए हैं। महानगरों में 'नेस्कैफे के कियोस्क' भी बने हैं। मेरा सुझाव है कि महानगरों में काफी बोर्ड द्वारा स्थान-स्थान पर काफी बूथ खोलने चाहिए। यदि काफी बोर्ड अच्छे स्तर की काफी उपलब्ध कराये तो उससे पी जा रही शराब की मात्रा में कमी आयेगी। ऐसे काफी बूथों को सुबह से लेकर देर रात तक खुला रखा जाना चाहिए। इससे रोजगार के अवसर तो पैदा होंगे ही काफी बोर्ड की आमदनी में भी वृद्धि होगी। ब्लैक काफी फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, इटली आदि देशों में लोकप्रिय पेय बन चुका है और इससे शराब की बिक्री में काफी कमी आयी है। काफी बोर्ड को भी लोगों की भलाई के लिए इसका अनुसरण करना चाहिए। छोटे काफी उत्पादकों की ओर से मैं सरकार के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि उसने 2 अगस्त को अधिसूचना संख्या 247/85 के द्वारा काफी पर निर्यात शुल्क 415 रुपये से घटाकर 300 रुपये कर दिया है जिससे 115 रुपये का लाभ हो गया है। यह अधिसूचना वित्त राज्य मन्त्री महोदय ने 2 अगस्त को लगभग 5 बजे सभा पटल पर रखी थी। इससे निर्यात में वृद्धि होगी। अपना भाषण समाप्त करने से पहले मैं सुझाव देता हूँ कि संसद सदस्यों को, विशेषकर उन्हें जो काफी बोर्ड के सदस्य हैं, लन्दन में अन्तर्राष्ट्रीय काफी बोर्ड की प्रति वर्ष होने वाली बैठकों में भाग लेने के लिए भेजा जाए। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : सभापति महोदय, मैं उन माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने वाद-विवाद में भाग लिया है और अपने मूल्यवान सुझाव दिए हैं।

महोदय, मैंने इस सदन में विचार करने के लिए विधेयक प्रस्तुत करते समय इसके प्रयोजन को स्पष्ट कर दिया था। इसलिए मैं एक बार फिर उसका विवेचन करना चाहूँगा।

जैसे-जैसे कोई संगठन बढ़ता है, जैसे-जैसे किसी संगठन के क्रियाकलापों में वृद्धि होती है, वैसे-वैसे स्वभावतः खर्च में भी वृद्धि होती है। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि संगठन के क्रियाकलापों, संवर्द्धनात्मक क्रियाकलापों के लिए उसके पास राजस्व के कुछ स्रोत हैं। 1984-85 में उपकर के रूप में कुल 143.29 लाख रुपए की वसूली हुई थी। 1-4-85 को अथशेष (—) 67.22 लाख रुपये था और इस वर्ष के लिए ऋण और राजसहायता के अतिरिक्त योजनागत और गैर-योजनागत खर्च के लिए 6.45 करोड़ रुपये के बजट प्राक्कलन निर्धारित किए गए हैं। अतः हमारे लिए यह

आवश्यक हो गया है कि हम कुछ धन की व्यवस्था करें ताकि हम काफी उत्पादन को प्रोत्साहन करने की सामान्य गतिविधि को जारी रख सकें।

काफी एक महत्वपूर्ण फसल है। देश की अर्थव्यवस्था, विशेषकर देश के दक्षिणी भाग की अर्थव्यवस्था में इसका अत्यधिक योगदान है। इससे लगभग 3.5 लोगों को रोजगार मिलता है और इससे लगभग 400 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा का अर्जन होता है। मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जा रहा हूं। काफी उद्योग का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि चाय उद्योग से भिन्न 97 प्रतिशत काफी उत्पादक छोटे उत्पादक हैं। अतः यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि सरकार उनका उचित ध्यान रखे। यह आरोप लगाया गया है कि सरकार काफी के मुकाबले चाय उद्योग को ज्यादा महत्व दे रही है। हमारा विचार इससे भिन्न है और मैं इससे बिल्कुल सहमति नहीं हूं कि इस उद्योग के साथ जैसा कि कुछ लोग कहते हैं, सौतला व्यवहार किया गया है। बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि जहां तक काफी उत्पादकों का सम्बन्ध है, वे इस अर्थ में अधिक सौभाग्यशाली रहे हैं कि काफी के बारे में नीति में स्थायित्व रहा है। चाहे उत्पादन हो, देश में इसकी नीलामी का मामला हो या फिर निर्यात बाजारों के लिए नीलामी हो, इन सबमें एक स्थायित्व बना रहा है जोकि चाय उद्योग में नहीं रहा है। चाय उद्योग में उतार-चढ़ाव आते रहे हैं। काफी उत्पादकों को इस समस्या का सामना केवल इसलिए नहीं करना पड़ा क्योंकि काफी के मामले में सरकार ने सदा एक स्थाई नीति अपनायी है।

कुछ सदस्यों ने यह भी कहा है कि यह विधेयक ऐसे समय लाया गया है, जब इसे नहीं लाया जाना चाहिए था। शायद माननीय सदस्यों के मन में यह बात रही है कि काफी के मूल्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गिर गए हैं मैं मानता हूं कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में काफी के मूल्य गिरे हैं और इसी कारण से हाल में जैसे ही अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में काफी के मूल्यों में कमी आयी, निर्यात शुल्क कम कर दिया गया और माननीय सदस्य इस बात से अवगत हैं।

मुझे बताया गया है कि इसे 5 बजे तक समाप्त करना है। किसी माननीय सदस्य से न्यूनतम जारी मूल्य की बात की थी। यद्यपि न्यूनतम जारी मूल्य प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार निर्धारित किए जाते हैं, मैं समझता हूं इसे प्रति वर्ष निर्धारित किया जाना चाहिए। किन्तु मुझे बताया गया है कि मूल्य निर्धारण इतना जटिल है कि ऐसा करने में कठिनाई पेश आती है। मैं सदस्यों को यह बताना चाहता हूं कि यथासम्भव हमें हर तीन वर्ष में मूल्य निर्धारण करने चाहिए। मुझे आशा है मैं ऐसा कर पाऊंगा। किन्तु एक बात स्मरण रखी जानी चाहिए कि यद्यपि न्यूनतम जारी मूल्य प्रति बैग 654 रुपये निर्धारित किया गया है, प्रचलित मूल्य लगभग 911 रुपये प्रति बैग है। अतः प्रचलित मूल्य न्यूनतम जारी मूल्य से काफी अधिक है। अतः यह कहना सही नहीं होगा कि उत्पादकों को लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहे हैं। दूसरी ओर, जैसा कि मैंने कहा है, काफी उत्पादकों को लाभकारी मूल्य मिलते रहे हैं और ये मूल्य सदैव स्थिर रहे हैं।

5.00 म० प०

निर्यात शुल्क पर मैं एक बात और कहना चाहता हूं। निर्यात शुल्क तब नहीं लिये जाते जब सबसे सस्ती किस्म की काफी के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य न्यूनतम लाभकारी मूल्य से कम हो जाते हैं। न्यूनतम लाभकारी मूल्य-स्तर से ऊपर मूल्य होने पर ही निर्यात शुल्क लगाया जाता है। अतः मेरे विचार से जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, हम यह सुनिश्चित करने के पूरे प्रयत्न करेंगे कि काफी के मामले में स्थिर नीति हो।

एक और बात मैं कहना चाहता हूं जिसके बारे में श्री रथ ने उल्लेख किया है। यह गैर-

पारम्परिक क्षेत्रों में काफी के उत्पादन से सम्बन्धित है। काफी देश के सभी क्षेत्रों में पैदा नहीं की जाती है। यह अब तक केवल कुछ राज्यों में पैदा की जाती है। हम गैर-पारस्परिक क्षेत्रों में विशेषकर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और नागालैंड में काफी उत्पादन से सम्बन्धित एक व्यापार योजना पर विचार कर रहे हैं।

मैं एक बार फिर से उन सभी सदस्यों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने चर्चा में भाग लिया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि काफी अधिनियम 1942 में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सभापति महोदय : अब सभा विधेयक पर खण्ड-वार विचार करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 5 विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 2 से 5 विधेयक में जोड़ दिए गए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक नाम विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : मन्त्री महोदय, अब प्रस्ताव करें कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री पी० ए० संगमा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

5.04 म०प०

दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मूल के लोगों को प्रभावित करने वाले जातीय दंगों के बारे में चर्चा

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब हम मद संख्या 19 लेंगे। इस नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा होगी।

श्री एडीआर्डो फैलीरो (मारमागाओ) : सभापति महोदय, यह चर्चा कितनी देर तक चलेगी ? इसके लिए कितना समय निर्धारित किया गया है ? मैं यह इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण मामला है और हम इस न्यायसंगत कार्य के प्रति बचनबद्ध हैं। इसे मात्र एक औपचारिकता नहीं समझा जाना चाहिए। हमें इस प्रकार चर्चा करनी चाहिये जिसमे लगे कि संसद वास्तव में इससे चिंतित है। यह मात्र एक औपचारिकता नहीं है।

सभापति महोदय : दो घंटे का समय निर्धारित किया गया है।

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : महोदय, दक्षिण अफ्रीका की स्थिति पर की जाने वाली किसी भी चर्चा का आरम्भ वहाँ की रंगभेद की घृणित प्रथा की निंदा से ही की जानी चाहिए।...

सभापति महोदय : मन्त्री महोदय, चर्चा की यह मद श्री प्रताप भानु शर्मा के नाम में है। अत: उन्हें चर्चा आरम्भ करनी है।

श्री जी० जी० स्वैल (शिलांग) : सरकार का वक्तव्य सुनने में कोई हानि नहीं है। उसके बाद हम चर्चा कर सकते हैं।

सभापति महोदय : सबसे पहले माननीय सदस्य आरम्भ करेंगे।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : हो सकता है, कोई प्रक्रियात्मक त्रुटि हो।

सभापति महोदय : हमें प्रक्रिया के अनुसार चलना चाहिए।

श्री खुर्शीद आलम खां : मेरे वक्तव्य के बाद चर्चा आरम्भ की जा सकती है।

श्री जी० जी० स्वैल : मन्त्री महोदय को वक्तव्य देने दीजिए। इसमें कोई हानि नहीं है।

सभापति महोदय : आप सभा की अनुमति लेने के बाद वक्तव्य दे सकते हैं।

श्री जी० जी० स्वैल : मन्त्री महोदय का वक्तव्य देना भली भांति नियमानुसार है।

श्री खुर्शीद आलम खां : मैं सभा में वक्तव्य देने की अनुमति चाहता हूँ।

सभापति महोदय : मैं सभा से मन्त्री महोदय द्वारा वक्तव्य देने की अनुमति देने का अनुरोध करता हूँ।

अनेक माननीय सदस्य : जी हाँ, मन्त्री महोदय वक्तव्य दे सकते हैं।

सभापति महोदय : मन्त्री महोदय अब आप वक्तव्य दे सकते हैं। हमें प्रक्रिया के अनुसार चलना चाहिए।

5.06 म०प०

दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नीति के बारे में वक्तव्य

[अनुवाद]

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : दक्षिण अफ्रीका की स्थिति के बारे में जो भी विचार विमर्श किया जाए उसकी शुरूआत पृथग्वासन सम्बन्धी घृणित प्रथा से ही की जानी चाहिए। पृथग्वासन को श्वेत अल्प संख्यकों द्वारा बनाया गया था ताकि अन्य समुदायों पर, जो दक्षिण अफ्रीका की आबादी के 85% है लगातार उनका प्रभुत्व बना रहे। संयुक्त राष्ट्र ने ठीक ही

कहा है कि पृथग्वासन मानवता के खिलाफ एक अपराध है। मानव अधिकारों सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र घोषणा में बताए गए अधिकार और स्वतन्त्रता अश्वेतों को नहीं दी जा रही हैं। रंगभेद न केवल रोजगार तथा आवास तक ही सीमित है बल्कि यह सार्वजनिक परिवहन, सार्वजनिक स्थानों जैसे सिनेमा, संग्रहालयों, खेल के मैदानों, रेस्टोरेन्टों, पार्कों और उद्यानों तक फैला हुआ है। यहां तक कि विभिन्न जातियों के लोगों को एक ही एम्बूलेंस में अस्पताल नहीं ले जाया जा सकता। उत्पीड़ित बहुसंख्यक लोगों के हितों का ध्यान रखने वाले दलों, विशेष रूप से अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस और पान अफ्रीकनिस्ट कांग्रेस पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है तथा इन्हें विदेश में रहकर अपना कार्य करना पड़ रहा है।

पृथग्वासन सम्बन्धी कई निंदनीय बातों में से विशेष रूप से उल्लेखनीय है-- अफ्रीकी लोगों के लिए तथाकथित "होम लैण्डस" अथवा "बैन्टस्टन्स" का निर्माण। यद्यपि वे कुल आबादी के 73% हैं, बैन्टस्टन्स के रूप में उन्हें देश के कुल क्षेत्रफल का केवल 13.7% आवंटित किया गया है। यह उन सबसे गरीब इलाकों में से हैं जहां न तो कोई बड़ी प्रसिद्ध खानें ही हैं, न ही कोई प्रमुख उद्योग अथवा बन्दरगाह। लाखों अश्वेतों को वहां रहने और "श्वेत" क्षेत्र में काम करने की इजाजत दी गई लेकिन तब तक जब तक कि सस्ती मजदूरी का यह स्रोत सत्तारूढ़ अल्पसंख्यकों को मिलता रहे। वृद्ध हो जाने अथवा बीमार पड़ जाने अथवा श्वेत नियोक्ताओं की आवश्यकताओं से अधिक हो जाने की स्थिति में अफ्रीकियों को किसी भी वक्त निकाल फेंका जा सकता है। इन अश्वेत निवासियों के पास कोई राजनीतिक अधिकार नहीं हैं तथा उन्हें अपने पास पहचान पत्र रखने होते हैं जो उन्हें मांगने पर दिखाने पड़ते हैं। पहचान पत्र कानूनों का उल्लंघन करने वाले हजारों व्यक्तियों को रोजाना गिरफ्तार किया जाता है।

अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में तथा दक्षिण अफ्रीका में पृथग्वासन का विरोध सुविदित है। लेकिन दक्षिण अफ्रीका में ही एक नई लहर है जिसे खनन और अन्य उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों का समर्थन प्राप्त है। जनता खुलकर शासन का विरोध कर रही है और उन कानूनों का उल्लंघन कर रही है जो अत्याचार कायम रखने के लिए बनाए गए हैं। श्वेतों ने दमन और बढ़ाया है और इस प्रकार के असफल प्रयत्न भी किए हैं ताकि इस आंदोलन को समाप्त किया जा सके। पिछले वर्ष या इससे पहले भी सैंकड़ों लोग पुलिस द्वारा गोली चलाने से मारे गये। हजारों लोगों को जेल में डाल दिया गया और पुलिस के घोर अत्याचारों के परिणामस्वरूप पुलिस की हिरासत में कई लोगों की जानें गयीं। इस बात का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है कि ऐसे कितने लोग जेल में हैं जिन पर मुकदमा नहीं चलाया गया है, परन्तु इनकी संख्या बहुत अधिक है। अन्तर्राष्ट्रीय समझ-बूझ के लिये जवाहर लाल नेहरू पुरस्कार विजेता नेलसन मांडेला पृथग्वासन विरोधी आंदोलन की निर्भीक भावना के प्रतीक हैं जिन्होंने कुख्यात रोबन द्वीप जेल में 23 वर्ष व्यतीत किए।

गांधी जी द्वारा शुरू किये गये पृथग्वासन के अन्तर्राष्ट्रीय विरोध को भी कई वर्षों से बल मिल रहा है। भारत ही पहला ऐसा देश है जिसने पहली बार दक्षिण अफ्रीका में जातीय भेदभाव के प्रश्न को 1946 में संयुक्त राष्ट्र के समक्ष प्रस्तुत किया। तब से पृथग्वासन व्यवस्था के जातिवादी सिद्धांतों के विरुद्ध एक सशक्त अन्तर्राष्ट्रीय मतैक्य हुआ।

दुर्भाग्य से यह एक तथ्य है कि दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता के बारे में अभी तक मतैक्य नहीं है। दक्षिण अफ्रीका में पर्याप्त निवेशों सहित कतिपय महत्वपूर्ण पश्चिमी शक्तियां दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध लगाने के पक्ष में नहीं हैं। दक्षिण में उद्यतन घटनाओं ने यह भी प्रदर्शित किया है कि रचनात्मक प्रतिज्ञा की तथाकथित नीति में संयुक्त

राष्ट्र चार्टर के अध्याय 7 के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा कारगर कार्रवाई के व्यवहार्य विकल्प की व्यवस्था नहीं है।

आंतरिक और अन्तर्राष्ट्रीय विचारधारा को भंग करने के उद्देश्य से दक्षिण अफ्रीका के जातिवादी शासन के अनेक लुभाने वाले (सुधारों) की घोषणा की है जो किसी भी तरह से पृथग्वासन के कड़े नियमों को न तो कम करते हैं और न ही बहुसंख्यकों के वास्तविक अधिकारों से मेल खाते हैं। पिछले साल जातिवादी शासन ने कुछ तथाकथित "संवैधानिक सुधारों" को लागू किया और त्रिपक्षीय कानून बनाया ताकि श्वेतों और भारतीय समुदाय के लोगों को समान प्रतिनिधित्व दिया जा सके। नई संसद में 178 श्वेत, 85 अश्वेत तथा 45 भारतीय थे। प्रत्येक दल को यह अधिकार था कि वह अपने समुदाय से सम्बन्धित मामलों पर विचार कर सके और उनसे सम्बन्धित कानून बना सके लेकिन वास्तव में वास्तविक शक्ति श्वेत अल्पसंख्यकों के हाथ में ही रही। अधिकांश जनसंख्या को अपना मत डालने का अधिकार नहीं है। उनका यह प्रयास असफल साबित हुआ है जैसा कि इस बात से स्पष्ट है कि भारतीय और अश्वेत मतदाताओं में से बहुत कम लोगों ने (भारतीयों का लगभग 20 प्रतिशत और अश्वेतों का लगभग 30 प्रतिशत) अगस्त, 1984 के चुनाव में भाग लिया। अधिकांश लोगों ने इस तथाकथित चुनावों का बहिष्कार किया तथा जातिवादी शासन के इस निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया कि वे उनके नियंत्रण में उनके जूनियर साथी बनें। उत्पीड़ित लोगों में फूट डालने की जातिवादी शासन की घृणित कोशिश की सबसे ताजा घटना इस महीने के शुरू में दरबान के निकट इनामदा शहर में हाल ही की गड़बड़ियों से सम्बन्धित है। सदस्यों ने इन गड़बड़ियों के बारे में खबरें देखी होंगी जो स्पष्टतः एक अश्वेत मानवाधिकार वकील श्रीमती विक्टोरिया शंगे की हत्या के कारण उत्पन्न हुई थीं, जो लोग श्रीमती शंगे की स्मृति सेवा में भाग ले रहे थे, उन पर कुछ गुण्डों द्वारा हमला किया गया। इन गड़बड़ियों में लगभग 65 लोगों के मारे जाने की खबर है जिनमें भारतीय मूल के कुछ लोग भी शामिल हैं।

यह उपद्रव महात्मा गांधी द्वारा 1890 में स्थापित निकट के ही फोनिक्स सेटलमेंट में ही फैला और गांधी जी से संबद्ध कुछ भवनों को नष्ट कर दिया गया। जातिवादी शासन ने इन उपद्रवों में हस्तक्षेप करने तथा शान्ति और व्यवस्था को बहाल करने के लिए कोई रुझान नहीं दिखाया। लोगों के जान और माल की रक्षा करने के लिए इसकी पुलिस ने तब भी कुछ नहीं किया जब उन पर असामाजिक तत्वों द्वारा हमला किया जा रहा था। इन लोगों में भारतीय मूल के लोग भी शामिल थे। इस बात में सन्देह करने के पर्याप्त कारण हैं कि इन उपद्रवों में दक्षिण अफ्रीका की सरकार तथा किराए पर लिए गए उनके एजेंटों का हाथ है। मैं सदन को यह भी बताना चाहूँगा कि इस आधारभूत मुद्दे पर अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस तथा अन्य अफ्रीकी राज्यों के नेताओं ने भी इसी प्रकार के विचार व्यक्त किए हैं।

हमें विश्वास है कि दक्षिण अफ्रीका के लोग जातिवादी के शासन के उन स्पष्ट खोखले प्रयासों पर बराबर निगरानी रखेंगे जिनसे वे उनके बीच बनावटी फूट डालने की कोशिश करें। जातिवादी शासन की चालें इतिहास के निर्माण को नहीं रोक सकतीं। दक्षिण अफ्रीका के उत्पीड़ित लोग एक सफल निष्कर्ष तक पहुँचने के लिए अपने संयुक्त संघर्ष को चलाते रहेंगे।

मैं सदन को यह आश्वासन देना चाहूंगा कि भारत पूर्ण स्वतन्त्रता की शर्तों के अन्तर्गत बेहतर, अधिक समान तथा मानवता के लिए दक्षिण अफ्रीका के लोगों का जनमत एकजुट करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा।

———

5.14 म० प०

दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मूल के लोगों को प्रभावित करने वाले जातीय दंगों के बारे में चर्चा

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री प्रताप भानु शर्मा चर्चा शुरू करें।

[हिन्दी]

श्री प्रताप भानु शर्मा (विदिशा) : सभापति महोदय, अभी सदन के समक्ष हमारे माननीय मन्त्री जी ने दक्षिण अफ्रीका में जो जातीय दंगे हो रहे हैं और उससे जो एक चिन्ता की स्थिति उत्पन्न हो गई है, उसके बारे में विस्तार से जानकारी प्रस्तुत की है। निश्चित रूप से हम सभी के लिए, मानवता के लिए स्वाधीनता और लोकतन्त्र में विश्वास रखने वाली शक्तियों के लिए और भारत जैसे विकासशील देश के लिए जो कि गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का भी अभी अध्यक्ष है, ऐसी घटनाओं पर चिंतत होना स्वाभाविक है। भारतीय मूल के लोग, जो यहां से लगभग सौ-सवा सौ साल पहले जाकर दक्षिण अफ्रीका में बसे, उन्होंने अपनी मेहनत और खून-पसीने की कमाई से वहां की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया और वहां के लोगों के साथ मिल-

5.15 म० प० [उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

कर, कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के विकास में सहयोग दिया। इतना ही नहीं, दक्षिण अफ्रीका में जो काफी समय से उनकी स्वाधीनता की लड़ाई और संघर्ष चल रहा है, उसमें हमारे देश की गहरी दिलचस्पी रही है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह आन्दोलन की शुरूवात, जातीयता के खिलाफ, रंगभेद नीति के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ जो संघर्ष छेड़ा था, उसकी शुरूवात भी दक्षिण अफ्रीका से ही की थी। हमको याद है कि उनकी युवावस्था के बीस वर्ष दक्षिण अफ्रीका में ही बीते जब उन्होंने वहां रहकर, जितने अमानवीय कृत्य किए जा रहे थे, भारतीय मूल के लोगों के साथ, अश्वेतों के साथ वहां की दोगली सरकार जिस प्रकार से व्यवहार करती थी, उस फिरंगी सरकार के खिलाफ सबसे पहले हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ही आवाज उठायी। उन्होंने वहां के लोगों के मन में यह विश्वास पैदा किया कि भारतीय लोगों का समर्थन लेकर, भारत के लोगों को साथ लेकर आजादी की आवाज को दुनिया के मंच पर उठाया जा सकता है। उन्होंने आन्दोलन किए और अपनी बात को फिरंगी सरकार से मनवाने का प्रयास किया—अहिंसा और शान्ति के रास्ते से। उसके बाद जब वे भारत आये तो हीरो बनकर आये। एक आत्म-विश्वास और प्रेरणा ले कर उन्होंने हमारे देश की धरती पर पदार्पण किया। इसलिए हम यह कहना चाहेंगे कि हमारे देश की आजादी का इतिहास और दक्षिण अफ्रीका की स्वाधीनता की लड़ाई, जो आज भी जारी है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब आज भी वहां की जातीयता, रंग-भेद की नीति में विश्वास रखने वाली सरकार, वहां के बहुसंख्यक लोगों के साथ ज्यादती करती है, वहां पर बसे हुए भारतीय मूल के लोगों के साथ ज्यादती करती है तो हमारे लिए चिन्तित होना स्वाभाविक है।

हम इस बात का गौरव रखते हैं कि लोकतन्त्र में विश्वास रखने वाला यह हमारा विकासशील हिन्दुस्तान कई बार दुनिया के देशों का ध्यान आकर्षित कर चुका है। भारत ही वह पहला देश है

जिसने संयुक्त राष्ट्र-संघ में दक्षिण अफ्रीका को आजादी दिए जाने की बात कही। पण्डित जवाहर लाल नेहरू जी की जब हम बात करें, उनका प्रेम अफ्रीकी लोगों के साथ कितना था, वह उनके हृदयों से ही जाना जा सकता है, उसको बयान करना सम्भव नहीं है। हमारे देश में जिस तरह से नेहरू जी और गांधी जी की परम्परा बढ़ी और जिस तरह से हमारे देश ने साम्राज्यवाद के विरुद्ध, जातिवाद के खिलाफ और रंगभेद की नीति के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र संघ में, अफ्रीकी एकता संघ में और गुट निरपेक्ष आन्दोलन के मंच पर आवाज उठाई, उसके आधार पर आज हम यह कह सकते हैं कि हमारी सहानुभूति, हमारी

5.19 म० प० [अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

पहल, हमारा नैतिक, वैचारिक और सैद्धांतिक समर्थन, दक्षिण अफ्रीका के लिए, इस रास्ते पर ले आया है कि वहां के लोगों के मन में यह विश्वास उत्पन्न हो गया है कि उनको भी एक दिन स्वाधीनता हासिल होकर रहेगी। वे स्वाधीनता के सूत्र, वे आजादी की लड़ाई के सूत्र, जो महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में प्रारम्भ किए थे, आज भी अफ्रीका के लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि वहां की गोरी सरकार की वे काली नीतियां, दोगली नीतियां, जिनके माध्यम से वहां की सरकार अफ्रीकी और अश्वेत लोगों का शोषण कर रही है, और साम्राज्यवाद का विस्तार कर रही है तथा वहां के बहुसंख्यक लोगों पर आज भी शासन कर रही है···जिन्होंने वास्तव में वह देश दक्षिण अफ्रीका बनाया है। आज वे लोकतन्त्र की दुहाई देने वाले लोग, अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर प्रगतिशील कहलाने वाले, उस देश की आवाज को क्यों नहीं पहचानते, उस देश के लोगों की आवाज क्यों नहीं सुन पा रहे हैं। मल्टीनेशनल कम्पनियों के माध्यम से वे लोग उस देश की आर्थिक व्यवस्था में सहयोग देकर वहां के प्राकृतिक साधनों का दोहन कर के, उनमें आर्थिक साझेदार बन जाते हैं। उनमें अपनी खुद के लाभ की स्थिति देखते हुए वहां के लोगों का शोषण करते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ महीनों से जो दक्षिण अफ्रीका के दंगों की बात सामने आई है, यह कुछ महीनों की बात नहीं है। उसकी तह में अगर हम जाएंगे तो पाएंगे कि फिरंगी सरकार की वही दोगली नीतियां हैं जिनसे भारत पहले ही गुजर चुका है। उनकी ये वही नीतियां हैं जिनके अन्दर वे अपने साम्राज्यवाद को स्थापित कर के उनकी थोथी बातों को थोपने के अलावा कुछ नहीं करते हैं। हमें यह कहने का गौरव है कि नेहरू जी, गांधी जी और इन्दिरा जी की रहनुमाई में जो हमारी विदेश नीतियां बनीं, हमारे देश ने अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर जो अफ्रीका की आवाज उठाई और इस गोरी सरकार की काली नीतियों को उजागर किया, वह सबसे पहला देश हमारा भारत ही रहा है। सबसे पहला देश भारत ही रहा है जिसने दक्षिण अफ्रीका के हित की बात सोची।

अध्यक्ष महोदय, आज भी अगर हम देखें तो भारतीय मूल के लोगों के इस अफ्रीका में जो समस्या बनी है, उसकी तह में जाएं तो हम पाएंगे कि जो पीटर बोथा की सरकार है, उसकी जो बोथरी नीतियां हैं, जो दुरंगी नीतियां हैं, उनकी वजह से समस्या बनी है। उन्होंने अपनी नीतियों में दो साल पहले यह तय किया कि भारतीय मूल के लोगों में, दक्षिण अफ्रीका के लोगों में जो अश्वेत लोग हैं, जो उस देश के मालिक हैं, जो उस देश के मूल लोग हैं और वहां के हकदार हैं, उनके साथ कैसे मतभेद

किया जा सकता है। दुनिया में इससे ज्यादा हास्यास्पद बात लोक तन्त्र के नाम पर या वहाँ की डेमोक्रेसी के नाम पर, मानवता के नाम, वहाँ की सरकार द्वारा उस देश के लोगों पर जुल्म करने का उदाहरण कहीं नहीं मिलेगा। वहां के लोगों के साथ उपहास करने का ऐसा उदाहरण जिसमें उस सरकार ने अपनी नीतियों (संविधान) में संशोधन कर के 3 सदन कायम कर दिए, ऐसा दुनिया में कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। एक सदन भारतीय मूल लोगों के लिए का, एक सदन रहा मिक्स रेस का, एक सदन रहा अल्पसंख्यकों का, जिनकी आबादी 40-45 लाख मात्र है। लेकिन जो मालिक हैं, जो वहाँ के स्थाई निवासी हैं, जिन्होंने मेहनत करके उस देश को बनाया, उनका सदन कहाँ है। ये लोकतन्त्र की दुहाई देने वाले लोग इस बात को नहीं देखते हैं। इन लोक तन्त्र की दुहाई देश वाले लोगों के खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाने वाला हमारा देश है। हमारे हिन्दुस्तान की स्वर्गीया प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने जब वहां के मूल निवासियों को, भारतीय मूल के लोगों को आह्वान किया कि वे चुनाव में भाग न लें और संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य के नाते अफ्रीका की आवाज उठाई जिसके कारण से दूसरे देशों ने भी साथ दिया ओर उस संविधान को निरस्त किया पिछले साल अगस्त के महीने में जिसमें उस देश के सिर्फ 10 या 15 प्रतिशत लोगों ने भाग लिया और बहुसंख्यक लोगों को अपना एक वोट देने का भी हक नहीं मिला हो, उस देश में उन लोगों को शासन करने का क्या नैतिक हक है, उस देश के निवासियों का शोषण करने का उनको क्या हक है ? उस देश के लोगों को बन्दी बनाकर रखने का उनको क्या हक है, इसमें क्या नैतिकता है ?

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय विदेश राज्य मन्त्री जी से पूछना चाहता हूँ जिनको दुनिया में सबसे बड़े प्रजातन्त्र के मन्दिर में बैठने का हक हासिल है, क्या हम इस फोरम के माध्यम से अपनी आवाज अन्तर्राष्ट्रीय मंच तक नहीं पहुंचा सकते हैं, हमें अपनी आवाज जरूर पहुँचानी चाहिए और इन असमान्यताओं को दूर करने के लिए आज जिस प्रयास की हमको आवश्यकता है, उस दिशा में हम क्या कर चुके हैं। इन सब बातों की तरफ हमें गम्भीरता से सोचना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, जब ये जातीय दंगे अभी पिछले चुनावों के बाद शुरू हुए, तो मुझको वह बात याद है, उस समय हमारे देश की प्रधान मन्त्री स्वर्गीया श्रीमती इन्दिरा गांधी ने वहाँ कहा था, कि जो चुनाव की प्रक्रिया या सदन को 3 भागों में बांटने की प्रक्रिया गोरी सरकार ने बनायी है, यह सिर्फ भुलावा देने की बात है, और वह लालच देकर, गुमराह करके, वहां के रंग-भेदी लोग भारतीय मूल के लोगों में और अश्वेत लोगों में दरार पैदा करना चाहते हैं और उन्हें आपस में लड़ाना चाहते हैं। आज साल भर के बाद इन घटनाओं से साफ जाहिर होता है कि अश्वेत लोगों के साथ जो दोगुली नीति अपनाई गई है, दुनिया को दिखाने की ओर, और करने के ओर, ठीक उसी प्रकार है जैसे हाथी के दांत दिखाने के और, और खाने के और होते हैं। वही बात पीटर बोथा की सरकार में आज लोगों को देखने को मिल रही है।

मैं कहना चाहूंगा कि आज हमारे नौजवान नेता आदरणीय श्री राजीव गांधी गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों के अध्यक्ष हैं, अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर उनकी आवाज है, शांति के प्रयासों की सराहना है, और शोषित-पीड़ित देशों के मुखिया के रूप में आज हमारे देश का नेतृत्व अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर वह कर रहे हैं। उस मशाल को उन्होंने हाथ में लिया है, जिस आशा की किरण को महात्मा गांधी, नेहरू जी और श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने प्रज्ज्वलित की थी, आज दुनिया के देशों के लोगों को आशाएं लगी हुई हैं।

वास्तव में आज दक्षिण अफ्रीका में वह स्थिति बन गई है कि वह आजादी की तरफ बढ़ रहा है, वहां के लोगों में एक जनमत पैदा हो गया है। वहाँ की अल्पसंख्यक सरकार के काले कारनामों का

लोगों के सामने पर्दाफाश हो गया है। हमारा दायित्व हो जाता है कि हम ऐसे समय में आगे आकर वहां की रहनुमाई करें और स्वतंत्रता संग्राम के लिए साम्राज्यवादी राष्ट्रों द्वारा जो उस देश का शोषण हो रहा है उसमें उन्हें संरक्षण दें। ऐसा समय न हमको पहले कभी मिला था और न आगे आ पायेगा।

अन्त में मैं यह कहूँगा कि आज हम गुट-निरपेक्ष राष्ट्र के माध्यम से अपनी आवाज दोहरा सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के एक सदस्य के नाते हम अपने पक्ष को अफ्रीकी देशों के पक्ष में जो कि स्वाधीनता के कगार पर पहुंच चुके हैं, उनकी मदद के लिए रख सकते हैं। सबसे पहला कदम, जो कि विश्व-जनमत जगाने के लिए जरूरी है, वह वहां के नैलसन मंडेला की रिहाई का है।

यदि हमने उस राष्ट्र नेता की रिहाई के लिए पहल की, अपने देश और गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों के समर्थन को अन्तर्राष्ट्रीय मंच तक पहुँचा दिया तो वह भी अफ्रीकी देश के एक गांधी साबित होने वाले आदमी हैं। नेलसन मंडेला व्यक्तित्व के धनी आदमी हैं जो कि अफ्रीका में मौजूद हैं। उनकी तुलना गांधी जी से इसलिए करनी पड़ेगी कि पिछले 20 वर्षों में उन्होंने कभी अपनी रिहाई की बात नहीं की, कभी अफ्रीकी सरकार के सामने झुकने की बात नहीं की। उन्होंने कहा कि उनकी रिहाई और दक्षिण अफ्रीका की आजाद दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। आज दक्षिण अफ्रीका की आजादी के लिए हमारे राष्ट्र को पहल करनी चाहिए।

हमारे देश के प्रधान मन्त्री आदरणीय राजीव गांधी को आगे आकर अन्तर्राष्ट्रीय फोरम पर लीड लेनी चाहिए। हमें विश्वास है कि जो परम्पराएं हमारे महान् नेताओं ने डाली हैं, देश का नाम रोशन किया है, उन्हीं परम्पराओं पर आगे बढ़ते हुए हमारे युवा प्रधान मन्त्री जी दक्षिणी राष्ट्र की मानवता की पुकार, जो दक्षिण अफ्रीका में हो रही है, हमें मौका मिला है उसमें उन्हें मार्ग-दर्शन देने का, स्वाधीनता की तरफ आगे ले जाने का, उसमें वह पहल करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, आपने जो समय दिया और हमारे माननीय राज्य मन्त्री जी ने इस संदर्भ में जो प्रकाश डाला, उसके लिए हम निश्चित रूप से आभारी हैं। हम चाहते हैं कि दक्षिण अफ्रीका का जो समय अब हमारे सामने है, उसमें नैलसन मंडेला की रिहाई और भारतीय मूल के लोगों को फिर से आह्वान किया जाये ताकि किसी तरह अश्वेत और भारतीय मूल के लोगों में कहीं कोई दरार या मतभेद न आ जाये। वही गांधी आश्रम जहां से दक्षिण अफ्रीका की आजादी की प्रेरणा मिली, वह आज जलाया जा रहा है, इस ओर भी गौर करने की बात है।

धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री एस० एम० भट्टम (विशाखापत्तनम) : अध्यक्ष महोदय, मैंने इस बारे में मन्त्री महोदय के वक्तव्य को ध्यानपूर्वक सुना है दुर्भाग्य से उन्होंने कुछ क्रूर अमानवीय घटनाओं का कोई उल्लेख नहीं किया जो विशेष रूप से भारतीयों पर और महात्मा गांधी के फोनिक्स सेटलमेंट में हुआ जो कि वास्तविक उत्तेजना का विषय है, इन घटनाओं के कारण हमने इस मामले पर सभा में चर्चा करना उचित समझा यही विषय है जिसे कि मन्त्री महोदय ने कुछ कारणों से छोड़ देना उचित समझा, जो कि मैं समझता हूँ कि उचित बात नहीं है।

हमने समाचार-पत्रों में पढ़ा कि महात्मा गांधी के फोनिक्स सेटलमेंट को गुंडों अथवा बदमाशों ने अकस्मात नष्ट नहीं किया, न ही यह दुर्घटना द्वारा नष्ट हुआ अपितु इसे दक्षिण अफ्रीका की रंगभेदी

सरकार द्वारा नियोजित प्रयासों द्वारा नष्ट किया गया उनके द्वारा प्रोत्साहन दिये जाने के कारण घटनाएं हुई हैं।

मन्त्री महोदय ने अपने वक्तव्य के प्रारम्भ में उल्लेख किया था कि इसमें दक्षिण अफ्रीका की सरकार का हाथ होने का सन्देह है। अतः इस पर हम सबको शीघ्रता से गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए।

महात्मा गांधी की पुत्र-वधू श्रीमती सुशीला गांधी का विस्तृत प्रतिवेदन हमारे पास है। उनका कहना है जो मकान उन्होंने पांच छः दशक पूर्व बनाया गया था उसे जानबूझ कर नष्ट कर दिया गया। यह भवन श्रीमती कस्तूरबा गांधी की स्मृति में समर्पित किया गया था। महात्मा गांधी द्वारा फोनिक्स में बनाये गये मकान को पहले ही नष्ट कर दिया गया था। कुछ वर्ष पूर्व उसका फिर से निर्माण किया गया और उसका नाम सर्वोदय भवन रखा गया था और उसमें इस समय एक पुस्तकालय, एक संग्रहालय और बहुत सी अन्य वस्तुएं है। यह 150 एकड़ में एक विशाल परिसर था। इस स्थान को काले लोगों द्वारा दक्षिण अफ्रीका की जातीय सरकार के उकासने पर अपने हमले का लक्ष्य बनाया गया। पहले भी उन्होंने इन सभी आवांछित तत्त्वों को खत्म करने के लिए जिनमें भारतीय भी सम्मिलित हैं कई प्रयास किये।

उन्होंने इस लेख में दक्षिण अफ्रीकी सरकार द्वारा हाल ही में की गई कुछ कार्यवाहियों का उल्लेख किया।

"सरकार ने, 'ग्रुप एरियाज एक्ट, द्वारा हमें मिटाने की चेष्टा की। आश्रम के क्षेत्र को उन्होंने जानबूझ कर काले लोगों का क्षेत्र घोषित किया है।"

फोनिक्स सेटलमेंट का क्षेत्र उसके अन्तर्गत आया तथा उन्होंने वहाँ पर भारतीयों के प्रवेश पर रोक लगा दी। वास्तव में वे उन्हें उस क्षेत्र से जबरदस्ती निकालना चाहते थे, परन्तु उन्होंने इसका सफलता पूर्वक मुकाबला किया। दक्षिण अफ्रीका की जातीय सरकार के बारबार के प्रयासों के बावजूद वे वहाँ पर बने हुए हैं। बाद में जब दक्षिण अफ्रीकी कांग्रेस और भारतीय कांग्रेस पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया तब एक संयुक्त लोकतान्त्रित मोर्चे का गठन किया गया था। संयुक्त लोकतान्त्रिक मोर्चे ने भी मानव अधिकारों और हितों की रक्षा से सम्बन्धित समस्याओं के प्रति गांधीवादी तरीका अर्थात् शान्ति और अहिंसा का मार्ग अपनाया। वे आयोजित किए गये आडम्बरपूर्ण चुनावों का बहिष्कार करना चाहते थे जिसका उल्लेख मन्त्री महोदय ने ठीक ही किया है उस समय जबकि ये हास्यास्पद चुनाव हो रहे थे और वे इसके विरुद्ध शांन्तिपूर्ण विरोध और आन्दोलन कर रहे थे तब दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने दंगे करा दिये। उस समय की स्थिति के बारे में महात्मा गांधी की पुत्र वधु ने कहा है :—

"मेरा दामाद उन व्यक्तियों के साथ गिरफ्तार किया गया था तथा जिन्हें मुकदमा चलाये बिना 8 महीने तक जेल में रखा गया था। मेरी पुत्री इला तथा उसके पति 15 वर्ष की नजरबन्दी की सजा भुगत चुके थे और मुझे तो बहुत पहले ही राज्यविहीन घोषित कर दिया गया था···"

वहाँ की स्थिति के बारे में वह बात उन्होंने कही है। दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने काले लोगों को हिंसा करने के लिए उकसाया, सभी प्रकार के अत्याचार किये और जीवन को घोर नरक बना दिया। वहाँ रहना असंभव कर दिया।

महोदय, रंग भेद की वही नीति उसी पुराने ढंग से दक्षिण अफ्रीका में अभी तक यथावत चल रही है, जिसकी भर्त्सना संयुक्त राष्ट्र और विश्व के सभी राष्ट्र कर चुके हैं। संयुक्त राज्य अमरीका, जिसके साथ हाल ही में हमने बेहतर और अधिक मैत्री पूर्ण सम्बन्ध कायम किये हैं, को दक्षिण अफ्रीका पर अपना प्रभाव डालना चाहिए। यदि वह अपने प्रभाव का उपयोग करना चाहता है तो यही वह क्षेत्र है जहाँ वह हस्तक्षेप कर कुछ उपयोगी और, सम्भवानुसार उपयोगी कार्य कर सकता है। रंग भेद की नीति के विरुद्ध यदि वह केवल मौखिक सहानुभूति व्यक्त नहीं कर रहा है तो उसे दक्षिण अफ्रीका सरकार के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबन्ध लगाने की बात कहनी चाहिए। कोई कठोर कदम उठाये बिना दक्षिण अफ्रीका सरकार को उसकी इन समस्याओं के प्रति क्रूर एवं अमानवीय रवैया अपनाने से रोकना असंभव है।

महोदय, यह कहा जाता है कि रंगभेद की नीति मानव के प्रति एक अपराध है। संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकार सम्बन्धी चार्टर में रंग भेद नीति का विरोध किया गया है। दक्षिण अफ्रीका में राजनैतिक अधिकार समाप्त हो गए हैं। वहाँ लोकतन्त्र है ही नहीं। विगत उपनिवेशवाद की अवशिष्ट यह जातिवादी सरकार, जिसने सभी फासीवाद की ताकतें अपना रखी है, अभी भी इस प्रकार अमानवीय कार्य कर रही है। महोदय, मैं यह कह सकता हूँ कि दक्षिण अफ्रीका में जो यह जातिवाद चल रहा है; उसे प्रत्यक्ष न सही परोक्ष रूप से संयुक्त राज्य अमरीका का समर्थन प्राप्त है। यदि ऐसा न होता तो वह पहल करता तथा इस मामले में आवश्यक कदम उठाता और दक्षिण अफ्रीका सरकार के प्रति आर्थिक प्रतिबन्ध लगाने की धमकी दे सकता है।

अध्यक्ष महोदय : श्री स्वैल आपको दस मिनट, बोलना है।

श्री जी० जी० स्वैल (शिलांग) : ठीक है, मैं भरसक प्रयत्न करूँगा।

अध्यक्ष महोदय : आपको समाप्त करना है। कोई विकल्प नहीं है।

श्री जी० जी० स्वैल : मेरे विचार से हम लोगों को राज्य मंत्री जी का कृतज्ञ होना चाहिए, जिन्होंने इस प्रश्न पर सरकार के रवैये से सम्बन्धित एक वक्तव्य पढ़ते हुए चर्चा आरम्भ की है। जहाँ तक सरकारी वक्तव्य का प्रश्न है, उसमें उसकी अपनी नीति निहित है, उसमें उसका अपना संदेश है जिस पर यह देश तथा पूरा विश्व ध्यान देगा। किन्तु मैं चाहता हूँ कि यह वक्तव्य और अधिक गहन, और अधिक सुस्पष्ट, और अधिक सुसंगत, और अधिक विरोधात्मक होता न कि इतना अधिक सरकारी भाषा से परिपुष्ट। इतना कहने के बाद, महोदय, इस सभा में भाषण देते समय तथा उस कहानी को भाषा सुनते हुए मुझे अत्यधिक दुःख है कि अत्याचार और तानाशाही के विरुद्ध संघर्ष करने वाली मानवीय आत्मा की महान वेदी पर किस प्रकार हमला किया गया, उसे किस प्रकार बर्बाद किया तथा अपवित्र किया गया। किन्तु यदि रंगभेद नीति अपनाने वाले दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति, पीटर बोथा जैसा अदना व्यक्ति यह सोचता है कि उस आत्मा को, महात्मा गाँधी की उस आत्मा को मारा जा सकता है; जिस आत्मा के कारण 70 करोड़ भारतीयों को स्वतन्त्रता प्राप्त हुई, जो आत्मा आज भी मानव मात्र की आजादी के दिवानों के लिए मशाल का काम करती है, जिस आत्मा के बारे में जब एक बार जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि यह आत्मा रूपी सूर्य आज से एक हजार वर्ष बाद तक भी जब हम सब नहीं रहेंगे, चमकता रहेगा, तो यह उनकी बहुत बड़ी भूल होगी। वह आत्मा कोई और नहीं, महात्मा गाँधी की पुत्र बधु सुशीला गाँधी है; जो 50 वर्ष तक वहाँ रहीं थी। जिन्होंने इस बात को प्रत्यक्ष रूप से देखा कि यह काम काले लोगों का नहीं था अपितु काले लोगों में घुसे हुए कुछ ऐसे गुंडों का था जो आश्रम में घुस आये थे। रंगवेद के विरुद्ध जो अभियान छेड़ा गया था, उनका कार्य उससे

सर्वथा भिन्न था। किन्तु जैसाकि उन्होंने कहा और जैसा कि इस आश्रम का नाम है अमर पक्षी के समान वह फिर जी उठेगा और हमें आशा है कि यह आत्मा रंग भेद की इस घृणित विचार-धारा के विरुद्ध दक्षिण अफ्रीका को मुक्त कराने का एक बार पुनः नेतृत्व करेगी। महोदय, एक विचार से, महात्मा गांधी के आश्रम के लिए उन्होंने जो कुछ भी किया है, उसके प्रति हम लोगों को उनका कृतज्ञ ही होना चाहिए। यदि कोई चिह्न अवशेष है तो निश्चित रूप से यह एक ऐसा चिह्न है जिसने अफ्रीका के रंग-भेद साम्राज्य को आज एक जानवर के समान बना दिया है। वह अपने को बनाए रखने के लिए सभी प्रकार के हथकंडे अपना रहा है और नीचता पर उतर आया है। महोदय, दक्षिण अफ्रीका का आज का चित्र क्या है? विश्व की दृष्टि में यह किस प्रकार का देश है? यह ऐसा देश है जहाँ सर्वत्र उत्पीडन और अराजकता व्याप्त और जिसकी शीघ्र ही मृत्यु संभावित है, जिसकी जनता त्रस्त है और एक कठिनाई से जूझने के बाद दूसरी कठिनाई में फंस जाती है, जिसके बारे में हाल ही में बिशप देशमंड टूटू ने कहा है कि यह देश विनाश के कगार पर खड़ा है और यहां की रंग भेद वाली सत्ता अपनी सरकार को चलाने के लिए चालों पर चालें चलती जा रही है। ये बन्तुस्तान क्या हैं? जहाँ यह वह जगह है जैसाकि मेरे मित्र ने कहा था, उस देश के 73 प्रतिशत लोगों को भेज दिया गया है। यह कुल 13 प्रतिशत जल विहीन मरुस्थलों की मरु भूमि है। यह भूमि नहीं है; जल बिहीन मरुस्थल है। श्वेत व्यक्ति कितने प्रतिशत है। मेरे पास आँकड़े तो नहीं हैं किन्तु मुझे पता है कि उनकी संख्या लगभग 40 या 50 लाख है अर्थात् 15 प्रतिशत। वहाँ की आबादी के ये 15 प्रतिशत लोग दक्षिण अफ्रीका के मूल निवासी है। ये वे लोग हैं जो वहाँ जाकर बस गए। वे लोग लूटेरे हैं; इन 15 प्रतिशत ने उस देश के लोगों से उनकी भूमि छीन ली है और दक्षिण अफ्रीका की 80 प्रतिशत सर्वोत्तम भूमि इनके पास है। उन्होंने उस देश में काफी शासन कर लिया है। साम्राज्यवाद के दौरान, उपनिवेशवाद के दिनों में उन्होंने उस देश पर शासन किया और बाद में साम्यवाद-विरोधी नेता बनकर उन्होंने तथा कथित साम्यवाद विरोधी पश्चिमी लोकतान्त्रिक देशों के हृदयों को जीत लिया। किन्तु, आज, जो देश दक्षिण अफ्रीका को अपना मित्र समझते हैं, जो यह समझते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में उनके हित मानव मूल्यों, मानव जीवन की प्रतिष्ठा से अधिक महत्वपूर्ण हैं; आज वे भी उस देश में व्याप्त स्थिति से परेशान हैं।

चाल पर चाल चली गई, सर्वप्रथम स्वतन्त्र बन्तुस्थान की बात कही गई। उसमें समानता नहीं मिली। किसी ने भी इसका समर्थन नहीं किया। ट्रान्सकी, अथवा जो भी इसका नाम हो, उसे किसी ने मान्यता प्रदान नहीं दी। इसके बाद चलाकी से तीन सदन वाली संसद और तीन सदन वाली विधानसभा बनाई गई जिसमें, जैसाकि राज्य मन्त्री जी ने कहा है, काले लोगों की अपनी संसद है, एशियाइयों की अपनी संसद है किन्तु सारी शक्ति अभी भी श्वेतों के हाथ में है। यह नाममात्र की संसद है। आडम्बर-पूर्ण संसद है। वास्तव में दक्षिण अफ्रीका में संसद नाम की कोई संसद नहीं है। वहाँ सबसे अधिक महत्वपूर्ण है राष्ट्रपति परिषद जो संसद से अधिक शक्तिशाली है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के पद के निर्वाचन में 15 प्रतिशत श्वेतों में से 50 प्रतिशत व्यक्ति उसका निर्वाचन करते हैं और इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता कि काले या अश्वेत अथवा भारतीय का क्या सोचते हैं। जैसा कि मैं कह चुका हूँ यह ऐसा देश है जहाँ राजनीतिक चाल से सरकार का प्रशासन चलाने की चेष्टा की जाती है।

अभी, केवल दो दिन पहले ही, राष्ट्रपति पीटर बोथा ने शेखी बघारते हुए काले लोगों के साथ बातचीत करने की दावत दी थी और वह बात चाहे किसी बारे में हुई हो—किन्तु इसके साथ ही

सिद्धान्त की बात अपनी जगह यथावत है, एक व्यक्ति एक मत का अर्थ है दुर्व्यवस्था को आमन्त्रित करना।

महोदय, दक्षिण अफ्रीका का संघर्ष आज अन्तिम चरण में पहुंच गया है। काले लोग जाग गये हैं। वे लोग मरने को तैयार हैं। आज वे स्वयं में ही अस्त्र बने हुए हैं। मैं चाहूंगा कि राज्य मन्त्री उसके बारे में भी कहें और आप उसके बारे में कुछ करें।

महोदय, मुझे कृपया दो मिनट का समय और दीजिए। मैं निरर्थक नहीं बोल रहा हूं। एक दूसरा भी अस्त्र काले व्यक्तियों के पास है।

दक्षिण अफ्रीका की अर्थव्यवस्था काले लोगों के सस्ते दास श्रमिक पर निर्भर है। आज इन लोगों ने यह दिखा दिया है कि यदि आवश्यक हुआ तो वे लोग मुकाबला करने को, अपना काम छोड़ने को तथा भूखे रहने को तैयार हैं किन्तु रंगभेद वाले साम्राज्य के आर्थिक चक्र को और चलाने को कतई तैयार नहीं है।

आपने समाचारपत्रों में यह समाचार अवश्य पढ़ा होगा कि पीटर बोथा ने अफ्रीका के अन्य भागों में रोजगार के लिए आए 400,000-500,000 काले श्रमिकों को वहां से निष्कासित करने की धमकी दी है। किसी की क्या चिन्ता है? हर व्यक्ति आर्थिक प्रतिबन्ध की बात करता है। यह हर्ष का विषय है कि पश्चिम के कुछ देशों ने भी इस बात को महसूस किया है। उन्होंने राजदूतों को वापिस बुला लिया है। वे लोग आर्थिक प्रतिबन्ध की बात कर रहे हैं। फ्रांस सरकार ने सुरक्षा परिषद में आर्थिक प्रतिबन्ध के लिए एक संकल्प प्रस्तुत किया था। वे लोग कुछ कर रहे हैं किन्तु पर्याप्त कार्य नहीं कर रहे हैं। आप मुझसे पूछ सकते हैं कि इतने बड़े मानव तन्त्र में यह श्वेत कीट, 'बोग' कैसे जीवित रह सका है? मैं उन्हें 'बोग' इसलिए कहता हूं क्योंकि यह एक विषांग है। ये मुट्ठी भर श्वेत लोग शेष विश्व का सामना करने में किस प्रकार समर्थ हो सके हैं? यदि आप मुझसे पूछते हैं; तो मेरे पास दो उत्तर नहीं है। एक राष्ट्रपति रीगन की रचनात्मक कूटनीति की छलना तथा दो, ब्रिटिश सरकार का पाखंड जिसे संसद और स्वाधीनता की जननी माना जाता है। तो भी उनका विचार है कि राष्ट्रपति पीटर बोथा की अभिव्यक्ति में कुछ दम है। क्यों? क्योंकि उन्हें माननीय मूल्यों और सम्मान से अपना राजनैतिक और आर्थिक स्वार्थ अधिक प्रिय है। किन्तु दक्षिण अफ्रीका में ही एक और प्रकार का आर्थिक लगने वाला है। यहां हम बीच में आते हैं।

राज्य मन्त्री कहते हैं कि हम निश्चित कार्यवाही करेंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि वह निश्चित क्या है? जब आप यह कहते हैं कि दक्षिण अफ्रीका के लोगों को इस कुशासन से छुटकारा दिलाने के लिए हम निश्चित कार्यवाही करेंगे। तो मैं पूछता हूँ कि आपका विचार क्या कार्यवाही करने का है? आप दक्षिण अफ्रीका को भारतीय सेना भेजने वाले नहीं हैं।

श्री एडुआर्डो फलेरो : क्यों नहीं।

श्री जी० जी० स्वैल : इसकी कोई भी संभावना नहीं हो सकती।

श्री एडुआर्डो फलेरो : जब क्यूबा सेना भेज सकता है, तो हम क्यों नहीं भेज सकते हैं?

श्री जी० जी० स्वैल : मेरे विचार से आप ऐसा नहीं कर सकते हैं किन्तु आप कुछ न कुछ तो कर ही सकते हैं। आप उनकी अर्थव्यवस्था बिगाड़ सकते हैं, आप जनमत तैयार कर सकते हैं, दक्षिण अफ्रीका में भूख से मर रहे श्रमिकों की सहायता के लिए अन्तर्राष्ट्रीय निधि से धन प्राप्त कर

सकते हैं और मैं तो यही कहूँगा कि यदि आप छः महीने तक ऐसा कर सके तो दक्षिण अफ्रीका में साम्राज्य का पूरा ढाँचा ही ढह जाएगा।

प्रधान मन्त्री से मेरा यह अनुरोध है। अक्तूबर में राष्ट्रमण्डल के शासनाध्यक्षों की एक बैठक होने वाली है। मैं चाहता हूं कि प्रधान मन्त्री जी वहाँ इस बात को उठायें और ब्रिटिश सरकार को मनाएं। राष्ट्रमण्डल के शासनाध्यक्षों इसके बारे में निश्चित सुझाव रखें और ब्रिटिश सरकार से आर्थिक प्रतिबन्ध, वास्तविक प्रतिबन्ध लगाने को कहें।

अध्यक्ष महोदय : श्री हन्नान मोल्लाह।

श्री बृजमोहन महंती (पुरी) : कार्यसूची में मेरा नाम दूसरा था।

अध्यक्ष महोदय : इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको समय मिलेगा।

श्री बृजमोहन महंती : जी नहीं, समय पाने की कोई बात नहीं है। मैं बोलने का इच्छुक नहीं हूँ किन्तु समस्या यह है कि नामों का बैलट करने और तदन्तर कार्यसूची में पुनः फेर बदल करने का क्या लाभ है ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नहीं है, यह नियम 193 के अन्तर्गत उठाया गया मामला है।

श्री बृजमोहन महंती : विशेष सुविधाओं अर्थात् जिन व्यक्तियों के नाम है उनको···के बारे में पहले बताया जा चुका है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि प्रस्तावक न होता तो आपको पुकारा जाता। अध्यक्ष आप भी अन्य सदस्यों के बराबर हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ऐसी बात नहीं है। नियमों को समझने की चेष्टा करें। हमारा आपके प्रति भी उतना ही सम्मान है। कोई समस्या नहीं है।

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : मैं सभी पक्षों के माननीय सदस्यों द्वारा दक्षिण अफ्रीका में सत्तारूढ़ दल द्वारा अपनायी गयी जातिवादी, फासीवादी और अत्यधिक अमानवीय गतिविधियों के बारे में अभिव्यक्त की गई भावनाओं से सहमत हूँ। कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनायें हुई थीं जिससे भारतीय मूल के कुछ व्यक्ति मारे गये थे। साम्राज्यवादी ताकतें, यद्यपि उनकी नीति ही भेद डालो और राज्य करो वाली रही है, इस घटना का उपयोग भेद डालने और राज्य करने के प्रयोजन के लिए कर रहे हैं। भारतीय मूल के तथा काले अफ्रीकी लोगों का अन्ततोगत्वा उद्देश्य तो समानता स्वतन्त्रता और लोकतन्त्र के लिए संघर्ष करना ही रहा है। किन्तु साम्राज्यवादी ताकतों द्वारा कुछ असामाजिक तत्वों का उपयोग भारतीय वर्ग के लोगों पर हमला करने के लिए किया जाता रहा है। इसलिये, इस घटना पर इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए विचार करना चाहिये। भारतीय जनता के नेता परवीन गोरधन ने भी यह बात कही है कि यह अफ्रीकी लोगों ने नहीं किया गया है अपितु यह कार्य जातिवादी साम्राज्य द्वारा आयोजित किया गया है। पुलिस ने भी उस हमलावर आक्रमण के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की। उन्होंने इस घटना का उपयोग भारतीय और

अफ्रीका मूल के लोगों के बीच दरार डालने के लिए किया। किन्तु वहां के लोग संगठित हैं, ये स्थिति को समझते हैं, तथा वे लोग जातिवादी साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं।

5.56 म० प०

[श्री सोमनाथ रथ पीठासीन हुए]

माननीय मन्त्री महोदय अपने वक्तव्य में दक्षिण अफ्रीका की स्थिति पर प्रकाश डाल चुके हैं। किन्तु यह बड़े शर्म की बात है कि राष्ट्रीय स्वतन्त्रता आन्दोलनों के इस युग में, सामाजिक प्रगति की ओर बढ़ रहे इस युग में भी इसे हम यह देख रहे हैं, एक तथाकथित सरकार ने जातीय युद्ध की घोषणा की है।

महोदय, यह पहले ही कहा जा चुका है कि 15 प्रतिशत से कम आबादी वाले लोग वहां की 87 प्रतिशत भूमि पर कब्जा किए हुए हैं। 73 प्रतिशत लोगों के पास वहां की 13 प्रतिशत बेकार भूमि है। वहां के खनिज संसाधनों पर 400 विदेशी कम्पनियों का नियन्त्रण है और इनमें से सबसे बड़ी कम्पनियां संयुक्त राज्य अमरीका मूल की 13 कम्पनियां हैं। यही कारण है कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आर्थिक प्रतिबन्ध लगाए जाने के राष्ट्र संघ के संकल्प के विरुद्ध इन अमरीकी और ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने विरोध शक्ति का प्रयोग किया है।

6.00 म०प०

हम भारतीयों की परम्परा स्वतन्त्रता प्राप्ति संघर्ष तथा लोकतन्त्र और समानता के आधार पर संघर्ष कर रहे लोगों का साथ देने की रही है। ऐसी स्थिति में हमें अवसर के अनुकूल बनना होगा। हमें इन मांगों को उठाना होगा तथा यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना होगा कि इन पर अमल किया जाये। उनमें से एक मांग यह है कि नैलशन मंडेला तथा अन्य राजनैतिक बन्दियों को रिहा किया जाये। हजारों बंदियों में से एक 22 वर्षीय युवा संघर्षवादी, श्री बेंजामिन मोलोयस का मैं यहां खास तौर से नाम लेना चाहूंगा। उसको जेल के अन्दर मारने का षड्यन्त्र किया जा रहा है। हमें उसकी रिहाई के लिए कोशिश करनी चाहिए। मैं अपनी सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह उसकी जान बचाने के लिए कोशिश करे। इसके साथ साथ हमारी यह भी मांग है कि बोथा सरकार ने आपातकाल के नाम पर दक्षिण अफ्रीका के लोगों के विरुद्ध जो युद्ध की घोषणा कर रखी है, उसे समाप्त किया जाना चाहिए। यह एक अच्छी बात होगी कि दक्षिण अफ्रीका के लोग तथा भारतीय मूल के लोग एक साथ मिलकर संघर्ष करें ताकि बोथा सरकार को हटाया जा सके और वहां पर लोकतन्त्र तथा समानता का शासन कायम हो।

श्री एड्आर्डो फलीरो (मारमागाओ) : जैसा कि पंडित नेहरू तथा इन्दिरा जी प्रायः कहते थे कि हमारा स्वाधीनता आन्दोलन केवल अपने को ब्रिटिश सरकार से मुक्त कराने तक ही सीमित नहीं था बल्कि यह एक विश्व दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति थी जिसमें विश्व में कहीं पर भी जो भी उत्पीड़ित व्यक्ति है, जो भी दुर्बल है, उसे न्याय तथा समानता का अधिकार मिलना चाहिए और उसको उचित व्यवहार मिलना चाहिए, हम सदा ऐसे लोगों का समर्थन करेंगे। इसी संदर्भ में दक्षिण अफ्रीका में आज जो कुछ हो रहा है हमारी उसमें गहरी रुचि है और यह बहुत समय से दक्षिण अफ्रीका के मामलों में चली आ रही हमारी चिंता की मात्र एक कड़ी है।

यह भी कम महत्व की बात नहीं है कि महात्मा गांधी ने वास्तव में उस देश की समस्याओं से प्रेरित होकर दक्षिण अफ्रीका में उनके साथ जो हुआ, उस देश में स्वयं रंगभेद की चोट का अनुभव

करने के बाद ही हमारे स्वाधीनता आन्दोलन का नेतृत्व अपने हाथों में लेने का फैसला किया था। यह कहना उचित है कि रंगभेद की समस्या महात्मा गांधी के समय और उनके बाद होने वाली घटनाओ से आज की हालत अधिक गंभीर है।

चौथे दशक के शुरू में जब जनरल स्मुटस तथा उसकी युनाइटिड पार्टी का उस देश में शासन चल रहा था महात्मा गाँधी दक्षिण अफ्रीका में थे। रंगभेद एक कानूनी नीति के रूप में स्वदेशी तथा अन्तर राष्ट्रीय नीति के रूप में रंगभेद की नीति, सामने नहीं आयी थी। यह बाद में 1948 में दक्षिण अफ्रीका की नेशनल पार्टी के उसी पार्टी के जिससे अब श्री बोथा सम्बन्धित है, कुख्यात प्रेजीडेंट डा० मल्लन ने इस रंगभेद नीति को तैयार किया और दक्षिण अफ्रीका की नीति के रूप में इसको शुरू किया था—ऐसी रंगभेदी नीति जिसे संयुक्त राष्ट्र ने भी पूर्णतया अपराध घोषित किया है—जो मानवता के प्रति एक अपराध है।

उस देश के लोगों की इस हलचल में जो हम हालत देख रहे हैं वह एक मौत के घन्टे की तरह से है जिसे रंगभेदी सरकार द्वारा बजाया जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका के इतिहास में यह एक मोड़ था। रंगभेदी नीति की समाप्ति की अब शुरूआत हो गयी है। मैं यह एक बहुत ही वास्तविक आंकलन के आधार पर कह रहा हूं। तीस वर्षों से भी अधिक समय में पहली बार हम देखते हैं कि पश्चिमी देश सुरक्षा परिषद में दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबन्धों के प्रश्न पर बोल रहे हैं। हमें फ्रांस को बधाई देनी चाहिए क्योंकि उसने दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध अपनी तरफ से आर्थिक प्रतिबन्धों की घोषणा करके उसकी रंगभेद नीति की निन्दा करने एक साहसपूर्ण कदम उठाया है। फ्रांस ने जो किया है वह दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद की अपराधी सरकार को अस्थिर करने में बहुत सहायक होगा। हमें डेनमार्क तथा नदीरलैंड और ग्रीक जैसे देशों की कार्यवाही की भी तारीफ करनी चाहिए जिन्होंने यूरोप आर्थिक समुदाय (ई० ई० सी०) के अन्दर दक्षिण अफ्रीका में पूंजी निवेश न करने तथा ऋण न देने की घोषणा की है। वास्तव में दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद सरकार की स्थिति नाजुक है। खेतों, युवा खेतों तथा उनके बड़े व्यक्तियों को नामीबिया में मारा जा रहा है। युवा श्वेत, जैसाकि अमरीका में वियतनाम युद्ध के समय हुआ था, नामिबिया में लड़ने से मना कर रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका में पुराने दक्षिण-पश्चिमी अफ्रीका, नामीबिया, के नाजायज कब्जे के विरुद्ध एक आन्दोलन चल रहा है। दक्षिण अफ्रीका की आर्थिक स्थिति क्या है? इस वर्ष के प्रथम छः माह में ऋणों का कुल जोड़ 165 मिलियन डालर था जोकि गत वर्ष की तुलना में एक बड़ी वृद्धि है। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में सोने के निर्यात जो दक्षिण अफ्रीका में मुख्य है, में मन्दी आ गई है। इस मुख्य निर्यात का मूल्य नीचे चला गया है। केवल रक्षा खर्च ही इसके कुल बजट का 20 प्रतिशत से अधिक है। दक्षिण अफ्रीका की रक्षा स्वयं अपने ही लोगों से! अतः अब दक्षिण अफ्रीका एक बेहद आर्थिक संकट में है और इसलिए हमें जैसाकि प्रो० स्वैल ने कहा है, अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय, गुट-निरपेक्ष आन्दोलन और खास तौर से दक्षिण अफ्रीका को समर्थन देने वाले अन्तिम गढ़—राष्ट्रपति रीगन के तहत अमरीकी प्रशासन, युनाइटिड किंगडम मैं उसमें फैडरल रिपब्लिक आफ जर्मनी और जोड़ सकता हूं दक्षिण अफ्रीका के तीन अन्तिम आर्थिक समर्थकों से आग्रह करना चाहिए कि वे रंगभेदी सरकार की समाप्ति करायें। अमरीका में कांग्रेस के दोनों सदनों ने दक्षिण अफ्रीका को आर्थिक समर्थन देने के विरुद्ध आग्रह करने वाले एक संकल्प को पारित किया है परन्तु राष्ट्रपति रीगन अपने रचनात्मक करार के सिद्धान्त के प्रति चिपके हुए हैं जो वास्तव में कुछ नहीं है बस रंगभेदी सरकार को समर्थन, गुप्त समर्थन देना है। यह महत्वपूर्ण है कि हम न केवल गुट-निरपेक्ष आन्दोलन में एक संघर्षपूर्ण भूमिका निभाए बल्कि सारे विश्व में और विशेषकर, अमरीका तथा यूनाइटिड किंगडम के सामने यह स्थिति प्रस्तुत करें

ताकि वे महसूस कर सकें कि उनके पूंजीनिवेश, उनका धन अब श्री बोथा और उनकी नेशनल पार्टी की रंगभेदी सरकार के तहत अधिक सुरक्षित नहीं है। फोनिक्स में गांधीजी के आश्रम पर हुए हमले के बारे में सभा में बहुत कुछ कहा गया है। श्री मेवाराम गोविन्द, जो महात्मा गांधी की पोती के प्रति हैं, ने स्वयं खुलकर कहा है कि ऐसा नहीं है कि इस हमले की कार्यवाही में अफ्रीका शामिल थे बल्कि ये गुन्डे थे, स्वयं श्वेत रंगभेदी सरकार द्वारा नियुक्त गिरोह अथवा भाजुलु आफ दरबान के चीफ बुतलेजी जैसे उनके कठपुतली लोग इन कार्यवाहियों में संलग्न थे। ये गुंडागर्दी के कार्य थे जिनमें तीन भारतीय मारे थे, और भारतीयों ने भी इसका बदला लिया है।

जैसा कि आपको मालूम है कि लगभग एक वर्ष पूर्व बोथा सरकार द्वारा कुछ नकली संवैधानिक सुधारों की घोषणा की गई थी जिनकी सारे विश्व द्वारा, संयुक्त राष्ट्र द्वारा भर्त्सना की गई थी। नकली संवैधानिक सुधारों में तीन सदनों की व्यवस्था थी - एक सदन श्वेतों के लिए जिनके पास सब कानूनों को बनाने का अधिकार प्राप्त है तथा बहुत ही सीमित शक्तियों वाला नकली सदन काले लोगों तथा भारतीयों के लिए। वे सभी एशियाई लोगों को भारतीय कहते हैं। केवल कठपुतलियों ने मतदान किया और उन्हें भारतीयों के सदन के लिए चुन लिया गया था। कुछ संसद सदस्यों, तथा कथित संसद सदस्यों को 100 मतों से चुन लिया गया था। जबकि मत देने वालों की संख्या हजारों में है, भारतीय संसद सदस्य सौ मतों से चुन लिए गए थे। इसी से पता चलता है कि भारतीय समुदाय ने भारी संख्या में बिल्कुल भी नकली चुनावों में भाग नहीं लिया। अब ये नकली संसद सदस्य···

श्री जो० जो० स्वैल : उन्हें 50,000 डालर प्रति माह दिया जा रहा है।

श्री एड्डआर्डो फ्लोरी : ···खरीदा गया है, जैसा कि मेरे साथी ने बताया, जो भारतीयों को अश्वेतों के विरुद्ध झगड़े करने के लिए भड़का रहे हैं। और अगर तीन भारतीय मारे गए तो हजारों अश्वेत भारतीयों द्वारा अश्वेतों से बदला लेने के दौरान मारे गए। इस समय याद रखने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि दक्षिण अफ्रीका के मानक के अनुसार दोनों भारतीय तथा अफ्रीकी लोग अश्वेत है। दोनों हमेशा ही एक साथ लड़ते रहे। वे हमेशा ही दूसरे दर्जे के नागरिक रहे हैं, जो अफ्रीका के बहुत से भागों से भिन्न है। और छठे दशक में जो हुआ उसे भी याद रखना चाहिए। उदाहरण के तौर पर 1957 में जब दरबान में कुछ झगड़े हुए थे तो कुछ भारतीय स्त्रियों को बर्खास्त करके काम से हटा दिया गया था। इसके परिणामस्वरूप, सभी ने मिलकर भारतीयों के समर्थन में हड़ताल कर दी थी। यह संघर्ष भारतीयों तथा अफ्रिकियों की एकता का संघर्ष रहा है। वे एक रहे हैं। मेवाराम गोविन्द पर स्वयं देशद्रोह का अभियोग लगा हुआ है। अब 16 नेताओं में से जिन पर देशद्रोह का अभियोग लगा हुआ है, जिसमें नैलसन मंडेला भी है, आठ भारतीय हैं। उनका संघर्ष एक ही है। अन्त तक यह एकता बनी रहनी चाहिए।

मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारे लिए यह बहुत खुशी की बात है कि प्रधान मन्त्री इस चर्चा में उपस्थित है। मुझे विश्वास है कि गुट-निरपेक्ष विश्व तथा उत्पीड़ित देशों के लिए यह एक बड़े उत्साह की बात है। जैसा कि प्रो० स्वैल ने कहा है, हमारे अधिकारीगण सुन्दर वक्तव्य देते हैं जो सभी बातों की व्यख्या कर देते हैं। और इस बार यह एक अधिकारी द्वारा नहीं बल्कि एक प्रसिद्ध विदेश मन्त्री द्वारा दिया गया था। परन्तु यह एक अलग ही आयाम तथा एक अलग ही समर्थन देता है जब शासनाध्यक्ष, स्वयं प्रधान मन्त्री आगे आकर इस विषय पर बोलता है।

अत: मैं निम्नलिखित निवेदन करूंगा जो भारत सरकार कर सकती है, और मैं भारत सरकार के विचारार्थ यह रख रहा हूं :

(1) राजनयिक स्तर पर अमरीका तथा यूनाइटेड किंगडम का विशेषकर रंगभेदी सरकार के विरुद्ध इस आन्दोलन का समर्थन प्राप्त करने के लिए कोशिश करना।

(2) व्यावहारिक विवरण पर आते हुए मैं इसका उल्लेख कर सकता हूं। हमने हमेशा अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को समर्थन दिया है। हमने उनको वचन और कार्य से समर्थन दिया है। अब, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को, तथा स्वयं भारत में भी उसको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और जो कुछ भी ठोस मदद हम उनको, उसके अतिरिक्त जो हम दे चुके हैं, दे सकते हैं, मैं सरकार से निवेदन करूँगा कि वह अफ्रीका की नेशनल कांग्रेस को दें। हम इस कार्य के लिए उनके प्रति वचनबद्ध हैं। हमारे दर्शन के अनुसार हमें अफ्रीका के सभी लोगों, एशिया के सभी उत्पीड़ित लोगों, हर जगह के उत्पीड़ित लोगों, और दक्षिण अफ्रीका के लोगों को, जो इस समय विषय है, समर्थन देना है। हम उनके साथ हैं तथा हम उन्हें दिखा देंगे कि हम उनके साथ थे तथा हम उनके साथ रहेंगे।

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर सभा तथा देश पूर्णतया एक मत है। न केवल देश के बल्कि विश्व के सभी स्वतन्त्रता प्रेमी इस पर एकमत है फिर भी हम मजबूर हैं यही मुख्यत: हमारी परेशानी है। मैं श्री स्वैल तथा श्री फैलीरो ने इस बारे में जो बातें कही हैं उनसे पूर्णतता सहमत हूँ। दक्षिण अफ्रीका की रंगभेदी सरकार को राष्ट्रपति रेगन के रचनात्मक कार्य की नीति से, गुप्त रूप से और स्वयं श्रीमती मार्गरेट थैचर की उदारवादी नीति से समर्थन मिल रहा है। वास्तव में हर्ष की बात है कि फ्रांस और स्केण्डीनेवियन देशों के अलावा कनाडा में भी इस सम्बन्ध में पहल करके दक्षिण अफ्रीका सरकार के विरुद्ध कुछ कदम उठाए गए हैं। इन सभी ने दक्षिणी अफ्रीकी सरकार के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबन्ध लगाने के लिए अनुरोध करना शुरू कर दिया है। जैसा कि उल्लेख किया गया है कि अमरीका की सीनेट ने भी बहुत अधिक बहुमत से अर्थात 2 के मुकाबले 80 मतों से दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबन्ध लगाने का संकल्प पास किया था। परन्तु दक्षिण अफ्रीका के अश्वेतों के प्रति इतना अधिक समर्थन देने के बावजूद राष्ट्रपति रीगन स्वयं अमरीका की सीनेट द्वारा पारित संकल्प को अपनी स्वीकृति देने वाले नहीं है।

मैं समझता हूं कि यहाँ हमारी सरकार भी सहायता देने में समर्थ होगी। हमें राष्ट्रपति रीगन को अपील करनी चाहिए। अगर आवश्यक हो तो हमारे प्रधान मन्त्री को राष्ट्रपति रीगन को पत्र लिखकर अनुरोध करना चाहिए कि वह अपने ही सीनेट द्वारा पारित संकल्प पर ध्यान दें। हांलाकि यह बड़े खेद का विषय है कि 'फोनिक्स सेटलमेंट' समाप्त हो गया है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि अपने समय के सबसे महान व्यक्ति—गांधी जी का महान् उद्देश्य है दक्षिण अफ्रीका के अफ्रीकी वासियों को स्वतन्त्रता प्रदान करना। यह कोई 'सेटलमेंट' या भवन एक सच्चा स्मारक नहीं हो सकता। मेरा यह मत है कि भारत सरकार को अश्वेत स्वतन्त्रता सेनानियों को हर प्रकार की सहायता देनी चाहिए। मैं जानता हूं कि हम खुद भी एक गरीब देश है। लेकिन हमें अपना कार्य करते रहना चाहिए। अगर उन्हें सैनिक सहायता भी दी जाए तो मैं विरोध नहीं करूंगा। चाहे सैनिक सहायता कम ही हो लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर इस सद्भाव का अपना महत्व है। हम सब देख चुके हैं कि

दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने किस प्रकार से विश्व की आकांक्षाओं की अवहेलना की है। दक्षिण अफ्रीका में ही नहीं, बल्कि नामीबिया में भी यही हो रहा है। वे भी सभी प्रमुख अफ्रीकी राज्यों पर प्रहार कर रहे हैं। कुछ माह पूर्व उन्होंने बोतस्वाना पर हमला किया था। भारत के लिए तीसरे विश्व के नेता के रूप में ऐसा समय आ गया है कि वह विश्व के सभी मंचों के माध्यम से इस बारे में प्रयास करें। और मुझे आशा है कि सरकार समय के अनुरूप उपयुक्त कार्यवाही करेगी और स्वतन्त्रता ध्वज को सदैव ऊंचा रखेगी।

प्रो० पी० जे० कुरियन (इडुक्की) : श्री मान, क्योंकि इस विषय पर काफी कुछ कहा गया है, मैं सभा का अधिक समय नहीं लूंगा। दक्षिण अफ्रीका में जातीय सरकार द्वारा अश्वेत लोगों पर जो अत्याचार किए जा रहे हैं, उस पर सम्पूर्ण विश्व क्षुब्ध है। अश्वेत लोग एकजुट हैं। ये लोग रंग-भेदी श्वेत सरकार के विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं ताकि दक्षिण अफ्रीका के अश्वेत लोगों को स्वतन्त्रता मिल सके। वे विश्व के सभी स्वतन्त्रता-प्रेमी लोगों के हित में यह लड़ाई लड़ रहे हैं। इस शासन के विरुद्ध अश्वेतों की लड़ाई में विश्व के लोग एकजुट हैं। स्वभावतः वहां की नवीनतम घटनाओं के बारे में हमें चिन्ता है। भारतीय मूल के लोगों और अश्वेतों के बीच नृशंस झगड़े हुए और ऐसा कहा गया है कि कई लोग मारे गए और यहां तक कि गांधीजी द्वारा बसाए गए 'फोनिक्स सेटलमेंट' को भी जला दिया गया। जैसा कि हम जानते हैं कि 'फोनिक्स सेटलमेंट जातिवाद सौहार्द तथा स्वतन्त्रता और गौरव के अभियान का स्थायी स्मारक है। यह डरबिन शहर में है, जहां से महात्मा गांधी ने अपना 'अवज्ञा आन्दोलन' आरम्भ किया था। अतः हम अश्वेतों की जातिवाद दमन और उपनिवेशवाद के विरुद्ध इस लड़ाई में हम भावनात्मक रूप से जुड़े हुये हैं।

श्रीमन, यह दुर्भाग्य की बात है कि यह झगड़े उस क्षेत्र में हुए और मुझे इसमें कोई शक नहीं कि ये झगड़े दक्षिण अफ्रीकी जातीय शासन द्वारा भारतीयों और अश्वेतों के बीच मतभेद पैदा करने के लिए करवाये गए हैं। श्रीमन्, हमारे प्रधान मन्त्री ने सभी अश्वेतों को नहीं उन श्वेतों को भी, जो रंगभेद के विरुद्ध है, आव्हान किया है कि वे एकजुट हो जाएं, इन जातीय नीतियों को समाप्त करें। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हमारी स्वतन्त्रता तब तक पूरी नहीं हो जाती, जब तक विश्व के वे राष्ट्र जो उपनिवेशवाद के अधीन हैं, स्वतन्त्र और स्वाधीन नहीं हो जाते।

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

प्रो० पी० जे० कुरियन : मैंने अभी आरम्भ ही किया है। मैंने अभी इसकी शुरूआत की है।

(व्यवधान)

अपने वक्तव्य में, उन्होंने स्पष्ट रूप से और जोर देकर कहा है कि दक्षिण अफ्रीका के अश्वेतों द्वारा किए जा रहे संघर्ष में हम समर्थन देते हैं। आप जानते हैं कि रंगभेद का रूप और आयाम कितना विकराल होता है। असल में यह विकरालता श्वेत उपनिवेशवादी शासन ने ही पैदा की है। दक्षिण अफ्रीका के 220 लाख अश्वेतों को सभी प्रकार की स्वतन्त्रता से वंचित रखा गया है। उन्हें राजनीतिक स्वतन्त्रता नहीं है, उन्हें नागरिकता का अधिकार नहीं है, मात्र 50 लाख श्वेत सरकार पर नियन्त्रण रखे हुए हैं। ये अश्वेत स्लम जिन्हें 'घेट्टोस, कहते हैं, में रहते हैं। वे इनसे बाहर नहीं जा सकते हैं। अगर वे बाहर आते हैं, तो उन्हें गोली से मार दिया जाता है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। ऐसे कई व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और जेलों में मार डाला गया है। दक्षिण

अफ्रीका में श्वेत लोगों द्वारा अश्वेतों पर इस प्रकार के अत्याचार किए जा रहे हैं। इस समय हम क्या कर सकते हैं? हमारे प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी 'नाम' निर्गुट आन्दोलन के अध्यक्ष हैं। असल में हमारी विदेश नीति की जड़ें हमारे स्वाधीनता आन्दोलन से जुड़ी हुई है। वह लड़ाई सभी किस्म के दमन, जातिवाद, और उपनिवेशवाद के विरुद्ध थी। पंडित जी ने इसकी नींव रखी, हमें सही रास्ता दिखाया, इंदिराजी ने इसे सशक्त बनाया और अब राजीव जी अपने कुशल नेतृत्व से गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों का नेतृत्व कर रहे हैं। मुझे विश्वास है और अब हमारा कर्त्तव्य है कि गुट-निरपेक्ष आन्दोलन का अध्ययन होने के नाते, अमरीका और पश्चिमी देशों पर इस बात के लिए दबाव डाले कि वे दक्षिण अफ्रीका की रंगभेदी सरकार के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबन्ध लगायें। तभी दक्षिण अफ्रीका नेता, पीटर बोथा सही स्थिति को समझ सकेंगे। जब तक हम ऐसा नहीं करते, हमारा यहाँ बात करने का कोई लाभ नहीं होगा।

अमरीका अप्रत्यक्ष रूप से इस जातिवाद शासन की सहायता कर रहा है, वे रचनात्मक कार्य के बारे में कहते हैं, लेकिन वास्तव में वे क्या कर रहे हैं? असल में वे रंगभेदी सरकार को अश्वेतों पर अत्याचार के लिए भड़का रहे हैं। इसलिए हमें संयुक्त राज्य अमरीका को साहसपूर्वक यह कहना चाहिए कि वह दक्षिण अफ्रीका सरकार पर प्रभावपूर्ण आर्थिक प्रतिबन्ध लगायें। दक्षिण अफ्रीकी सरकार किस चालाकी से अश्वेतों का विभाजन करने का प्रयास कर रही है, यह बहुत स्पष्ट है। उन्होंने अभी एक प्रकार की त्रिपक्षीय संसद का गठन किया है। जोकि तीन सभा वाली संसद है, जहां 50 लाख श्वेतों की एक सदन हैं। 20 लाख मिले जुले लोगों का एक अलग सदन है और 10 लाख एशियाइयों का एक अलग तीसरी सदन है। वहाँ तीन सदन हैं। लेकिन सारी सत्ता केवल श्वेतों के हाथ में है। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इस संसद में 2.20 करोड़ अश्वेतों को पूरी तरह से अलग रखा गया है।

वह भी तीन-पंक्ति वाली इस संसदीय व्यवस्था में भी 2.20 करोड़ अश्वेतों को अलग रखा गया है। यह सच नहीं है कि भारतीय संसद के सदस्य हैं या श्वेत शासन के कनिष्ट भागीदार बने हैं। कुछ लोग शायद इससे सम्बन्ध हों। यह पहले ही कहा जा चुका है कि मतदान से स्पष्ट पता चलता है कि ज्यादातर भारतीयों ने इसका बहिष्कार किया है। लेकिन वास्तव में पीटर बोथा की भारतीयों-श्वेतों और भारतीयों-अश्वेतों को अलग-अलग करने की चाल सफल हो रही है। मैं आशा करता हूँ कि जो थोड़े से भारतीय इस संसद से सम्बन्ध हैं, वे भी सही स्थिति को पहचान कर इस जातीय शासन की निन्दा करते हुए इससे सम्बन्ध तोड़ देंगे।

श्री भट्टम ने भारतीयों और अश्वेतों के बीच हुई लड़ाई का जिक्र किया है। वास्तव में यह उनके बीच लड़ाई बिल्कुल नहीं थी। हमें इसे उस सन्दर्भ में नहीं लेना चाहिए। यह लड़ाई तो मात्र उन सहयोगियों या उस त्रिपक्षीय संसद के लाभार्थियों के विरुद्ध थी जहां केवल श्वेतों का ही बोल-बाला है। इस सन्दर्भ में हमें विकसित देशों पर अपनी नैतिक शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। हमें पश्चिमी देशों पर जोर डालना चाहिए कि वे प्रभावकारी ढंग से दक्षिण अफ्रीका की सरकार पर आर्थिक प्रतिबन्ध लगाएं।

मुझे आशा है कि हमारे गतिशील प्रधान मन्त्री, जिन्होंने देश की कई समस्याओं को सुलझाने में सफलता प्राप्त की है, इस सन्दर्भ में भी महत्वपूर्ण योगदान देंगे। मुझे आशा है कि दक्षिण अफ्रीका के अश्वेतों की आजादी का दिन नजदीक ही है। मुझे आशा है, दक्षिण अफ्रीका का रंगभेद शासन जो भी रुकावटें डाले, अश्वेतों का मुकाबला और सुदृढ़ होता रहेगा क्योंकि उन्हें विश्व के

सभी शान्ति प्रिय लोगों, आजादी पसन्द लोगों का समर्थन प्राप्त है। संयुक्त राष्ट्र ने भी रंगभेद नीति की स्पष्ट शब्दों में भर्त्सना की है। मुझे विश्वास है कि इन परिस्थितियों में वह दिन दूर नहीं है व्यक्ति अश्वेत लोगों के निरंकुश शासन से अपने आपको मुक्त कर सकेंगे।

प्रधान मन्त्री (श्री राजीव गांधी) : श्रीमन्, गांधी जी ने दमन के विरुद्ध पहली आवाज दक्षिण अफ्रीका में ही उठाई। एक तरह से वहां से हमारा स्वतन्त्रता संघर्ष आरम्भ हुआ। हमारी स्वतन्त्रता की लड़ाई ने विश्व को नेतृत्व प्रदान किया और विश्व के सभी पददलित लोगों में स्वतंत्रता की भावना पैदा की। अतः यह कोई हैरानी की बात नहीं है कि हम आज स्वतन्त्र है और अपनी संसद में दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद और उपनिवेशवाद की चर्चा कर रहे हैं।

हमारी आजादी के बाद कई देश स्वतन्त्र हुए। दुर्भाग्य से दक्षिण अफ्रीका में आज भी अश्वेत दूसरे दर्जे के नागरिक के रूप में रह रहे हैं।

इस सभा के कई सदस्यों ने दूसरे दर्जे के नागरिक होने पर जातिवाद या उनके साथ किए जा रहे सौतेले व्यहार को नहीं देखा है। लेकिन यहां के वृद्ध सदस्यों को याद होगा कि हमारे देश में भी रेल के दो प्रकार के डिब्बों, अलग-अलग बसों, अलग-अलग घरों और अलग-अलग बस्तियों का प्रयोग किया जाता था। हालांकि नई पीढ़ी को यह सब याद नहीं होगा।

भारत का प्रत्येक नागरिक दक्षिण अफ्रीका के अश्वेतों और उनके संघर्ष के लिए चिन्तित है और प्रत्येक भारतीय उनके इस संघर्ष में समर्थन देता है।

भारत ने पिछले कई वर्षों में अनेक अवसरों पर उपनिवेशवाद और जातिवाद के विरुद्ध अश्वेतों की लड़ाई की आवाज उठाई है।

1946 में, जब पण्डित जी, अन्तरिम सरकार के अध्यक्ष थे तब भी हमने इसे मुद्दे को संयुक्त संघ में उठाया था।

भारत पहला देश था जिसने दक्षिण अफ्रीका से राजनयिक और व्यापार सम्बन्ध तोड़े थे।

1946 में हमारे उच्चायुक्त को वापस बुला लिया गया था और उसी वर्ष उस देश से व्यापार-प्रतिबन्ध लगा दिया गया था।

यदि हम दक्षिणी अफ्रीका के साथ अपने व्यापारिक सम्बन्ध बनाये रखते तो हमें बहुत लाभ हो सकता था, किन्तु हमने अपने सिद्धान्तों को नहीं छोड़ा और इस आर्थिक हानि को बर्दाश्त किया। हम उन कुछ एक देशों में से हैं जोकि काफी लाभ प्राप्त कर सकते थे, लेकिन जहां तक सिद्धान्तों का सम्बन्ध है हमारे लिए ये लाभ लेशमात्र हैं। भारत यह लड़ाई जारी रखेगा।

1952 में भारत ने खुद और अन्य देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में रंगभेद की समस्या को उठाया।

ए० एन० सी० के लिए हमारी नैतिक, वास्तविक और राजनयिक समर्थन जारी रहेगा।

1981 में हमारी संसद ने रंगभेद-विरोधी संयुक्त राष्ट्र अभिसमय अधिनियम पारित किया ताकि रंगभेद की वजह से जुल्म और अपराधों को रोकने के लिए दण्ड के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय को लागू किया जा सके।

हमने नेलसन मांडेला की रिहाई की मांग की है।

हमने अप्रैल, 1985 में हुए 'नाम' ब्यूरो की बैठक में दक्षिण अफ्रीका के मामले को उठाया।

हम दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध व्यापक अनिवार्य प्रतिबन्ध लगाने की लगातार मांग कर रहे हैं।

अन्त में, अप्रैल में हमने दक्षिण-पश्चिम अफ्रीकी लोगों के सच्चे प्रतिनिधि के रूप में 'स्वापो' को मान्यता दी है।

भारत ने हमेशा ही उपनिवेशवाद रंगभेद के विरुद्ध इस संघर्ष की अगुवाई की है और हमेशा ही ऐसा करता रहेगा।

दक्षिण अफ्रीका शासन द्वारा किए जा रहे विभिन्न उपाय, जैसे तथाकथित संविधान में संशोधन करना आदि को हमने देखा है; लेकिन ये सब दिखावा है और वे पर्याप्त नहीं हैं। उनमें से 'वेनटुस्तान' जैसे कुछ उपाय, सिद्धान्त रूप से ही बिलकुल गलत हैं।

दक्षिण अफ्रीका में अश्वेतों के लिए स्वतन्त्रता के सिवाय इस संघर्ष का कोई रास्ता नहीं है। कई देश स्वतन्त्रता की बात करते हैं वे मानव-अधिकारों की बात करते हैं। लेकिन हम पाते हैं कि वे दक्षिण अफ्रीका का समर्थन करते हैं। वे उन्हें राजनयिक समर्थन देते हैं; उनके व्यापार में समर्थन करते हैं और वहां निवेश करते हैं।

'रचनात्मक कार्य' जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। श्रीमन्, हम इस 'रचनात्मक कार्य' जैसे बातों में विश्वास नहीं करते। हम विश्वास करते हैं कि विश्व के लोगों को धोखा देने के लिए इस प्रकार के वाक्यांशों का प्रयोग किया जाता है। श्रीमन, अगर 'रचनात्मक कार्य' प्रभावी होता तो यह 'अटलांटिक' महासागर के द्वीपों में क्यों नहीं सफल होता? इसका प्रयोग मध्य अमेरिका में क्यों नहीं किया गया?

6.36 म० प०

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

कुछ देशों ने आर्थिक प्रतिबन्ध लगाये, अपने राजदूतों को वापिस बुलाया। हम इन्हें सही कदम मानते हैं। हम आशा करते हैं कि अन्य भी इस का अनुसरण करेंगे और इससे भी अधिक कदम उठायेंगे। यह कार्यवाही चलती रहेगी और दक्षिण अफ्रीका के प्रत्येक अश्वेतों का स्वतन्त्रता मिलेगी और विश्व के सभी रंग भेद अपनाने वाले देशों को मुक्ति मिल सकेगी।

श्रीमन्, पिछले कुछ दिनों में गांधी जी का आश्रम को नुकसान पहुचा है। लेकिन गांधीजी द्वारा लगायी गयी रोशनी कभी समाप्त नहीं होगी। यह महत्त्वपूर्ण बात नहीं है कि आश्रम पर किसने हमला किया—आश्रम पुनः बन सकता है—लेकिन जो भावना इसके पीछे है, अफ्रीका को अन्तिम स्वतन्त्रता मिलेगी।

श्रीमन्, जीवन में कुछ शक्तियां अटल होती हैं। इनमें से एक उपनिवेशवाद और जातिवाद के विरुद्ध संघर्ष की शक्ति है। इसमें कोई शक नहीं है, कि दक्षिण अफ्रीका रंगभेद सरकार को जाना ही होगा। हाल की घटनाएँ दक्षिण अफ्रीका में शायद रंगभेद को समाप्त करने की दशा में अग्रचिन्ह है। प्रश्न यह है कि क्या दक्षिण अफ्रीका की सरकार और उसके शक्तिशाली मित्र राष्ट्र इतनी बुद्धिमत्ता तथा दूरदृष्टि दिखायेंगे, जिससे वहां शक्तिपूर्ण ढंग से परिवर्तन ला सके? या इस बुराई को समाप्त करने के लिए सैकड़ों और हजारों लोगों को कुर्बानी देनी होगी?

श्रीमन्, भारत जातिवाद और उपनिवेशवाद के विरुद्ध अपनी लड़ाई जारी रखेगा। बातचीत के स्तर पर ही नहीं, अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर भी यह जारी रहेगा। दक्षिण अफ्रीका की यह लड़ाई कुछ लाख अश्वेतों की लड़ाई नहीं है, बल्कि पूरी मानवता के लिए है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसिरहार) : अध्यक्ष महोदय, यदि हम रंगभेद की समाप्ति की शुरूआत के पिछले कुछ दिनों को देखें तो मैं समझता हूं कि हम तथा विश्व में सभी अन्य ताकतों को जिनका हमारे साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध हैं और जो हमारे विचारों से सहमत हैं इसे तुरन्त समाप्त करने के लिए हमें पूरा सम्भव सहयोग दें।

जहां तक दक्षिण अफ्रीका शासन में इस प्रकार की सम्पूर्ण घृणा तथा प्रतिकूलता का बने रहने का सम्बन्ध है, हमारे देश में या इस संसद में कोई विवाद नहीं है और मुझे खुशी हुई होती यदि, शायद, इस सदन में आज भी यहां सर्वसम्पति से एक संकल्प पारित किया जाता जिसका पूरे विश्व में प्रचार हो सकता। लेकिन दुर्भाग्यवंश अब इस तरह मसौदा बनाने का शायद समय नहीं है।

प्रो० एन० जी० रंगा : अध्यक्ष महोदय, हमारी ओर से बोल सकते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : निश्चित रूप से वह हमारी ओर से बोल सकते हैं। लेकिन महोदय, कोई बात नहीं···

श्री राजीव गांधी : मैं समझता हूं कि अब भी हम एक सर्वसम्मत संकल्प पारित कर सकते हैं। हम बैठ सकते हैं···

श्री इन्द्रजीत गुप्त : केवल भावनाओं का सार देते हुए एक संक्षिप्त संकल्प जिसे प्रत्येक ने व्यक्त किया है। मैं समझता हूं यह संसद के लिए अच्छी बात होगी, यदि वह खुद इसे व्यक्त करें। मैं इस "दी ब्लेक" के मुहावरे को कभी भी पसंद नहीं करता हूं। दुर्भाग्य से किसी अन्य शब्द की कमी के लिए "दी ब्लेक" को अन्तर्राष्ट्रीय पारिभाषिक में हम हमेशा अपने अफ्रीकी भाइयों और बहनों के लिए उल्लेख करते हैं···

प्रो० एन० जी० रंगा : वे खुद इसे पसंद करते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं नहीं जानता कि क्या वे इसे पसन्द करते हैं, पर मैं इसे पसन्द नहीं करता हूं।

प्रो० एन० जी० रंगा : इसमें से कोई भी इसे पसन्द नहीं करता है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : लेकिन 'ब्लेक' उनकी त्वचा के रंग का वर्णन करता है। इस तरह हमारे अपने देश में बहुत से अश्वेत लोग हैं। मैं यह नहीं भूल सकता हूं कि इस पोर्ट दुरबान क्षेत्र के चारों ओर जहां यह खलबली हो रही है, वहां उन क्षेत्रों में मुख्य अफ्रीकी जनजाति के लोग निवास करते है जो 'जुलूस' कहलाते हैं जो बहुत अभिमानी जाति के योद्धा हैं और मैं याद दिलाना चाहता हूं कि लगभग 100 वर्ष पूर्व या 100 वर्ष से कुछ ज्यादा, 'जूलू' सेना ने जिसके पास हथियारों के रूप में भाला और ढाल के अलावा कुछ नहीं था उसने इसलानधावना की लड़ाई में ब्रिटिश सेना को नष्ट किया था और उस साहसपूर्ण कार्य का महाकाव्य के रूप में इतिहास में वर्णन मिलता है। ये अफ्रीकी जनजाति के लोग निरस्त्र, व्यावहारिक रूप से निरस्त्र थे जो पश्चिमी आधुनिक सेना के विरुद्ध लड़े थे जो उस समय तोपों और अग्निशास्त्र से सुसज्जित थे। अतः उन्होंने भी ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध इस संघर्ष में अपनी भूमिका अदा की। वास्तव में उन्हें सफलता नहीं मिली थी। आज

यह बहुत अच्छा है कि इतने सारे सदस्यों ने हमें इस तथ्य की यहां याद दिलाई अर्थात् ये भयानक घटनाएं जो हुई उससे यह सोचने के लिए किसी को उत्तेजित नहीं होना चाहिए कि अफ्रीकी भारतीयों पर आक्रमण कर रहे हैं। क्योंकि वे भारतीय है। हमेशा ऐसा नहीं होता है। चूंकि श्रीमती सुशीला गांधी के बारे में कुछ उल्लेख हुआ है। मुझे पता चला है कि उन्होंने इस पर बहुत तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और जो उन्होंने लिखा है मैं उसमें से उद्धृत करता हूँ :

> "दक्षिण अफ्रीका की जातीय सरकार के किरायों पर एजेंटों का काम उपद्रव करना है। वे अश्वेत लोगों को हिंसा, सभी प्रकार के अत्याचारों पर उकसाते हैं और क्रूरता के लिए अश्वेतों को दोष देते हैं। अश्वेत लोगों को उनके निरन्तर अत्याचार के औचित्य को अपरिचत तथा असभ्य के रूप में उन्हें हटाने की उनकी इच्छा रही है।"

वास्तव में अफ्रीकी और वहां पर सभी अन्य संग के लोगों के विरुद्ध अत्याचार सामान्य बात है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि जो अशोभनीय घटना वहां हुई और सेटलमेंट तथा पुराने स्कूल और संग्रहालय पर हुआ हमला जो सब कुछ गांधी जी के नाम के साथ जोड़ा गया है, वह इस संगठित उपद्रव का हिस्सा है जिसे किराए के गुण्डों द्वारा किया गया है तथा जो जातीय सरकार द्वारा उकसाया और किया गया है जैसाकि प्रधान मन्त्री जी ने कहा है कि यह उस स्थान से जुड़ी हुई भावना है। न कि वास्तविक भवन जिन्हें नष्ट किया गया है। शायद भावना बनी रहेगी। मैं केवल यह कहना चाहता हूँ कि इस विषय पर आगे अधिक जोरदार ढंग से वाद विवाद के द्वारा चाहे यह सुरक्षा परिषद के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र संघ में या गुट निरपेक्ष मंच में या राष्ट्रमण्डल मंच में हो जिनकी शीघ्र बैठक होने वाली हैं जो कुछ हम कर सकते हैं, हमारी सरकार कर सकती है हमें करना चाहिए। मुझे विश्वास है कि वास्तव में इसे किया जाएगा। लेकिन इस तरह की किसी बैठक जिसमें हम भाग लेते हैं। इस प्रश्न पर कुछ प्रस्ताव या कुछ संकल्प पारित किए बिना समाप्त नहीं होनी चाहिए। यह सच है कि हम असहाय महसूस करते हैं और मैं उस भावना का साथ देता हूँ क्योंकि यह कहना पर्याप्त नहीं है कि हमें अमरीका सरकार या संघीय लोकतन्त्र जर्मन या ब्रिटिश सरकार को उनके माध्यम से राष्ट्रपति बोथा के जातीय शासन पर दबाव डालने के लिए सिफारिश करनी होगी। हम उनके हितों जानते हैं। यह बहुपक्षीय हित है। दक्षिण अफ्रीका में विशाल खनिज सम्पदा है जो पश्चिम के बड़ी बहु राष्ट्रीय कम्पनियों के लिए बहुत प्रलोभन का विषय है। उस क्षेत्र की रक्षा के पूरे प्रश्न में दक्षिण अफ्रीका की सामरिक महत्व की स्थिति है। इन सभी प्रलोभनों का अमरीका या ब्रिटेन के शासकों द्वारा विरोध नहीं किया जा सकता। वास्तव में जहां तक हमारा सम्बन्ध हैं हमें लाबी प्रचार और वाद-विवाद रखना पड़ेगा और दबाव डालने की कोशिश करनी होगी तथा सुस्पष्ट शब्दों में हमें अपनी बात समझानी है। आज मैं यह सब कुछ कहना चाहता हूँ कि इतिहास आगे बढ़ता है। संघर्ष की किस्मों में परिवर्तन होता है, लोगों की चेतना में परिवर्तन होता है। वह उसी स्थान पर बनी नहीं रहती है।

महोदय, नेलसन मंडेला को उनकी स्वतन्त्रता का प्रस्ताव दिया गया था यदि वह यह कहते हुए एक वक्तव्य देने के लिए तैयार हो जाते कि वह हिंसा के विरुद्ध थे, नेलसन मंडेला ने इस प्रस्ताव पर यह कहते हुए तिरस्कारक रूप से अस्वीकार किया था कि यदि मैं इस प्रकार का कोई वक्तव्य देता हूँ तो उलझाव के द्वारा इसका यह मतलब होगा कि अफ्रीका के लोग हिंसा के दोषी हैं जबकि वे हिंसा के दोषी नहीं हैं यह वह शासन है जो लोगों के हिंसा का प्रतीक है तथा वह कोई वक्तव्य देने के लिए

इन्कार करते हैं और वह निन्तर जेल में सड़ते हैं। पिछले कुछ दिनों के दौरान उनकी पत्नी का मकान जला दिया गया तथा वह राख हो गया। उन्हें कहीं और शरण लेनी पड़ी थी क्योंकि यदि वे उसका पकड़ लेते तो वह उसके लिए भी हिंसा कर सकते थे। अत: अफ्रीकी लोगों में अगम्य आत्मा है। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने स्पष्ट रूप से बताया है कि वे सशस्त्र संघर्ष कर रहे है और समाज संघर्ष में विकास होगा तथा जब तक वे विजय प्राप्त नहीं करेंगे तब तक वे इसे नहीं छोड़ेंगे।

इसलिए अन्त में मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारे नैतिक दबाव और नैतिक प्रयास तथा नैतिक विश्वास इत्यादि के अलावा जो हम बना रहे हैं अब उसे दुबारा से दुगना करना चाहिए, हमें कुछ अधिक महत्वपूर्ण सामग्री सहायता के बारे में सोचना चाहए। जहां तक दक्षिण अफ्रीका का सम्बन्ध है हमें इस बारे में चिन्ता नहीं करनी चाहिए। हमारी उस सरकार के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है यह गैर-कानूनी है। यह अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में गैर-कानूनी है जो अपराधी के रूप में घोषित की गई है इसलिए जब हम श्रीलंका के बारे में या पाकिस्तान के भीतर या किसी अन्य देश के भीतर की घटनाओं के बारे में बात करते हैं तो हम बीसों बार सोचते हैं कि हमें किस प्रकार से वर्ताव करना चाहिए। लेकिन दक्षिण अफ्रीका के मामले में हमें ऐसी किसी प्रकार की बातों पर चिन्ता नहीं करनी चाहिए। यह गैर-कानूनी सरकार, अपराधी है और दक्षिण अफ्रीका का सरकार के साथ हमारा किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है। इसलिए कहीं और साहस से करने की अपेक्षा, हम बहुत कुछ कर सकते है। मुझे याद है कि जब भूतपूर्व प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के नियन्त्रण पर कुछ वर्ष पहले मोजम्बिक के राष्ट्रपति श्री समोरा माइकिल सरकारी दौरे पर यहां आए थे तो मुझे आश्चर्य हुआ कि राष्ट्रपति भवन में भेज पर उन्होंने पहली बार अपने सरकारी भाषण में यह प्रकट किया कि जब पुर्तगाल से अपनी स्वतंत्रता के लिए मोजाम्बिक लड़ रहा था तब उस समय आजादी के सेनानी या स्वतंत्रता सेनानी के हाथों में जो शस्त्र थे उनको भारत से भी कुछ योगदान मिला था। उन्होंने इसे स्पष्ट शब्दों में अपने भाषण में कहा और उसके लिए हमारा धन्यवाद किया। अत: क्या मुझे और कुछ बताने की आवश्यकता है ?

श्री राजीव गांधी : और क्या हमें कुछ बताने की आवश्यकता है !

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। आपकी करना चाहिए। आपको कार्रवाई करनी चाहिए। मुझे बहुत खुशी है कि प्रधान मन्त्री जी ने यहां बहुत दृढ़ आश्वासन दिया है और वह देश में तथा सदन सर्वसम्मत भावना को हो दर्शाता है।

[हिन्दी]

श्री जैनल बशर (गाजीपुर) : अध्यक्ष जी, अभी प्रधानमन्त्री जी ने सही कहा कि आज जो कुछ भी दक्षिणी अफ्रीका में हो रहा है, उससे देश का प्रत्येक नागरिक चिन्तित है।

दक्षिण अफ्रीका के लोगों से खासकर वहां के जो मूल निवासी हैं और जो एशिया के रहने वाले हैं, उनसे इस देश के लोगों का हमेशा से भावनात्मक लगाव रहा है। महात्मा गांधी ने जोरजुल्म के खिलाफ लड़ना वहीं से शुरू किया था। उनकी अहिंसा की रंगभेद की राजनीति के खिलाफ लड़ाई दक्षिणी अफ्रीका से शुरू हुई, वहीं उनकी प्रयोगशाला बनी, लेकिन यह भाग्य का खेल है कि जिस लड़ाई की शुरुआत दक्षिणी अफ्रीका में की गई, जो भारत में आई और जैसा प्रधान मन्त्री जी ने कहा हम एक स्वतन्त्र देश की अपनी संसद में उसी साउथ अफ्रीका के बारे चिन्ता व्यक्त कर रहे हैं। यह बहुत

गम्भीर बात है और साउथ अफ्रीका की सरकार जिस प्रकार से वहां गैर-सफेद लोगों के साथ बर्ताव कर रही है, उससे सभी लोगों को चिन्ता तो है, लेकिन उस सरकार को समाप्त करने की, उस जुल्म और ज्यादती को समाप्त करने की बात अभी दिखायी नहीं देती है। बड़े-बड़े जनतान्त्रिक देश जो मानवाधिकारों की सुरक्षा की बात करते हैं, जो फ्रीडम, इक्वेलिटी और लिबर्टी की बात करते हैं, ऐसे बड़े देशों को शर्म नहीं आती जबकि वे दक्षिण अफ्रीका में जो कुछ हो रहा है, उसको देखते हैं बर्दाश्त करते हैं और बर्दाश्त ही नहीं करते हैं, बल्कि उसको बढ़ावा देते हैं।

आज इकोनोमिक सेंक्शन की बात की जाती है, इकोनोमिक सेंक्शन हो सकता है, लेकिन अमरीका और इग्लैंड का बहुत सारा पैसा साउथ अफ्रीका में लगा हुआ है, वहां पर उनके निहित स्वार्थ हैं, इसलिए वे कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि वहां पर इकोनोमिक सेंक्सन हो। ऐसे लोग जो इक्वेलिटी, लिबर्टी, फरेटरनिटी और ह्यूमन-राइट जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उनकी शर्म आनी चाहिए कि आज साउथ अफ्रीका में क्या हो रहा है। हम सब लोग आज उसकी निन्दा करते हैं, लेकिन अध्यक्ष जी, अंग्रेजों का वह "बांटो और राज करो" का जमाना इस दुनिया से उठ चुका है, जहां अंग्रेजी राज्य में सूरज नहीं डूबता था, आज वह सूरज डूब चुका है और यह साउथ अफ्रीका उसका आखिरी मोर्चा है, जहां हमें रंग-भेद के खिलाफ, जाति-भेद के खिलाफ, पशुता, जुल्म और ज्यादती के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। अगर जनतान्त्रिक लोगों ने, आजादी पसन्द लोगों ने आखिरी मोर्चे को फतह कर लिया, तो दुनिया रंग-भेद, जाति-भेद, जुल्म और ज्यादती का राज हमेशा-हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। हमें विश्वास है कि हम यह मोर्चा जरूर फतह करेंगे और इस दिशा में हमारा देश जो कुछ कर रहा है, उसकी हम प्रशंसा करते हैं।

अभी हमारे प्रधान मन्त्री जी ने हमारी सरकार की नीतियां बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट की हैं। प्रधान मन्त्री जी से मैं एक निवेदन करके अपनी बात समाप्त करूंगा। मेरा निवेदन यह है कि आज वह गुट-निरपेक्ष देशों के अध्यक्ष हैं, गुट-निरपेक्ष देशों के नेता हैं, वह गुट-निरपेक्ष मूवमेंट के जरिए साउथ अफ्रीका में जो कुछ हो रहा है, उसे समाप्त करने के लिए, वहां के लोगों को पूरी तरह से आजादी दिलाने के लिए, वहां की रंगभेद की नीति को समाप्त करने के लिए, अपने पूरे बल और शक्ति का उपयोग करें और पूरे देश के लोगों की सद्भावना इसमें उनके साथ है।

श्री मोहम्मद महफूज अली खां (एटा) : अध्यक्ष जी, मेरा तो विषय दूसरा है···

अध्यक्ष महोदय : इसी में डाल दीजिए।

श्री मोहम्मद महफूज अली खां : मेरा विषय आज का साउथ अफ्रीका का मसला नहीं था···

अध्यक्ष महोदय : उसको इसमें मिला दीजिए।

श्री मोहम्मद महफूज अली खां : अमरीका में एक वीडियो फिल्म बनाई गई है, वहां एक प्लेबॉय क्लब है, उसने इस वीडियो फिल्म को बनाया है। आज जहां दुनिया भर में गांधी जी की तारीफ हो रही है, उनकी कुर्बानियों का जिक्र किया जाता है, वहां अमरीका में इस फिल्म के जरिए उनका मजाक उड़ाया गया है, मैं उसका जिक्र यहां करना चाहता हूं। इस फिल्म में शुरू से ही बहुत भद्दे और गन्दे चित्र दर्शाये गए हैं। फिल्म के दरमियान गांधी जी को इस तरह दिखाया गया है कि वे उपवास किए बैठे हैं और एक शख्स उनके पास आता है और कहता है, 'बापू जी, बापू जी, कलकत्ता में हिन्दू-मुस्लिम झगड़ा खत्म हो गया है, अपना

उपवास तोड़िये, खाने का वक्त हो गया है, खाने चलिये। खाने की टेबिल पर जब गांधी जी जाते हैं, तो वहां पर गोश्त और तरह-तरह की चीजें, जिनको उन्होंने कभी लाइक नहीं किया, खाने की टेबिल पर रखी हुई हैं। और उनके साथ अर्द्ध-नंगी लड़कियां बैठी हुई हैं और मजाक कर रही हैं।आप उस फिल्म को देख सकते हैं और अगर आप इजाजत दें, तो उस फिल्म को हाऊस में दिखवा सकता हूं।··· **(व्यवधान)**···सेन्ट्रल हाल में उसको दिखवा सकता हूँ। गांधी जी को गोश्त खाते और शराब पीते कभी नहीं देखा गया है। वे शाकाहारी थे लेकिन उस फिल्म में गांधी जी को गोश्त खाते व शराब पीते दिखाया गया है। फिर इसके बाद एक शख्स आता है और यह कहता है कि गांधी जी, हिन्दू-मुस्लिम झगड़ा फिर शुरू हो गया है। गांधी जी कहते हैं कि होने दो, हमें क्या । हम न हिन्दू हैं और न मुस्लिम और यह कहा कि जाओ, विस्पर की छः बोतलें लाओ। यह बेहूदा प्ले वाय क्लब, प्राइवेट चेनेल ब्लू फिल्म दिखाते हैं हालांकि उनकी मेगजीन हमारे मुल्क में बैन है।

गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं। दुनिया के किसी भी प्रेसीडेंट और प्राइम मिनिस्टर से उनकी शख्सियत बुलन्तर थी जबकि फिल्म में उनकी शख्सियत को एक बेवकूफ बूढ़ा बनाकर पेश किया गया है। अमेरिका में तो खुद ही ऐसे किरदार के लीडर पोप और रीगन मौजूद हैं, जो ऐसे किरदार के लिए फिट थे न कि हमारे गांधी जी, जिसको इस सूरत में फिल्म में दिखाया गया है। दुनिया जानती है कि गांधी जी शाकाहारी थें और उन्होंने कभी कोई नशे की चीज इस्तेमाल नहीं की। वे इन चीजों के मुखालिफ थे। प्ले वाय क्लब की इस बेहूदा जुर्अत से साफ जाहिर है कि आम हिन्दुस्तानियों का क्या जिक्र, हमारे अजीम लीडरों के लिए भी उनके दिल में इज्जत व अहतराम नहीं है।

[अनुवाद]

श्री जी० जी० स्वैल (शिलांग) : यह प्रासंगिक नहीं है···

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी (हावड़ा) : वाद-विवाद बहुत अच्छे स्तर का रहा है। वह इसे किस प्रकार ला रहे हैं ? और मैं नहीं समझता कि उन्होंने यह फिल्म कैसे देखी है।··· **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब भाषण समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद महफूज अली खां : हमारे जो वहां पर एम्बेसेडर रहते हैं, उनकी ड्यूटी थी कि वे हाऊस में आकर बताते, न कि हम उनको यह बता रहे हैं ···**(व्यवधान)**···उनकी ड्यूटी थी कि वे हमें को बताते कि वहां पर ऐसी फिल्म दिखाई जा रही है।

अध्यक्ष महोदय : अब आप खत्म कीजिए।

श्री मोहम्मद महफूज अली खां : इस फिल्म की कापी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब तक पहुँचाई गई है। तो मैं यह पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने इस फिल्म को देखने के बाद क्या अन्दाजा लगाया है कि अमेरिका में क्या हो रहा है, क्या हरकतें गांधी जी के साथ की जा रही हैं। वे महरबानी करके हाऊस को बताएं कि हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी की इस तरह तोहीन किये जाने पर यू० एस० गवर्नमेंट से उन्होंने क्या प्रोटेस्ट किया।

अध्यक्ष महोदय : नोटिस ले लिया गया है। अब आप खत्म कीजिए।

श्री मोहम्मद महफूज अली खां : मेरी ये मांगे हैं :

(1)इस फिल्म जब्त को कराया जाए और यू० एस० गवर्नमेंट को सख्त हिदायत दी जाए कि वह ऐसी तोहीनआमेज और वेहूदा फिल्म अपने वहां न बनने दे।

(2) इस वेहूदा क्लब के खिलाफ इन्टर नेशनल कोर्ट में सरकार मुकदमा चलाए।

(3)अगर सी० आई० ए० मोरारजी के खिलाफ मुकदमा चला सकती है, तो हमारी सरकार को भी मुकदमा चलाना चाहिए, और

(4) अगर ऐसा सरकार नहीं करती है, तो हमारी पार्टी सख्त अहतजाज करेगी और राष्ट्र व्यापी आन्दोलन करेगी।

7.00 म० प०

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : महोदय, मैं संक्षिप्त निवेदन करना चाहता हूँ। प्रधान मन्त्री जी ने एक सुझाव दिया था कि सदन द्वारा एक संकल्प पारित किया जाए। इस बारे में मेरा एक सुझाव है। उस संकल्प में वहां भारतीय मूल के लोगों से अपील करनी चाहिए जिससे कि वे अपने आपको दक्षिण अफ्रीका के अश्वेतों के साथ जोड़ सकें जिसमें दोनों का हित एक-सा हो।

श्री सोमनाथ-रथ (आसका) : माननीय मन्त्री महोदय ने अपने वक्तव्य में दक्षिण अफ्रीका में मौजूदा स्थिति को सुपष्ट बताया है और दक्षिण अफ्रीका के मूल देशवासियों पर श्वेत शासन द्वारा किए गए अत्याचारों के बारे में भी बताया है। प्रधान मन्त्री जी ने भारत सरकार की नीति और भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों तथा उठाने वाले कदमों के बारे में भी साफ-साफ शब्दों में बताया है।

7.02 म० प०

[श्री वक्कम पुरुषोत्तमन पीठासीन हुए]

महोदय, अल्पसंख्यक श्वेत सरकार और इसकी रंगभेद की नीति दक्षिण अफ्रीका में हिंसा के लिए जिम्मेदार है। हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि श्वेतों की हमेशा फूट डालो और शासन करो की नीति रही है। भारत छोड़ो आन्दोलन से पहले भारत में क्या हुआ था। तत्कालीन ब्रिटेन के प्रधान मन्त्री श्री चर्चिल ने कहा था कि वह ब्रिटिश साम्राज्य के समापन की अध्यक्षता नहीं करेंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देश में राष्ट्रीय आन्दोलन का "क्वैरियन" आह्वान किया और अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा। अब इस तरह बोथा कहते हैं कि वह श्वेत दक्षिण अफ्रीकी और अन्य अल्पसंख्यक दलों को छोड़ने और आत्महत्या का नेतृत्व करने के लिए तैयार नहीं हैं। ये श्वेत दक्षिण अफ्रीकी और उनके प्रभाव को नष्ट करेगा तथा देश प्रभावित झगड़े अव्यवस्था तथा गरीबी में पड़ जाएगा। दक्षिण अफ्रीकी जातीय सरकार को दीवारों पर लिखी गई बातों से सचेतन होना चाहिए। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में अहिंसा का आंदोलन तथा नागरिक अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। महात्मा गांधी के फोनिक्स सेटलमेंट में जातीय सांमजस्य का सुख है। इसलिए श्वेत शासन इसको नष्ट करना चाहता है। और तोड़ फोड़ करने वालों के साथ उन्होंने इसे नष्ट किया है अफ्रीकी लोगों के दिलों में अभी भी गांधीवाद की भावना बनी हुई है और फिनिक्स की राख में से यह शक्ति दुगनी बढ़ जाएगी तथा दक्षिण अफ्रीका में जातीय सरकार को खत्म करेगी।

मैं अपने प्रधान मन्त्री जी के पहले वक्तव्य को उद्धृत करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था :

> "अफ्रीकी और एशिया के लोगों के बीच फूट डालने की अनुमति दक्षिण अफ्रीकी शासन के कुशल कार्य साधन युक्ति को नहीं दी जानी चाहिए। यह वह समय है जबकि दक्षिण अफ्रीका के सभी अश्वेत और श्वेत लोगों के वे वर्ग भी जो रंगभेद की नीति का विरोध करते हैं उन्हें अपने मतभेदभुलाकर जातीय नीति को खत्म करने के लिए संयुक्त रूप से लड़ना चाहिए।"

प्रधान मन्त्री जी ने यह भी कहा कि भारत के लोग उनके साथ होंगे। अत: हमें अब प्रधान मन्त्री जो के हाथ-मजबूत करने चाहिए और संकल्प में अपनी सरकार के विचारों को व्यक्त करना चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जातीय सरकार को विफल बनाए जाए और मानव अधिकारों के सुरक्षित रखा जाए। वे विकसित देश जो मानव अधिकारों के बारे में बहुत बोलते हैं वे यह सुनिश्चित करने लिए उत्सुक नहीं है कि अल्पसंख्यक श्वेत शासन समाप्त हो जाए। दूसरी तरफ, उन देशों के लोग श्वेत शासन और उनके अत्याचार तथा अमानवीय आचरण के विरुद्ध है अत: अमरीका और ब्रिटेन की सरकार को अपने लोगों की राय के बारे में सचेत होना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : अधिष्ठता जी, स्वाधीनता और समता में विश्वास रखने वाली भारत की महान जनता के विचारों को और अफ्रीका की स्वाधीनता प्रेमी जनता के साथ अपनी एकता को बड़ी दृढ़ता से, दृढ़ शब्दों में हमारे प्रधानमन्त्री जी ने यहां पर व्यक्त किया है। मैं इस विषय में और अधिक कुछ न कहकर आपके माध्यम से माननीय विदेश मन्त्री जी से निबेदन करना चाहूँगा कि पिछले कुछ महीनों में उनकी सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण पहलें की हैं, शस्त्रीकरण के विरोध में और अपने पड़ौसियों के साथ सम्बन्ध सुधारने की दिशा में और आज भी अफ्रीका की दबी; शोषित मानवता भारत की तरफ नेतृत्व के लिए देख रही है। कई अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में दक्षिण अफ्रीका की एजेंसीज से सम्बन्धित नौजवानों से हमको बातचीत करने का मौका मिला, उनके चेहरे से दृढ़ता टपकती थी, एक संकल्प शक्ति परिलक्षित होती थी जो यह बताती है कि अपनी स्वाधीनता के लिए और उसको प्राप्त करने के लिए वे कटिबद्ध हैं और उसको प्राप्त करके रहेंगे। मैं माननीय विदेश मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि हम मारल सपोर्ट दे रहे हैं, एक वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं सारे देश के अन्दर और दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया के लोगों की स्वतन्त्रता के लिए सक्रियता से काम कर रहे हैं, मगर हमारा आग्रह है कि यदि हम मारल सपोर्ट के साथ-साथ कुछ मेटीरियल सपोर्ट और यदि हो सके तो दक्षिण अफ्रीका के जो नौजवान भारत में आकर अध्ययन करना चाहते हैं और यहाँ आकर के किसी प्रकार की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, ताकि वहाँ जाकर के अफ्रीका की बोथा की सरकार के खिलाफ लड़ सकें, तो हमको उनको ट्रेनिंग देने के मामले में भी सक्रियता से विचार करना चाहिए।

मैं इन शब्दों के साथ एक बार पुन: प्रधान मन्त्री जी को और माननीय विदेश राज्य मन्त्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि दक्षिण अफ्रीका की जनता और भारत की जनता की एकता को उन्होंने बड़े सुस्पष्ट शब्दों में व्यक्त किया।

श्री राजकुमार राय (घोसी) : सभापति महोदय, दक्षिण अफ्रीका में हो रहे रंगभेद और औपनिवेषिक क्रियाकलापों के लिए जो इस सदन में चर्चा की गई, वह बहुत ही सामयिक है और मैं अपने पूर्ववक्ताओं की और माननीय प्रधानमन्त्री की भावनाओं से अपने को जोड़ता हूँ। पान्यवर, भारत की हमेशा से यह लड़ाई रही है, हमारा यह सिद्धान्त रहा है कि दुनिया से रंगभेद जाए, औपनिवेषिक शक्तियों का अन्त हो, इसी को लेकर के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने उसी दक्षिण अफ्रीका की उस भूमि पर यह नारा दिया था, इस लड़ाई को तेज किया था और वहीं से ट्रेनिंग लेकर मानवता की रक्षा के लिए, उसकी सहायता के लिए और गोरांग महाप्रभुओं को इस देश से हटाने के लिए महात्मा गांधी इस देश में आए थे। यह बहुत ही संयोग की बात है, भाग्य की विडम्बना है कि जहाँ से हम एक संदेश लेकर आए थे, जहाँ से महात्मा गांधी ट्रेनिंग लेकर आए थे, जहाँ से महात्मा गांधी एक विचारधारा लेकर आए थे, आज उसी धरती पर, उसी भूमि पर पुनः इस किस्म की कार्यवाही हो रही है जो मानवता के खिलाफ है। थोड़े से श्वेत लोग बहुसंख्यक अश्वेतों पर और हिम्मत यहां तक बढ़ गई है कि भारतीयों पर जुल्म ढा रहे हैं। वहाँ पर जो उनके ट्रेड्स हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, उनकी पाठशालाएं हैं, यहाँ तक कि गांधी जी के जो शोध संस्थान थे, उनकी कुर्सी, लेंस, इन सारी चीजों को निकालकर फेंका जा रहा है।

किसी के सन्तोष की सीमा होती है। सब कुछ बर्दाश्त किया गया। भारत ने भी अपनी आजादी की लड़ाई लड़ी तो दुनिया के दूसरे राष्ट्रों ने हमारा मारेल सपोर्ट किया। आज दक्षिण अफ्रीका के देश हमारे देश की तरफ आँख उठाकर देख रहे हैं। हम न केवल निर्गुट देशों के अध्यक्ष हैं बल्कि इसलिए कि हमारी यह नीति रही है कि शुरू से ही हमने गरीबों की और मानवता की रक्षा की है। यहां उन लोगों का सवाल नहीं है बल्कि उन भाइयों का है जो सौ-सवा सौ साल पहले बंधुआ मजदूर की शक्ल में वहां गए हुए थे। मेहनत-मशक्कत के बल पर वहाँ उन्होंने अपनी रोजी-रोटी का निर्वहन किया। आपके माध्यम से, सदन से और विशेषकर विदेश राज्य मन्त्री जी से कहना चाहता हूँ क्योंकि आज वे यहां हैं और माननीय प्रधान मन्त्री जी की बातों को उन्होंने सुना है और बहुत सारे हमारी पार्टी के साथ तथा विरोधी पक्ष के मित्रों ने भी कहा है कि यह सदन यूनेनीमस प्रस्ताव पास करे कि यह देश अफ्रीका के उन लोगों के साथ है जिन पर आज श्वेत लोग जुल्म ढा रहे हैं। इस तरह का एक प्रस्ताव आना चाहिए ताकि दुनिया की सारी ताकतों को जो ह्यूमेनिटी की रक्षा के लिए आवाज बुलन्द करना चाहती है, उनको बल मिले कि क्या कुछ वह करना चाहती है। भारत ने शुरू से गांधी जी, नेहरू जी और इन्दिरा जी का नेतृत्व प्राप्त किया है। आज राजीव जी ने जिस मजबूती, शक्ति और शालीनता का इस सदन में परिचय दिया है, अपने ऊँचे व्यक्तित्व और कृतित्व का, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत उनके काज के लिए लड़ेगा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि भारत जहां उनको मारेल सपोर्ट दे रहा है, वहाँ उनकी कुछ भौतिक मदद भी करेगा वह चाहे हथियारों या खान-पान की मदद हो। जिस किस्म भी मदद हो वह करनी चाहिए। हमें इस मामले में हिचकिचाना नहीं चाहिए। यह मामला किसी दूसरे देश के अन्दर हस्तक्षेप का नहीं है। यह पाकिस्तान, श्रीलंका और बंगला देश की तरह हस्तक्षेप नहीं है, यह तो हस्तक्षेप होगा ऐसी शक्तियों के खिलाफ जो अपनी धरती पर नहीं है जिनका राज अपने देशों पर नहीं है। वे तो दूसरे की धरती हथियाकर उस पर अपना राज करना चाहते हैं। वह आसानी से जाने वाले नहीं हैं जैसा कि पूर्ववक्ता ने बताया उन्हें चाहे कितनी भी बेशर्मी करनी पड़े। वहाँ उनके खनिज पदार्थ व कच्चे धातु हैं। वहाँ उनकी और बहुत सारी चीजें हैं। मानवता के लिए जितना भी खून बहे, वह जाने वाले नहीं है। इसका जीता-जागता सबूत खुद

हिन्दुस्तान है। हमने मजबूती से अपनी लड़ाई न लड़ी होती तो विश्व हमारे साथ नहीं होता और खुद उनके देश के रहने वाले लोग हमारे साथ नहीं रहे होते तो वे लोग जाते नहीं। मानवता का सवाल है इसलिए उनकी जरूरतों के बारे में सोचकर कड़े से कदम उठाएं ताकि मानवता की रक्षा हो सके।

डा० गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : सभापति महोदय, मैं एक दो बातें कहकर अपनी बात खत्म करूंगा। प्रधानमन्त्री जी ने कुछ कहा, उसके बाद अब कुछ और कहना बाकी नहीं रह गया है। अंग्रेजों की दो ही नीतियां थीं। एक तो थी "डाग इन दी मैंगर पालिसी" न तो काम करेंगे और न करने देंगे, न खायेंगे और न खाने देंगे। दूसरी पालिसी थी "डिवाइड एण्ड रूल", बांट दो और राज करो। आज जो साउथ अफ्रीका में हो रहा है, उसको देखकर यही लगता है कि दुनिया में और जगह अपनी नीति है। उनकी यह नीति समाप्त हो गई है और साउथ अफ्रीका में वह नीति चालू है।

आज एशिया मूल के लोगों और ब्लैक्स के बीच जो झगड़े हो रहे हैं वे हमें 1947 से पहले या उसके आस-पास हिन्दुस्तान में जो समय था, उसकी याद दिलाते हैं, जब अंग्रेजों ने यहां हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच भेदभाव पैदा कर दिया था और चारों ओर घृणा का वातावरण फैला दिया था। उसी के परिणाम-स्वरूप पाकिस्तान का निर्माण हुआ और उसके परिणाम भारत को तबसे लेकर आज तक भुगतने पड़ रहे हैं। यह हमें मानना होगा कि अंग्रेजों ने बहुत ही होशियारी के साथ साउथ अफ्रीका में एशियन मूल के लोगों और ब्लैक्स के बीच भेदभाव पैदा कर दिया है और यह हम सबके लिए सीरियस प्रोब्लम हो गया है। हमारी सिम्पैथी पूर्णत: ब्लैक्स के साथ है और हम अपने भारतीय मूल के लोगों को कहना चाहते हैं कि उनका स्वार्थ उन्हीं के साथ रहने में है। वे लोग श्वेतों के बहकावे में न आयें क्योंकि पूरे देश की, पूरे के पूरे हिन्दुस्तान की सहानुभूति वहां के ब्लैक्स के साथ है। हमारे वहां 500 परिवार ब्लैक्स लोगों के कारण पीड़ित हुए हैं, यह दुर्भाग्य का विषय है। यह भी दुर्भाग्य की बात है कि महात्मा गांधी का आश्रम भी छिन्न-भिन्न हो गया है। प्रधानमन्त्री जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि वहां महात्मा गांधी जी का आश्रय छिन्न-भिन्न हो जा सकता है, लेकिन गांधी जी की स्पिरिट समाप्त नहीं हुई है।

यहां पर इकानामिक सैंक्शन की बात आई, शायद आपको पता हो कि दुनिया के पांच मुल्कों का प्रधानत: वहां इन्वैस्टमैंट है—अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, स्वीडन और वैस्ट जर्मनी। उसमें फ्रांस ने इनीशियेटिव लिया और उसने अपने अम्बैसेडर को वापस बुला लिया। उसने फेस्ड इन्वेस्टमैंट बंद कर दिया। हमारे कहने का अर्थ यह है कि अमेरिका जो आज घड़ियाली आंसू बहाता है, वह भी क्यों नहीं फेस्ड इन्वेस्टमैंट को वहां बन्द करता है। और भी जितने दुनिया के दूसरे देश हैं, जो इकानामिक सैंक्शन की बात करते हैं, वे भी क्यों नहीं फेस्ड इन्वेस्टमैंट को बन्द करते। पहले के जो इन्वेस्टमैंटस हैं, वह रहने दें और फ्रांस की नकल करें। फेस्ड इन्वैस्टमैंट बन्द करने से भी साउथ अफ्रीका की इकानामी को बहुत बड़ा धक्का लगेगा।

प्रधान मन्त्री जी ने बहुत बड़ी बात कही कि हमने 1946 में साउथ अफ्रीका के साथ इकानामिक रिलेशन्स समाप्त कर दिए। शायद कम लोगों को पता होगा कि 1946 से पहले इण्डिया का साउथ अफ्रीका में बहुत बड़ा एक्सपोर्ट होता था और उस एक्सपोर्ट के कारण भारत को बहुत अधिक लाभ था परन्तु हमारे सामने देश का हित सर्वोपरि था और इसी कारण हमने साउथ अफ्रीका के साथ

अपने तमाम इकानामिक रिलेशन्स खत्म कर दिए।

कहने का अर्थ यह है कि गांधी जी ने हमें जो रास्ता दिखाया, उसके बाद पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने हमें जो रास्ता दिखाया, इन्दिरा जी ने हमें जो रास्ता दिखाया और जिस रास्ते पर आज हमारे प्रधानमन्त्री राजीव जी चल रहे हैं, हमें उसी रास्ते पर आगे बढ़ना है। राजीव जी देश को जैसा नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं, जिस तरह का नेतृत्व नौन-एलाइंड नेशन्स को दे रहे हैं, एक पब्लिक ओपीनियन बननी चाहिए जो अमेरिका से या दूसरे पश्चिमी देशों से यह कहे कि तुम अपने घड़ियाली आंसू बहाना बन्द करो और सही अर्थ में इकानामिक सैंक्शन वहां लगाओ।

यहां मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि वहां ब्लैक्स में और इण्डियन्स में इतना झगड़ा होने के बावजूद आपस में बहुत ज्यादा मेल है। मैं अभी इंटरनेशनल हैराल्ड और ट्रिब्यून में पढ़ रहा था कि साउथ अफ्रीका में व्हाइट लोगों ने कुछ ब्लैक्स को गोली मारी तो हमारे मूल के एक डाक्टर ने उनकी कालोनी में जाकर उनकी सेवा-सुश्रुषा की, जब वह इण्डियन डाक्टर कालोनी से बाहर निकलने लगा तो गोरे सिपाहियों ने उसे पकड़कर बुरी तरह व्यवहार किया ताकि उनका किसी अस्पताल में इलाज न हो सके। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह सब कुछ होने के बावजूद भी दोनों में बहुत ज्यादा मेल विद्यमान है। अभी भी हमारे मूल के लोगों की ब्लैक्स के साथ पूरी सिम्पैथी है और इस भावना को हमें नहीं भूल जाना चाहिए, बल्कि जोर देना चाहिए। अब समय आ गया है कि दुनिया की उस अन्तिम कालोनी के लिए हम जोर देकर कहें कि नैलसन मण्डेला का हम पूरी तरह समर्थन करते हैं और हम किसी भी हालत में, उस काले धब्बे को दुनिया में नहीं रहने देंगे। इन शब्दों के साथ मैं प्रधानमन्त्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भारत की तरफ से साउथ अफ्रीका के लोगों को सपोर्ट किया।

श्री रामस्वरूप राम (गया) : सभापति महोदय, अब तो बोलने के लिए सब्जैक्ट ही नहीं रह गया जिस पर मैं बोलूं। मैं अपने प्रधानमन्त्री और विदेश राज्य मन्त्री महोदय, दोनों को धन्यवाद देता हूं और खास करके प्रधानमन्त्री को जिन्होंने काफी इनीशिएटिव लेकर इस हाउस के जजबात को सुनने की कोशिश की और उन्होंने वहां के लोगों के प्रति हमदर्दी दिखाई। मैं मानता हूं कि साउथ अफ्रीका में जो ब्लैक और व्हाइट के बीच में झगड़ा हुआ है और इस झगड़े में जो हिंसात्मक वारदातें हुई हैं, ये हिंसात्मक वारदातें अफ्रीका की मिलने वाली आजादी का प्रतीक हैं। यह इस बात का प्रतीक हैं कि अब वहां की गोरी सरकार वहां के मूल निवासियों पर अपना शासन नहीं चला सकती है। ये हिंसात्मक वारदातें इसी बात का द्योतक हैं।

सभापति महोदय, फूट डालो और राज करो, यह गोरी सरकार की नीति रही है और इसी नीति से उन्होंने हमारे ऊपर राज किया और हिंसात्मक वारदातें उन्होंने हमारे यहां भी कीं, लेकिन जो भी लहू हिन्दुस्तान की धरती पर हिन्दुस्तानियों का गिरा उसका परिणाम यह रहा कि हम आज आजाद हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि वहां के लोग आज भी गोरी सरकार के दमन के शिकार हो रहे हैं और इस गोरी सरकार ने वहां के मूल निवासियों में और अफ्रीका के निवासियों में लड़ाई लड़वाने के लिए ऐसी चाल चली जिससे कि ये लोग छोटी सी बातों में उलझ जाएं और ये गोरे लोग उनका दमन कर सकें। किन्तु यह वह भूमि है जहां महात्मा गांधी ने आजादी की लड़ाई लड़नी शुरू की थी अब वहां पर पीटर बोथा की सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चल सकती है। यही कारण है कि जब उनको यह बात मालूम हुई तो उन्होंने आपस में दरार डालने के लिए छोटी-छोटी बातों में वहां

के निवासियों को उलझाने का प्रयास किया है लेकिन उनकी यह चाल कामयाब नहीं होगी क्योंकि वहां पर पूज्य महात्मा गांधी ने 95 वर्ष पूर्व आजादी की लड़ाई लड़ने की प्रेरणा दी। इसलिए मैं इस आगस्ट हाउस के माध्यम से पीटर बोथा की सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि वहां की आजादी की रोशनी को जिसे पूज्य महात्मा गांधी जी ने जलाया था, अब बुझाया नहीं जा सकता है। भले ही वहां गांधी जी के जो वहां स्मारक बने हैं, वे उनको तोड़ें चाहे वे गांधी जी के शिष्य और आजादी के दीवाने नेलसन मंडेला को जेलों में 30 साल तक बन्द करके रखें, लेकिन गांधी जी ने जो आजादी की रोशनी वहां जलाई है उसको वे कभी नहीं बुझा सकते हैं।

सभापति महोदय, मैं इस आगस्ट हाउस के माध्यम से अपनी इस सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि गांधी जी के अनुयाइयों और आजादी के दीवाने लोगों को जितनी भी सहायता दी जा सके, वह हमको देनी चाहिए। मैं यह नहीं कहता कि हम उन्हें शस्त्र की सहायता दें, बल्कि जब भी हम नेशनल फोरम में बात करें, ऐसी नेशनल फोरमों के माध्यम से, जिसका चेयरमैन हमारा ही देश है, अर्थात् हमारे माननीय प्रधानमन्त्री श्री राजीव जी गुटनिर्पेक्ष देशों के आन्दोलन के चेयरमैन हैं ऐसी जगहों में तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर इस प्रकार की आवाज उठानी चाहिए और यह दबाव दिया जाना चाहिए कि गोरी सरकार को वहां पर बर्खास्त करके प्रजातन्त्र को बहाल करें और नेलसन मंडेला को जेल से मुक्त करें। वहां के लोगों को वहां का शासन सौंपा जाना चाहिए और जो दमन चक्र इस गोरी सरकार ने वहां पर चला रखा है, उसको समाप्त किया जाना चाहिए। सभापति महोदय मुझे पूरा विश्वास है कि जो हिंसा अफ्रीका में चल रही है और जो आजादी का नारा वहां के लोगों ने लगाया है, इसको मैं वहां के लोगों की शक्ति का प्रतीक मानता हूं और वहां डेमोक्रेसी बहाल होगी। वहां के मूल लोगों की आजादी अवश्य मिलेगी और स्वतन्त्रता उनके देश में आएगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं वहां के लोगों के साथ पूरी हमदर्दी रखता हूं और पीटर बोथा की सरकार को कण्डेम करता हूं।

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : हम इस सदन के सभी दलों के माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त भावनाओं से पूर्णतया सहमत हैं और विशेषकर माननीय सदस्यों की इस इच्छा से कि एक ऐसा संकल्प पेश किया जाए जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाए अतः मैं सभा की अनुमति से संकल्प प्रस्तुत करता हूं लेकिन उससे पहले मैं निश्चय ही कुछ बातों का जिक्र करना चाहूंगा।

यह सच है कि भारत ने हमेशा हर अन्तर्राष्ट्रीय मंच से अफ्रीकी लोगों के हितों का समर्थन किया है और हम आगे भी ऐसा करते रहेंगे।

कुछ माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि वास्तव में हमने क्या किया है। अतः मैं संक्षेप में उनका जिक्र करना चाहूंगा। भारत पहला देश है जिसने संयुक्त राष्ट्र द्वारा संकल्प पारित करने से बहुत समय पहले ही जुलाई, 1946 में दक्षिण अफ्रीका के साथ अपने व्यापारिक सम्बन्ध तोड़ दिये थे। इसी तरह भारत ने दक्षिण अफ्रीका के स्वतंत्रता आंदोलनों के लिए हमेशा नैतिक, आर्थिक और राजनयिक समर्थन दिया है। 1967 में भारत ने अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस को नई दिल्ली में अपना एशियाई मिशन स्थापित करने की सुविधा देने की पेशकश की थी। भारत ने रंग-भेद की नीति शिकार लोगों की सहायता के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की विभिन्न निधियों तथा लन्दन स्थित अंतर्राष्ट्रीय रक्षा और सहायता निधि में अंशदान दिया अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के नामजद व्यक्तियों भारत में अनेक

प्रकार में प्रशिक्षण और शिक्षण पाठयक्रमों के लिया चुना जाता है। जैसाकि प्रधान मन्त्री महोदय ने कहा है, कई बातें ऐसी हैं जिनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते और कुछ ऐसी बाते हैं जिनके बारे में हमें कुछ कहना भी नहीं चाहिए।

हमने हमेशा अफ्रीकी लोगों के हितों का समर्थन किया है और करते रहेंगे इसी तरह सीमावर्ती राष्ट्रों में अपने दूतावासों और अन्य मित्र देशों, जिनके मिशन प्रोटोरिया में स्थित है, से कहा है कि वे हमें जानकारी दें तथा वहां के लोगों की यथा सम्भव सहायता करने का प्रयत्न करें। वास्तव में हमारे एक मित्र देश के दूतावासों ने दक्षिण अफ्रीका स्थिति अपने दूतावासों के माध्यम से हमें सभी आवश्यक जानकारी देने का प्रयास किया है और हम इस बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर पाए हैं कि फीनइक्स उपनिवेश में क्या हुआ। यह जानकारी दी गयी है कि जो एक महत्वपूर्ण चीज पूर्णत: नष्ट हुई है वह है फीनइक्स सपनिवेश के अभिलेख वास्तव में यह एक ऐसी वस्तु है जिसका हम पुन: निर्माण नहीं कर पाएँगे और न ही इसे पुन: प्राप्त कर पायेंगे हम हमेशा अफ्रीकी लोगों को अपना समर्थन देते रहेंगे जैसा कि हम करते आए हैं।

यहाँ मैं इस बात का जिक्र करना चाहता हूँ कि उनका कहना है रंगभेद का अर्थ है पृथक विकास लेकिन व्यवहारिक रूप से जातिगत भेदभाव से केवल गंभी नुकसान ही नहीं होते और भेदभाव ही नहीं पैदा होते अपितु यह एक तथ्य है जिसके कारण गम्भीर भावनात्मक सामाजिक और शारीरिक उत्पीडन भी होता है। रंगभेद नीति के नाम पर दक्षिण अफ्रीका में जो जातिगत भेदभाव है, वह सर्वाधिक भयंकर निर्दयतापूर्ण, घृणित और क्रूर उत्पीड़न है। यह न केवल अमानवीय है अपितु सभ्य समाज के लिए शर्म की बात है। लोकतन्त्र में जातिगत भेदभाव या जातिगत नीति के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता।

चूंकि अधिकांश सदस्यों ने व्यवहारिक रूप से इसके हर पहलू का जिक्र किया है, मैं सदन का और अधिक समय लेना नहीं चाहता। वास्तव में यह कहना गलत है कि काले लोग एशिया या भारत के लोगों के विरुद्ध हैं। वास्तव में ये भाड़े पर लिए गए गुंडे हैं जिन्होंने यह सब गड़बड़ की है और हमें विश्वास है कि दक्षिण अफ्रीका की सरकार की सेना और पुलिस ने इस तरह की गुण्डागर्दी से बचने अथवा उसे रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं किया।

अधिकांश सदस्य भी यह महसूस करते हैं कि यह रंगभेद की समाप्ति का आरम्भ है। विश्व की जनता ने भी महसूस किया है कि यह नीति अमानवीय है और लम्बे अर्से तक बनी नहीं रह सकती और इसलिए इसे समाप्त किया जाना चाहिए। जितनी जल्दी यह समाप्त हो उतना ही अच्छा है। मुझे विश्वास है कि इस अमानवीय नीति को समाप्त करने में भारत हमेशा महत्वपूर्ण योगदान करता रहेगा और इस नीति को समाप्त करने के समर्थन में किए जाने वाले प्रयासों में किसी अन्य देश से पीछे नहीं रहेगा।

मैं एक और बात यह कहना चाहता हूँ कि भारत और सभी गुट निरपेक्ष देशों ने हमेशा यह सुझाव दिया है कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ व्यापक जनमत प्राप्त करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ पश्चिमी देश और विशेषकर वे देश जिनका दक्षिण अफ्रीका में काफी धन लगा हुआ है अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वीटो पावर का इस्तेताल विवेकपूर्ण ढंग से नहीं किया गया है। हमें आशा है कि भविष्य में वीटो पावर का प्रयोग समझदारी से किया जाएगा ताकि इसका

इस्तेमाल उसी उद्देश्य के लिए किया जाए जिसके लिए यह शक्ति प्रदान की गई है ऐसे उद्देश्यों के लिए नहीं जिनके लिए ये देश इस्तेमाल कर रहे हैं।

अब मैं सदन से संकल्प पेश करने की अनुमति चाहता हूं सदन की इच्छा के अनुसरण में हमने इसे प्रस्तुत करने का निर्णय लिया है।

सभापति महोदय : कृपया संकल्प पढ़िए।

श्री खुर्शीद आलम खां : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा सर्वसम्मति से—

"(1) दक्षिण अफ्रीका के जातिवादी शासन की रंगभेद की अमानवीय नीति की निन्दा करने का,

(2) अपने मौलिक अधिकारों के लिए संघर्षरत अफ्रीकी एशियाई और दक्षिण अफ्रीकी अन्य जातियों में फूट डालने के दक्षिण अफ्रीकी प्राधिकारियों के प्रयासों की भर्त्सना करने का,

(3) विश्व की स्वतन्त्रता प्रेमी सभी शक्तियों को रंगभेद की नीति के विरुद्ध संघर्ष में एक-जुट रहने की अपील करने का,

(4) दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध प्रभावी और व्यापक अनिवार्य निबंन्धन लागू करने के लिए सरकारों का आह्वान करने का,

(5) वीर देशभक्त नैल्शन मंडेला और अन्य स्वतन्त्रता सेनानियों की बिना शर्त रिहाई के लिए आग्रह करने का,

(6) दक्षिण अफ्रीका के लोगों के स्वतन्त्रता संग्राम को हर प्रकार का समर्थन देते रहने और सभी सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर उनके उद्देश्यों का समर्थन जारी रखने का,

(7) दक्षिण अफ्रीका के लोगों को रंगभेद नीति के अनवरत अपराधों से मुक्ति दिलाने के प्रयासों को सुदृढ़ करने हेतु लुआंडा में होने वाले मन्त्रीस्तरीय निर्गुट सम्मेलन और संयुक्त राष्ट्र संघ के चालीसवें स्मारक सत्र में आह्वान और अपील करने का, और

(8) दक्षिण अफ्रीका में बसे भारतीय मूल के लोगों का रंगभेद की नीति के विरुद्ध अपने अफ्रीकी भाइयों के साथ मिलकर अपने समान उद्देश्यों हेतु संघर्ष जारी रखने के लिए आह्वान करने का संकल्प करती है।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा सर्वसम्मति से—

(1) दक्षिण अफ्रीका के जातिवादी शासन की रंगभेद की अमानवीय नीति की निन्दा करने का,

(2) अपने मौलिक अधिकारों के लिए संघर्षरत अफ्रीकी एशियाई और दक्षिण अफ्रीकी

अन्य जातियों में फूट डालने के दक्षिण अफ्रीकी प्राधिकारियों के प्रयासों की भर्त्सना करने का,

(3) विश्व की स्वतन्त्रता प्रेमी सभी व्यक्तियों को रंगभेद की नीति के विरुद्ध संघर्ष में एक-जुट रहने की अपील करने का,

(4) दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध प्रभावी और व्यापक अनिवार्य निर्बन्धन लागू करने के लिए सरकारों का आह्वान करने का,

(5) वीर देशभक्त नैल्सन मंडेला और अन्य स्वतन्त्रता सेनानियों की बिना शर्त रिहाई के लिए आग्रह, करने का,

(6) दक्षिण अफ्रीका के लोगों के स्वतन्त्रता संग्राम को हर प्रकार का समर्थन देते रहने और सभी सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर उनके उद्देश्यों का समर्थन जारी रखने का,

(7) दक्षिण अफ्रीका के लोगों को रंगभेद नीति के अनवरत अपराधों से मुक्ति दिलाने के प्रयासों को सुदृढ़ करने हेतु लुआंडा में होने वाले मन्त्रीस्तरीय निर्गुट सम्मेलन और संयुक्त राष्ट्र संघ के चालीसवें स्मारक सत्र में आह्वान और अपील करने का, और

(8) दक्षिण अफ्रीका में बसे भारतीय मूल के लोगों का रंगभेद की नीति के विरुद्ध अपने अफ्रीकी भाइयों के साथ मिलकर अपने समान उद्देश्यों हेतु संघर्ष जारी रखने के लिए आह्वान करने का संकल्प करती है।"

संकल्प स्वीकृत हुआ।

श्री खुर्शीद आलम खां : मुझे एक और निवेदन करना है कि बेंजामिन मोलेस, जिसे फांसी की सजा दी गई है, को रिहा किया जाना चाहिए और इसके लिए सभी देशों से एक अपील की जानी चाहिए ।

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : महोदय, मैं सदन से अनुरोध करता हूँ कि इसके पश्चात जो आधे घंटे की चर्चा की जानी थी, उसे कल अथवा परसों तक के लिए स्थगित किया जाए।

कुछ माननीय सदस्य : जी हां।

सभापति महोदय : इस पर बाद में चर्चा की जा सकती है।

7.35 म०प०

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): महोदय, श्री जनार्दन पुजारी की ओर से मैं सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत, अधिसूचना संख्या 259/

85—सीमा शुल्क तथा 260/85—सीमा शुल्क की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो भारत के राजपत्र में 19 अगस्त, 1985 को प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो कूड ताड़ की गिरी के तेल को उस स्थिति में, जब उसका आयात क्लायुक्त अल्कोहल का विनिर्माण करने के लिए किया जाए, मूल्यानुसार 30 प्रतिशत से अधिक मूल सीमा-शुल्क से तथा उस पर उद्ग्रहणीय उपसंगी शुल्क से पूर्ण छूट देने के बारे में है, सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी०-1337/85]

7.36 म०प०

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार 20 अगस्त 1985/29 श्रावण, 1907 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

प्रबन्धक, मित्तल प्रिण्टर्स, के-13 नवीन शाहदरा, दिल्ली-110032 द्वारा मुद्रित